राज्य वित्त
वर्ष 2008-09 के बजटों का अध्ययन

भारतीय रिज़र्व बैंक
दिसंबर 2008

राज्य वित्त
वर्ष 2008-09 के बजटों का अध्ययन

भारतीय रिज़र्व बैंक

मूल्य भारत में - 215 रुपए (सामान्य)

- 245 रुपए (डाक प्रभार सहित)

- 160 रुपए (काउंटर पर रियायती मूल्य)

- 190 रुपए (रियायती डाक प्रभार सहित)

विदेश - 23 अमरीकी डॉलर (एयर मेल कूरियर प्रभार सहित)

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2008
सर्वाधिकार सुरिक्षत। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है बशर्ते कि स्रोत के प्रति आभार व्यक्त किया जाए।

रेखा मिश्रा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक,मुंबई-400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा जयंत प्रिंटरी, 352/54, मुरलीधर कंपाउंड, गिरगांव रोड, मुंबई-400 002 में डिजाइन और मुद्रित।

प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक 1950-51 से राज्य वित्त के संबंध में वार्षिक अध्ययन प्रकाशित करता आ रहा है। यह अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के एक अंग के रूप में प्रकाशित किया जाता था, वर्ष 1990-2000 से एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। अनुसंधानकर्त्ताओं को टाइम सीरीज आंकड़े आसानी से उपलब्ध कराने के अपने प्रयास में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2004 में 'हैंड बुक आफ स्टेटिस्टिक्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट फायनांसेज' नाम से एक प्रकाशन निकाला। इस दस्तावेज में 1980-81 से प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार टाइम सीरीज आंकड़े तथा 1990-91 से राजस्व और पूंजी खाते के अंतर्गत विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं।

इस अध्ययन में सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करने के अलावा राज्यों के वित्त का विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया गया है। ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि 2005-06 से राज्य वित्त के इस अध्ययन में राज्य सरकारों के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर विशेष थीम आधारित विस्तृत विश्लेषण प्रारंभ किया गया है। अब तक पिछले तीन वर्षों के दौरान 'राज्य सरकारों की बकाया देयताएं', 'सामाजिक क्षेत्र व्यय' और 'राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरण' पर विशेष थीमें प्रस्तुत की गयी हैं। प्रस्तुत अध्ययन में विशेष थीम 'राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां - प्रवृत्ति और संघटन' है।

यह अध्ययन आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय वित्त प्रभाग के सहयोग से आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग में तैयार किया गया है। इस कार्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग से भी सहयोग लिया गया। इस अध्ययन को राज्य सरकारों के वित्त विभागों से सहयोग और भरपूर जानकारी मिली तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा योजना आयोग से प्राप्त मूल्यवान तकनीकी जानकारी का भी लाभ मिला।

यह अध्ययन रिपोर्ट श्री बी.एम.मिश्रा, परामर्शदाता के मार्गदर्शन में श्रीमती कुमुदिनी हाजरा, निदेशक, कु.राखी पी.बी. और श्री धीरेन्द्र गजभिये, अनुसंधान अधिकारियों द्वारा तैयार की गई है। आंकड़ों के समेकन में सर्वश्री ए.के. धर्मपाल, टी.आर. मुरलीधरन, पी.पी. जोशी, बी.ए.रणखांबे और श्रीमती ई.फर्नांडिस ने सहायता की।

वर्ष 2001-02 से लेकर आगे का यह अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। इस अध्ययन के पिछले अंक (1950-51 से) मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस अध्ययन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से इस अध्ययन के संबंध में प्रतिसूचना/अभिमत आमंत्रित हैं। ये डाक से अथवा ई-मेल के माध्यम से deapdslf@rbi.org.in पर निदेशक, राज्य वित्त एवं स्थानीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001 को भेजे जा सकते हैं।

राकेश मोहन
उप गवर्नर
16 दिसंबर 2008

विषयवस्तु

पृष्ठ सं.

प्रस्तावना

संक्षेपाक्षर

I प्रस्तावना 1

II विहगावलोकन 2

III नीतिगत पहलें 3

III.1 राज्य सरकार 5

III.1.1 राजस्व उपाय 5

III.1.2 व्यय उपाय 5

III.1.3 संस्थागत उपाय 6

III.1.4 अन्य पहलें 8

III.2 भारत सरकार 9

III.3 भारतीय रिज़र्व बैंक 10

III.3.1 नीलामी के माध्यम से बाजार उधार 10

III.3.2 राज्य सरकारों के बाजार उधारों हेतु सांकेतिक कैलेण्डर 10

III.3.3 ऋण चुकाने के लिए नकद शेषों का उपयोग 10

III.3.4 राज्य वित्त सचिवों का सम्मेलन 11

III.3.5 राज्य विकास ऋणों का पुनर्निर्गम 11

III.3.6 राज्य विकास ऋणों की नीलामियों में गैर प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा योजना 11

IV. राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति 11

IV.1 लेखे : 2006-07 12

IV.2 संशोधित अनुमान : 2007-08 13

IV.3 बजट अनुमान 2008-09 15

IV.3.1 बजट अनुमान 2008-09 - महत्वपूर्ण घाटा संकेतक 15

IV.3.2 राजस्व प्राप्तियां 16

IV.3.3 राजस्व व्यय 20

IV.3.4 पूंजी प्राप्तियां 20

IV.3.5 पूंजी व्यय 21

IV.3.6 केंद्र से संसाधनों का डिवोल्यूशन और अंतरण 21

IV.3.7 विकासात्मक और विकासेतर व्यय 22
IV.3.8 सामाजिक क्षेत्र व्यय 23
IV.3.9 परिचालन एवं रखरखाव तथा मजदूरी और वेतन 26
IV.3.10 राज्य सरकारों का योजना परिव्यय 27
IV.4 मूल्यांकन 27
IV.4.1 समेकित स्थिति 27
IV.4.2 घाटों का राज्यवार सुधार 28
IV.4.3 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तीयन 29
IV.4.4 बजटीय आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट बनाम केंद्रीय बजट 30

V. राजकोषीय निष्पादन का राज्य-वार मूल्यांकन 32
V.1 राज्य सरकारों से घाटा संकेतक 32
V.1.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्य 32
V.1.2 विशेष श्रेणी के राज्य 35
V.2 राज्य सरकारों का राजस्व लेखा 36
V.2.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्य 36
V.2.2 विशेष श्रेणी के राज्य 41
V.3 राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप 44
V.3.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्य 45
V.3.2 विशेष श्रेणी के राज्य 48
V.4 राज्य सरकारों का प्रति व्यक्ति व्यय 49
V.4.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्य 50
V.4.2 विशेष श्रेणी के राज्य 53

VI. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधार और आकस्मिक देयताएं 56
VI.1 बकाया देयताएं 56
VI.1.1 मात्रा 56
VI.1.2 ऋण का संघटन 57
VI.1.3 राज्य-वार ऋण स्थिति 59
VI.2. बाजार उधार 61
VI.2.1 समेकित स्थिति 61
VI.2.2 2008-09 के दौरान बाजार उधारों का आबंटन 61
VI.3 चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंध 62
VI.4 आकस्मिक देयताएं 64

VI.5 राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन 65
VI.5.1 ब्याज भुगतान 65
VI.5.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप 65
VI.5.3 नकद शेषों का निवेश 66
VI.5.4 ऋण समेकन और राहत 66

VII. राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां - प्रवृत्ति एवं संघटन 67
VII.1 राज्य स्तरीय राजस्व सुधार 68
VII.1.1 भारत में कर संरचना 68
VII.1.2 राज्य सरकारों द्वारा कर सुधार 68
VII.1.3 राज्य सरकारों द्वारा करेतर सुधार 69
VII.2 राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां - प्रवृत्ति एवं संघटन 71
VII.2.1 स्वकर राजस्व - प्रवृत्ति एवं संघटन 72
VII.2.2 स्व-करेतर राजस्व - प्रवृत्ति एवं संघटन 74
VII.3 राज्यवार राजस्व प्राप्तियां 77
VII.3.1 स्व-कर राजस्व की राज्यवार प्रवृत्तियां 77
VII.3.2 मूल्यवर्धित कर की राज्यवार प्रवृत्तियां 78
VII.3.3 स्व-करेतर राजस्व में राज्यवार प्रवृत्तियां 79
VII.3.4 स्व-कर राजस्व का राज्यवार संघटन 80
VII.3.5 स्व-करेतर राजस्व का राज्यवार संघटन 82
VII.4 राजस्व प्राप्तियों का मूल्यांकन 84
VII.4.1 स्व-राजस्व तथा घाटा सुधार 84
VII.4.2 स्व-राजस्व द्वारा सकल व्यय का वित्तपोषण 84
VII.4.3 राज्य बिक्री कर/वैट की प्रवृत्तियां 85
VII.4.4 स्व-कर राजस्व की वृद्धि दरें और उछाल 85

VIII. मुद्दे और महत्त्व 86
VIII.1 राजस्व बढ़ाना 86
VIII.2 व्यय की गुणवत्ता 87
VIII.3 ऋण एवं नकदी प्रबंध 88
VIII.4 छठे केंद्रीय वेतन आयोग के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया 88
VIII.5 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 89
VIII.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर राजकोषीय ढांचा 89
IX. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां 90

अनुबंध

1. राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें 92

Explanatory Note on Data Sources and Methodology 123

बॉक्स

1. तेरहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय 4
2. राज सरकार के स्तर पर सरकारी निजी सहभागिता 8
3. उप-राष्ट्रिक सरकारों के संदर्भ में राजकोषीय अंतर 19
4. बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं 22
5. राज्य सरकारों के सार्वजनिक व्यय का उभरता स्वरूप 24
6. राज्य सरकारों की राजकोषीय क्षमताः पद्धति 52
7. राजकोषीय सुधार - उड़ीसा का मामला अध्ययन 57
8. राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में हाल ही की गतिविधियां 62
9. जनसेवाओं से लागत वसूली 70

सारणी

1. महत्त्वपूर्ण घाटा संकेतक 2
2. राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार 7
3. राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक 12
4. प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07(सं.अ.) की तुलना में 2006-07(लेखा) 13
5. प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2007-08 (ब.अ.) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) 14
6. प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2007-08(ब.अ.) 16
7. राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां 17
8. चयनित सेवाओं की लागत वसूली 18
9. राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप 20
10. कुल व्यय की तुलना में विकास व्यय 23
11. राज्य सरकारों के कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्तियां 25
12. सामाजिक क्षेत्र व्यय के संघटन की प्रवृत्तियां 25
13. सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजी लेखे) - संघटन 26
14. राज्य सरकारों का प्रशासनिक व्यय - मजदूरी और वेतन तथा परिचालन एवं रखरखाव 27
15. राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां 28
16. राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का राज्यवार सुधार - 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 29

17. सकल राजकोषीय घाटे का विखंडन और वित्तपोषण - 2006-07 (लेखा) से 2007-08 (ब.अ.) 30
18. बजट आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट और केंद्रीय बजट 30
19. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2008-09 (समायोजित) 31
20. राज्य सरकारों के घाटा संकेतक 33
21. राज्य सरकारों के राजस्व प्राप्तियां 38
22. राज्य सरकारों का राजस्व व्यय 40
23. राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप 46
24. राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता- 2007-08 (सं.अ.) 50
25. राज्य सरकारों का प्रति व्यक्ति व्यय - 2007-08 (सं.अ.) 51
26. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं 58
27. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन 58
28. राज्यवार ऋण-जीएसडीपी स्थिति 59
29. राज्य सरकार प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक का ब्याज दर स्वरूप 61
30. राज्य सरकारों के बाजार उधार 63
31. राज्य सरकार प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ 64
32. सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं - 1996 से 2008 64
33. राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां 65
34. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं पर ब्याज दर 66
35. बकाया राज्य सरकार प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप 66
36. बकाया राज्य विकास ऋणों और पावर बांडों की परिपक्वता सूची 67
37. राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां 72
38. स्व-कर प्राप्तियों की प्रवृत्ति 73
39. स्व-कर प्राप्तियों के घटक 74
40. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर के घटक 75
41. पण्य और सेवाओं पर करों के घटक 75
42. स्व-करेतर प्राप्तियों की प्रवृत्तियां 76
43. स्व-करेतर प्राप्तियों के घटक 76
44. सामाजिक सेवाओं से प्राप्त करेतर राजस्व का संघटन 77
45. आर्थिक सेवाओं से प्राप्त करेतर राजस्व का संघटन 78
46. स्व-राजस्व की राज्य-वार प्रवृत्तियां 79
47. वैट/जीएडीपी की राज्य-वार प्रवृत्तियां 80
48. स्व-कर प्राप्तियों का संघटन - 2007-08 (संशोधित अनुमान) 81

49. स्व-करेतर प्राप्तियों का संघटन - 2007-08 (संशोधित अनुमान) 83
50. राजस्व प्राप्तियों में परिवर्तन और घाटे में सुधार 84
51. स्व-राजस्व से समग्र व्यय का वित्तपोषण 85
52. राज्य बिक्री कर / वैट 85
53. वृद्धि दरें और ओटीआर और राज्य बिक्री कर / वैट का उछाल 86
54. स्व-कर उछाल - राज्य -वार 86

चार्ट

1. प्रमुख घाटा संकेतक15
2. चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली 18
3. ब्याज भुगतानों, पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय 21
4. पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक 21
5. विकास और विकासेतर व्यय 23
6. सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्तियां 23
7. प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां 28
8. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/आधिक्य (-) 34
9. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 34
10. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व आधिक्य के द्वारा ब्याज भुगतानों का वित्तपोषण 35
11. विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/आधिक्य (-) 35
12. विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 36
13. विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व आधिक्य के द्वारा ब्याज भुगतानों का वित्तपोषण 37
14. 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में स्व-राजस्व और केंद्रीय अंतरणों में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य 37
15. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में स्व-कर और करेतर राजस्व - 2007-08 (सं.अ.) 39
16. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में मूल्यवर्धित कर-2007-08 (सं.अ.) 39
17. 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विकास और विकासेतर राजस्व व्यय में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य 41
18. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों का संघटन - 2007-08 (सं.अ.) 41
19. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों और प्रतिबद्ध व्यय द्वारा राजस्व प्राप्तियों का पूर्वक्रय - 2007-08 (सं.अ.) 42
20. 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में स्व-राजस्व और केंद्रीय अंतरणों में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य 42
21. विशेष श्रेणी के राज्यों का स्व-कर और स्व-करेतर राजस्व - 2007-08 (सं.अ.) 43
22. विशेष श्रेणी के राज्यों में मूल्यवर्धित कर-2007-08 (सं.अ.) 43

23. 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विकास और विकासेतर व्यय में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य 44
24. विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों का संघटन - 2007-08 (सं.अ.) 44
25. विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों और प्रतिबद्ध व्यय द्वारा राजस्व प्राप्तियों का पूर्वक्रय - 2007-08 (सं.अ.) ... 45
26. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय 45
27. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय 47
28. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय 47
29. विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय 48
30. विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय 48
31. विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय 49
32. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय- 2007-08 (सं.अ.) 52
33. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय- 2007-08 (सं.अ.) 53
34. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय- 2007-08 (सं.अ.) 54
35. विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय- 2007-08 (सं.अ.) 54
36. विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय- 2007-08 (सं.अ.) 55
37. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय- 2007-08 (सं.अ.) 55
38. घाटा, ऋण और ब्याज भार 58
39. बकाया देयताओं का संघटन (मार्च के अंत में) 59
40. ऋण-जीएसडीपी- गैर विशेष श्रेणी के राज्य 60
41. ऋण-जीएसडीपी- विशेष श्रेणी के राज्य 60
42. राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दैनिक बकायों का औसत) 64
43. राज्य सरकारों द्वारा 14-दिवसीय मध्यवर्ती और नीलामी खजाना बिलों में निवेश (दैनिक बकायों का औसत) 67
44. राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटकों की प्रवृत्तियां 72
45. स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक 74
46. स्वकरेतर राजस्व के घटक 77

परिशिष्ट सारणी

1. राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक 127
2. समेकित बजटीय स्थिति - एक नज़र में 128
3. राजस्व प्राप्तियाँ 129
4. राजस्व व्यय 130
5. पूंजीगत प्राप्तियाँ 131

6. पूंजी संवितरण 132
7. केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण 133
8. विकास और विकासेतर व्यय् 134
9. विकास व्यय : मुख्य शीर्ष 135
10. विकासेतर व्यय : मुख्य शीर्ष 136
11. विकासात्मक और विकासेतर व्यय : योजना और योजनेतर घटक 137
12. विकासात्मक और विकासेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक 138
13. योजना और योजनेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक 139
14. राज्यों के योजनेतर विकासेतर व्यय 140
15. सामाजिक क्षेत्र के व्यय* का संयोजन 141
16. सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन 143
17. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 144
18. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में 145
19. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की बनावट (मार्च के अंत में) 146
20. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की बनावट (मार्च के अंत में) 147
21. राज्य सरकारों के बाजार उधार 148
22. राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्ति 149
23. राज्य सरकारों के स्व कर राजस्व 150
24. राज्य सरकारों का स्व-करेतर राजस्व 151

विवरण

1. प्रमुख राजकोषीय संकेतक 155
2. राजस्व घाटा / अधिशेष 157
3. परंपरागत घाटा / अधिशेष 158
4. सकल राजकोषीय घाटा / अधिशेष 159
5. सकल राजकोषीय का नियोजन 160
6. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 2006-07 (लेखा) 161
7. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2006-07 (लेखा) 162
8. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2007-08 (सं.अ.) 163
9. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2007-08 (सं.अ.) 164
10. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2008-09 (सं.अ.) 165

11.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2008-09 (ब.अ.)	166
12.	विकासात्मक व्यय	167
13.	विकासेतर व्यय	168
14.	योजना व्यय	169
15.	योजनेतर व्यय	170
16.	योजनेतर विकासेतर व्यय	171
17.	ब्याज भुगतान	172
18.	कर राजस्व	173
19.	राज्यों के अपने कर राजस्व	174
20.	करेतर राजस्व	175
21.	राज्यों के अपने करेतर राजस्व	176
22.	केंद्रीय करों में राज्यों के अंश	177
23.	केंद्र से अनुदान	178
24.	केंद्र से ऋण	179
25.	केंद्र के संसाधनों का सकल और निवल न्यागमन तथा अंतरण	180
26.	बकाया देयताओं का संयोजन	181
27.	राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं	184
28.	कुल बकाया देयताएं - राज्यों के सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत	185
29.	राज्य सरकारों के बाजार उधार	186
30.	राज्य सरकारों के योजना परिव्यय	187
31.	पूंजी प्राप्तियां तथा पूंजी व्यय	188
32.	राज्य सरकार के बाजार ऋण	189
33.	राज्य सरकार के बकाया बाजार ऋण	209
34.	राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता विन्यास	210
35.	राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता विन्यास - कुल के प्रतिशत के रूप में	211
36.	राज्य सरकार के चयनित प्रतिबद्ध व्यय-राज्यों के स्व-राजस्व के अनुपात के रूप में	212
37.	राज्य सरकार के चयनित प्रतिबद्ध व्यय-राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में	213
38.	भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की प्राप्तता	214
39.	केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	215
40.	14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल का बकाया निवेश	216

41. शिक्षा* पर व्यय - कुल संवितरण के अनुपात के रूप में 217
42. चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय - कुल संवितरण के अनुपात के रूप में 218
43. राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां 219
44. मजदूरी तथा वेतन पर व्यय 220
45. परिचालन तथा रखरखाव पर व्यय 221
46. सामाजिक क्षेत्र के व्यय 222
47. कुल व्यय की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के व्यय 223
48. विवरण 48: बारह वे वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए और ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत पात्र राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऋण/ब्याज राहत के लाभ 224

परिशिष्ट

I. राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां 227
II. राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय 259
III. राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां 321
IV. राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय 337

परिशिष्टों की टिप्पणियां 430

संक्षेपाक्षर

AD	-	कुल संवितरण
AIIMS	-	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
AR	-	कुल प्राप्तियां
ATBs	-	नीलामी खजाना बिल
BE	-	बजट अनुमान
BIFR	-	औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण ब्यूरो
BOT	-	बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो
BPL	-	गरीबी की रेखा के नीचे
CAG	-	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
CCIL	-	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
CE	-	पूंजी व्यय
CENVAT	-	केंद्रीय मूल्य योजित कर
CHCs	-	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
CO	-	पूंजी परिव्यय
Comm.Exp.	-	प्रतिबद्ध व्यय
CPA	-	केंद्रीय योजना सहायता
CPS	-	केंद्रीय प्लान स्कीम
CPSUs	-	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
CR	-	पूंजी प्राप्तियां
CRF	-	आपदा राहत निधि
CSF	-	समेकित ऋण शोधन निधि
CSO	-	केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
CSS	-	केंद्र प्रायोजित योजना
CST	-	केंद्रीय बिक्री कर
CT	-	चालू अंतरण
DA	-	महंगाई भत्ता
DCRF	-	ऋण समेकन और राहत सुविधा
Dev.Exp.	-	विकासात्मक व्यय
DRE	-	विकास राजस्व व्यय
DSS	-	ऋण अदला-बदली योजना
DT	-	प्रत्यक्ष कर
EAPs	-	बाह्य समर्थित परियोजनाएं
EEC	-	यूरोपीय आर्थिक समुदाय
EFC	-	ग्यारहवां वित्त आयोग
ES	-	आर्थिक सेवाएं
F&WL	-	वानिकी और वन्य जीव
FIs	-	वित्तीए संस्थाएं
FRBM	-	राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन
FRL	-	राजकोषीय जवाबदेही विधान
GDP	-	सकल घरेलू उत्पाद
GFD	-	सकल राजकोषीय घाटा
GFD Exp.	-	सकल राजकोषीय घाटा व्यय
GFS	-	सरकारी वित्त सांख्यिकी
GIA	-	सहायत अनुदान
GIC	-	भारतीय साधारण बीमा निगम
GIS	-	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GoI	-	भारत सरकार
GLFC	-	केंद्र से सकल ऋण
GS	-	सामान्य सेवाएं
GSDP	-	सकल राज्य घरेलू उत्पाद

GST	-	माल तथा सेवा कर
ICUs	-	सघन देखभाल इकाइयां
IDT	-	अप्रत्यक्ष कर
IIFCL	-	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लिमिटेड
IIMs	-	भारतीय प्रबंध संस्थान
IISER	-	भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
IIT	-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
IMF	-	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
IP	-	ब्याज भुगतान
IR	-	ब्याज प्राप्ति
ITBs	-	मध्यवर्ती खजाना बिल
JNNURM	-	जवहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
LFC	-	केंद्र से ऋण
LIC	-	भारतीय जीवन बीमा निगम
LR	-	भू-राजस्व
MoF	-	वित्त मंत्रालय
MoU	-	समझौता ज्ञापन
MTFP	-	मध्यावधि राजकोषीय योजना
NABARD	-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NAIS	-	राजष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
NCDC	-	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCT Delhi	-	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
NDS-OM	-	निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट
NGOs	-	गैर सरकारी संगठन
NIRE	-	ब्याजेतर राजस्व व्यय
NPS	-	नई पेंशन योजना
Non-Dev.Exp.	-	विकासेतर व्यय
Non-Dev.	-	विकासेत्तर राजस्व व्यय
Rev.Exp.	-	राजस्व व्यय
NSSF	-	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
OBCs	-	अन्य पिछड़ा वर्ग
OD	-	ओवरड्राफ्ट
OECF	-	समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि
ONTR	-	निजी करेतर राजस्व
OR	-	स्व राजस्व
OTR	-	निजी कर राजस्व
PC	-	योजना आयोग
PCCO	-	प्रति व्यक्ति पूंजी परिव्यय
PD	-	प्राथमिक घाटा
PDS	-	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PFM	-	लोक वित्त प्रबंधन
PHCs	-	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
PMGSY	-	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
PN	-	पेंशन
PPP	-	सरकारी निजी भागीदारी
PRB	-	प्राथमिक राजस्व शेष
PRIs	-	पंचायती राज संस्था
PSUs	-	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
RAJSWAN	-	राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
RBI	-	भारतीय रिज़र्व बैंक
RCDP	-	नदी मार्ग विकास परियोजना
RD	-	राजस्व घाटा
RE	-	संशोधित अनुमान

REC	-	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
Rev.Exp.	-	राजस्व व्यय
RIDF	-	ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि
RLA	-	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली
RR	-	राजस्व प्राप्तियां
SBI	-	भारतीय स्टेट बैंक
SCs	-	अनुसूचित जाति
SCT	-	केंद्रीय करों में अंश
SDLs	-	राजस्व विकास ऋण
SEBs	-	राज्य बिजली बोर्ड
SET	-	राज्य उत्पाद कर
SEZs	-	विशेष आर्थिक क्षेत्र
SFCs	-	राज्य वित्त आयोग
SHGs	-	स्वयं सहायता समूह
SPF	-	राज्य भविष्य निधि
SPVs	-	विशेष प्रयोजन के साधन
SRF	-	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क
SS	-	सामाजिक सेवाएं
SSA	-	सर्व स्वास्थ्य अभियान
SSE	-	सामाजिक क्षेत्र व्यय
SST	-	राज्य बिक्री कर
ST	-	अनुसूचित जनजाति
SUCCESS	-	स्कीम फॉर युनिवर्सल एक्सेस एण्ड क्वालिटी एट सेकंडरी स्टेज
TBs	-	खजाना बिल
TC	-	पण्य और सेवाओं पर कर
TE	-	कुल व्यय
TFC	-	बारहवां वित्त आयोग
TI	-	आय पर कर
TP	-	संपत्ति और पूंजी लेन-देनों पर कर
TPT&E	-	व्यवसाय, व्यापार, कालिंग और नियोजन पर कर
TR	-	कर राजस्व
TV	-	वाहनों पर कर
UPSC	-	संघ लोक सेवा आयोग
USAID	-	अंतरराष्ट्रीय विकास हेतु यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी
VAT	-	मूल्य योजित कर
VGF	-	वायबिलिटी गैप फंडिंग
WMA	-	अर्थोपाय अग्रिम

राज्य वित्त
वर्ष 2008-09 के बजटों का अध्ययन[1]

प्रस्तावना

राजकोषीय सुधार और समेकन हासिल करने के सतत प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2008-092 के लिए राज्य सरकारों ने अपने बजट प्रस्तुत किए। राज्य सरकारों के लिए नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था जैसी कि उनके राज्यकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) में निर्दिष्ट की गयी है, उसमें अधिकांश राज्य सरकारों3 को 2009-10 के दौरान अंततः पहुंचना राज्य सरकारों के प्रयासों को समष्टि आर्थिक मूल सिद्धांतों4 की बिना पर कर उछाल में सुधार सहित बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र से होने वाले बड़े डिवोल्यूशन और अंतरणों से राजकोषीय असंतुलनों को घटाने की दिशा में सहायता मिली। सभी राज्यों ने राज्य बिक्री कर के बदले मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू किया है जिससे राज्यों के राजस्व स्रोतों में उछाल आया है।

2008-09 के लिए राज्यों ने अपने बजट प्रस्तुत करते हुए अनेक नीतिगत पहलों की घोषणाएं कीं जिनका लक्ष्य राजस्व बढ़ाना तथा व्यय की दिशा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ओर करनी थी। अधिकांश राज्यों द्वारा 2008-09 में कृषि और जल संरक्षण हेतु आबंटन बढ़ाने के प्रस्ताव रखे गए थे। सभी राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय प्रस्तावित किए। सड़कों और शहरी परिवहन के विकास हेतु अधिक आबंटनों के साथ बुनियादी संरचना के विकास पर भी राज्य सरकारों ने जोर दिया है। कुछ राज्यों ने शहरी विकास और आवासन क्षेत्रों हेतु अपेक्षाकृत अधिक आबंटन प्रस्तावित किए। राज्य सरकारों ने निम्न और मध्यम आय समूह वाले परिवारों, झोपड़ियों में रहने वालों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मकानों के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया है जिसमें इंदिरा आवास योजना और जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) भी शामिल है। बहुत सी राज्य सरकारों ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य प्रदान करने के साथ-साथ जीवन बीमा लाभ के लिए भी अपना समर्थन दिया है। अनेक राज्य सरकारों ने कोषागारों तथा कर विभागों का कम्प्यूटरीकरण भी प्रस्तावित किया है। महिला सशक्तीकरण के लिए कुछ और राज्य सरकारों ने 'लिंग आधारित बजट' प्रारंभ किया ।

भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कृषि बीमा के क्षेत्र में विभिन्न पहलें प्रस्तावित की हैं ताकि राज्य सरकारों को अपनी विकासात्मक भूमिका अदा करने के लिए सहायता दी जा सके। रिज़र्व बैंक अपनी ओर से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट तथा बाजार से उधार लेने में राज्य सरकारों को सहायता देने के अलावा परामर्श देता रहा है। रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों को बकाया राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) तथा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) से लिए गए उधारों को फिर से खरीदने में सहायता दी। रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रारंभ करना तथा राज्य सरकारों को उनके राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) के पुनर्निगम में सहायता देने का प्रस्ताव रखा है।

इस अध्ययन का शेष भाग निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है। खण्ड II में इस अध्ययन का विहगावलोकन दिया गया है। खण्ड III में राज्य सरकार, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की

---

1 केंद्रीय वित्त प्रभाग और आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की सहायता से आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग (डीएसएलएफ) में तैयार किया गया। इसके लिए रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आइडीएमडी) से भी सहयोग मिला। 28 राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की सरकारों के वित्त विभागों तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और योजना आयोग से मिली तकनीकी सहायता के लिए हार्दिक आभार।

2 वर्ष 2008-09 के लिए 28 राज्यों के राज्य बजटों के आधार पर राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2007-08 में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में 28 राज्यों के बजट शामिल किए गए हैं। इसमें समेकित राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ राज्यवार विश्लेषण, जिसमें बजटीय आंकड़े शामिल किए गए हैं, संबंधी और ब्यौरे तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के संबंध में सूचना अतिरिक्त रूप से ज्ञापन मद के रूप में दी गयी है।

3 सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियम बनाया है।

4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार 13 नवम्बर 2007 को तेरहवां वित्त आयोग गठित किया गया था जिसकी निर्दिष्ट अवधि 2010-15 तक रहेगी।

नीतिगत पहलों का वर्णन किया गया है। खण्ड IV में राज्य सरकारों की समेकित बजट स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन दिया गया है। खण्ड V में राजकोषीय निष्पादन का राज्यवार मूल्यांकन प्रतिपादित किया गया है । खण्ड VI में राज्य सरकारों के बाजार उधारों और आकस्मिक देयताओं सहित बकाया देयताओं का विश्लेषण और मूल्यांकन दिया गया है। एक विशेष थीम के रूप में राज्यों के राजस्वों की प्रवृत्ति और पैटर्न का विश्लेषण खण्ड VII में दिया गया है। राज्य वित्त से संबंधित उभरते प्रमुख मुद्दों को खण्ड VIII में प्रस्तुत किया गया है और उसके बाद निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गयी हैं।

राज्य बजटों में घोषित राज्यवार प्रमुख नीतिगत पहलें अनुबंध I में दी गयी हैं। 28 राज्य सरकारों के विभिन्न राजकोषीय संकेतों से संबंधित समेकित आंकड़े परिशिष्ट सारणी 1-24 में दिए गए हैं, जबकि राज्यवार आंकड़े विवरण 1-48 में दिए गए हैं। राज्यवार विस्तृत बजटीय आंकड़े परिशिष्ट I-IV (परिशिष्ट I - राजस्व प्राप्तियां, परिशिष्ट II - राजस्व व्यय, परिशिष्ट III - पूंजी प्राप्तियां, परिशिष्ट IV - पूंजी व्यय) में दिए गए हैं।

II विहगावलोकन

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिए हैं। 1986-87 के बाद पहली बार 2006-07 (लेखा) में राज्य सरकारों ने राजस्व अधिशेष (बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.6 प्रतिशत) प्राप्त किया । वर्ष 2007-08 के लिए संशोधित अनुमानों (सं.अ.) के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत पर 2008-09 के लिए बजट अनुमानों (ब.अ.) में अधिशेष की यह स्थिति बनाए रखना प्रस्तावित किया गया है। राजस्व लेखे में सुधार को दर्शाते हुए सकल घरेलू उत्पाद से सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 2006-07 (लेखे) में 1.9 प्रतिशत था। 2007-08 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद से सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 2.3 प्रतिशत अनुमानित किया गया था जोकि उच्च था लेकिन 2008-09 के दौरान इसे बजट करके 2.1 प्रतिशत तक नीचे लाने का प्रयास किया गया है। 2006-07 (लेखे) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद से सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय में 2.4 प्रतिशत से 2.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। 2008-09 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद से पूंजी परिव्यय का अनुपात 2.7 प्रतिशत रखना अनुमानित किया गया है। राज्य सरकारों ने 2006-07 (लेखे) के दौरान प्राथमिक अधिशेष (सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत) पैदा किया। तथापि, 2007-08 (सं.अ.) तथा 2008-09 (ब.अ.) में राज्यों ने सकल राजकोषीय घाटे में वृद्धि के अनुरूप प्राथमिक घाटे (सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत) का अनुमान लगाया है।

जब 2006-07 के अनुमानों का लेखा लिखा गया तो राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों यथा राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गयी (सारणी 1)। 2007-08 के संशोधित अनुमानों की प्रवृत्ति राज्य सरकारों के राजस्व लेखों में सुधार दर्शाती है। 2008-09 (ब.अ.) में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति प्रमुख घाटा संकेतकों के रूप में और सुधार की ओर संकेत करती है।

समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार उस व्यापक उतार-चढ़ाव को नहीं दर्शाता है जो राज्यों के बीच रहता है। 2008-09 के दौरान 25 राज्यों ने राजस्व अधिशेष वाले बजट प्रस्तुत किए और शेष तीन राज्यों ने राजस्व घाटे वाले बजट प्रस्तुत किए। सत्रह राज्यों ने अपना सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से भी कम अनुमानित किया। तथापि, समग्र सुधार के अधिकांश भाग के लिए कुछ राज्य ही उत्तरदायी हैं। बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संस्तुत कार्यक्रम से आगे रहना राज्यों के अपने तथा केंद्र से होनेवाले डिवोल्यूशन दोनों

सारणी 1 : महत्त्वपूर्ण घाटा संकेतक

(सघउ का प्रतिशत)

मद	2006-07 (सं.अ.)	2006-07 (लेखे)	2007-08 (ब.अ.)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा	0.1	-0.6	-0.3	-0.5	-0.5
सकल राजकोषीय घाटा	2.7	1.9	2.3	2.3	2.1
प्राथमिक घाटा	0.4	-0.4	0.1	0.1	0.1

टिप्पणी : ऋण (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

ही तथा अधिक सहायता अनुदानों के कारण कर राजस्व में सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाता है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अवधि के दौरान राजस्व व्यय के कुछ तार्किकीकरण के साथ पूंजी परिव्यय को बढ़ाने में समर्थ रहे हैं।

राज्य सरकारों की बकाया देयताएं जो बड़े और सतत राजकोषीय असंतुलनों के कारण मौजूदा दशक के प्रथमार्ध में ऊंचे स्तरों पर पहुंच गयी थीं, उन्होंने हाल ही में बीते समय में सुधार दर्शाया है। राज्य सरकारों का ऋण - सघउ अनुपात जो 2004 में 33.2 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था, 2007-08 (सं.अ.) में उतरकर 28.3 प्रतिशत पर आ गया और 2008-09 में इसके 27.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकारों का राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात 1990-91 के 13.0 प्रतिशत से तेजी से खराब होते हुए 2003-04 में 26.0 प्रतिशत के उच्च स्तर पर आ गया लेकिन उसके बाद ऋण अदला-बदली योजना (डीएसएस) (2002-03 से 2004-05) और घटती ब्याज दरों के कारण आंशिक रूप से घट गया। अनुमान लगाया गया है कि राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों का अनुपात 2008-09 (ब.अ.) में 15.1 प्रतिशत हो जाएगा।

राज्य वित्त के लिए कई मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं जैसे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर अवधि में हाल ही के वर्षों में हासिल किया गया सतत राजकोषीय सुधार, पर्याप्त स्व-राजस्व उत्पन्न करने के माध्यम से राजकोषीय सुधार को टिकाऊ बनाना, व्यय प्राथमिकताकरण के साथ-साथ दक्ष सेवा देने के माध्यम से व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाना, हाल ही के वर्षों में सुधार के बावजूद ऋण देयताओं के मौजूदा स्तर को कम करना और स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

III नीतिगत पहलें

वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने सामाजिक क्षेत्र हेतु व्यय आबंटित करने पर पर्याप्त जोर देने के साथ ही राजकोषीय सुधार और समेकन पर फोकस रखना जारी रखा। राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों(एफआरएल) के अंतर्गत निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों द्वारा ये राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित किए गए हैं। सभी राज्यों ने राज्य बिक्री कर की जगह मूल्यवर्धित कर (वैट) कार्यान्वित किया है। उत्तर प्रदेश वैट कार्यान्वित करने में अंतिम राज्य रहा जिसने 1 जनवरी 2008 से इसे कार्यान्वित किया। राज्य सरकारें अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अंतर्गत एक अपेक्षा के रूप में मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) तैयार करती रही हैं जो रणनीतिक प्राथमिकताओं, महत्वपूर्ण नीतियों और विभिन्न राजकोषीय मापदण्डों हेतु चल लक्ष्यों को परिभाषित करती हैं।

एक महत्वपूर्ण बात जिसके मध्यावधि में राज्य वित्त हेतु निहितार्थ होंगे, वह तेरहवें वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार तेरहवां वित्त आयोग 13 नवम्बर 2007 को गठित किया गया था जिसकी निर्दिष्ट अवधि 2010 से 2015 तक रहेगी। इस आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार यह निम्नलिखित के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा:

- करों के निवल आगम का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण, जो उनके बीच बांटे जाएंगे अथवा बांटे जा सकते हैं,
- सिद्धांत, जो भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदान को नियंत्रित करेंगे और
- राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय ताकि राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाया जा सके।

उपर्युक्त के अलावा यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर भी विचार करेगा, (क)माल और सेवा कर (जीएसटी) के प्रस्तावित कार्यान्वयन का प्रभाव; (ख) सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता और (ग) सतत विकास के साथ पारिस्थितिक, पर्यावरण और बदले वातावरण को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता (बॉक्स 1)।

राज्य सरकारों को अपनी विकासात्मक भूमिका निभाने में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बीमा के क्षेत्र में सहायता प्रदान के लिए विभिन्न पहलों का प्रस्ताव रखा है। रिज़र्व बैंक अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट तथा

बाक्स 1: तेरहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय

यह आयोग निम्नलिखित मामलों के संबंध में अपनी सिफारिशें करेगा नामतः-

(i) उन करों के निवल आगम का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन जो उनके बीच संविधान के अध्याय I भाग XII के अंतर्गत बांटे जाने वाले हैं या बांटे जा सकते हैं और ऐसे आगमों का राज्यों के बीच तत्संबंधित हिस्सों का आबंटन;

(ii) सिद्धांत, जो भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान तथा जिन राज्यों को सहायता की आवश्यकता है उन्हें अदा की जानेवाली राशि जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुकों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए है, राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान के माध्यम से अदा की जाएगी;

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय और

(iv) राजकोषीय लेखांकन में तेल, खाद्यान्न और उर्वरक बांडों के कारण केंद्र सरकार की देयताओं को लाने की आवश्यकता तथा घाटा लक्ष्यों के संबंध में केंद्र सरकार की विभिन्न अन्य देयताओं के प्रभाव के संबंध में यह आयोग राजकोषीय समायोजनों हेतु रोडमैप की समीक्षा कर सकता है और एक संशोधित रोडमैप का सुझाव इस दृष्टि से दे सकता है ताकि राजकोषीय समेकन के लाभों को 2010 से लेकर 2015 तक बनाए रखा जाए (25 अगस्त 2008 के राष्ट्रपति के आदेशानुसार अतिरिक्त संदर्भाधीन विषय जोड़ा गया)।

2. यह आयोग इस बात को ध्यान में रखते हुए खासकर बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई राज्यों की ऋण समेकन और राहत सुविधा 2005-10 के परिचालनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के वित्त की स्थिति की समीक्षा करेगी और साम्यिक वृद्धि के अनुरूप स्थिर और वहनीय राजकोषीय वातावरण बनाए रखने के लिए उपाय सुझाएगी।

3. अपनी सिफारिशें देते समय यह आयोग अन्य बातों पर विचार करने के अलावा निम्नलिखित के संबंध में विचार करेगा ताकि

(i) 2008-09 के अंत में पहुंचने वाले कराधान और करेतर राजस्व के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ पांच वर्ष के लिए केंद्र सरकार के संसाधन;

(ii) केंद्र सरकार के संसाधनों से संबंधित मांगें विशेषकर, केंद्र और राज्य योजना, नागरिक प्रशासन, रक्षा, आंतरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण चुकौती पर व्यय तथा अन्य प्रतिबद्ध व्यय और देयताओं को अनुमानित सकल बजट सहायता के कारण मांगें;

(iii) 2008-09 के अंत में पहुंचने वाले कराधान और करेतर राजस्व के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकारों के संसाधन;

(v) सभी राज्य सरकारों और केंद्र के राजस्व लेखों से संबंधित प्राप्तियों और व्यय को न केवल संतुलित करने बल्कि पूंजी निवेश के लिए अधिशेष भी पैदा करने का उद्देश्य;

(vi) केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान प्रयास तथा केंद्र के मामले में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात तथा राज्यों के मामले में कर - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात सुधारने के लिए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण की संभावना;

(vii) माल और सेवा कर का देश के विदेश व्यापार पर प्रभाव सहित 1 अप्रैल 2010 से इसके प्रस्तावित कार्यान्वयन का प्रभाव;

(vii) बेहतर उत्पादन और परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय की गुणवता सुधारने की आवश्यकता;

(viii) सतत विकास के अनुरूप परिस्थितिकी, पर्यावरण और मौसम में परिवर्तन का प्रबंधन करने की आवश्यकता;

(ix) पूंजी आस्तियों के रखरखाव के वेतन से इतर घटक पर व्यय तथा 31 मार्च 2010 तक पूरी होने वाली योजना की योजनाओं से संबंधित मजदूरी से इतर संबद्ध रखरखाव व्यय और मानदंड जिनके आधार पर पूंजी आस्तियों के रखरखाव हेतु विशेष राशियों तथा ऐसे व्यय की निगरानी के तरीके की सिफारिश और

(x) विभिन्न साधनों के माध्यम से जिसमें उपभोक्ता प्रभार की लेवी लगाना और दक्षता संवर्धन हेतु अपनाये जानेवाले उपाय शामिल हैं, सिंचाई परियोजनाओं, उर्जा परियोजनाओं, विभागीय उपक्रम और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

4. ऐसे उन सभी मामलों में जहां कर और शुल्क लगाने तथा सहायता अनुदान के निर्धारण के लिए आबादी एक कारक है वहां विभिन्न मामलों में अपनी सिफारिशें देते समय यह आयोग 1971 के जनसंख्या विषय आंकाड़ों को आधार के रूप में लेगा।

5. यह आयोग राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि तथा आपदा राहत निधि और आपदा प्रबंधन अधिनियम ,2005, (2005 का 53) में परिकल्पित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकता है और उसके बारे में उचित सिफारिशें कर सकता है।

6. यह आयोग वह आधार भी दर्शायेगा जिसके आधार पर यह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और केंद्र तथा प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमान उपलब्ध कराएगा।

7. यह आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर 2009 को उपलब्ध कराएगा जिसमें 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ पांच वर्ष की अवधि कवर की जाएगी।

स्रोत: वित्त आयोग भारत सरकार की वेबसाईट (http://www.fincomindia.nic.in)।

बाजार से उधार जुटाने के रूप में सहायता करने के अलावा विभिन्न विषयों पर अपनी ओर से राज्य सरकारों को परामर्श देता रहा है। रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों को बकाया राज्य विकास ऋणों तथा राष्ट्रीय अल्पबचत निधि से लिए गए उधारों को फिर से खरीदने में सहायता दी। रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां शुरू करने तथा राज्य

सरकारों को राज्य विकास ऋण के पुनर्निर्गम में सहायता देने का प्रस्ताव रखा है।

विभिन्न नीतिगत पहलें और उपाय जो राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित किए गए हैं, निम्नलिखित खण्डों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है।

III.1 राज्य सरकार

वर्ष 2008-09 के लिए राज्य सरकारों ने अपने बजटों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए अधिक आबंटन उपलब्ध कराने के प्रयास करते हुए राजकोषीय सुधार की सतत प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित किया है। राज्य सरकारों ने योजनेतर व्यय घटाने पर जोर और पूंजी निवेश हेतु संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर देना जारी रखा। राजस्व पक्ष की ओर राज्य सरकारों ने कर वसूली और कर अनुपालन सुधारने के उपाय अपनाये हैं। महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारों ने 2008-09 के लिए अपना बजट तैयार करते समय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखा है। कुछ राज्यों जैसे कि असम और मध्यप्रदेश ने अपने स्वयं के वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की है। वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजटों में राज्य सरकारों द्वारा घोषित प्रमुख नीतिगत पहलें निम्नलिखित पैराग्राफों में संक्षिप्त रूप से दी गयी हैं। राज्यवार नीतिगत विस्तृत उपायों का उल्लेख अनुबंध I में किया गया है।

III.1.1 राजस्व उपाय

सभी राज्य सरकारों और विधान परिषदवाले दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी ने वैट कार्यान्वित किया है। बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों ने अपने बजटों में कर प्रशासन सुधारने पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए अपनी राजस्व वसूली बढ़ाने की दृष्टि से गोवा ने अपने वाणिज्य कर और उत्पाद कर विभाग की ओवरहालिंग करने और उसे पुनर्संगठित करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि बिहार ने वाणिज्य कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू करने की योजनाएं बनायी है। संसाधन संग्रहण हेतु प्रोत्साहन देने के लिए एक नवोन्मेषी उपाय के रूप में हिमाचल प्रदेश ने उन संबंधित राजस्व संग्रहण विभागों को उस अतिरिक्त कर वसूली का एक प्रतिशत देने का प्रस्ताव रखा है जो वे अपने बजट लक्ष्यों के ऊपर संग्रहीत करेंगे तथा जिसे संबंधित विभाग द्वारा अपनी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। मणिपुर और राजस्थान ने अपने खज़ानों को स्वचालित बनाने की योजनाओं की घोषणा की। उत्तराखंड ने दक्ष राजकोषीय और नकदी प्रबंधन हेतु राज्य में सभी खज़ानों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। पश्चिम बंगाल डीलरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर अदायगी करने हेतु एक सुविधा प्रारंभ करने की योजना बना रहा है जो उनके लिए वैकल्पिक होगी। महाराष्ट्र ने कम्प्यूटरीकृत बजट वितरण प्रणाली कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है जिसका लक्ष्य नकद प्रवाह में सुधार लाना है।

एक राजस्वदायक उपाय के रूप में गुजरात ने माल की बिक्री पर वैट के अलावा एक अतिरिक्त कर लगाया है। गोवा ने उन वाहनों पर (माल वाहक वाहनों को छोड़कर) प्रवेश शुल्क लगाया है जिनका पंजीकरण गोवा के बाहर हुआ है। केरल ने वैट पर एक प्रतिशत अधिभार लगाया है। कुछ राज्यों ने कतिपय करों में कमी प्रस्तावित की है जिसका लक्ष्य कर दरों को तर्क संगत बनाना तथा विशिष्ट क्षेत्रों / उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। असम और हरियाणा ने अचल संपत्ति के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क की दर में कमी करने की घोषणा की राजस्थान ने मनोरंजन कर में कमी करने की घोषणा की है और अचल संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त कर दी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल ने होटलों पर विलासिता कर की दर में कमी करने की घोषणा की।

III.1.2 व्यय उपाय

राज्य सरकारों ने विकासेतर व्यय को नियंत्रित करने और संसाधनों को उत्पादक प्रयोजनों की ओर मोड़ने पर जोर देना जारी रखा। राज्य सरकारें अपनी विभिन्न योजनाओं के परिणामों को सुधारने के भी उपाय कर रही हैं। इस दिशा में जम्मू और कश्मीर ने केंद्रीकृत रूप से प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की स्थिति और कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक पर्यवेक्षण और निगरानी समिति गठित करने की घोषणा की है।

कृषि की वृद्धि दर सुधारने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों द्वारा कृषि, सिंचाई और जल संरक्षण के क्षेत्र में कदम उठाने की घोषणा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों ने कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षा देने पर जोर दिया है (आंध्र प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश)। आंध्र प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से एक नई योजना जिसे सक्सेस (स्कीम फॉर युनिवर्सल एक्सेस एण्ड क्वॉलिटी एट सेकंडरी स्टेज) नाम दिया गया है, कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है। कई राज्यों ने मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है (गोवा, मेघालय और उत्तराखंड)। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थाओं में बुनियादी सुविधाएं तथा सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को और अधिक जिलों में लागू करने की घोषणा की है (आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश)। राज्य सरकारों ने समाज के दुर्बल वर्गों के लिए अनेक विकास योजनाएं प्रस्तावित की हैं। राज्यों द्वारा बहुत सी रियायतों की घोषणाएं की गयी हैं, विशेषकर किसानों और दुर्बल वर्गों को दिए गए कृषि और आवास ऋणों पर ब्याज भार में कमी करने की दिशा में (असम, गोवा, हरियाणा और मध्य प्रदेश)। कुछ राज्यों ने महिलाओं और बच्चों के विकास तथा सुरक्षा हेतु परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है (अरुणाचल प्रदेश)। कई राज्यों ने दुग्धोत्पादन को बढ़ावा देने तथा दुग्धोत्पादक किसानों हेतु बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपायों की घोषणाएं की हैं (झारखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश)।

कई राज्यों ने निर्धन परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं (असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम और उत्तराखंड), मछुवारों के लिए बीमा योजना (बिहार और केरल), जीवन बीमा (हरियाणा और पंजाब), बुनकरों के लिए बीमा योजना (हिमाचल प्रदेश), दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (जम्मू और कश्मीर) तथा सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले छात्र/छात्राओं के लिए बीमा सुरक्षा (राजस्थान) की घोषणाएं की हैं। मिज़ोरम ने भारत सरकार के साथ 50:50 के साझा पैटर्न पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है।

III.1.3 संस्थागत उपाय

विगत कुछ वर्षों के दौरान राज्य सरकारों ने विभिन्न संस्थागत उपाय अपनाएं हैं जिनकी दिशा राजकोषीय अनुशासन को और सुदृढ़ बनाने जैसे कि गारंटियों और राजकोषीय उत्तरदायित्व के संबंध में विधान बनाने की ओर रही है। 26 राज्य सरकारों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाए हैं। राज्यों ने नई पेंशन योजना शुरू करने, समेकित ऋण शोधन निधि और गारंटीमोचन निधि तथा गारंटियों पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय भी कार्यान्वित किए हैं (सारणी.2)।

बहुत से राज्यों ने विशिष्ट प्रयोजनों हेतु जैसे कि गन्ना किसानों की शिकायतों का तेजी से निवारण (बिहार), विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना (छत्तीसगढ़), कुशल कृषि सेवाएं (गोवा), विभिन्न ट्रेडों में महिलाओं को प्रशिक्षित करना (गोवा), स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता (हरियाणा), बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना (हिमाचल प्रदेश), कृषि और संबद्ध गतिविधियों का विकास (कर्नाटक), उच्च शिक्षा (कर्नाटक), बच्चों का समन्वित विकास और कल्याण (कर्नाटक) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को मकान (उड़ीसा) हेतु समितियां/संस्थाएं /योजनाएं बनाने का प्रस्ताव रखा है।

असम ने राज्य में प्रमुख बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के विकास हेतु असम इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग अथॉरिटी के सहयोग से एक समर्पित निधि सृजित करने की योजना बनायी है। गुजरात ने बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और मरम्मत तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के रखरखाव का उत्तम स्तर बनाए रखने के लिए गुजरात राज्य स्वास्थ्य बुनियादी सुविधा विकास निगम गठित करने का प्रस्ताव रखा है। कर्नाटक ने बेहतर जल संसाधन प्रबंध एवं नियंत्रण सुसाध्य बनाने के लिए कर्नाटक जल संसाधन नियंत्रण प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव रखा है। पंजाब ने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यकलापों हेतु निधियों का सरल प्रवाह सुसाध्य बनाने के लिए पंजाब राज्य विकास निधि सृजित करने का प्रस्ताव रखा है। सिक्किम क्षमता निर्माण का एक संस्थान स्थापित करेगा। उत्तराखंड तेजी और कारगर तरीके से सरकारी योजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड बुनियादी सुविधा विकास निगम गठित

सारणी 2 : राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार*

राज्य	कार्यान्वित मूल्य वर्धित कर (वैट)	अधिनियमित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल)	प्रारंभ की गई नई पेंशन योजना (एनपीएस)	गारंटियों पर लगाई गई उच्चतम सीमा	समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी मोचन निधि (जीआरएएफ)
1. आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2005	जून 2005	सितंबर 2004	हां	हां	हां
2. अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
3. असम	मई 2005	सितंबर 2005	फरवरी 2005	हां	हां	नहीं
4. बिहार	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नहीं	नहीं	नहीं
5. छत्तीसगढ़	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नवंबर 2004	हां	हां	नहीं
6. गोवा	अप्रैल 2005	मई 2006	अगस्त 2005	हां	हां	हां
7. गुजरात	अप्रैल 2006	मार्च 2005	अप्रैल 2005	हां	हां	हां
8. हरियाणा	अप्रैल 2003	जुलाई 2005	जनवरी 2006	हां	हां	हां
9. हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	मई 2003	नहीं	नहीं	नहीं
10. जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2005	अगस्त 2006	नहीं	नहीं	नहीं	हां
11. झारखंड	अप्रैल 2006	मई 2007	दिसंबर 2004	नहीं	नहीं	नहीं
12. कर्नाटक	अप्रैल 2005	सितंबर 2002	अप्रैल 2006	हां	नहीं	नहीं
13. केरल	अप्रैल 2005	अगस्त 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
14. मध्य प्रदेश	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2005	हां	नहीं	हां
15. महाराष्ट्र	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	नवंबर 2005	नहीं	हां	नहीं
16. मणिपुर	जुलाई 2005	अगस्त 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
17. मेघालय	अप्रैल 2006	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
18. मिजोरम	अप्रैल 2005	अक्तूबर 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
19. नागालैंड	अप्रैल 2005	अगस्त 2005	नहीं	हां	हां	हां
20. उड़ीसा	अप्रैल 2005	जून 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
21. पंजाब	अप्रैल 2005	अक्तूबर 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
22. राजस्थान	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2004	हां	नहीं	नहीं
23. सिक्किम	अप्रैल 2005	नहीं	अप्रैल 2006	हां	हां	हां
24. तमिलनाडु	जनवरी 2007	मई 2003	अप्रैल 2003	हां	हां	नहीं
25. त्रिपुरा	अक्तूबर 2005	जून 2005	नहीं	नहीं	हां	नहीं
26. उत्तराखंड	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	नहीं	हां	हां
27. उत्तर प्रदेश	जनवरी 2008	फरवरी 2004	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं
28. पश्चिम बंगाल	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
कुल	**28**	**26**	**19**	**17**	**20**	**11**

* : नवंबर 2008 के अंत की स्थिति

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक के रिकार्डों से प्राप्त सूचना पर आधारित।

करने की योजना बना रहा है। हिमाचल प्रदेश ने एक नया ऊर्जा निदेशालय सृजित करने का प्रस्ताव रखा है। कर्नाटक ने स्पर्धी प्रक्रिया द्वारा मूल्यवान सरकारी भूमि की बिक्री करने अथवा पट्टे पर देने के माध्यम से विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिए एक उपक्रम जिसे कर्नाटक पब्लिक लैंड्स कार्पोरेशन कहा जाएगा, गठित करने की योजना बनाई है। अनेक राज्य सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाएं प्रारंभ कर रहे हैं (बॉक्स 2)।

कई राज्यों ने महिला सशक्तीकरण तथा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु लिंग आधारित बजट बनाना शुरू करने की घोषणा की है (अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड)। केरल ने लिंग बोर्ड (जेंडर बोर्ड) गठित करने की योजना बनाई है। अनेक राज्य स्वयं सहायता समूहों विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से जोर दे रहे हैं (अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक और तमिलनाडु)। ब्याज मुक्त ऋण तथा नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाओं की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से सहायता देने की परिकल्पना की जा रही है।

बॉक्स 2: राज सरकार के स्तर पर सरकारी निजी सहभागिता

सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) निजी क्षेत्र के साझे से सरकारी कार्यक्रमों/ योजनाओं को कार्यान्वित करने का एक तरीका है। पीपीपी के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ निम्नलिखित तीन रूपों में सहयोग कर सकता है; निधीयन ऐजेंसी के रूप में, खरीदार के रूप में और एक समन्वयक के रूप में। सरकारी क्षेत्र के पास सेवाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व और आस्तियों का कानूनी स्वामित्व बना रहता है। तथापि, सेवा की प्रगति और व्याप्ति संविदागत आधार पर निर्धारित की जाती है तथा जोखिम और फायदे सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच साझे किये जाते हैं। इसके अलावा कार्यान्वयन के पूरे चरण में सरकार को एक पर्यवेक्षी भूमिका निभानी पड़ती है तथा यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि सेवाएं प्रत्याशानुसार दी जा रही है। पीपीपी से मिलनेवाले संभावित लाभ हैं परियोजना की लागत प्रभावशालिता, उच्च उत्पादकता, तेज डिलीवरी, अधिक सामाजिक सेवा और उपभोक्ता प्रभारों की वसूली। तथापि, पीपीपी परियोजनाओं से लाभों की पूरी फसल काटने के लिए सरकार को एक यथोचित नीतिगत का ढांचा तैयार करना पड़ता है जिसमें पीपीपी के उपयोग के साथ-साथ इसके तर्क, राजनीतिक वचनबद्धता और कार्यक्रम हेतु समर्थन या सहायता का विस्तृत विवरण रहता है। फिर भी, सरकारी क्षेत्र को पीपीपी के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कार्यक्रम के लिए आवश्यक लेन-देन कौशल, पीपीपी के रूप में अनुसरण की जानेवाली परियोजनाओं का चयन, पीपीपी की राजकोषीय लागत का अनुमान, पर्यवेक्षण और संविदा प्रबंधन तथा पीपीपी के कार्यनिष्पादन का कार्योत्तर मूल्यांकन तथा लेखा-परीक्षण संभालने के लिए पर्याप्त मानव क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। संविदाओं के लिए एक सामान्य कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए सरकार पीपीपी विधान भी बना सकती है।

चूंकि पीपीपी के अंतर्गत सरकार का हाथ ऋणेत्तर सृजन तरीके से क्षेत्र की निधियों तक पहुंच सकता है, अतः विकासात्मक गतिविधियों हेतु राजकोषीय स्थान पैदा करने का यह अच्छा तरीका माना जाता है। भारत में, पीपीपी के संवर्धन हेतु विभिन्न प्रस्ताव देने तथा गतिविधियों के समन्वय हेतु वित्त मंत्रालय ने एक पीपीपी विभाग गठित किया गया है। सरकार ने राज्य सरकारों की क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं की पहचान करने की दिशा में अनेक कदम भी उठाएं हैं, यथा एक संपर्क (नोडल)एजेंसी के रूप में राज्य स्तरीय पीपीपी कक्षों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना पीपीपी अनुमोदन प्रक्रिया को सुसंगत बनाना, पीपीपी टूल किट विकसित करना, आदर्श रियायती करार, नीलामी दस्तावेज और परियोजना निर्माण मैन्युअल। उन बुनियादी परियोजनाओं को जो निकट भविष्य में आर्थिक रूप से न्यायोचित है किंतु वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं, की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता देने के लिए एक व्यवहार्यता अंतर निधीयन (वीजीएफ) योजना भी तैयार की गई है। इसके अलावा इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) पीपीपी मोड पर परियोजनाओं की एक दूसर के ऊपर जानेवाली प्राथमिकता जोड़ती है, जबकि बुनियादी संरचना परियोजनाओं को दीर्घावधि वित्त प्रदान करती है। राज्यों और निजी क्षेत्र को अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए सरकार ने एक केंद्रीय आंकड़ा आधार तथा पीपीपी संबंध में वेबसाईट भी विकसित की है।

लगभग सभी राज्य सरकारों ने पीपीपी आधार पर परियोजनाएं शुरू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। राज्यों ने कुछ क्षेत्र रेखांकित किए हैं जहां केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है जैसे कि वीजीएफ, तेज अनुमोदन प्रकिया, मौजूदा समय में जिन परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता है उन परियोजनाओं के विवरण में भी लेना, विशेष प्रयोजन के साधन (एसवीपी) मार्ग के माध्यम से दी जाने वाली परियोजनाओं को शामिल करना वीजीएफ वित्तपोषण के अंतर्गत भूमि की लागत को जोड़ना, आदि। विभिन्न राज्यों और एजेंसियों के बीच फॉर्मेटों, नीलामी प्रकियाओं, करारों अब पीपीपी के समग्र निष्पादन में अंतर को देखते हुए निजी क्षेत्र ने भी दक्षता भविष्य सूचकता तथा अनुमोदन प्रक्रिया की आसानी सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत पूर्व योग्यता तथा नीलामी प्रक्रियाएं एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

भारी लागत वाली बुनियादी संरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के अलावा बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी पीपीपी का उपयोग किया जा रहा है। 2008-09 के अपने बजटों में बहुत सी राज्य सरकारों ने पीपीपी के आधार पर अनेक परियोजनाओं की घोषणा की है जैसे कि खानों और खनिजों का सर्वेक्षण तथा दोहन (अरुणाचल प्रदेश), औद्योगिक इस्टेटों का विकास (गुजरात), मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (हिमाचल प्रदेश और राजस्थान), कारवार गोदी का विकास (कर्नाटक), इमर्जेन्सी हेल्थ केअर/ एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराना (कर्नाटक और उत्तराखंड), सड़कों के जाल का विकास (मध्य प्रदेश), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और एक सूचना प्रौद्योगिकी इस्टेट की स्थापना करना (मेघालय), वृद्धाश्रमों के लिए चिरायु योजना तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय (राजस्थान), आठ मार्ग वाले गंगा महामार्ग (एक्सप्रेस वे) का निर्माण, चार अन्य महत्वपूर्ण संपर्क महामार्गों का निर्माण और लखनऊ शहर के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास (उत्तर प्रदेश)।

संदर्भ:

1. नटराज गीतांजली (2007), "इन्फ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस इन साउथ एशिया: द रोल ऑफ पब्लिक - प्रायवेट पार्टनरशिप्स"। डिस्कशन पेपर नं.80, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टिट्यूट ।
2. योजन आयोग (2004), रिर्पोट ऑफ द पीपीपी सब-ग्रुप आन सोशल सेक्टर, नवंबर।
3. विश्व बैंक (2006), भारत - सरकारी निजी सहभागिताओं के लिए क्षमता निर्माण, इनर्जी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट एण्ड फायनान्स एण्ड प्रायवेट सेक्टर डेवलपमेंट यूनिट, दक्षिण एशिया क्षेत्र।

कुछ राज्यों ने गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) गठित करने का प्रस्ताव रखा है (असम और मणिपुर)। मणिपुर समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) गठित करेगा। गोवा ने अपने कर्मचारियों के लिए एक पेंशन देयता निधि गठित करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है।

कई राज्यों ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्तर पर विकासात्मक पहलें की हैं जैसे कि सामान्य जन को सूचना आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र की स्थापना (बिहार), सभी पंचायतों को जोड़ना (कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना) (हिमाचल प्रदेश) तथा साइबर केंद्रों की स्थापना करना (कर्नाटक)। केरल ने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को ऋण

उपलब्ध कराने हेतु केरल रूरल एण्ड अर्बन डेवलपमेंट फाइनांस कार्पोरेशन को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखा है।

III.1.4 अन्य पहलें

गुजरात में समावेशी वृद्धि और सभी को समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। कर्नाटक "कर्नाटक 2020" नामक एक विज़न दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें गरीबी के सकल उन्मूलन, राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों के लिए एक सुंदर और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं के उन्नयन तथा राज्य में सामाजिक और आर्थिक समानता बढ़ाने के लिए रणनीति दर्शायी जाएगी। असम ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है।

पारदर्शिता में सुधार लाने के एक उपाय के रूप में मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र और महिलाओं, लड़कियों और आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाओं हेतु केंद्र से सीधे प्राप्त निधियों के लिए बजटेतर आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है। असम ने अपने बजट दस्तावेजों के साथ एक अलग विवरण प्रस्तुत करना प्रारंभ किया है जिसमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से पंचायतों को निधियों का प्रवाह दर्शाया है। मध्य प्रदेश ने पंचायतों के लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षा करने की योजना बनायी है ताकि उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सके और इस प्रयोजन हेतु वह एक अलग निदेशालय स्थापित करेगा। जबकि बिहार ने सरकारी खरीद और निविदा प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक खरीद (ई-प्रोक्योरमेंट) और इलेक्ट्रॉनिक निविदा (ई-टेंडरिंग) प्रणाली प्रस्तावित की है। अधिकाधिक पारदर्शिता लाने के लिए पुदुचेरी ने इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुत करने की प्रणाली प्रारंभ की है। तमिलनाडु ने तीन मुख्य विभागों यथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और खज़ाना विभाग में ई-गवर्नेंस कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है। छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा पारदर्शिता लाने के लिए सार्वजनिक वितरण की दुकानों के कम्प्यूटरीकरण करने की घोषणा की है। कर्नाटक ने 500 करोड़ रुपयों की परिक्रामी निधि गठित करने की योजना बना रहा है ताकि मूल्यों के गिरने के मामले में बाजार हस्तक्षेप का उपयोग करके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें। केरल कृषि उत्पादन हेतु एक मूल्य स्थिरता योजना कार्यान्वित करने की योजना बना रहा है। पश्चिम बंगाल ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उचित मूल्य पर वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति हेतु एक विपणन निगम गठित करने का प्रस्ताव रखा है। असम ने एक जैव-प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की योजना बनायी है। हिमाचल प्रदेश और झारखंड अधिक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एवं टाउनशिप बनाएंगे। झारखंड को एक जैव राज्य के रूप में विकसित करने के लिए 'बायो ग्राम' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। पश्चिम बंगाल 20 जैव-ग्राम स्थापित करेगा। सभी जिलों और संभागीय मुख्यालयों को संचार नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए बिहार और राजस्थान ने स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनायी है। असम ने सौर प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से सभी दूरस्थ ग्रामों का विद्युतीकरण करके सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। जम्मू और कश्मीर ने स्टॉम्पों के लिए डिमैट व्यवस्था प्रारंभ की है ताकि स्टॉम्पों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा सके।

III.2 भारत सरकार

2008-09 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को उनकी विकासात्मक और सामाजिक भूमिका निभाने में सहायता देने के अनेक कदमों का उल्लेख किया है। भारत निर्माण के अंतर्गत आठ प्रमुख योजनाओं की प्रगति राज्य सरकारों में विकास प्रक्रिया को सतत सहायता देती रहेगी। 2008-09 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा भारत निर्माण हेतु आबंटन 6,677 करोड रुपए (27 प्रतिशत) बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) जोकि भारत निर्माण के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख योजना है, का फोकस प्राथमिक स्तर पर पहुंच और बुनियादी ढांचे से हटकर बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक पहुंच बढ़ाना सुनिश्चित करने पर ले जाया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले 6000 आदर्श विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य के साथ एक आदर्श विद्यालय कार्यक्रम 2008-09 में कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्र उन 20 जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करेगा जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का अधिक बाहुल्य है। देश के सभी विकास खण्डों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक मध्याह्न भोजन योजना लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार उन राज्यों में जो अब तक कवर नहीं हुए हैं, प्रत्येक में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में तीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; मध्य प्रदेश और केरल में दो भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आइआइएसईआर) तथा मध्य प्रदेश

और आंध्र प्रदेश में दो योजना और वास्तु कला विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्रॉड बैंड नेटवर्क के माध्यम से सभी ज्ञान संस्थानों को परस्पर जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। अधिकांश राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होंगे जो गरीबी की रेखा के नीचे वाली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार को 30,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। 2008-09 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। सरकार 90 अल्पसंख्यक जिलों में से प्रत्येक में एक बहुक्षेत्रीय विकास योजना कार्यान्वित करेगी।

केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में (चेन्नै के पास) एक विलवणीकरण सयंत्र स्थापित करने में सहायता करने की घोषणा की। यह सयंत्र केंद्र की वित्तीय सहायता से पीपीपी के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। जल निकायों की मरम्मत करने, उन्हें नवीकृत करने और पुनर्स्थापित करने की परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों द्वारा विश्व बैंक के साथ करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। कुछ अन्य राज्य सरकारों द्वारा करारों पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। केंद्र 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम की स्थापना करेगा। राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं से इसकी ईक्विटी में अंशदान करने का भी आमंत्रण दिया जाएगा। वृक्षारोपण क्षेत्र के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनन्तपुरम को एक बार सहायता अनुदान देगा। इसके अलावा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्था को बदलकर तथा इसका उन्नयन करके एक स्वशासी राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। वस्त्रोद्योग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और उत्पादन दोनों को ही बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार मेगा-क्लस्टर के रूप में विकसित करने के लिए छह केंद्रों को अपने हाथ में लेगा। केंद्रीय योजना और सीएसएस के लिए योजनावार और राज्यवार जारी की जाने वाली सहायताओं के लिए सरकार एक केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली स्थापित करेगी। एक व्यापक निर्णय समर्थन प्रणाली तथा प्रबंध सूचना प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

III.3 भारतीय रिज़र्व बैंक

एक बैंकर और राज्य सरकारों के लोक ऋण के प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक राजकोषीय मुद्दों पर राज्य सरकारों को चेताता रहा है। इस दिशा में राज्य सरकारों के वित्त से संबधित विषयों के प्रति परामर्शी दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक 1997 से राज्य वित्त सचिवों का द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। इस संस्थागत व्यवस्था ने राज्य सरकारों के बहुत से वित्तीय मुद्दों का हल उपलब्ध कराने में सहायता दी है। रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराता है तथा राज्यों के बाजार उधार कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है।

राज्य सरकारों के ऋण प्रबंध परिचालनों को सुदृढ़ बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए गए हैं।

III.3.1 नीलामी के माध्यम से बाजार उधार

रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के लिए अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में प्रस्तावित किया था कि "नीलामी के माध्यम से बाजार उधारों का क्रमिक रूप से हिस्सा बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे नीलामी के माध्यम से यथाशीघ्र अपने समस्त बाजार उधारों को कवर कर सकें"। तदनुसार वित्त वर्ष 2006-07 से राज्य सरकारों के बाजार उधार पूरी तरह से नीलामी पद्धति के माध्यम से जुटाए गए हैं।

III.3.2 राज्य सरकारों के बाजार उधारों हेतु सांकेतिक कैलेण्डर

वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तावित किया गया था कि "राज्यों को अपने विवेक और पहल पर उन्नत सांकेतिक खुला बाजार उधार कैलेण्डर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा"। क्रमिक रूप से राज्य सरकारों के बाजार उधारों में सापेक्षिक रूप से अधिक पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2007 को राज्य सरकारों के बाजार उधारों के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें निवल आबंटन, परिपक्वताएं, जुटायी जाने वाली राशि तथा वह राशि जो 2007-08 की शेष अवधि के दौरान जुटायी जा सकेगी, का विस्तृत विवरण दिया गया था। इसके अलावा 17 जून 2008 को रिज़र्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों के सकल बाजार उधारों का अनुमान लगभग 59,000 करोड़ रुपए लगाया गया था जिसमें 14,371 करोड़ रुपए की चुकौतियां शामिल हैं।

III.3.3 ऋण चुकाने के लिए नकद शेषों का उपयोग

हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा नकद शेषों की भारी अधिकता होने तथा ऐसे शेषों के निवेशों पर अर्जित ऋणात्मक स्प्रेड ने कुछ राज्य सरकारों को अपने बकाया ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित

किया। बकाया राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की पुनर्खरीद योजना जो रिवर्स नीलामियों के दो चक्रों के माध्यम से 2006-07 के दौरान चलायी गयी थी, 2007-08 के दौरान भी चलती रही। 156 करोड़ रुपए की कुल राशि जिसमें इन परिचालनों के माध्यम से उड़ीसा सरकार के 11 एसडीएल कवर किये गये थे, फरवरी और मार्च 2008 में एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर द्वितीयक बाजार खरीदों के माध्यम से चलाये गये थे। दो राज्य सरकारों यथा उड़ीसा तथा तमिलनाडु ने भी एनएसएसएफ से लिये गये अपने उधारों को भी फिर से खरीद लिया जिनकी राशि क्रमशः 217 करोड़ रुपए और 1,178 करोड़ रुपए थी।

III.3.4 राज्य वित्त सचिवों का सम्मेलन

राज्य वित्त सचिवों का 20 वां सम्मेलन 24 अगस्त 2007 को आयोजित किया था। सरकारी लेन-देनों से संबंधित परिचालनीय मुद्दों के अलावा यह चर्चाएं मूल रूप से राज्य सरकारों के नकद शेषों निवेश हेतु ढांचे, राज्यों के निवेश संविभाग, केंद्र से बाह्य ऋणों के बैक-टू-बैक अंतरण के संदर्भ में राज्यों द्वारा विदेशी मुद्रा का जोखिम का प्रबंध और राज्यों द्वारा लिये जानेवाले उधारों के संबंध में स्थायी तकनीकी समिति से संबंधित थीं। 15 मई 2008 को आयोजित 21 वें सम्मेलन में फोकस किये गये मुद्दे राज्य सरकारों के नकद शेष अधिशेष, बाजार उधार, बजट प्रबंधन और राज्यों की विभिन्न निधियों के प्रबंधन से संबंधित थे।

III.3.5 राज्य विकास ऋणों का पुनर्निर्गम

पुणे में 24 जनवरी 2007 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 19 वें सम्मेलन में राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य विकास ऋणों का पुनर्निर्गम प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी थी। प्रारंभ में, राज्य सरकारें बाजार उधार कार्यक्रमों के अंतर्गत संसाधन जुटाने के लिए दो नई प्रतिभूतियां जिसमें से एक वित्त वर्ष 2007-08 की पहली छमाही में और एक दूसरी छमाही में जारी करने पर सहमत हुईं। यह प्रतिभूतियां वर्ष की पहली और दूसरी छमाही के दौरान बाद की श्रृंखलाओं के लिए पुनर्निर्गम की जा सकेंगी। तदनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने प्रस्तावित किया था कि राज्य सरकारों के परामर्श से रिज़र्व बैंक पुनर्निर्गम की एक प्रणाली प्रारंभ करेगा। राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य विकास ऋणों का पुनर्निर्गम किया जा सकता है।

III.3.6 राज्य विकास ऋणों की नीलामियों में गैर प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा योजना

निवेशक का आधार चौड़ा करने और राज्य विकास ऋणों की चलनिधि बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों द्वारा गैर प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा हेतु एक योजना अनुमोदित की गयी है। तदनुसार, राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों के निर्गम से संबंधित सामान्य अधिसूचनाएं संशोधित की गयी हैं। एनडीएस नीलामी मॉड्यूल (वर्शन 2), जो इस योजना को लागू करना सुसाध्य बनाएगा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस नये वर्शन 2 का साथ-साथ चालन शीघ्र ही प्रारंभ होगा और यह योजना दिसंबर 2008 के अंत से प्रारंभ हो जाएगी।

IV. राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

राजकोषीय और संस्थागत सुधारों, विशेष रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों का अधिनियम, बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार केंद्र से अधिक डिवोल्यूशन और अंतरण तथा राज्य स्तर पर कर उछाल में सुधार के कारण हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों की समेकित राज्यकोषीय स्थिति ने ध्यान देने सुधार दर्शाया। राज्य सरकारों ने लगभग दो दशकों के अंतराल और ऐतिहासिक रूप से सकल राजकोषीय घाटे के निम्नस्तर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत)के बाद 2006-07 (लेखा) में राजस्व अधिशेष (सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत) प्राप्त किया। सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में सभी प्रमुख घाटा संकेतक हाल ही में बीते समय के घाटों के उच्च स्तर की तुलना में काफी कम रहे (सारणी 3)। यह खंड[5] 2006-07, 2007-08 (सं.अ.) और 2008-09 (ब.अ.) के दौरान राज्य सरकारों के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के अर्थ में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

5 इस खंड और इस अध्ययन में भी दिया गया विश्लेषण 28 राज्य सरकारों के 2008-09 के बजटों में वर्ष 2006-07 (लेखा), 2007-08 (संशोधित अनुमान) और 2008-09 (बजट अनुमान) से संबंधित है।

सारणी 3 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08 (ब.अ.)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
	औसत							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल राजकोषीय घाटा	(2.8)	(3.4)	(4.0)	90,084 (2.5)	77,509 (1.9)	1,08,323 (2.3)	1,07,958 (2.3)	1,12,653 (2.1)
राजस्व घाटा	(0.7)	(1.7)	(2.2)	7,013 (0.2)	-24,857 -(0.6)	-11,973 -(0.3)	-22,526 -(0.48)	-28,426 -(0.54)
प्राथमिक घाटा	(1.1)	(1.4)	(1.3)	6,060 (0.2)	-15,654 -(0.4)	5,648 (0.1)	5,080 (0.1)	4,270 (0.1)

ब.अ.: बजट अनुमान सं.अ.: संशोधित अनुमान.

टिप्पणी : 1. ऋण (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.1 लेखे : 2006-07

जब 2006-07 संशोधित अनुमान लेखों में बदले गये तो समेकित राज्य सरकार वित्तों ने सुधार दर्शाया है। राज्य सरकारों के सभी प्रमुख महत्वपूर्ण घाटा संकेतक यथा राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) ने उल्लेखनीय सुधार दर्शाया। राज्य सरकारों के समेकित राजस्व लेखों ने 2006-07 (सं.अ.) के 5,566 करोड़ रुपए (सघउ का 0.1 प्रतिशत) के घाटे की तुलना में 2006-07 (लेखे) में 24,857 करोड़ रुपए (सघउ का 0.6 प्रतिशत) का अधिशेष दर्ज किया (सारणी 4 और परिशिष्ट सारणी 1)। 2006-07 (सं.अ.) और 2006-07 (लेखे) के बीच राजस्व सुधार अधिकांशतः राजस्व व्यय के 31,296 करोड़ रुपए (सघउ का 0.8 प्रतिशत) तक दब जाने के कारण था। राजस्व लेखे से संबंधित विकासात्मक व्यय में 19,137 करोड़ रुपए (सघउ का 0.5 प्रतिशत) की भारी गिरावट आई जिसने राजस्व व्यय में 61.1 प्रतिशत की गिरावट का योगदान दिया। जब 2006-07 (सं.अ.) लेखों में बदले तो शिक्षा, कला, खेल और संस्कृति (5.5 प्रतिशत), ग्रामीण विकास (12.8 प्रतिशत) और चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (11.1 प्रतिशत) से संबंधित व्यय में कमी ने राजस्व व्यय में हुई गिरावट में योगदान दिया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिबद्ध व्यय जिसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेन्शन शामिल है, में भी 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई और इसने राजस्व व्यय में 22.2 प्रतिशत का योगदान दिया।

संशोधित अनुमानों की तुलना में 2006-07 के लेखों में राजस्व प्राप्तियों में 873 करोड़ रुपए (0.2 प्रतिशत) की गिरावट आयी। केंद्र से मिलने वाले अनुदानों में 8,504 करोड़ रुपए (8.3 प्रतिशत) तथा राज्यों के स्व-कर राजस्व (ओटीआर) में 4,532 करोड़ रुपए (1.8 प्रतिशत) की गिरावट थी जो आंशिक रूप से उनके स्व-करेतर राजस्व (ओएनटीआर) में 7.606 करोड़ रुपए (13.7 प्रतिशत) तथा केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में 4,556 करोड़ रुपए (3.9 प्रतिशत) की वृद्धि से पूरी हो गयी। ओएनटीआर में हुई यह वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों (33.2 प्रतिशत) और शिक्षा, कला, खेल और संस्कृति (12.0 प्रतिशत) से मिलने वाले राजस्व में बढ़ोत्तरी के कारण थी।

राजस्व लेखे में भारी सुधार के अलावा जो मूलतः राजस्व व्यय में कमी के कारण था, 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 (लेखे) में पूंजी परिव्यय 6,879 करोड़ रुपए (6.6 प्रतिशत) तथा दिए जाने वाले निवल उधारों में गिरावट आयी। इसने राज्य सरकारों को सकल राजकोषीय घाटा 2006-07 (सं.अ.) के 1,13,913 करोड़ रुपए (सघउ का 2.7 प्रतिशत) से 2006-07 (लेखे) में 36,405 करोड़ रुपए (सघउ का 0.9 प्रतिशत) कम करके 77,508 करोड़ रुपए (सघउ का 1.9 प्रतिशत) करने में समर्थ बनाया। राज्य वित्त के इतिहास में पहली बार राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति ने 2006-07 (लेखों) में 15,672 करोड़ रुपए का प्राथमिक अधिशेष दर्शाया।

सारणी 4:प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07(सं.अ.) की तुलना में 2006-07(लेखा)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (सं.अ)	2006-07 (राशि)	घट-बढ़		योगदान*
			राशि	प्रतिशत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**5,31,429**	**5,30,556**	**-873**	**-0.2**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	3,72,817	3,72,841	25	0.0	-2.8
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	2,57,080	2,52,548	-4,532	-1.8	519.1
जिसमें से : बिक्री कर	1,58,113	1,53,573	-4,540	-2.9	520.0
ख) केंद्रीय कर में अंश	1,15,737	1,20,293	4,556	3.9	-521.9
(ii) करेतर राजस्व	1,58,612	1,57,714	-898	-0.6	102.8
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	55,657	63,263	7,606	13.7	-871.3
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	1,02,955	94,451	-8,504	-8.3	974.1
II. राजस्व व्यय (i + ii)	**5,36,995**	**5,05,699**	**-31,296**	**-5.8**	**100.0**
जिसमें से :					
(i) विकास व्यय	3,03,934	2,84,797	-19,137	-6.3	61.1
जिसमें से :					
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	94,816	89,578	-5,237	-5.5	16.7
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	24,977	22,205	-2,772	-11.1	8.9
ग्रामीण विकास	22,156	19,315	-2,840	-12.8	9.1
(ii) विकासेतर व्यय	2,19,709	2,07,390	-12,319	-5.6	39.4
जिसमें से :					
प्रशासनिक सेवाएं	42,511	38,964	-3,546	-8.3	11.3
पेंशन	47,739	46,861	-878	-1.8	2.8
ब्याज भुगतान	95,704	93,180	-2,525	-2.6	8.1
III. पूंजी प्राप्तियां	**1,43,154**	**1,43,049**	**-105**	**-0.1**	**100.0**
जिसमें से :					
ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	3,054	1,906	-1,148	-37.6	1089.4
IV. पूंजी व्यय	**1,50,951**	**1,51,582**	**630**	**0.4**	**100.0**
जिसमें से :					
पूंजी परिव्यय	1,04,942	98,063	-6,879	-6.6	-1,091.4
जिसमें से:					
ग्रामीण विकास पर पूंजी परिव्यय	5,773	5,388	-385	-6.7	-61.1
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी व्यय	32,751	31,553	-1,197	-3.7	-190.0
विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	2,551	1,695	-856	-33.6	-135.8
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	20,233	19,831	-402	-2.0	-63.8
ज्ञापन मदें :					
राजस्व घाटा	5,566	-24,857	-30,423	-546.6	
सकल राजकोष घाटा	1,13,913	77,508	-36,405	-32.0	
प्राथमिक घाटा	18,209	-15,672	-33,881	-186.1	

सं.अ.: संशोधित अनुमान. * : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. घाटा संकेतकों में ऋण (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।
2. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं हैं।
3. परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.2 संशोधित अनुमान : 2007-08

बजट अनुमानों की तुलना में 2007-08 के संशोधित अनुमानों में घटबढ़ के मूल्यांकन ने दर्शाया कि 2007-08 (ब.अ.) के 11,973 करोड़ रुपए (सघउ का 0.3 प्रतिशत) के राजस्व अधिशेष की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में 22,526 करोड़ रुपए (सघउ का 0.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई (सारणी 5 और परिशिष्ट सारणी 2)। राजस्व लेखे के संबंध में 2007-08 (ब.अ.) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व प्राप्तियों में हुई 22,009 करोड़ रुपए (सघउ

सारणी 5 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2007-08 (ब.अ.) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (सं.अ)	2007-08 (राशि)	घट-बढ़		योगदान*
			राशि	प्रतिशत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**6,06,733**	**6,28,742**	**22,009**	**3.6**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	4,30,222	4,41,526	11,304	2.6	51.4
क) अपने कर राजस्व	2,94,038	2,93,392	-646	-0.2	-2.9
जिसमें से : बिक्री कर	1,82,973	1,78,198	-4,775	-2.6	-21.7
ख) केंद्रीय कर में अंश	1,36,184	1,48,134	11,951	8.8	54.3
(ii) करेतर राजस्व	1,76,511	1,87,216	10,705	6.1	48.6
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	59,191	62,578	3,387	5.7	15.4
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	1,17,320	1,24,638	7,318	6.2	33.2
II. राजस्व व्यय (i + ii)	**5,94,760**	**6,06,216**	**11,456**	**1.9**	**100.0**
जिसमें से :					
(i) विकास व्यय	3,38,251	3,55,099	16,848	5.0	147.1
जिसमें से,					
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,03,870	1,06,474	2,604	2.5	22.7
ऊर्जा	23,980	28,599	4,619	19.3	40.3
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	28,615	32,926	4,311	15.1	37.6
(ii) विकासेतर व्यय	2,40,585	2,34,386	-6,200	-2.6	-54.1
जिसमें से :					
प्रशासनिक सेवाएं	49,066	47,694	-1,372	-2.8	-12.0
पेंशन	54,263	56,002	1,739	3.2	15.2
ब्याज भुगतान	1,02,675	1,02,878	203	0.2	1.8
III. पूंजी प्राप्तियां	**1,60,962**	**1,34,635**	**-26,327**	**-16.4**	**100.0**
जिसमें से :					
ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	10,102	8,400	-1,702	-16.8	6.5
IV. पूंजी व्यय	**1,71,859**	**1,81,273**	**9,414**	**5.5**	**100.0**
जिसमें से :					
पूंजी परिव्यय	1,18,796	1,28,331	9,535	8.0	101.3
जिसमें से :					
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी व्यय	36,406	39,128	2,722	7.5	28.9
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	23,460	25,275	1,814	7.7	19.3
ज्ञापन मदें :					
राजस्व घाटा	-11,973	-22,526	-10,553	88.1	
सकल राजकोष घाटा	1,08,323	1,07,958	-364	-0.3	
प्राथमिक घाटा	5,648	5,080	-567	-10.0	

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.:बजट अनुमान *: संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।
टिप्पणी : See Notes to Table 4.
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

का 0.5 प्रतिशत) की वृद्धि 11,456 करोड़ रुपए (सघउ का 0.2 प्रतिशत) के राजस्व व्यय में हुई वृद्धि की भरपाई से अधिक थी। केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 11,951 करोड़ रुपए और अनुदानों के रूप में 7,318 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंतरणों में हुई वृद्धि 2007-08 (ब.अ.) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में हुई 87.5 प्रतिशत की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। 2007-08 (ब.अ.) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से विकासेतर व्यय में 6,200 करोड़ रुपए (सघउ का 0.1 प्रतिशत) की गिरावट की तुलना में 16,848 करोड़ रुपए (सघउ का 0.4 प्रतिशत) की विकासात्मक व्यय में हुई वृद्धि के कारण थी। विकास व्यय में हुई यह वृद्धि मूलतः ऊर्जा और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

सकल राजकोषीय घाटा राजस्व लेखे में भारी सुधार तथा दिए जाने वाले अपेक्षाकृत कम निवल उधारों के बावजूद बजट

अनुमानों की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में मात्र 364 करोड़ रुपए की मामूली गिरावट के साथ 1,07,958 करोड़ रुपए रहा। यह 1,702 करोड़ रुपए की ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों में गिरावट के साथ-साथ पूंजी परिव्यय में 9,535 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण था। तदनुसार, सघउ से प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय 2.5 प्रतिशत के अनुमानित स्तर से 2007-08 (सं.अ.) में बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गया। यह उच्च पूंजी परिव्यय मुख्य रूप से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, परिवहन तथा जल आपूर्ति एवं सफाई के संबंध में था। बजट अनुमानों की तुलना में 2007-08 के संशोधित अनुमानों का मूल्यांकन दर्शाता है कि पूंजी परिव्यय में उर्ध्वमुखी संशोधन के बावजूद मुख्य रूप से राजस्व लेखे में सुधार के कारण राज्य सरकारों का राजकोषीय निष्पादन और सुदृढ़ हुआ है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएल) के अंतर्गत बनाए गए बजटीय नियमों ने राज्य सरकारों को अपनी बजटीय राजकोषीय स्थिति से फिसलने से बचाने में एक मिलीजुली भूमिका अदा की।

IV.3 बजट अनुमान 2008-09

राज्य सरकारों की प्रमुख नीतिगत पहलों ने जैसी कि पूर्व खण्डों में चर्चा की गयी है, निरंतर समग्र विकास हेतु बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तदनुसार, राज्य सरकारों ने अनेक नीतिगत कदम उठाये हैं जिनका लक्ष्य राजस्व में वृद्धि करना तथा व्यय का प्रबंध करना है। 2008-09 के बीच अपने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया तथा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अनुरूप समेकन की प्रक्रिया को जारी रखने के प्रति और प्रतिबद्धता दर्शायी है। महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों में कमी के अर्थ में हाल ही के वर्षों के दौरान राज्य वित्तों में क्रमिक सुधार की 2008-09 के दौरान बने रहने की कल्पना की गयी है।

IV.3.1 बजट अनुमान 2008-09 - महत्वपूर्ण घाटा संकेतक

2008-09 के दौरान अनुमान है कि राज्य सरकारों का समेकित राजस्व अधिशेष 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 5,899 करोड़ रुपए (सघउ का 0.06 प्रतिशत) से बढ़कर 28,426 करोड़ रुपए (सघउ का 0.5 प्रतिशत) हो जाएगा (चार्ट 1 सारणी 6)। 2008-09 में राजस्व लेखे में सुधार पिछले वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (14.1 प्रतिशत) में वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में (14.5 प्रतिशत) मूलतः उच्च वृद्धि के माध्यम से हासिल करने का अनुमान लगाया गया है। राजस्व अधिशेष के साथ-साथ ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों में अनुमानित वृद्धि के परिणामस्वरूप समेकित स्तर पर जीएफडी-जीडीपी अनुपात 0.2 प्रतिशत अंक कम होकर 2.1 प्रतिशत रह जाने का अनुमान लगाया गया है, हालांकि वास्तविक अर्थ में सकल राजकोषीय घाटा 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में 4,695 करोड़ रुपए बढ़ेगा। प्राथमिक घाटा 2007-08 (सं.अ.) के 5,080 करोड़ रुपए (सघउ का 0.11 प्रतिशत) से घटकर 2008-09 में 810 करोड़ रुपए (सघउ का 0.3 प्रतिशत) कम होकर 4,270 करोड़ रुपए (सघउ का 0.08 प्रतिशत) हो जाने का अनुमान लगाया है। प्राथमिक राजस्व अधिशेष सघउ का 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जोकि 2008-09 में ब्याज भुगतानों के 79.2 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी होगा।

2008-09 के बजटों में परिकल्पित घाटे में कमी बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित किए गए राजकोषीय सुधार मार्ग की दिशा में राजकोषीय पुनर्संरचना प्रारंभ करने के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता दर्शाता है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण राहत योजना का लाभ उठाने की एक पूर्व शर्त के रूप में राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाने की शर्त उसके द्वारा रखी गयी है। अब तक छब्बीस राज्यों ने राजकोषीय

चार्ट 1 : प्रमुख घाटा संकेतक

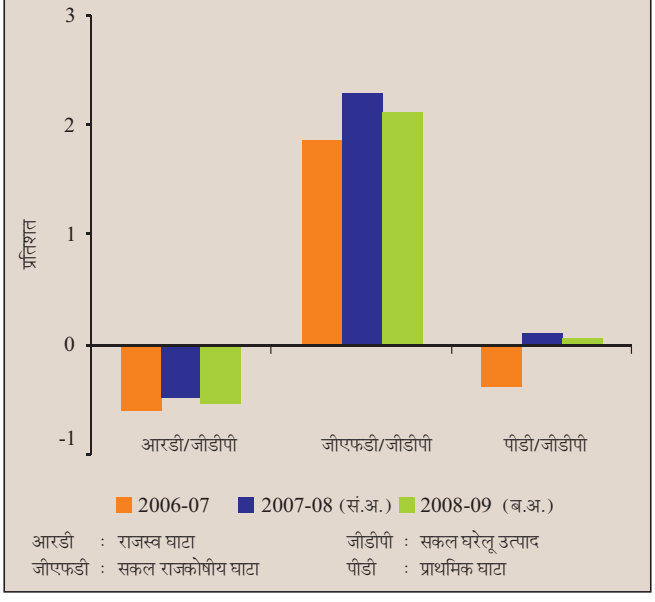

सारणी 6 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2007-08(ब.अ.)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (सं.अ)	2007-08 (राशि)	घट-बढ़		योगदान*
			राशि	प्रतिशत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तिया (i+ii)	**6,28,742**	**7,19,835**	**91,093**	**14.5**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	4,41,526	5,09,957	68,431	15.5	75.1
क) अपने कर राजस्व	2,93,392	3,36,810	43,418	14.8	47.7
जिसमें से: बिक्री कर	1,78,198	2,03,623	25,425	14.3	27.9
ख) केंद्रीय कर में अंश	1,48,134	1,73,147	25,013	16.9	27.5
(ii) करेतर राजस्व	1,87,216	2,09,878	22,662	12.1	24.9
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	62,578	66,848	4,270	6.8	4.7
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	1,24,638	1,43,030	18,392	14.8	20.2
II. राजस्व व्यय (i + ii)	**6,06,216**	**6,91,409**	**85,193**	**14.1**	**100.0**
जिसमें से :					
(i) विकास व्यय	3,55,099	4,02,810	47,710	13.4	56.0
जिसमें से :					
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,06,474	1,22,072	15,598	14.6	18.3
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	27,760	32,224	4,463	16.1	5.2
ऊर्जा	28,599	26,483	-2,116	-7.4	-2.5
ग्रामीण विकास	23,454	29,750	6,296	26.8	7.4
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	32,926	36,376	3,450	10.5	4.0
(ii) ब्याज भुगतान	2,34,386	2,68,665	34,279	14.6	40.2
जिसमें से :					
प्रशासनिक सेवाएं	47,694	62,905	15,211	31.9	17.9
पेंशन	56,002	62,729	6,727	12.0	7.9
ब्याज भुगतान	1,02,878	1,08,383	5,505	5.4	6.5
III. पूंजी प्राप्तियां	**1,34,635**	**1,75,306**	**40,671**	**30.2**	**100.0**
जिसमें से :					
ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	8,400	15,000	6,600	78.6	16.2
IV. पूंजी व्यय	**1,81,273**	**2,01,374**	**20,101**	**11.1**	**100.0**
जिसमें से :					
पूंजी परिव्यय	1,28,331	1,45,159	16,828	13.1	83.7
जिसमें से :					
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	2,833	4,289	1,455	51.4	7.2
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर (पूंजी परिव्यय)	39,128	44,525	5,397	13.8	26.9
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	15,652	16,690	1,038	6.6	5.2
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	25,275	27,618	2,344	9.3	11.7
ज्ञापन मदें :					
राजस्व घाटा	-22,526	-28,426	-5,899	26.2	
सकल राजकोष घाटा	1,07,958	1,12,653	4,695	4.3	
प्राथमिक घाटा	5,080	4,270	-810	-15.9	

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. :बजट अनुमान *: संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।
टिप्पणी : See Notes to Table 4.
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

उत्तरदायित्व विधान बनाए हैं और उनमें से अधिकांश में ऋण समेकन तथा ऋण माफी के लाभ उठा लिए हैं। राज्यों द्वारा वैट का कार्यान्वयन उनके कर राजस्व के संग्रहण में संवर्धनकारी पाया गया है।

IV.3.2 राजस्व प्रप्तियां

राजस्व प्रप्तियां 2007-08 (सं.अ.) के 6,28,742 करोड़ रुपए (सघउ का 13.3 प्रतिशत) से 2008-09 में 14.5 प्रतिशत बढ़कर 7,19,835 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया

है। 2008-09 (ब.अ.) में राजस्व प्राप्तियों में 91,093 करोड़ रुपए की यह वृद्धि मुख्य रूप से स्वकर राजस्व (47.7 प्रतिशत), केंद्रीय करों में हिस्से (27.5 प्रतिशत) और केंद्र से अनुदानों (20.2 प्रतिशत) के सहयोग से होगी (सारणी 7 और परिशिष्ट सारणी 3)।

राज्यों के स्वकर राजस्व में 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में सघउ के अनुपात के रूप एक वृद्धि दर्ज होगी। राज्यों में वैट के सफल कार्यान्वयन के कारण राज्य सरकारें बिक्री कर से होनेवाले राजस्व संग्रह में जबर्दस्त वृद्धि देख रही हैं। बिक्री कर/वैट जो राज्यों के स्वकर राजस्व में 58.6 प्रतिशत वृद्धि का योगदान करता है, से होने वाले कर संग्रह के अलावा अन्य प्रमुख योगदानकर्ता हैं, स्टॉम्प और पंजीकरण शुल्क (14.3 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (12.1 प्रतिशत) तथा वाहनों से प्राप्त होने वाले कर (5.7 प्रतिशत)।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सघउ से प्रतिशत के रूप में राज्यों के स्व करेतर राजस्व पिछले वर्ष के 1.3 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखे जाएंगे यद्यपि वास्तविक अर्थो में इसमें 4,270 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज होगी। राज्यों के स्व करेतर राजस्व में वृद्धि पिछले वर्ष की 1.1 प्रतिशत गिरावट की तुलना में 2008-09 के दौरान 6.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। करेतर राजस्व में होनेवाली इस अनुमानित वृद्धि में मुख्य रूप से आर्थिक

सारणी 7: राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

मदें	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ)	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
	(औसत)							कॉ. 7/6	कॉ. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल प्राप्तियां (1+2)	1,23,415 (16.0)	2,31,618 (14.8)	4,40,076 (17.2)	5,95,627 (16.6)	6,73,605 (16.2)	7,63,377 (16.2)	8,95,141 (16.9)	13.3	17.3
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	92,679 (12.0)	1,65,416 (10.7)	2,85,662 (11.2)	4,31,020 (12.0)	5,30,556 (12.8)	6,28,742 (13.3)	7,19,835 (13.6)	18.5	14.5
क) राज्यों के अपने राजस्व (i+ii)	55,546 (7.2)	1,03,542 (6.7)	1,78,171 (7.0)	2,60,246 (7.3)	3,15,812 (7.6)	3,55,970 (7.6)	4,03,658 (7.6)	12.7	13.4
i. राज्यों के अपने कर	41,158 (5.3)	78,733 (5.1)	1,41,933 (5.6)	2,12,307 (5.9)	2,52,548 (6.1)	2,93,392 (6.2)	3,36,810 (6.4)	16.2	14.8
ii. राज्यों के अपने करतर राजस्व	14,388 (1.8)	24,809 (1.6)	36,238 (1.4)	47,939 (1.3)	63,263 (1.5)	62,578 (1.3)	66,848 (1.3)	-1.1	6.8
ख) केंद्रीय अंतरण (i+ii)	37,133 (4.8)	61,874 (4.0)	1,07,491 (4.2)	1,70,774 (4.8)	2,14,744 (5.2)	2,72,772 (5.8)	3,16,177 (6.0)	27.0	15.9
i. अंशदायी कर	19,790 (2.6)	37,608 (2.4)	61,047 (2.4)	94,024 (2.6)	1,20,293 (2.9)	1,48,134 (3.1)	1,73,147 (3.3)	23.1	16.9
ii. महावार अनुदान	17,343 (2.3)	24,267 (1.6)	46,444 (1.8)	76,750 (2.1)	94,451 (2.3)	1,24,638 (2.6)	1,43,030 (2.7)	32.0	14.8
2. पूंजी प्राप्तियां (क+ख)	30,737 (4.0)	66,202 (4.1)	1,54,415 (6.0)	1,64,607 (4.6)	1,43,049 (3.5)	1,34,635 (2.9)	1,75,306 (3.3)	-5.9	30.2
क) केंद्र से ऋण@	14,632 (1.9)	26,440 (1.7)	24,337 (1.0)	8,097 (0.2)	5,717 (0.1)	11,291 (0.2)	15,348 (0.3)	97.5	35.9
ख) अन्य पूंजी प्राप्तियां	16,104 (2.1)	39,762 (2.4)	1,30,078 (5.0)	1,56,510 (4.4)	1,37,331 (3.3)	1,23,344 (2.6)	1,59,958 (3.0)	-10.2	29.7

स.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

@ : वर्ष 1999-2000 से लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के कारण अल्प बचतों में राज्यों का अंश, जिसे पहले केंद्र से ऋण में शामिल किया गया है, तथा इसे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है। तथापि इस सारणी में सूचित 1999-2000 वर्ष के पहले के आंकड़े में तुलनात्मकता के लिए अल्प बचतों की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणीय : 1 सघउ का 5 वर्ष का औसत विभिन्न अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2 कोष्ठक में दिए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते है।
3 पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे निवल आधार पर शामिल है। परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सेवाओं से होनेवाली प्राप्तियों में वृद्धि के साथ-साथ उद्योग, बिजली और वानिकी तथा वन्य जीवन का भी योगदान रहेगा। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से होने वाली कम वसूली राज्य सरकारों के लिए गंभीर चिंता का कारण रही है। जबकि बिजली सड़क क्षेत्रों से होनेवाली वसूलियों ने सुधार दर्शाया है, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की वसूलियां कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रही हैं। अनुमान लगाया गया है कि 2008-09 में लागत वसूली शिक्षा के लिए 1.4 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य के लिए 4.4 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 14.7 प्रतिशत, बिजली के लिए 25.4 प्रतिशत और सड़कों के लिए 7.7 प्रतिशत रहेगी (सारणी 8, चार्ट 2)। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लाभांश के रूप में मिलने वाला लाभ तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेशों से मिलने वाला लाभ उनके निस्तेज कार्यनिष्पादन के कारण काफी कम रहा है। राज्य सरकारों के करेतर राजस्व के स्तर को बढ़ाने के लिए उचित उपयोगिता प्रभार लगाकर तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करके लागत वसूली बढ़ाने की आवश्यकता है। सेवाएं देने की गुणवत्ता में सुधार से राज्य सरकारें करेतर राजस्व का स्तर बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगी।

चार्ट 2 : चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली

(योजनेतर राजस्व व्यय से करेतर राजस्व व्यय का अनुपात)

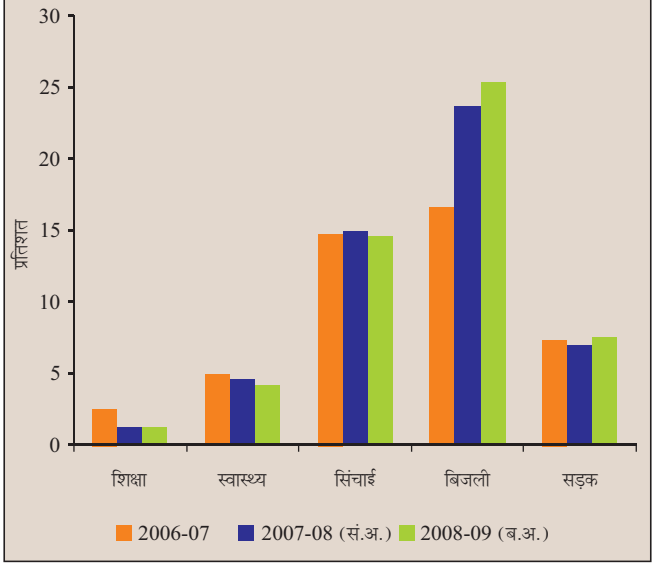

राजकोषीय स्थान पैदा करने के तरीके में से एक तरीका राजस्व में वृद्धि करना है जिसने उधारों से व्यय के वित्तपोषण पर उच्चतम स्पष्ट सीमा के कारण नियम आधारित राजकोषीय ढांचे के अंतर्गत और महत्व प्राप्त कर लिया है (बॉक्स 3)।

सारणी 8: चयनित सेवाओं की लागत वसूली

(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व अनुपात)

(प्रतिशत)

मदें	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ)	2008-09 (ब.अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ. सामाजिक सेवाएं	**2.8**	**3.1**	**3.3**	**3.6**	**3.7**	**4.2**	**5.8**	**4.0**	**3.8**
जिसमे से:									
(क) शिक्षा $	1.2	1.3	1.6	1.8	2.1	2.8	2.6	1.4	1.4
(ख) स्वास्थ्य *	4.6	6.2	5.4	4.7	6.2	4.7	5.1	4.7	4.4
ब. आर्थिक सेवाएं	**25.3**	**27.6**	**30.8**	**26.6**	**39.6**	**33.4**	**32.8**	**32.3**	**38.1**
जिसमें से:									
(क) सिंचाई #	8.1	7.5	8.4	15.3	16.4	14.5	15.0	15.2	14.7
(ख) बिजली	6.5	6.5	9.7	2.8	11.7	12.3	16.7	23.8	25.4
(ग) सड़क @	16.3	19.6	15.6	21.5	14.6	11.6	7.6	7.2	7.7

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

$: इसमें खेल, कला एवं संस्कृति पर व्यय भी शामिल है।

* : इसमें चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर व्यय शामिल है।

\# : योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए यह घडी, मझोली तथा लघु सिंचाई से संबंधित है।

@ : योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सड़क एवं पुल से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए यह मार्ग परिवहन से संबंधित है।

टिप्पणी : राज्यों में विद्युत क्षेत्र से संबंधित अकाउंटिंग में समानता न होने के कारण कई बार विभिन्न वर्षों के बीच इसे समायोजित किया गया है। अतः अनुपात में उतार-चढ़ाव है। इसके अलावा, राज्यों ने बिजली के अंतर्गत एक बार की करेतर प्राप्तियां प्राप्त की थीं जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वर्ष 2003-04 के दौरान अहलुवालिया समिति की सिफारिश के अनुसार 2,749 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जो 2004-05 में मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दी गई, ऐसी राशि को यहां छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त राशि, जो करेतर स्वरूप की नहीं है, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मालमे में 2004-05 करोड़ रु. तथा उत्तराखण्ड सरकार के मालमे में 2004-05 में 134 करोड़ रु.को निकाल दिया गयाा है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट प्रलेखों से संकलित।

बॉक्स 3: उप-राष्ट्रिक सरकारों के संदर्भ में राजकोषीय अंतर

राजकोषीय अंतर एक उभरती संकल्पना है। इसे "व्यय के मौजूदा स्तर और किसी सरकार द्वारा अपनी ऋण शोधन क्षमता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उच्चतम स्तर तक किए जानेवाले व्यय के बीच अंतर के रूप में" परिभाषित किया जा सकता है (अंमुको - विश्व बैंक, 2006)। इसे "उपलब्ध बजटीय गुंजाईश जो सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति की निर्वहनीयता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले एक वांछित प्रयोजन हेतु संसाधन प्रदान करने की अुनमति देती है (हेलर, 2005)।" ये दोनों ही परिभाषाएं अवशिष्ट अर्थों ('अंतर' या 'स्थान') में राजकोषीय अंतर की व्याख्या करती हैं। इसके ठीक विपरीत, घरेलू संसाधन संग्रहण बढ़ाने के लिए ठोस नीतिगत कार्रवाइयां और सक्षम कंपनी संचालन हासिल करने के लिए आवश्यक सुधार 'इन नीतिगत कार्रवाइयों को कारगर होने के लिए संस्थागत और आर्थिक वातावरण' के रूप में भी राजकोषीय अंतर की व्याख्या की जाती है (राय और अन्य, 2007)। इस परिभाषा में घरेलू संसाधन संग्रहण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अंतः किसी अर्थव्यवस्था की वहनीयता और ऋण शोधन क्षमता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है (क) वह सीमा जहां तक घरेलू वित्तपोषण व्यवस्था सार्वजनिक व्यय को समर्थन देने में सक्षम है और (ख) यह तथ्य की एक निर्वाहणीय प्रकार से संसाधनों का संग्रहण राजनैतिक आर्थिक संदर्भ का कार्य है जिसके अंदर राजकोषीय अंतर सुरक्षित रहता है।

परिचालनीय रूप से राजकोषीय अंतर एक देश-विशिष्ट मामला है। विकासशील देशों के लिए यह एक तात्कालिक मुद्दा दिखाई दे सकता है क्योंकि यह अतिरिक्त राजकोषीय स्थान उपलब्ध कराएगा जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी संरचना जैसी कुछ आवश्यक सार्वजनिक व्यय के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप मध्यावधि वृद्धि बढ़ेगी और दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था के राजस्व आधार में विस्तार होगा। तथापि, किसी विशेष गतिविधि के लिए राजकोषीय अंतर निर्मित करते समय सरकारों को इस बात का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी कि क्या इससे जुड़े किसी भावी व्यय को सरकार के सामान्य भावी राजस्व से पूरा किया जा सकेगा। यदि यह राजकोषीय अंतर सरकार के पुराने ऋण को चुकाने के लिए सृजित किया जा रहा है तो सरकार भविष्य में ब्याज बहिर्वाह के कारण पैसा बचा सकती है (तंजी, 2007)। इसके ठीक विपरीत, यदि सरकार के भावी बजट संसाधन सरकार के अनुमानित प्रतिबद्ध व्यय से जुड़े हैं तो यह भविष्य में सरकार के वरीय व्यय हेतु एक नकारात्मक राजकोषीय अंतर पैदा करेगा।

उप-राष्ट्रिक सरकारों के वित्त के संदर्भ में, केन्द्र सरकार की तुलना में उनके अपेक्षाकृत अधिक व्यय को देखते हुए राजकोषीय अंतर महत्त्वपूर्ण हो जाता है। उप-राष्ट्रिक स्तर पर राजकोषीय अंतर अनेक तरीकों से पैदा किया जा सकता है जैसे कि कर दरों को बढ़ाकर, कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाकर, निम्न प्राथमिकता वाले व्यय में कटौती कर के, व्यय कार्यक्रम को दक्षतापूर्वक कार्यान्वित करके, अतिरिक्त उधार लेकर तथा केन्द्र सरकार से अधिक अंतरण हासिल करके किया जा सकता है (हेलर, 2005)। हालाकि निम्न प्राथमिकतावाले व्यय में कटौती करके राजकोषीय अंतर पैदा करना एक वांछनीय तरीका है, साथ ही यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसा करने से एक विशेष क्षेत्र कमजोर न होने पाए ताकि भविष्य में उस समस्त क्षेत्र के पुनर्निर्माण की लागतों से बचा जा सके। इसी प्रकार, यदि राजकोषीय अंतर अतिरिक्त उधारों के माध्यम से सृजित किया जाता है तो उस ऋण को चुकाने के लिए आवश्यक राजस्व पैदा करने की सरकार की क्षमता पर इसके प्रभाव के अर्थ में इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

आने वाले दशकों में जनसांख्यिक लाभांशों के लाभ की फसल काटने के लिए भारत में राजकोषीय का सृजन महत्वपूर्ण है। ग्यारहवीं पंच-वर्षीय योजना दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि 9 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि देश में बुनियादी संरचना घाटे पर विजय प्राप्त की जाए। राजकोषीय अंतर सृजन देश के सामाजिक और भौतिक बुनियादी संरचना दोनो ही क्षेत्रों में भारी निवेश प्रारंभ करने योग्य बनाएगा। भारत में, राज्यों के जीएसडीपी से स्व-कर और करेतर राजस्वों का अनुपात बढ़ाना उप-राष्ट्रिक स्तर पर राजकोषीय अंतर निर्मित करने का एक संभावित तरीका होगा। संरचनागत सुधारों द्वारा व्यय पक्ष पर राजकोषीय अंतर निर्मित किया जा सकता हैः (क) सार्वजनिक व्यय में अदक्षता कम करना, अथवा (ख) ऐसे कार्यक्रमों को समाप्त करना जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखने का कोई ऐसा सशक्त कारण नहीं है और उन्हें निजी क्षेत्र में अंतरित किया जा सकता है। इन सबके अलावा, सब्सिडियों के लक्ष्य को बेहतर बनाने से भी अनावश्यक सब्सिडियों को बंद करके भी राजकोषीय अंतर निर्मित किया जा सकता है। इस संबंध में, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन (पीएफएम) की गुणवत्ता पर यहां पर जोर देना उपयोगी होगा आदर्श रूप में, बजट बनाने, निष्पादन, लेखांकन, रिपोर्टिंग और लेखा परीक्षा हेतु न केवल अच्छी तरह से बनायी हुई पारदर्शि और विधिवत लागू की गयी प्रक्रियाएं होनी चाहिए बल्कि बजट के लिए एक सारगर्भित कार्यक्रम वर्गीकरण; ऐसे कार्यक्रमों के लिए भरोसेमंद और सामयिक लागत लेखांकन और उनकी प्रभावशालीता के लिए उचित संकेतक विकसित करने की आवश्यकता है ताकि कार्यक्रमों की दक्षता (कार्यनिष्पादनों की बेंचमार्किंग करने के माध्यम सहित) का मूल्यांकन सुसाध्य हो सके।

2002-05 के दौरान चली ऋण बदली योजना (डीएसएस) और बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित ऋण समेकन एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ) ने ब्याज भुगतानों पर व्यय घटाकर भारत में राज्य स्तर पर राजकोषीय अंतर पैदा कर दिया है। एफआरएल के अंतर्गत अपनाए गये नियम आधारित ढांचे से राज्यों में राजकोषीय अनुशासन आया है। कुछ राज्यों का यह प्रयाय रहा है कि विशेष प्रयोजन के साधनों (एसपीवी) के माध्यम से निर्धारित राजकोषीय अंतर पैदा किया जाए। राज्य भविष्य में अपने बजटों पर दबाव को बचाने के लिए विशेष प्रयोजन के साधनों द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के प्रति लाभ की दर का मूल्यांकन करने में पर्याप्त सावधानी बरत सकते हैं। हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों ने एक बारगी उपाय भी प्रारंभ किये हैं जैसे कि राजकोषीय अंतर पैदा करने के लिए भूमि एवं संपत्ति की बिक्री। तथापि, यदि ऐसे राजकोषीय अंतर द्वारा वित्त पोषित व्यय भविष्य में और व्यय की मांग करता है तो यह भविष्य में सामान्य बजट पर दबाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा बहुत-सी राज्य सरकारों ने मुख्य रूप से बुनियादी संरचना वित्तपोषण हेतु राजकोषीय अंतर सृजित करने के माध्यम के रूप में सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) का उपयोग किया है। पीपीपी के माध्यम से राज्य सरकारें सार्वजनिक परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु बिना ऋण लिये निजी निधियों का लाभ उठा सकती हैं।

संदर्भः

1. भारत सरकार (2007), ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज़।
2. हेलर पी.एस.(2005),'अंडरस्टैंडिंग फिस्कल स्पेस',पॉलिसी डिस्कशन पेपर, आइएमएफ ।
3. आइएमएफ -वर्ल्ड बैंक (2006), द इंटरिम रिपोर्ट आन फिस्कल पॉलिसी फार ग्रोथ एण्ड डेवलपमेंट, डेंवलपमेंट कमिटी ऑफ द जॉइंट वर्ल्ड बैंक - आइएमएफ बोर्ड ऑन फिस्कल पॉलिसी एण्ड ग्रोथ।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (2008), वार्षिक रिपोर्ट
5. रॉय रोथीन और अन्य (2007), 'फिस्कल स्पेस फॉर वॉट? एनालिटिकल इश्युज फ्राम ए ह्यूमन डेवलपमेंट पर्स्पेक्टिव', राजकोषीय नीति पर जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया पेपर, 1-2 जुलाई, इस्तांबुल ।
6. तंजी वी. (2007), 'कैन फिस्कल डीसैंट्रलाइजेशन क्रिएट फिस्कल स्पेस?' राजकोषीय नीति पर जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया पेपर, 1-2 जुलाई, इस्तांबुल ।
7. टेरेसा टेर-मिनासियन एण्ड अन्नालिज़न फेडेलिनो (2007),"डज फिस्कल डीसैंट्रलाइजेशन हेल्प क्रिएट फिस्कल स्पेस?" राजकोषीय नीति पर जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया पेपर, 1-2 जुलाई, इस्तांबुल ।

IV.3.3 राजस्व व्यय

2008-09 के दौरान अनुमान है कि राजस्व व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष के 19.9 प्रतिशत से घटकर 14.1 प्रतिशत हो जाएगी। राजस्व व्यय में होने वाली 85,193 करोड़ रुपए की अनुमानित वृद्धि मुख्य रूप से विकास व्यय में होनेवाली वृद्धि के कारण होगी जो इस वृद्धि में 56.0 प्रतिशत का योगदान देगी। विकासात्मक व्यय में होनेवाली वृद्धि मूलतः शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास में होनेवाली वृद्धि के कारण होगी (सारणी 9 और परिशिष्ट सारणी 4)। विकासात्मक व्यय के अलावा प्रतिबद्ध व्यय की 13.3 प्रतिशत वृद्धि (अर्थात ब्याज, भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय) राजस्व व्यय में 32.2 प्रतिशत का योगदान देगी। तथापि, अनुमान है कि प्रतिबद्ध व्यय पिछले वर्ष के 32.9 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में राजस्व प्राप्तियों के मामूली रूप से अपेक्षाकृत कम हिस्से (32.5 प्रतिशत) का पूर्वक्रय कर लेगा (चार्ट 3)।

IV.3.4 पूंजी प्राप्तियां

अनुमान है कि पूंजी प्राप्तियों में बीते वर्ष में 5.9 प्रतिशत की गिरावट को देखते हुए 2008-09 के दौरान 30.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो मुख्य रूप से एनएसएसएफ, आरक्षित निधि (निवल) को जारी की गयी विशिष्ट प्रतिभूतियों और विविध पूंजी प्राप्तियों की राशि में तेज वृद्धि के कारण होगी। बजट अनुमानों की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) एनएसएसएफ प्राप्तियां 73.6 प्रतिशत कम रही। अनुमान है कि 2008-09 के दौरान एनएसएसएफ प्राप्तियां 86.8 प्रतिशत बढ़ेंगी। राज्य सरकारों ने ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 16.8 प्रतिशत निम्न रहने का अनुमान लगाया है। अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान केंद्र से सकल ऋण 35.9 प्रतिशत बढ़ जायेंगे (सारणी 7 और परिशिष्ट सारणी 5)।

सारणी 9: राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए)

मदें	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
	(औसत)					(सं.अ.)	(ब.अ.)	कॉ. 7/6	कॉ. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल व्यय (1+2 = 3+4+5)	1,22,270 (15.9)	2,33,441 (14.9)	4,37,299 (17.1)	5,61,682 (15.7)	6,57,280 (15.9)	7,87,489 (16.7)	8,92,783 (16.8)	19.8	13.4
1. राजस्व व्यय	98,009 (12.7)	1,93,816 (12.4)	3,40,752 (13.4)	4,38,034 (12.2)	5,05,699 (12.2)	6,06,216 (12.9)	6,91,409 (13.0)	19.9	14.1
जिसमें से:									
ब्याज भुगतान	13,605 (1.7)	31,421 (2.0)	69,685 (2.7)	84,024 (2.3)	93,180 (2.2)	1,02,878 (2.2)	1,08,383 (2.0)	10.4	5.4
2. पूंजी व्यय	24,261 (3.2)	39,625 (2.5)	96,547 (3.6)	1,23,648 (3.5)	1,51,582 (3.7)	1,81,273 (3.8)	2,01,374 (3.8)	19.6	11.1
जिसमें से:									
पूंजी परिव्यय	11,893 (1.5)	21,044 (1.4)	41,856 (1.6)	77,559 (2.2)	98,063 (2.4)	1,28,331 (2.7)	1,45,159 (2.7)	30.9	13.1
3. विकास व्यय	81,989 (10.7)	1,45,852 (9.4)	2,39,576 (9.4)	3,30,044 (9.2)	3,92,165 (9.5)	4,93,563 (10.5)	5,57,116 (10.5)	25.9	12.9
4. विकासेतर व्यय	33,734 (4.3)	76,035 (4.8)	1,50,715 (5.9)	1,90,021 (5.3)	2,11,872 (5.1)	2,41,019 (5.1)	2,75,609 (5.2)	13.8	14.4
5. अन्य*	6,547 (0.9)	11,554 (0.7)	47,009 (1.7)	41,617 (1.2)	53,243 (1.3)	52,907 (1.1)	60,058 (1.1)	-0.6	13.5

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

* : इसमें केंद्र को ऋण की चुकौती, आंतरिक ऋण की चुकौती, सहायता अनुदान एवं योगदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन) शामिल है।

टिप्पणी : 1. सघउ का 5 वर्ष का औसत विभिन्न-अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते है।

3. पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं है। परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

चार्ट 3 : ब्याज भुगतानों, पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय

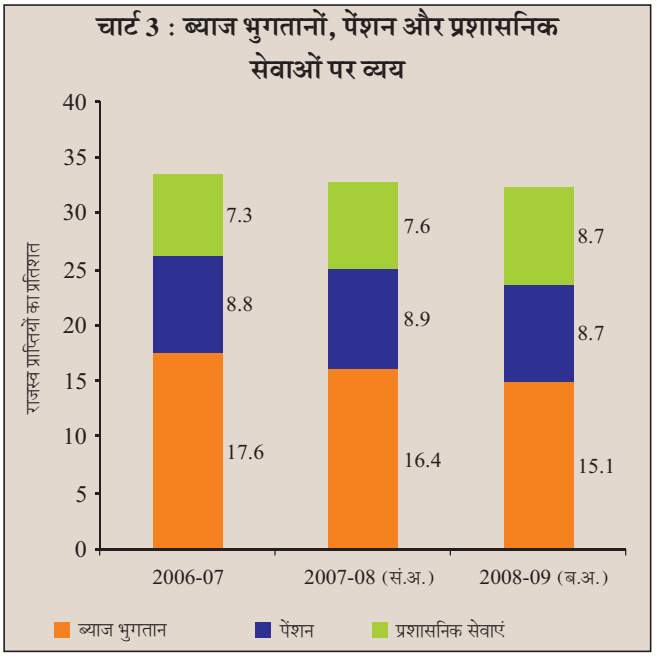

तथापि, केंद्र से ऋणों का लेना धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है क्योंकि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारें अपनी पांच वर्षीय योजनाओं के लिए बाजार से उधार लेने का मार्ग अपना रही हैं। राज्यों की कुल पूंजी प्राप्तियों (वसूलियां घटाकर) से अनुपात के रूप में पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक चार्ट 4 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 4 : पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक

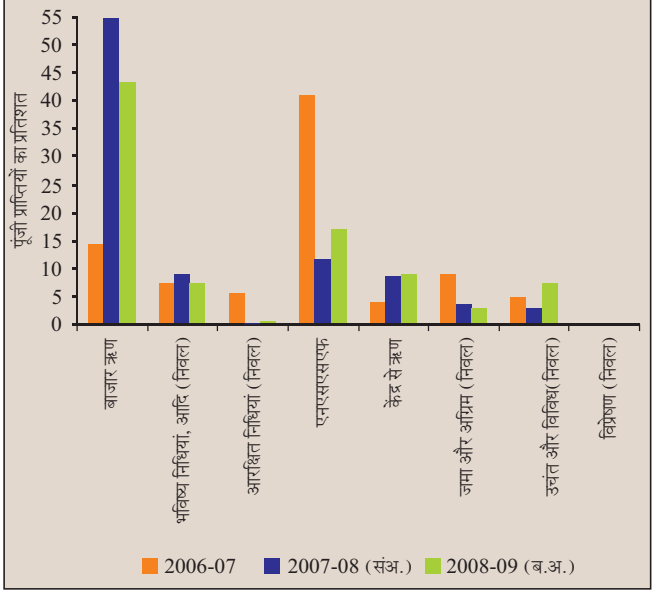

उधार ली गयी निधियों के अलावा दो राज्यों ने जमीन की बिक्री (विनिवेश) के माध्यम से निधियां जुटाने का प्रस्ताव रखा है। तदनुसार, अनुमान है कि राज्यों की ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 में 6,600 करोड़ रुपए (78.6 प्रतिशत) बढ़ जायेंगी। 2008-09 (ब.अ.) में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत क्रमशः 12,000 करोड़ रुपए और 3,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। राज्य सरकारों ने बाह्य सहायता लेने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिये हैं। तथापि, बाह्य सहायता परियोजनाएं कुछ राज्यों के बीच ही केंद्रित हैं (बॉक्स 4)।

IV.3.5 पूंजी व्यय

अनुमान है कि राज्य सरकारों का सकल पूंजी व्यय पिछले वर्ष की 19.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008-09 के दौरान 11.1 प्रतिशत रहेगा (सारणी 9 और परिशिष्ट सारणी 9)। पूंजी परिव्यय में वृद्धि पूंजी संवितरणों में वृद्धि का 83.7 प्रतिशत होगी जो मूल रूप से आर्थिक सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में विकासात्मक परिव्यय दर्शाती है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय बीते वर्ष के 2.7 प्रतिशत के स्तर पर ही अपरिवर्तित बना रहेगा। राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम जिनमें 4.0 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है, को छोड़कर पूंजी व्यय के सभी घटक पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में बढ़ने का अनुमान लगाया है।

IV.3.6 केंद्र से संसाधनों का डिवोल्यूशन और अंतरण

अनुमान लनाया गया है कि 2008-09 में केंद्र से संसाधनों का सकल डिवोल्यूशन और अंतरण (अर्थात साझा योग्य कर, अनुदान और ऋण एवं अग्रिम) 16.7 प्रतिशत बढ़कर 3,31,525 करोड़ रुपए हो जाएगा (परिशिष्ट सारणी 7)। सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में केंद्र से सकल डिवोल्यूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 6.0 प्रतिशत के तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो जाएगा। यह कहा जा सकता है कि केंद्र से सकल डिवोल्यूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 36.1 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) के दौरान राज्य सरकारों के सकल संवितरणों के 37.1 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगे।

बॉक्स 4 : बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

बाह्य सहायता बड़ी बुनियादी संरचना परियोजनाओं, सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं के वित्तपोषण तथा संस्थागत क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी) राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने के महत्वपूर्ण क्षमतावान स्रोत हैं तथा राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। बुनियादी संरचना और सामाजिक क्षेत्र दोनों में ही बड़े आकार की परियोजनाओं हेतु भारी निवेशों के लिए आठवीं योजना से बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं पर निर्भरता बढ़नी आवश्यक हो गई है। बाह्य सहायता मूल रूप से बुनियादी संरचना सुविधाओं जैसे कि सड़कों का विकास, सिंचाई, जल आपुर्ति और बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए उपयोग की जाती रही है। परिणामस्वरूप, बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं अब राज्य के कुल योजना संसाधनों के एक प्रमुख घटक का निर्माण करती हैं। कालांतर में, बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं का स्कोप पहले से व्यापक हो गया है और राज्य सरकारें बाह्य सहायता के माध्यम से ऊर्जा, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, वणिकी, पशुपालन आदि क्षेत्रों में आस्तियां खड़ी करने में समर्थ हो गई हैं। बाह्य सहायता विश्व बैंक, युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआइडी), यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी), विदेशी आर्थिक सहायता निधि (ओईसीएफ) जर्मनी का केएफडब्ल्यू और कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आइएफएडी) जैसी एजेंसियों से प्राप्त की जाती रही है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में बाह्य सहायता का ढांचा कुछ ही राज्यों के पक्ष में मनमानी रूप से झुका रहा है। केंद्रीय क्षेत्र/बहु-राज्य क्षेत्र परियोजनाएं और कुछ राज्य यथा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात का हिस्सा संवितरणों में लगभग 90 प्रतिशत हैं। अन्य राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों को किए जानेवाले संवितरण नगण्य हैं।

राज्यों की एक बहुत बड़ी संख्या में सुझाव दिया है कि बाह्य ऋण राज्यों को उन्हीं शर्तों पर आगे दिए जाने चाहिए जिन शर्तों पर वे उधारदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ढांचागत समायोजन सहायता को छोड़कर भारत को बाह्य सहायता परियोजना आधारित है। बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की शर्तें और कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उधारदाता एजेंसियों के अनुसार भिन्न-भिन्न रहते हैं। परियोजना के स्वरूप, वित्तीय व्यवहार्यता तथा परियोजना की राजस्व अर्जन क्षमता के आधार पर उधारदाता एजेंसियों द्वारा सहायता अनुदान, आसान शर्तों पर दिए जानेवाले ऋण तथा बिना रियायतवाले ऋण प्रदान किए जाते हैं। तथापि राज्यों की परियोजना के लिए प्राप्त बाह्य सहायता सामान्यतः 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत सहायता अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले क्रमशः 10 प्रतिशत और 90 प्रतिशत) आधार पर आगे पास की जाती है। इन पर लागू की जानेवाली ब्याज दरें वे ब्याज दरें रहती हैं जो एकमुश्त ऋणों पर लागू होती हैं। एक ओर जहां कुछ परियोजनाओं के लिए कुछ स्रोतों से मिलनेवाली बाह्य सहायता बेहद रियायती हैं वहीं अन्य मामलों में यह खर्चीली हो सकती है। सहायता को एक जगह पर इकट्ठा करने और रुपए में एक समान ब्याज दर निर्धारित करने की प्रक्रिया में क्रॉस सब्सिडाइजेशन का एक तत्व दो स्तरों पर यथा केंद्र और सभी राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच, रहता है। केंद्र और सभी राज्यों के बीच क्रॉस सब्सिडाइजेशन के मामले में दूसरे की तुलना में एक ओर की लाभ/हानि प्रमुख विदेशी करेंसियों के सामने भारतीय रुपए की मूल्यह्रास की दर पर निर्भर करती है।

भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की इन सिफारिशों को कि बाह्य सहायता जिन शर्तों पर प्राप्त हुई थी उन्हीं शर्तों पर उन्हें दी जाएगी, स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद हस्ताक्षर की गई नई परियोजनाओं के मामले में बाह्य सहायता 'बैक-टू-बैक' आधार पर हस्तांतरित की जा रही है। तथापि, इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को सेवा की लागत भी अब पास की जा रही है। तथापि, विशेष श्रेणी के राज्यों ने अनुरोध किया है कि 90:10 अनुदान और ऋण आधार पर बाह्य सहायता अंतरित करने पुरानी व्यवस्था फिर से कायम की जाए जो 2006 में फिर से लागू कर दी गई है। राज्य सरकारें द्विपक्षीय अथवा बहु-पक्षीय स्रोतों के माध्यम से किसी भी प्रकार से बाह्य सहायता नहीं ले सकती हैं।

राज्यों को बहु-पक्षीय एजेंसियों के माध्यम से दी जानेवाली बाह्य सहायता पारंपरिक रूप से केंद्रीय सहायता के एक अंग के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दी जाती रही है जिसकी विदेशी मुद्रा जोखिम केंद्र उठाता रहा है। तथापि, राज्यों द्वारा लिए जानेवाले उधारों में केंद्र की अमध्यस्थीकरण की नीति के एक अंग के रूप में केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों को बाह्य सहायता का अंतरण बैक-टू-बैक होना चाहिए। राज्य वित्त सचिवों के सोलहवें सम्मेलन में कुछ राज्य वित्त सचिवों ने सुझाव दिया कि बैक-टू-बैक हस्तांतरण करने की बाह्य सहायता की नीति से उपजनेवाली उनकी विदेशी मुद्रा दर जोखिमों को हेज करने में भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों की सहायता करने में एक परामर्शी भूमिका अदा कर सकता है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और जनवरी 2007 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 19वें सम्मेलन में चर्चाओं के अनुसरण में राज्य सरकार के अधिकारियों के हितार्थ मई 2007 में रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय बाजारों के माध्यम से राज्यों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। राज्यों ने अपने बजटों में विदेशी मुद्रा जोखिम से निधियों को अलग रख कर प्रावधान करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाओं का भी प्रस्ताव रखा है जहां आशा की जाती है कि रिजर्व बैंक सीएसएफ की तर्ज पर इन निधियों के प्रबंधन में एक भूमिका अदा करेगा। इन प्रस्तावों पर अगस्त 2007 में राज्य वित्त सचिवों के बीसवें सम्मेलन में चर्चा की गई थी (रेड्डी, 2008)।

संदर्भ :

1. भारत सरकार (2008), पोजिशन पेपर ऑन एक्स्टर्नल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय इंडिया, वित्त मंत्रालय, मार्च।
2. रेड्डी, वाई.वी.आर. (2007), ' द रिज़र्व बैंक एण्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स : पार्टनर्स इन प्रोग्रेस' आरबीआइ बुलेटिन, अक्तूबर।
3. विभिन्न राज्य सरकारों की वेबसाइटें।

IV.3.7 विकासात्मक और विकासेतर व्यय[6]

2008-09 के दौरान अनुमान लगाया गया है कि कुल विकासात्मक व्यय (राजस्व एवं पूंजी) सकल घरेलू उत्पाद के 10.5 प्रतिशत पर आपरिवर्तित बना रहेगा, जबकि विकासेतर व्यय 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत अंक बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो जाएगा (चार्ट 5)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकासात्मक व्यय 2007-08 (सं.अ.) के 62.7 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 62.4 प्रतिशत रह जाने का अनुमान लगाया है (सारणी 10)। तथापि, कुल विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय तथा विकासात्मक पूंजी परिव्यय का हिस्सा 2007-08(सं.अ.) के क्रमशः 71.9 प्रतिशत तथा 24.8 प्रतिशत से बढ़कर 72.3 प्रतिशत और 25.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास मदों पर होनेवाले सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे व्यय को तर्कसंगत बनाने के उचित उपाय करें और मुख्य सार्वजनिक और अच्छे माल के प्रावधान पर जोर दें (बाक्स 5)।

6 आंकड़ा स्रोतों और पद्धतियों से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणी देखें।

चार्ट 5 : विकास और विकासेतर व्यय

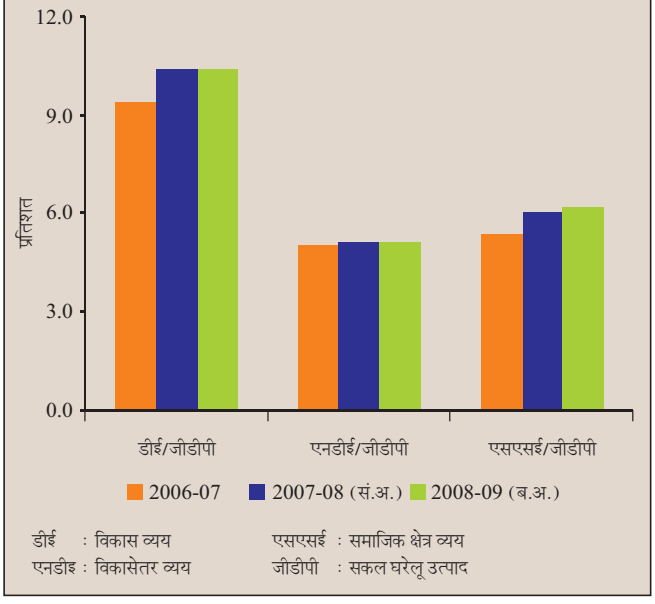

लगभग सभी प्रमुख विकासात्मक शीर्षों (राजस्व और पूंजी व्यय दोनों) की वृद्धि दर घट जाने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में योजनेतर विकासेतर व्यय 2008-09 में 5.0 प्रतिशत पर रखा जाएगा जो पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है(परिशिष्ट सारणी 8-14)। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजस्व से अनुपात के रूप में प्रतिबद्ध व्यय(जिसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन शामिल हैं) जो विगत में बढ़ता रहा है, ने हाल के वर्षों में स्थिर होने के कुछ संकेत दिये हैं। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय के 33.8 प्रतिशत के आसपास बना रहेगा। स्व-राजस्व से प्रतिशत के रूप में यह 58.0 प्रतिशत के आसपास अटका रहेगा।

सारणी 10 : कुल व्यय की तुलना में विकास व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	विकास राजस्व व्यय	विकास पूंजी परिव्यय	विकास ऋण और अग्रिम	कुल विकास व्यय
1	2	3	4	5
2006-07	2,84,797 (43.3)	94,165 (14.3)	13,202 (2.0)	3,92,165 (59.7)
2007-08 (सं.अ.)	3,55,099 (45.1)	1,22,315 (15.5)	16,149 (2.1)	4,93,563 (62.7)
2008-09 (ब.अ.)	4,02,810 (45.1)	1,39,013 (15.6)	15,294 (1.7)	5,57,116 (62.4)

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल व्यय से प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.3.8 सामाजिक क्षेत्र व्यय[7]

सामाजिक क्षेत्र व्यय (एसएसई) (जिसमें सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास तथा खाद्यान्न भंडारण एवं वेयर हाउसिंग आते हैं) 2007-08 (सं.अ.) के 6.1 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकारों के कुल व्यय (टीई) में सामाजिक क्षेत्र व्यय के हिस्से जिसने इस दशक के प्रथमार्ध में गिरावट दशाई थी, ने हाल के वर्षों में सुधार दर्शाया (चार्ट 6)। 2000-05 के दौरान 32.5 प्रतिशत के औसत से एसएसई-टीई का अनुपात 2006-07 में बढ़कर 33.9 प्रतिशत हो गया। अनुमान है कि 2008-09 के दौरान बढ़कर यह 37.2 प्रतिशत हो जाएगा (सारणी 11 और परिशिष्ट सारणी 15)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में एसएसई ने हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया और 2008-09 में यह 6.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

हाल के वर्षों में एसएसई में पूंजी परिव्यय और ऋण तथा अग्रिमों के हिस्से ने बढ़ने की प्रवृत्ति दशाई। एसएसई में पूंजी परिव्यय का हिस्सा 1990-95 के 4.3 प्रतिशत के औसत स्तर से बढ़कर 2006-07 में 10.1 प्रतिशत हो गया। 2008-09 में यह हिस्सा

चार्ट 6: सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्तियां

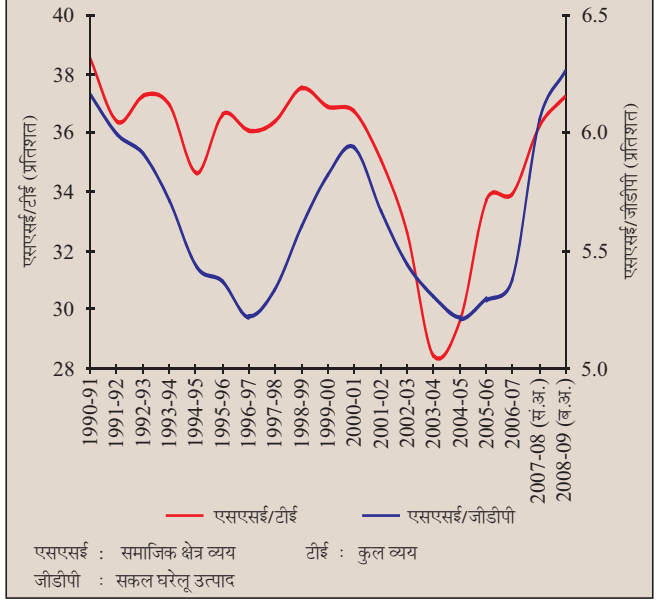

7 सामाजिक क्षेत्र व्यय में सामजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और खाद्य पर व्यय, राजस्व व्यय के अंतर्गत भंडारण और वेयर हाउसिंग, पूंजी परिव्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋण अग्रिम शामिल हैं।

बॉक्स 5 : राज्य सरकारों के सार्वजनिक व्यय का उभरता स्वरूप

भारतीय संविधान के अनुसार सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक ढांचे से संबंधित व्यय विषयक उत्तरदायित्व अधिकांशतः राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। मानव विकास स्तरों को बढ़ाने के लिए अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों को महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य केसाथ-साथ सार्वजनिक सेवाएं देने की व्यवस्थाओं को सुधारने पर अपने व्यय बढ़ाने पड़ते हैं। घाटे अथवा उधारों द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय को काफी बढ़ाने के संबंध में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएल) के ढांचे के भीतर बजटीय सीमाएं हैं। इसकी वजह से राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक और अन्य विकास व्यय प्रारंभ करने में राजकोषीय स्थान प्राप्त करने के लिए व्यय को तर्कसंगत बनाने के उपायों के साथ-साथ राजस्व प्रणित रणनीति अंगीकृत करने की आवश्यकता पड़ी।

राज्य सरकारों के समेकित व्यय के पैटर्न का मूल्यांकन दर्शाता है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उनका औसत कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजी) 1991-95 के 15.9 प्रतिशत से घटकर 1996-2000 के दौरान 14.5 प्रतिशत हो गया जो राजस्व और पूंजी दोनों ही घटकों ने गिरावट दर्शाता है (सारणी 1)। यह अनुपात 2001-05 में सुधरकर 17.1 प्रतिशत हो गया। लेकिन 2006-07 में घटकर 15.9 प्रतिशत पर आ गया। नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में समग्र व्यय और राजस्व प्राप्तियों को कम करने जिसकी वजह से राज्य वित्त का क्षरण हुआ, के ठीक विपरीत हाल ही की अवधि में एफआरएल ढांचे के अंतर्गत राजकोषीय समेकन राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि तथा राजस्व व्यय में कमी करके लाया गया है। राज्यों के राजस्व शेषों में परिणामी सुधार से सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजी व्यय में कुछ वृद्धि सुसाध्य हुई है।

सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने की सीमा को देखते हुए राज्य सरकारें व्यय सुधार आयोग गठित कर रही है और व्यय को तर्कसंगत बनाने की दिशा में अनेक उपाय प्रारंभ कर रही हैं। तथापि, राज्य सरकारों के व्यय में विकासेतर घटकों के पहले से ही रहे वर्चस्व के परिप्रेक्ष्य में व्यय सुधार उप-राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौती बना रहा है। राजकोषीय घाटों के बढ़ते स्तरों के साथ ब्याज भुगतानों ने राज्य सरकारों के व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग निर्मित किया जो 1991-95 के सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001-05 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत हो गया। हाल ही के वर्षों का सकारात्मक पहलू राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के अंतर्गत राजकोषीय घाटा कम करने तथा राज्य सरकारों की देयताओं की पुनर्संरचना की दिशा में उठाए गए उपायों से संबंधित हैं जिन्होंने सकल घरेलू उत्पाद से ब्याज भुगतानों के अनुपात में कमी लाना सुसाध्य बनाया। 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.9 प्रतिशत के उच्च शिखर छूने के बाद ब्याज भुगतान 2006-07 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत पर आ गई जिसका कारण आंशिक रूप से बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई ऋण अदलाबदली योजना (2002-05) और ऋण समेकन तथा राहत सुविधा तथा आंशिक रूप से गिरती ब्याज दरें रही हैं। दूसरा, पेंशन देयताएं एक अन्य महत्वपूर्ण स्वनिर्णयकारी घटक रहा है जो 1991-95 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 2001-05 में 1.2 प्रतिशत हो गया। 19 राज्य सरकारों ने परिभाषित अंशदान पर आधारित नई पेंशन योजना प्रारंभ की है जिसने पेंशन देयताओं में स्थिरता लाना शुरू कर दिया है। तीसरा, नब्बे के दशक की शुरुआत से ही सरकारी कर्मचारियों की वृद्धि को रोकने की नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक सेवाओं पर होनेवाला व्यय अपेक्षाकृत रूप से स्थिर रहा है।

हाल ही के वर्षों में विकास प्रयोजनों हेतु किए जानेवाले व्यय ने सुधार के संकेत दर्शाए। तथापि, यह अभी भी 1990 की शुरुआती वर्षों में हासिल किए गए स्तरों की तुलना में कम है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में औसत विकास व्यय (राजस्व और पूंजी) 1990-91से 1994-95 के 10.7 प्रतिशत से घटकर 2001-05 के दौरान 9.4 प्रतिशत हो गया लेकिन 2007-08(सं.अ.) में बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में औसत सामाजिक क्षेत्र व्यय (सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और खाद्यान्न भंडारण तथा वेयरहाउसिंग) 1991-95 और 2001-05 के बीच 5.8 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत हो गया। लेकिन 2007-08 (सं.अ.) में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गया।

राज्यों द्वारा किए जानेवाले व्यय का उभरता स्वरूप सार्वजनिक व्यय प्रबंधन उधारों से संबंधित अनेक मुद्दों को सामने लाता है। पहला, राज्यों को एफआरएल के नियम आधारित ढांचे के अंतर्गत राजकोषीय अनुशासन (कठोर बजट नियंत्रण) का पालन करना होगा। दूसरा, विकास व्यय की दिशा में आबंटन में सुधार लाने की आवश्यकता है, विशेषकर हाल ही के वर्षों में ऋण चुकौती में गिरावट आने के कारण पैदा हुए राजकोषीय शून्य के परिप्रेक्ष्य में। तीसरा, राज्य कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स के प्रावधान पर फोकस करके व्यय की प्राथमिकताएं पुनर्निर्धारित कर सकती हैं। अंततः, राज्य सरकारें परिणामों की गुणवत्ता पहुंच और उसके असर के अर्थों में व्ययों को संबद्ध कर सकती है। इस संदर्भ में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन की गुणवत्ता का महत्व बढ़ जाता है (देखें बॉक्स 3)।

संदर्भ :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (2008), वार्षिक रिपोर्ट
2. शिक, एलेन (2007), 'मैनेजिंग पब्लिक एक्सपेंडीचर', राजकोषीय नीति पर जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया पेपर, जुलाई 1-2, इस्तांबुल।
3. सेन, टी.के. और के.करमरकर (2007), 'रिप्रायरिटाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडीचर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट', वर्किंग पेपर नं.2, फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसी, जून।

सारणी 1 : राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्तियां

(जीडीपी से प्रतिशत)

मद	1990-91 से 1994-95	1995-96 से 1999-00	2000-01 से 2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
		(औसत)					
कुल व्यय (1+2)	**15.9**	**14.9**	**17.1**	**15.7**	**15.9**	**16.7**	**16.8**
1. राजस्व व्यय	12.7	12.4	13.4	12.2	12.2	12.9	13.0
जिसमें से :							
क) ब्याज भुगतान	1.7	2.0	2.7	2.3	2.2	2.2	2.0
ख) पेंशन	0.6	0.8	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
ग) प्रशासनिक सेवाएं	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.2
2. **पूंजी व्यय**	3.2	2.5	3.6	3.5	3.7	3.8	3.8
जिसमें से :							
क)पूंजी परिव्यय	1.5	1.4	1.6	2.2	2.4	2.7	2.7
ख)राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
ज्ञापन मदें :							
(i) विकास व्यय	10.7	9.4	9.4	9.2	9.5	10.5	10.5
(ii) सामाजिक क्षेत्र व्यय	5.8	5.5	5.5	5.3	5.4	6.1	6.3

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.:बजट अनुमान

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 11: राज्य सरकारों के कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

मदें	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
	(औसत)					(सं.अ.)	(ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल व्यय/सघउ	16.0	15.0	17.1	15.7	15.9	16.7	16.8
साक्षेव्य/सघउ	5.8	5.5	5.5	5.3	5.4	6.1	6.3
साक्षेप/कुल व्यय	36.8	36.7	32.5	33.7	33.9	36.3	37.2

सं.अ.: संशोधति अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान
साक्षेव्यः सामाजिक क्षेत्र सघउ : सकल घरेलू उत्पाद
स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज

बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी ओर, सामाजिक क्षेत्र व्यय ने 1990-95 के 93.3 प्रतिशत से 2006-07 में 87.8 प्रतिशत आकर क्रमिक गिरावट दर्शाई और अनुमान है कि 2008-09 में यह और गिरकर 83.8 प्रतिशत हो जाएगा (सारणी 12)। सामाजिक सेवाओं पर व्यय (जिसके अंतर्गत बारह उप-शीर्ष) एसएसई के प्रमुख घटक का निर्माण करता है जिसके

सारणी 12: सामाजिक क्षेत्र व्यय के संघटन की प्रवृत्तियां

(साक्षेव्य से प्रतिशत)

मद	राजस्व व्य	पूंजी परिव्यय	ऋण तथा अग्रिम	जोड़ (2+3+4)
1	2	3	4	5
1990-91 से 1994-95 (औसत)				
सामजिक सेवाएं	78.9	3.8	2.4	85.1
ग्रामीण विकास	13.6	0.4	–	14.0
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.7	0.1	–	0.9
जोड़	**93.3**	**4.3**	**2.4**	**100.0**
1995-96 से 1999-00 (औसत)				
सामजिक सेवाएं	82.2	4.0	2.0	88.2
ग्रामीण विकास	10.2	0.4	–	10.6
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	1.1	0.1	0.1	1.2
जोड़	**93.4**	**4.5**	**2.1**	**100.0**
2000-01 से 2004-05 (औसत)				
सामजिक सेवाएं	80.8	5.5	2.0	88.3
ग्रामीण विकास	8.7	1.6	–	10.2
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	0.5	0.1	1.4
जोड़	**90.3**	**7.6**	**2.1**	**100.0**
2005-06				
सामजिक सेवाएं	78.7	7.5	1.1	87.2
ग्रामीण विकास	9.3	2.1	–	11.4
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.9	0.1	0.4	1.4
जोड़	**88.9**	**9.7**	**1.5**	**100.0**
2006-07				
सामजिक सेवाएं	78.3	7.8	1.6	87.7
ग्रामीण विकास	8.7	2.4	–	11.1
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	-0.1	0.5	1.2
जोड़	**87.7**	**10.1**	**2.1**	**100.0**
2007-08 (स.अ.)				
सामजिक सेवाएं	76.2	9.2	2.9	88.3
ग्रामीण विकास	8.2	2.1	–	10.3
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	0.2	0.5	1.4
जोड़	**85.2**	**11.4**	**3.4**	**100.0**
2008-09 (ब.अ.)				
सामजिक सेवाएं	76.1	9.5	2.4	88.0
ग्रामीण विकास	8.9	2.0	–	11.0
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.5	0.1	0.4	1.0
जोड़	**85.6**	**11.6**	**2.8**	**100.0**

सा.क्षे.व्य : सामाजिक क्षेत्र व्यय स.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान '–' : शून्य/नगण्य
टिप्पणी : आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण जोड़ मेल नहीं मिलेगा।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

बाद ग्रामीण विकास और खाद्यान्न भंडारण तथा वेयर हाउसिंग का स्थान आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का हिस्सा जिसने 1990-91 से 2004-05 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राज्यों के व्यय का क्रमशः लगभग 52.1 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत का निर्माण किया, ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई और 2008-09 के दौरान इसके क्रमशः 43.3 और 11.0 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी ओर आवास, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, और अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण जैसी सेवाओं पर होने वाले व्यय के हिस्से में बढ़ोतरी रही है (सारणी 13)।

IV.3.9 परिचालन एवं रखरखाव तथा मजदूरी और वेतन8

सरकार की पूंजी आस्तियों को ठीक-ठाक रखने के लिए परिचालन और रखरखाव का स्तर महत्वपूर्ण है। बारहवें वित्त आयोग ने आस्तियों के रखरखाव पर होने वाले व्यय का स्तर बढ़ाने पर जोर दिया है तथा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट अनुदानों की भी सिफारिश की। कुल राजस्व व्यय में परिचालन और रखरखाव व्यय के हिस्से ने वर्षों के दौरान कमोबेश गिरावट दर्शाई। योजना परियोजनाओं से होने वाले लाभ के लिए इसके निहितार्थ हैं। दूसरी ओर, राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन का हिस्सा पिछले वर्ष के 27.6 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में बढ़कर 29.4 प्रतिशत हो जाएगा (सारणी 14)। कुल राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन का एक बड़ा हिस्सा (एक चौथाई से अधिक) राजस्व व्यय में अधोमुखी जड़ता के मूल कारणों में से एक है।

इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा गठित छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में सौंप दी है। बहुत सी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण कर रही हैं। कई राज्य सरकारों ने तो अपने स्वयं के वेतन आयोग गठित किए हैं। यह उल्लेख करना प्रासंगिक रहेगा कि राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाए जाने के बाद नब्बे के दशक के बाद के हिस्से में राज्य वित्तों में क्षरण अनुभव किया। अतः राज्यों को वेतन के स्तरों के संबंध में निर्णय लेते समय सावधान रहना होगा और इसे कर्मचारियों की संख्या,जनसंख्या के आकार और उत्पादक नियोजनों के लिए अपेक्षित पूरक व्यय से संतुलित करना होगा।

सारणी 13: सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजी लेखे) - संघटन

(सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ)
	(औसत)						
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय (क से ठ)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
(क) शिक्षा, क्षेत्र, कला एवं संस्कृति	52.2	52.6	51.3	48.2	47.0	43.7	43.3
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	16.0	12.6	11.7	11.6	11.4	10.9	11.0
(ग) परिवार कल्याण	–	2.4	2.0	1.7	1.6	1.6	1.7
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	7.3	7.5	7.8	8.2	7.9	8.1	7.2
(ड) आवास	2.9	2.9	2.9	2.3	2.7	4.4	4.4
(च) शहरी विकास	2.2	2.7	3.7	4.2	5.7	7.5	9.0
(छ) अनुजा, अनुजजा एवं अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण	6.6	6.5	6.5	7.1	6.9	7.5	7.1
(ज) श्रम एवं श्रम कल्याण	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	1.1	1.0
(झ) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.5	4.2	5.1	5.7	6.7	7.5	8.3
(ञ) पोषण	1.7	2.7	2.1	2.4	2.5	2.6	2.9
(ट) प्राकृतिक आपदा पर व्यय	2.5	2.8	3.8	5.2	4.0	2.7	1.9
(ठ) अन्य	2.5	1.9	2.1	2.3	2.3	2.4	2.2

औ : औसतसं. अ : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

8 मजदूरी और वेतन तथा परिचालन और रखरखाव संबंधी आंकड़े सभी राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। उपर्युक्त आंकड़े राज्य सरकारों से प्राप्त करने के बाद मिलाये गये हैं।

सारणी 14: राज्य सरकारों का प्रशासनिक व्यय - मजदूरी और वेतन तथा परिचालन एवं रखरखाव

वर्ष	मजदूरी और वेतन			परिचालन एवं रखरखाव		
	राशि (करोड़ रुपए)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघउ का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपए)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघउ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	18,515	37.3	3.3	6,922	16.5	1.2
1991-92	23,042	35.2	3.5	7,302	12.9	1.1
1992-93	26,234	35.5	3.5	9,281	14.6	1.2
1993-94	29,431	35.6	3.4	9,037	12.7	1.0
1994-95	33,317	34.3	3.3	10,585	12.5	1.0
1995-96	37,672	34.4	3.2	11,368	11.9	1.0
1996-97	45,746	33.3	3.3	12,642	11.1	0.9
1997-98	58,282	35.9	3.8	14,872	10.3	1.0
1998-99	71,234	37.1	4.1	17,710	9.8	1.0
1999-00	86,285	38.1	4.4	17,522	8.3	0.9
2000-01	94,507	36.3	4.5	19,529	7.9	0.9
2001-02	93,008	34.0	4.1	19,591	7.5	0.9
2002-03	94,717	32.8	3.9	22,438	8.2	0.9
2003-04	98,741	30.0	3.6	25,464	8.1	0.9
2004-05	1,03,924	29.4	3.3	29,164	8.6	0.9
2005-06	1,04,158	29.1	2.9	33,976	9.3	0.9
2006-07	1,16,431	27.5	2.8	41,807	9.8	1.0
2007-08 (सं.अ.)	1,39,395	27.6	3.0	48,635	9.5	1.0
2008-09 (ब.अ.)	1,63,915	29.4	3.1	54,950	9.8	1.0

सं.अ.:संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान

टिप्पणी : 1 विवरण 44 और 45 में राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत है। प्रत्येक वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या भिन्न है।

2 राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आंकड़े (स्तंभ 3 और 6) उस वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या पर आधारित है।

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

IV.3.10 राज्य सरकारों का योजना परिव्यय

2008-09 के दौरान राज्य सरकारों का अनुमोदित योजना परिव्यय 2,93,664 करोड़ रुपए (सघउ का 5.5 प्रतिशत) रखा गया है अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। यह नोट किया जा सकता है कि पिछले वर्ष के 90.2 प्रतिशत की तुलना में गैर विशेष वर्गों के राज्यों का कुल अनुमोदित योजना परिव्यय 2008-09 के दौरान 91.0 प्रतिशत है। राज्य सरकारों के योजना परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा विवरण 30 में दिया गया है।

IV.4 मूल्यांकन

IV.4.1 समेकित स्थिति

महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों में कमी के अर्थ में राज्य वित्तों में स्थिर और क्रमिक सुधार 2008-09 के लिए राज्य बजटों में जारी रहने की कल्पना की गयी है। सारणी 15 और चार्ट 7 में दर्शाए गये अनुसार महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों की प्रवृत्ति नब्बे के दशक की दूसरी छमाही के दौरान क्रमिक क्षरण रिकार्ड करने के पश्चात हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय राजकोषीय सुधार और समेकन दर्शाती है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र से पहले से बड़े डिवोल्यूशन और अंतरणों द्वारा समर्थित नियम-आधारित राजकोषीय नीति का अनुपालन तथा कर उछाल में सुधार ने राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों को पहले से कम स्तर पर लाने में समर्थ बनाया। अनुमान लगाया गया है कि 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति 28,426 करोड़ रुपए (सघउ का 0.54 प्रतिशत) का राजस्व अधिक्य दर्ज करायेगी। पूंजी परिव्यय और दिये जाने वाले निवल उधारो में वृद्धि के बावजूद यह 15,000 करोड़ रुपए की निवल ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों के साथ राज्यों को अपना सकल राजकोषीय घाटा 2.1 प्रतिशत पर सीमित रखने में सहायक होगा। प्राथमिक घाटा 2007-08 (सं.अ.)(सघउ का 0.11 प्रतिशत) की तुलना में 2008-09 में 810 करोड़ रुपए घटकर 4,270 करोड़ रुपए (सघउ का 0.08 प्रतिशत) होने का अनुमान लगाया गया है।

सारणी 15: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा		प्राथमिक राजस्व शेष		प्राथमिक घाटा	
1	2		3		4		5	
1999-00	54,548	(2.8)	90,099	(4.6)	9,907	(0.5)	45,458	(2.3)
2000-01	55,316	(2.6)	87,923	(4.2)	4,331	(0.2)	36,937	(1.8)
2001-02	60,398	(2.7)	94,260	(4.1)	-1,198	(-0.1)	32,665	(1.4)
2002-03	57,179	(2.3)	99,726	(4.1)	-11,848	(-0.5)	30,699	(1.3)
2003-04	63,407	(2.3)	1,20,631	(4.4)	-16,989	(-0.6)	40,235	(1.5)
(पावर बांडों के घटाकर)			94,086	(3.4)				
2004-05	39,158	(1.2)	1,07,774	(3.4)	-47,263	(-1.5)	21,353	(0.7)
2005-06	7,013	(0.2)	90,084	(2.5)	-77,011	(-2.2)	6,060	(0.2)
2006-07	-24,857	(-0.6)	77,508	(1.9)	-1,18,037	(-2.8)	-15,672	(-0.4)
2007-08 (सं.अ.)	-22,526	(-0.5)	1,07,958	(2.3)	-1,25,404	(-2.7)	5,080	(0.1)
2008-09 (ब.अ.)	-28,426	(-0.5)	1,12,653	(2.1)	-1,36,809	(-2.6)	4,270	(0.1)

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान।

टिप्पणी : 1. ऋणात्मक (-) संकेत अधिशेष दर्शाता है।
2. कोष्ठक के आंकड़े जीडीपी से प्रतिशत हैं।
3. राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड की देयताओं के लिए एकबारगी निपटानी योजना के अंतर्गत 2003-04 के दौरान सीपीएसयू को 28,984 करोड़ रुपए के पावर बांड जारी किए है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.4.2 घाटों का राज्यवार सुधार

समेकित स्तर पर सभी राज्यों ने राजस्व अधिक्य सघउ का 0.54 प्रतिशत तथा सकल राजकोषीय घाटा सघउ के 2.1 प्रतिशत पर अनुमानित किया है। तथापि, राजस्व लेखे और सकल राजकोषीय घाटे का विश्लेषण दर्शाता है कि राज्यों के बीच भारी भिन्नताएं हैं। 2008-09 के दौरान पच्चीस राज्य सरकारों ने राजस्व अधिक्य वाले बजट प्रस्तुत किये है और शेष तीन राज्यों ने राजस्व घाटे वाले बजट प्रस्तुत किये हैं। सत्रह राज्यों ने अपना सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम रहने का अनुमान लगाया है।

चार्ट 7: प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

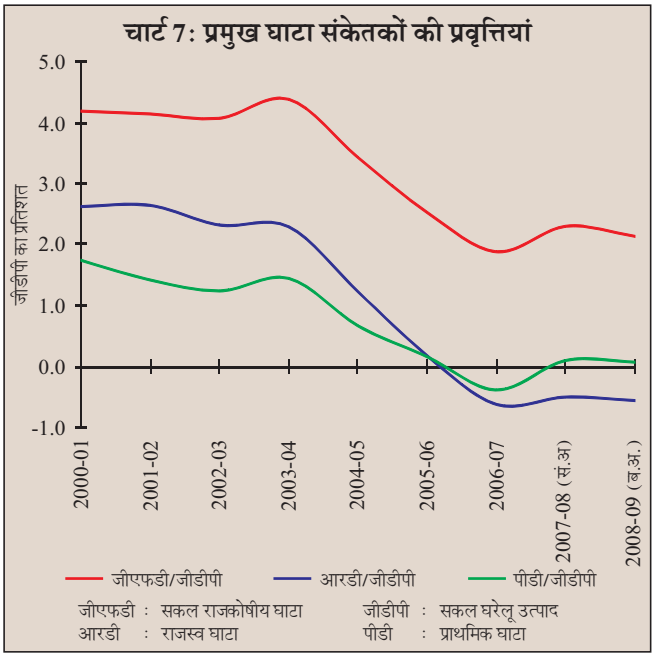

जहां तक राजस्व लेखे में समग्र सुधार की बात है, यह कुछ राज्यों के अनुमानित आधिक्य के आस-पास ही घूमता है (सारणी 16)। 2008-08 (ब.अ.) के दौरान विशेष वर्ग के राज्य राजस्व लेखे में 74.2 प्रतिशत सुधार के लिए उत्तरदायी होंगे। विशेष वर्ग के राज्यों के बीच कुछ प्रमुख योगदानकर्ता हैं, असम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड जिन्होंने क्रमशः 2063 करोड़ रुपए, 1174 करोड़ रुपए और 687 करोड़ रुपए का सुधार प्रस्तावित किया है। गैर विशेष वर्ग के राज्यों के बीच झारखंड, उत्तरप्रदेश और राजस्थान ने क्रमशः 3684 करोड़ रुपए, 1963 करोड़ रुपए, 1277 करोड़ रुपए और 936 करोड़ रुपए का सुधार राजस्व अधिशेष में अनुमानित किया है। राज्यों के समेकित राजस्व शेष में सुधार काफी हद तक पूर्व लिखित राज्यों के निष्पादन पर निर्भर करेगा।

राजस्व लेखे में सुधार के बावजूद सकल राजकोषीय घाटा 2007-08 (सं.अ.) के 1,07,958 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 1,12,653 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया है। यद्यपि, सघउ के प्रतिशत के रूप में यह 2.3 प्रतिशत से घटकर 2.1

सारणी 16: राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का राज्यवार सुधार - 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09

राज्य	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा	
	2007-08 (सं.अ.) की तुलना में सुधार (करोड़ रुपए)	कुल से प्रतिशत	2007-08 (सं.अ.) की तुलना में सुधार (करोड़ रुपए)	कुल से प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. गैर विशेष श्रेणी				
1. आंध्र प्रदेश	-259	17.0	421	5.8
2. बिहार	-820	53.8	-250	-3.5
3. छत्तीसगढ़	11	-0.7	146	2.0
4. गोवा	-222	14.6	82	1.1
5. गुजरात	2,287	-150.0	2,665	36.9
6. हरियाणा	80	-5.3	317	4.4
7. झारखंड	-3,684	241.6	-3,931	-54.5
8. कर्नाटक	1,454	-95.4	944	13.1
9. केरल	-1,277	83.8	-1,275	-17.7
10. मध्य प्रदेश	517	-33.9	243	3.4
11. महाराष्ट्र	1,795	-117.7	2,839	39.4
12. उड़ीसा	1,118	-73.4	1,423	19.7
13. पंजाब	310	-20.3	720	10.0
14. राजस्थान	-936	61.4	-319	-4.4
15. तमिलनाडु	832	-54.5	2,381	33.0
16. उत्तर प्रदेश	-1,963	128.7	1,415	19.6
17. पश्चिम बंगाल	-768	50.4	-608	-8.4
कुल (क)	**-1,525**	**100.0**	**7,214**	**100.0**
ख. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	-275	6.3	-974	38.7
2. असम	-2,063	47.2	-1,462	58.0
3. हिमाचल प्रदेश	-115	2.6	603	-23.9
4. जम्मू और कश्मीर	-1,174	26.8	-420	16.7
5. मणिपुर	10	-0.2	25	-1.0
6. मेघालय	-14	0.3	42	-1.7
7 मिजोरम	203	-4.6	-7	0.3
8. नागालैंड	-117	2.7	-259	10.3
9. सिक्किम	-19	0.4	109	-4.3
10. त्रिपुरा	-124	2.8	276	-11.0
11. उत्तराखंड	-687	15.7	-451	17.9
कुल (ख)	**-4,375**	**100.0**	**-2,519**	**100.0**
कुल योग (क+ख)	**-5,899**	**100.0**	**4,695**	**100.0**
ज्ञापन मदें:				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-1,373	–	-371	–
2. पदुचेरी	652	–	595	–

स.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान
'–' : लागू नहीं
टिप्पणी : नकारात्मक (-) चिन्ह घाटा संकेतकों में सुधार दर्शाता है।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

प्रतिशत आ जाएगा। समेकित स्तर पर सकल राजकोषीय घाटा में हुई 4,695 करोड़ रुपए की वृद्धि पूरी तरह से गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के योगदान (7,214 करोड़ रुपए) के कारण होगी, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों ने सकल राजकोषीय घाटा में (2,519 करोड़ रुपए) की कमी का अनुमान लगाया है। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र (2,839 करोड़ रुपए), गुजरात (2,665 करोड़ रुपए) और तमिलनाडु (2,381 करोड़ रुपए) ने पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि प्रस्तावित की है। तथापि, 2008-09 (ब.अ.) के दौरान झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल ने सकल राजकोषीय घाटे में क्रमशः 3,931 करोड़ रुपए, 1,275 करोड़ रुपए और 608 करोड़ रुपए का सुधार प्रस्तावित किया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में से असम (1,462 करोड़ रुपए) और उत्तराखंड (451 करोड़ रुपए) ने पिछले वर्ष की तुलना में कम सकल राजकोषीय घाटा प्रस्तावित किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश (603 करोड़ रुपए), त्रिपुरा (276 करोड़ रुपए) और सिक्किम (109 करोड़ रुपए) ने सकल राजकोषीय घाटे में वृद्धि प्रस्तावित की है। इस प्रकार, 2008-09 के दौरान राज्यों का समग्र सकल राजकोषीय घाटा काफी हद तक गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में झारखंड और केरल तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में असम के राजकोषीय निष्पादन पर निर्भर करेगा।

IV.4.3 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तीयन

पहले से बेहतर राजस्व आधिक्य तथा ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों ने राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन बदल दिया है। सभी राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर उनके समेकित सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन दर्शाता है कि राजस्व लेखे का आधिक्य 2007-08 (सं.अ.) के 20.9 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में 25.2 प्रतिशत तक सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करेगा। ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां 2007-08 (सं.अ.) के 7.8 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में सकल राजकोषीय घाटे के 13.3 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगी। तदनुसार, सकल राजकोषीय घाटे में पूंजी परिव्यय का हिस्सा 118.9 प्रतिशत से बढ़कर 128.9 प्रतिशत हो जाएगा (परिशिष्ट सारणी 16)।

एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतिया की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे के प्रमुख स्रोत बाजार उधारों, जोकि विगत कुछ वर्षों में सकल राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण का प्रमुख स्त्रोत होती थी, के रूप में उभरने के साथ ही राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप (पैटर्न) में संघटनीय परिवर्तन हुआ है। अल्प बचतों के अंतर्गत संग्रहों में तेज कमी के चलते एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों ने 2006-07 (लेखा) के 72.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सकल राजकोषीय घाटे के मात्र 8.8 प्रतिशत की वित्तपोषण किया।

अनुमानप है कि एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 2008-09 में सकल राजकोषीय घाटे के 19.6 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगी जबकि बाजार उधार सकल राजकोषीय घाटे के 56.7 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगे (सारणी 17)। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि बारहवें वित्त आयोग ने केंद्र से दिये जानेवाले ऋणों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की सिफारिश की है, लेकिन फिर भी अनुमान है कि केंद्र से दिए जानेवाले ऋण 2006-07 के 8,887 करोड़ रुपए की निवल चुकौती की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में 3,435 करोड़ रुपए की सीमा तक राज्यों के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करेंगे। अनुमान है कि 2008-09 में ऐसे ऋण बढ़कर 6,942 करोड़ रुपए हो जाएंगे (परिशिष्ट सारणी 17-18)।

IV.4.4 बजटीय आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट बनाम केंद्रीय बजट

तीन वर्षों के राज्य बजटों के साथ केंद्रीय बजट का अवलोकन करने से पता चलता है कि राज्य में सामान्यतः केंद्र से अनुदान सहायता का अधिक अनुमान लगाते हैं जबकि राज्य बजटों में बंटवारे योग्य करों की राशि कम अनुमानित की जाती है। जहां तक सकल राजकोषीय घाटे के वित्तीयन का संबंध है, 2008-09 के राज्य बजटों में एनएसएसएफ से हानेवाले प्रवाह कम अनुमानित किए गए हैं। बजट के इन शीर्षों के लिए राज्य बजटों और केंद्र बजट के अनुसार बजट अनुमानों के आंकड़ों में अंतर सारणी 18 में दिए गए हैं।

सारणी 17: सकल राजकोषीय घाटे का विखंडन और वित्तपोषण - 2006-07 (लेखा) से 2007-08 (ब.अ.)

(जीएफडी के प्रति प्रतिश)

मद	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4
विखंडन (1+2+3-4)	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1. सकल राजकोषीय घाटा	-32.1	-20.9	-25.2
2. पूंजी परिव्यय	126.5	118.9	128.9
3. दिए गए निवल उधार	8.0	9.8	9.7
4. ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	2.5	7.8	13.3
वित्तपोषण (1 से 11)	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1. बाजार उधार	16.9	58.9	56.7
2. केंद्र से ऋण	-11.5	3.2	6.2
3. अल्प बचत/राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	72.3	8.8	19.6
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंको से ऋण	5.1	6.8	6.5
5. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	13.4	11.3	11.5
6. आरक्षित निधि	9.8	-8.9	1.1
7. जमाराशि और अग्रिम	16.5	4.7	4.3
8. उचंत और विविध	6.0	-4.5	-1.6
9. विप्रेषण	-0.4	-0.3	0.1
10. अन्य	-7.1	-2.2	-2.2
11. समय अधिशेष (-) / घाटा (+)	-21.1	22.3	-2.1

स.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ.: अनुमान

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी की टिप्पणियां देखें।

2 'अन्य' में क्षतिपूर्ति व अन्य बांड, संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर-राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

2008-09 के राज्य बजटों में केंद्र से साझा योग्य करों के 5,618 करोड़ रुपए के कम आकलन तथा 24,129 करोड़ तक

सारणी 18: बजट आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट और केंद्रीय बजट

(राशि करोड़ रुपए)

मदें	2006-07 (ब.अ.)			2007-08 (ब.अ.)			2008-09 (ब.अ.)		
	राजस्व बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *	राजस्व बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *	राजस्व बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. केंद्र से मिलनेवाले साझा कर	1,09,420	1,13,448	-4,028 -(3.6)	1,36,184	1,42,450	-6,267 -(4.4)	1,73,147	1,78,765	-5,618 -(3.1)
2. सहायता अनुदान	99,291	83,098	16,193 (19.5)	1,17,320	99,583	17,737 (17.8)	1,43,030	1,18,901	24,129 (20.3)
3. केंद्र से ऋण (निवल)	4,827	-2,507	7,334 -(292.6)	6,485	2,984	3,501 (117.3)	6,942	1,479	5,463 (369.3)
4. एनएसएसएफ (निवल)	59,141	83,490	-24,349 -(29.2)	53,679	46,990	6,689 (14.2)	22,044	18,626	3,418 (18.4)

ब.अ.: बजट अनुमान

*: (-)/ सकारात्मक (+) संकेत केंद्रीय बजट के अनुमानों की तुलना में राज्य बजटों में राज्य बजटों में कम आकलन/अधिक आकलन बताते हैं।

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े केंद्रीय बजट की तुलना में घटबढ़ हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार के बजट दस्तावेज।

अधिक अनुदानों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व प्राप्तियों का स्तर राज्य सरकारों द्वारा बजट में अनुमानित स्तर से भिन्न होगा। अतः राज्य सरकारों द्वारा बजटों में लगाए गए अनुमानों से राज्यों का राजस्व अधिशेष और सकल राजकोषीय घाटा भिन्न होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों के राजस्व अधिशेष की समेकित स्थिति (2008-09 के उनके बजटों के अनुसार) 0.5 प्रतिशत अनुमानित की गई है जबकि सकल राजकोषीय घाटा 2.1 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। 2008-09 के केंद्रीय बजट के साथ राज्य बजटों का मूल्यांकन दर्शाती है कि सहायता अनुदान 20.3 प्रतिशत अधिक अनुमानित किए गए है और साझा योग्य केंद्रीय कर 3.1 प्रतिशत कम अनुमानित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2008-09 के आंकड़ों के सामायोजन पर राज्य सरकारों का राजस्व अधिशेष 9,915 करोड़ रुपए पर कम होगा (सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत)। तदनुरूप से सकल राजकोषीय घाटा 1,31,164 करोड़ रुपए पर अधिक रखा जाएगा (सकल राजकोषीय घाटा का 2.5 प्रतिशत)।

सकल राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण के संबंध में केंद्र से ऋण एवं अग्रिमों तथा प्रतिभूतियों की जमानत पर एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का 2008-09 के राज्य बजटों में क्रमशः 5,463 करोड़ रुपए और 3,418 करोड़ रुपए अधिक अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य सरकारों की इन बजट मदों के ऐसे अधिक/कम अनुमान लगाने के कारण सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन पैटर्न विकृत हो जाता है। केंद्र से ऋणों के आंकड़ों और 2008-09 के केंद्रीय बजट के आधार पर एनएसएसएफ से प्रवाहों तथा बाजार उधारों के आबंटन (रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार) को हिसाब में लेते हुए राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटा का समेकित वित्तीयन पैटर्न सारणी 19 में दिया गया है। सकल राजकोषीय घाटा के वित्तीयन में एनएसएसएफ, बाजार उधारों तथा

सारणी 19: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2008-09 (समायोजित)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09 (ब.अ.)		घट-बढ़	
	राज्य बजट	समायोजित	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)	**1,12,653**	**1,31,164**	**18,511**	**16.4**
	(100.0)	**(100.0)**		
1. बाजार उधार*	63,842	57,103	-6,739	-10.6
	(56.7)	(43.5)		
2. केंद्र से उधार@	6,942	1,479	-5,463	-78.7
	(6.2)	(1.1)		
3. एनएसएसएफ को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां@	22,044	18,626	-3,418	-15.5
	(19.6)	(14.2)		
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	7,360	7,360	–	–
	(6.5)	(5.6)		
5. अल्प बचत और भविष्य निधि, आदि	13,001	13,001	–	–
	(11.5)	(9.9)		
6. प्रारक्षित निधियां	1,203	1,203	–	–
	(1.1)	(0.9)		
7. जमाराशि और अग्रिम	4,813	4,813	–	–
	(4.3)	(3.7)		
8. उचंत और विविध	-1,851	-1,851	–	–
	-(1.6)	-(1.4)		
9. विप्रेषण	85	85	–	–
	(0.1)	(0.1)		
10. अन्य	-2,429	-2,429	–	–
	-(2.2)	-(1.9)		
11. समग्र आधिक्य (-)/घाटा (+)	-2,358	31,774	34,132	-1,447.6
	-(2.1)	(24.2)		

* : आंकड़े 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटनों के अनुसार समायोजित किये गये हैं।

@ : आंकड़े केंद्रीय बजट 2008-09 के अनुसार समायोजित किये गये हैं। ब.अ. : बजट अनुमान '–' : शून्य

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े जीएफडी का प्रतिशत हैं।

2. 'अन्य' में क्षतिपूर्ति और अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज तथा रिज़र्व बैंक के अभिलेख।

केंद्र से ऋण प्रवाह के हिस्से में गिरावट आई हैं। इस प्रकार, केंद्रीय बजट की तुलना में राज्यों के बजटों के बजट अनुमानों में अंतर सही अर्थों में राजकोषीय विश्लेषण करने में समस्याएं खड़ी करता है।

V. राजकोषीय निष्पादन का राज्य-वार मूल्यांकन

राज्य सरकारों के समेकित आंकड़ों पर आधारित विश्लेषपण उस घट-बढ़ को छुपा लेता है जो राज्यों के बीच मौजूद रहता है। इस खंड में 2004-07(औसत) की तुलना में 2007-08 के लिए संशोधित अनुमानों के आधार पर राजकोषीय स्थिति का राज्यवार मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। यह विश्लेषण विभिन्न राजकोषीय संकेतकों पर आधारित है जिन्हें मौटे तौर पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, (i) घाटा संकेत (ii) राजस्व लेखा (iii) व्यय स्वरूप (राजस्व और पूंजी दोनों) और (iv) प्रति व्यक्ति व्यय। पहले तीन भागों में राजकोषीय संकेतक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी9) के अर्थ में व्यक्त किये गये हैं जबकि चौथे भाग में जीएसडीपी के अलावा सकल व्यय और जनसंख्या10 राजकोषीय चरों के लिए हर के रूप में भी उपयोग की गयी है। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के राजकोषीय चरों से संबंधित आंकड़े भी ज्ञापन मद के रूप में इन सारणियों में दिये गये हैं। विभिन्न राजकोषीय संकेतकों से संबंधित राज्य-वार विस्तृत आंकड़े विवरण 1 से 48 में दिये गये हैं।

V.1 राज्य सरकारों से घाटा संकेतक

इस खंड में 2004-07 (औसत) से 2007-08 (सं.अ.) की अवधि के दौरान राज्यों के घाटा संकेतकों अर्थात राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) का विश्लेषण किया गया है। गैर विशेष और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए जीएसडीपी से अनुपात के रूप में आरडी, जीएफडी, पीडी और प्राथमिक राजस्व संतुलन (पीआरबी) से संबंधित आंकड़े सारणी 20 (विवरण 1 से 5 भी देखें) में दिये गये हैं।

V.1.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्य

यद्यपि अधिकांश राज्यों ने 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व घाटा समाप्त करने के संबंध में बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य को हासिल कर लिया है लेकिन फिर भी राज्य-वार विश्लेषण एक भिन्न स्थिति दर्शाता है। गैर विशेष श्रेणी के सत्रह राज्यों में से 2004-07 (औसत) के दौरान सात राज्यों की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में तेरह राज्यों ने राजस्व अधिशेष रिकार्ड किया है। चार राज्यों यथा केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पंजाब में 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व घाटा दर्ज किया था। यद्यपि कर्नाटक और तमिलनाडु राजस्व अधिशेष में बने हुए थे लेकिन फिर भी 2004-07(औसत) की अपनी संबंधित स्थिति की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राजस्व खातों ने क्षरण दर्ज किया।

2007-08 में बिहार में जीएसडीपी के 3.6 प्रतिशत पर सर्वोच्च राजस्व अधिशेष दर्ज किया उसके बाद छत्तीसगढ़ (जीएसडीपी का 2.6 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (जीएसडीपी का 2.6 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (जीएसडीपी का 2.4 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 8)। इन राज्यों का उच्च स्तरीय राजस्व अधिशेष इन्हें अपना पूंजी व्यय वित्त पोषित करने में सहायक होगा और इस प्रकार उधार ली गयी निधियों पर से निर्भरता कम करेगा। इस इंद्रधनुष के दूसरे छोर पर केरल ने जीएसडीपी के 3.1 प्रतिशत का सर्वोच्च राजस्व घाटा दर्ज किया जिसके बाद पश्चिम बंगाल (जीएसडीपी का 2.6 प्रतिशत), झारखंड (जीएसडीपी का 1.9 प्रतिशत) और पंजाब (जीएसडीपी का 1.2 प्रतिशत) का स्थान रहा।

2007-08 (सं.अ.) में 9 राज्यों ने जीएफडी -जीएसडीपी की अनुपात को 3 प्रतिशत तक घटाकर टीएफसी लक्ष्य हासिल कर लिया जो कि संस्तुत समय सीमा से 2 वर्ष पहले। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में 7 राज्यों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात नीचे आ गया है। उन राज्यों के बीच जहां इसी अवधि के दौरान जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दिखाई दी है, झारखंड, केरल और गोवा की स्थिति ध्यान देने योग्य है क्योंकि जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के संबंध में टीएफसी लक्ष्य से वे

9 इस अध्ययन में उपयोग किया गया वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद मुख्य रूप से केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से लिया गया है। जहां कहीं भी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के पास आंकड़ें नहीं थे वहां संबंधित राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों में दिये गये अनुमानों से लेकर उपयोग किये गये हैं जो उन्होंने रिजर्व बैंक को भेजे थे। इसके अलावा, जहां कही भी ये संबंधित राज्य सरकार से नहीं मिले थे वहां तीन वर्ष की वार्षिक औसत वृद्धि दर के आधार पर अनुमानित किये गये हैं।

10 वर्ष 2007-08 के लिए भारत की जनगणना द्वारा राज्यवार जनसंख्या के आंकड़े इस अध्ययन में उपयोग किये गये हैं।

सारणी 20: राज्य सरकारों के घाटा संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	2004-07 (औसत)*				2007-08 (सं.अ.)			
	आरडी/ जीएसडीपी	जीएफडी/ जीएसडीपी	पीआरबी/ जीएसडीपी	पीडी/ जीएसडीपी	आरडी/ जीएसडीपी	जीएफडी/ जीएसडीपी	पीआरबी/ जीएसडीपी	पीडी/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	0.1	3.2	-2.9	0.2	-0.1	3.0	-2.9	0.2
2. बिहार	-1.4	3.2	-5.7	-1.1	-3.6	3.4	-7.3	-0.2
3. छत्तीसगढ़	-2.5	1.1	-4.5	-0.9	-2.6	2.6	-4.3	1.0
4. गोवा	0.1	4.4	-3.0	1.4	0.0	4.6	-2.9	1.7
5. गुजरात	0.6	3.3	-2.4	0.3	-0.8	1.7	-3.3	-0.8
6. हरियाणा	-0.7	0.2	-2.8	-1.8	-1.0	1.2	-2.6	-0.4
7. झारखंड	2.0	7.3	0.8	6.0	1.9	8.0	-0.6	5.5
8. कर्नाटक	-1.6	2.4	-3.9	0.0	-1.4	2.8	-3.6	0.6
9. केरल	2.7	3.5	-0.6	0.3	3.1	4.6	-0.1	1.4
10. मध्य प्रदेश	-1.4	4.0	-4.6	0.9	-2.4	3.2	-5.3	0.2
11. महाराष्ट्र	1.1	3.8	-1.1	1.5	-0.5	1.8	-2.6	-0.3
12. उड़ीसा	-0.8	0.5	-5.1	-3.8	-1.6	1.1	-5.5	-2.8
13. पंजाब	2.0	3.4	-1.6	-0.2	1.2	3.6	-1.9	0.5
14. राजस्थान	0.6	4.1	-3.6	-0.1	-0.1	3.3	-3.7	-0.3
15. तमिलनाडु	-0.5	1.8	-2.7	-0.4	-0.3	2.5	-2.4	0.4
16. उत्तर प्रदेश	0.6	4.0	-3.2	0.2	-2.6	3.0	-5.8	-0.2
17. पश्चिम बंगाल	3.4	4.5	-0.9	0.2	2.6	3.9	-1.1	0.2
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	-8.8	6.4	-14.2	1.1	-17.6	9.2	-22.6	4.2
2. असम	-1.8	0.7	-4.4	-1.8	-0.1	4.3	-2.7	1.8
3. हिमाचल प्रदेश	1.3	4.7	-5.1	-1.7	0.1	4.2	-5.3	-1.3
4. जम्मू और कश्मीर	-6.6	5.0	-11.2	0.4	-6.9	8.1	-13.2	1.8
5. मणिपुर	-5.3	7.0	-9.9	2.4	-15.9	1.5	-19.9	-2.5
6. मेघालय	-1.2	3.0	-4.1	0.1	-6.7	1.1	-9.6	-1.9
7. मिजोरम	-5.1	10.2	-12.4	2.9	-11.8	4.2	-17.3	-1.3
8. नागालैंड	-4.5	3.6	-8.5	-0.5	-5.6	6.0	-9.1	2.6
9. सिक्किम	-10.9	8.2	-16.7	2.4	-18.9	11.6	-24.5	5.9
10. त्रिपुरा	-6.7	0.9	-10.7	-3.1	-5.8	4.7	-9.2	1.3
11. उत्तराखंड	0.5	6.6	-2.8	3.3	-3.2	4.7	-6.6	1.2
सभी राज्य #	**0.3**	**2.6**	**-2.2**	**0.2**	**-0.5**	**2.3**	**-2.7**	**0.1**
ज्ञापन मदें :								
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-3.6	0.6	-5.3	-1.1	-3.8	1.7	-5.7	-0.2
2. पदुचेरी	0.3	5.6	-2.7	2.6	3.4	7.3	0.3	4.2

स.अ. : संशोधित अनुमान
आरडी : राजस्व घाटा
जीएफडी : प्राथमिक राजस्व संतुलन
पीडी : प्राथमिक घाटा
पीआरबी : सकल राजकोषीय घाटा
जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 से संबंधित हैं।
# : सभी राज्यों के आंकड़े सघउ के प्रतिशत के रूप में हैं।
टिप्पणी : नकारात्मक (-) चिह्न आधिक्य दर्शाता है।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

अभी भी दूर हैं। उड़ीसा ने 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी के 1.1 प्रतिशत का न्यूनतम जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया है, उसके बाद हरियाणा (जीएसडीपी का 1.2 प्रतिशत) गुजरात (जीएसडीपी का 1.7 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (जीएसडीपी का 1.8 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 9)। यद्यपि टीएफसी लक्ष्य हासिल करना महत्वपूर्ण है, टीएफसी लक्ष्य के लगभग आधे तक जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को घटाकर लाने का अर्थ है इन राज्यों द्वारा सुरक्षित स्थिति में पहुंचना और व्यय के वित्तपोषण हेतु उधार लेने से बचना। दूसरी ओर झारखंड की स्थिति 2007-08 (सं.अ.) में 8.0 प्रतिशत के जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के साथ उसे एकदम अलग खड़ा करती है। 2007-08 (सं.अ.) में केरल और गोवा ने 4.6 प्रतिशत का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद पश्चिम बंगाल (3.9 प्रतिशत) का स्थान रहा।

2007-08 (सं.अ.) में पूंजी परिव्यय 13 राजस्व आधिक्यवाले राज्यों की संबंधित सकल राजकोषीय घाटे से अधिक

चार्ट 8: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/आधिक्य (-)

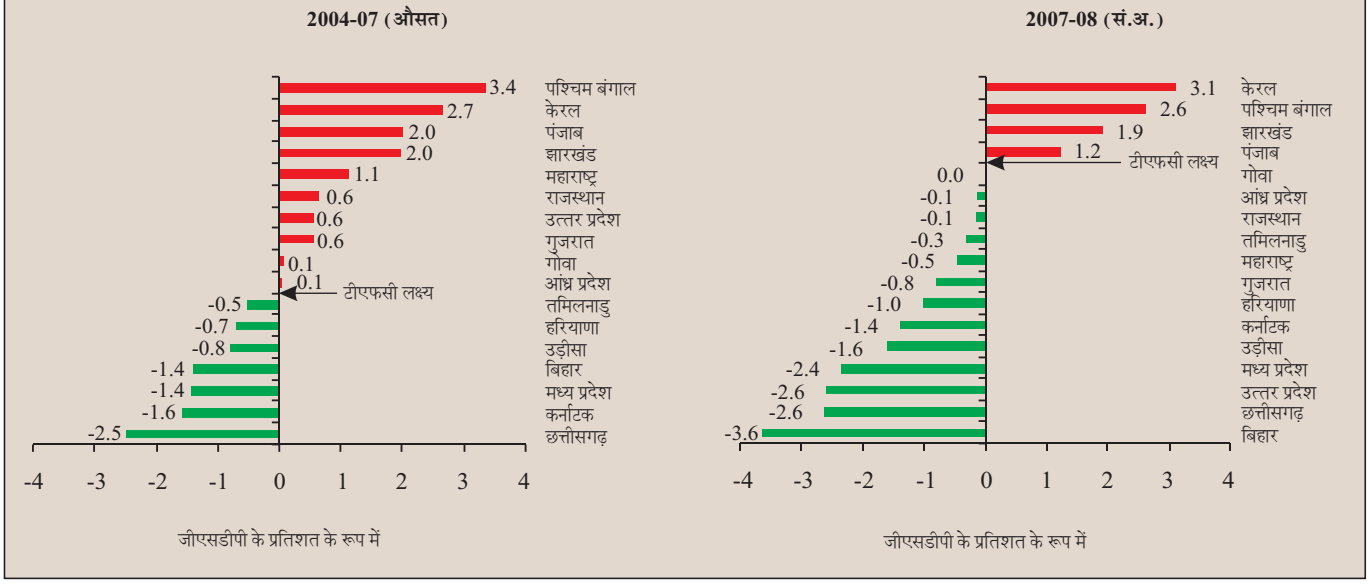

था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश (8,200 करोड़ रुपए) और कर्नाटक (200 करोड़ रुपए) में विनिवेश और भूमि तथा संपत्ति की बिक्री से एकल प्राप्तियों ने भी इन राज्य सरकारों को 2007-08 (सं.अ.) में अपनी सकल राजकोषीय घाटे नीचे लाने में सहायता दी।

2007-08 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने प्राथमिक राजस्व आधिक्य (पीआरएस) दर्ज किया। तथापि, 4 राज्यों यथा केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पंजाब में प्राथमिक राजस्व आधिक्य और राजस्व घाटा दोनों की मौजूदगी का निहितार्थ यह है कि 2007-08 (सं.अ.) में इन राज्यों में पीआरएस इतना नहीं था कि उससे ब्याज भुगतान देयताओं का वित्तपोषण किया जा सके। 2007-08 (सं.अ.) में पीआरएस में केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब में क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 25.1 प्रतिशत, 28.9 प्रतिशत और 61.2 प्रतिशत के ब्याज भुगतानों का वित्तपोषण किया (चार्ट 10)। यह तथ्य इन राज्यों में और राजकोषीय सुधार तथा राजस्व लेखे के संबंध में समेकन हेतु राजस्व बढ़ाने की महत्व को रेखांकित करता है।

चार्ट 9 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

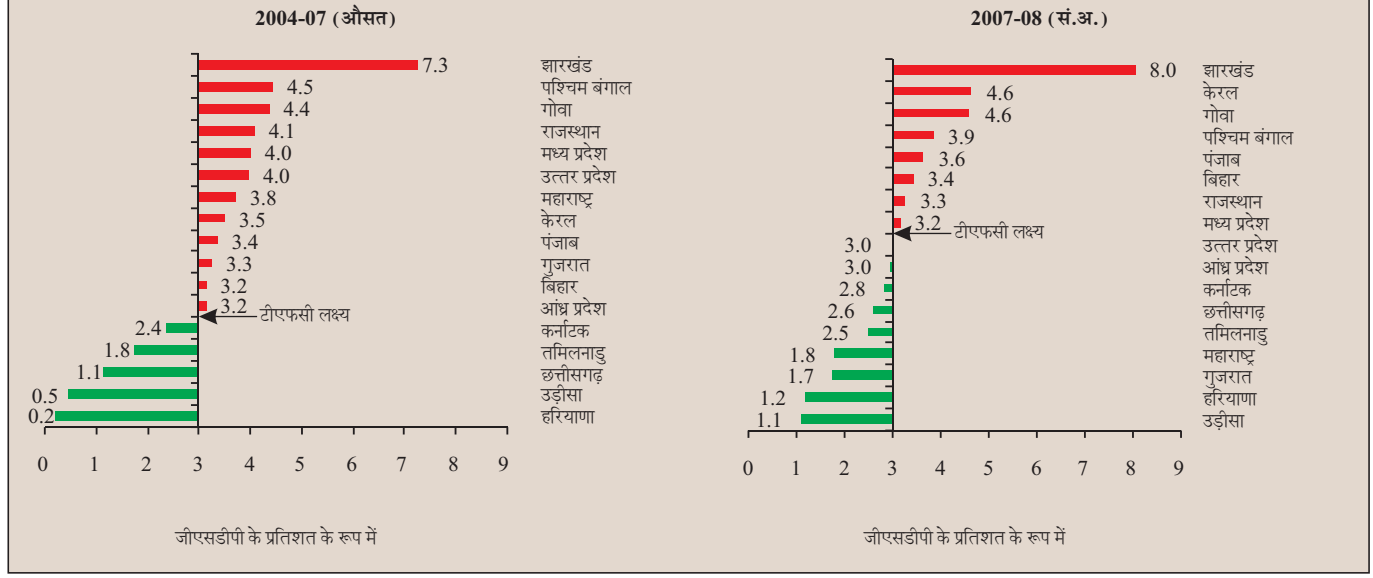

चार्ट 10:गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व आधिक्य के द्वारा ब्याज भुगतानों का वित्तपोषण

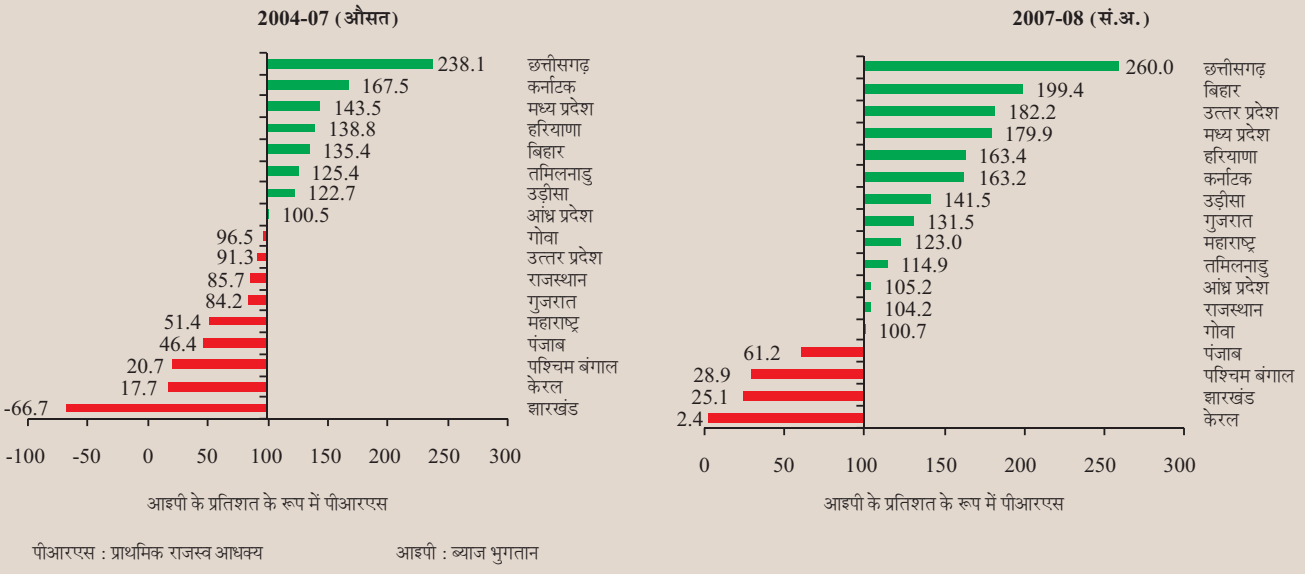

गैर विशेष श्रेणी के 17 राज्यों में से 7 राज्यों ने 2007-08 (सं.अ.) में प्राथमिक आधिक्य दर्ज कराया। उड़ीसा ने जीएसडीपी के 2.8 प्रतिशत का सर्वोच्च प्राथमिक आधिक्य दर्ज किया और उसके बाद गुजरात (0.8 प्रतिशत) का स्थान रहा। झारखंड ने जीएसडीपी के 5.5 प्रतिशत का सर्वोच्च प्राथमिक घाटा दर्ज किया और उसके बाद गोवा (1.7 प्रतिशत) और केरल (1.4 प्रतिशत) का स्थान रहा।

V.1.2 विशेष श्रेणी के राज्य

2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के 11 राज्यों के बीच हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने 2004-07 (औसत) के दौरान 9 राज्यों की तुलना में राजस्व अधिशेष दर्ज किया (सारणी 20, चार्ट 11)। तथापि, असम और त्रिपुरा ने 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08(सं.अ.) में कमतर राजस्व अधिशेष दर्ज किया। 2007-08(सं.अ.) में सिक्किम ने जीएसडीपी के 18.9

चार्ट 11: विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/आधिक्य (-)

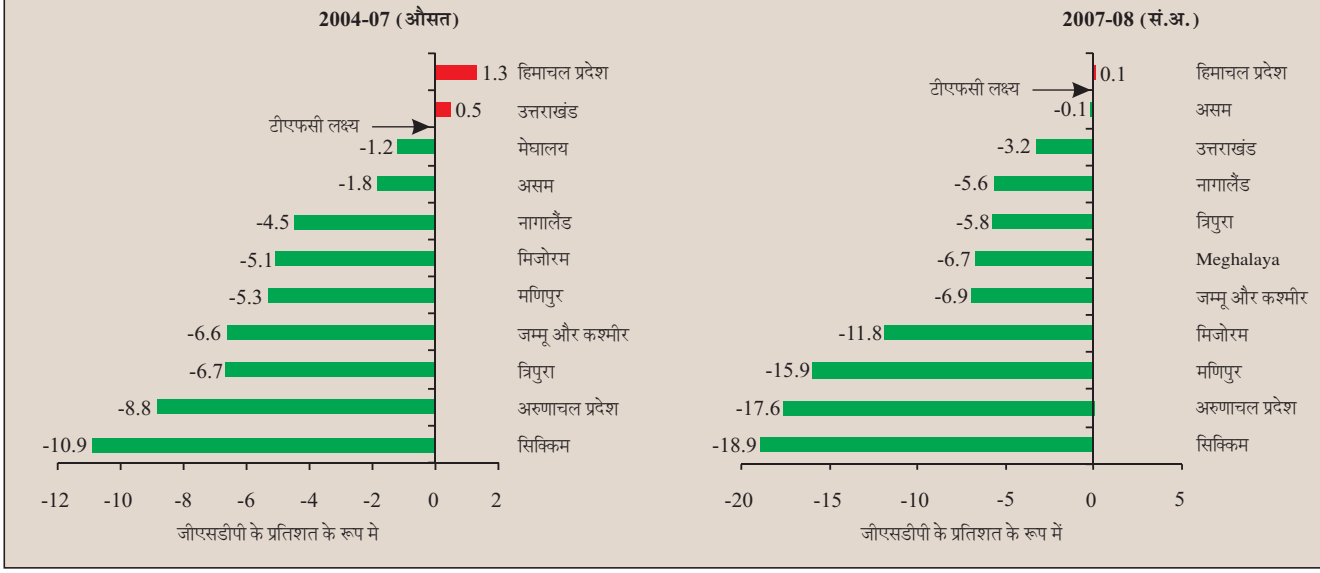

चार्ट 12: विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

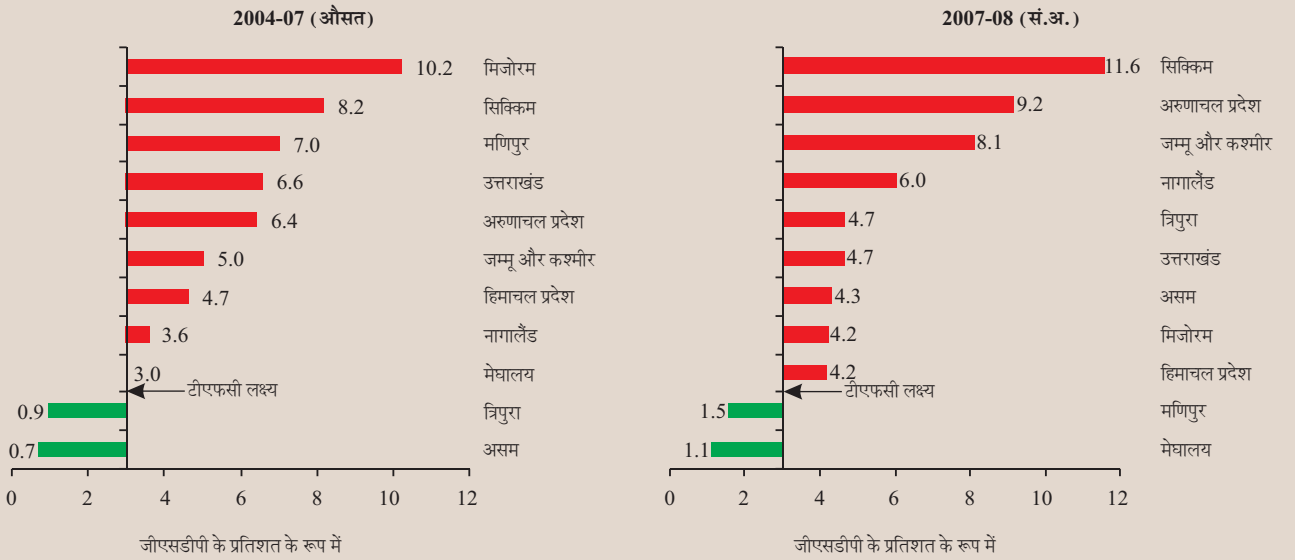

प्रतिशत का सर्वोच्च राजस्व आधिक्य दर्ज किया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (17.6 प्रतिशत), मणिपुर (15.9 प्रतिशत) और मिज़ोरम (11.8 प्रतिशत) का स्थान रहा।

राजस्व लेखे में सुधार में देखी गई प्रवृत्ति के ठीक विपरीत जीएफडी में सुधार के संबंध में विशेष श्रेणी के राज्य गैर विशेष श्रेणी के राज्यों से बहुत पीछे हैं। 2007-08(सं.अ.) में मेघालय और मणिपुर को छोड़कर विशेष श्रेणी के अन्य सभी राज्यों ने 3 प्रतिशत के अधिक का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया (चार्ट 12)। विशेष श्रेणी के 11 राज्यों में से 7 राज्यों ने 2004-07 (औसत) के दौरान अपनी संबंधित स्थिति की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में उच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। सिक्किम ने 11.6 प्रतिशत का सर्वोच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (9.2 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (8.1प्रतिशत) और नागालैंड (6.0 प्रतिशत) का स्थान रहा। इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि ये सभी राज्य 3 प्रतिशत के जीएफडी-जीएसडीपी के टीएफसी लक्ष्य से बहुत दूर हैं। तथापि, भारी राजस्व आधिक्य तथा भारी सकल राजकोषीय घाटे का सह-अस्तित्व दर्शाता है कि लिए गए उधार पूंजी परिव्यय की दिशा में मोड़े गए हैं।

2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने प्राथमिक राजस्व आधिक्य (पीआरएस) दर्ज किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के अन्य सभी राज्यों में पीआरएस इतना है कि वह ब्याज भुगतान चुका सके। हिमाचल प्रदेश में अनुमान है कि पीआरएस 2007-08 (सं.अ.) में ब्याज भुगतानों के 97.4 प्रतिशत का वित्तपोषण कर सकता है। तथापि, 2007-08 (सं.अ.) में 7 राज्यों ने प्राथमिक घाटा दर्ज किया।

V.2 राज्य सरकारों का राजस्व लेखा

इस खंड में राज्य सरकारों के राजस्व लेखे, प्राप्तियां और व्यय दोनों, का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है ताकि राजस्व लेखे में सुधार की प्रक्रिया समझी जा सके। राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित संकेतक सारणी 21 में दिए गए हैं जबकि राज्य सरकारों के राजस्व व्यय से संबंधित संकेतक सारणी 22 में दिए गए हैं।

V.2.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्य

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का हिस्सा सभी राज्य सरकारों के कुल राजस्व लेखा सुधार का 23.7 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश का हिस्सा सभी राज्य सरकारों के कुल राजस्व लेखा सुधार का 3.3 प्रतिशत था और उसके बाद पूर्वोल्लिखित अवधि के दौरान बिहार (2.2 प्रतिशत) का स्थान था।

चार्ट 13: विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व आधिक्य के द्वारा ब्याज भुगतानों का वित्तपोषण

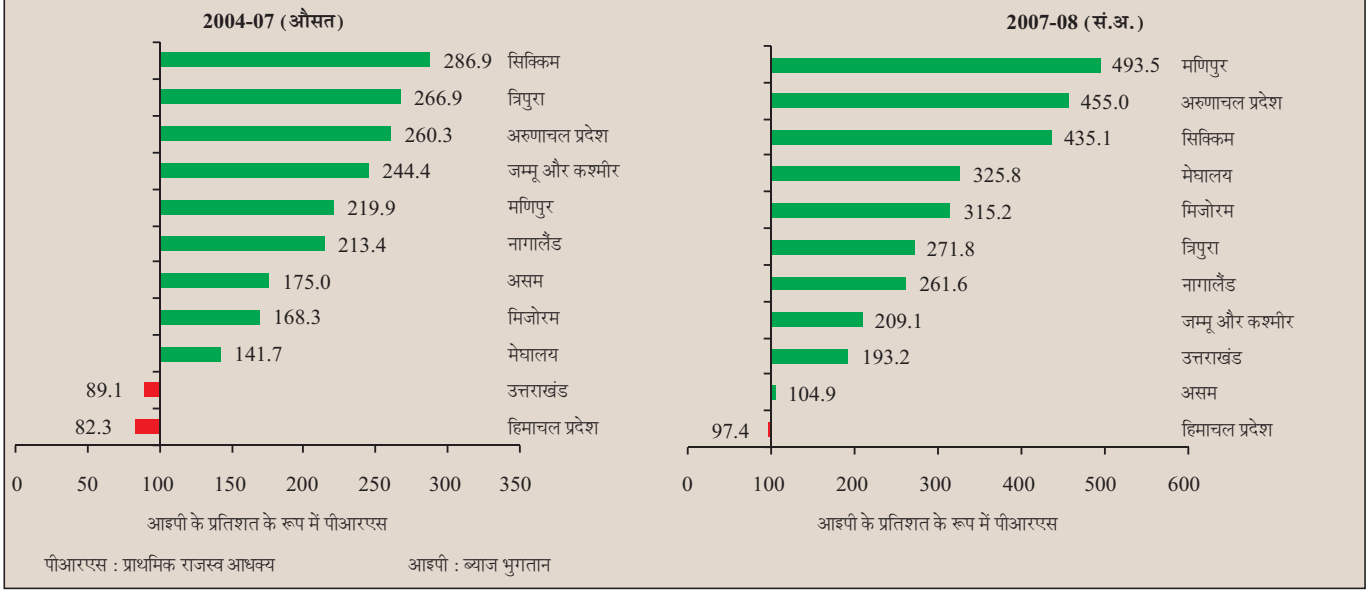

राजस्व प्राप्तियां

गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी के अर्थ में 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में बढ़ी हैं। तथापि, अधिकांश राज्यों में यह वृद्धि केंद्र से होने वाले अंतराणों के कारण है न कि उनके स्व-प्रयासों के कारण। मात्र आंध्र प्रदेश और केरल में यह वृद्धि केंद्रीय अंतरणों की तुलना में स्व-प्रयासों से राजस्व प्राप्तियों में होनेवाली वृद्धि के कारण अधिक है। कुछ राज्यों ने जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08(सं.अ.) में स्व-प्रयासों में कमी आई।आंध्र प्रदेश में 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08(सं.अ.) में अपने राजस्व प्रयासों में सर्वोच्च सुधार दर्शाया जिसके बाद उत्तर प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ का स्थान रहा (सारणी 21 और चार्ट 14)।

2007-08(सं.अ.) में बिहार ने 27.4 प्रतिशत का सर्वोच्च आरआर-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया जिसे मुख्य रूप से 22.3 प्रतिशत के सर्वोच्च सीटी-जीएसडीपी अनुपात का समर्थन प्राप्त था। उड़ीसा (20.7 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (22.1 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (21.0 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (21.2 प्रतिशत) जैसे राज्यों ने भी सापेक्षतः ऊंचे आरआर-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किए। इन सभी राज्यों ने केंद्रीय अंतरणों ने राजस्व प्राप्तियों के आधे से अधिक का योगदान दिया। तथापि, इन राज्यों के बीच उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने 2007-08 (सं.अ.) में सापेक्षतः अधिक ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात दर्शाया (सारणी 21 और विवरण 22,23 और 25)।

2007-08 (सं.अ.) में कर्नाटक का 12.6 प्रतिशत का ओटीआर-जीएसडीपी का अनुपात सर्वोच्च रहा, इसके बाद आंध्र प्रदेश (10.0 प्रतिशत), तमिलनाडु (9.8 प्रतिशत), केरल (9.4

चार्ट 14: 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में स्व-राजस्व और केंद्रीय अंतरणों में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य

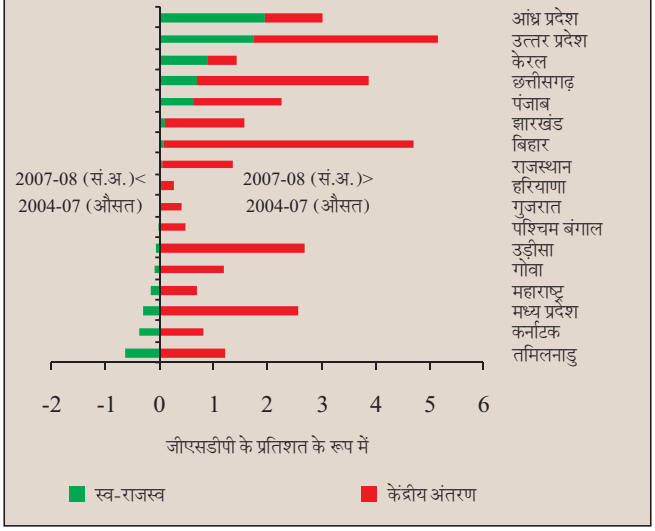

सारणी 21: राज्य सरकारों के राजस्व प्राप्तियां

(प्रतिशत)

राज्य	2004-07 (औसत)*				2007-08 (सं.अ.)			
	आरआर/ जीएसडीपी	ओटीआर/ जीएसडीपी	ओएनटीआर/ जीएसडीपी	सीटी/ जीएसडीपी	आरआर/ जीएसडीपी	ओटीआर/ जीएसडीपी	ओएनटीआर/ जीएसडीपी	सीटी/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	15.0	8.3	2.1	4.6	18.0	10.0	2.2	5.7
2. बिहार	22.7	4.4	0.6	17.7	27.4	4.7	0.4	22.3
3. छत्तीसगढ़	17.4	7.8	2.5	7.1	21.2	8.6	2.4	10.3
4. गोवा	17.4	8.6	6.4	2.5	18.5	8.4	6.4	3.7
5. गुजरात	11.5	7.2	1.7	2.7	11.9	7.3	1.5	3.1
6. हरियाणा	13.0	8.4	2.9	1.8	13.3	8.5	2.7	2.0
7. झारखंड	13.5	4.4	2.1	6.9	15.0	4.6	2.1	8.4
8. कर्नाटक	18.5	11.4	2.5	4.7	19.0	12.6	0.8	5.5
9. केरल	13.1	8.5	0.8	3.8	14.5	9.4	0.7	4.3
10. मध्य प्रदेश	18.7	7.8	2.7	8.3	21.0	8.4	1.8	10.8
11. महाराष्ट्र	11.4	7.9	1.3	2.2	11.9	8.1	1.0	2.9
12. उड़ीसा	18.1	6.3	2.2	9.6	20.7	6.6	1.9	12.3
13. पंजाब	14.4	7.5	4.3	2.6	16.7	7.6	4.9	4.2
14. राजस्थान	16.7	7.8	2.2	6.8	18.1	7.7	2.3	8.1
15. तमिलनाडु	15.1	10.3	1.2	3.6	15.6	9.8	1.0	4.8
16. उत्तर प्रदेश	16.9	6.8	1.4	8.7	22.1	8.0	2.0	12.1
17. पश्चिम बंगाल	9.7	4.5	0.5	4.7	10.1	4.5	0.5	5.2
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	64.3	2.1	7.2	55.0	87.5	2.1	15.6	69.8
2. असम	20.2	5.4	2.5	12.4	24.0	4.8	2.7	16.5
3. हिमाचल प्रदेश	24.5	5.7	3.4	15.4	24.6	6.1	3.4	15.0
4. जम्मू और कश्मीर	41.5	6.2	2.5	32.7	43.2	7.1	3.1	33.0
5. मणिपुर	40.4	1.7	1.8	36.8	49.5	2.0	2.8	44.8
6. मेघालय	27.7	3.9	2.4	21.5	42.5	4.3	2.4	35.7
7. मिजोरम	62.8	2.0	4.0	56.8	71.9	2.1	3.9	65.8
8. नागालैंड	35.3	1.6	1.4	32.3	37.6	1.5	1.3	34.8
9. सिक्किम	110.3	8.0	56.7	45.6	124.4	6.4	60.2	57.7
10. त्रिपुरा	32.2	3.2	1.3	27.8	31.6	3.3	1.0	27.3
11. उत्तराखंड	21.4	7.2	2.4	11.8	26.8	8.4	2.6	15.9
सभी राजय#	**12.1**	**5.9**	**1.4**	**4.7**	**13.3**	**6.2**	**1.3**	**5.8**
ज्ञापन मदें :								
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10.0	8.3	1.2	0.5	11.3	8.9	1.4	1.1
2. पुदुचेरी	30.8	8.7	8.8	13.2	28.4	8.6	8.2	11.5

आरई : संशोधित अनुमान आरआर : राजस्व प्राप्तियां
ओटीआर : स्व-कर राजस्व ओएनटीआर : स्व-करेतर राजस्व
सीटी : चालू अंतरण जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 से संबंधित हैं। # : सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित

प्रतिशत) का स्थान रहा। यह नोट किया जा सकता है कि 2007-08 (सं.अ.) में गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच बिहार का ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात (4.7 प्रतिशत) सबसे कम है जो स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि जीएसडीपी के अर्थ में सर्वोच्च राजस्व आधिक्य के साथ इस राज्य द्वारा हासिल किए जानेवाले राजकोषीय सुधार के पीछे केंद्रीय अंतरण महत्वपूर्ण कारक है। कुछ राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा 2007-08 (सं.अ.) में 6.8 प्रतिशत के ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात के टीएफसी लक्ष्य से नीचे थे (चार्ट 15 और विवरण 18 और 19)।

घाटा संकेतकों को नीचे लाने में गोवा (6.4 प्रतिशत का ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात और पंजाब (4.9 प्रतिशत का ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात) में ओएनटीआर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कुछ राज्यों ने जैसे कि बिहार (0.4 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (0.5 प्रतिशत), केरल (0.7 प्रतिशत) और कर्नाटक

चार्ट 15 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में स्व-कर और करेतर राजस्व - 2007-08 (सं.अ.)

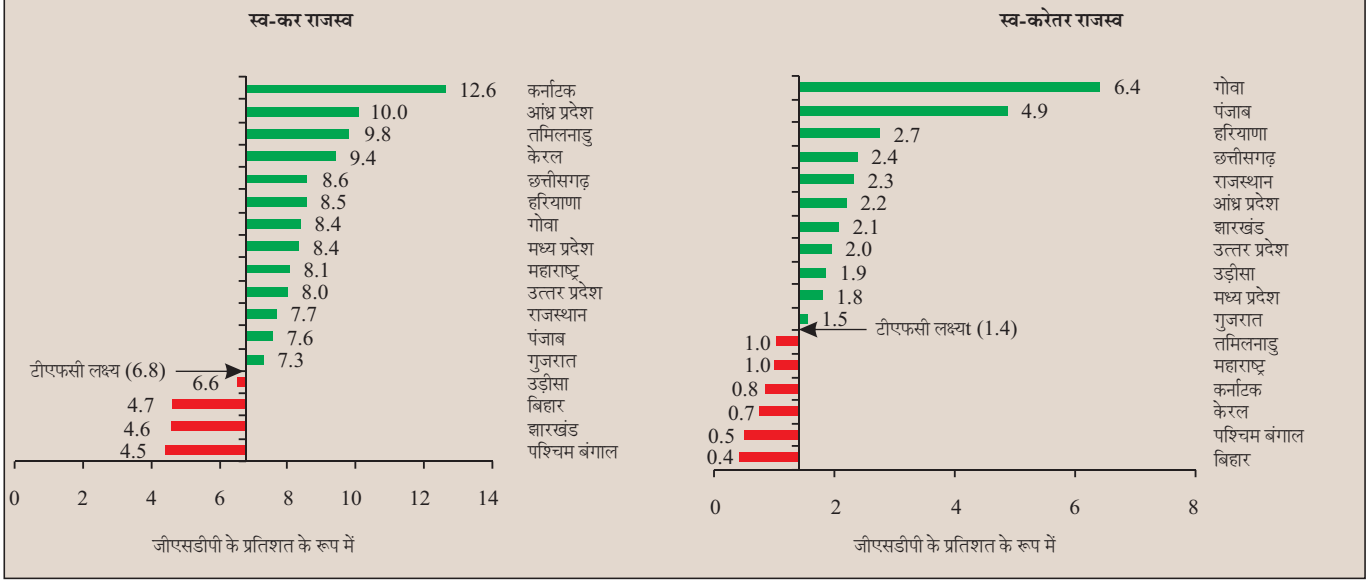

(0.8 प्रतिशत) में जीएसडीपी के अर्थ में स्व-करेतर राजस्व में निराशाजनक कार्य निष्पादन दर्शाया। छह राज्यों नामतः बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 1.4 प्रतिशत के ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात के टीएफसी लक्ष्य से नीचे थे (चार्ट 15 और विवरण 20 तथा 21)।

वैट राज्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर राजस्व जो कुल स्व कर प्राप्तियों के लगभग आधे का योगदान देता है। 2007-08 (सं.अ.) में केरल का वैट-ओटीआर अनुपात 65.9 प्रतिशत था जो कि सर्वोच्च था, उसके बाद गोवा (62.5 प्रतिशत), बिहार (61.4 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (59.7 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 16)। राज्यो के कर राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क तथा मोटर वाहन कर हैं।

राजस्व व्यय

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को छोडकर गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में जीएसडीपी से अनुपात के रूप में कुल राजस्व व्यय ने वृद्धि दर्शायी (सारणी 22)। अधिकांश राज्यों में कुल राजस्व व्यय में यह वृद्धि अधिकतर विकास व्यय में वृद्धि के कारण थी। महत्वपूर्ण रूप से उसी अवधि के दौरान गैर विकास राजस्व व्यय अधिकांश राज्यों में कम हो गया जिसने सतत राजस्व लेखा सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (चार्ट 17 तथा विवरण 12 और 13)।

2007-08 (सं.अ.) में बिहार ने 23.8 प्रतिशत का सर्वोच्च आरई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश (19.5 प्रतिशत) तथा उड़ीसा (19.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। जीएसडीपी के अर्थ में बिहार ने सर्वोच्च (13.8 प्रतिशत) विकास राजस्व व्यय (डीआरई) दर्ज किया, जिसके

चार्ट 16: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में मूल्यवर्धित कर-2007-08 (सं.अ.)

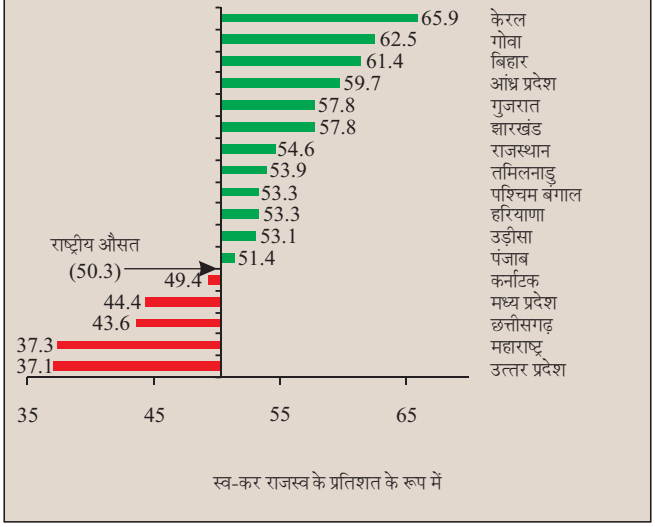

सारणी 22: राज्य सरकारों का राजस्व व्यय

(प्रतिशत)

राज्य	2004-07 (औसत)*					2007-08 (सं.अ.)				
	आरई/ जीएसडीपी	डीआरई/ जीएसडीपी	एनडीआरई/ जीएसडीपी	आइपी/ जीएसडीपी	पीएन/ जीएसडीपी	आरई/ जीएसडीपी	डीआरई/ जीएसडीपी	एनडीआरई/ जीएसडीपी	आइपी/ जीएसडीपी	पीएन/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	15.0	9.1	5.9	3.0	1.4	17.8	11.6	6.1	2.8	1.5
2. बिहार	21.3	11.2	10.1	4.3	3.0	23.8	13.8	10.0	3.7	3.0
3. छत्तीसगढ़	14.9	9.5	4.7	2.0	1.0	18.6	13.0	4.8	1.7	1.1
4. गोवा	17.5	11.8	5.7	3.0	1.2	18.5	13.0	5.5	2.9	0.9
5. गुजरात	12.1	6.9	5.1	2.9	1.0	11.1	6.6	4.5	2.5	0.9
6. हरियाणा	12.3	7.7	4.5	2.1	1.0	12.3	8.5	3.6	1.6	0.9
7. झारखंड	15.5	10.3	5.2	1.2	1.3	17.0	10.7	6.3	2.6	0.9
8. कर्नाटक	17.0	10.3	6.0	2.3	1.4	17.6	11.5	5.2	2.2	1.5
9. केरल	15.7	7.9	7.4	3.2	2.4	17.6	7.8	8.3	3.2	3.1
10. मध्य प्रदेश	17.3	9.6	6.7	3.2	1.3	18.6	10.8	6.7	3.0	1.4
11. महाराष्ट्र	12.5	7.0	5.3	2.3	0.7	11.4	7.1	4.2	2.1	0.8
12. उड़ीसा	17.3	8.4	8.7	4.3	1.7	19.1	10.4	8.3	3.9	2.0
13. पंजाब	16.4	6.8	9.4	3.6	1.5	17.9	8.2	9.2	3.2	1.5
14. राजस्थान	17.4	10.1	7.3	4.2	1.4	17.9	11.3	6.6	3.6	1.6
15. तमिलनाडु	14.5	7.7	5.9	2.2	2.0	15.3	8.3	5.9	2.1	2.3
16. उत्तर प्रदेश	17.5	8.5	8.2	3.8	1.5	19.5	10.9	7.5	3.2	1.7
17. पश्चिम बंगाल	13.1	5.9	7.0	4.2	1.5	12.8	6.4	6.2	3.7	1.3
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	55.5	38.6	16.9	5.4	2.4	69.9	53.3	16.6	5.0	2.1
2. असम	18.4	11.4	7.0	2.5	1.9	23.9	15.2	8.4	2.6	2.0
3. हिमाचल प्रदेश	25.9	14.3	11.5	6.4	2.8	24.7	13.7	11.0	5.4	3.3
4. जम्मू और कश्मीर	34.9	20.7	14.2	4.6	3.0	36.3	19.9	16.4	6.3	3.3
5. मणिपुर	35.1	21.7	13.3	4.6	3.4	33.6	20.7	13.0	4.0	3.0
6. मेघालय	26.5	16.7	9.8	2.9	1.5	35.8	25.7	10.1	2.9	1.5
7. मिजोरम	57.7	37.2	20.6	7.3	3.2	60.0	40.7	19.3	5.5	3.2
8. नागालैंड	30.8	16.2	14.6	4.1	2.6	32.0	17.5	14.5	3.5	3.0
9. सिक्किम	99.4	33.7	65.6	5.8	2.2	105.5	35.6	70.0	5.6	2.1
10. त्रिपुरा	25.6	13.7	11.4	4.0	2.6	25.8	13.6	11.6	3.4	2.7
11. उत्तराखंड	21.9	13.1	8.1	3.3	1.7	23.6	14.3	8.4	3.4	1.9
सभी राजय #	**12.4**	**6.8**	**5.3**	**2.4**	**1.2**	**12.9**	**7.2**	**5.1**	**2.2**	**1.2**
ज्ञापन मदें:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6.4	3.7	2.2	1.7	0.0	7.5	4.6	2.5	1.9	0.0
2. पुदुचेरी	31.0	24.0	7.0	3.0	1.1	31.9	24.1	7.7	3.1	1.7

सं.अ. : संशोधित अनुमान आरई : राजस्व व्यय
एनडीआरई : विकासेतर राजस्व व्यय डीआरई : विकास राजस्व व्यय
पीएन : पेंशन आईपी : ब्याज भुगतान
जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 से संबंधित हैं। # : सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी से प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

बाद छत्तीसगढ (13.0 प्रतिशत), गोवा (13.0 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (11.6 प्रतिशत) तथा कर्नाटक (11.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में हरियाणा ने जीएसडीपी के अनुपात के रूप में 3.0 प्रतिशत का न्यूनतम विकासेतर राजस्व व्यय (एनडीआरई) दर्ज किया जिसके बाद महाराष्ट्र (4.2 प्रतिशत), गुजरात (4.5 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (4.8 प्रतिशत) का स्थान रहा।

झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान नीचे आ गए। 2007-08 (सं.अ.) में हरियाणा द्वारा आइपी-जीएसडीपी अनुपात न्यूनतम (1.6 प्रतिशत) दर्ज किया गया था और इसके बाद छत्तीसगढ़ (1.7 प्रतिशत), तमिलनाडु (2.1 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (2.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। राज्यों की ब्याज अदायगियों में गिरावट में नरमी गिरती ब्याज दरों के साथ डीएसएस तथा ऋण समेकन और राहत सुविधा के

चार्ट 17: 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विकास और विकासेतर राजस्व व्यय में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य

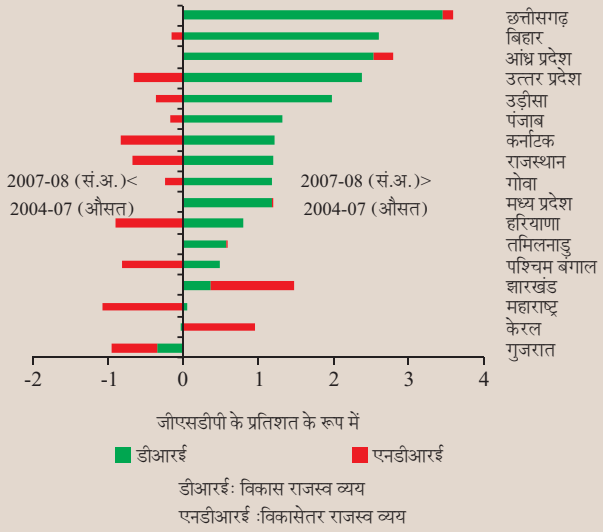

चार्ट 18: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों का संघटन - 2007-08 (सं.अ.)

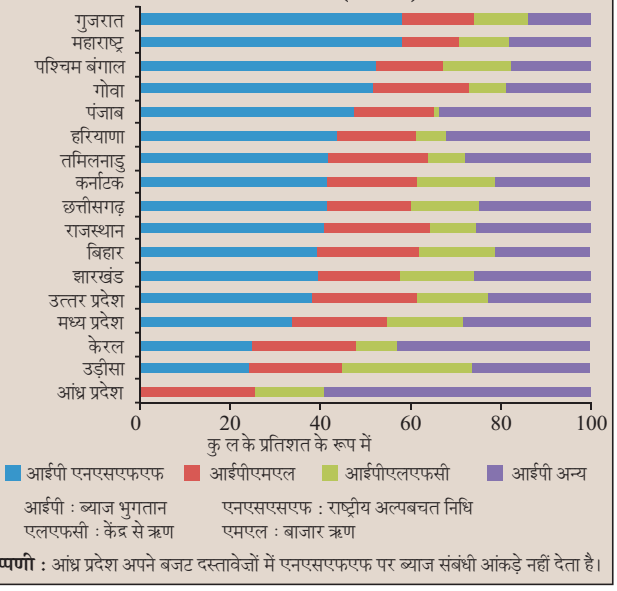

टिप्पणी : आंध्र प्रदेश अपने बजट दस्तावेजों में एनएसएफएफ पर ब्याज संबंधी आंकड़े नहीं देता है।

प्रभाव को दर्शाती है। तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान जिसे डीसीआरएफ के अधिकार क्षेत्र बाहर रखा जाता है, ने 2007-08 (सं.अ.) में अनेक राज्यों जैसे गुजरात (58.3 प्रतिशत), महाराष्ट्र (58.2 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (58.5 प्रतिशत) और गोवा (58.7 प्रतिशत) में कुल ब्याज भुगतान देयताओं के आधे से अधिक और बहुत से अन्य राज्य जैसे कि पंजाब (47.6 प्रतिशत), हरियाणा (43.9 प्रतिशत), तमिलनाडु (41.8 प्रतिशत), कर्नाटक (41.5 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (41.4 प्रतिशत) ने 40 प्रतिशत से अधिक का निर्माण किया। इसके अलावा, 2007-08 (सं.अ.) में बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतानों ने कुछ राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश (25.5 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (23.6 प्रतिशत) और केरल (23.3 प्रतिशत) में कुल ब्याज भुगतानों के लगभग एक-चौथाई हिस्से का निर्माण किया। डीसीआरएफ का केंद्र से लिए गए ऋणों पर ब्याज अदायगी से संबंधित प्रभाव पड़ा जिसने उड़ीसा को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में कुल ब्याज भुगतानों के 20 प्रतिशत से अधिक हिस्से का निर्माण किया (चार्ट 18, विवरण 17)।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पेंशनों पर किया जानेवाला व्यय उसी अवधि के दौरान कुछ राज्यों जैसे कि गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कम हो गया। 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी की पेंशन का अनुपात महाराष्ट्र सबसे कम (0.8 प्रतिशत) था। 2007-08 (सं.अ.) में 4 राज्यों यथा गोवा, गुजरात, हरियाणा और झारखंड का जीएसडीपी से पेंशन का अनुपात 0.9 प्रतिशत था जोकि कम है।

2007-08 (सं.अ.) में पश्चिम बंगाल में ब्याज भुगतानों ने राजस्व प्राप्तियों के 36.5 प्रतिशत का पूर्वक्रय कर लिया। इसके बाद केरल (22.1 प्रतिशत), गुजरात (21.2 प्रतिशत) और राजस्थान (19.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के 7 राज्यों ने आइपी-आरआर (15.0 प्रतिशत) के संबंध में टीएफसी का लक्ष्य हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का 57.0 प्रतिशत पूर्वक्रय कर लिया। इसके बाद केरल (50.9 प्रतिशत), झारखंड (39.2 प्रतिशत) और पंजाब (37.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। यह व्यय का आबंटन निर्धारित करने में राज्य सरकारों की नमनीयता घटाता है (चार्ट 19, विवरण 36)।

V.2.2 विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के राज्यों ने 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सभी राज्य सरकारों का कुल राजस्व लेखा सुधार का 76.3 प्रतिशत था।उसी अवधि के दौरान कुल राजस्व लेखे में सुधार में मणिपुर का हिस्सा 10.6 प्रतिशत था इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (8.8 प्रतिशत), सिक्किम (8.0 प्रतिशत), मिजोरम (6.7 प्रतिशत) और मेघालय (5.5 प्रतिशत) का स्थान रहा।

चार्ट 19: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों और प्रतिबद्ध व्यय द्वारा राजस्व प्राप्तियों का पूर्वक्रय - 2007-08 (सं.अ.)

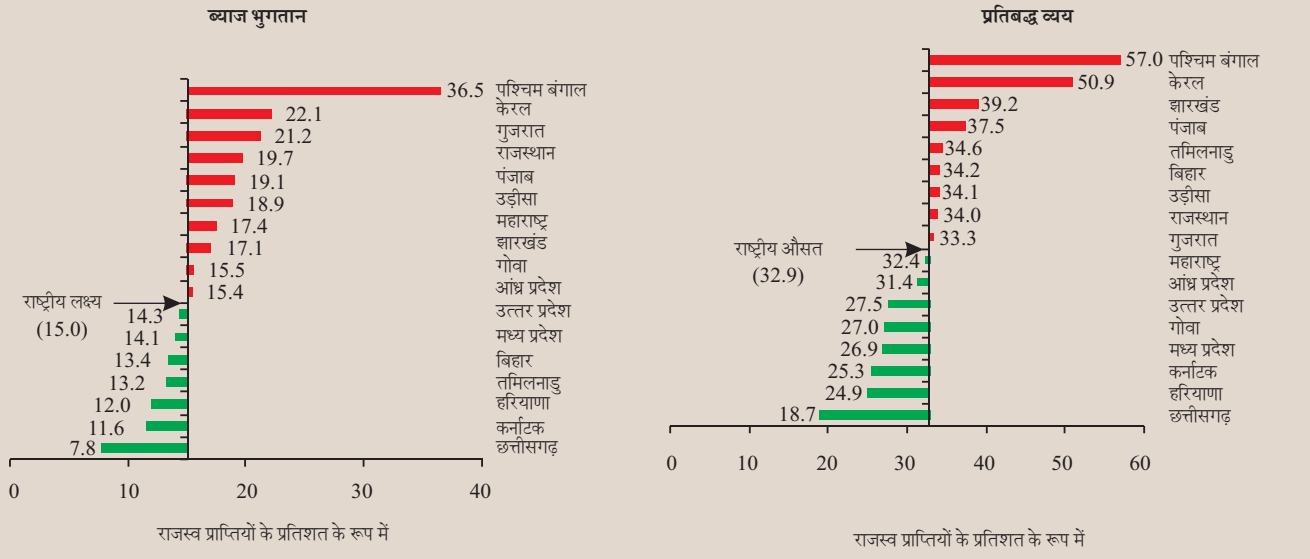

राजस्व प्राप्तियां

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच देखी गयी प्रवृत्ति के समान ही 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में जीएसडीपी के अर्थ में कुल राजस्व प्राप्तियां बढ़ीं। तथापि, 2007-08 (सं.अ.) में दो राज्यों नामतः हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा ने 2004-07 (औसत) की तुलना में सीटी-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट दर्शायी। उसी अवधि के दौरान कुछ राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिज़ोरम में स्वराजस्व प्रयास की तुलना में सीटी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि अधिक थी। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में स्वराजस्व प्रयास बढ़े। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम ने स्वराजस्व प्रयास में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की जिसके बाद उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा स्वराजस्व प्रयास में यह वृद्धि विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों जैसे कि सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और नगालैण्ड में सीटी-जीएसडीपी अनुपात में हुई वृद्धि से अधिक थी। इसका निहितार्थ यह है कि 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के राज्यों द्वारा रिकार्ड किये गये उच्च राजस्व अधिशेष में स्वराजस्व प्रयास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है (चार्ट 20 और सारणी 18 से 23)।

सिक्किम ने 2007-08 (सं.अ.) में 124.4 प्रतिशत का सर्वोच्च आरआर-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (87.5 प्रतिशत), मिज़ोरम(71.9 प्रतिशत), और जम्मू कश्मीर (43.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। सिक्किम को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में कुल राजस्व प्राप्तियों का एक बढ़ा भाग केंद्र से मौजूदा अंतरणों से निर्मित होता है। विशेष श्रेणी के अन्य राज्यों में देखी गयी प्रवृत्ति के ठीक विपरीत सिक्किम

चार्ट 20: 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में स्व-राजस्व और केंद्रीय अंतरणों में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य

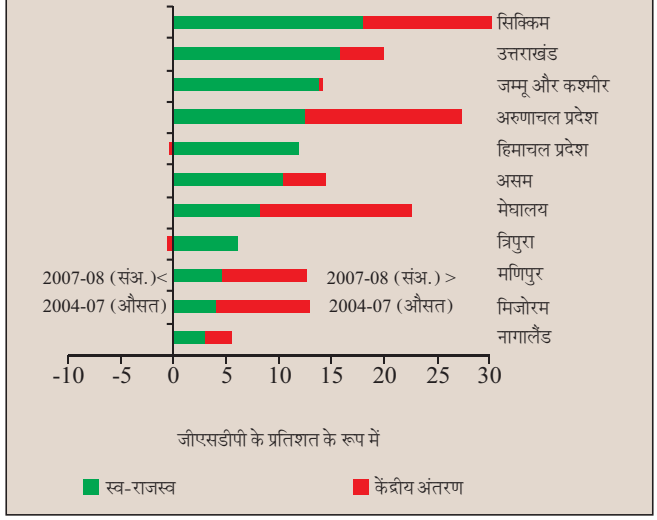

चार्ट 21 : विशेष श्रेणी के राज्यों का स्व-कर और स्व-करेतर राजस्व - 2007-08 (सं.अ.)

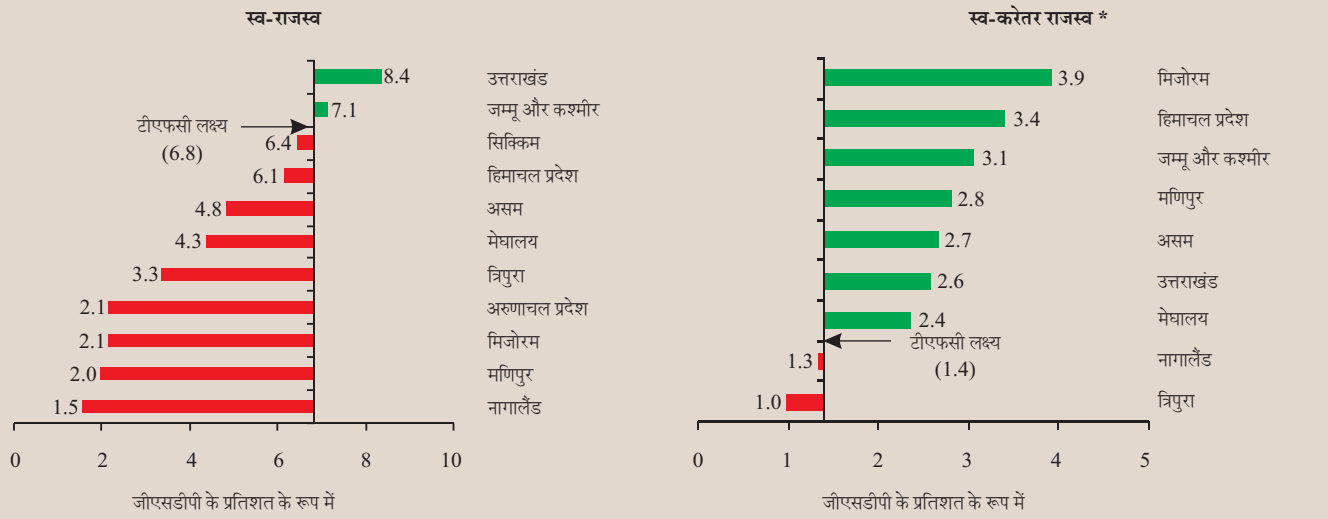

* : सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को उनके अत्यंत ऊंचे मूल्यों के कारण चार्ट से हटा दिया गया है।

में ओएनटीआर, मुख्य रूप से राज्य लॉटरियां कुल राजस्व प्राप्तियों के एक बड़े भाग (60.2 प्रतिशत) का निर्माण करती हैं। उत्तराखंड ने 2007-08 (सं.अ.) में 8.4 प्रतिशत का सर्वोच्च स्वकर प्रयास दर्ज किया इसके बाद जम्मू और कश्मीर (7.1 प्रतिशत) और सिक्किम (6.4 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 21 और विवरण 19)।

वैट ने विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में ओटीआर के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से का निर्माण किया (चार्ट 22)। 2007-08 (सं.अ.) में वैट-ओटीआर अनुपात मणिपुर में सर्वाधिक (80.5 प्रतिशत) था और उसके बाद मिज़ोरम (79.8 प्रतिशत) और अरुणाचल प्रदेश (78.6 प्रतिशत) था (चार्ट 22)।

राजस्व व्यय

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी के अर्थ में राजस्व व्यय विशेष श्रेणी के 9 राज्यों यथा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मिज़ोरम, नागालैण्ड, उत्तराखंड, सिक्किम और त्रिपुरा में बढ़ा। चार राज्यों यथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर राजस्व व्यय का विकास घटक जीएसडीपी के अर्थ में 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में बढ़ा। पांच राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा में राजस्व व्यय का विकासेतर घटक 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी के अर्थ में कम हुआ (चार्ट 23)। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में अरुणाचल प्रदेश ने डीआरई से जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की। उसके बाद मेघालय, असम और मिजोरम का स्थान रहा। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम ने एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की। उसके बाद जम्मू

चार्ट 22: विशेष श्रेणी के राज्यों में मूल्यवर्धित कर-2007-08 (सं.अ.)

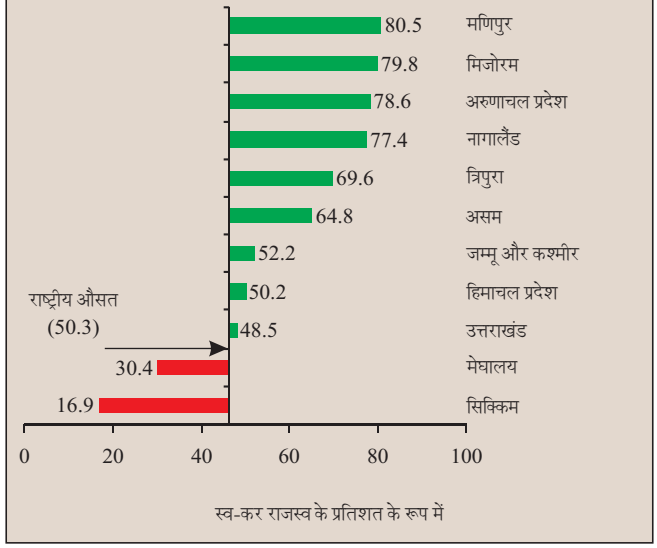

चार्ट 23: 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विकास और विकासेतर व्यय में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य

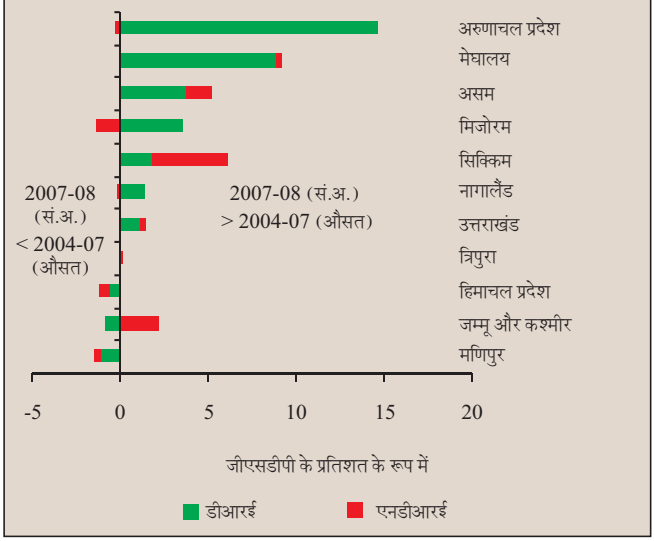

चार्ट 24: विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों का संघटन - 2007-08 (सं.अ.)

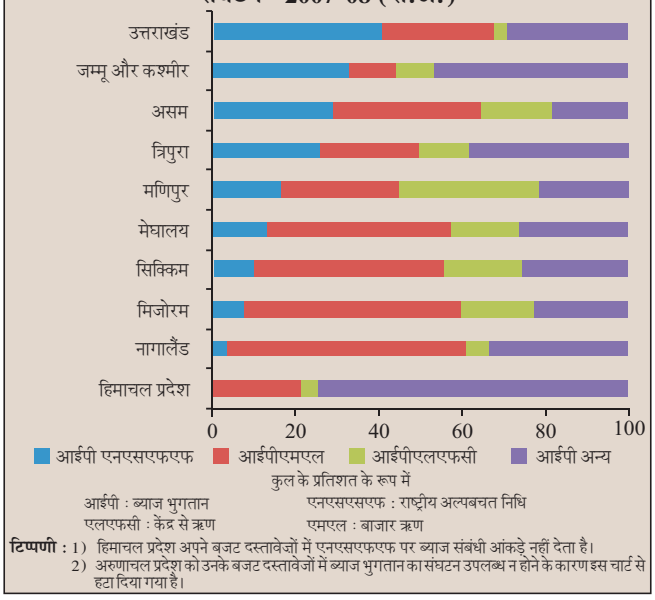

आईपी : ब्याज भुगतान
एनएसएसएफ : राष्ट्रीय अल्पबचत निधि
एलएफसी : केंद्र से ऋण
एमएल : बाजार ऋण

टिप्पणी : 1) हिमाचल प्रदेश अपने बजट दस्तावेजों में एनएसएफएफ पर ब्याज संबंधी आंकड़े नहीं देता है।
2) अरुणाचल प्रदेश को उनके बजट दस्तावेजों में ब्याज भुगतान का संघटन उपलब्ध न होने के कारण इस चार्ट से हटा दिया गया है।

और कश्मीर तथा असम का स्थान रहा। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी से अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान विशेष श्रेणी के 7 राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा में कम हो गए। तथापि, उसी अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पेंशन केवल 3 राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम में कम हुई (सारणी 22 और विवरण 12 एवं 13)।

सिक्किम ने 105.5 प्रतिशत का सर्वोच्च आरई-जीएसडीपी अनुपात दर्शाया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (69.9 प्रतिशत) तथा मिजोरम (60.0 प्रतिशत) का स्थान रहा। अरुणाचल प्रदेश ने 53.3 प्रतिशत का सर्वोच्च डीआरई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और मिजोरम (40.7 प्रतिशत) और सिक्किम (35.6 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम 70.0 प्रतिशत के एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात के साथ सबसे आगे रहा। 2007-08 (सं.अ.) में जम्मू और कश्मीर ने 6.3 प्रतिशत का सर्वोच्च आइपी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। और उसके बाद सिक्किम (5.6 प्रतिशत) तथा मिजोरम (5.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश ने 3.3 प्रतिशत का सर्वोच्च पेंशन-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया (सारणी 22)।

2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में केंद्र से ऋणों पर ब्याज भुगतानों में कुल ब्याज अदायगियों के छोटे से हिस्से का योगदान दिया (चार्ट 24)। मजे की बात यह है कि 2007-08 (सं.अ.) में आइपी-आरआर(15.0 प्रतिशत) के संबंध में टीएफसी लक्ष्य हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश में प्रतिबद्ध व्यय (जिसमें ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक सेवाएं आती हैं) ने राजस्व प्राप्तियों के 42.2 प्रतिशत का पूर्वक्रय कर लिया और उसके बाद जम्मू और कश्मीर (36.7 प्रतिशत), नागालैंड (35.9 प्रतिशत) और त्रिपुरा (33.9 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 25 और विवरण 17,36 और 37)।

V.3 राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

व्यय के आबंटन के विश्लेषण ने राज्य सरकार के स्तर पर महत्त्व प्राप्त कर लिया है क्योंकि प्रमुख व्यय उत्तरदायित्व उन्हें सौंपे गए हैं। यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चलनेवाली सुधार और समेकन की प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास तथा सामाजिक क्षेत्र की ओर निर्देशित व्यय की कीमत पर नहीं है। इस खंड में व्यय की कुछ गुणात्मक श्रेणियों यथा पूंजी परिव्यय, विकास व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय का विश्लेषण किया गया है। 2004-07 (औसत) और 2007-08 (सं.अ.) की अवधि के लिए इन व्यय श्रेणियों से संबंधित आंकड़े, गैर विशेष और विशेष दोनों ही श्रेणियों के लिए सारणी 23 में दिए गए हैं।

चार्ट 25 : विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों और प्रतिबद्ध व्यय द्वारा राजस्व प्राप्तियों का पूर्वक्रय - 2007-08 (सं.अ.)

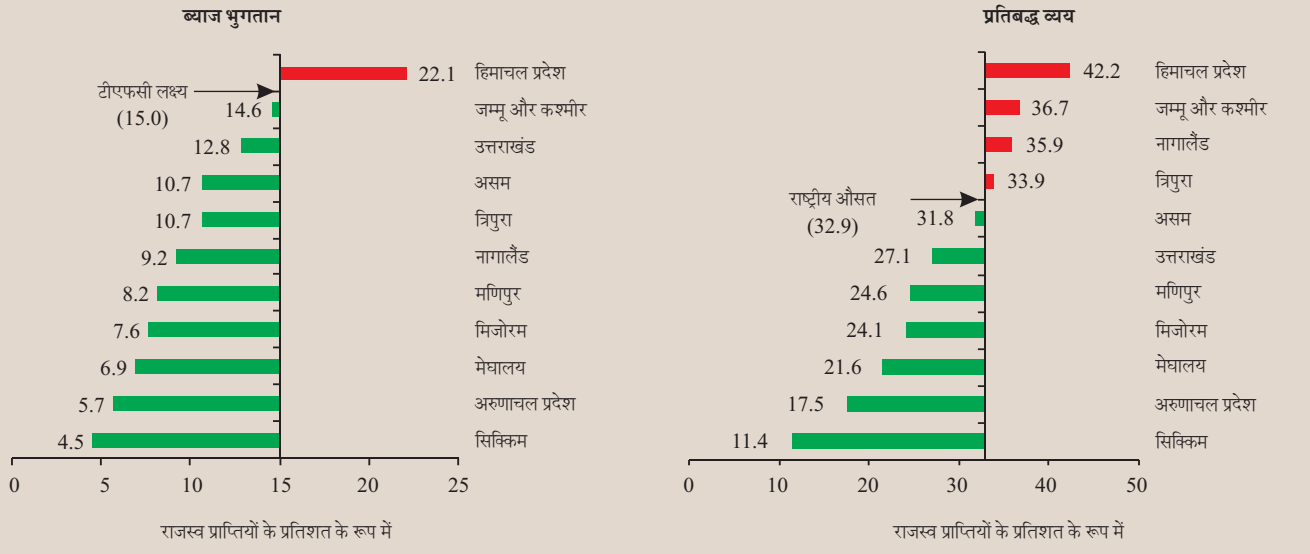

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर जीएसडीपी अनुपात के रूप में विकास व्यय गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्य में बढ़ा। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में छत्तीसगढ़ ने डीई से जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की।इसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में बिहार ने सर्वोच्च डीई से जीएसडीपी अनुपात (20.7 प्रतिशत) दर्ज किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ (18.8 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (17.4 प्रतिशत) और गोवा (16.9 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 23, चार्ट 26 और विवरण 12)।

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों ने सामाजिक क्षेत्र व्यय में उसी प्रकार की प्रवृत्ति दर्शायी। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच उसी अवधि

चार्ट 26 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय

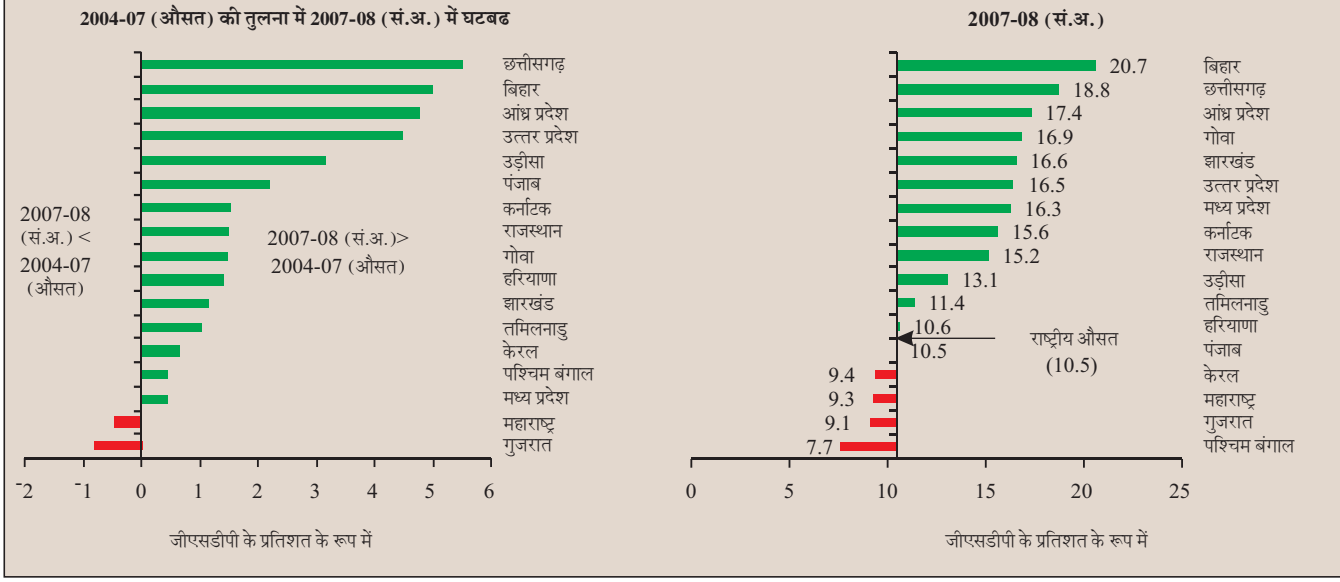

सारणी 23 : राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

(प्रतिशत)

राज्य	2004-07 (औसत)*			2007-08 (सं.अ.)		
	डीइवी/ जीएसडीपी	एसएसई/ जीएसडीपी	सीओ/ जीएसडीपी	डीइवी/ जीएसडीपी	एसएसई/ जीएसडीपी	सीओ/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	12.6	6.6	3.2	17.4	9.2	4.1
2. बिहार	15.7	10.3	3.3	20.7	13.2	6.7
3. छत्तीसगढ़	13.3	8.6	3.1	18.8	12.3	5.2
4. गोवा	15.5	7.1	4.3	16.9	7.7	4.6
5. गुजरात	10.0	5.2	2.8	9.1	5.0	2.5
6. हरियाणा	9.2	4.2	1.5	10.6	5.1	2.1
7. झारखंड	15.4	9.8	3.7	16.6	10.3	4.9
8. कर्नाटक	14.1	7.0	3.7	15.6	8.3	4.1
9. केरल	8.7	6.2	0.7	9.4	6.6	1.0
10. मध्य प्रदेश	15.8	7.7	4.8	16.3	9.4	4.8
11. महाराष्ट्र	9.8	5.5	2.1	9.3	5.5	2.1
12. उड़ीसा	9.9	6.7	1.5	13.1	8.2	2.7
13. पंजाब	8.3	3.8	1.4	10.5	4.6	2.5
14. राजस्थान	13.6	8.7	3.3	15.2	9.3	4.3
15. तमिलनाडु	10.4	6.6	2.1	11.4	7.2	2.6
16. उत्तर प्रदेश	12.0	7.2	3.3	16.5	9.2	5.5
17. पश्चिम बंगाल	7.2	4.8	0.8	7.7	5.5	0.9
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	53.3	24.4	15.2	79.1	28.4	26.7
2. असम	14.9	8.3	2.7	19.6	12.4	4.3
3. हिमाचल प्रदेश	17.6	11.0	3.3	17.7	10.8	4.0
4. जम्मू और कश्मीर	30.8	14.3	11.5	32.8	15.9	14.9
5. मणिपुर	32.2	16.6	11.5	36.6	17.6	17.3
6. मेघालय	21.0	12.2	4.2	33.1	17.3	7.6
7. मिजोरम	52.7	26.6	15.3	56.9	29.2	16.5
8. नागालैंड	23.4	12.0	8.1	27.9	13.9	11.6
9. सिक्किम	51.8	28.2	19.1	64.3	33.2	30.5
10. त्रिपुरा	20.5	12.5	7.6	22.7	14.4	10.5
11. उत्तराखंड	18.8	10.6	5.8	21.9	12.5	7.5
सभी राजय #	**9.3**	**5.3**	**2.1**	**10.5**	**6.1**	**2.7**
ज्ञापन मदें :						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.3	4.4	1.5	9.3	5.7	2.9
2. पुदुचेरी	28.9	13.6	5.4	27.5	13.9	3.9

एसएसई : सामाजिक क्षेत्र व्यय सं.अ. : संशोधित अनुमान डीईवी : विकास व्यय
सीओ : पूंजी परिव्यय जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद

*: पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 से संबंधित हैं।

#: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी से प्रतिशत के रूप में हैं।

टिप्पणी : 1. विकास व्यय में राजस्व व्यय का विकास घटक, पूंजी परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

2. सामाजिक क्षेत्र व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय, खाद्यान्न भंडारण और वेयर हाउसिंग पर व्यय तथा राजस्व व्यय के अंतर्गत ग्रामीण व्यय, पूंजी परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

3. पूंजी परिव्यय में राज्य सरकारों के विकास और विकासेतर पूंजी परिव्यय दोनों ही शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

के दौरान केवल महाराष्ट्र और गुजरात ने एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट अनुभव की। छत्तीसगढ़ ने एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की और उसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश रहे। 2007-08 (सं.अ.) में बिहार ने 13.2 प्रतिशत का सर्वोच्च एसएसई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ (12.3 प्रतिशत) तथा झारखंड (10.3 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 23 और चार्ट 27) (विवरण 41,42 और 47 भी देखें)।

चार्ट 27 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय

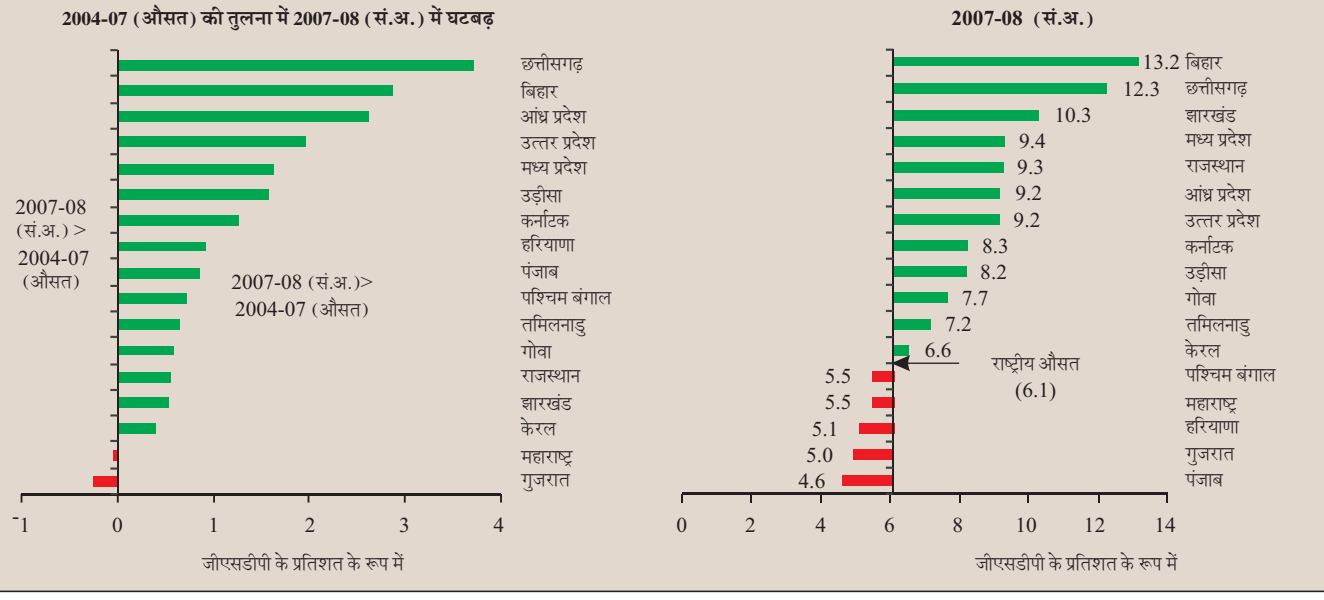

गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी से पूंजी परिव्यय (सीओ) के अनुपात में थोड़ी कमी दर्शायी। उसी अवधि के दौरान सीओ-जीएसडीपी अनुपात में बिहार ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की और उसके बाद उत्तर प्रदेश,छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में बिहार ने 6.7 प्रतिशत के सर्वोच्च सीओ-जीएसडीपी अनुपात के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश (5.5 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (5.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल (0.9 प्रतिशत) और केरल (1.0 प्रतिशत) का सीओ-जीएसडीपी अनुपात 2007-08 (सं.अ.) में अत्यंत कम रहा (सारणी 23 और चार्ट 28)।

चार्ट 28 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय

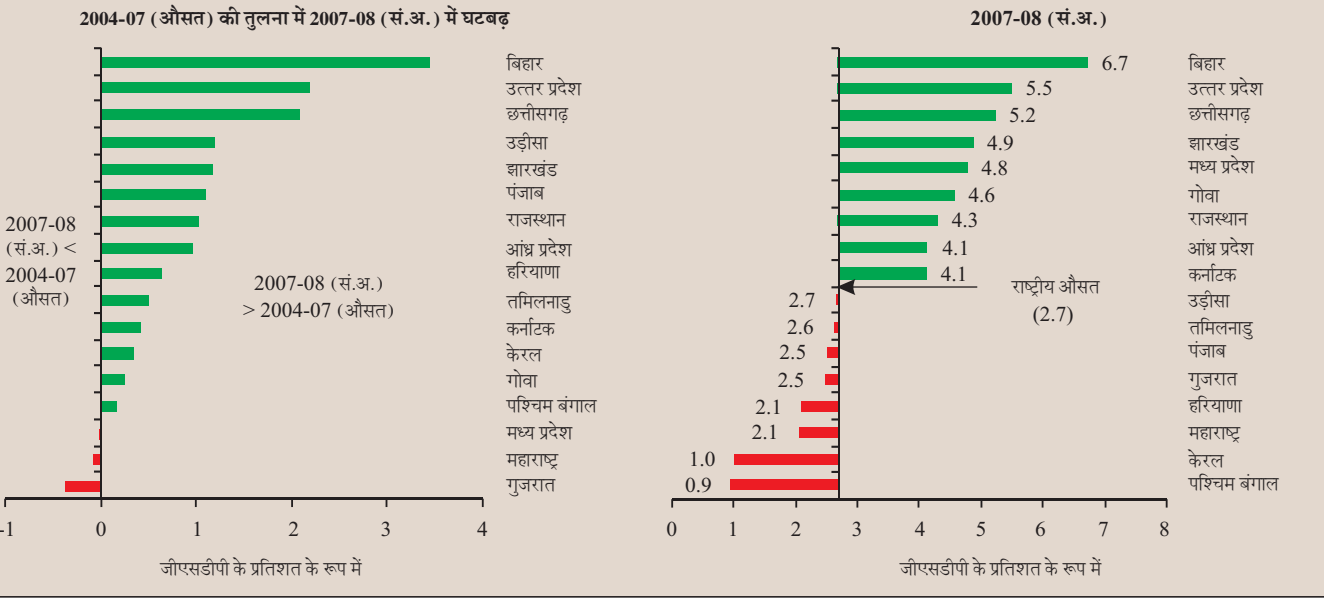

चार्ट 29 : विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय

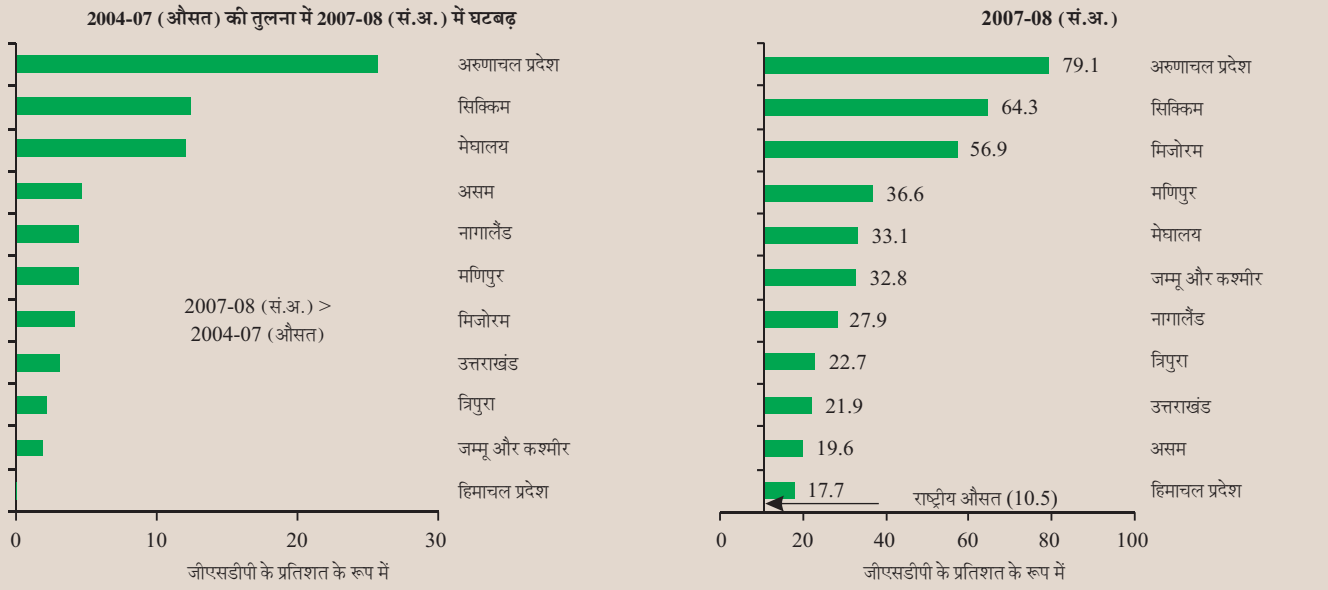

V.3.2 विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने डीई-जीएसडीपी अनुपात में 2007-08 (सं.अ.) में वृद्धि दर्ज की । उसी अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश ने डीई-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्शायी और उसके बाद सिक्किम, मेघालय और असम का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच अरुणाचल प्रदेश ने 79.1 प्रतिशत का सर्वोच्च डीई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया (सारणी 23 और चार्ट 29 और विवरण 12)।

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्शायी (चार्ट 30)। उसी अवधि के

चार्ट 30 : विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय

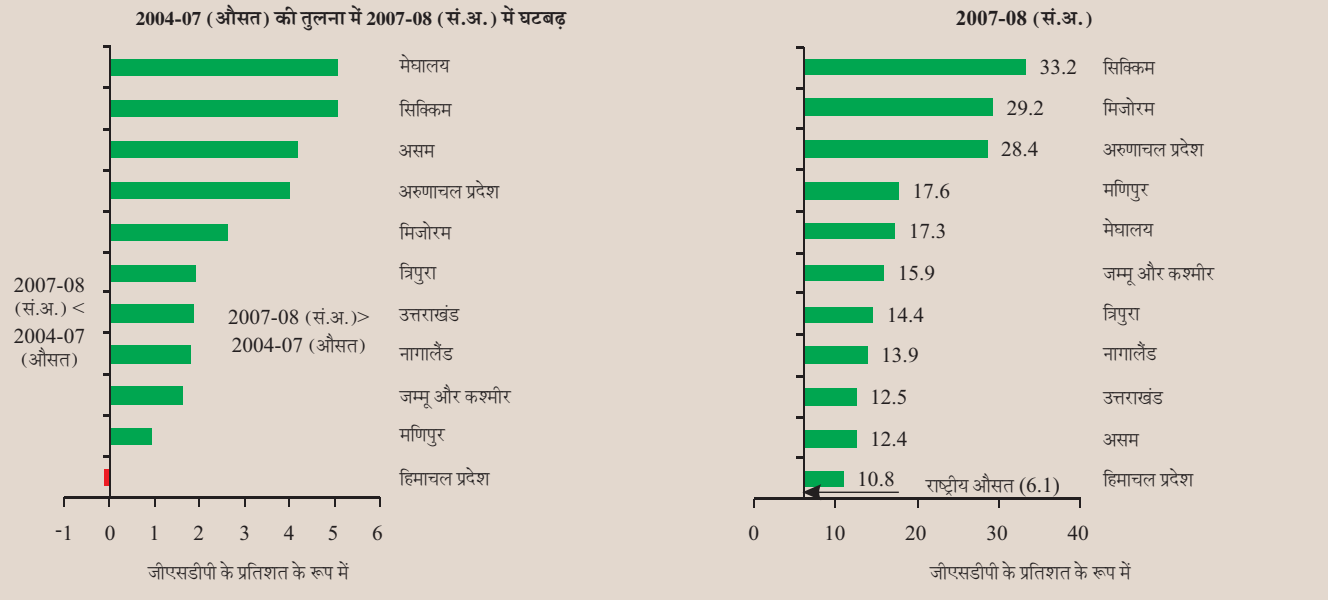

दौरान मेघालय ने एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की। और उसके बाद सिक्किम और असम का स्थान रहा। विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 2007-08 (सं.अ.) के दौरान 33.2 प्रतिशत के एसएसई-जीएसडीपी अनुपात के साथ सिक्किम का स्थान सर्वोच्च रहा और उसके बाद मिजोरम (29.2 प्रतिशत) तथा अरुणाचल प्रदेश (28.4 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 23 और विवरण 41,42 और 47)।

विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सीओ-जीएसडीपी में वृद्धि दर्शायी। उसी अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश ने सीओ-जीएसडीपी अनुपात सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की और उसके बाद सिक्किम और मणिपुर रहे। 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच सिक्किम ने सर्वोच्च सीओ-जीएसडीपी अनुपात (30.5 प्रतिशत) दर्ज किया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (26.7 प्रतिशत) तथा मणिपुर (17.3 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 23 और चार्ट 31)

V.4 राज्य सरकारों का प्रति व्यक्ति व्यय

साहित्य में यह बात अच्छी तरह लिखी गई है की किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में व्यय का स्तर निम्न होना केवल दो कारणो से हो सकता है अर्थात राज्य सरकार द्वारा कम राजकोषीय प्राथमिकता देना और राज्य सरकार की निम्न राजकोषीय क्षमता[11] यदि यह संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है तो उस क्षेत्र विशेष से जुडी निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) के कारण व्यय का स्तर निम्न हो सकता है। दूसरी ओर, व्यय यह निम्न स्तर निम्न राजकोषीय दक्षता के कारण हो सकता है अर्थात यह तक की राजकोषीय प्राथमिकता जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है अथवा उसके बराबर है के बाद भी संबंद्धि राष्ट्रीय औसत राज्य के प्रति व्यक्ति व्यय से कम है। कुछ राज्यों में दोनों ही कारक साथ-साथ कार्य कर सकते हैं ,परिणामस्वरूप व्यय का स्तर निम्न रहेगा।

इस खंड में राज्य सरकारों की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण किया गया है। एक विशेष क्षेत्र को राज्य सरकारों द्वारा दी गयी राजकोषीय प्राथमिकता का आकलन करने के लिये दो चर राशियां अर्थात जीएसडीपी से सकल व्यय और सकल व्यय से संबंधित व्यय की श्रेणी ली गई है (सारणी 24)। प्रति व्यक्ति के अर्थ में तथा समायोजित प्रति व्यक्ति अर्थ में गैर विशेष और विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु वे श्रेणियों से संबंधित आंकड़े सारणी 25 में दिए गए हैं। राजकोषीय क्षमता की गणना पद्धति की व्याख्या बॉक्स 6 में दी गयी है।

चार्ट 31: विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय

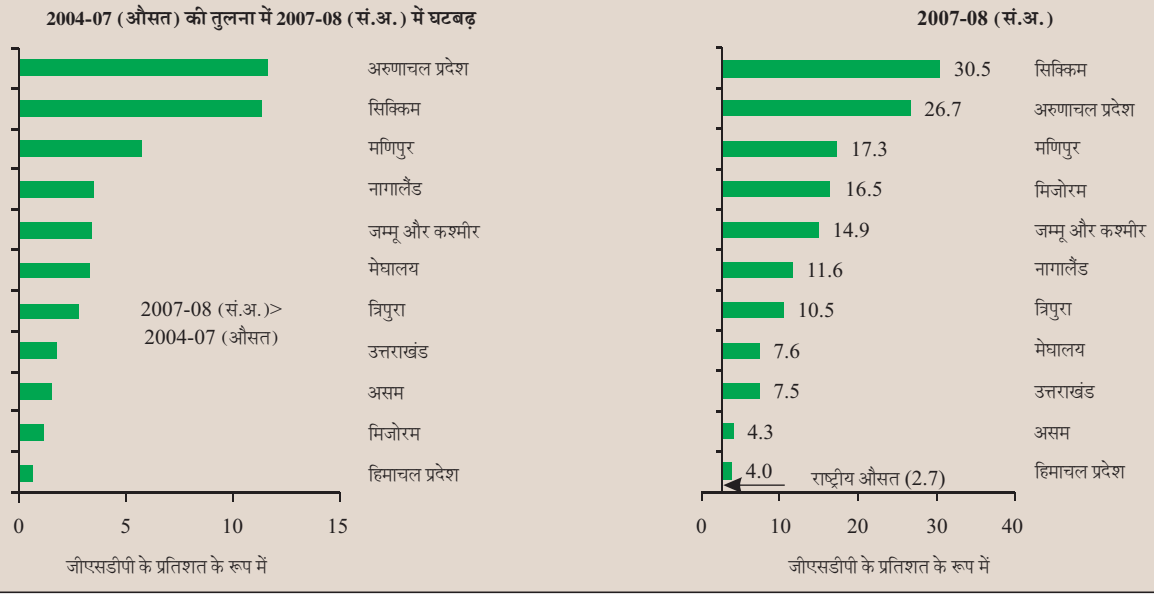

11 भारत सरकार (2004),बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, अक्तूबर.

सारणी 24: राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता- 2007-08 (सं.अ.)

(प्रतिशत)

राज्य	एई/ जीएसडीपी	डीई/ एई	एसएसई/ एई	सीओ/ एई
1	2	3	4	5
I. गैर विशेष श्रेणी				
1. आंध्र प्रदेश	25.2	68.9	36.5	16.4
2. बिहार	32.4	63.7	40.7	20.7
3. छत्तीसगढ़	25.1	74.9	49.0	20.7
4. गोवा	23.7	71.5	32.6	19.3
5. गुजरात	14.4	63.6	34.4	17.1
6. हरियाणा	15.1	70.4	33.9	13.9
7. झारखंड	23.8	69.8	43.5	20.4
8. कर्नाटक	22.5	69.4	36.7	18.3
9. केरल	20.1	46.6	32.8	5.0
10. मध्य प्रदेश	25.3	64.2	36.9	18.8
11. महाराष्ट्र	14.2	65.6	38.5	14.4
12. उड़ीसा	24.2	54.0	34.0	11.0
13. पंजाब	21.3	49.4	21.8	11.7
14. राजस्थान	23.5	64.6	39.5	18.3
15. तमिलनाडु	19.7	57.9	36.6	13.3
16. उत्तर प्रदेश	25.9	63.6	35.6	21.2
17. पश्चिम बंगाल	15.5	49.4	35.3	6.1
II. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	101.4	78.0	28.0	26.4
2. असम	29.5	66.5	42.2	14.5
3. हिमाचल प्रदेश	31.4	56.4	34.6	12.8
4. जम्मू और कश्मीर	53.0	61.9	30.0	28.1
5. मणिपुर	55.4	66.1	31.7	31.2
6. मेघालय	45.2	73.3	38.2	16.8
7. मिजोरम	80.2	71.0	36.4	20.5
8. नागालैंड	45.7	61.1	30.3	25.4
9. सिक्किम	138.4	46.5	24.0	22.0
10. त्रिपुरा	37.3	61.0	38.7	28.1
11. उत्तराखंड	32.8	66.9	38.0	23.0
सभी राजय	**16.7***	**62.7**	**36.3**	**16.3**

एई : सकल व्यय एसएसई : सामाजिक क्षेत्र व्यय
डीई : विकास व्यय सीओ : पूंजी परिव्यय
* : जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आरई : संशोधित अनुमान
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

V.4.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति विकास व्यय (पीसीडीई) 2007-08 (सं.अ.) में 8 राज्य सरकारों यथा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, केरल और झारखंड में 4,308 रुपए के राष्ट्रीय औसत से कम है। इन राज्यों में से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एई-जीएसडीपी और डीई-एई के लिए समायोजन करने के बाद भी यह पीसीडीई 4,308 रुपए के राष्ट्रीय औसत से नीचे रहता है। जबकि, केरल में समायोजन के बाद यह पीसीडीई राष्ट्रीय औसत के ऊपर चला जाता है। शेष राज्यों में कोई भी समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि एई-जीएसडीपी और डीई-एई अनुपात संबंधित राष्ट्रीय औसतों के ऊपर आता है। तथापि, एई-जीएसडीपी और डीई-एई अनुपात ऊंचे रहने पर भी उनके पीसीडीई राष्ट्रीय औसत से नीचे आते हैं। दूसरी ओर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों ने 4,308 रुपए के राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऊंचा पीसीडीई दर्शाया, हालांकि उनके संबंधित एई-जीएसडीपी तथा डीई-एई अनुपात अथवा उनमें से कोई भी संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। इस प्रकार, समायोजन के बाद उनके पीसीडीई और बढ़ते हैं। कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पीसीडीई तथा संबंधित एई-जीएसडीपी तथा डीई-एई अनुपात संबंधित राष्ट्रीय औसतों से ऊपर आते हैं। इस प्रकार, इन राज्यों के मामले में कोई भी समायोजन नहीं किया गया है। संबंधित राष्ट्रीय औसतों के साथ एई-जीएसडीपी और डीई-एई अनुपात के लिए समायोजन करने के बाद पीसीडीई का राष्ट्रीय औसत 4,308 रुपए से बढ़कर 4,725 रुपए हो जाता है। यह पीसीडीई समायोजन के बाद 8 राज्य सरकारों यथा गुजराज, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बढ़ता है (सारणी 24, 25 और चार्ट 32)।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 2007-08 (सं.अ.) में प्रति व्यक्ति के अर्थ में सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में किया जाने वाला व्यय 7 राज्यों यथा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में राष्ट्रीय औसत से कम था। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में समायोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय 2,492 रुपए के राष्ट्रीय औसत से कम रहता है। पंजाब में एई-जीएसडीपी और एसएसई-एई अनुपात के लिए समायोजन करने के बाद यह पीसीएसई राष्ट्रीय औसत से ऊपर चला जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में यह एई-जीएसडीपी और एसएसई-एई अनुपात पहले से ही संबंधित राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं; अतः कोई समायोजन नहीं किया गया था । तथापि, इन तीन राज्यों में यह पीसीएसई राष्ट्रीय औसत से नीचे आता है । गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल और महाराष्ट्र में यह पीसीएसई राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऊंचा है। हालांकि, उनके एई-जीएसडीपी और एसएसई-एई अनुपात अथवा उनके में से कोई एक संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इस प्रकार, समायोजन के बाद इन राज्यों का संबंधित पीसीएसई और बढ़ता है। कुछ अन्य राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और

सारणी 25: राज्य सरकारों का प्रति व्यक्ति व्यय - 2007-08 (सं.अ.)

(राशि रुपए में)

राज्य	प्रति व्यक्ति			समायोजित प्रति व्यक्ति*		
	डीईवी	एसएसई	सीओ	डीईवी	एसएसई	सीओ
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	6,607	3,505	1,571	6,607	3,505	1,571
2. बिहार	2,294	1,465	744	2,294	1,465	744
3. छत्तीसगढ़	5,390	3,527	1,494	5,390	3,527	1,494
4. गोवा	16,371	7,467	4,409	16,371	8,302	4,409
5. गुजरात	4,749	2,572	1,278	5,518	3,146	1,485
6. हरियाणा	6,594	3,177	1,299	7,307	3,761	1,690
7. झारखंड	4,272	2,660	1,249	4,272	2,660	1,249
8. कर्नाटक	5,858	3,104	1,548	5,858	3,104	1,548
9. केरल	4,069	2,861	438	5,476	3,168	1,424
10. मध्य प्रदेश	3,343	1,923	979	3,343	1,923	979
11. महाराष्ट्र	5,046	2,961	1,110	5,928	3,478	1,474
12. उड़ीसा	3,385	2,133	687	3,928	2,272	1,021
13. पंजाब	5,414	2,384	1,281	6,862	3,970	1,784
14. राजस्थान	3,909	2,390	1,110	3,909	2,390	1,110
15. तमिलनाडु	5,115	3,235	1,177	5,536	3,235	1,439
16. उत्तर प्रदेश	2,988	1,670	995	2,988	1,703	995
17. पश्चिम बंगाल	2,701	1,933	334	3,687	2,133	959
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	24,909	8,949	8,419	24,909	11,581	8,419
2. असम	4,759	3,019	1,037	4,759	3,019	1,167
3. हिमाचल प्रदेश	8,631	5,292	1,962	9,599	5,553	2,496
4. जम्मू और कश्मीर	8,531	4,131	3,870	8,639	4,998	3,870
5. मणिपुर	10,127	4,863	4,787	10,127	5,557	4,787
6. मेघालय	9,972	5,200	2,279	9,972	5,200	2,279
7. मिजोरम	19,100	9,806	5,525	19,100	9,806	5,525
8. नागालैंड	10,714	5,317	4,458	10,996	6,361	4,458
9. सिक्किम	24,874	12,845	11,773	33,537	19,400	11,773
10. त्रिपुरा	7,434	4,718	3,421	7,640	4,718	3,421
11. उत्तराखंड	7,974	4,535	2,745	7,974	4,535	2,745
सभी राजय	**4,308**	**2,492**	**1,120**	**4,725**	**2,717**	**1,316**

डीईवी : विकास व्यय एसएसई : सामाजिक क्षेत्र व्यय सीओ : पूंजी परिव्यय

* : समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय बॉक्स 6 में स्पष्ट की गई पद्धति के अनुसार परिकलित किया गया है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

तमिलनाडु में पीसीएसई और एई दोनों तथा एसएसई-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऊंचे हैं। अतः इन राज्यों में कोई भी समायोजन नहीं किया गया है। संबंधित राष्ट्रीय औसतों के साथ एई-जीएसडीपी अनुपात तथा एसएसई-एई अनुपात में समायोजनों के बाद पीसीएसई का राष्ट्रीय औसत बढ़कर 2,717 रुपए हो जाता है। समायोजन के बाद गैर विशेष श्रेणी के 9 राज्यों में पीसीएसई बढ़ गया (सारणी 24, 25 और चार्ट 33)।

2007-08 (सं.अ.) में 8 राज्यों नामतः बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने प्रति व्यक्ति के अर्थ में पूंजी परिव्यय पर राष्ट्रीय औसत से कम खर्च किया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एई-जीएसडीपी और सीओ-एई अनुपातों के लिए समायोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति परिव्यय राष्ट्रीय औसत से नीचे आता है। महाराष्ट्र और केरल में एई-जीएसडीपी और सीओ-एई अनुपातों के लिए समायोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति परिव्यय राष्ट्रीय औसत से नीचे आता है। महाराष्ट्र और केरल में एई-जीएसडीपी और सीओ-एई अनुपतों हेतु समायोजन करने के बाद पीसीसीओ राष्ट्रीय औसत से ऊपर चला जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि उनके एई-जीएसडीपी तथा सीओ-एई अनुपात उनके राष्ट्रीय औसत से ऊंचे हैं। तथापि,

बाक्स 6 : राज्य सरकारों की राजकोषीय क्षमता: पद्धति

राज्य सरकारों की राजकोषीय क्षमता की गणना करने के लिए बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में दी गई निम्नलिखित पद्धति अपनाने का सुझाव दिया गया है।

1. एई-जीएसडीपी और सीओ/डीई/एसएसई-एई के राष्ट्रीय औसत की गणना करें।
2. एई-जीएसडीपी अनुपात के राष्ट्रीय औसत के आधार पर सकल व्यय निकालें ताकि किसी भी राज्य का एई-जीएसडीपी अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न रहे अर्थात यदि
   एई-जीएसडीपी = एक्स
   एई = एक्स * जीएसडीपी -------(1)
   जहां एक्स एई-जीएसडीपी के अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।
   जहां कहीं भी राज्यों का एई-जीएसडीपी अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किए गए थे। जहां कहीं भी यह अनुपात औसत से कम था, इसे बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत के बराबर कर दिया गया।
3. डीई-एई,एसएसई-एई और सीओ-एई के राष्ट्रीय औसत के आधार पर डीई, एसएसई और सीओ निकालें ताकि किसी भी राज्य के ये अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न रहें अर्थात् यदि
   डीई/एई = वाइ
   डीई=वाइ * एई ----------(2)
   जहां वाइ डीई-एई अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।
   समीकरण (1) को (2) में विस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है
   डीई=वाई*एक्स*जीएसडीपी . . . . .(3)
   जहां राज्यों का डीई-एई,एसएसई-एई और सीओ-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किए गए। जहां कही यह अनुपात औसत से कम थे, इन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।
4. समीकरण (3) के अनुसार निकाले गए डीई, एसएसई और सीओ के आधार पर तत्संबंधी प्रति व्यक्ति व्यय की गणना की गई थी अर्थात
   पीसीडीई=डीई/पी . . . . . (4)
   जहां पीसीडीई प्रति व्यक्ति विकास व्यय है और पी आबादी है।
   (4) में (3) को विस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है।
   पीडीई=(वाई*एक्स*जीएसडीपी)/पी . . . . . (5)
   समीकरण (5) समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय देता है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय प्रति व्यक्ति व्यय के राष्ट्रीय औसत से कम है तो राज्यों का व्यय करने का निम्न स्तर निम्न राजकोषीय क्षमता के कारण है। जब सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय औसत के बराबर इन क्षेत्रों के साथ राजकोषीय प्राथमिकता जोड़ रही हैं तो यह व्यय के वास्तविक स्तर की तसवीर प्रस्तुत करता है।

संदर्भ :

भारत सरकार (2004), बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, अक्तूबर

उनके पीसीसीओ राष्ट्रीय औसत से कम आते हैं। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में पीसीसीओ राष्ट्रीय औसत से अधिक ऊंचा हैं। हालांकि, एई-जीएसडीपी और सीओ-एई अनुपात अथवा उनमें से कोई एक औसत से कम है। इस प्रकार समायोजन के बाद उनके

चार्ट 32 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय- 2007-08 (सं.अ.)

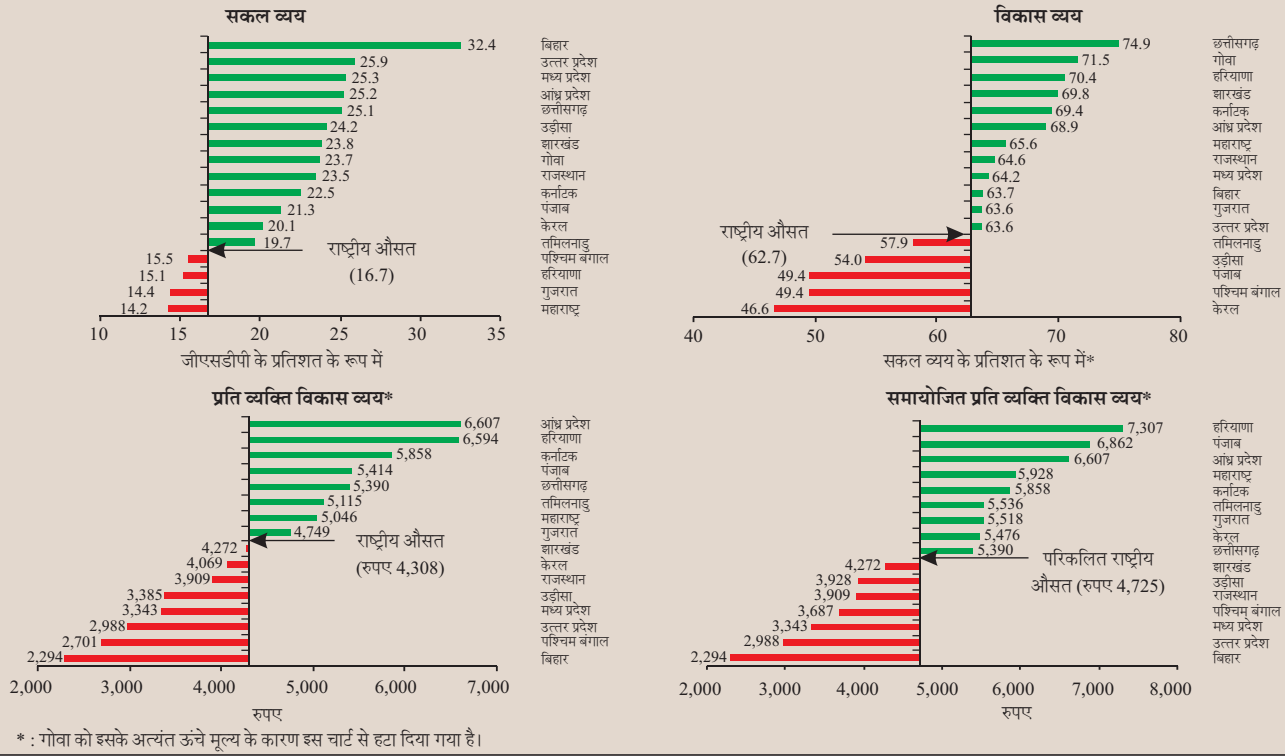

* : गोवा को इसके अत्यंत ऊंचे मूल्य के कारण इस चार्ट से हटा दिया गया है।

चार्ट 33 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय- 2007-08 (सं.अ.)

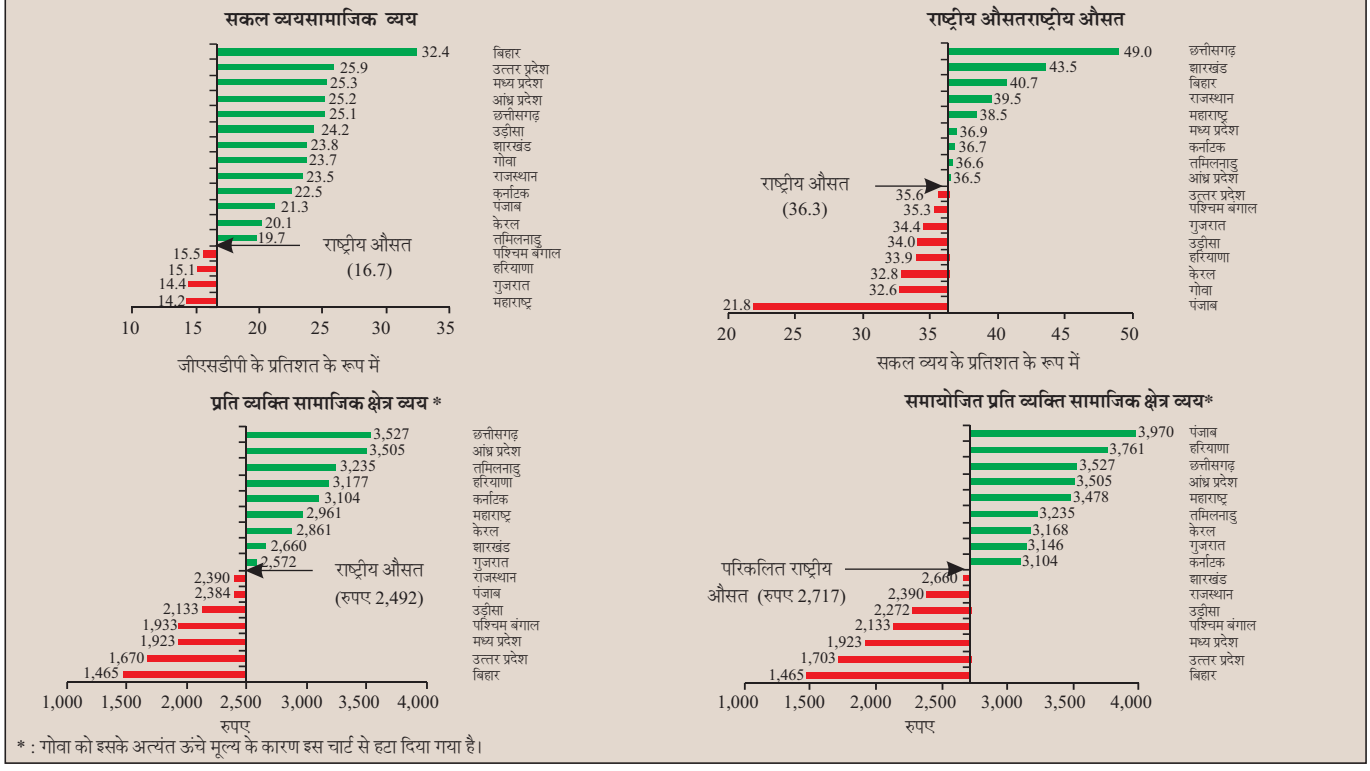

* : गोवा को इसके अत्यंत ऊंचे मूल्य के कारण इस चार्ट से हटा दिया गया है।

पीसीसीओ और बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और कर्नाटक में पीसीसीओ, एई-जीएसडीपी और सीओ-एई अनुपात संबंधित राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऊंचे हैं। कई राज्यों में राजकोषीय प्राथमिकता में कमियों के लिए समायोजन करने के बाद पीसीसीओ का राष्ट्रीय औसत 1,120 रुपए से बढ़कर 1,316 रुपए हो गया। समायोजन के बाद, 8 राज्य सरकारों ने पीसीसीओ में वृद्धि दर्शायी (सारणी 24, 25 और चार्ट 34)।

V.4.2 विशेष श्रेणी के राज्य

ध्यान देने योग्य बात यह है कि विशेष श्रेणी के सभी राज्यों का पीसीडीई 2007-08 (सं.अ.) में 4,308 रुपए के राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों यथा जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का डीई-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। इन राज्यों ने समायोजन के बाद पीसीडीई में वृद्धि अनुभव की (सारणी 24, 25 और चार्ट 35)।

इसी प्रकार, पीसीएसई के अर्थ में विशेष श्रेणी के सभी राज्य 2,492 रुपए के राष्ट्रीय औसत से ऊपर आते हैं। तथापि, बहुत से राज्यों जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश ने एसएसई-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे आता है (सारणी 24, 25 और चार्ट 36)।

विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच केवल असम में पीसीसीओ 1,120 रुपए के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। असम और हिमाचल प्रदेश में सीओ-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। तथापि, हिमाचल प्रदेशों में पीसीसीओ राष्ट्रीय औसत से ऊपर आता है (सारणी 24, 25 और चार्ट 37)।

इस प्रकार, उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राजस्व लेखे में सुधार तथा परिणामी राजस्व आधिक्य ने विशेष और गैर विशेष दोनों ही श्रेणी के राज्यों के लिए विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजी परिव्यय में वृद्धि आसान बनायी। तथापि, कुछ राज्यों में अपर्याप्त राजकोषीय क्षमता व्यय की इन श्रेणियों में मात्रात्मक वृद्धि के मार्ग में आती है। कुछ अन्य राज्यों में, व्यय की इन श्रेणियों से जुड़ी निम्न राजकोषीय प्राथमिकता से प्रति व्यक्ति व्यय कम होता है। कुछ राज्यों में तो दोनों ही तरफ साथ-साथ कार्य करते हैं

चार्ट 34 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय- 2007-08 (सं.अ.)

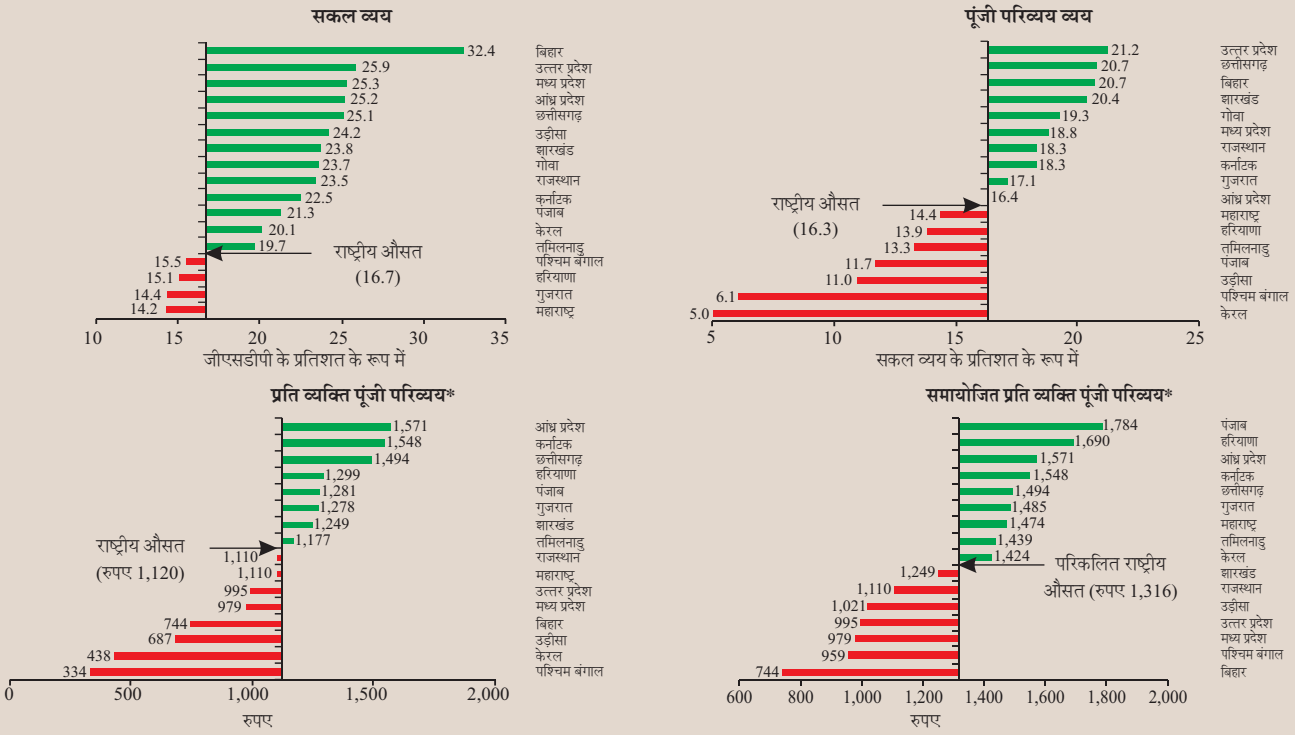

* : गोवा को इसके अत्यंत ऊंचे मूल्य के कारण इस चार्ट से हटा दिया गया है।

चार्ट 35 : विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय- 2007-08 (सं.अ.)

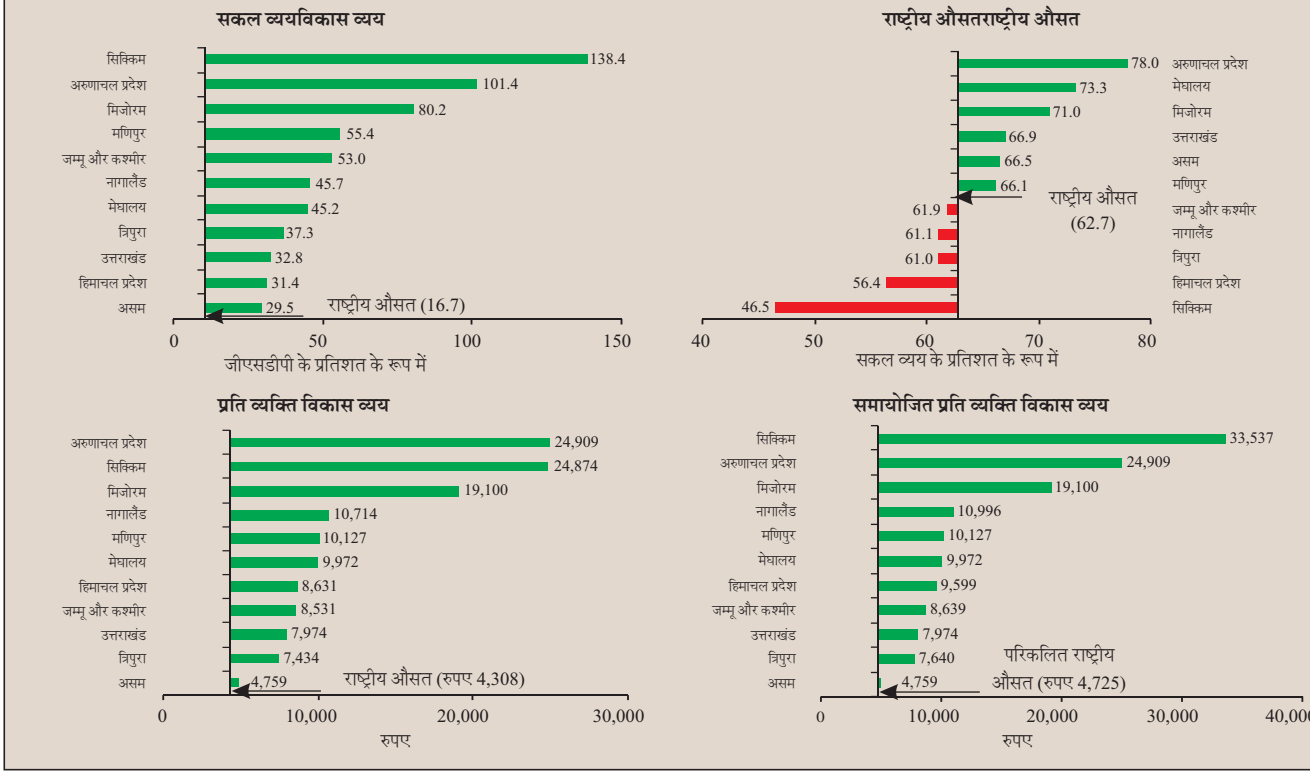

चार्ट 36 : विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय- 2007-08 (सं.अ.)

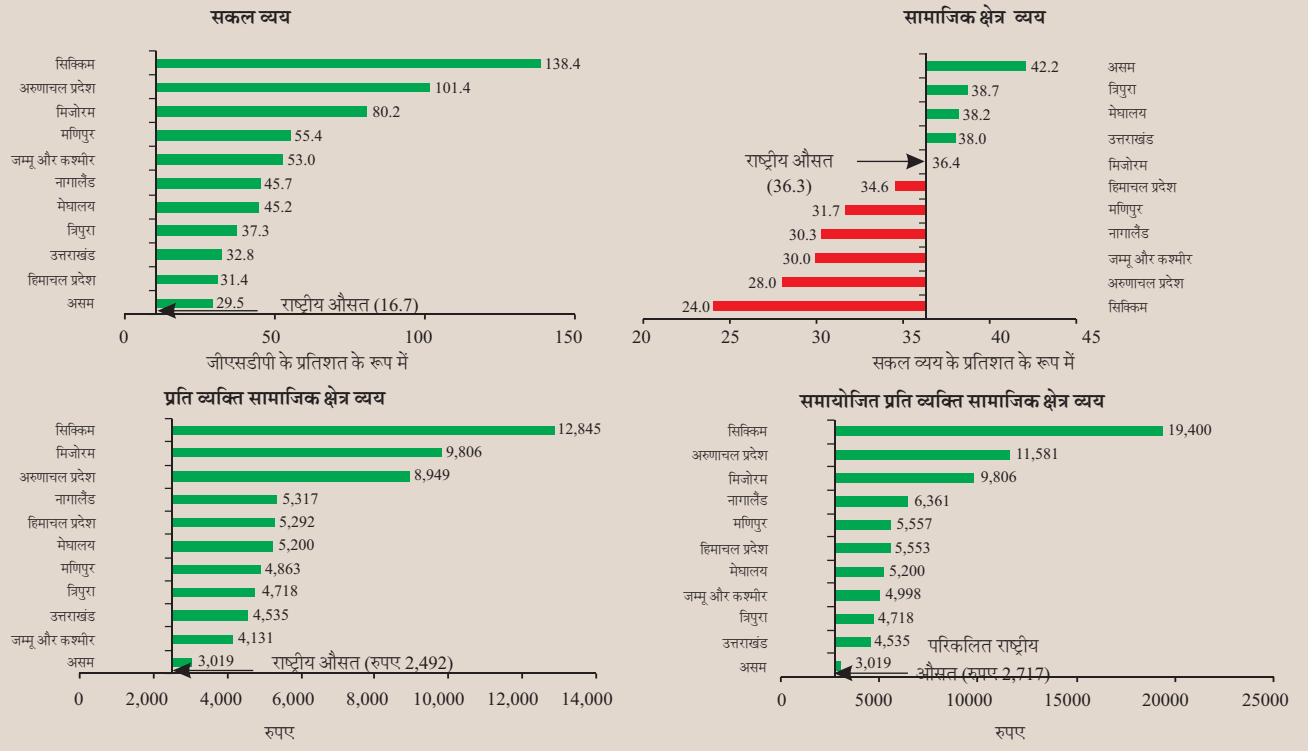

चार्ट 37 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय- 2007-08 (सं.अ.)

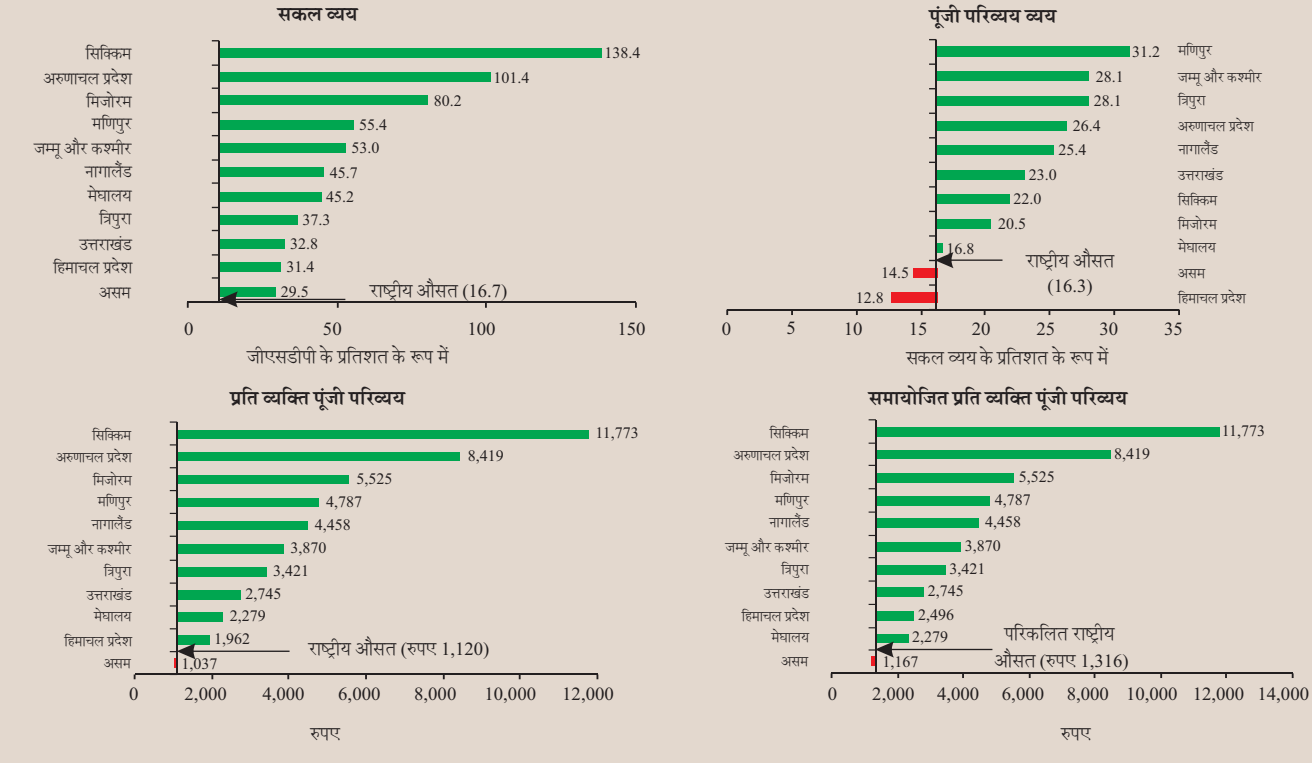

और परिणामस्वरूप व्यय का स्तर निम्न हो जाता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कम प्रति व्यक्ति व्यय के परिप्रेक्ष्य में बारहवें वित्त आयोग में विशेष राज्य सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान देने की सिफारिश की थीं। विषमता के साथ प्रति व्यक्ति विकास व्यय राज्यों के बीच काफी व्यापक रहने वाला है और ऐसे विशेष अनुदानों को जारी रखने में ही फायदा है।

इस खंड में किया गया विश्लेषण इस बात की ओर संकेत करता है कि हाल ही के वर्षों में सभी राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद राज्य सरकारों के बीच राजकोषीय निष्पादन में व्यापक अंतर मौजूद रहता है। विगत कुछ वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अनेक राजकोषीय उपाय किये गये हैं जैसा कि उड़ीसा के संबंध में किये गये मामला अध्ययन में रेखांकित किया गया है जो बॉक्स 7 में दर्शाया गया है। जहां कुछ राज्य सरकारों ने बहुत से संकेतकों के संबंध में टीएफसी लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिये हैं वही कुछ अन्य राज्य ऐसे भी हैं जहां राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया धीमी है। यह स्पष्ट है कि राजस्व लेखे में सुधार तथा उसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य से लगभग सभी राज्यों विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर व्यय का अधिक आबंटन हुआ है।

अंत में, राज्य बिक्री के बदले वैट के कार्यान्वयन, राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) (26 राज्यों द्वारा) और परिणामस्वरूप ऋण राहतें तथा साझायोग्य करों के अर्थ में केंद्रों द्वारा राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक डिवोल्यूशन एवं बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार सहायता अनुदान जैसे कुछ सामान्य तत्वों ने राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया राज्यों के बीच सुगम बनायी है। लेकिन राजकोषीय प्राथमिकता सहित राज्य विशिष्ट राजकोषीय स्थितियां तथा कम राजकोषीय क्षमता भी राजकोषीय पुनर्संरचना डिज़ाइन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

VI. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधार और आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकारों का बकाया ऋण, जो मौजूदा दशक के प्रथमार्ध में भारी और सतत राज्यकोषीय असंतुलनों के कारण ऊंचे स्तर तक चला गया था, ने हाल ही में बिते समय में सुधार के संकेत दर्शाना प्रारंभ कर दिया है। राज्यों की प्रासंगिक देयताएं भी कम हुई हैं। एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहों में कमी तथा केंद्र से मिलने वाले ऋणों के चरणबद्ध रूप से समाप्त हो जाने के कारण बाजार उधारों पर राज्यों की निर्भरता बढ़ी है। इस खंड में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं, बाजार उधार, आकस्मिक देयताओं और अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट का विश्लेषण किया गया है।

VI.1 बकाया देयताएं[12]

VI.1.1 मात्रा

राज्य वित्तों की संरचनागत कमजोरियां भारी और सतत राजस्व घाटे में सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई भारी सकल राजकोषीय घाटा और ऋण के भारी संचय तथा ऋण चुकौती भार में सहगामी वृद्धि के रूप में परिणित हुईं। 1991-2004 के बीच राज्यों का समेकित ऋण सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 10.7 प्रतिशत अंक बढ़कर 33.2 प्रतिशत हो गया। बारहवें वित्त आयोग ने 30.8 प्रतिशत के ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और 15.0 प्रतिशत के आइपी-आरआर अनुपात का लक्ष्य 2009-10 तक हासि करने सिफारिश की है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट की ऋण राहत व्यवस्था जिसमें नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं, से बकाया देयताओं की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता मिली। राज्य सरकारें का ऋण सकल घरेलू अनुपात मार्च 2004 के अंत के 33.2 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर 2007-08 (सं.अ.) में 28.3 प्रतिशत के स्तर पर आ गया इसे 2008-09 में अनुमान है कि यह 27.4 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा (सारणी 26, चार्ट 38 और परिशिष्ट सारणियां 19-20)।

12 राज्य सरकारों की बकाया देयताएं विभिन्न

बॉक्स 7: राजकोषीय सुधार - उड़ीसा का मामला अध्ययन

अपने वित्त की स्थिति सुधारने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उड़ीसा सरकार ने कई सुधारक कदम उठाए। पहले कदम के रूप में उड़ीसा सरकार ने 1979 और 2001 में दो श्वेत पत्रों के प्रकाशन के माध्यम से राजकोषीय समस्या से संबंधित सभी सूचना प्रसारित की। सरकार ने राज्य/ज़िला स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं में विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ राजकोषीय समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। 1999 और 2001 में राज्य सरकार ने सुधार उपायों के एक सहमत सेट के कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। राज्य ने 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान कार्यान्वित किया और निगरानी योग्य राजकोषीय लक्षियों के साथ मध्यावधि राजकोषीय योजना तैयार की। उडीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये प्रमुख सुधार उपाय तीन श्रेणियों में आते हैं यथा, राजस्व बढ़ाने के उपाय, व्यय घटाने के उपाय और स्टाफ यौक्तिकीकरण उपाय।

राजस्व बढ़ाने के उपायों में कर और करेतर राजस्व दोनों को ही बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। राज्य ने 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया है। इसने प्रवेश कर और व्यवसायों पर भी कर लगाया है। सरकार ने कर दरों और स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्कों को भी तर्क संगत बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया है। सरकार ने स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत वसुली में सुधार लाने के लिये संपत्ति के कम मुल्याकंन को रोकने के उपाय किये है तथा बिक्री कर के अंतर्गत छूट देना चरण बद्ध रूप से समाप्त कर दिया है। कर प्रशासन में सुधार लाने के लिए वाणिज्यिक करों का कम्प्यूटरीकरण, ऑन-लाईन पंजीकरण तथा विवरणियों की ई-फाईलिंग, भू-लेखों का कम्प्यूटरीकरण, आदि जैसे उपाय प्रारंभ किये गये थे। माल और सामान के लाने ले जाने के लिए पर चौकसी तथा कर योग्य लेन देनों की ट्रैकिंग ने भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राज्य ने नई उत्पाद शुल्क नीति लागू की है। करेतर राजस्व में सुधार लाने के उपायों में शामिल जल कर की दरों में संशोधन जल आपूर्ति टैरिफ का समयबद्ध संशोधन तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और पशु चिकित्सा सेवाओं में उपयोगिता प्रभार की शुरूआत।

उड़ीसा सरकार ने पेंशन के रूप में जाने वाली भावी राशि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नये भर्ती किये लोगों के लिए 1 जनवरी 2005 से लागू परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ की। बढ़ती ब्याज भुगतान देयताओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य ने ऊंची लागत वाले ऋणों को बदल लिया और फिर से खरीद लिया तथा भारत सरकार के माध्यम से बाह्य निधीयक एंजेसियों से कम लागत वाले तथा रियायती उधार लिये। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2002 से अभ्यर्पित छुट्टी नकदीकरण समाप्त कर दिया और 1 नवंबर 2003 से डॉक्टरों के लिए नॉन-प्रॅक्टिसिंग भत्ता समाप्त कर दिया। सरकार ने बुनियादी सुविधा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक फास्ट ट्रैक व्यवस्था प्रारंभ की। राज्य ने शिक्षा और तकनीकी संस्थाओं में स्व-वित्तपोषी पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं। सरकार ने आवश्यकतानुसार समेकित वेतन पर संविदागत नियुक्तियों के माध्यम से श्रम शक्ति को सही आकार देने का प्रयास किया है। इसके लिए उसने खाली पदों को समाप्त करना और अतिरिक्त श्रम शक्ति की पहचान करना तथा उन्हें उन क्षेत्रों में जहां श्रम शक्ति की आवश्यकता है वहां उनका पुनर्नियोजन करने का कार्य किया है। सरकार ने जरूरत से ज्यादा व्यय को रोकने के लिए बजटीय आबंटनों का ऑन-लाइन सत्यापन भी प्रारंभ किया और लेखांकन तथा रिपार्टों को ऑन-लाइन तैयार करना लक्ष्यित परिव्यय को देखते हुए व्यय की बेहतर निगरानी के लिए प्रारंभ किया है। एक बार ऊर्जा क्षेत्र के सुधार समाप्त हो जाएं तो राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को सब्सिडीयां देना रोकने का भी निर्णय लिया है। हानि उठानेवाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने, उनका निजीकरण करने और उनकी पुनर्संरचना करने का कार्य भी राज्य सरकार के सक्रिय विचारों के अधीन है।

उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्टाफ को तर्कसंगत बनाने के उपायों में शामिल है। 27 जनवरी 2003 से लागू राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना प्रारंभ करना तथा डॉक्टरों, नर्सों, प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों, पुलिस के कार्मिकों, जेल और अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर अन्य में नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा नए प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को 'शिक्षा सहायक' के रूप में कुल 3,000 रुपए के वेतन पर संविदागत आधार पर काम पर लिया जा रहा है।मध्यावधि की नीतिगत रणनीति में लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों और सुधारात्मक उपायों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से धन के मूल्य तथा सरकारी धन के लिए जवाबदेही बढ़ाना सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक व्यय प्रबंधन को सुधारना शामिल है। मात्रात्मक और निगरानीयोग्य भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के साथ परिव्यय को परिणामों से जोड़ना विचाराधीन है। बुनियादी संरचना परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने दक्ष खरीद एवं संविदा प्रबंध प्रणाली प्रारंभ की। लिए गए निवल उधारों को न्यूनतम स्तर पर रखकर राज्य सरकार उधारों पर निर्भरता घटाने की योजना बना रही है तथा ब्याज भार में कमी लाने तथा विकास हेतु मुक्त राजकोषीय स्थान बनाने के लिए ऋण पुनर्संरचना को भी लक्ष्य बना रही है। मध्यावधि में सरकार राजस्व अधिशेष को और बढ़ाने का प्रयास करेगी ताकि पूंजी परिव्यय बढ़ाया जा सके। सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु बड़ी निधियां भी मध्यावधि में अपनी ओर ध्यान आकर्षित करेंगी।

स्रोत :

उड़ीसा सरकार (2008),बैकग्राउंड नोट फार स्टेट लेवेल सेमिनार आन स्टेट्स मेमोरेंडम टु द 13थ फायनांस कमीशन, भुवनेश्वर, 17 अक्तूबर।

VI.1.2 ऋण का संघटन

राज्यों के बकाया ऋण के अंतर्गत आंतरिक ऋण (मुख्यतः बाजार उधार, एनएसएसएफ को जारी की विशेष प्रतिभूतियां, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण और रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर ड्राफ्ट), केंद्र से ऋण, लोक लेखा देयताएं (इसमें अल्प बचत, राज्य भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां और जमा राशियां तथा अग्रिम शामिल हैं) तथा आकस्मिक निधि आते हैं।

राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन एनएसएसएफ से ऋणों, बाजार उधारों और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋणों के हिस्से में तेज वृद्धि के साथ केंद्र से ऋणों के हिस्से में तेज गिरावट दर्शाता है। यद्यपि, एनएसएसएफ से ऋणों का हिस्सा 2007 की स्थिति से नीचे आ गया है, 2008-09 (ब.अ.) के दौरान बकाया देयताओं में यह घटक सबसे बड़ा घटक (31.2 प्रतिशत) बना रहेगा। इसके बाद 2008-09 (ब.अ) में 25.0 प्रतिशत पर बाजार उधारों का स्थान रहेगा जो

सारणी 26: राज्य सरकारों की बकाया देयताएं

वर्ष (मार्च के अंत तक)	राशि (करोड़ रुपए में)	वार्षिक वृद्धि	ऋण/जीडीपी
		(प्रतिशत)	
1	2	3	4
1991	1,28,155	–	22.5
1992	1,47,030	14.7	22.5
1993	1,68,365	14.5	22.4
1994	1,87,875	11.6	21.7
1995	2,16,473	15.2	21.3
1996	2,49,535	15.3	20.9
1997	2,85,898	14.6	20.7
1998	3,30,816	15.7	21.7
1999	3,99,576	20.8	22.8
2000	5,09,529	27.5	26.1
2001	5,94,148	16.6	28.3
2002	6,90,747	16.3	30.3
2003	7,86,427	13.9	32.0
2004	9,13,376	16.1	33.2
2005	10,29,174	12.7	32.7
2006	11,67,866	13.5	32.6
2007	12,57,362	7.7	30.3
2008 (सं.अ.)	13,33,656	6.1	28.3
2009 (ब.अ.)	14,51,026	8.8	27.4

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान
'–' : लागू नहीं
स्रोत : 1) राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।
2) भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के मिश्रित वित्त और राजस्व लेखे, सीएजी, भारत सरकार
3) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4) रिजर्व बैंक रिकार्ड
5) केंद्रीय वित्त लेखे, भारत सरकार

2006-07 (लेखे) ने 19.3 प्रतिशत थे। दूसरी ओर, केंद्र से ऋण, 1991 में जिनका हिस्सा 57.4 प्रतिशत था, काफी कम हो

चार्ट 38: घाटा, ऋण और ब्याज भार

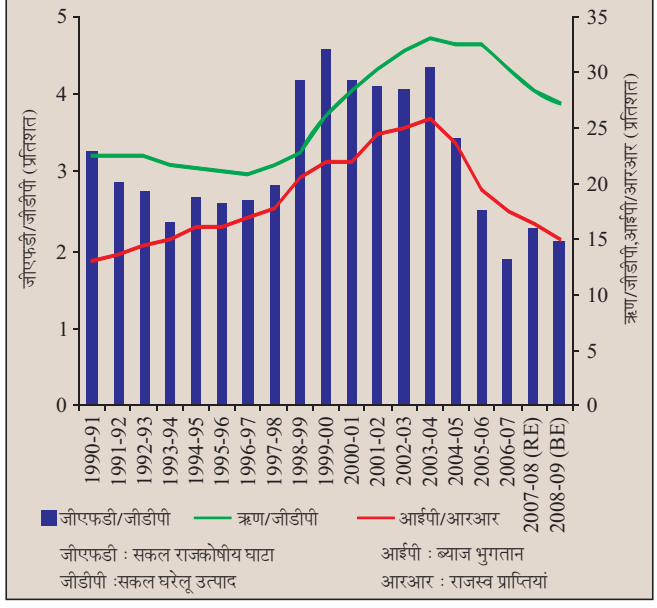

गया और अनुमान है कि 2008-09 (ब.अ.) में ये मात्र 10.8 प्रतिशत का ही योगदान देंगे। कुल देयताओं में लोक लेखों का हिस्सा 25 से 30 प्रतिशत के दायरे में रहा (सारणी 27 और चार्ट 39)।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से उनकी बकाया देयताओं का पर्याप्त विवरण नहीं मिलता है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राशियां और संबद्ध शर्तें (जैसे कि ब्याज दर और परिपक्वता संरचना) शामिल हैं। यह विशेष रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वार्तातय ऋणों के मामले में और

सारणी 27: राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

मद	1991	2000	2005	2006	2007	2008 (सं.अ.)	2009 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल देयताएं (1 से 4)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1. आंतरिक ऋण	15.0	24.8	57.8	59.8	61.1	62.5	63.7
जिसमें से :							
(i) बाजार ऋण	12.2	14.8	20.7	19.6	19.3	22.4	25.0
(ii) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	5.0	27.4	31.3	33.8	32.3	31.2
(iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2.0	3.4	6.6	6.2	5.8	6.0	6.0
2. केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	57.4	45.2	15.6	13.4	11.7	11.3	10.8
3. लोक लेखे (i से iii)	26.8	29.9	26.6	26.6	27.2	26.2	25.4
(i) अल्प बचत, राज्य भविष्य निधि,आदि	13.2	15.8	14.2	13.8	13.6	13.8	13.5
(ii) आरक्षित निधियां	3.7	3.9	5.1	5.4	5.6	4.6	4.3
(iii) जमा और अग्रिम	10.0	10.2	7.3	7.4	7.9	7.8	7.5
4. आकस्मिक निधि	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान
'–' : लागू नहीं
स्रोत : सारणी 26 के अनुसार

चार्ट 39: बकाया देयताओं का संघटन

(मार्च के अंत में)

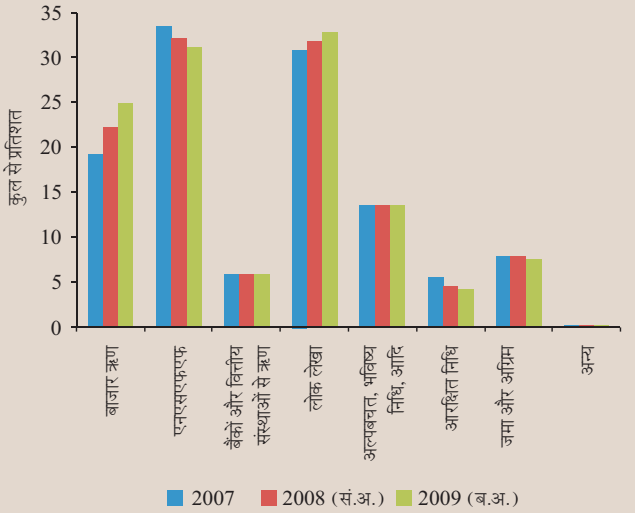

भी स्पष्ट है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों के ऋणों की स्थिति का विश्लेषण सीमाबद्ध है। 1990-91 से 2008-09 (ब.अ.) तक राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का विस्तृत संघटन परिशिष्ट सारणी 19 और 20 में दिया गया है, जबकि बकाया देयताओं का राज्य-वार संघटन विवरण 26 से 28 में दिया गया है।

VI.1.3 राज्य-वार ऋण स्थिति[13]

यह खंड गैर विशेष और विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच ऋण के स्तर में राज्य-वार अंतर प्रस्तुत करता है। राज्य-वार ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) स्थिति सारणी 28 में दर्शाई गई है।

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 2007-08 (सं.अ.) में उत्तर प्रदेश ने 50.3 प्रतिशत का सर्वोच्च ऋण-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया उसके बाद बिहार (47.9 प्रतिशत) और राजस्थान (46.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। दूसरी ओर, 2007-08 (सं.अ.) में हरियाणा ने 20.0 प्रतिशत का न्यूनतम ऋण-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया उसके बाद छत्तीसगढ़ (21.3 प्रतिशत) और तमिलनाडु (25.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। पांच राज्य सरकारों तथा हरियाणा,

सारणी 28: राज्यवार ऋण-जीएसडीपी स्थिति

(प्रतिशत)

राज्य	2004-07* (औसत)	2007-08 (सं.अ.)
1	2	3
I. गैर विशेष श्रेणी		
1. आंध्र प्रदेश	42.5	37.5
2. बिहार	56.9	47.9
3. छत्तीसगढ़	25.1	21.3
4. गोवा	40.6	40.1
5. गुजरात	37.3	33.1
6. हरियाणा	24.9	20.0
7. झारखंड	26.8	31.7
8. कर्नाटक	29.3	27.0
9. केरल	40.1	39.5
10. मध्य प्रदेश	42.1	39.7
11. महाराष्ट्र	32.7	28.0
12. उड़ीसा	49.8	40.4
13. पंजाब	45.4	40.7
14. राजस्थान	51.8	46.3
15. तमिलनाडु	27.6	25.1
16. उत्तर प्रदेश	54.7	50.3
17. पश्चिम बंगाल	46.8	43.5
II. विशेष श्रेणी		
1. अरुणाचल प्रदेश	77.9	79.8
2. असम	31.3	28.0
3. हिमाचल प्रदेश	68.0	60.5
4. जम्मू और कश्मीर	67.2	70.5
5. मणिपुर	70.4	62.8
6. मेघालय	40.2	39.4
7. मिजोरम	115.6	104.8
8. नागालैंड	46.5	43.5
9. सिक्किम	70.7	72.2
10. त्रिपुरा	57.1	48.4
11. उत्तराखंड	45.2	42.5
सभी राजय#	**31.8**	**28.3**
ज्ञापन मदें :		
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	19.8	18.9
2. पुदुचेरी	40.0	45.7

सं.अ. : संशोधित अनुमान
* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 से संबंधित हैं।
\# : सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी से प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत : सारणी 26 के अनुसार

छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र ने 2007-08 (सं.अ.) में पहले ही ऋण-जीएसडीपी अनुपात के 30.8 प्रतिशत का टीएफसी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है (चार्ट 40)। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में झारखंड को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच ऋण-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी। झारखंड का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2004-07 (औसत) के 26.8 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 (सं.अ.) में 31.7 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात में सर्वाधिक गिरावट उड़ीसा में दर्ज की गयी और उसके बाद बिहार और राजस्थान का स्थान रहा। आइपी-आरआर अनुपात जिसका ऋण की वहनीयता पर प्रभाव पड़ता है, 2007-08 (सं.अ.) में सात गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में 15.0 प्रतिशत के टीएफसी लक्ष्य से नीचे रहा। पश्चिम

13 बकाया देयताओं का राज्य-वार और घटक-वार विस्तृत विवरण 26-28 में दिया गया है। तीन द्विभाजित राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) की मार्च 2000 के अंत में बकाया देयताएं उनकी तत्संबंधित आबादी के अनुपात के आधार पर तीन नवसृजित राज्यों (झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड)को प्रभाजित कर दी गई हैं।

चार्ट 40 : ऋण-जीएसडीपी- गैर विशेष श्रेणी के राज्य

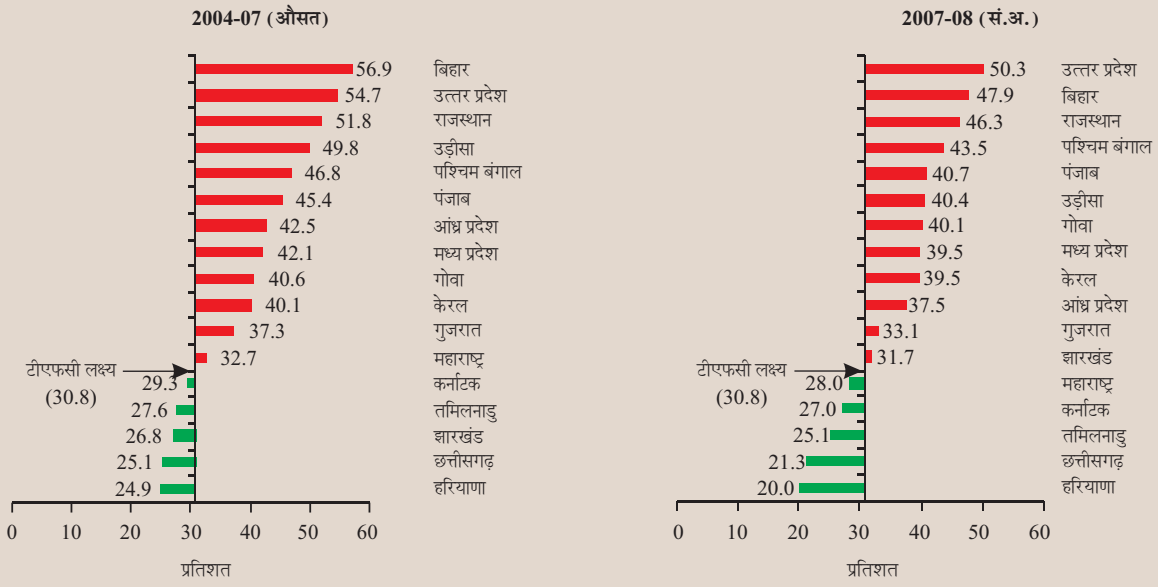

बंगाल का आइपी-आरआर अनुपात 2007-08 (सं.अ.) में 36.5 प्रतिशत रहा (देखें चार्ट 19)।

विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ऋण- जीएसडीपी अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक था। असम को छोड़कर सभी विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह अधिक था। 2007-08 (सं.अ.) ने मिजोरम ने 104.8 प्रतिशत का उच्च ऋण-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (79.8 प्रतिशत), सिक्किम (72.2 प्रतिशत) और जम्मू और कश्मीर (70.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। असम ने 28.0 प्रतिशत का न्यूनतम ऋण-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया जिसके बाद मेघालय (39.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच केवल असम ने 2007-08 (सं.अ.) में 30.8 प्रतिशत का ऋण-जीएसडीपी अनुपात का टीएफसी लक्ष्य हासिल किया है (चार्ट 41)। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा

चार्ट 41 : ऋण-जीएसडीपी- विशेष श्रेणी के राज्य

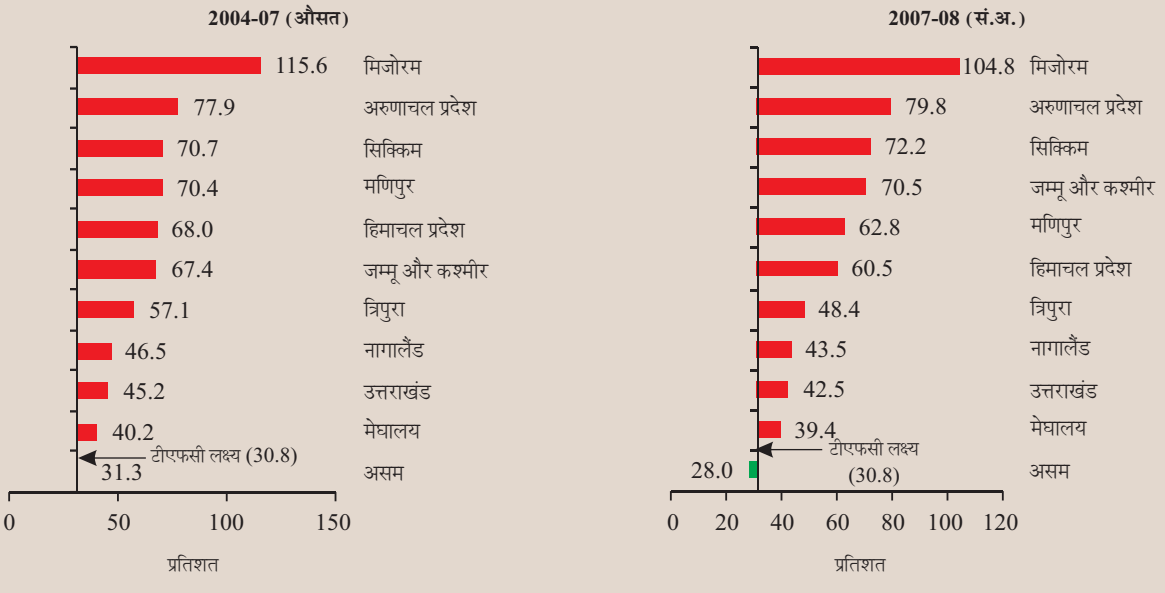

सिक्किम को छोड़कर विशेष श्रेणी के अन्य सभी राज्यों ने 2004-07(औसत) से 2007-08 (सं.अ.) की अवधि के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट का अनुभव किया। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम का ऋण-जीएसडीपी अनुपात क्रमशः 77.9 प्रतिशत, 67.4 प्रतिशत और 70.7 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 (सं.अ.) में 79.8 प्रतिशत, 70.5 प्रतिशत और 72.2 प्रतिशत हो गया। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में ऋण-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च गिरावट का अनुभव मिज़ोरम ने किया जिसके बाद त्रिपरा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) आइपी-आरआर अनुपात हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के लिए 15.0 प्रतिशत टीएफसी लक्ष्य से नीचे था (देखें चार्ट 25)।

VI.2. बाजार उधार

VI.2.1 समेकित स्थिति

राज्य सरकारों ने विभिन्न अवधियों वाली (अधिकांशतः 10 वर्षीय परिपक्वता) दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की जो अधिकतर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा खरीदी गईं। राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताओं में बाजार उधारों का हिस्सा मार्च 2000 के अंत के 14.8 प्रतिशत से क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ मार्च 2005 अंत की स्थिति अनुसार 20.7 प्रतिशत हो गया (सारणी 27)। कुल बकाया ऋणों में बाजार उधारों का हिस्सा मार्च 2007 के अंत के स्थिति अनुसार घटकर 19.4 प्रतिशत हो गया लेकिन अनुमान है कि 2008-09 में यह बढ़कर 25.0 प्रतिशत हो जाएगा। बाजार उधारों पर अपेक्षाकृत निर्भरता एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहों में गिरावट के कारण है। राज्य सरकारों के बाजार उधारों से संबंधित हाल ही की गतिविधियां बॉक्स 8 में दशाई गई हैं।

राज्य सरकारों के उच्ची लागत वाले बाजार ऋणों (ब्याज दर 10 प्रतिशत से अधिक) का हिस्सा 2007-08 के दौरान और कम हो गया। मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार 10 प्रतिशत और उसे अधिक उससे अधिक की ब्याज दर वाले बकाया स्टॉक का हिस्सा मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार 27.4 प्रतिशत से घटकर 18.4 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 29)। तथापि, 8 प्रतिशत से कम की ब्याज दर वाले बकाया बाजार ऋणों के हिस्से में गिरावट रही और यह मार्च 2007 के अंत के 62.6 प्रतिशत से मार्च 2008 के स्थिति के अनुसार 54.3 प्रतिशत हो गया। 8-10 प्रतिशत

सारणी 29: राज्य सरकार प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक का ब्याज दर स्वरूप

(मार्च के अंत में)

ब्याज दर सीमा	बकाया राशि (करोड़ रुपए)		कुल से प्रतिशत	
	2007	2008	2007	2008
1	2	3	4	5
5.00-5.99	33,825	33,825	13.9	11.3
6.00-6.99	58,564	58,564	24.1	19.6
7.00-7.99	59,638	69,759	24.6	23.4
8.00-8.99	18,791	76,112	7.7	25.5
9.00-9.99	5,412	5,412	2.2	1.8
10.00-10.99	14,468	14,418	6.0	4.8
11.00-11.99	16,934	16,869	7.0	5.7
12.00-12.99	25,960	23,550	10.7	7.9
13.00-13.99	9,186	–	3.8	–
कुल	**2,42,777**	**2,98,508**	**100.0**	**100.0**

'–' : कुछ नहीं

स्रोत: रिज़र्व बैंक रिकार्ड

के बीच ब्याज दर वाले बकाया बाजार ऋणों के हिस्से में तदनुरूप वृद्धि हुई और यह मार्च 2007 के अंत के 10.0 प्रतिशत से मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार 27.3 प्रतिशत हो गया जो ब्याज दरों में सामान्य उर्ध्वमुखी चाल को दर्शाता है।

VI.2.2 2008-09 के दौरान बाजार उधारों का आबंटन

रिज़र्व बैंक के रिकार्डों के अनुसार राज्य सरकारों के बाजार उधारों का निवल आबंटन 2002-03 से स्थिर गति से बढ़ता रहा है (सारणी 30)। एनएसएसएफ में कमी के कारण 35,780 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन[14] की वजह से पिछले वर्ष के 20,045 करोड़ रुपए की तुलना में 2007-08 के दौरान कुल निवल आबंटन तेजी से बढ़कर 69,015 करोड़ रुपए हो गये। बाजार उधार कार्यक्रम के अंतगर्कत राज्य सरकारों के लिए निवल आबंटन 2008-09 में 57,103 करोड़ रुपए रखा गया है। 14,371 करोड़ रुपए की चुकौतियों को ध्यान में रखते हुए सकल आबंटन की राशि 71,474 करोड़ रुपए होती है जो पिछले वर्ष के तुलना में 13 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है (परिशिष्ट सारणी 21)। 2008-09 (11 दिसंबर 2008 तक) के दौरान राज्यों ने 6.95-9.90 प्रतिशत की सीमा में उच्चतम दर के साथ नीलामियों के माध्यम से बाजार उधार जुटाये जिनकी राशि 36,551 करोड़ रुपए (अथवा सकल आबंटन का 51.1 प्रतिशत) थी।

14 अतिरिक्त आबंटन वित्त वर्ष के प्रारंभ में किये गये आबंटन के अतिरिक्त वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधारो की स्वीकृति है।

बॉक्स 8: राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में हाल ही की गतिविधियां

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के अंतर्गत संग्रहों में गिरावट आने के कारण बाजार उधार राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं। बाजार उधारों ने पिछले वर्ष के 16.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) के दौरान सकल राजकोषीय घाटे के 58.9 प्रतिशत का वित्तपोषण किया। 2008-09 में बाजार उधार राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के 56.7 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगे। 2007-08 के दौरान, एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहों में कमी के कारण भारत सरकार ने राज्यों को 35,780 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया । इस प्रकार 2007-08 में बाजार उधारों का सकल आबंटन पिछले वर्ष के 26,596 करोड़ रुपए (6,551 करोड़ रुपए की चुकौतियों सहित) की तुलना में 80,570 करोड़ रुपए (11,555 करोड़ रुपए की चुकौतियों सहित) रहा। 2008-09 के दौरान बाजार उधारों का सकल आबंटन 71,474 करोड़ रुपए होता है। राज्य सरकारों ने 2007-08 के दौरान अपने सकल आबंटन का 84.1 प्रतिशत जुटाया। 2008-09 के दौरान अब तक (11 दिसंबर 2008 तक) राज्य सरकारों ने बाजार उधारों का सकल आबंटन 51.1 प्रतिशत जुटाया है।

2006-07 के सभी राज्य सरकारें नीलामी के माध्यम से बाजार से ऋण जुटाती रही है। हाल के वर्षों में बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर की बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी। भारित औसत ब्याज दर 2002-03 के 7.49 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में बढ़कर 8.25 प्रतिशत हो गई। 2008-09 में बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर 11 दिसंबर 2008 तक बढ़ी और 8.35 प्रतिशत पर टिकी रही। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारित औसत ब्याज दर 2008-09 के दौरान अब तक (11 दिसंबर 2008 तक) मिजोरम के लिए 9.4 प्रतिशत से लेकर सिक्किम और मणिपुर के लिए 7.0 प्रतिशत की सीमा में रही। 2007-08 के दौरान जुटाए गए ऋणों पर ब्याज दरें 7.84- 8.90 प्रतिशत की सीमा में रहीं जबकि 2008-09 के दौरान अब तक (11 दिसंबर 2008) जुटाए गए ऋणों पर ब्याज दरें 6.95 -9.90 प्रतिशत की सीमा में थीं। पश्चिम बंगाल ने जुलाई 2008 में 9.9 प्रतिशत की सर्वोच्च उच्चतम दर पर 800 करोड़ रुपए जुटाए थे।

चार राज्य सरकारों यथा छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और त्रिपुरा ने 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। दूसरी ओर, 12 राज्य सरकारों यथा अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने 2007-08 के दौरान अपने समग्र आबंटन का 100 प्रतिशत जुटाया। इसके अलावा 2007-08 में भारी अधिशेष नकद शेषों तथा इस पर अर्जित नकारात्मक स्प्रेड के परिप्रेक्ष्य में उड़ीसा ने 156 करोड़ रुपए की कीमत की 11 प्रतिभूतियां वापस खरीद लीं। 2008-09 में अब तक (11 दिसंबर 2008 तक) 20 राज्य सरकारों ने पुदुचेरी सहित राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में भाग लिया। पुदुचेरी सहित 13 राज्य सरकारों ने 11 दिसंबर 2008 की स्थिति के अनुसार बाजार उधारों के अपने संबंधित सकल आबंटन का 50 प्रतिशत पहले ही जुटा लिया था।

जनवरी 2007 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 19 वें सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि अगले वित्त वर्ष 2007-08 के राज्य विकास ऋणों की नीलामी में 'गैर प्रतिस्पर्धी नीलामी योजना' प्रारंभ की जाए। जुलाई 2007 के दौरान सभी राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई संशोधित सामान्य अधिसूचना में गैर प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा हेतु एक योजना शामिल की गई थी। यह योजना आरबीआइ-एनडीएस नीलामी मॉड्यूल (वर्जन 2) के एक अंग के रूप में जारी की जाएगी जो इस समय भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है।

राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता लाने के लिए वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रस्ताव किया गया था कि ' राज्य अपने विवेक और पहल पर एक उन्नत सांकेतिक खुला बाजार उधार कैलेंडर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे'। राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन में विस्तृत चर्चाओं के उपरांत यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों के उधारों से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण किया जाए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2007 को 'राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में अधिक पारदर्शिता' शीर्षक से एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें निवल आबंटन, परिपक्वताएं, उस समय तक जुटाई गई राशि तथा 2007-08 की शेष अवधि के दौरान जुटाई जानेवाली शेष राशि दर्शायी गयी थी। 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों से अवधिवार उधार आवश्यकताएं प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया था। 17 जून 2008 को 'राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम - 2008-09' शीर्षक से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें वर्ष 2008-09 के लिए बाजार उधारों की अनुमानित सकल आवश्यकताओं का विवरण दिया गया था। इस प्रेस विज्ञप्ति में यह बात दोहरायी गई थी कि 'राज्य सरकारों/ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इन उधार आवश्यकताओं की समीक्षा करने और राज्य सरकारों की उभरती आवश्यकताओं, बाजार स्थितियों तथा अन्य संबंधित कारकों को दृष्टिगत रखते हुए उधारों में आशोधन करने की नमनीयता रहेगी'।

संदर्भ

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (2007), 'राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में अधिक पारदर्शिता-2007-08', प्रेस विज्ञप्ति, 12 सितंबर।
2. _____ (2008), वार्षिक रिपोर्ट - 2007-08.
3. _____ (2008), 'राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम - 2008-09', प्रेस विज्ञप्ति, 17 जून।

बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर 2007-08 के 8.25 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (11 दिसंबर 2008 तक) के दौरान मामूली बढ़कर 8.35 प्रतिशत हो गयी (सारणी 31)। 2008-09 में अब तक (11 दिसंबर 2008 तक) बाजार उधारों की समस्त राशि 2007-08 के समान ही नीलामी के माध्यम से जुटाई गयी थी।

VI.3 चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंध

राज्य सरकारो को अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट के संबंध में परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष श्री एम.पी. बेज़बरुआ) की सिफारिशों के अनुसरण में 2006-07 में राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट के संबंध में प्रारंभ की गयी

सारणी 30: राज्य सरकारों के बाजार उधार

(करोड़ रुपए)

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5	6	7	8
1. निवल आबंटन	12,722	12,767	13,969	16,112	17,242	28,781	49,439
2. अतिरिक्त आबंटन	6,422	4,893	3,236	3,522	2,803	40,234 #	7,664
3. डीएसएस के अंतर्गत आबंटन	10,000	29,000	19,766	–	–	–	–
4. कुल (1+2+3)	29,144	46,660	36,971	19,634	20,045	69,015	57,103
5. चुकौतियां	1,789	4,145	5,123	6,274	6,551	11,555	14,371
6. सकल आबंटन (4+5)	30,933	50,805	42,094	25,908	26,596	80,570	71,474
7. डीएसएस के अंतर्गत जुटाई गई राशि	10,000	26,623	16,943	–	–	–	–
8. आरआइडीएफ ऋणों को समय पूर्व चुकाने के लिए जुटाई गई राशि	–	–	1,386	–	–	–	–
9. जुटाई गई कुल राशि (i + ii)	30,853	50,521	39,101	21,729	20,825	67,779	36,551
(i) टैप निर्गम	27,880	47,626	38,216	11,186	–	–	–
(ii) नीलामियां	2,973	2,895	885	10,543	20,825	67,779	36,551
	(13)	(8)	(3)	(24)	(22	(21)	(20)
10. जुटाई गई निवल राशि (9-5)	29,064	46,376	33,978	15,455	14,274	56,224	22,179
11. जुटाई गई निवल राशि (डीएसएस के अलावा) (10-7)	19,064	19,753	17,035	15,455	14,274	56,224	22,179
12. जुटाई गई निवल राशि (डीएसएस और आरआइडीएफ के अलावा) (11-8)	19,064	19,753	15,649	15,455	14,274	56,224	22,179
ज्ञापन मदें :							
(i) कूपन/कट-आफ प्रतिलाभ सीमा (%)	6.60-8.00	5.78-6.40	5.60-7.36	7.32-7.85	7.65-8.66	7.84-8.90	6.95-9.90
(ii) भारित औसत ब्याज दर (%)	7.49	6.13	6.45	7.63	8.10	8.25	8.35
(iii) औसत परिपक्वता (वर्ष में)	10.00	10.05	10.01	10.00	10.00	10.00	10.00

* : दिसंबर 2008 तक जुटाई गई राशि '–' : शून्य/लागू नहीं

: एनएसएसएफ में प्रत्याशित गिरावट के बदले रु. 35,780 करोड़ का अतिरिक्त आबंटन।

डीएसएस : ऋण बदली योजना आरआइडीएफ : ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि

टिप्पणी : (i) कोष्ठक के आंकड़े नीलामी मार्ग अपनानेवाले राज्यों की संख्या दर्शाते हैं। 2006-07 से सभी राज्य नीलामी मार्ग के माध्यम से बाजार उधार लेते रहे हैं।
(ii) भारिबैं रिकार्ड के अनुसार बाजार उधार संबंधी आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में सूचित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।
(iii) 2007-08 के आंकड़ों में पुदुचेरी के आंकड़े शामिल हैं।

स्रोत : रिज़र्व बैंक रिकार्ड

संशोधित योजना 2007-08 के दौरान जारी रही। पुदुचेरी के सामान्य बैंकिंग कारोबार चलाने तथा रुपया लोक ऋण का प्रबंध करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 17 दिसंबर 2007 को केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सरकार के साथ एक करार किया और इसकी सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 50 करोड़ रुपए तय की गयी थी। 2008-09 के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की समीक्षा की गयी थी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि 2008-09 के लिए 9,925 करोड़ रुपए की विद्यमान राज्य-वार सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं बनाई रखी जाएं (केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए 50 करोड़ रुपए सहित)(सारणी 32)।

2008-09 के दौरान राज्यों द्वारा सामान्य अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्टों का औसत उपभोग कम बना रहा जो अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा भारी अधिशेष नकद शेष के निर्माण के फलस्वरूप था। 2008-09 के दौरान (30 नवंबर 2008 तक) राज्यों द्वारा किया गया 389 करोड़ रुपए का अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट का उपभोग (दैनिक बकाया का औसत) पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में किये गये 903 करोड़ रुपए के उपभोग की तुलना में काफी कम था (चार्ट 42)। 2008-09 (30 नवंबर 2008 तक) के दौरान छह राज्यों में 2-33 दिनों की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम किये जिसमें से 3 राज्यों ने 4-14 दिनों के बीच की अवधि के लिए ओवर ड्राफ्ट का सहारा लिया (विवरण 38)। पिछले वर्ष की तुलना गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच पश्चिम बंगाल तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच नागालैण्ड जैसे राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम लिया जाना अपेक्षाकृत कम था। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान पंजाब और उत्तराखंड जैसे कुछ अन्यों राज्यों में अर्थोपाय अग्रिम लिये जाने में वृद्धि हुई। राज्य सरकारों के बजट दस्तावेंज दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकारों को केंद्र के (सकल) अर्थोपाय अग्रिमों में 2002-03

सारणी 31 : राज्य सरकार प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ

वर्ष	प्रतिलाभ सीमा (प्रतिशत)	भारित औसत प्रतिलाभ (प्रतिशत)	जुटाई गई राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1990-91	11.50	11.50	2,569
1991-92	11.50-12.00	11.82	3,364
1992-93	13.00	13.00	3,805
1993-94	13.50	13.50	4,145
1994-95	12.50	12.50	5,123
1995-96	14.00	14.00	6,274
1996-97	13.75-13.85	13.83	6,536
1997-98	12.30-13.05	12.82	7,749
1998-99	12.15-12.50	12.35	12,114
1999-00	11.00-12.25	11.89	13,706
2000-01	10.50-12.00	10.99	13,300
2001-02	7.80-10.53	9.20	18,707
2002-03	6.60-8.00	7.49	30,853
2003-04	5.78-6.40	6.13	50,521
2004-05	5.60-7.36	6.45	39,101
2005-06	7.32-7.85	7.63	21,729
2006-07	7.65-8.66	8.10	20,825
2007-08	7.84-8.90	8.25	67,778
2008-09*	6.95-9.90	8.35	36,551

* 11 दिसंबर 2008 तक
स्रोत : रिजर्व बैंक रिकार्ड

(बारह राज्य) के 3,329 करोड़ रुपए से लगातार गिरावट आई है और यह 2007-08 (सं.अ.) में (एक राज्य) 50 करोड़ रुपए हो गये। तथापि, 2008-09 (दो राज्य) में अनुमान है कि यह बढ़कर 360 करोड़ रुपए हो जाएगा। विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच असम और गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच केरल ने 2008-09 के दौरान ऐसे अग्रिमों के लिए अनुमान लगाया है (विवरण 39)।

सारणी 32: सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं - 1996 से 2008

अवधि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	2
i. अगस्त 1996 से फरवरी 1999	2,234
ii. मार्च 1999 to जनवरी 2001	3,941
iii. फरवरी 2001 से मार्च 2002	5,283
iv. अप्रैल 2002 से मार्च 2, 2003	6,035
v. मार्च 3, 2003 से मार्च 31, 2004	7,170
vi. अप्रैल 1, 2004 से मार्च 31, 2005	8,140
vii. अप्रैल 1, 2005 से मार्च 31, 2006	8,935
viii. अप्रैल 1, 2006 से मार्च 31, 2007	9,875
ix. अप्रैल 1, 2007 से मार्च 31, 2008	9,925
x. अप्रैल 1, 2008 से मार्च 31, 2009	9,925

स्रोत : रिजर्व बैंक रिकार्ड

चार्ट 42 : राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का उपभोग
(दैनिक बकायों का औसत)

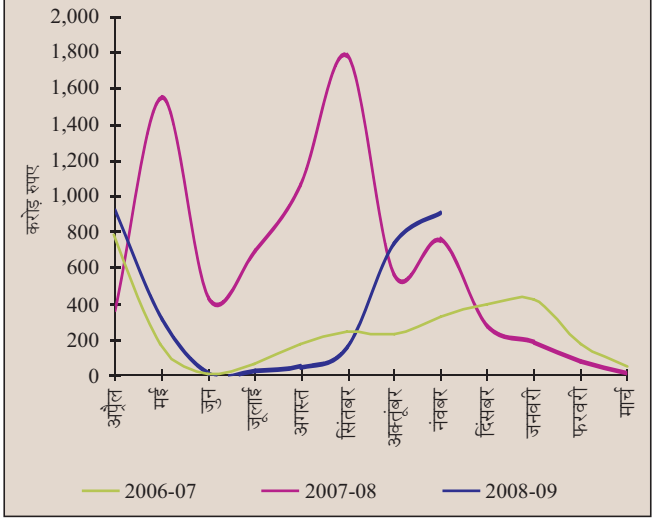

VI.4 आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा अन्य संस्थाओं की ओर से गारंटियां और चुकौती आश्वासन पत्र जारी करती रही हैं ताकि वे सार्वजनिक निवेश की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संसाधन जुटाने में समर्थ हो सकें। ऐसा मूलतः इसलिए है क्योंकि ऐसे निवेशों के लिए राज्य बजटीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। यद्यपि, आकस्मिक देयताएं राज्यों के ऋण का हिस्सा नहीं होती हैं लेकिन उधार लेने वाली संस्थाओं द्वारा चूक करने की स्थिति में राज्यों को ऋण चुकौती देयताएं पूरी करनी होंगी। वहीं उनके द्वारा दी गयी गारंटियों के संबंध में राज्यों द्वारा प्रतिबद्ध देयताओं का पालन न करने से सरकार की साख पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। गारंटियों के बढ़ते स्तर के राजकोषीय निहितार्थों के परिप्रेक्ष्य में राज्यों ने गारंटियों पर उच्चतम सीमा (संवैधानिक अथवा प्रशासनिक) लगाने के लिए कदम उठाएं है अबतक 17 राज्य सरकारों ने गारंटियों पर संविधिक / प्रशासनिक उच्चतम सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। 11 राज्यों ने गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) स्थापित की है।

चुनिंदा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार राज्य सरकारों की बकाया गारटियां मार्च 2000 के अंत 1,32,059 करोड़ रुपए (जीडीपी का 6.8 प्रतिशत) से तेजी से बढ़कर मार्च 2004 के अंत में 2,19,658 करोड़ रुपए (जीडीपी का

8.0 प्रतिशत)हो गयीं। उसके बाद राज्य सरकारों की बकाया देयताएं मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार घटकर 1,54,183 करोड़ रुपए (जीडीपी का 3.7 प्रतिशत) हो गयीं।

VI.5 राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन

राज्य सरकारों के ऋण की मात्रा के अलावा उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्त्वपूर्ण है जो ऋण की वहनीयता निर्धारित करते हैं। इस खंड में ब्याज अदायगियों के भार और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के परिपक्वता पैटर्न तथा राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले चलनिधि प्रबंध के संदर्भ में उठने वाले मुद्दों के अर्थ में राज्य सरकारों की ऋण वहनीयता का मूल्यांकन किया गया है।

VI.5.1 ब्याज भुगतान

राज्य सरकारों का आइपी-आरआर अनुपात जो कि ऋण वहनीयता का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है, 1990-91 के 13.0 प्रतिशत से तेजी से खराब होता हुआ 2003-04 में 26.0 प्रतिशत पर पहुंच गया लेकिन बाद में आंशिक रूप से डीएसएस (2002-03 से 2004-05) के अंतर्गत ब्याज लाभ के कारण तथा आंशिक रूप से गिरती ब्याज दरों के कारण 2007-08 (सं.अ.) में 16.4 प्रतिशत पर आ गया। ब्याज भुगतानों का उच्च भार का राजस्व घाटे को चौड़ा करने की ओर प्रवृत्त होता है और परिणामस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा बढ़ता है। परिणामस्वरूप घाटे, ऋण और ब्याज भुगतानों का एक दुश्चक्र निर्मित हो जाता है (देखें चार्ट 38)। बारहवें वित्त आयोग ने पुनर्संरचना के अपने प्रस्तावित पथ के अनुसार सिफारिश की थी कि अवार्ड अवधि के अंतिम वर्ष (2009-10) की समाप्ति तक सभी राज्यों द्वारा आइपी-आरआर अनुपात क्रमिक रूप से घटाकर 15 प्रतिशत ले आना चाहिए।

सारणी 33 : राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां

वर्ष (मार्च के अंत में)	राशि (करोड़ रुपए)	जीडीपी का प्रतिशत
1	2	3
1992	40,158	6.1
1993	42,515	5.6
1994	48,865	5.6
1995	48,479	4.8
1996	52,631	4.4
1997	65,339	4.7
1998	73,751	4.8
1999	79,457	4.5
2000	1,32,029	6.8
2001	1,68,719	8.0
2002	1,65,386	7.3
2003	1,84,294	7.5
2004	2,19,658	8.0
2005	2,04,426	6.5
2006 अ	1,96,914	5.5
2007 अ	1,54,183	3.7

अः अनंतिम

टिप्पणी : 17 राज्यों के आंकड़े 2005 तक, 16 राज्यों के 2006 तक और 19 राज्यों के 2007 तक हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

2008-09 के दौरान आइपी-आरआर अनुपात 15.1 प्रतिशत पर बजट किये जाने साथ ही समेकित स्तर पर आइपी-आरआर अनुपात में क्रमिक रूप से कमी आई है। हाल ही के वर्षों में ऋण की वृद्धि में गिरावट राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने कि दिशा में राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों की अभिव्यक्ति है। डीएसएस (अर्थात केंद्र को ऊंची लागत वाले ऋण की समय पूर्व अदायगी) सहित राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों के विन्यास का प्रभाव राज्य सरकारों के बकाया ऋणों पर औसत ब्याज दर में कमी से स्पष्ट है जो 1999-2000 के 11.2 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर घटकर 2003-04 में 10.2 प्रतिशत और 2008-09 में 8.1 प्रतिशत हो गया है (सारणी 34)।

VI.5.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक की परिपक्वता के स्वरूप के अर्थ में मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक का लगभग 44.9 प्रतिशत सात वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता ब्रैकेट से संबंधित था जबकि 21.9 प्रतिशत पांच से सात वर्ष के अंदर वाले ब्रैकेट का था और 33.1 प्रतिशत पांच वर्ष से कम वाले ब्रैकेट का था (सारणी 35)।

वर्ष 2002-03 और 2004-05 के दौरान डीएसएस के अंतर्गत उधारों की भारी राशि के कारण बाजार उधारों का परिपक्वता स्वरूप 2012-13 से भारी चुकौती देयताएं दर्शाता है। एनएसएसएफ कमी को पूरा करने के लिए 2007-08 के दौरान उधारों की भारी मात्रा के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में चुकौती देयताएं दुगने से भी ज्यादा होंगी (सारणी 36) (विवरण 34 और 35 भी देखें)।

सारणी 34 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं पर ब्याज दर

(प्रतिशत)

वर्ष	ब्याज दर *
1	2
1991-92	8.5
1992-93	9.0
1993-94	9.4
1994-95	10.3
1995-96	10.1
1996-97	10.2
1997-98	10.4
1998-99	10.7
1999-00	11.2
2000-01	10.0
2001-02	10.4
2002-03	10.0
2003-04	10.2
2004-05	9.5
2005-06	8.2
2006-07	8.0
2007-08 (सं.अ.)	8.2
2008-09 (ब.अ.)	8.1

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

* : चालू वर्ष के ब्याज भुगतानों को पिछले वर्ष के बकाया ऋण से भाग देकर निकाला गया।

स्रोत : सारणी 26 के समान।

सारणी 35 : बकाया राज्य सरकार प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप

(मार्च 2008 के अंत में)

राज्य	कुल बकाया राशि का प्रतिशत				
	0-1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5-7 वर्ष	7 वर्ष से अधिक वर्ष
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	6.11	12.80	19.86	18.71	42.53
2. अरुणाचल प्रदेश	1.60	5.07	11.06	12.19	70.09
3. असम	5.67	11.64	20.68	16.93	45.09
4. बिहार	6.85	12.99	25.61	24.16	30.39
5. छत्तीसगढ़	7.33	20.54	30.94	21.85	19.34
6. गोवा	6.51	11.58	17.19	16.36	48.37
7. गुजरात	3.56	9.58	19.93	19.95	46.98
8. हरियाणा	6.13	12.84	23.57	34.84	22.63
9. हिमाचल प्रदेश	2.70	8.44	18.64	22.43	47.78
10. जम्मू और कश्मीर	2.26	6.99	16.16	11.85	62.74
11. झारखंड	5.24	9.94	19.51	18.52	46.79
12. कर्नाटक	6.95	16.76	24.22	33.35	18.72
13. केरल	4.46	8.95	14.54	17.29	54.76
14. मध्य प्रदेश	4.03	11.25	15.66	28.27	40.79
15. महाराष्ट्र	2.87	6.51	9.21	25.67	55.75
16. मणिपुर	3.62	7.24	12.49	14.30	62.35
17. मेघालय	5.77	11.98	14.87	12.27	55.12
18. मिजोरम	3.58	8.35	19.32	10.11	58.65
19. नागालैंड	4.68	12.41	17.50	12.81	52.59
20. उड़ीसा	8.35	14.88	29.34	27.93	19.50
21. पंजाब	3.14	7.73	12.10	22.76	54.27
22. राजस्थान	6.01	14.15	19.58	20.32	39.94
23. सिक्किम	6.09	11.07	4.95	5.26	72.63
24. तमिलनाडु	3.93	10.50	18.14	21.82	45.61
25. त्रिपुरा	7.00	16.95	17.51	17.56	40.98
26. उत्तराखंड	2.54	4.83	23.81	21.45	47.38
27. उत्तर प्रदेश	7.18	13.65	18.67	20.77	39.73
28. पश्चिम बंगाल	2.70	6.34	12.34	22.07	56.55
सभी राज्य	**4.81**	**10.69**	**17.63**	**21.93**	**44.94**

स्रोत : रिजर्व बैंक रिकार्ड ।

VI.5.3 नकद शेषों का निवेश

राज्य सरकारों के पास लगातार भारी मात्रा में अधिशेष नकद शेष बना हुआ है जैसाकि 14-दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों (आइटीबी) तथा नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में उनके निवेशों में परिलक्षित है। 2008-09 (30 नवंबर 2008 तक) के दौरान 14-दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों और नीलामी खजाना बिलों में राज्यों द्वारा किये गये साप्ताहिक औसत निवेश की राशि 79,221 करोड़ रुपए थी जो कि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के 70,727 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक है (चार्ट 43)। राज्यों को उधार लिये गये संसाधनों की तुलना में इन निवेशों पर कम दर से लाभ प्राप्त होता है। अतः राजस्व लेखे पर बकाया नकद शेषों का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

VI.5.4 ऋण समेकन और राहत

बारहवें वित्त आयोग द्वारा आगे रखी गयी ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ) के दो घटक है - (i) सभी राज्यों के लिए लागू ऋण राहत की सामान्य योजना और (ii) 2008-09 तक राजस्व अधिशेष हासिल करने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजकोषीय निष्पादन से जुड़ी बट्टाखाता डालने की योजना। डीसीआरएफ का लाभ उठाना एफआरएल के अधिनियमन, आगे आने वानले प्रत्येक वर्ष में राजस्व घाटे की मात्रा में कमी करना और सकल राजकोषीय घाटे को 2004-05 के स्तर पर नियंत्रित रखने के अधीन है। 2007-08 के दौरान 21 राज्य सरकारों ने ऋण राहत से और 25 राज्य सरकारों ने ब्याज राहत से लाभ उठाया। 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों को दी गयी सकल ऋण और ब्याज राहत क्रमशः 4,812 करोड़ रुपए तथा 3,903 करोड़ रुपए रही। तीन राज्य सरकारें यथा जम्मू और कश्मीर, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल 2007-08 के दौरान ऋण अथवा ब्याज राहत में से किसी को भी पाने में असफल रहे (विवरण 48)।

सारणी 36: बकाया राज्य विकास ऋणों और पावर बांडों की परिपक्वता सूची

(मार्च 2008 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राज्य विकास ऋण	ऊर्जा बांड	कुल
1	2	3	4
2008-09	14,371	1,453	15,825
2009-10	16,238	2,907	19,145
2010-11	15,660	2,907	18,566
2011-12	21,993	2,907	24,900
2012-13	30,628	2,870	33,498
2013-14	32,079	2,870	34,949
2014-15	33,384	2,870	36,254
2015-16	35,191	2,907	38,098
2016-17	31,522	1,453	32,975
2017-18	67,442	–	67,442
कुल	**2,98,508**	**23,144**	**3,21,652**

'–' : कुछ नहीं

स्रोत: रिज़र्व बैंक रिकार्ड

चार्ट 43 : राज्य सरकारों द्वारा 14-दिवसीय मध्यवर्ती और नीलामी खजाना बिलों में निवेश

(दैनिक बकायों का औसत)

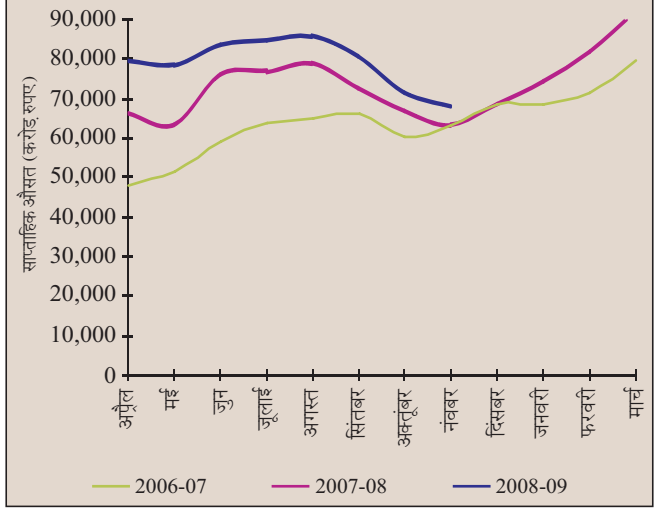

VII. राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां - प्रवृत्ति एवं संघटन

संरचनागत कमज़ोरियों के कारण नब्बे के दशके में राज्य सरकारों के वित्त में क्षरण हुआ जैसा कि राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे में सतत विस्तार, प्रतिबद्ध किंतु विकासेतर व्यय का बढ़ता हिस्से, सामाजिक क्षेत्र और व्यय घटता हिस्से और करेतर राजस्व के कम होने तथा गिरने में परिलक्षित है। इस पृष्ठभूमि के सामने राज्य सरकारों ने राजकोषीय सुधार प्रारंभ किये जिनका लक्ष्य बारहवें वित्त आयोग तथा संस्थागत सुधारों द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन व्यवस्था द्वारा समर्थित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएल) के क्रमिक रूप से कार्यान्वयन सहित राजकोषीय सुधार एवं समेकन था। 2003-04 से राज्य सरकारों के वित्त में उल्लेखनिय सुधार दर्शाया है जो उनके राजस्व में सुदृढ़ वृद्धि द्वारा समर्थित थी।

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों को मोटे तौर पर कर एवं करेतर राजस्व में वर्गीकृत किया जा सकता है। कर राजस्व के अंतर्गत राज्यों के स्व-कर राजस्व तथा केंद्रीय करों में हिस्सा आता है और करेतर राजस्व में राज्यों के स्व-करेतर राजस्व तथा केंद्र से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान आते हैं। मौजूदा संघीय राजकोषीय ढांचे के अंतर्गत कर वसूलने के राज्यों के अधिकार व्यापक रूप से अप्रत्यक्ष करों तक सीमित हैं, प्रमुखरूप से पण्य करों जैसे कि बिक्री कर तथा अन्य प्रत्यक्ष लेवियों जैसे कि राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन पर सेवा कर और यात्रियों एवं माल की ढुलाई पर कर तक। राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष कर मूल रूप से भूमि राजस्व और कृषीय आयकर तक सीमित हैं। राज्यों ने कर सुधार प्रारंभ किये हैं जिनका लक्ष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों को सरल तथा तर्क संगत बनाना है और मुख्य रूप से राज्य स्तर पर गठित की गयी कर सुधार विषयक विभिन्न समितियों की सिफारिशों को लेकर कर ढांचे की विसंगतियों को दूर करना है। इस कर सुधार प्रकिया का सकारात्मक प्रभाव राज्य स्तर पर स्व-कर राजस्वों से होनेवाले राजस्व संग्रह के क्रमिक सुधार में परिलक्षित हुआ था। करेतर मोर्चे पर, सुधारों में हो रही प्रगति तुलनात्मक रूप से धीमी रही है।

इस खंड में 1980-81 से राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों की व्यापक प्रवृत्ति और पैटर्न का विश्लेषण किया गया है। इस खंड में दिया गया विश्लेषण राज्य सरकारों के कर एवं करेतर दोनो ही प्रकार की स्व-राजस्व प्राप्तियों पर फोकस है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्र से राज्य सरकारों को किये गये राजकोषीय अंतरणों का विश्लेषण विस्तृत रूप से पिछले वर्ष के अध्ययन[15] में एक विशेष थीम के रूप में किया गया था।

15 राज्य वित्त - वर्ष 2007-08 के बजटों का अध्ययन, पृ.सं. 58-75, भारतीय रिज़र्व बैंक, नवंबर 2007.

VII.1 राज्य स्तरीय राजस्व सुधार

भारत में कर संरचना की एक झलक देने के बाद इस खंड में उन प्रमुख राजस्व सुधारों का वर्णन किया गया है जो हाल ही के वर्षों के दौरान राज्य सरकार के स्तर पर हुए हैं। राज्य सरकारों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में निर्धारित किय गये लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सघन राजकोषीय उपाय प्रारंभ किये गये हैं। चूंकि राज्यों के स्व-कर राजस्व अपने राजस्व के प्रमुख घटक का निर्माण करते हैं, अतः राज्य स्तर पर कर सुधारों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

VII.1.1 भारत में कर संरचना

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में क्रमशः संघ और राज्य सूचियों में केंद्र और राज्यों के राजस्व स्रोत निर्दिष्ट किये गये हैं। भारतीय संघिय व्यवस्था में प्रमुख कर जैसे कि आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आदि केंद्र सरकार को सौंपे गये हैं। राज्य सरकारों को सौंपे गये विभिन्न कर हैं राज्य बिक्री कर/ वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, स्टॉम्प और पंजीकरण शुल्क, कृषि आय कर, आदि। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की राजस्व जुटाने की शक्तियों में परिणामी वैषम्य अंतर सरकारीय अंतरणों की प्रणाली के माध्यम से दूर किया जाता है। केंद्रीय करों में हिस्सा जो कि वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार से विभिन्न राज्य सरकारों को डिवॉल्व किया जाता है, भारत में अंतर सरकारीय अंतरणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चैनल है। वर्तमान में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार के निवल कर संग्रह का 30.5 प्रतिशत राज्य सरकारों को डिवॉल्व होता है।

VII.1.2 राज्य सरकारों द्वारा कर सुधार

राज्य सरकारों के कर सुधारों का मुख्य फोकस प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों के सरलीकरण और तार्किकीकरण पर था जिसका लक्ष्य कर संग्रह में वृद्धि करना, कर ढांचे की विसंगतियां दूर करना, कर प्रशासन में सुधार लाना और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से कर संग्रहण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करना।

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कर सुधार जो राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया गया है राज्य बिक्री कर के बदले वैट के प्रारंभ से संबंधित है। अप्रैल 2003 में हरियाणा द्वारा की गई शुरुआत से लेकर सभी राज्य सरकारों ने वैट कार्यान्वित किया है। उत्तर प्रदेश अंतिम राज्य था जिसने जनवरी 2008 में वैट कार्यान्वित किया। वैट ने ढेर सारी मौजूदा कर दरों की संख्या को घटाकर तथा कर रियायतों को कम कर के कर संरचना पहले से सरल बना दी है। केंद्र सरकार ने तकनीकी सहायता देकर वैट के कार्यान्वयन को सुगम बनाया। वैट शुरू करने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान की केंद्र द्वारा राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए एक क्षतिपूर्ति फार्मूला बनाया गया था। राज्य सरकार के स्तर पर इस नई प्रणाली का शुरू करना सरल रहा। वैट के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए एक संबंद्ध सुधार था केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) का चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना। यह केंद्रीय बिक्री कर वस्तुओं के अंतर राज्यीय व्यापार पर लगाए जाता है। वैट-पूर्व व्यवस्था के दौरान केंद्रीय बिक्री कर 4 प्रतिशत की दर से लगाया जाता था। केंद्रीय बिक्री कर की यह दर 1 अप्रैल 2007 से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गयी थी जिसे 1 अप्रैल 2008 से और घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया। केंद्रीय बिक्री कर के चरणबद्ध समापन से उत्पन्न होने वाली हानियों के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाए गये क्षतिपूर्ति फार्मूले ने भी काम किया। वैट की दक्षता में सुधार लाने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गये अन्य कदमों में शामिल है वैट का लेखा परीक्षा मूल्यांकन, उन व्यापारियों को निविष्ट कर का क्रेडिट न देना जिन्होंने बिक्री की कीमत निर्धारित करते समय निविष्टयों पर अदा किये गये कर को हिसाब में लिया है, निर्यातोन्मुखी इकाईयों को निविष्ट कर क्रेडिट की वापसी में तेजी लाना, वैट विवरणी फार्म का सरलीकरण और कर वापसी की अदायगी की प्रकिया को सरल बनाना। कर के मोर्चे पर सुधार का प्रमुख क्षेत्र होगा 1 अप्रैल 2010 से व्यापक माल और सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन। माल और सेवा कर माल और सेवाओं पर राज्य और केंद्र स्तरीय अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक तर्क संगत प्रणाली उपलब्ध कराएगा।

राजस्व वृद्धि को लक्ष्य करके हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा अनेक नये कर लगाये गये जिससे वर्तमान कर जाल व्यापक हुआ है और कई करों की कर दर बढ़ी हैं। राजस्व वृद्धिकारक कुछ उपायों में शामिल है, पंजीकृत डीलरों द्वारा इस्तेमाल की गयी प्रमाणित कारों की पुनःबिक्री पर कर लगाना (गोवा), केबल आपरेटरों की आय और होटलों, क्लबों जैसे कतिपय परिसरों से मिलनेवाले किराये पर विलासिता कर (केरल), प्रदूषण नियंत्रण और पुराने वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए उन पर 'हरित

कर' (राजस्थान), कोलकाता मेट्रोपोलिटन प्लानिंग एरिया के बाहर स्थित होटलों पर विलासिता कर (पश्चिम बंगाल), दारू के व्यापार से संबंधित उत्पाद शुल्क और शुल्कों में वृद्धि (असम), सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को कवर करनेवाला विशेष पथ कर तथा व्यवसाय कर बढ़ाना (हिमाचल प्रदेश), कतिपय वस्तुओं पर विशेष प्रवेश कर (कर्नाटक), होटलों और लौजिंग हाऊसों तथा अन्य लक्ज़री हाऊसों पर विलासित कर (मिज़ोरम), और गोवा के बाहर पंजीकृत वाहनों पर 100 रुपए प्रति वाहन की दर से प्रवेश कर (गोवा)। राजस्व संग्रह में तेजी लाने के प्रयास में राज्य सरकारों ने विभिन्न राज्य करों पर कर अधिभार भी लगाया है जिनका लक्ष्य शिक्षा और मूल्य स्थिरता निधि गठित करने के लिए किये जाने वाले विशिष्ट व्ययों की दिशा में है। कर भार को कम करने तथा स्लैब की संख्या घटाकर कर दरों को तर्क संगत बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कर सुधारों के अलावा राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ किये गये सुधारों के एक अभिन्न अंग के रूप में कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उपाय करने थे। कर प्रशासन को संभालने के लिए बहुत सी राज्य सरकारों जैसे कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तराखंड ने कोषागारों / कर विभागों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। प्रारंभ किये गये अन्य कदमों में शामिल है, कर विभाग की वेब साईट शुरु करना जिसमें करों से संबंधित सभी सूचना रहेगी (असम), नौ स्थानों पर समन्वित चेक पोस्ट स्थापित करना जिसे की कर वसूली की प्रकिया को अधिक विधिवत और पारदर्शी बनाया जा सके (झारखंड), ईमानदार कर दाताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए गोल्डन और सिल्वर कार्ड योजनाओं की शुरूआत (असम), लखनपुर में नये टोल प्लाज़ा की स्थापना करना ताकि चौबीसों घंटे माल का आवागमन आसानी से हो सके (जम्मू और कश्मीर), कर अपवंचन-प्रणव वस्तुओं पर कर के अग्रिम संग्रह हेतु एक सुनिश्चित प्रावधान और वाणिज्यिक कर विभाग को सरल एवं कारगर बनाना (केरल), कर प्रशासन का सरलीकरण (कर्नाटक), और व्यापारियों के स्व-विकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर अदायगी की सुविधा (पश्चिम बंगाल)। कर प्रशासन में अधिक पारदर्शिता लाने और अनुपालन के लिए बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और असम सहित कुछ राज्यों ने स्व-कर मूल्यांकन योजना प्रारंभ की है। विभिन्न राज्य करों के अंतर्गत देय बकायों की तेजी से वसूली सुनिश्चित करने के लिए अनेक राज्य सरकारों (पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, असम, कर्नाटक और केरल सहित) ने हाल ही के वर्षों में विभिन्न प्रकार की माफी योजनाएं और बकायों के एक बारगी निपटान जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं।

विशिष्ट क्षेत्रों/उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कर राजस्व बढ़ाने के राज्य सरकारों के उपायों के साथ-साथ अनेक रियायतें भी चलीं। राज्यों द्वारा निम्नलिखित के लिए तरह-तरह की विभिन्न छूटें/रियायतें दी गयी हैं यथा जीवन रक्षक और अन्य दवाएं (अरुणाचल प्रदेश और असम), रिफाईनरियों के कच्चे तेल पर प्रवेश कर (असम), निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे तेल पर प्रवेश कर (कर्नाटक), मनोरंजन कर(बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान), होटलों पर विलासिता कर (जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल), राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए व्यवसाय कर (हिमाचल प्रदेश), प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद पर स्टाम्प शुल्क (महाराष्ट्र), जूट और चाय उद्योग का पुनरुज्जीवन (पश्चिम बंगाल), आवास ऋण और शिक्षा ऋण दस्तावेजों के लिए स्टाम्प शुल्क (महाराष्ट्र), अचल संपत्ति के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क (असम और हरियाणा) और चल संपत्तियों पर स्टाम्प शुल्क (राजस्थान) के लिए रियायतें दी गयी हैं।

VII.1.3 राज्य सरकारों द्वारा करेतर सुधार

कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य सरकारों ने भी करेतर सुधार प्रारंभ किये हैं। करेतर मोर्चे पर सुधार के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं उर्जा क्षेत्र, राज्य स्तर के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करना और उपभोक्ता प्रभार लगाकर/तर्क संगत बनाकर लागत वसूली करना। राजस्व जुटाने के लिए उपभोक्ता प्रभार लगाना एक उदीयमान स्रोत है और यह राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है (बॉक्स 9)।

बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, त्रिपुरा तथा जम्मू और कश्मीर जैसी अनेक राज्य सरकारों ने उर्जा क्षेत्र के सुधार प्रारंभ कर दिये हैं ताकि हानि और बिजली चोरी कम करके इस क्षेत्र से मिलने वाले राजस्वों में सुधार लाया जा सकता है। विद्युत वितरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक नयी पावर ट्रेडिंग कंपनी गठित की है। कुछ राज्य सरकारों जैसे कि मेघालय, मणिपुर, पंजाब, हिमाचल

बॉक्स 9: जनसेवाओं से लागत वसूली

राज्य सरकारों का करेतर राजस्व गैर-सरकारों द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों, सरकारों द्वारा प्राप्त लाभांश और लाभ, राज्य लाटरियों जैसी सामान्य सेवाओं से राजस्व, राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त तरह-तरह की सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर लगाये जाने वाले उपभोक्ता प्रभारों से प्राप्त राजस्व जैसी ढेर सारी विविध प्रकार की प्राप्तियों से बनता है। हाल ही के वर्षों में उपभोक्ता प्रभारों से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने राज्य सरकारों के कुल स्व-करेतर राजस्व में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है। तथापि, यह सर्व विदित है कि ये उपभोक्ता प्रभार जनता को ये सेवाएं (सामाजिक और आर्थिक) उपलब्ध कराने की लागत का बड़ी मुश्किल से वित्तपोषण कर पाते हैं। लागत वसूली संबंधी सुनिश्चित आंकड़ों के अभाव में इन सेवाओं से लागत वसूली हेतु करेतर राजस्व व्यय से करेतर राजस्व का अनुपात एक प्रतिनिधिक अनुपात के रूप में लिया जाता है। 2007-08 (सं.अ.) में सामाजिक सेवाओं के लिए यह अनुपात 4.0 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं के लिए 32.3 प्रतिशत रहा जो इन दोनों सेवाओं के संबंध में न्यून लागत वसूली दर्शाता है और उपभोक्ता प्रभारों की प्रणाली की पुनर्संरचना करने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। तथापि, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर इन सेवाओं संबंधी उपभोक्ता प्रभारों को बढ़ाते समय विचार करने की आवश्यकता है।

इन उपभोक्ता प्रभारों के पक्षधरों का तर्क यह है कि उपभोक्ता प्रभार राज्य सरकारों को ये सेवाएं प्रदान करने की लागत पूरी तरह से या आंशिक रूप से जनता को पास करने में समर्थ बनाएंगे। यही बात सरकार के कर राजस्व से इन सेवाओं का वित्तपोषण करने से रोकती है जिसके लाभ समग्र रूप से पूरे समाज को न मिलकर के केवल विशिष्ट व्यक्तियों को मिलते हैं। उदाहरण के रूप में, लोगों के घरों को की जानेवाली सरकारी जल आपूर्ति एक मीटर की रीडिंग के आधार पर प्रभारित की जा सकती है। ऐसी प्रणाली एक बार कार्यान्वित होने पर घरों में होनेवाले जल के दुरुपयोग को भी रोक सकती है। यह उपभोक्ता प्रभार जनमानस के उपभोक्ता व्यवहार को बदलने में भी उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए सड़कों के उपयोग के संबंध में वसूले जाने वाले टोल में भीड़भाड़ वाले समय और भीड़भाड़ रहित समय के आधार पर अंतर किया जा सकता है। इससे जनता को व्यस्त समय में किसी सड़क अथवा पुल विशेष का उपयोग कम करने में प्रोत्साहन मिलेगा और इस प्रकार भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

तथापि, सरकार द्वारा दी जानेवाली कुछ अन्य सामाजिक सेवाएं जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जनोपयोगी माल/सेवाओं(मेरिट गुड्स) की श्रेणी में आती हैं, जिसे सभी नागरिक,चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि जो भी हो, उपभोग कर सकते हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र भी जनता को ये सेवाएं प्रदान करने में समानरूप से सक्रिय है। तथापि, बाजार निर्धारित उपभोक्ता प्रभार जैसे कि निजी अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं में हैं, उनका भार आबादी का गरीब वर्ग नहीं उठा सकता है। इस प्रकार, गरीब वर्गों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व हो जाता है। यही तर्क जल आपूर्ति पर भी लागू होता है जहां गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों को नल का कनेक्शन देने में सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इस प्रकार, सरकार को विशिष्ट हिताधिकारी व्यक्तियों की पहचान करने के अलावा उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि पर आधारित हिताधिकारियों को उनसे अलग रखने के भी आवश्यकता है।

उन आर्थिक सेवाओं के मामले में जहां यह सेवा जैसे की बिजली लाभ कमाने के लिए उपयोग में लायी जाती है, ऐसे मामलों में सरकार को इसके ऊपर बाजार निर्धारित उपभोक्ता प्रभार लगाने चाहिए। ऐसे में यह जनता को वह विशेष प्रदान करने में होनेवाले व्यय का वित्तपोषण कर सकती है। इसके अलावा, यदि सरकार जनता को विशुद्धरूप से निजी माल/सेवाएं प्रदान करती है तो इसे चाहिए कि यह निजी क्षेत्र के साथ गुणात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाजार निर्धारित उपभोक्ता प्रभार लगाये। चूंकि उपभोक्ता प्रभार मुआवजा प्राप्ति है, उपभोक्ता प्रभार के माध्यम से संग्रह की गयी अधिकतम राशि जनता को दी गयी सेवाओं की लागत से अधिक नही होनी चाहिए। उपभोक्ता प्रभारों के माध्यम से संग्रह किया गया समस्त धन उस विषय सेवा पर ही खर्च किया जाना चाहिए और सरकार के किसी अन्य व्यय के वित्तपोषण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। यह उपभोक्ता प्रभार जनता को दी जानेवाली सेवाओं की गुणवता से जुड़े होने चाहिए ताकि इसे और स्वीकार्य बनाया जा सके।

संदर्भ:

1. दास गुप्ता, अरिंदम (2005), 'नॉन-टैक्स रेवेन्यूज इन इंडियन स्टेट्स: प्रिन्सिपल्स एण्ड केस स्टडीज़', एशियाई विकास बैंक के लिए तैयार किया गया पेपर, 'पॉलिसी रिसर्च नेटवर्किंग टु स्ट्रेंथेन पॉलिसी रिफॉर्म'।
2. नेशनल कॉन्फरेन्स ऑफ स्टेट लेजिसलेटर्स - फोरम फॉर अमेरिकाज् आयडियाज् (1999), द अप्रोप्रियेट रोल ऑफ यूजर चार्जेस् इन स्टेट एण्ड लोकल फायनान्स, जुलाई।

प्रदेश ने उपभोक्ता प्रभारों के ढांचे को तर्क संगत बनाने का प्रस्ताव रखा है। सिक्किम ने सेवाओं के स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु कदम उठाते समय सभी उचित उपभोक्ता प्रभार लागू किये। मेघालय ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडियां घटाने का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु ने सभी करेतर राजस्व स्रोतों की समीक्षा करने और सेवाएं की पर्याप्त लागत वसूली करने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। केरल ने केरल रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की हानियों को घटाने के लिए एक पैकेज प्रारंभ किया।

करेतर राजस्व बढ़ाने के लिए अनेक राज्यों ने विशेष उपाय किए हैं। हिमाचल प्रदेश ने उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए बिजली शुल्क बढ़ा दिया और बिजली का अधिक उपयोग करनेवाले उद्योगों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया। जम्मू और कश्मीर ने अपने व्ययों के अनुरूप जल और सिंचाई दरों को बढ़ाया। राज्य ने सरकारी विभागों और नगरपालिका निकायों तथा निजी संस्थानों द्वारा देय पॉवर टेरिफ और जल प्रभार के बकायों की वसूली के लिए अपने प्रयास भी सघन कर दिए हैं। मेघालय ने कुछ चुनिंदा पशु अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क प्रारंभ करना प्रस्तावित किया है। मिज़ोरम ने सड़कों और पुलों पर पथकर लगाया है तथा चुनिंदा क्षेत्रों में लघु सिंचाई पर जल प्रशुल्क लगाया है। इसने मीटर रीडिंग के आधार पर चल प्रभार निर्धारित करने का भी निर्णय लिया है। मेघालय ने

सिंचाई के लिए उपलब्ध जल पर सीमित जल उपभोक्ता प्रभार लगाया है। गोवा ने उन उपभोक्ताओं, जो 500 यूनिट प्रति माह से अधिक बिजली खर्च करते हैं, के सकल बिजली उपभोग पर 0.5 प्रतिशत का ऊर्जा उपकर लगाया है।

राज्य सरकारों ने करेतर राजस्व में सुधार लाने के लिए भी संस्थागत उपाय किए। हरियाणा ने किसानों के बकाया बिजली देयों के मामलों के निवारण के लिए एक समिति गठित की। हिमाचल प्रदेश ने परिवहन, शिक्षा, जल, सिंचाई, आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए एक पावर टैरिफ कमीशन गठित किया। नागालैंड ने जनता को दिए जानेवाले माल और सेवाओं की लागतों /मूल्यों की देय दरों के निर्धारण में न्याय देने हेतु एक स्वतंत्र मूल्यन ट्रिब्यूनल और नियामक प्राधिकरण गठित किया है। जम्मू और कश्मीर ने तिमाही आधार पर करेतर राजस्व की वसूली की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक चार सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति गठित की है। कनार्टक ने सरकार के कर और करेतर राजस्व की समीक्षा करने के लिए एक राजस्व सुधार आयोग गठित किया।

करेतर राजस्व सुधारने के लिए किए गए उपायों के साथ-साथ राज्य सरकारों ने विशेष क्षेत्रों को सब्सिडियां और छूटें प्रदान की। ऐसे कुछ उपाय जो करेतर राजस्व वसूली पर अपना प्रभाव डालते हैं, निम्नलिखित हैं : आंध्र प्रदेश ने किसानों को निःशुल्क बिजली देने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दी। किसानों के बकाया देय भी माफ कर दिए गए हैं। राज्य ने नवस्थापित उद्योगों, लौह मिश्र धातु उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों को भी ऊर्जा सब्सिडी प्रदान की है। गुजरात ने किसानों को बिजली शुल्क से पूरी छूट दी है। असम ने जनरेटर सेट के माध्यम से विद्युत उत्पादन पर विद्युत शुल्क की अदायगी से घरेलू क्षेत्र को मुक्त किया है। गोवा ने पावर टिलर्स , इलेक्ट्रिक वाटर पंप खरीदने और जलवाहिनी पाइप बिछाने की लागत के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी है। जम्मू और कश्मीर ने ऊर्जा देयों के बकायों के समापन हेतु एक माफी योजना प्रस्तावित की है। कर्नाटक ने उपभोक्ताओं के एक निश्चित वर्ग के लिए एक निश्चित सीमा के भीतर निःशुल्क बिजली दी है। राज्य ने दलित बस्ती योजना के अंतर्गत घरों की एक बहुत बड़ी संख्या को भी निःशुल्क बिजली देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राज्य ने भाग्य ज्योति और कुटीर ज्योति के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों के 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार बिजली बिलों का बकाया माफ कर दिया है बशर्ते कि उनका कनेक्शन चल रहा हो। हरियाणा ने सभी किसानों के बिजली बिलों के बकाया का भुगतान कर दिया है ताकि चालू बिलों का भुगतान किया जा सके। हिमाचल प्रदेश ने पुरानी प्रशुल्क दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सब्सिडी दी। गुजरात ने उपभोक्ताओं के बड़े वर्गों के बीच बिजली प्रभार कम कर दिये हैं। तमिलनाडु ने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने वाले लघु और सीमांत किसानों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी है। राज्य ने यह भी निर्णय लिया है कि स्व-वित्तपोषण योजना के अंतर्गत दिये गये 2,40,000 कृषि कनेक्शनों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति की जाए, दो महीने में 100 यूनिट बिजली उन हथकरघा बुनकरों को दी जाए जिनके अपने वर्कशेड हैं और वे बुनाई में लगे हैं तथा दो महीने में 500 यूनिट बिजली उन पॉवरलूम बुनकरों को दी जाए जो अपने पॉवरलूम चलाते हैं। कैप्टिव जेनरेशन प्लांटों से उद्योगों को राहत देने के लिए जेनरेटिंग सेटों से पैदा की जानेवाली ऊर्जा पर शुल्क घटा दिया। पंजाब ने अनुसूचित जाति परिवारों को दी जानेवाली निःशुल्क घरेलू बिजली की मात्रा 50 यूनिट तक बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह कर दी। राजस्थान ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली पर शुल्क अदायगी से कैप्टिव पावर जेनरेशन को छूट देने का प्रस्ताव रखा है। उड़ीसा ने लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए निःशुल्क जल आपूर्ति प्रदान की।

VII.2 राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां - प्रवृत्ति एवं संघटन

राज्य सरकारों के दो दशकों के अंतराल के पश्चात 2006-07 (लेखे) में समेकित स्तर पर राजस्व अधिशेष की स्थिति प्राप्त की। राजस्व अधिशेष के उदय हेतु राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि एक प्रमुख योगदान कारक है। सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में राज्यों की राजस्व प्राप्तियां 1980-85 के दौरान 11.0 प्रतिशत तथा 1995-00 के दौरान 10.7 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 2005-09 में 12.9 प्रतिशत पर पहुंच गयीं (सारणी 37 और परिशिष्ट सारणी 24)। मोटे तौर पर स्व-कर राजस्व तथा केंद्र से चालू अंतरणों (कर डिवोल्यूशन और अनुदानों सहित) ने पिछले तीन दशकों के दौरान बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई जबकि राज्यों के करेतर राजस्व ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई (चार्ट 44)। राज्यों के औसत स्व-कर राजस्व ने उल्लेखनीय सुधार दर्शाया और यह 1985 के सकल

सारणी 37: राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां

(जीडीपी से प्रतिशत)

वर्ष (औसत)	स्व-राजस्व			चालू अंतरण			राजस्व प्राप्तियां
	स्व-कर राजस्व	स्व-करेतर राजस्व	स्व-राजस्व	केंद्रीय करों में हिस्सा	केंद्र से अनुदान	कुल चालू अंतरण	
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=4+7
1980-85	4.8	1.9	6.8	2.4	1.8	4.2	11.0
1985-90	5.3	1.9	7.2	2.6	2.2	4.8	12.0
1990-95	5.3	1.8	7.2	2.6	2.3	4.8	12.0
1995-00	5.1	1.6	6.7	2.4	1.6	4.0	10.7
2000-05	5.6	1.4	7.0	2.4	1.8	4.2	11.2
2005-09	6.1	1.4	7.5	3.0	2.4	5.4	12.9

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत से 2005-09 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.1 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, स्व-करेतर राजस्व में क्रमिक क्षरण दिखाई दिया। केंद्र से चालू अंतरणों में औसतन गिरावट आई और यह 1985-90 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत से 1995-2000 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 4.0 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2005-09 के दौरान सुधरकर 5.4 प्रतिशत हो गया। तथापि, राज्यों के करेतर राजस्व 1980-85 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.9 प्रतिशत के औसत से गिरकर 1995-00 में 1.6 प्रतिशत पर आ गया तथा विद्यमान दशक में और गिरकर 1.4 प्रतिशत हो गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वराजस्व ने औसतन राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के लगभग 60 प्रतिशत का निर्माण किया जबकि चालू अंतरणों ने लगभग 40 प्रतिशत निर्मित किया। इस प्रकार, राज्यों का राजस्व निष्पादन उनके स्व प्रयासों के साथ-साथ केंद्रीय करों तथा अन्य अंतरणों में उछाल पर निर्भर करता है।

चार्ट 44 : राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटकों की प्रवृत्तियां

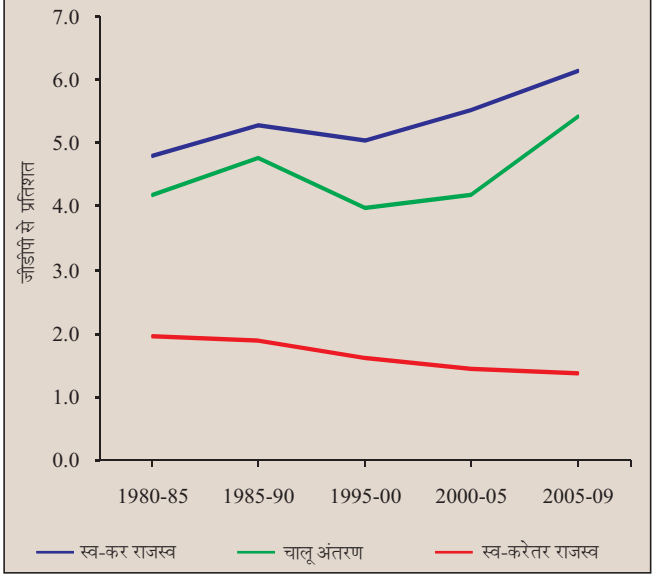

VII.2.1 स्वकर राजस्व - प्रवृत्ति एवं संघटन

राज्य सरकारों के स्व-कर राजस्व (ओटीआर) के प्रमुख स्रोत कृषि आय कर, व्यवसाय कर, संपत्ति कर और पूंजी लेनदेन कर जैसे प्रत्यक्ष कर तथा वैट सहित वस्तुओं, सेवाओं पर लगने वाले कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, मनोरंजन कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष कर हैं।सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से अनुपात के रूप में ओटीआर ने 1995-00 के 5.1 प्रतिशत के औसत स्तर से स्थिर रूप से बढ़ते हुए 2005-09 ने 6.1 प्रतिशत पहुंच कर सुधार दर्शाया जोकि अस्सी के दशक के पूर्वार्ध में 4.8 प्रतिशत के औसत स्तर की तुलना में काफी अधिक है। नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में राज्यों का कर संग्रहण मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं पर करों में कमी के कारण गिर गया था। इस अवधि के दौरान केंद्रीय करों में मिलनेवाले हिस्से में भी कुछ कमी दिखाई पड़ी थी। इस बात का उल्लेख किया जाता है कि मौजूदा दशक में हुई ओटीआर में वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों के बिक्री कर/वैट और स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्कों से उत्पन्न बढ़े हुए राजस्व के कारण थी। वस्तुओं और सेवाओं पर करों में हुई वृद्धि औसतन रूप से 1995-00 के दौरान जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2005-09 में जीडीपी के 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गईं। घटकवार देखें तो राज्य बिक्री कर/वैट में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी जबकि राज्य उत्पाद शुल्क ने अधोमुखी प्रवृत्ति दर्शायी और वाहन कर जीडीपी के 0.3 प्रतिशत के आसपास लगभग अटका रहा। राज्यों के ओटीआर को बेहतर बनाने में प्रमुख बाधाओं में से एक है

आय पर करों का निष्पादन जोकि विगत तीन दशकों से जीडीपी के 0.1 प्रतिशत से भी कम पर अटका हुआ है। तथापि, संपत्ति और पूंजी लेनदेनों पर लगनेवाले करों ने नब्बे के दशक के उत्तरार्ध के बाद स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के बेहतर निष्पादन के कारण बेहतर निष्पादन दर्शाया क्योंकि नब्बे के दशक के जीडीपी के 0.4 प्रतिशत से बढ़कर यह 2005-09 में 0.8 प्रतिशत होकर दुगुना हो गया (सारणी 38)।

वस्तुओं और सेवाओं पर कर राज्यों के ओटीआर के प्रमुख घटक का निर्माण करते हैं। तथापि, ओटीआर से अनुपात के रूप में वस्तुओं और सेवाओं पर करों ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी और 1980-85 के 90.1 प्रतिशत की तुलना में 2005-09 में औसतन 84.8 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण राज्य उत्पाद शुल्क तथा वाहन कर के हिस्से में गिरावट थी। ओटीआर में राज्य बिक्री कर/वैट का योगदान 1980-85 के 42.7 प्रतिशत से 2005-09 में 50.4 प्रतिशत तक पहुंचना क्रमिक वृद्धि दर्शाता है। यह नोट किया जा सकता है कि ओटीआर के प्रतिशत के रूप में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क ने पिछले तीन दशक की अवधि की तुलना में स्थिर वृद्धि दर्शायी और यह 1980-85 के 6.1 प्रतिशत की तुलना में 2005-09 में 12.7 प्रतिशत तक पहुंच कर दुगुने से भी अधिक हो गया। ओटीआर में आय कर और भू-राजस्व का हिस्सा अत्यल्प ही बना रहा (सारणी 39 और चार्ट 45)।

संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर लगनेवाले करों में भूराजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क तथा शहरी अचल संपत्ति कर शामिल हैं। संपत्ति और पूंजी लेनदेनों पर कर से प्राप्त होनेवाले राजस्व में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क ने 2005-09 के दौरान 90.2 प्रतिशत का योगदान दिया जबकि 1980-85 की अवधि में यह 72.5 प्रतिशत था। इस शीर्ष के अंतर्गत वसूलियों में सुधार, स्थावर संपदा उद्योग में उर्ध्वमुखी पलटाव को दर्शाता है (सारणी 40)।

वस्तुओं और सेवाओं पर कर के अंतर्गत आते हैं, राज्य बिक्री कर/वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, माल और यात्री कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर और अन्य कर एवं शुल्क। इस शीर्ष के अंतर्गत बिक्री कर का हिस्सा स्थिर रूप से बढ़ता हुआ 1980-85 के 64.8 प्रतिशत की तुलना में 2005-09 में 71.6 प्रतिशत पर पहुंच

सारणी 38 : स्व-कर प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
अ. प्रत्यक्ष कर (क + ख)	**0.48**	**0.56**	**0.60**	**0.60**	**0.70**	**0.94**
क. आय पर कर	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07
जिसमें से:						
व्यवसाय,व्यापार और रोजगार पर कर	0.05	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07
ख. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर	0.40	0.48	0.51	0.53	0.60	0.87
जिसमें से:						
भू-राजस्व	0.11	0.13	0.10	0.07	0.07	0.08
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	0.29	0.34	0.41	0.45	0.53	0.78
आ. अप्रत्यक्ष कर - पण्य और सेवाओं पर कर	**4.34**	**4.74**	**4.74**	**4.45**	**4.85**	**5.21**
जिसमें से:						
राज्य बिक्री कर/ वैट	2.06	2.41	2.41	2.35	2.62	3.10
राज्य उत्पाद कर	0.67	0.76	0.81	0.69	0.71	0.72
वाहन कर	0.28	0.31	0.29	0.30	0.33	0.33
इ. स्व-कर राजस्व (अ+आ)	**4.82**	**5.30**	**5.34**	**5.05**	**5.55**	**6.15**
ई. केंद्रीय करों में अंश	**2.42**	**2.63**	**2.57**	**2.43**	**2.39**	**2.98**
उ. कुल कर राजस्व (इ+ई)	**7.24**	**7.93**	**7.91**	**7.48**	**7.94**	**9.13**

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

सारणी 39 : स्व-कर प्राप्तियों के घटक

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
अ. प्रत्यक्ष कर (क + ख)	**9.9**	**10.6**	**11.3**	**11.9**	**12.6**	**15.2**
क. आय पर कर	1.5	1.6	1.6	1.5	1.7	1.1
जिसमें से:						
व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर	0.9	1.1	1.2	1.3	1.7	1.1
ख. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर	8.4	9.0	9.6	10.4	10.9	14.1
जिसमें से:						
भू-राजस्व	2.2	2.5	1.8	1.5	1.3	1.3
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	6.1	6.4	7.8	8.8	9.5	12.7
आ. अप्रत्यक्ष कर - पण्य और सेवाओं पर कर	**90.1**	**89.4**	**88.7**	**88.1**	**87.4**	**84.8**
जिसमें से:						
राज्य बिक्री कर/ वैट	42.7	45.5	45.1	46.5	47.3	50.4
राज्य उत्पाद कर	14.0	14.4	15.2	13.7	12.9	11.7
वाहन कर	5.8	5.8	5.4	5.9	6.0	5.4
इ. स्व-कर राजस्व (अ+आ)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

गया जिसका मुख्य कारण राज्य बिक्री कर/वैट का सुधरा हुआ निष्पादन है। राज्य उत्पाद शुल्क का हिस्सा जिसने 1990-95 में लगभग 17.1 प्रतिशत का योगदान दिया था। 2005-09 में घटकर 13.8 प्रतिशत पर आ गया। वाहन कर का हिस्सा जो 1980-85 के 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 2000-05 में 6.9 प्रतिशत पर पहुंच गया था, 2005-09 में गिरकर 6.3 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 41)।

चार्ट 45 : स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक

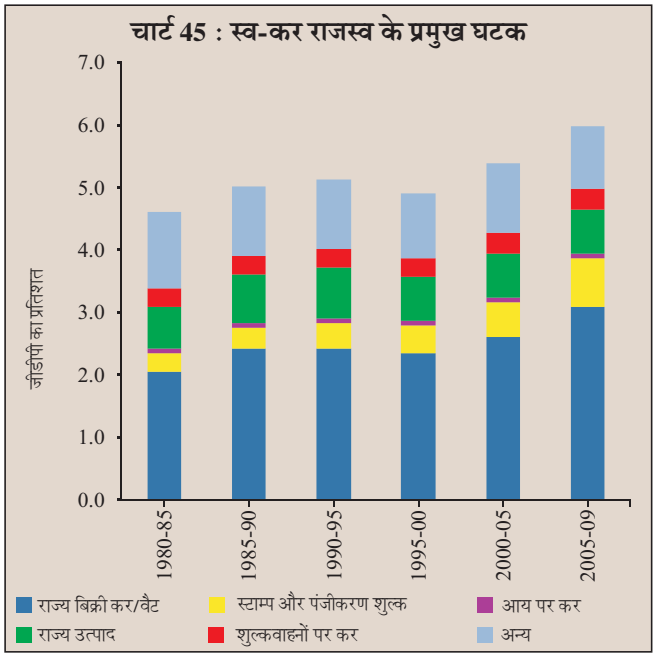

अपने वित्त को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राज्यों ने विभिन्न करों जैसे कि वाहन कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, विद्युत शुल्क, आदि को बढ़ाने/की पुनर्संरचना करने की दिशा में अनेक उपाय प्रारंभ किए हैं।

VII.2.2 स्व-करेतर राजस्व - प्रवृत्ति एवं संघटन

राज्य सरकारों के करेतर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ, विभिन्न सामाजिक आर्थिक और अन्य सेवाओं से प्राप्त होनेवाली उपभोक्ता प्रभारों के माध्यम से होनेवाली आय शामिल रहते हैं। जीडीपी से अनुपात के रूप में राज्यों का स्व-करेतर राजस्व (ओएनटीआर) नब्बे के दशक के 1.9 प्रतिशत से क्रमिक रूप से घटते हुए मौजूदा दशक में 1.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 42)। ओएनटीआर के सभी घटकों ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी अथवा निम्न स्तरों पर ही अटके रहे। आर्थिक सेवाएं जोकि ओएनटीआर की मुख्य योगदानकर्ता हैं, ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी और मुख्य रूप से बिजली, सड़क और उद्योगों से कमजोर वसूलियों के चलते 1995-00 से जीडीपी के 0.6 प्रतिशत के स्तर पर ही रुकी रहीं। ब्याज प्राप्तियों ने भी गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी और 2005-09 में जीडीपी के 0.3 प्रतिशत पर रहीं। सामाजिक सेवाओं से होनेवाली वसूली जीडीपी के 0.1 प्रतिशत के आसपास के स्तर पर अटकी रही जबकि सामान्य सेवाओं से

सारणी 40 : संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर के घटक

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद 1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09	
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
संपत्तिऔर पूंजी लेनदेन पर कर (i+ii+iii)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
i. भू-राजस्व	26.6	27.6	18.8	14.0	12.4	9.3
ii. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	72.5	71.7	80.4	85.1	87.0	90.2
iii. शहरी अचल संपत्ति कर	0.9	0.7	0.8	0.9	0.6	0.5

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

होनेवाली वसूली नब्बे के दशक के 0.4 प्रतिशत से घटकर मौजूदा दशक में जीडीपी का 0.3 प्रतिशत रहीं।

ओएनटीआर में विभिन्न शीर्षों के योगदान पर दृष्टि डालने पर यह देखा जा सकता है कि आर्थिक और सामाजिक सेवाओं से होनेवाली वसूलियों का हिस्सा नब्बे के दशक में तेज गिरावट के बाद मौजूदा दशक में बढ़ा है। आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 1995-00 के 37.4 प्रतिशत के औसत से सुधर कर 2005-09 में 45.7 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह 1985-90 के 51.1 प्रतिशत के औसत की तुलना में अभी भी कम है (सारणी 43 और चार्ट 46)। ओएनटीआर वसूलियों में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 1990-95 के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 2005-09 में 9.6 प्रतिशत हो गया। सामान्य सेवाओं का हिस्सा 1985-90 के 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 2005-09 में 24.3 प्रतिशत हो गया।

सामाजिक सेवाओं के भीतर ही शहरी विकास पर व्यय से होनेवाली वसूली का योगदान 1990-95 के 6.0 प्रतिशत के औसत से बहुत सुधर कर 2005-09 में 34.0 प्रतिशत हो गया। तथापि, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रावधान से वसूली का हिस्सा 1990-95 के 31.0 प्रतिशत से गिरकर 2005-09 में 14.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। जल आपूर्ति और सफाई से होनेवाली वसूली का योगदान 1990-95 में बढ़ा किंतु उसके बाद कम हो गया (सारणी 44)।

आर्थिक सेवाओं से राजस्व के प्रमुख शीर्ष हैं : उद्योग, बिजली, वानिकी और वन्य-जीवन। उद्योगों का योगदान 1980-85 के 6.2 प्रतिशत से बहुत बढ़कर 2005-09 में 45.1प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, बिजली क्षेत्र से होने वाली वसूली 1980-85 के 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 16.1 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर, वन

सारणी 41 : पण्य और सेवाओं पर करों के घटक

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
पण्य और सेवाओं पर कर (i से vii)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
i) बिक्री कर	64.8	64.9	66.3	67.2	69.3	71.6
जिसमें से :						
राज्य बिक्री कर/ वैट	47.4	50.9	50.8	52.8	54.1	59.5
केंद्रीय बिक्री कर	12.1	10.8	11.7	9.2	9.1	7.5
मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेन्ट पर बिक्री कर	2.7	2.6	3.1	4.7	4.3	3.0
ii) राज्य उत्पाद कर	15.5	16.1	17.1	15.6	14.7	13.8
iii) वाहन कर	6.4	6.5	6.1	6.7	6.9	6.3
iv) माल और यात्री कर	4.7	4.1	3.6	2.7	3.0	3.2
v) बिजली पर कर और शुल्क	3.8	4.9	4.7	4.5	4.4	3.9
vi) मनोरंजन कर	3.9	2.3	1.3	0.9	0.7	0.3
vii) अन्य कर एवं शुल्क	1.0	1.2	1.0	2.3	1.1	0.9

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 42 : स्व-करेतर प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
स्व-करेतर राजस्व (क से च)	**1.95**	**1.87**	**1.84**	**1.62**	**1.42**	**1.36**
क. ब्याज प्राप्तियां	0.52	0.53	0.57	0.49	0.36	0.27
ख. लाभांश और लाभ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ग. सामान्य सेवाएं	0.30	0.23	0.38	0.41	0.34	0.33
घ. सामाजिक सेवाएं	0.18	0.14	0.11	0.10	0.11	0.13
ड. राजकोषीय सेवाएं	–	–	–	–	–	–
च. आर्थिक सेवाएं	0.94	0.96	0.78	0.60	0.60	0.62
जिसमें से:						
वानिकी और वन्य-जीवन	0.36	0.28	0.18	0.11	0.07	0.06
बिजली	0.03	0.04	0.03	0.04	0.06	0.10
उद्योग	0.06	0.27	0.27	0.25	0.24	0.28
सिंचाई	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04
सड़क	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02

'–' : शून्य / नगण्य
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

और वन्य-जीवन के योगदान में गिरावट देखी गई और यह 1985-90 के 37.7 प्रतिशत से गिरकर 2005-09 में 8.9 प्रतिशत हो गया (सारणी 45)।

सामाजिक सेवाओं पर किए जानेवाले कुल खर्च के लगभग तीन-चौथाई हिस्से के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं और आर्थिक सेवाओं पर किए जानेवाले कुल खर्च का आधे से अधिक हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा दिया गया। ऐसी सेवाओं से वसूला गया उपभोक्ता प्रभार ऐसे शीर्षों पर किए गए खर्च की तुलना में काफी कम है। सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर कम उपभोक्ता प्रभारों के अलावा सार्वजनिक निवेश पर अपर्याप्त प्रतिलाभ से भी करेतर राजस्व में ढुलमुलपन पैदा होता है। राज्यों ने उन्हें मिलनेवाली रॉयल्टियों जिसमें खनिज, वानिकी और वन्यजीवन पर मिलनेवाली रॉयल्टी, शिक्षा शुल्क, चिकित्सा शुल्क, सिंचाई/जल दरों तथा शहरी जल आपूर्ति पर टैरिफ का संशोधन करना शामिल है, की समीक्षा करके/उन्हें तर्कसंगत बनाकर करेतर राजस्व को बढ़ाने के लिए उपाय प्रारंभ

सारणी 43 : स्व-करेतर प्राप्तियों के घटक

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
स्व-करेतर प्राप्तियां (क से च)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
क. ब्याज प्राप्तियां	26.8	28.6	30.7	30.7	25.3	19.5
ख. लाभांश और लाभ	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9
ग. सामान्य सेवाएं	14.8	12.1	20.1	25.0	23.7	24.3
घ. सामाजिक सेवाएं	9.1	7.7	5.9	6.3	8.0	9.6
ड. राजकोषीय सेवाएं	–	0.1	–	–	–	–
च. आर्थिक सेवाएं	48.8	51.1	42.8	37.4	42.2	45.7
जिसमें से:						
वानिकी और वन्य-जीवन	18.3	15.0	9.9	6.7	5.0	4.1
बिजली	1.4	2.2	1.9	2.4	4.4	7.4
उद्योग	3.0	14.3	14.7	15.2	17.1	20.6
सिंचाई	2.9	2.7	2.3	1.8	2.4	2.7
सड़क	3.1	2.8	2.5	2.2	2.2	1.4

'–' : शून्य / नगण्य
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

चार्ट 46: स्वकरेतर राजस्व के घटक

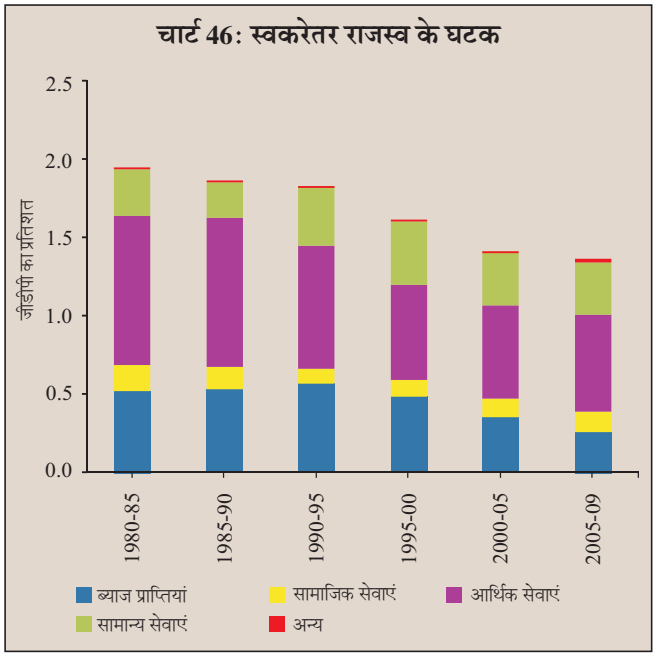

किए हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए उचित प्रभार वसूल किया जाना लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।

VII.3 राज्यवार राजस्व प्राप्तियां

इस खंड में राज्य सरकारों के बीच स्व-राजस्व प्राप्तियों की राज्यवार प्रवृत्तियां और संघटन प्रस्तुत किया गया है।

VII.3.1 स्व-कर राजस्व की राज्यवार प्रवृत्तियां

गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ओटीआर की प्रवृत्ति दर्शाती है कि विगत तीन दशकों के दौरान गैर-विशेष श्रेणी के आठ राज्यों यथा गोवा, कर्नाटक, केरल,मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने इस अनुपात में स्थिर गति से सुधार दर्शाया। कुछ राज्य सरकारों जैसे कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब में स्व-कर अनुपात अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में घट गया लेकिन मौजूदा दशक में यह बढ़ गया। बिहार और पश्चिम बंगाल के मामले में स्व-कर अनुपात अस्सी और नब्बे के दशक की तुलना में 2000-09 के दौरान कम हो गया। 2000-09 के दौरान कर्नाटक ने 10.7 प्रतिशत का सर्वोच्च ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया जिसके बाद तमिलनाडु (9.5 प्रतिशत), केरल (8.6 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (8.4 प्रतिशत) का योगदान रहा। उसी अवधि के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल ने 4.4 प्रतिशत का सबसे कम ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद झारखंड (5.2 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 46)।

विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 7 राज्य सरकारों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर,

सारणी 44 : सामाजिक सेवाओं से प्राप्त करेतर राजस्व का संघटन

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)			
1	2	3	4	5
सामाजिक सेवाएं (i से ix)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	26.4	24.9	30.9	28.9
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	31.0	25.0	21.2	14.5
iii) परिवार कल्याण	–	–	0.1	0.9
iv) आवासन	6.0	6.0	5.9	3.2
v) शहरी विकास	3.5	7.4	8.0	34.0
vi) श्रम और रोजगार	5.5	5.8	4.6	4.3
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8.2	9.7	6.4	2.9
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	13.2	12.7	8.4
ix) अन्य	19.4	8.1	10.3	2.7

'–' : उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी : 1990 के पूर्व के सामाजिक सेवा के अलग-अलग ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 45 : आर्थिक सेवाओं से प्राप्त करेतर राजस्व का संघटन

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
i) खेती	–	2.8	2.0	2.0	2.0	1.0
ii) पशु पालन	1.0	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4
iii) मत्स्यपालन	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
iv) वानिकी और वन्य -जीवन	37.7	29.3	18.0	18.0	11.9	8.9
v) बागान	–	0.1	–	–	–	–
vi) सहकारिता	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.1
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	6.0	5.2	4.8	4.8	5.7	5.9
ix) लघु सिंचाई	–	1.3	1.1	1.1	0.7	0.8
x) बिजली	3.0	4.4	6.2	6.2	9.8	16.1
xi) पेट्रोलियम	–	3.5	3.1	3.1	3.8	5.3
xii) ग्राम और छोटे उद्योग	–	1.0	0.8	0.8	0.5	0.4
xiii) उद्योग @	6.2	28.2	40.6	40.6	40.7	45.1
xiv) बंदरगाह और प्रकाशगृह	–	0.1	0.2	0.2	0.5	0.6
xv) सड़क परिवहन	6.3	5.4	5.9	5.9	5.4	3.2
xvi) पर्यटन	–	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4
xvii) अन्य*	34.2	15.3	13.9	13.9	16.0	10.3

@ : इसमें अलौह खनन और धातु पर आधारित उद्योग तथा अन्य उद्योग शामिल हैं। '–' : शून्य/नगण्य/उपलब्ध नहीं

* : इसमें डेअरी विकास, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र, नागरी उड्ड यन, अंतर्देशीय जल परिवहन, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, अपारंपारिक उर्जा स्रोत, सामान्य आर्थिक सेवाएं, नागरिक आपूर्ति, सड़क और पुल, आदि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा ने विगत तीन दशकों के दौरान ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात में स्थिर गति से सुधार अनुभव किया। यद्यपि विशेष श्रेणी के शेष राज्यों के ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात में नब्बे के दशक में गिरावट दिखाई दी जबकि उपर्युक्त सात राज्यों का यह अनुपात 2000-09 के दौरान बढ़ा। सिक्किम ने 2000-09 के दौरान 7.3 प्रतिशत का सर्वोच्च ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। इसके बाद उत्तराखंड (6.3 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (5.8 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (5.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। उसी अवधि के दौरान नागालैंड द्वारा न्यूनतम (1.5 प्रतिशत) ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया गया और उसके बाद मिज़ोरम (1.6 प्रतिशत), मणिपुर (1.8 प्रतिशत) तथा अरुणाचल प्रदेश (1.9 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 46)।

VII.3.2 मूल्यवर्धित कर की राज्यवार प्रवृत्तियां

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

छः राज्य सरकारों यथा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु ने पिछले तीन दशकों के दौरान वैट-जीएसडीपी अनुपात में स्थिर वृद्धि दर्शायी। तीन राज्य सरकारों यथा बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल ने वैट-जीएसडीपी अनुपात में अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में वृद्धि दर्शायी लेकिन 2000-09 के दौरान इसमें गिरावट अनुभव की गई। मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान ने अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में वैट-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट अनुभव की लेकिन 2000-09 के दौरान यह अनुपात बढ़ गया। केरल और तमिलनाडु ने 2000-09 के दौरान 6.2 प्रतिशत का सर्वोच्च वैट-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया । इसके बाद कर्नाटक (5.6 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (5.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2000-09 के दौरान बिहार द्वारा सबसे कम (2.5 प्रतिशत)वैट-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया गया और उसके बाद पश्चिम बंगाल (2.6 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 47)।

विशेष श्रेणी के राज्य

छः राज्य सरकारों यथा असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा ने विगत तीन दशकों के

सारणी 46: स्व-राजस्व की राज्य-वार प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

राज्य	ओटीआर/जीएसडीपी			ओएनटीआर/जीएसडीपी			कुल/जीएसडीपी		
	1980-90	1990-00	2000-09	1980-90	1990-00	2000-09	1980-90	1990-00	2000-09
	(औसत)			(औसत)			(औसत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	7.4	6.4	8.4	2.4	2.0	2.0	9.8	8.3	10.4
2. बिहार	5.4	6.0	4.4	3.8	2.8	0.6	9.2	8.7	4.9
3. छत्तीसगढ़	–	–	7.0	–	–	2.4	–	–	9.4
4. गोवा	2.6	7.7	8.2	2.0	8.5	9.3	4.6	16.2	17.5
5. गुजरात	7.1	7.6	7.2	2.4	2.4	2.1	9.5	10.0	9.3
6. हरियाणा	6.8	6.7	8.0	3.4	5.5	2.6	10.3	12.2	10.6
7. झारखंड	–	–	5.2	–	–	2.0	–	–	7.2
8. कर्नाटक	8.1	8.7	10.7	2.8	1.9	1.7	10.9	10.6	12.4
9. केरल	7.0	7.8	8.6	1.7	1.1	0.8	8.7	8.8	9.4
10. मध्य प्रदेश	6.8	6.9	7.4	4.1	3.4	2.1	10.9	10.3	9.5
11. महाराष्ट्र	7.6	7.0	7.8	2.8	2.0	1.4	10.4	9.0	9.2
12. उड़ीसा	3.6	4.2	5.9	1.9	1.8	1.8	5.5	6.0	7.7
13. पंजाब	6.8	6.1	7.1	1.8	3.4	4.4	8.5	9.5	11.5
14. राजस्थान	5.1	5.3	7.2	2.7	2.8	2.0	7.8	8.1	9.2
15. तमिलनाडु	7.8	8.2	9.5	1.4	1.2	1.1	9.2	9.4	10.6
16. उत्तर प्रदेश	4.5	4.9	6.7	1.6	1.5	1.3	6.2	6.4	8.0
17. पश्चिम बंगाल	4.9	4.9	4.4	0.9	0.5	0.5	5.7	5.3	4.9
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	0.2	0.6	1.9	3.9	6.6	6.2	4.1	7.3	8.1
2. असम	2.8	3.3	4.7	2.5	1.7	2.1	5.3	5.0	6.8
3. हिमाचल प्रदेश	4.0	4.5	5.5	3.6	2.3	2.2	7.6	6.8	7.7
4. जम्मू और कश्मीर	–	3.2	5.8	–	2.0	2.2	–	5.3	8.0
5. मणिपुर	1.4	1.3	1.8	2.9	2.0	1.7	4.3	3.3	3.4
6. मेघालय	2.8	3.0	3.6	2.9	1.8	2.2	5.7	4.8	5.9
7. मिजोरम	0.3	0.6	1.6	1.2	6.7	3.1	1.5	7.3	4.7
8. नागालैंड	2.8	1.4	1.5	6.4	2.2	1.2	9.2	3.7	2.7
9. सिक्किम	4.4	3.6	7.3	8.5	71.9	61.4	12.9	75.5	68.6
10. त्रिपुरा	1.4	2.0	3.0	2.4	1.3	1.4	3.7	3.3	4.3
11. उत्तराखंड	–	–	6.3	–	–	1.9	–	–	8.2
सभी राज्य*	**5.1**	**5.2**	**5.8**	**1.9**	**1.7**	**1.4**	**7.0**	**6.9**	**7.2**

ओटीआर : स्व-कर राजस्व ओएनटीआर : स्व-करेतर राजस्व जीएसडीपी:सकल राज्य घरेलू उत्पाद

*: सभी राज्यों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं। '–' : लागू नहीं /उपलब्ध नहीं

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

दौरान वैट-जीएसडीपी अनुपात में स्थिर वृद्धि दर्शायी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड ने अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में वैट-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट अनुभव की लेकिन 2000-09 के दौरान इसमें वृद्धि दिखाई दी। 2000-09 के दौरान असम ने 3.6 प्रतिशत का सर्वोच्च वैट-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद उत्तराखंड (3.4 प्रतिशत) तथा जम्मू और कश्मीर (3.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। उसी अवधि के दौरान नागालैंड द्वारा न्यूनतम (1.0 प्रतिशत) वैट-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया गया (सारणी 47)।

VII.3.3 स्व-करेतर राजस्व में राज्यवार प्रवृत्तियां

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

विगत तीन दशकों के दौरान मात्र दो राज्य सरकारों यथा गोवा और पंजाब ने ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में स्थिर वृद्धि दर्शायी। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में गिरावट दिखाई दी और मौजूदा दशक में यह अटका रहा। गुजरात में यह ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात अस्सी और नब्बे के दशक के दौरान 2.4 प्रतिशत पर ही अटका रहा लेकिन

सारणी 47: वैट/जीएडीपी की राज्य-वार प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

राज्य	1980-90	1990-2000	2000-09
		(औसत)	
1	2	3	4
I. गैर विशेष श्रेणी			
1. आंध्र प्रदेश	3.8	4.0	5.4
2. बिहार	3.7	4.0	2.5
3. छत्तीसगढ़	–	–	3.6
4. गोवा	1.9	5.5	5.5
5. गुजरात	4.8	5.1	3.4
6. हरियाणा	3.2	3.5	4.9
7. झारखंड	–	–	3.6
8. कर्नाटक	4.3	5.1	5.6
9. केरल	4.4	5.4	6.2
10. मध्य प्रदेश	3.4	3.1	3.6
11. महाराष्ट्र	4.8	4.3	4.6
12. उड़ीसा	2.0	2.6	3.5
13. पंजाब	3.1	2.8	3.8
14. राजस्थान	3.0	2.8	4.0
15. तमिलनाडु	5.2	5.4	6.2
16. उत्तर प्रदेश	2.4	2.4	3.8
17. पश्चिम बंगाल	2.8	3.0	2.6
II. विशेष श्रेणी			
1. अरुणाचल प्रदेश	0.1	0.0	1.2
2. असम	1.8	2.0	3.6
3. हिमाचल प्रदेश	1.6	1.6	2.6
4. जम्मू और कश्मीर	0.0	1.3	3.3
5. मणिपुर	0.5	0.7	1.2
6. मेघालय	1.5	1.4	2.3
7. मिजोरम	0.0	0.2	1.2
8. नागालैंड	1.6	0.9	1.0
9. सिक्किम	1.0	1.3	2.9
10. त्रिपुरा	0.8	1.1	2.0
11. उत्तराखंड	–	–	3.4
सभी राज्य*	**2.9**	**3.1**	**2.8**

'–' : लागू नहीं। वैटः मूल्यवर्धित कर।
जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
*: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी से प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों में गिरावट के कारण 2000-09 के दौरान गिरकर 2.1 प्रतिशत पर आ गया। कई राज्य सरकारों यथा बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ने विगत तीन दशकों के दौरान अपने करेतर अनुपात में स्थिर गिरावट दर्शायी। यद्यपि, हरियाणा ने अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्शायी। हालांकि हाल ही के वर्षों में इसमें गिरावट आयी। मौजूदा दशक के दौरान गोवा ने 9.3 प्रतिशत का सर्वोच्च ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद पंजाब (4.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। उसी अवधि के दौरान ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात पश्चिम बंगाल में 0.5 प्रतिशत, बिहार में 0.6 प्रतिशत और केरल में 0.8 प्रतिशत रहकर निम्न बना रहा (सारणी 46)।

विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में विगत तीन दशकों की तुलना में स्थिर गिरावट दिखाई दी। विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों जैसे कि असम, मेघालय और त्रिपुरा में ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात यद्यपि नब्बे के दशक में गिरा किंतु 2000-09 के दौरान यह बढ़ गया। अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और सिक्किम ने अस्सी के दशक की तुलना में ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्शायी किंतु उसके बाद इसमें गिरावट दिखाई दी। वर्ष 2000-09 के दौरान सिक्किम ने 61.4 प्रतिशत का सर्वोच्च ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद उसी अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश (6.2 प्रतिशत) और मिज़ोरम (3.1 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 46)।

VII.3.4 स्व-कर राजस्व का राज्यवार संघटन

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में 2007-08 (सं.अ.) के दौरान वस्तुओं और सेवाओं पर कर ने कुल स्व-कर राजस्व (ओटीआर) के 80 प्रतिशत से अधिक का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) के दौरान गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं पर करों का सब से महत्वपूर्ण घटक राज्य बिक्री कर/वैट था। 2007-08 (सं.अ.) में वैट ने केरल में ओटीआर के 65.9 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद और उसके बाद गोवा (62.5 प्रतिशत) और बिहार (61.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। दूसरी ओर, 2007-08 (सं.अ.) में इसने उत्तर प्रदेश में ओटीआर के मात्र 37.1 प्रतिशत का ही निर्माण किया और उसके बाद महाराष्ट्र 37.3 प्रतिशत का स्थान रहा। वैट के अलावा, वस्तुओं और सेवाओं पर करों के अन्य प्रमुख घटक हैं राज्य उत्पाद कर और वाहन कर आदि। वर्ष 2007-08 में एसईटी ने कर्नाटक में ओटीआर के 17.2 प्रतिशत हिस्से का निर्माण किया और उसके बाद पंजाब (16.7 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (16.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (15.8 प्रतिशत) का स्थान रहा। तथापि, 2007-08 (सं.अ.) में गुजरात में इसने मात्र 0.2 प्रतिशत हिस्से का निर्माण किया और उसके बाद

गोवा (5.4 प्रतिशत), झारखंड (5.9 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (7.1 प्रतिशत) का निर्माण किया। वाहन कर ने राजस्थान में ओटीआर के 8.4 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद उड़ीसा (8.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। तथापि, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसने ओटीआर के क्रमशः मात्र 2.0 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत का निर्माण किया (सारणी 48)।

2007-08 (सं.अ.) में आय कर ने ओटीआर के लगभग एक प्रतिशत का निर्माण किया जबकि संपत्ति और पूंजी लेनदेन कर(टीपी) ने ओटीआर के लगभग 15 प्रतिशत का निर्माण किया। तथापि, राज्यों के बीच भारी विषमताएं हैं। उदाहरण के लिए 2007-08 (सं.अ.) में टीपी ने झारखंड में ओटीआर के मात्र 4.1 प्रतिशत, गोवा में 6.1 प्रतिशत, उड़ीसा में 8.7 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ 9.8 प्रतिशत का निर्माण किया। पश्चिम बंगाल में टीपी ने 2007-08 (सं.अ.) में ओटीआर के 19.4 प्रतिशत का निर्माण किया उसके बाद उत्तर प्रदेश (18.8 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (18.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 के (सं.अ.) में दस के लगभग गैर विशेष श्रेणी के राज्यों ने स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क ने 90 प्रतिशत अधिक का निर्माण किया। 2007-08 के (सं.अ.) में स्टाम्प और पंजीकरण

सारणी 48 : स्व-कर प्राप्तियों का संघटन - 2007-08 (संशोधित अनुमान)

(प्रतिशत)

राज्य	टीआइ	टीपीटी एंड ई	टीपी	एसआरएफ	एलआर	डीटी	टीसी	एसएसटी/वैट	एसईटी	टीवी	आइडीटी	ओटीआर
1	2	3	4	5	6	7=2+4	8	9	10	11	12=8	13=7+12
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	1.2	1.2	12.5	11.9	0.4	13.7	86.3	59.7	13.1	6.0	86.3	100.0
2. बिहार	–	–	12.8	11.3	1.5	12.8	87.2	61.4	9.7	4.6	87.2	100.0
3. छत्तीसगढ़	0.4	0.4	9.8	8.1	1.7	10.1	89.9	43.6	14.4	5.1	89.9	100.0
4. गोवा	–	–	6.1	5.5	0.6	6.1	93.9	62.5	5.4	6.4	93.9	100.0
5. गुजरात	0.7	0.7	10.0	7.4	2.1	10.6	89.4	57.8	0.2	6.1	89.4	100.0
6. हरियाणा	–	–	16.0	15.9	0.1	16.0	84.0	53.3	10.7	2.0	84.0	100.0
7. झारखंड	–	–	4.1	3.0	1.1	4.1	95.9	57.8	5.9	5.2	95.9	100.0
8. कर्नाटक	1.5	1.5	14.3	14.0	0.3	15.8	84.2	49.4	17.2	6.6	84.2	100.0
9. केरल	–	–	15.1	14.2	0.4	15.1	84.9	65.9	8.5	6.3	84.9	100.0
10. मध्य प्रदेश	1.6	1.6	14.0	13.0	1.0	15.6	84.4	44.4	14.7	6.5	84.4	100.0
11. महाराष्ट्र	3.1	3.1	18.7	17.2	1.5	21.8	78.2	37.3	8.2	4.8	78.2	100.0
12. उड़ीसा	1.2	1.2	8.7	5.3	3.4	9.9	90.1	53.1	8.2	8.1	90.1	100.0
13. पंजाब	–	–	16.6	16.4	0.2	16.6	83.4	51.4	16.7	5.1	83.4	100.0
14. राजस्थान	–	–	13.0	11.7	1.0	13.0	87.0	54.6	13.6	8.4	87.0	100.0
15. तमिलनाडु	–	–	14.0	13.5	0.5	14.0	86.0	53.9	15.8	5.1	86.0	100.0
16. उत्तर प्रदेश	0.1	0.1	18.8	17.3	1.4	18.8	81.2	37.1	16.6	2.4	81.2	100.0
17. पश्चिम बंगाल	2.1	2.1	19.4	10.7	8.6	21.5	78.5	53.3	7.1	4.2	78.5	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	–	–	2.7	0.9	1.9	2.7	97.3	78.6	13.7	5.0	97.3	100.0
2. असम	3.5	3.4	5.4	3.1	2.3	8.9	91.1	64.8	5.6	4.9	91.1	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	–	–	4.7	4.6	0.1	4.7	95.3	50.2	19.5	6.6	95.3	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	–	–	3.2	2.9	0.3	3.2	96.8	52.2	10.4	3.0	96.8	100.0
5. मणिपुर	9.8	9.8	2.9	2.1	0.8	12.7	87.3	80.5	2.8	3.1	87.3	100.0
6. मेघालय	0.4	0.4	2.5	2.4	0.1	2.9	97.1	30.4	21.6	3.2	97.1	100.0
7. मिजोरम	7.0	7.0	2.0	0.3	1.7	9.0	91.0	79.8	2.4	6.9	91.0	100.0
8. नागालैंड	11.8	11.8	1.2	0.7	0.5	13.1	86.9	77.4	2.3	6.2	86.9	100.0
9. सिक्किम	28.4	28.4	2.1	1.4	0.6	30.5	69.5	16.9	19.6	2.7	69.5	100.0
10. त्रिपुरा	6.4	6.4	5.1	4.3	0.8	11.5	88.5	69.6	10.5	6.2	88.5	100.0
11. उत्तराखंड	0.2	0.2	16.8	16.1	0.7	17.0	83.0	48.5	16.0	5.9	83.0	100.0
सभी राज्य*	**1.1**	**1.1**	**14.6**	**13.1**	**1.4**	**15.6**	**84.4**	**50.3**	**11.7**	**5.3**	**84.4**	**100.0**

टीआइ : आयकर
टीपी : संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर
एलआर : भू-राजस्व
टीसी : पण्य और सेवाओं पर कर
वैट : मूल्यवर्धित कर
टीवी : वाहन कर
ओटीआर : स्व-कर राजस्व
टीपीटीए एंड ई : व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार पर कर
एसआरएफ : स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क
डीटी : प्रत्यक्ष कर
एसएसटी : राज्य बिक्री कर
एसईटी : राज्य उत्पाद शुल्क
आइडीटी : अप्रत्यक्ष कर
'-' : शून्य / नगण्य

* : सभी राज्यों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

शुल्क ने उत्तर प्रदेश ओटीआर के 17.3 प्रतिशत, महाराष्ट्र में ओटीआर 17.2 प्रतिशत और पंजाब में ओटीआर के 16.4 प्रतिशत का निर्माण किया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2007-08 (सं.अ.) में पश्चिम बंगाल में ओटीआर के 8.6 प्रतिशत हिस्से का भू-राजस्व ने निर्माण किया और उसके बाद उड़ीसा (3.4 प्रतिशत) और गुजरात (2.1 प्रतिशत) का स्थान रहा, जबकि गैर विशेष श्रेणी के सभी अन्य राज्यों में इसने ओटीआर के लगभग एक प्रतिशत अथवा उससे भी कम हिस्से का निर्माण किया।

विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के छह जितने राज्यों में वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले करों ने ओटीआर के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से का निर्माण किया। सिक्किम को छोड़कर विशेष श्रेणी के शेष राज्यों में इसने उसी वर्ष में ओटीआर के 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से का निर्माण किया। 2007-08 के (सं.अ.) में सिक्किम और मेघालय को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में वस्तु और सेवाओं पर करों की प्रमुख मद वैट था। 2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम में वैट ने ओटीआर के मात्र 16.9 प्रतिशत का निर्माण किया और मेघालय में इसने ओटीआर के 30.4 प्रतिशत का निर्माण किया। दूसरी ओर, 2007-08 (सं.अ.) में वैट ने मणिपुर में ओटीआर के 80.5 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद मिज़ोरम (79.8 प्रतिशत) और अरुणाचल प्रदेश (78.6 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में एसईटी ने मेघालय में ओटीआर के 21.6 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद सिक्किम (19.6 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (19.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। इसके ठीक विपरीत, इसने 2007-08 (सं.अ.) में नागालैण्ड में मात्र 2.3 प्रतिशत, मिज़ोरम में 2.4 प्रतिशत, मणिपुर में 2.8 प्रतिशत का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में वाहन कर ने मिज़ोरम में ओटीआरके 6.9 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश (6.6 प्रतिशत), त्रिपुरा (6.2 प्रतिशत) और नागालैण्ड (6.2 प्रतिशत) का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम में वाहन कर ने ओटीआर के मात्र 2.7 प्रतिशत का निर्माण किया (सारणी 48)।

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच पाई गयी प्रवृत्ति के ठीक विपरीत विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों जैसे कि सिक्किम (28.4 प्रतिशत), नागालैण्ड (11.8 प्रतिशत), मणिपुर (9.8 प्रतिशत), मिज़ोरम (7.0 प्रतिशत), त्रिपुरा (6.4 प्रतिशत) और असम (3.5 प्रतिशत) जैसे विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों में आय कर ने ओटीआर के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में उत्तराखंड में टीपी ने ओटीआर के 16.8 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद असम (5.4 प्रतिशत) और त्रिपुरा (5.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। विशेष श्रेणी के शेष राज्यों में इसने उसी अवधि के दौरान ओटीआर के 5 प्रतिशत से भी कम का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क ने ओटीआर के 16.1 प्रतिशत का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में भू-राजस्व ने असम में ओटीआर के 2.3 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (1.9 प्रतिशत) और मिज़ोरम (1.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के शेष राज्यों में भू-राजस्व ने ओटीआर के 1 प्रतिशत से भी कम का निर्माण किया (सारणी 48)।

VII.3.5 स्व-करेतर राजस्व का राज्यवार संघटन

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त विभिन्न आर्थिक सेवाओं से संग्रहीत होनेवाले उपभोक्ता प्रभारों ने 2007-08 (सं.अ.) में झारखंड में कुल ओएनटीआर के 90 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ (86.5 प्रतिशत) और गोवा (86.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में पंजाब में इसने कुल ओएनटीआर के 6.4 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद पश्चिम बंगाल (25.1 प्रतिशत) और हरियाणा (25.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। गैर विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों ने उद्योगों से प्राप्त होनेवाले राजस्व में आर्थिक सेवाओं से प्राप्त राजस्व के महत्त्वपूर्ण हिस्से का योगदान दिया। तथापि, 2007-08 (सं.अ.) में गोवा और उत्तर प्रदेश में उर्जा क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में क्रमशः ओएनटीआर के 78.7 प्रतिशत और 31.1 प्रतिशत का निर्माण किया। वानिकी और वन्य जीव क्षेत्र से प्राप्त होनेवाले राजस्व में मध्य प्रदेश में ओएनटीआर के 21.2 प्रतिशत का योगदान दिया और उसके बाद छत्तीसगढ़ (15.5 प्रतिशत) और केरल (13.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। सिंचाई से प्राप्त होनेवाले राजस्व में 2007-08(सं.अ.) में महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार ने ओनएनटीआर के क्रमशः 11.8 प्रतिशत, 9.8 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत का निर्माण किया। हरियाणा में सड़कों से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने 2007-08 (सं.अ.) में ओनएनटीआर के 16.1 प्रतिशत का योगदान दिया और इसके बाद पंजाब (3.3 प्रतिशत) का योगदान (सारणी 49)।

2007-08 (सं.अ.) में सामान्य सेवाओं से प्राप्त होनेवाले राजस्व, विशेषकर राज्य लौटरी ने पंजाब में ओनएनटीआर के 69.3 प्रतिशत का निर्माण किया। इसी प्रकार, 2007-08 (सं.अ.) में केरल

सारणी 49 : स्व-करेतर प्राप्तियों का संघटन - 2007-08 (संशोधित अनुमान)

(प्रतिशत)

राज्य	आइआर	जीएस	एसएस	ईएस	*जिसमें से*						ओएन टीआर @
					एफ एंड डब्ल्यूएल	बिजली	उद्योग	सिंचाई	सड़क	अन्य #	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 =2 to 5
I. गैर विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	52.4	4.5	3.6	38.5	2.1	0.4	25.5	1.0	–	9.5	100.0
2. बिहार	14.1	22.2	16.5	47.0	1.1	–	29.9	6.3	–	9.7	100.0
3. छत्तीसगढ़	8.9	2.7	1.8	86.5	15.5	–	61.1	5.9	–	4.0	100.0
4. गोवा	1.1	2.2	10.1	86.4	0.2	78.7	2.9	1.0	–	3.7	100.0
5. गुजरात	5.8	18.3	7.8	67.1	1.1	–	49.8	9.8	–	6.4	100.0
6. हरियाणा	17.7	3.9	52.9	25.3	0.8	0.1	4.5	2.9	16.1	0.9	100.0
7. झारखंड	3.8	2.6	3.3	90.0	1.8	–	85.5	0.7	–	2.1	100.0
8. कर्नाटक	10.4	28.4	7.7	53.3	7.9	2.4	25.2	1.3	–	16.5	100.0
9. केरल	4.5	47.8	15.9	28.7	13.4	–	3.1	0.5	–	11.7	100.0
10. मध्य प्रदेश	7.2	20.3	2.0	68.1	21.2	–	42.4	1.3	–	3.2	100.0
11. महाराष्ट्र	19.4	12.4	10.2	57.8	3.9	9.7	17.4	11.8	–	15.0	100.0
12. उड़ीसा	20.3	5.8	6.1	66.0	3.3	0.1	55.3	3.8	–	3.5	100.0
13. पंजाब	21.0	69.3	3.1	6.4	0.2	–	0.2	0.3	3.3	2.3	100.0
14. राजस्थान	28.4	26.1	6.9	37.8	1.3	–	31.3	1.4	–	3.7	100.0
15. तमिलनाडु	33.8	18.0	16.2	30.9	3.5	–	18.7	0.7	–	7.9	100.0
16. उत्तर प्रदेश	24.3	25.3	3.6	46.7	2.7	31.1	6.6	2.6	–	3.7	100.0
17. पश्चिम बंगाल	49.0	16.5	9.2	25.1	2.9	–	1.0	0.5	–	20.6	100.0
II. विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	3.7	2.8	1.0	92.5	1.6	79.2	5.1	–	3.7	2.9	100.0
2. असम	9.1	7.3	1.1	81.2	1.9	–	–	–	–	79.2	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	1.2	6.0	7.3	85.4	4.5	74.4	4.8	–	–	1.8	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	2.0	3.7	4.0	87.2	3.7	79.2	1.6	0.2	–	2.5	100.0
5. मणिपुर	19.6	29.9	2.7	47.8	1.1	31.8	–	4.2	–	10.7	100.0
6. मेघालय	3.3	12.7	2.0	81.8	9.9	–	67.3	–	–	4.6	100.0
7. मिजोरम	4.8	16.6	6.3	72.2	2.5	62.0	1.2	–	1.3	5.2	100.0
8. नागालैंड	3.1	14.0	5.5	77.4	5.8	61.2	0.1	–	8.9	1.4	100.0
9. सिक्किम	0.5	91.4	0.4	7.7	0.5	5.8	–	–	1.0	0.4	100.0
10. त्रिपुरा	30.1	42.7	6.5	18.8	4.9	–	8.7	–	–	5.2	100.0
11. उत्तराखंड	2.4	23.2	6.0	68.4	21.2	35.4	7.9	–	0.1	3.7	100.0
सभी राज्य*	**20.8**	**22.2**	**9.0**	**47.3**	**3.8**	**9.9**	**20.5**	**3.0**	**1.5**	**8.6**	**100.0**

आइआर : ब्याज रसीदें जीएस : सामान्य सेवाएं एसएस : सामाजिक सेवाएं
ईएस : आर्थिक सेवाएं एफ एंड डब्ल्यू एल : वानिकी और वन्य जीवन ओएनटीआर : स्व-करेतर राजस्व
'-' : शून्य/ नगण्य
: इसमें खेती, पशु पालन, मत्स्यपालन, बागान,सहकारिता,अन्य कृषि कार्यक्रम, पेट्रोलियम, बंदरगाह और प्रकाशगृह और पर्यटन शामिल हैं।
@ : इसमें लाभ और लाभांश से प्राप्त राजस्व भी शामिल है जिसमें 1 प्रतिशत से कम करेतर राजस्व शामिल है।
* : सभी राज्यों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

में ओएनटीआर का 47.8 प्रतिशत सामान्य सेवाओं से उत्पन्न हुआ और उसके बाद कर्नाटक (28.4 प्रतिशत), राजस्थान (26.1 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (25.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ब्याज प्राप्तियों से मिलने वाले राजस्व ने क्रमशः ओएनटीआर के 52.4 प्रतिशत और 49.0 प्रतिशत हिस्से का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में हरियाणा में सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सामाजिक सेवाओं से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने ओएनटीआर के 52.9 प्रतिशत का योगदान दिया। 2007-08 (सं.अ.) में बिहार ने सामाजिक सेवाओं से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने ओएनटीआर के 16.5 प्रतिशत का योगदान दिया और उसके बाद तमिलनाडु (16.2 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 49)।

विशेष श्रेणी के राज्य

2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में ओएनटीआर का प्रमुख घटक आर्थिक सेवाएं थीं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2007-08 (सं.अ.) में अरुणाचल प्रदेश में ओएनटीआर का 92.5 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं से उत्पन्न हुआ और उसके बाद जम्मू और कश्मीर (87.2 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (85.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच पायी गयी प्रवृत्ति के विपरीत उर्जा ने विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में आर्थिक सेवाओं से प्राप्त होनेवाले राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उर्जा क्षेत्र से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में 2007-08 (सं.अ.)

में ओएनटीआर के 79.2 प्रतिशत का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में मेघालय में उद्योगों से प्राप्त होनेवाले राजस्व में ओएनटीआर के 67.3 प्रतिशत का योगदान दिया। 2007-08 (सं.अ.) में उत्तराखंड में उर्जा से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने ओएनटीआर के 35.4 प्रतिशत तथा वानिकी और वन्य जीवन से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने ओएनटीआर के 21.1 प्रतिशत का निर्माण किया (सारणी 49)।

सामान्य सेवाओं विशेषकर राज्य लाटरियों से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने 2007-08 (सं.अ.) में में सिक्किम में ओएनटीअरी के 91.4 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद त्रिपुरा (42.7 प्रतिशत), मणिपुर (29.9 प्रतिशत) और उत्तराखंड (23.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में त्रिपरा में ओएनटीआर का 30.1 प्रतिशत ब्याज प्राप्तियों से उत्पन्न हुआ और उसके बाद मणिपुर (19.6 प्रतिशत) का स्थान रहाप। 2007-08 (सं.अ.) में में सामाजिक सेवाओं से होनेवाली राजस्व प्राप्तियों ने ओएनटीआर के 7.3 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद त्रिपुरा (6.5 प्रतिशत) और मिज़ोरम (6.3 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 49)।

VII.4 राजस्व प्राप्तियों का मूल्यांकन

VII.4.1 स्व-राजस्व तथा घाटा सुधार

राज्यों की समेकित राजस्व प्राप्तियां 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.3 प्रतिशत से सुधरकर 2007-08 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के आधिक्य में बदल गयीं। इस प्रकार 2003-04 से 2007-08 (सं.अ.) की अवधि में राजस्व लेखे में सुधार आया और यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत बैठता है। सकल घरेलू उत्पाद के 2.8 प्रतिशत के इस सुधार में से स्व-कर प्राप्तियों ने 0.6 प्रतिशत का योगदान दिया जबकि कर डिवोल्यूशन तथा अनुदानों सहित केंद्र से होने वाले चालू अंतरणों ने 1.5 प्रतिशत का योगदान दिया।इस अवधि के दौरान स्व-करेतर प्राप्तियां - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 0.02 प्रतिशत की गिरावट दिखाई दी। इस सुधार (सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत) का एक हिस्सा राजस्व व्यय को दबाकर कम करने के कारण था। इस प्रकार, राजस्व प्राप्तियों में सकल घरेलू उत्पाद के 2.1 प्रतिशत की इस वृद्धि ने 2003-04 से 2007-08 (सं.अ.) के दौरान राजस्व घाटे में कुल सुधार के 76.1 प्रतिशत का योगदान दिया। 2003-04 से 2007-08 (सं.अ.) की अवधि के दौरान राजस्व घाटे में स्व-राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि ने 21.9 प्रतिशत का योगदान दिया तथा केंद्र से होने वाले अंतरणों में हुई वृद्धि ने 54.2 प्रतिशत के सुधार का योगदान दिया (सारणी 50)। राज्य सरकारें राजकोषीय सशक्तिकरण अर्थात राजस्व प्रवाहों की व्याप्ति और आकार बढ़ाने पर जोर दे सकती हैं जो राजकोषीय सुधार को टिकाऊ बनाने में योगदान देगा।

VII.4.2 स्व-राजस्व द्वारा सकल व्यय का वित्तपोषण

80 के दशक के शुरूआत से स्व-कर प्राप्तियों द्वारा सकल व्यय के वित्तपोषण की प्रवृत्ति में क्रमिक सुधार दिखाई देता है जबकि स्व-करेतर प्राप्ति द्वारा सकल व्यय के वित्तपोषण में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। स्व-कर प्राप्तियों तथा स्व-करेतर प्राप्तियों दोनों में गिरावट के कारण चालू दशक की पहली छमाही में कुछ कुछ चूकें दिखाई दीं। 2005-09 के दौरान स्व-कर प्राप्तियों ने 2000-05 के 32.6 प्रतिशत की तुलना में 37.8 प्रतिशत के सकल व्यय

सारणी 50 : राजस्व प्राप्तियों में परिवर्तन और घाटे में सुधार

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप मे)

वर्ष	ओटीआर	ओएनटीआर	एससीटी	जीआइए	आरआर	राजस्व व्यय	आरडी
1	2	3	4	5	6=2 to 5	7	8
2003-04	5.60	1.40	2.44	1.85	11.29	13.53	2.30
2004-05	5.80	1.50	2.49	1.79	11.58	12.79	1.24
2005-06	5.90	1.30	2.63	2.14	11.97	12.23	0.20
2006-07	6.10	1.50	2.90	2.28	12.78	12.20	-0.60
2007-08 (सं.अ.)	6.20	1.30	3.14	2.64	13.28	12.86	-0.48
परिवर्तन*	**0.60**	**-0.02**	**0.70**	**0.80**	**2.08**	**-0.70**	**-2.80**

ओटीआर : स्व-कर राजस्व ओएनटीआर : स्व-करेतर राजस्व एससीटी : केंद्रीय करों में अंश
जीआइए : सहायता अनुदान आरडी : राजस्व घाटा सं.अ. : संशोधित अनुमान
* : 2003-04 और 2007-08 (सं.अ.)के बीच परिवर्तन
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

का औसत वित्तपोषण किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उसी अवधि के दौरान स्व-करेतर प्राप्तियों द्वारा सकल व्यय का वित्तपोषण अटक गया था। सकल व्यय से प्रतिशत के रूप में स्व-राजस्व का हिस्सा 2000-05 के 41.0 प्रतिशत से सुधरकर 2005-09 में 46.2 प्रतिशत हो गया इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जा सकता है कि सकल व्यय वित्तपोषण हेतु स्व-राजस्व के हिस्से में वृद्धि वित्त व्यय को चालू अंतरणों पर निर्भरता घटाती है (सारणी 51)। असमूहित स्तर पर स्व-राजस्व द्वारा समूहित व्यय का वित्तपोषण 2000-09 की अवधि के दौरान गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में 18.0 प्रतिशत (बिहार) और 68.9 प्रतिशत (हरियाणा) के बीच तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में 6.1 प्रतिशत (नागालैण्ड) और 52.0 प्रतिशत (सिक्किम) के बीच व्यापक रहा।

VII.4.3 राज्य बिक्री कर/वैट की प्रवृत्तियां

सभी राज्यों ने राज्य बिक्री कर के बदले वैट कार्यान्वित किया है। समेकित स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में राज्य बिक्री कर/वैट 1980-85 के 2.1 प्रतिशत से सुधार कर 2005-09 के दौरान 3.1 प्रतिशत हो गया। स्व-कर प्राप्तियों से अनुपात के रूप में राज्य बिक्री कर/वैट 1980-85 के 42.7 प्रतिशत से बढ़कर 2005-09 के दौरान 50.4 प्रतिशत हो गया और इसने इस अवधि के दौरान 7.7 प्रतिशत अंक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में राज्य बिक्री कर/वैट ने पिछले तीन दशकों के दौरान क्रमिक सुधार भी दर्शाया। जहां तक वैट द्वारा कुल संवितरणों के वित्तपोषण का प्रश्न है, राज्य बिक्री कर/वैट ने 1980-85 के 13.5 प्रतिशत की तुलना में 2005-09 के दौरान कुल व्यय के 19.1 प्रतिशत का वित्तपोषण किया (सारणी 52)।

सारणी 51 : स्व-राजस्व से समग्र व्यय का वित्तपोषण

(प्रतिशत)

वर्ष (औसत)	ओटीआर/एई	ओएनटीआर/एई	ओआर/एई
1	2	3	4=2+3
1980-85	31.5	12.7	44.3
1985-90	32.8	11.6	44.4
1990-95	33.6	11.6	45.2
1995-00	34.0	10.9	44.8
2000-05	32.6	8.4	41.0
2005-09	37.8	8.4	46.2

ओटीआर : स्व-कर राजस्व
ओएनटीआर : स्व-करेतर राजस्व
एई : समग्र व्यय
ओआर : स्व-राजस्व
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

सारणी 52 : राज्य बिक्री कर / वैट

(प्रतिशत)

वर्ष (औसत)	वैट/ ओटीआर	वैट/ टीआरआर	वैट / एई	वैट/ जीडीपी
1	2	3	4	5
1980-85	42.7	18.8	13.5	2.1
1985-90	45.5	20.2	14.9	2.4
1990-95	45.1	20.0	15.2	2.4
1995-00	46.5	22.1	15.8	2.3
2000-05	47.3	23.5	15.4	2.6
2005-09	50.4	24.0	19.1	3.1

वैट : मूल्यवर्धित कर
टीआरआर : कुल राजस्व रसीदें
जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद
ओटीआर : स्व-कर राजस्व
एई : समग्र व्यय
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

VII.4.4 स्व-कर राजस्व की वृद्धि दरें और उछाल

2005-09 के दौरान स्व-कर प्राप्तियां 16.6 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ीं जो 1995-00 और 2000-05 के दौरान रही 13.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। कर उछाल16 जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि के प्रति स्व-कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता ग्रहण करता है, नब्बे के दशक के 1.0 प्रतिशत की तुलना में 2000-05 में बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह उछाल 2005-09 के दौरान उतरकर 1.2 प्रतिशत पर आ गया क्योंकि स्व-करों में वृद्धि ऊंची होने के बादजूद सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में कम थी। बिक्री कर/वैट की औसत वार्षिक वृद्धि नब्बे दशकके उत्तरार्ध की तुलना में वर्तमान दशक में काफी सुधार गई। इसी प्रकार, बिक्री कर के उछाल में चालू दशक के प्रथमार्ध में काफी सुधार आया लेकिन बाद में इसमें गिरावट आ गई (सारणी 53)।

2003-04 से 2007-08 (सं.अ.) अवधि के दौरान असमुच्चयित स्तर पर गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच बिहार ने 2.2 प्रतिशत का सर्वोच्च स्व-कर उछाल दर्ज किया और उसके बाद राजस्थान (1.9 प्रतिशत) का स्थान रहा। उसी अवधि के दौरान न्यूनतम स्व-कर उछाल झारखंड (0.8 प्रतिशत) ने दर्ज किया। 2003-08 के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच मिज़ोरम ने 2.4 प्रतिशत का सर्वोच्च स्व-कर उछाल दर्ज किया और उसके बाद

16 अलग-अलग राज्यों के लिए उछाल की गणना राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सबंध में की गयी है।
उछाल की गणना इस प्रकार की गयी है : $B=[(OTRt-OTRt-1)OTRt-1]/[(GDPt - GDPt-1)/GDP-1]$
जहां B स्व-कर राजस्व का उछाल है, OTR स्व-कर राजस्व है और जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है।

सारणी 53 : वृद्धि दरें और ओटीआर और राज्य बिक्री कर / वैट का उछाल

वर्ष (औसत)	ओटीआर		राज्य बिक्री कर / वैट	
	वृद्धि दर (प्रतिशत)	उद्गाल	वृद्धि दर (प्रतिशत)	उद्गाल
1	2	3	4	5
1980-85	16.8	1.2	16.7	1.1
1985-90	16.2	1.2	17.9	1.3
1990-95	15.7	1.0	16.7	1.1
1995-00	13.0	1.0	12.6	0.9
2000-05	13.0	1.3	15.2	1.6
2005-09	16.6	1.2	15.2	1.3

ओटीआरः स्व-कर राजस्व वैट : मूल्यवर्धित कर
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

मेघालय (1.96 प्रतिशत) तथा जम्मू और कश्मीर (1.94 प्रतिशत) रहे। उसी अवधि के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच सिक्किम ने 0.6 प्रतिशत का न्यूनतम स्व-कर उछाल दर्ज किया (सारणी 54)।

सारांश में, हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों में उर्ध्वमुखी तेजी दिखाई दी जो मुख्य रूप से डिवोल्यूशन, केंद्र से संसाधनों के ऊंचे अंतरणों एवं स्व-कर प्राप्तियों में सुधार के कारण थी। हाल ही में राज्य बिक्री कर के स्थान पर प्रारंभ किये गये वैट राज्य सरकारों के लिए राजस्व के उछाल भरे स्रोत के रूप में सिद्ध हुआ है। तथापि, राज्य सरकारों ने स्व-करेत्तर प्रप्तियों में मंद निष्पादन का अनुभव किया करेत्तर मोर्चे पर राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर उपयोक्ता प्रभारों से मिलनेवाले राजस्व ने राज्य सरकारों के कुल स्व-करेत्तर प्राप्तियों के लगभग 50 प्रतिशत का निर्माण किया। यह ध्यान देना उपयुक्त होगा की राजस्व प्राप्तियों में सुधार ने 2003-08 की अवधि के दौरान कुल राजस्व लेखा सुधार के 76.1 प्रतिशत का योगदान दिया। स्व-कर प्राप्तियों का उछाल विगत तीन दशकों के दौरान एक प्रतिशत से ऊपर रहा है।

VIII. मुद्दे और महत्त्व

राज्य वित्त सचिवों के द्विवार्षिक सम्मेलन में रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को सामान्य रूप से उनके वित्त के बारे में और विशेष रूप से बाजार उधारों के बारे में सावधान करता रहा है। संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और राज्य सरकारों के विचारार्थ सिफारिशें करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्य दल गठित किए गए हैं। इस खंड में राज्य सरकारों द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियां प्रस्तुत की गई हैं।

VIII.1 राजस्व बढ़ाना

व्यय उत्तरदायित्वों के वित्तपोषण हेतु पर्याप्त राजस्व पैदा करना राज्य सरकारों के ऊपर डाला गया है और यह राज्य सरकारों के लिए एक सतत चुनौती है। ऋणेतर सृजन स्रोतों के माध्यम से राजस्व बढ़ाना राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय स्थान पैदा करने

सारणी 54 : स्व-कर उछाल - राज्य -वार

राज्य	2003-08 (औसत)	राज्य	2003-08 (औसत)
1	2	3	4
I. गैर विशेष श्रेणी		**II. विशेष श्रेणी**	
1. आंध्र प्रदेश	1.52	1. अरुणाचल प्रदेश	1.60
2. बिहार	2.22	2. असम	1.25
3. छत्तीसगढ़	1.38	3. हिमाचल प्रदेश	1.56
4. गोवा	1.47	4. जम्मू और कश्मीर	1.94
5. गुजरात	1.16	5. मणिपुर	1.19
6. हरियाणा	1.19	6. मेघालय	1.96
7. झारखंड	0.82	7. मिजोरम	2.44
8. कर्नाटक	1.73	8. नागालैंड	1.37
9. केरल	1.22	9. सिक्किम	0.62
10. मध्य प्रदेश	1.73	10. त्रिपुरा	1.43
11. महाराष्ट्र	1.11	11. उत्तराखंड	1.79
12. उड़ीसा	1.30		
13. पंजाब	1.22		
14. राजस्थान	1.92		
15. तमिलनाडु	1.18		
16. उत्तर प्रदेश	1.54		
17. पश्चिम बंगाल	1.14		

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर

हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारों के राजस्वों का लगभग 40 प्रतिशत केंद्र सरकार से होनेवाले डिवोल्यूशन और अंतरणों के स्वरूप का है और इसलिए यह बाह्य कारकों से तय होता है। राजस्व का शेष 60 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा उनके स्व-कर तथा करेतर स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। अतः अतिरिक्त राजस्व पैदा करने के लिए राज्य सरकारों की विवेकाधीन अथवा बाह्य क्षमताएं उनके स्व-कर राजस्व तक सीमित हैं। कर के मोर्चे पर सभी राज्यों सरकारों द्वारा वैट का कार्यान्वयन राज्यों के लिए राजस्व के एक उछाल भरे स्रोत के रूप में सिद्ध हुआ है। राज्यों ने कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से कर प्रशासन को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अगले कुछ वर्षों में सुधार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जीएसटी का कार्यान्वयन होगा। जहां राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति जीएसटी के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है, वहीं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा भी इस मुद्दे की जांच की जायेगी। योजनानुसार जीएसटी का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जायेगा।

करेतर स्रोतों (जीडीपी से अनुपात के रूप में) से राजस्व उत्पन्न करना। हाल ही के वर्षों में कमोबेश स्थिर रहा और यहां तक कि नब्बे के दशक की तुलना में कम हुआ। राज्यों को विभिन्न जनसेवाओं से लागत वसूली सुधारने के लिए उचित कदम उठाने होंगे जोकि राज्यों द्वारा दी जानेवाली सेवाओं में सहगामी सुधार पर निर्भर करता है। राज्य के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना करना जिसका उद्देश्य उन्हें लाभकारी बनाना तथा गंभीर रूप से रुग्ण एवं अव्यवहार्य इकाइयों को बंद करने के विषय पर भी राज्यों द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

VIII.2 व्यय की गुणवत्ता

एक ऐसा विषय जिसने राजकोषीय सुधार के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के स्तर पर काफी रुचि इकट्ठी कर ली है, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह सुधार व्यय की मात्रा अथवा गुणवत्ता दोनों में से किसी में कमी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर अवधि में जीडीपी से अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में कुछ कमी हुई है। हालांकि जीडीपी से अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय ने ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शायी है। लेकिन फिर भी राज्य व्यय का विकास घटक भी बढ़ा नहीं सके हैं। इस पहलू के महत्व के परिप्रेक्ष्य में 13वें वित्त आयोग को '' बेहतर उत्पादन और परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता'' विषय पर विचार करने के लिए पहली बार विशेष रूप से कहा गया है। बारहवें वित्त आयोग ने व्यय की पुनर्संरचना करके उत्पादन और परिणाम सुधारने के महत्व पर भी जोर दिया है।

जब हम व्यय की गुणवत्ता सुधार ने की बात करते हैं तो इसमें तीन पहलू आते हैं यथा व्यय पर्याप्तता (अर्थात जन सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), कारगरता (अर्थात चुनिंदा सेवाओं के लिए कार्यनिष्पादन/परिणाम संकेतकों का मूल्यांकन) और व्यय के उपयोग की दक्षता। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो व्यय गुणवत्ता के संदर्भ में उभरते हैं। पहला, राज्य सरकारों के व्यय का एक काफी बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध अथवा विकासेतर व्यय से बनता है जिसमें ब्याज भुगतान, मजदूरी और वेतन, पेंशन देयताएं और प्रशासनिक व्यय शामिल रहते हैं। यह अपने आप ही व्यय के विवेकाधीन घटक को कम कर देता है। राज्यों को अपने बजटों में प्रतिबद्ध व्यय कम करने तथा उस व्यय पर जो कि "वृद्धि उन्मुख" है, पर पर्याप्त जोर देने की आवश्यकता है। दूसरा, राज्यों को वांछित 'परिणाम' प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम डिज़ाईन तथा इनपुट के इष्टतम मिश्रण को हासिल करने पर जोर देने की आवश्यकता है। तीसरा, मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही अर्थों में यह सर्व विदित है कि सार्वजनिक सेवाएं निर्धन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस संदर्भ में, सेवाओं को निर्धन लोगों के लिए काम करने योग्य बनाकर संसाधनों का अधिक कारगर तरीके से उपयोग करने हेतु विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ढांचे के आधारभूत घटकों पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है[17] - (i) उन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना जिनका मानव विकास के साथ सबसे सीधा संपर्क है - शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, सफाई और बिजली; (ii) सेवा प्रदाता शृंखला के तीन महत्वपूर्ण संबंधों में अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेहीः निर्धनों और सेवा प्रदाताओं के बीच, निर्धनों और नीति निर्माताओं के बीच, नीति निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच; (iii) निर्धन ग्राहकों के विकल्प बढ़ाना और सेवा देने में सहभागिता जो उन्हें सेवा प्रदाताओं की निगरानी करने तथा उन्हें अनुशासन में रखने में सहायक होगा; (iv) प्रभावशाली सेवा देने को पुरस्कृत करना तथा अयोग्य सेवा प्रदाताओं को दंडित करना और (v) निर्धन को सशक्त बनाने की

17 विश्व बैंक (2004, विश्व विकास रिपोर्टः सेवाओं को निर्धन लोगों के लिए काम करने योग्य बनाना, विश्व बैंक।

दिशा में लक्ष्यित सूचना का सिलसिलेवार मूल्यांकन और प्रसार करना। चौथा, राज्य राज्य-स्तरीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, विशेष रूप से राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) को गारंटियां देते रहे हैं ताकि वे बाजार से उधार ले सकें। तथापि, इनमें से अधिकांश संस्थाएं हानि उठाती रही है और पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ दर्शाती रही हैं, अतः ऐसी देयताओं को चुकाने का भार राज्य सरकारों पर आ सकता है। इससे राज्य सरकारों को विकास व्यय प्रारंभ करने के लिए कम मौका मिलेगा।

VIII.3 ऋण एवं नकदी प्रबंध

एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा जो राज्य वित्त द्वारा की गयी प्रगति के ऊपर सतत छाया हुआ है, वह है उनकी उच्चस्तरीय ऋण देयताएं। हाला की बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रोत्साहन - आधारित ऋण राहत व्यवस्था के कारण राज्यों की ब्याज देयताओं में कुछ कमी आई है। यह योजना राज्यों द्वारा केंद्र से लिये गये उधारों तक सीमित थी। तिस पर भी, दिलासा देने वाली बात यह है कि 2006-07 में राज्य समेकित आधार पर प्राथमिक आधिक्य उत्पन्न करने में समर्थ रहे हैं, जो कि जीडीपी से ऋण के स्थिर अनुपात के अर्थ में ऋण की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक (किंतु पर्याप्त नहीं) शर्त है। तथापि, अगले दशकके मध्य के आसपास राज्यों को अपने बाजार उधार के संबंध में चुकौतियों के समूहित हो जाने की संभावित समस्या का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए भारी मात्रा में बाजार से उधार लेने की जरूरत पड़ेगी और इससे ब्याज दरों पर ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ सकता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ), 2005-10 की समीक्षा करने के लिए एक तकनीकी कार्यदल गठित किया है जिसकी सिफारिश बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गयी थी।

इसी से जुड़ा एक मुद्दा है राज्य सरकारों द्वारा भारी मात्रा में अधिशेष नकद शेष बनाये रखना जो कि 17 दिसंबर 2008 की स्थिति के अनुसार 74,857 करोड़ रुपए था। नकद शेषों की इतनी भारी मात्रा राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले नकदी प्रबंधन के बारे में प्रश्न चिह्न लगाती है। यद्यपि अधिशेष नकद शेषों का निर्माण प्रारंभ में एनएसएसएफ संग्रहों के अत्यधिक स्वायत्त अंतर्वाहों की देन था किंतु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उच्च अधिशेष नकद शेषों का यह चमत्कार हाल ही के वर्षों में एनएसएसएफ अंतर्वाहों में तेज गिरावट के बावजूद बना रहा है। चूंकि अधिशेष नकद शेष भारत सरकार के खज़ाना बिलों (14 दिवसीय आइटीबी और एटीबी) में निवेश किये जाते हैं। जिन पर राज्य सरकारों के बाजार उधारों की भारित औसत ब्याज दर की तुलना में ब्याज की दर कम रहती है, अतः राज्य सरकारों के लिए यह विवेक सम्मत होगा कि वे अधिशेष नकद शेषों को घटाकर राज्यकोषीय घाटे का वित्तपोषण करें। राज्यों का अधिशेष नकद शेष भी भारत सरकार के नकद शेषों को अस्थिरता प्रदान करता है।

VIII.4 छठे केंद्रीय वेतन आयोग के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया

छठा केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) जो 5 अक्तूबर 2006 को सरकार द्वारा गठित किया गया था, ने 24 मार्च 2008 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसमें वेतनमानों तथा पेंशन के संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है जो 1 जनवरी 2006 से लागू होगा। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार सरकारी वित्त पर इस वेतन वृद्धि का संभावित प्रभाव 12,561 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा तथा बकायों के भुगतान के कारण होने वाला एक बारगी प्रभाव जो 1 जनवरी 2006 से पूर्व व्यापी होगा, 18,060 करोड़ रुपए होगा। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2008 को छठे केंद्रीय वेतन आयोग अवार्ड की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया।

राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को सुधारने के लिए कमोबेश सीपीसी अवार्ड का अनुसरण करती हैं। तथापि, कुछ राज्य सरकारें अपने स्वयं के वेतन आयोग गठित करती हैं। केरल और कर्नाटक ने क्रमशः 2006 और 2007 में अपने संबंधित राज्य के वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाया है। सूचनानुसार राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए सीपीसी का अवार्ड कार्यान्वित किया है। ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आठ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के बाद नब्बे के दशक के बाद के हिस्से में राज्य वित्त में क्षरण का अनुभव किया। राज्यों का वेतन बिल 1996-97 में राजस्व व्यय के 33.3 प्रतिशत और जीडीपी के 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2000-01 में बढ़कर राजस्व व्यय का 39.1 प्रतिशत और जीडीपी का 4.5 प्रतिशत हो गया। सिफारिशों के अंगीकरण की रफ्तार और उनके कार्यान्वयन के आधार पर छठे केंद्रीय वेतन आयोग का प्रभाव प्रत्येक

राज्य में भिन्न-भिन्न रहेगा। कुछ राज्यों ने 2008-09 के लिए अपने बजटों में वेतन संशोधनों के लिए पहले से ही अंतरिम प्रावधान कर लिये हैं। सतत चल रहे राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में राज्यों को अपनी राजकोषीय क्षमता, कर्मचारियों की संख्या, आबादी के आकार और उत्पादक नियोजन हेतु अनुपूरक व्यय पर उचित विचार करने के पश्चात वेतन स्तरों से संबंधित अपने निर्णयों को आधारित करने की आवश्यकता होगी।

VIII.5 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

भारतीय संविधान द्वारा सरकार के तीसरे स्तर को सौंपी गयी महत्त्वपूर्ण भूमिका के परिप्रेक्ष्य में तेरहवां वित्त आयोग "राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के अनुपूरण हेतु राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले आवश्यक उपायों" पर सिफारिशें देगा। भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय निकायों के वित्त एक चुनौती भरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह सर्व विदित है कि राज्य वित्त आयोगों के सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को निधि डिवॉल्व करने की प्रक्रिया से कोई वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने राज्य वित्त आयोगों के गठन की समय सारणी का पूरी कड़ाई से पालन किया है। राज्य वित्त आयोगों का गठन का समय भी वित्त आयोगों के साथ समरस नहीं किया गया है। इस प्रकार उत्तरवर्ती को परिकल्पनानुसार महत्त्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित किया गया है। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों में भी विषमता है। विभिन्न स्तरों के बीच पारस्पारिक वितरण के बारे में सिफारिशें करते समय रिपोर्टें एक समान मानदंड नहीं अपनाती है। इसके अलावा राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का पूरी तरह से अनुसरण नहीं किया जाता है। इस प्रकार स्थानीय निकायों को निधियों के डिवॉल्यूशन में राज्य वित्त आयोगों की भूमिका में काफी सुधार की गुंजाइश रह जाती है। एक स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में राज्यों से स्थानीय निकायों को निधियों का डिवॉल्यूशन अननुमेय रहता है। और इसके साथ ही अपना राजस्व जुटाने में स्थानीय इकाईयों की क्षमता सीमित है। तथापि, शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत जैसे कि संपत्ति कर, विशेष रूप से शहरों के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में काफी आशाजनक स्रोत हैं, परंतु इनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के मामले में उन्हें दिये गये कर राजस्व स्रोतों के कर आधार बहुत छोटे हैं और उनके उछाल भी कम रहते हैं। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा की गयी परिकल्पना के अनुसार विकेन्द्रीकरण से वांछित परिणाम केवल तभी प्राप्त हो सकते हैं जब सरकार के तीसरे स्तर को राजकोषीय शक्ति प्रदान करने को लक्ष्य करके तहे दिल से किये जाने वाले प्रयास इसके साथ जुड़े हों। राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं विशेष रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर अवधि में अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के परिप्रेक्ष्य में।

VIII.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर राजकोषीय ढांचा

राज्य सरकारों ने 2002 से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) अधिनियमित करने प्रारंभ किये। टीएफसी द्वारा सिफारिश की गयी ऋण राहत व्यवस्था के साथ एफआरएल के अधिनियमन को जोड़ देने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। अधिकांश राज्यों के एफआरएल में निर्दिष्ट किये गये अनुसार राजकोषीय सुधार के पथ में यह परिकल्पना की गयी है 2008-09 तक राजकोषीय घाटा समाप्त कर दिया जाए और जीएफडी को घटाकर 2009-10 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक ले आया जाए। जैसा कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, ढेर सारे राज्यों ने अपने एफआरएल में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विचारणीय प्रगति की है। अतः एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा राज्य सरकार के स्तर पर राजकाषीय समेकन के लाभों को सतत बनाए रखना है। यह सर्व विदित है कि राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया मूल रूप से व्यय प्रबंधन पर काफी कम फोकस के साथ राजस्व प्रणित रही है। राज्यों के लिए यह महत्त्वपूर्ण होगा की वे अब तक अर्जित अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सटीक राजकोषीय उत्तरदायित्त्व विधानोत्तर संरचना डिज़ाईन करें। राज्यों को सतत ऊंचे ऋण-जीडीपी अनुपात के परिप्रेक्ष्य में अपने घाटे (और उधार) के स्तरों को लगातार न्यून रखने की आवश्यकता होगी। प्राथमिक राजस्व शेष उत्पन्न करना भी महत्त्वपूर्ण है जो राज्य सरकारों के ब्याज भुगतानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह भी वांछनीय हो सकता है कि व्यय की पुनर्प्राथमिकताकरण को लक्ष्य करके व्यय की कतिपय श्रेणियों के संबंध में कुछ अंकीय लक्ष्य निर्धारित किये जाएं। इसके अलावा, उधार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार आधारित स्रोतों का रास्ता अपनाए जाने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है।

IX. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

राज्य सरकारों ने हाल ही के वर्षों में अपनी समेकित राजकोषीय स्थिति में ध्यान देने योग्य सुधार देखा है। राज्यों के राजस्व लेखे दो दशकों के अंतराल के बाद 2006-07 के दौरान घाटे से अधिशेष में बदले। 2007-08 के संशोधित अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा और अधिशेष क्रमशः 2.3 प्रतिशत और 0.48 प्रतिशत पर रखे गये हैं। 2008-09 (ब.अ.) में राज्य सरकारों ने सकल घरेलू उत्पाद के 0.54 प्रतिशत पर ऊंचे राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है। सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा कम होकर 2.1प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि बहुत-सी राज्य सरकारों ने बारहवें वित्त आयोग का लक्ष्य तथा 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में एफआरएल के अंतर्गत निर्दिष्ट लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिये है।

केवल दो राज्यों (सिक्किम और पश्चिम बंगाल) को छोडकर सभी राज्यों द्वारा अपनाये गये नियम आधारित राज्यकोषीय नीति ढांचे ने राज्य सरकारों को राज्यकोषीय सुधार के पथ पर आगे बढ़ना सुसाध्य बनाया। सुधरे हुए स्व-कर प्रयास तथा विकासेत्तर व्यय को सीमित करने के लिए किये गये कुछ प्रयासों ने राज्यस्तर पर राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया को सहायता पहुंचाई है। अन्य महत्त्वपूर्ण कारक अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक वृद्धि द्वारा समर्थित ऊंचे डिवोल्यूशन तथा केंद्र से संसाधनों के अंतरण से संबंधित है।

संसाधन संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से किया गया 2008-09 के लिए उनके बजटों में उनके द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों में देखा जा सकता है। संसाधन संग्रहण में वृद्धि लाने के लिए राज्य सरकारों ने कर वसूली तथा कर अनुपालन मे सुधार लाने के उपाय किये हैं, नये कर लगाने का प्रस्ताव रखा है तथा संसाधन संग्रहण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा है। व्यय पक्ष की ओर, राज्य सरकारों ने अपनी विभिन्न योजनाओं के परिणामों में सुधार लाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने योजनेतर व्यय में कमी लाने और पूंजी निवेश हेतु संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर बनाये रखा है।

राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति में समग्र सुधार के बावजूद राजकोषीय निष्पादन के संबंध में राज्य सरकारों के बीच भारी भिन्नता मौजूद है। जहां कुछ राज्य सरकारों ने अनेक संकेतकों के संबंध में बारहवे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य निर्दिष्ट समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिये हैं, वही कुछ अन्य राज्य ऐसे भी है जहां राजकोषीय सुधार की गति धीमी है। राजस्व लेखे में सुधार तथा परिणामस्वरूप पैदा होने वाला राजस्व अधिशेष लगभग सभी राज्यों में विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए व्यय के अधिक आबंटन के रूप में परिणित हुआ है। तथापि, राजकोषीय प्राथमिकता तथा राजकोषीय क्षमता सहित राज्य विशिष्ट राजकोषीय स्थितियां भी व्यय का पैटर्न डिज़ाईन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट ऋण राहत व्यवस्था, जो नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था के अनुपालन द्वारा प्रोत्साहित है, ऋण चुकौती भार में उल्लेखनीय सुधार लाई है। पिछले घाटों के परिणामस्वरूप ऋण के उच्च स्तर ने हाल ही के वर्षों तथा 2007-08 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाना प्रारंभ कर दिया है, 30.8 प्रतिशत पर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के बारहवे वित्त आयोग के लक्ष्य से कम है। तथापि, बहुत से राज्यों में यह ऋण-राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से काफी ऊपर है, इस प्रकार यह इसकी निरंतरता के बारे में चिताएं पैदा करता है। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों का अनुपात जिसका ऋण की निरंतरता से संबंध है, 2007-08 (सं.अ.) में पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में 15.0 प्रतिशत के बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से काफी नीचे है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राज्य सरकारों ने 2007-08 (सं.अ.) में प्राथमिक राजस्व अधिशेष रिकार्ड किया है। तथापि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत से राज्यों में प्राथमिक राजस्व अधिशेष इतना बड़ा नहीं है कि वह ब्याज भुगतानों को पूरा कर सके।

राज्यों को व्यय वित्त पोषण के लिए पर्याप्त राजस्व पैदा करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के लिए एक सतत चुनौती है। सभी राज्यों द्वारा वैट का कार्यान्वयन राज्यों के लिए राजस्व के एक उछाल भरे स्रोत के रूप में सिद्ध हुआ है। जीएसटी का कार्यान्वयन सुधार का एक प्रमुख क्षेत्र होगा। करेतर मोर्चे पर राज्यों को विभिन्न जन सेवाओं से लागत वसूली सुधारने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता होगी जो राज्यों द्वारा दी जानेवाली सेवाओं में सहगामी सुधार पर निर्भर होगी। राज्य सब्सिडियों को तर्क संगत बनाने तथा

राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करने की संभावनाएं भी तलाश सकते हैं।

एक मुद्दा जिसने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार के स्तर पर राजकोषीय सुधार के परिप्रेक्ष्य में काफी रुचि इकट्ठा कर ली है तथा उनके एफआरएल को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह सुधार उनके व्यय के मात्रा अथवा गुणवत्ता में कमी की कीमत पर नहीं है। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में कुछ कमी हुई हैं। राज्य व्यय के विकासात्मक घटक को भी नहीं बढ़ा सके हैं, हालांकि सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय ने उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शाई है। जब हम व्यय की गुणवता सुधारने के बारे में बात करते हैं तो इसने तीन पहलू आते हैं यथा, व्यय पर्याप्तता (अर्थात जन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान), कारगरता (अर्थात चुनिंदा सेवाओं के लिए कार्यनिष्पादन/उत्पादन संकेतक) और व्यय दक्षता का उपयोग।

छठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी), जिसका गठन 5 अक्तूबर 2006 को सरकार द्वारा किया गया था, ने 24 मार्च 2008 को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2008 को छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अनुमोदित कर दीं। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का वेतन ढांचा सुधारने के लिए कमोबेश सीपीसी अवार्ड का अनुसर करती हैं। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के वेतन आयोग गठित किये है। छठवें केंद्रीय वेतन आयोग का प्रभाव सिफारिशों के अंगीकरण के कदम तथा उनके कार्यान्वयन के आधार पर हर राज्य में भिन्न-भिन्न होगा। राजकोषीय सुधार और समेकन की सतत प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य ने राज्यों को अपनी राजकोषीय क्षमता, कर्मचारियों की संख्या, जनसंख्या के आकार और उत्पादक नियोजन हेतु अपेक्षित अनुपूरक व्यय पर पर्याप्त विचार करने के पश्चात वेतन स्तरों से संबंधित अपने निर्णयों को आधारित करने की आवश्यकता होगी।

भारत में स्थानीय निकायों, शहरी और ग्रामीण दोनों, के वित्त निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह बात अच्छी तरह से प्रमाणित हो चुकी है कि राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को निधियों को डिवॉल्व करने की प्रक्रिया के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। इसके साथ ही, अपने स्व-राजस्व जुटाने की स्थानीय निकायों की योग्यता सीमित है। तथापि, शहरी स्थानीय निकायों के कुछ राजस्व के स्रोत जैसे कि संपत्ति कर विशेषकर शहरों के विस्तार की दृष्टि से आशाजनक स्रोत हैं किन्तु इनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि विकेन्द्रीकरण जैसा कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों में परिकल्पित है, अपेक्षित परिणाम केवल तभी दे सकता है यदि इसके साथ सरकार के तीसरे स्तर के राजकोषीय सशक्तिकरण को लक्ष्य कर के सच्चे मन से प्रयास किये जाएं। राज्य सरकारें इन स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने में, विशेषकर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर अवधि में अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार के परिप्रेक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।

अंत में, हाल ही के वर्षों के दौरान राज्य वित्त में बेहतरी के लिए विभिन्न राजकोषीय सुधार यथा एफआरएल का कार्यान्वयन, वैट लागू करना, कर प्रशासन सुधारने के लिए नये कर और उपाय लागू करना, विकासेत्तर व्यय को सीमित करने को लक्ष्य कर के किये गये उपाय काफी हद तक आभारी हैं। सुदृढ़ समष्टि आर्थिक वृद्धि द्वारा समर्थित केंद्र सरकार से बड़े डिवोल्यूशन और अंतरणों ने भी राज्य सरकार के स्तर पर राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया में सहायता की है। राज्य सरकारें प्रमुख व्यय शीर्षों के अंतर्गत और गुणवता सुनिश्चित कर के, व्यय वित्तपोषण हेतु उधार ली जाने वाली निधियों का रास्ता कम अख्तियार कर के तथा स्थानीय सरकार के स्तर को संसाधनों का डिवोल्यूशन बढ़ाकर करेतर संसाधनों से राजस्व संग्रहण में सुधार लाने हेतु अपने प्रयासों का अनुसरण कर सकती हैं। राज्य सरकारों को नियम आधारित ढांचे के अंतर्गत अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर संरचना डिजाईन करनी पड़ेगी।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
1. आंध्र प्रदेश	• राजीव युवा शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। • 2008-09 के दौरान इंदिरा अम्मा फेज़-III कार्यक्रम का प्रारंभ। • उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे उनकी जाति/धर्म/क्षेत्र जो भी हो, को छात्रवृत्ति प्रदान करके सहायता करने की योजना। • भारत सरकार के सहयोग से सक्सेस (स्कीम फार युनिवर्सल एक्सेस एण्ड क्वालिटी एट सेकेंडरी स्टेज एजूकेशन) नामक नई योजना का कार्यान्वयन। • 5000 चुनिंदा हाई स्कूलों और जूनियर कालेजों में सभी छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम का कार्यान्वयन।	• पशुधन संवर्धन की दक्षता बढ़ाने के लिए पशुधन संबंधी आधुनिक अनुसंधान हेतु एक विश्व स्तरीय केंद्र की स्थापना। • जिलों की 12.20 लाख एकड़ असिंचित भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए "प्राणहित-चेवल्ला" बृहद परियोजना। • फेज़-III के अंतर्गत और जिलों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उपलब्ध कराना।	–	–
2. अरुणाचल प्रदेश	• कक्षा नौ से बारहवीं तक के अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। • अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को वज़ीफे की राशि बढ़ाना। • नये शुरू किये गये कालेजों में कक्षाओं, शिक्षक आवास, संपर्क मार्ग तथा पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराना।	• एक समन्वित मास्टर प्लान बनाना जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन सभी श्रेणियों के मार्गों का विकास किया जाएगा। • मत्स्य संवर्धन तथा मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने तथा युवाओं को स्वतंत्र रूप से आय कमाने के काम में लगाना। • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी	–	• जेंडर बजट की शुरुआत। • नाबार्ड और बैंकिंग प्रणाली की तकनीकी सहायता से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के संवर्धन को विशेष प्रोत्साहन देना; अगले तीन वर्षों में 5,000 स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन; जिसमें से 1,500स्वयं सहायता समूहों को 2008-09 के दौरान बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• संघ लोग सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को शिक्षण एवं अध्ययन सामग्री हेतु वित्तीय सहायता बढ़ाना। • खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विकास हेतु निधीयन बढ़ाना। • पूरे राज्य में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उप-केंद्रों का समेकन। • किशोरों का पुनर्वास, विकलांग व्यक्तियों, पोषण कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा अरुणाचल प्रदेश समाज कल्याण परामर्श बोर्ड को वित्तीय सहायता पर विशेष ध्यान। • महिलाओं और बच्चों के विकास तथा सुरक्षा को प्राथमिकता देना।	सुविधाओं का निर्माण करना। • खानों और खनिजों के सर्वेक्षण और दोहन के लिए सरकारी निजी सहभागिता(पीपीपी) के आधार पर परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करना।		
3. असम	• पर्वतीय क्षेत्रों में नर्सिंग कालेज की स्थापना करना। • बोडो लैण्ड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करना। • मरान, मटक, अहोम, सुतिया, कोचराजबंशी और चाय बागानों में काम करने वाले मूल जनजाति समूह के लिए छह नयी विकास परिषदें स्थापित करना। • गोरखा विकास परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव।	• मायक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत व्यवहार्य उद्योग इकाईयों के पुनर्वास हेतु एक विशेष पैकेज प्रारंभ करना। • एक समर्पित वन सुरक्षा बल बनाकर वन एवं वन्य जीव सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाना। • सौर प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से 2009 तक सभी 2,139 सुदूर ग्रामों को बिजली पहुंचा कर सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।	• राज्य में प्रमुख बुनियादी संरचना परियोजनाओं के सृजन हेतु एक समर्पित निधि बनाना। यह मूल निधि बनाई जानेवाली एक संस्था यथा असम इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनांसिंग अथॉरिटी के अधिकार में रखी जाएगी। 105 करोड़ रुपए की राशि जो भारत सरकार से ऋण माफी के रूप में प्राप्त हुई है, इस मूल निधि के सृजन हेतु इस संस्था को अंतरित कर दी जाएगी।	• स्वयं सहायता समूहों को जोर शोर से आगे बढ़ाने के लिए रियायती ब्याज दर पर स्वयं सहायता समूहों के मायक्रो वित्तपोषण हेतु असम वित्त निगम को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। • उत्तर गुवाहाटी में एक जैव-प्रौद्योगिकी पार्क बनाना। • 2008-09 से जेंडर बजट बनाना प्रारंभ करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों से पर्याप्त परामर्श करने के बाद अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना। • सिविल सेवाएं, रक्षा सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएं जिन के लिए चयन राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है, में भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हेतु राज्य के शिक्षित युवकों के लिए शिक्षण सुविधाएं प्रारंभ करना। • धुबरी में एक कृषि महाविद्यालय तथा बरक घाटी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करना। • आंध्र प्रदेश की आरोग्य योजना के अनुरूप राज्य के गरीब मरीजों के लिए एक नयी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करना। • गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशालिटी यूनिट स्थापित करना। • वर्तमान में आठ जिलों की तुलना में सभी 27 जिलों में मोबाईल मेडिकल यूनिटों की स्थापना की गयी।		• अगले वित्त वर्ष से गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) की स्थापना करना। • अगला राज्य वेतन आयोग गठित करना तथा सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2008 से मूल वेतन और मूल पेंशन के 10 प्रतिशत की अंतरिम राहत प्रदान करना। • एक लाख अथवा उससे अधिक मालियत वाली अचल संपत्ति के पंजीकरण हेतु स्टॉम्प शुल्क की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करना। महिला खरीदारों के मामले में यह स्टॉम्प शुल्क 5 प्रतिशत लगाया जाएगा। • इक्विटी के रूप में 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराकर असम वित्त निगम का पूंजी आधार सुदृढ़ बनाना। • 31 मार्च 2008 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत किये गये 20,000 हजार रुपए तक के सभी फसल ऋणों हेतु 2 प्रतिशत की ब्याज राहत प्रदान करने की योजना जारी रखना।	
4. बिहार	• मछुआरों के लिए 'जनश्री बीमा योजना' प्रारंभ करना, जिसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुघर्टना में मृत्यु होने पर	• प्रत्येक मंडल में एक "सीड ग्राम" और "बायो ग्राम" की स्थापना करना ताकि राज्य को बीजों और उर्वरक में आत्म-निर्भर बनाया जा सके।	• निविदा प्रक्रिया में गति लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया प्रारंभ करना।	• स्टेट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई-हेल्थ, ई-म्युनिसिपैलिटीज़, ई-पंचायत और ई-एग्रीकल्चर प्रारंभ करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	आश्रितों को 75,000 रुपए और स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति 30,000 रुपए मिलेंगे। • 50 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) की स्थापना करना और 15 पुराने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की इकाइयों का विस्तार करना। • प्राथमिक स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदाय के सभी छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराना।	• कृषि अनुसंधान और विकास की गुणवत्ता सुधारने के लिए सहरसा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना। • राज्य में एक नॉलेज सिटी की स्थापना की शुरुआत जिसके अंतर्गत एक आइटी पार्क और एक आइटी अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है ताकि युवाओं को आइटी से संबंधित विषयों में प्रशिक्षित किया जा सके। • पशु अस्पतालों में उप मंडल स्तर पर 100 पैथोलोजिकल लैबोरेटरियां स्थापित करना। • राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत दरभंगा जिले में मछली विपणन संकुल का निर्माण। • ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इक्विपमेंट बैंक। • प्रत्येक पंचायत के लिए एक कृषि परामर्शदाता की नियुक्ति। • बागमती सिंचाई परियोजना तथा गंडक सिंचाई परियोजना का विस्तार। • सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाता की नियुक्ति। • सड़क विकास के कारगर पर्यवेक्षण के लिए ज्योग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टम (जीआइएस) प्रबंध प्रणाली और ऑनलाईन पर्यवेक्षण।	• वाणिज्यिक कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण।	• सभी जिलों और मंडल हेडक्वार्टरों को संचार नेट वर्क प्रदान करने के लिए राज्य व्यापी एरिया नेट वर्क स्थापित करना। • सामान्य जन को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र की स्थापना। • सरकारी खरीद प्रकिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी विभागों में ई-सरकारी खरीद प्रणाली प्रारंभ करना। • विदेश में नौकरी पाने में सहायता देने के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की स्थापना करना। • रोजगार गांरटी योजना के पर्यवेक्षण को कारगर बनाने के लिए सभी पंचायतों में 'रोजगार सेवक' नियुक्त करना। • प्रायोगिक परियोजना आधार पर रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की अदायगी हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
5. छत्तीसगढ़	• खाद्यान्न सुरक्षा योजना की व्याप्ति बढ़ाना जिसके अंतर्गत 34 लाख परिवारों को 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बीच कुपोषण तथा रक्ताल्पता के वर्तमान स्तर की स्थिति बेहतर बनाने की दिशा में खाद्यान्न सुरक्षा योजना एक महत्वपूर्ण कदम था। • 312 प्री-सेकेंडरी स्कूलों को प्रोन्नत करके हायस्कूल बनाना तथा 218 हायस्कूलों को प्रोन्नत करके हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना। • 8 आदिवासी क्षेत्रों में नये सरकारी कॉलेज प्रारंभ करना। • एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) प्रारंभ करना और 7 नये पॉलिटेक्निक खोलना • आठ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को " उत्कृष्टता केंद्र" (सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स) के रूप में प्रोन्नत करना। • 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 22 सेकेंडरी हेल्थ सेंटरों का निर्माण। • बेहतर नर्सिंग सुविधाएं उपलब्ध प्रदान कराने के लिए कांकरे, कोरिया और महासमुंद में नर्सिंग स्कूल खोलना तथा जगदलपुर और बिलासपुर में नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ करना।	• बीजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक संकर बीज उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। • पशुपालन हेतु बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 26 नये पशु चिकित्सा केंद्रों की स्थापना करना।	–	• जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा पारदर्शिता की शुरुआत करने के लिए सार्वजनिक वितरण की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण। • विभिन्न विकास योजनाओं में महिलाओं का सशक्तीकरण तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 14 विभागों में "जेंडर बजट" प्रारंभ करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रायगढ़ में एक नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करना। • अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों, विशेषकर आदिम जनजाति समूहों को मकान उपलब्ध कराने की योजना। • प्रायोगिक परियोजना आधार पर बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और नारायणपुर के घनी आबादी वाले अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शक्ति स्वरूपा योजना प्रारंभ की गयी।			
6. गोवा	• अपात्र हिताधिकारियों को निकाल बाहर करने के लिए दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी मामलों की समीक्षा करना। निर्धनों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर अर्थात प्रति परिवार 6 लाख रुपए वार्षिक की अवधारणा को सभी क्षेत्रों और योजनाओं में लागू करना। • वलपोई में एक अधुनातन उत्कृष्टता केंद्र प्रारंभ करना। • दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल विकलांग बच्चों को सहायता का स्तर बढ़ाना। इस योजना के	• रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं के निर्माण हेतु सब्सिडी देना। • राज्य में व्यापक वन रोपण कार्यक्रम चलाना। • फार्मा,काजू प्रसंस्करण और आभूषण के क्षेत्रों में गोवा के उद्योगों हेतु समूह केंद्रों की विकास योजना प्रारंभ करना। • कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन क्षेत्रों में निवेश में तेजी लाने के उद्देश्य से किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर 5 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराना। बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर का	• सीसीएस (पेंशन) विनियामवली, 1972 के अंतर्गत कवर किये गये कर्मचारियों के लिए पेंशन देयता निधि गठित करना। • कर प्रशासन और वसूली को सुदृढ़ बनाकर राजस्व वसूली बढ़ाना तथा वाणिज्यिक कर विभाग और उत्पाद शुल्क विभाग दोनों को ओवरहाल और पुनर्व्यवस्थित करना। • गोवा से बाहर पंजीकृत वाहनों (माल वाहक वाहनों को छोड़कर) पर 100 रुपए प्रति वाहन का प्रवेश कर लगाना। • सभी छोटे उद्यमियों जिन्होंने आर्थिक विकास	–

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	अंतर्गत एचआईवी एड्स के मरीजों को इसके दायरे में लेना। • स्कूलों में कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा को बढ़ावा देना और आवश्यक हार्डवेयर, साफ्टवेयर और संबद्ध बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। • गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को दी जानेवाली बुनियादी संरचना ऋण योजना के अंतर्गत और स्कूलों को कवर करना। • कक्षा V से X तक सभी विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू करना। • गोवा विश्वविद्यालय को प्रोन्नत करके उसका स्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्तर पर ले जाना। • महिला मंडलों के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों के बारे में प्रशिक्षण देने की एक नयी योजना प्रारंभ करना। • राज्य में डे-केयर सेंटरों की स्थापना करने और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक उचित योजना तैयार करना। • राज्य की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में बुनियादी संरचना और सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाना। • मारगाव में 450 बिस्तरों वाले एक नये अस्पताल का निर्माण करना।	अंतर सरकार द्वारा बैंकों को सब्सिडी के रूप में अदा किया जायेगा। • मशीनरी और विशेष काम करने वाले मजदूरों सहित कुशल कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्राम कृषि सेवा समितियों को बढ़ावा देना। ऐसी पंजीकृत समितियों के लिए ली गयी मशीनरी पर 50 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी उपलब्ध कराना और उन्हें लागत के शेष 50 प्रतिशत के लिए 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंक ऋण लेने की अनुमति देना। अकेले किसानों को भी 50 प्रतिशत की मौजूदा सब्सिडी के अलावा उन्हें बैंकों से 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर लागत के शेष 50 प्रतिशत के लिए बैंकों से ऋण लेने की अनुमति प्रदान करना। • औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाटों के आबंटन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता देना। महिला उद्यमियों द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु उचित सब्सिडी घटक के साथ विशेष योजना बनाना।	निगम से 10 लाख रुपए और उससे कम ऋण लिया है तथा उन सभी अन्य पार्टियों जिनकी मूल सुरक्षा निधि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, के लिए एक बारगी निपटान योजना। • कृषि विभाग के माध्यम से किसानों द्वारा लिये गये सभी ऋण, पंचायत महानिदेशालय की ग्रामीण आवास ऋण योजना, राजीव आवास योजना सहित समाज कल्याण महानिदेशालय की आवास योजना के अंतर्गत लिये गये आवास ऋण तथा 31 मार्च 2007 तक पंचायत महानिदेशालय द्वारा लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत पंचायतों को दिये गये ऋण माफ करना।	

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
7. गुजरात	• "स्कोप" कार्यक्रम के अंतर्गत 15 साल से 35 वर्ष के आय समूह वाले युवाओं को अंग्रेजी का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। • राज्य में 203 सेकेंडरी और 222 हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना। • इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्कीटेक्चर के अंतर्गत स्नातक और डिप्लोमा स्तर पर सीटें बढ़ाना। • 100 पालीटेक्निक एक्सटेंन्सशन सेंटरों की स्थापना करना। • राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में 10 नये कॉलेज स्थापित करना। • स्वास्थ्य संस्थाओं की बुनियादी संरचना के निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव में उत्कृष्टता का स्तर बनाए रखने के लिए गुजरात राज्य स्वास्थ्य बुनियादी संरचना विकास निगम स्थापित करना। • "बाल गोकुलम" नामक संस्था प्रारंभ करना जो बाद में "बाल विश्वविद्यालय" में बदल दी जायेगी। • गोधरा में नया कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा दाहोद में कृषि अभियांत्रिकी पॉलीटेक्निक स्थापित करना।	• खेती की ऐसी आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित करना जो उत्पादन की लागत कम करती हैं। • पीपीपी के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक नयी योजना तैयार करना। • ग्रामों को ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना ताकि वे आधुनिक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें।	• व्यवसाय कर लगाने, वसूल करने और उसे अपने पास बनाए रखने के लिए स्थानीय निकायों को शक्तियों का प्रत्यायोजन। • राज्य में वस्तुओं की बिक्री पर मौजूदा मूल्य वर्धित कर (वैट) के अलावा अतिरिक्त कर लगाना। वर्तमान समय में मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत रुपए में चार पैसे की दर से जिन मालों पर कर लगाया जा रहा है उन पर रुपए पर एक पैसे की दर से अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। इसी प्रकार, कर योग्य अन्य मालों पर मौजूदा कर दरों में रुपए में 2.5 पैसे के हिसाब से अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। यह अतिरिक्त कर पेट्रोल, डीज़ल, घोषित माल, कर छूट प्राप्त माल आदि पर नहीं लागू होगा।	• असंगठित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग नीति तैयार करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• मछुआरों के लिए लागू की गयी समूह बीमा योजना की बीमा सुरक्षा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करना। • समस्त राज्य में वर्ष 2010 तक "विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" कार्यान्वित करना।			
8. हरियाणा	• पीजीआइ रोहतक में एक स्वास्थ्य विश्व विद्यालय स्थापित करना। • पंजीकृत बेरोजगार विज्ञान स्नातकों और परास्नातकों को बेरोजगारी भत्ता 50 प्रतिशत अधिक देना। • अपना मकान बनाने के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों को रियायती ब्याज दर पर ऋण देने की नयी योजना प्रारंभ करना। • अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अंतर्गत 18-60 वर्ष की आय समूह के सभी पात्र लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। • नयी योजना अर्थात "स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना" प्रारंभ करना जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक की विकलांगता वाले 6 से 18 वर्ष की आय समूह के	–	• भूमि और संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क की दर घटाकर शहरी क्षेत्रों में 7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 प्रतिशत करना। महिलाओं के लिए 2 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।	–

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	बच्चों को वित्तीय सहायता दी जायेगी। • हरियाणा के सभी अर्बन इस्टेटों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए डे केयर सेंटरों की स्थापना।			
9. हिमाचल प्रदेश	• राज्य के बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष योजना तैयार करना। • शिक्षकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से करीब 18,000 पदों को भरना। • सभी जिला प्रयोगशालाओं और सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कम्प्यूटर लैब स्थापित करना। • डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए संबद्ध संस्थाओं में 250 डॉक्टरों की नियुक्ति करना। आदिवासी और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना। इसी प्रकार, नर्सों और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ के 1000 पदों को भरना। पीपीपी के उचित स्वरूप के साथ मण्डी, ऊना और हमीरपुर जिले में 3 और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। • निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करना जिसमें इन गरीब	• कृषि विभाग किसानों को एक लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला है। • प्रत्येक जिले के शुद्ध बुवाई क्षेत्र, पहले ही बनाई गयी सिचाई क्षमता तथा चरणबद्ध निवेश को ध्यान में रखते हुए पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय तथा ग्रामीण विभाग के सौजन्य से व्यापक जिला कृषि एवं सिंचाई योजनाएं बनाना जो अगले पांच वर्षों के भीतर कृषि भूमि के सिंचित क्षेत्र को दुगुना कर देंगी। • सिंचाई परियोजनाओं को स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई की दिशा में पुनः अभिमुख करना। • फल, बे-मौसमी सब्जी और औषधीय पौधों सहित ऊंचे मूल्यों वाली फसलें उगाने के लिए खेती की पद्धतियों का इष्टतम उपयोग करना किसानों को बताने के लिए मिट्टी परीक्षण को प्राथमिकता देना। • दूध की सरकारी खरीद का मूल्य 2 रुपए प्रति लिटर बढ़ाना । • विपणन बोर्ड सुविधाजनक बाजार स्थलों की स्थापना सरल बनाएगा जो बड़े	• संसाधन संग्रहण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित राजस्व वसूली विभागों को उनके द्वारा अगले वित्त वर्ष के लिए उनके बजट लक्ष्यों के अलावा की गयी अतिरिक्त वसूलियों का एक प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करना। यह प्रोत्साहन राशि संबंधित विभागों द्वारा उनकी बुनियादी संरचना आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग में लायी जाएगी।	• वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान सहित और वाणिज्यिक स्थानों के निर्माण हेतु शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को प्रोत्साहित करना ताकि ऐसे वाणिज्यिक स्थानों को पट्टे पर देनी तथा किराये से वे अपने संसाधन आधार बढ़ा सकें। एक नयी योजना चलाना जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक संकुलों तथा पार्किंग स्थलों के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत निधियां राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और शेष 50 प्रतिशत संबंधित स्थानीय निकायों को वहन करना होगा। ऐसी संपत्तियों से अर्जित आय संबद्ध स्थानीय निकायों को जाएगी। • अगले वर्ष के भीतर ही सभी पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करना। • पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभी श्रेणियों के लिए मानदेय में वृद्धि।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	परिवारों को कोई भी व्यय नहीं करना पड़ेगा। • बुनकरों के लिए एक विशेष बीमा योजना प्रारंभ करना। • अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के गरीब विद्यार्थी के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियां।	खरीदारों को आकर्षित कर सकते हैं। • निजी क्षेत्र में आधुनातन कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सुसाध्य बनाना। • ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) उद्योगों को आकर्षित करने के लिए स्पर्धात्मक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आइटी पार्क एवं टाऊनशिप का निर्माण।		• ऊर्जा का एक नया महानिदेशालय सृजित करना।
10. जम्मू और कश्मीर	• दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना प्रारंभ करना।	• नयी औद्योगिक इकाईयों को कार्यशील पूंजी पर दी गयी 3 प्रतिशत सब्सिडी दो वर्ष की अवधि के लिए मौजूदा इकाईयों पर भी लागू होगी।	• राज्य बीमा निधि की उच्चतम सीमा में वृद्धि तथा न्यूनतम मासिक अभिदान वेतन अथवा अनुमानित वेतन के 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर महंगाई भत्तों सहित वेतन का 8.33 प्रतिशत करना। • स्टाम्पों का वैज्ञानिक प्रबंधन करने के उद्देश्य से स्टाम्पों के लिए डीमैट की शुरूआत करना। • उन उद्यमों पर भविष्य निधि अधिनियम लागू करना जिनके यहां 10 और उससे अधिक श्रमिक नियोजित हैं। वर्तमान में यह उन पर लागू होता है जहां 5 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं।	• केंद्रीयकृत रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत व्यय दिये जाने की बारंबारता और गुणवत्ता की संवीक्षा, समीक्षा और संशोधन करने के उद्देश्य से 'पर्यवेक्षण और निगरानी समिति' के रूप में एक संस्थागत व्यवस्था कायम करना जो इन कार्यक्रमों की निगरानी करेगी।
11. झारखंड	• बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर घटाने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करना। • राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की तर्ज पर "झारखंड खुला विद्यालय" स्थापित करना। • उपग्रह कनेक्शनों की सहायता से प्रशिक्षित	• दूध संग्रह करने तथा निविष्टियों के भंडारण हेतु बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए "गोकुल ग्राम विकास" योजना प्रारंभ करना। • राष्ट्रीय बागवानी मिशन को पांच और जिलों में फैलाना।	–	• झारखंड को जैव राज्य के रूप में विकसित करने के लिए जैव ग्राम का गठन करना। • पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सभी जिलों की डिजिटल मैपिंग करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	संकाय से दूःरस्थ ग्रामों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान करना। ● विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए "अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड" गठित करना। ● सरकारी क्षेत्र के 12 नये पॉलिटेक्निक संस्थान और 2 इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना करना। ● रांची में राज्य श्रम संस्थान स्थापित करना।	● राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को विकासित करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना। ● दुग्धोत्पादन प्रौद्योगिकी टैक्नोलॉजी महाविद्यालय तथा पशुसंवर्धन एवं मत्स्यपालन अनुसंधान संस्थान स्थापित करना।		
12. कर्नाटक	● वर्ष 1993 और 94 में प्रारंभ किये गये निजी हायस्कूलों को सहायता अनुदान के लिए शामिल करना। ● 37 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) का कोटि उन्नयन करना। ● उन 9 तालुकों में औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना जहां कोई भी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। ● गरीब परिवारों के महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 6 प्रतिशत की वार्षिक दर पर उच्च शिक्षा ब्याज सब्सिडी की सुविधा देना। ● प्रमुख शहरों को छोड़कर राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा आठ में पढ़ने वाले सभी बच्चों को साईकिलें देना।	● बीज, उर्वरक और खेती के औजार खरीदने के लिए एक विशेष उपाय के रूप में उन लघु एवं सीमांत किसानों के प्रत्येक परिवार को जो पूरी तरह से सूखी भूमि वाली खेती पर निर्भर हैं, 1,000 रुपए प्रदान करना। ● किसानों, बुनकरों और मछुआरों को 3 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर सहकारी समितियों से ऋण दिया जाएगा। ● राज्य में बेहतर जल संसाधन प्रबंध एवं नियंत्रण सुसाध्य बनाने के लिए कर्नाटक जल संसाधन नियंत्रण प्राधिकरण स्थापित करना। ● रायचूर में एक कृषि विश्वविद्यालय तथा बागबानी पर जोर के साथ एक कृषि विश्वविद्यालय बागलकोट में स्थापित करना।	–	● भूजल संसाधनों के बेहतर प्रबंध के लिए उचित कानूनी ढांचा तैयार करना। ● ग्राम पंचायतों के 90,000 सदस्यों को मानदेय की मासिक अदायगी। ● प्रत्येक ग्राम पंचायत को दी जानेवाली मुक्त सहायता 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करना। ● प्रतियोगी प्रक्रिया के माध्यम से कीमती सरकारी भूमी बेचकर अथवा पट्टे पर देकर विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु 'कर्नाटक पब्लिक लैंड्स कार्पोरेशन' नामक नया उपक्रम स्थापित करना। ● पश्चिमी घाटों के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के संरक्षण हेतु एक

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• दस लाख नौकरियां पैदा करना सुगम बनाने के लिए युवाओं का कौशल बेहतर करने हेतु 'कौशल आयोग' स्थापित करना। • उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए 'कर्नाटक ज्ञान एवं उच्च शिक्षा आयोग' गठित करना। • प्रत्येक तालुका में उपकरणों से पूरी तरह से सुसज्जित एम्बुलेन्सों की सहायता से आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। पीपीपी के अंतर्गत 'आरोग्य कवच' योजना प्रारंभ की जाएगी। • भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका को दी जानेवाली वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1 लाख रुपए करना। • बच्चों के समन्वित विकास एवं कल्याण हेतु 'राज्य बाल विकास अकादमी' स्थापित करना।	• कृषि और संबद्ध गतिविधियों के विस्तृत विकास हेतु कर्नाटक कृषि मिशन स्थापित करना। • पीपीपी मॉडल पर कारवार बंदरगाह विकसित करना। • कर्नाटक समुद्री बोर्ड स्थापित करना। • सभी जिलों को वायु मार्ग से जोड़ना। • सिले-सिलाए कपड़ों पर अधिक फोख के साथ नई वस्त्र नीति तैयार की जाएगी। • नयी औद्योगिक नीति तैयार करना। • राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर स्टील, सीमेंट और वस्त्रोद्योग के लिए अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्र बनाना। • किसानों के सिंचाई पंप सेटों के लिए मुफ्त बिजली देना। • कम से कम 1000 ग्रामों में जैव-खाद के उत्पादन तथा जैव खेती की पद्धतियों को कि सानों द्वारा अपनाने को बढ़ावा देना। उन परिवारों को 2000 रुपए की सहायता देना जो जैव खेती को अपनाएंगे। • कीमतें गिरने पर बाजार में हस्तक्षेप करना। 500 करोड़ रुपए की चक्रीय निधि का उपयोग करके लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करना। • किसानों द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों को दूध बेचने पर 2 रुपए प्रति लिटर का नकद प्रोत्साहन देना।		विशेष कार्यबल गठित करना। • सभी ग्राम पंचायतों में सायबर केंद्रों की स्थापना। • स्वयं सहायता समूहों को 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर वित्तीय सहायता मिलेगी।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
13. केरल	• निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों को 250 रुपए की दर से पेंशन देना। • निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करना। • कोलम और अपाप्पुझा जिले में प्रयोगिक आधार पर एक योजना प्रारंभ की जाएगी जो 'केरल विस्तृत स्वास्थ्य बीमा योजना' कहलाएगी। • राज्य में किसानों के लिए एक कल्याण निधि सृजित करना। • कृषि क्षेत्र में प्राण फूंकने के एक कार्यक्रम के रूप में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कार्यान्वित करना। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के सहयोग से समन्वित वाटरशेड विकास कार्यकम कार्यान्वित करना। इस परिवर्तन के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की निजी जमीनों में मिट्टी और जल संरक्षण भी प्रारंभ किया जा सकता है। • 1000 सब्जी गांवों की स्थापना करके 'हरित श्री' कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना। • मछली पकड़नेवाली नावों, साधनों और मछुआरों को कवर करनेवाले एक विस्तृत	• कृषि उपजों की स्थिरता के लिए एक मूल्य स्थिरता योजना कार्यान्वित करना। कृषि उत्पादों की खरीद के लिए बनी अन्य निधियां इस निधि के साथ जोड़ दी जाएंगी। • गैर पारंपारिक ऊर्जा उत्पाद पार्क स्थापित करना। • केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के नवीकरण और पुनर्संरचना हेतु एक पैकेज कार्यान्वित करना। • सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्संरचना का कार्य प्रारंभ करना।	• असंगठित क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों जैसेकि मत्स्यपालन, कॉयर, काजू, हथकरघा, भवन निर्माण,कृषि मजदूर, आदि में काम करनेवाले लगभग एक मिलियन मजदूरों की पेंशन बढ़ाकर 200 रुपए प्रति माह करना। • वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वसूले जानेवाले सभी करों के बकाया को निपटाने के लिए माफी योजना तैयार करना। • बिक्री कर और वैट पर एक प्रतिशत अधिभार लगाना।	• वाणिज्यिक तर्ज पर बीमा विभाग की पूरी तरह से पुर्नसंरचना करना। • क्षेत्र के पिछड़ेपन और विकास की संभावनाओं पर विचार करते हुए केरल के उत्तरी क्षेत्र हेतु एक विशेष पैकेज तैयार करना। • भारत सरकार के औद्योगिक वित्त एवं पुनर्संरचना ब्यूरो की तर्ज पर एक संस्था स्थापित करना। • केरल फिनांन्स कार्पोरेशन की अनर्जक आस्तियों को इसकी कुल आस्तियों के 55 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत तक लाने और बाद में और घटाकर 10 प्रतिशत तक ले जाने के लिए शेयर पूंजी में वृद्धि के माध्यम से एक बारगी निपटान। • केरल स्टेट फिनांशियल एंटरप्रायजेस की शेयर पूंजी के आधार का विस्तार करना। • केरल वाटर अथॉरिटी के तुलनपत्र को साफ सुथरा बनाकर इसके लिए बनाकर एक विस्तृत पुनर्संरचना पैकेज कार्यान्वित करना ताकि यह वाणिज्यिक आधार पर ऋण जुटाने में समर्थ हो सके। • स्थानीय सरकारी संस्थाओं को ऋण देने के लिए वित्त एजेंसी के रू में केरल रूरल एण्ड अर्बन डेवलपमेंट फायनान्स कार्पोरेशन की

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	बीमा कार्यक्रम का कार्यान्वयन। • राज्य योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा उन परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट करना जो महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाती हैं।			संरचना करना। यह एजेंसी 2008-09 में काम करना प्रारंभ कर देगी। • जेंडर बोर्ड स्थापित करना। • अनिवासी भारतीयों के लिए एक कल्याण निधि प्रारंभ करना। • लिंग संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों की प्रणाली जो वित्त विभाग द्वारा बनाई जायेगी। अगले वर्ष से बजट के साथ विधान परीषद ने प्रस्तुत किये जाने के लिए लिंग के प्रभाव पर विशेष विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
14. मध्य प्रदेश	• 254 बालिका होस्टलों का निर्माण करना तथा 438 मिडल स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें हायस्कूल बनाना। • शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 38 जिलों में "उत्कृष्टता महाविद्यालय" प्रारंभ करना। • जनता के सहभागिता से मिडिकल और नर्सिंग कॉलेज स्थापित करना। • दुर्बल वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति प्रारंभ करना। • आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए योजना प्रारंभ करना।	• अल्पवधि कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना। ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पर दिये जानेवाले अनुदान की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना। • क्सिानों को कृषि पण्यों के संबंध में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के लिए कम्प्यूटरीकरण के नेटवर्क का 64 कृषि मण्डियों तक विस्तार। • पीपीपी के माध्यम से राज्य की सड़कों का नेटवर्क विकसित करने पर जोर।	• एक वेतन आयोग गठित करना जो 31 दिसंबर 2008 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। • असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ करना। • एक निधि गठित करना जो बैंकों के शैक्षिक ऋणों के लिए गारंटी के रूप में कार्य करेगी।	• पंचायतों के लिए एक अलग निदेशालय गठित करना और उनकी स्वतंत्र लेखा परीक्षा करवाना ताकि पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सके। • शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करना। विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किये जानेवाले भुगतान बैंकों के माध्यम से खातों में सीधे जमा किये जाएंगे।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
15. महाराष्ट्र	• बेरोजगार युवकों के लिए अल्पावधि के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और उन्हें रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराना। • निम्न आय समूह और मध्य आय समूह के परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 10 लाख मकान का निर्माण जो अगले दो वर्ष में पूरा हो जाएगा। • एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाना ऐसे छात्र बैंकों से शैक्षिक ऋण प्राप्त कर सके। ऐसे छात्रों द्वारा लिये गये शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज भार की साझेदारी।	–	–	• नकद प्रवाह प्रणाली को सुधारने पर लक्ष्यित कम्प्यूटरीकृत बजट वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन।
16. मणिपुर	–	–	• उन सस्थाओं द्वारा जो राज्य सरकार की गारंटी की बिना पर ऋण लेना चाहती है उनके लिए निर्दिष्ट मानदंड पूरे करने हेतु मणिपुर सरकारी गारंटीयों पर उच्चतम सीमा अधिनियम, 2004 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लाना। गारंटी मोचन निधि और समेकित ऋण शोधन निधि गठित करना। • खज़ानों को स्वचालित बनाने के लिए 2008-09 के दौरान शेष 6 खज़ाना कार्यालयों को कवर करना और बजट निर्माण तथा व्यय नियंत्रण प्रणालियों को ज्यादा कारगर बनाना।	–

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
17. मेघालय	• कवर न किये गये, आंशिक रूप से कवर किये गये तथा जल गुणवत्ता (लौह) से प्रभावित बस्तीयों को सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति करना। • मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसके अंतर्गत वर्तमान में सभी प्राथमिक विद्यालय तथा 9 शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों के उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कवर हैं, को बढ़ाया जाएगा ताकि सभी उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को कवर किया जा सके। • शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर और विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। कारगर परामर्श प्रणालियां रखने के लिए शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेंद्रीकरण किया जाए और द्वितीयक स्वास्थ्य संस्थाओं में भीड़ कम की जा सके। • पीपीपी के मोड में शिलांग में एक भारतीय सूचना प्राद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के कार्य का अनुसरण।	• अप्पर शिलांग हेलीपैड का निर्माण; उमरोई हवाई अड्डे का कोटि उन्नयन प्रारंभ करना। • पांच नये 'हार्टी-हब' स्थापित करना। • पूंजी के उचित आवेष्टन, सुधार उपायों और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन। • उन्नत किस्म के पशुधन की उपलब्धता,नए सुअरबाड़ों और पशु फार्मों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाओं का पेशेवर बनाना और शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोज़गार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना। • पीपीपी के अंतर्गत नए शिलांग में एक सूचना प्रौद्योगिकी इस्टेट स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाना।	–	• विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों मे संलग्न गैर सरकारी संगठनों को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता देना।
18. मिजोरम	–	• भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 के साझे के आधार पर राष्ट्रीय बीमा योजना कार्यान्वित की जाएगी। • सूचना प्रौद्योगिकी का एक अलग विभाग सृजित करना।	–	–

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
19. नागालैण्ड	• स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रणाली के उन्नयन और आधुनिकीकरण के मूल उद्देश्य के साथ बुनियादी संरचना के सुधार और श्रमशक्ति बढ़ाने पर फोकस।	• सभी जिलों मे नई सड़कों के सुधार और निर्माण, जिला प्रशासन के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण पर फोकस; छोटे और मझोले आकार के कसबों में बुनियादी सुविधा का निर्माण, भूमि क्षतिपूर्ति हेतु अधिक निधियां एक ओर रखना ताकि केंद्र और बाह्य एजेंसियों से निधीयन प्राप्त बड़ी परियोजनाओं का कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के प्रारंभ किया जा सके। • लोड क्षमता बढ़ाने और पारेषण हानि न्यूनतम रखने के लिए विद्युत पारेषण प्रणालियों को सुधारना।	–	–
20. उड़ीसा	• स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य बुनियादी संरचना की गुणवत्ता सुधारना। • स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का विकास। • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति तथा सफाई में सुधार। • संसाधनों का इष्टतम उपयोग और स्वरोजगार पैदा करना। • ग्रामीण क्षेत्रों के उन गरीब लोगों के लिए जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता का लाभ ले पाने से	• बुनियादी सुविधा विकास हेतु पूंजी निवेश बढ़ाना। • सिंचाई का विकास और विस्तार। • राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विकास। • व्यापक सिंचाई कार्यक्रम पर जोर। • हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान।	–	• परिव्यय में प्राथमिकताएं देकर अपूर्ण परियोजनाओं को पुरा करना। • सरकारी भवनों, सड़कों, पुलों और जल आपूर्ति योजनाओं, आदि के लिए अधिक निधियां आबंटित करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	वंचित हैं, के लिए एक नया आवास कार्यक्रम। • बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार पैदा करने पर जोर। • मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।			
21. पंजाब	• शिक्षा, स्वास्थ्य और समाजकल्याण के क्षेत्र में गतिवधियों के लिए निधियों का सरल प्रभाव सुगम बनाने हेतु 'पंजाब राज्य विकास निधि' का सृजन। • गरीबी की जीवन रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए जीवन बीमा निगम के माध्यम से दुर्घटना में होनेवाली मृत्यु के लिए 75,000 हजार रुपए की बीमा सुरक्षा और नैसर्गिक मृत्यु के लिए 30,000 हजार रुपए की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु जनश्री बीमा योजना प्रारंभ करना।	• बिजली उत्पादन और पारेषण उन्नयन की दिशा में प्रमुख जोर के साथ ऊर्जा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता। • राज्य सरकार से 50 प्रतिशत की सहायता से हानिग्रस्त दुग्ध संघों को पुनरुज्जीवित करना। • सिंचाई विकास कार्यक्रम जिसका लक्ष्य मौजूदा नहर प्रणालियों का पुनर्निर्माण, नयी छोटी नहरें बनाना, पुराने वाटर चैनलों की लाइनिंग और नये वाटर चैनलों के निर्माण के साथ-साथ बाढ़ निरोधक एवं जल भराव निरोधक कार्य। • औद्योगिकी बुनियादी सुविधा उन्नयन हेतु एक नयी योजना।	–	–
22. राजस्थान	• उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 22 सरकारी और 12 निजी महाविद्यालयों का विकास। • 2008-09 में 3108, उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन करके माध्यमिक विद्यालय बनाना। शेष बची सभी पंचायतों में पीपीपी के योजना के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय खोलना।	• गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले और अन्य गरीबों तथा सीमांत परिवारों के लिए वित्तीय सशक्तीकरण प्रारंभ करना। • बेरोजगार पशुचिकित्सों को प्रोत्साहन देना तथा अपना दवाखाना खोलने के लिए पशुधन सहायता उपलब्ध कराना।	• खज़ानों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ करना। • मनोरंजन कर को घटाकर 30 प्रतिशत करना। • चल संपत्तियों पर स्टॉम्प शुल्क समाप्त। • उन सहकारियों समितियों के सभी उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी देना जिन्होंने 5 वर्ष से भी	• अजमेर में महिला हाकी अकादमी स्थापित करना। • राज्य व्यापी राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (आरएजेएसडब्ल्यूएएन) स्थापित करना। • पहले तीन पिछड़े जिलों जहां कोई भी बड़ी परियोजना नहीं है, में

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• 6608 माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना। • 2008-09 में एक से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। • उन सरकारी स्कूलों जिसके छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति के लिए चुने जाते है, को 50,000 हजार रुपए देकर और वे स्कूल जिनके छात्र आइआइटी, आइआइएम और एआइआइएमएस में चुने जाते हैं, को एक लाख रुपए प्रदान करके सरकारी स्कूलों को शिक्षा का स्तर प्रोन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करना। • 2008-09 से राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों में सरकारी स्कूलों के 10 लाख छात्रों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। • 40 नये आयुर्वेद अस्पतालों, 7 नयी मोबाईल आयुर्वेद यूनिटें खोली जायेगी और 7 आयुर्वेद अस्पतालों को प्रोन्नत करके "ए" ग्रेड अस्पताल बनाया जाएगा। • पीपीपी मोड के अंतर्गत भरतपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करना। • 9 जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड में 'आइसीयू' स्थापित करना। • जीविका संबंधी राजस्थान मिशन के अंतर्गत 8वीं पास अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण देने की एकलव्य योजना।	• सामान्य क्षेत्रों के 250 से 499 के बीच की आबादी वाले गांवों और रेगिस्तानी तथा आदिवासी क्षेत्रों के सभी गांवों के बीच सभी शेष ग्रामों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। • बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए "पैलेस ऑन व्हील्स" की तर्ज़ पर "रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स" नामक एक नयी रेल पर्यटन सेवा प्रारंभ करना। • बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो (बीओटी) आधार पर परियोजनाएं प्रारंभ करके पानी का पुनः उपयोग बढ़ाना। • वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से परिवार के महिला सदस्य के नाम पर स्मार्ट कार्ड सहित बैंक खातो खोलने पर स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किये गये सभी परिवारों को 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।	अधिक समय से भी कोई चूक नहीं की है।	500 करोड़ रुपए से अधिक निजी निवेश हेतु विशेष रूप से बनाया गया प्रोत्साहन पैकेज।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• पीपीपी मोड के अंतर्गत वृद्धाश्रमों हेतु चिरायु योजना प्रारंभ करना। • गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों के लिए 10 रुपए प्रति दिन पर अपने मालिकाना हकवाला मकान उपलब्ध कराने के लिए अभिनव घरौंदा योजना।			
23. सिक्किम	• ग्रामीण आवास निर्माण हेतु 3 लाख रुपए प्रति मकान की दर से मुख्य मंत्री आवास योजना प्रारंभ करना। • गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। • सिक्किम निर्माण परियोजना करना जो मूल रूप से अधिक आय और ग्रामीण सिक्किम में रोज़गार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित रहेगा। • विद्यालयों का अध्ययन करके सुधारों के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग। • महाविद्यालयों में प्रवेश तथा छात्रों को होस्टल सुविधा सहित अन्य सुविधाएं देने के संबंध में सिक्किम को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ शामिल करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली प्रशासन से बात करना। • विशेष रूप से सिक्किम के संबंध में नीतिगत अनुसंधान प्रारंभ करने हेतु सिक्किम विश्वविद्याालय को 50 लाख रुपए का प्रारंभिक अनुदान देना।	• उत्पादकता का स्तर बढ़ाने के लिये फार्म प्रौद्योगिकी का अंतरण, अधिक फसल देने वाली किस्मों का अंगीकरण,कार्बनिक निविष्टियों का प्रयोग, आदि सहित उपायों के एक पैकेज का कार्यान्वयन। • बेमौसमी सब्जियों की खेती शुरू करने के लिये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100 ग्रीन हाऊसों का निर्माण। • 2008-09 के दौरान प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 50 गायें वितरित करना। • ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों और यात्रा केंद्रों के लिये नयी सड़के बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिये निधियाँ देना।	–	• किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में परिर्वतन और प्रगति लाने के लिये गैर सरकारी संगठनों को देने हेतु 20 लाख रुपये की स्वैच्छिक कार्रवाई निधि निधि का सृजन। • राज्य में 50 लाख रुपये की मीडिया विकास निधि गठित करना जो प्रशिक्षण, कौशल निर्माण, भारत और विदेश में कहीं भी सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिये किसी भी सम्माननीय मीडियाकर्मी द्वारा एक्सेस की जा सकती हैं। • मुख्य सचिव की अगवाई में एक उच्चस्तिरीय समिति गठित करना जो मीडियाकर्मी के लिये न्यूनतम मजदूरी तथा उससे संबंधित भविष्य निधि के प्रावधानों से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी। • राज्य में क्षमता निर्माण का एक पूर्ण संस्थान स्थापित करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• सुदूर क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के VIIIवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना। • सभी चार जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य प्रारंभ करना। • राज्य में नदी के किनारे बसे और रहनेवाले लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से निपटने के लिये एक सामाजिक-आर्थिक रणनीति चलाना। नदी मार्ग विकास परियोजना निधि (आरसीडीपी) के रूप में 50 लाख रुपये का प्रावधान।			
24. तमिलनाडु	• 100 मिडल स्कूलों को हायस्कूल बनाना और 100 हायस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना। • शेष 100 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों और 606 सरकारी हायस्कूलों को कम्प्यूटर प्रदान करना इसके अलावा, प्रथम चरण में 6650 मिडिल स्कूलों में से, जो सरकार और स्थानिय निकायों के हैं, 2200 मिडिल स्कूलों को कम्प्यूटर देना। • सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। • अण्णा विश्वविद्यालय के माध्यम से पांच नये इंजिनियरिंग कॉलेज स्थापित करना।	• 2008-09 के दौरान 1500 करोड़ों रुपए तक नये फसल ऋण संवितरित करना। फसल ऋणों पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना। • 25 लाख किसानों को उनकी फसल का बीमा कराने के लिए वित्तीय सहायता देना। • प्रिसिज़न फार्मिंग का विस्तार, जो एक ओर जल का उपभोग घटाता है, वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादन बढ़ाता है, को राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में ले जाना। • राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को मशीनरी	–	• 5 जिलों में जिला कलेक्टर कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु ई-जिला कार्यक्रम कार्यान्वित करना। यह ई-अभिशासन (गवर्नेंस) तीन मुख्य विभागों यथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और खजाना विभाग में लागू किया जाएगा। • आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के उन लोगों के लिए जो शहरी और तालुका सहकारी आवास समितियों से लिया गया आवास ऋण नहीं चुका सकते हैं, ऐसे लोगों के रु. 25,000/- तक आवास ऋण के बकाया से संबंधित सभी देय माफ़ करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• दो नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करना। • केंद्र की सहायता से प्राकृतिक आपदाओं और बडी दुर्घटनाओं के दौरान प्रभावित ढेर सारे लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। • निम्न आय समूहों, मध्य आय समूहों और सरकारी कर्मचारियों को शहरों के आसपास वाले क्षेत्रों में तमिललनाडु हाऊसिंग बोर्ड के माध्यम से 22000 मकानों का निर्माण करना।	खरीदने और उसका उपयोग करने के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी देना। कृषि मशीनरी और उपकरण निर्माता उद्यमियों जरूरी रियायतें दी जाएंगी। • 10,000 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण जिसमें एक लाख किसान होंगे तथा जिन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी बैंकों से ऋण लिया हुआ है। इन समूहों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए की चक्रीय निधि की सहायता दी जाएगी। • सभी किसनों को मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रहेगी। • एक नयी योजना कार्यान्वित करना जिसके द्वारा 10,000 वर्ण संकर दुधारू पशु महिला स्वयं सहायता समूहों को दिये जाएंगे। यह योजना राज्य के उन 200 ग्रामों में कार्यान्वित की जाएगी जो दुग्धोत्पादन के लिए ठीक हैं और इससे 5,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। • राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों (क) इंजिनियरिंग मालों का परिवहन (ख) आटोमोबाईल और आटो स्पेअर पार्ट्स,(ग) इंजिनियरिंग माल और (घ) चमड़ा क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करना।		• 2008-09 में 4 लाख महिला सदस्यों वाले 25 हजार नये स्वयं सहायता समूह बनाना। इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि में लगाकर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके लिए 150 करोड़ रुपये की एक चक्रीय निधि उपलब्ध करायी जाएगी।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		• राज्य में विद्युत पारेषण और वितरण ढांचे में सुधार लाने के लिए 90 नये उप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करना। • तमिलनाडु शहरी सड़क विकास परियोजना कार्यान्वित करना जिसमें नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सभी सड़कों, पेवमेंट, स्टार्म वाटर ड्रेनेज में सुधार और उसके नीचे पाईप बिछाने के लिए प्रावधान शामिल है। • चेन्नै के जलमार्गों के किनारों के ऊपर एक द्रुतगति परिवहन कॉरिडोर का निर्माण करना जो चेन्नै बायपास मार्ग से जोड़ा जाएगा। • छोटे व्यापारियों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना और उन्हें सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करना।		
25. त्रिपुरा	• एक पशुचिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना। • 376 नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। • 118 प्राथमिक विद्यालयों का कोटि उन्नयन करके उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बनाना। • कक्ष I से VIII वीं तक के लगभग 4 लाख छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देना। • 3 नये पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करना।	• कृषि उत्पन्नों के उत्पादकों और व्यापारियों के बीच संपर्क सूत्र स्थापित करने के लिए बाजार बुनियादी सुविधा विकसित करना। • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पुनर्संरचित योजना कार्यान्वित करना राज्य बांस मिशन के अंतर्गत क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम समेकित करना और उसे आगे बढ़ाना। • फलों की फसल, सर्दियों में पैदा होनेवाली सब्जियां, शुष्क भूमि	–	• राज्य भूमि उपयोग बोर्ड में नवप्राण फूंकना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 शिशु स्वास्थ्य केंद्र, 60 स्वास्थ्य उप-केंद्र और 5 होमियोपॅथिक औषधालय स्थापित करना। • 2 उप-संभागीय चिकित्सालयों की स्थापना। • 2 अपघात चिकित्सा केंद्रों की स्थापना।	बागवानी और कृषि वन क्षेत्र का विस्तार; वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर/ तालाब/ जलाशयों का निर्माण। • प्रशिक्षण और विज्ञापन के माध्यम से आधुनिकी प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के अंतर्गत 10,224 किसानों/ उत्पादकों को कवर करना। • 65 बड़े और मझौले पुलों तथा 125 स्लैब/बॉक्स पुलियों का निर्माण।		
26. उत्तराखंड	• बालिकाओं के लिए होस्टलों का निर्माण और कस्तूरबा गांधी आवासीय बलिका विद्यालय को मैट्रिक स्तर तक करना। • राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम का सभी जिलों तक विस्तार। • पीपीपी पद्धति के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले करीब 450 बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। • मध्याह्न भोजन योजना का 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों तक विस्तार। • पीपीपी व्यवस्था के अंतर्गत सभी आपात स्थितियों में एम्बुलेन्स सेवा की व्यवस्था की जाएगी। • गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले सभी परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की जाएगी। ऐसे परिवारों के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 30,000 रुपए	• पर्वतीय और सुदूर क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक बृहद औद्योगिक प्रोत्साहन योजना, 2008। • सरकारी परियोजनाओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए "उत्तराखंड बुनियादी संरचना विकास निगम" गठित करना।	• दक्ष राजकोषीय और नकदी प्रबंधन हेतु सभी कोषागारों को परस्पर जोड़ा जाएगा।	• निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा बेहतर निर्णय के लिए योजना विभाग में पीपीपी कक्ष का गठन करना। • जेंडर बजटिंग का कवरेज 18 विभागों से बढ़ाकर 20 विभागों तक करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	तक का उपचार और ऐसे परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25,000 रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। • सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए "स्मार्ट कार्ड" के माध्यम से बिना नकदी वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना प्रारंभ की जाएगी।			
27. उत्तर प्रदेश	• वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन योजना की श्रेणी में 28 लाख नये पेंशन भोगियों को शामिल करना। • असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करना। • पीपीपी आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विश्व विद्यालय स्थापित करना। • 2008-09 के दौरान पूरे राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यान्वित की जाएगी। • बेघर गरीब परिवारों को मकान दिये जाएंगे। • 2500 नये प्राइमरी स्कूल, 4000 नये सीनियर प्राइमरी स्कूल खोलना तथा बच्चों को बैठने के लिए 15000 अतिरिक्त क्लास रूमों की व्यवस्था करना। • स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 3900 शिक्षा गारंटी केंद्र, 5000 'वैकल्पिक	• पीपीपी आधार पर आठ रास्तों वाला गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण। • पीपीपी आधार पर चार अन्य महत्त्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेस वे निर्मित करना। • पीपीपी आधार पर लखनऊ शहर के लिए उच्च स्तरीय बुनियादी सुविधाएं विकसित करना। • एक लाख से कम आबादी वाले छोटे और मध्यम कस्बों, जिन्हें शहरी बुनियादी संरचना विकास हेतु जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत नहीं कवर किया गया है,के लिए एक नयी योजना "आदर्श नगर योजना" प्रारंभ की गयी है। • राज्य में दुग्धोत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए डॉ.आंबेडकर डेयरी स्व-रोज़गार योजना प्रारभ करना।	• बुंदेलखंड के सभी सातों जिलों के किसानों के कृषि बैंक ऋणों पर संचित ब्याज माफ करना। • शहरी निकायों के विकास कार्य हेतु "मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी विकास योजना" के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।	• शहरों का सुनियोजित एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए "मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना" प्रारंभ करना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	नवचारी शिक्षा केंद्र', 800 आवासीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम और 2000 गैर आवासीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम खोलना। ● ऐसे विकास खंडों में जहां कोई भी बालिका हाईस्कूल/इंटर कॉलेज नहीं है वहां बलिका शिक्षा के प्रसार हेतु 30 नये सरकारी बालिका विद्यालयों का निर्माण करना। ● उन बच्चों के लिए जो किसी ने किसी कारणवश अपनी शिक्षा बीच में ही अधूरी छोड़ देते हैं, उनको सेकेंडरी शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य खुला विद्यालय बोर्ड गठित करना। ● राज्य के सात स्वायत्त इंजिनिरिंग संस्थाओं में बुनियादी सुविधा के विकास हेतु नयी योजनाएं तथा तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नये सरकारी पालीटेक्निक खोलने उसमें हॉस्टेल का निर्माण करना और उन्हें मजबूत बनाने के लिए नयी योजनाएं। ● छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल युनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करना। ● गोरखपुर और अलीगढ़ में दो नये होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना।	● 82000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु 2008-09 में 6500 नये ग्राम उद्योग स्थापित करना। ● बुंदेलखंड क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रारंभ करना। ● बुनियादी संरचना विकास हेतु पांच महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं तय की गयी है जिसमें कृषकों का सशक्तिकरण, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, शहरी पुनरुद्धार, उत्तम परिवहन प्रणाली और निजी निवेशकों की अधिक से अधिक सहायता के साथ विश्वस्तरीय बुनियादी सड़क संरचना विकसित करना शामिल है। ● बुंदेलखंड क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना।		

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
28. पश्चिम बंगाल	• गरीब किसानों को खेती करने और मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन वितरित करने की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वितरित की गयी भूमि के विकास तथा मकानों के निर्माण की लागत वहन करेगी। • उन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता, 1000 प्राइमरी स्कूलों, 1000 जूनियर हाईस्कूलों और 200 जूनियर हाय मदरसा, 200 शिशु शिक्षा केंद्र और 300 माध्यमिक शिक्षा केंद्र स्थापित करना। • अतिरिक्त 500 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना तथा 100 मदरसों को हाई मदरसा के रूप में प्रोन्नत करना। • इस उद्देश्य से कि गरीब परिवारों से आने वाली छात्राएं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा में मुकाबला कर सकें। गरीब परिवारों से आनेवाली छात्राओं को 100 प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता देने की योजना प्रारंभ करना। • रोजगार उन्मुख शिक्षा पर फोकस के साथ 22 नये कॉलेजों की स्थापना करना।	• 20 जैव-ग्रामों की स्थापना करना। • स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पण्यों की सरकारी खरीद करने और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को आपूर्ति करने के लिए एक नया विपणन निगम स्थापित करना। • उद्योग स्थापित करने से भूमिहीन लोगों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने तथा अन्य आवश्यक तरीकों से उनकी सहायता करने के लिए 100 करोड़ रुपए की विशेष सहायता निधि सृजित करना।	• पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में आवश्यक संशोधनों के माध्यम से धन वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाना। • भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए वर्तमान भविष्य निधि योजना में सरकार का अंशदान बढ़ाना। • केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन लंबित पड़े मामलों को निपटान आयोग क्षेत्राधिकार में लाकर इसकी व्याप्ति बढ़ाना। • पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और अन्य निरस्त नियमों के अंतर्गत लंबित पड़े सभी मामलों के लिए विवादों के एक बारगी निपटान की संशोधित योजना। • व्यापारियों द्वारा स्व-विकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से करके भुगतान हेतु सुविधा प्रारंभ करना। • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटलों पर विलासिता कर की दर घटाना।	–

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	• सभी कम सुविधावाले (सब स्टैंडर्ड) क्षेत्रों के विकास हेतु दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड गठित करना। • गैर स्कूलों में भी फ्रीशिप कोटा के अंतर्गत प्रवेश पाये हुए छात्रों को युनिफॉर्म सब्सिडी और पुस्तकों के लिए नकद भुगतान योजनाएं लागू करना। • दूरस्थ शिक्षा और निरंतर शिक्षा के माध्यम से तकनीकी शिक्षा हेतु अवसरों में वृद्धि करने के लिए दिल्ली ज्ञान विकास फाऊंडेशन गठित करना। • राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय की स्थापना करना। • योग्यता एवं आय आधार पर संस्थाओं में प्रवेश पाये हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति निधि सृजित करना। • लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यिक व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना प्रारंभ करना। • अप्रैल 2008 से विकलांग व्यक्तियों को दिये जानेवाले बेरोजगारी भत्ते की राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करना। • सामाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं का	–	• सर्वाधिक उपयोग से इतर महीनों और सर्वाधिक उपयोग वाले महीनों में क्रमश: 150 और 300 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट रु. 1/- की सब्सिडी देना। • छात्रों को स्कूल यूनिफार्म सब्सिडी रु. 300/- से बढ़ाकर रु. 500/- करना। • वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अप्रैल 2008 से लागू करके वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं की मासिक पेंशन रु. 600/- से बढ़ाकर रु. 1000/- मासिक करना। • आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मिलनेवाला राज्य का हिस्सा रु. 500/- से बढ़ाकर रु. 1000/- करना ताकि आंगवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को रु. 2500/- प्रति माह का कुल मानदेय मिल सके।	–

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	कार्य सरल बनाना। आय सीमाओं को बढ़ाकर 'समाज कल्याण पात्रता' के मानदंड पुनःपरिभाषित करना।			
30. पुदुचेरी	• प्रसव पूर्व, नीओ नैटल और प्रसवोपरांत शिशु देखभाल तथा शत प्रतिशत अस्पताल में प्रसव कराना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल चिकित्सालय को सुदृढ़ बनाना। • काल सेंटरों और बीपीओ संस्थाओं में बेहतर नियोजन के अवसरों हेतु महिलाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना। • विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली हिताधिकारी उन्मुख योजनाओं में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण करना।	• महिला स्वयं सहायता समूहों की तर्ज पर अगले वित्त वर्ष के दौरान कृषक स्वयं सहायता समूह का निर्माण ये स्वयं सहायता समूह प्रिसिसन फार्मिंग, धान सघनीकरण पद्धति के माध्यम से धान की खेती, जैव-खेती, मशरूम खेती, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन दुग्धोत्पादन और कुक्कुट पालन और ग्रामीण गोदामों के निर्माण कार्यों में लिप्त होंगे। • कृषि ऋण जारी करने के प्रक्रिया सरल बनाना ताकि छोटे और सीमांत किसानों को तेजी से ऋण मिल सके। • ग्राम सहकारी कृषि ऋण समितियों द्वारा कृषि ऋणों पर वसूले जानेवाले ब्याज की दर 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना। • जापान अन्य एशियाई देशों की 'एक ग्राम एक उत्पाद' पद्धति की तर्ज पर हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन विकसित करना। • कृषि एवं पशुपालन जैसे विभागों के माध्यम से	–	• सरकार में पहले से ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया प्रारंभ करना। • प्रशासन में परदर्शिता लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में ई-गवर्नेन्स कार्यान्वित करना। • जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी लोगों को लेकर एक विशेष 'मिशन महानिदेशालय' बनाना। पुदुचेरी प्लानिंग अथॉरिटी को अपग्रेड करना और उसका नाम बदलकर 'पुदुचेरी प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी' करना ताकि यह पुदुचेरी के शहरी क्षेत्रों के दीर्घावधि विकास को कवर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर सके।

अनुबंध 1 : राज्य बज़ट 2009 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(समाप्त)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		आमदनी पैदा करने वाली विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करके गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना। • रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए टेक्सटाईल पार्क स्थापित करना।		

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

आंकड़ा स्रोत

यह अध्ययन अट्ठाईस राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रस्तुत प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों पर आधारित है। विधानसभा वाले दो केंद्र शासित प्रदेशों, यथा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी संबंधी आंकड़े सभी विवरणों में ज्ञापन मदों के रूप में अलग से दिए गए हैं। यह विश्लेषण अट्ठाईस राज्य बजटों में प्रस्तुत आंकड़ों और उनके लेखांकन के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। विस्तृत परिशिष्ट राजस्व और पूंजी खातों में अलग-अलग राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्राप्तियों एवं व्यय के वर्गीकरण पर आधारित है। राजस्व व्यय और पूंजी व्यय को और दो भागों 'योजना' एवं 'योजनेतर' में विभाजित किया गया है। राज्य सरकारों से संस्थागत सुधारों, गारंटियों (आकस्मिक देयताएं) के स्तर, मजदूरी और वेतन पर खर्च एवं परिचालन तथा रखरखाव के बारे में कुछ अनुपूरक जानकारी भी प्राप्त की गई है। अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम) पर जानकारी इस अध्ययन में अलग से प्रस्तुत नहीं की गई है और संबंधित प्राप्ति शीर्ष में शामिल की गई है। राज्यवार बकाया केंद्रीय ऋणों से संबंधित आंकड़े केंद्र तथा राज्यवार योजना परिव्यय के संबंध में योजना आयोग से प्राप्त जानकारी को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया है। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को दी गई ऋण राहत और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के अंतर्गत राज्यवार बकाया ऋणों से संबंधित आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त किए गए हैं। राज्यवार बकाया केंद्रीय ऋणों से संबंधित आंकड़े संघीय वित्त लेखे से लिए गए हैं। इसके अलावा, आंकड़ों की कई मदों, जिनमें अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट, बाजार से लिए गए उधार, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों के निवेश और राज्य विकास ऋणों का परिपक्वता स्वरूप शामिल हैं, से संबंधित जानकारी रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त की गई है।

परिशिष्ट III (पूंजीगत प्राप्तियां) और परिशिष्ट IV (पूंजीगत व्यय) में सरकारी लेखा सहित सभी मदों के लिए दिए गए आंकड़े समग्र आधार पर हैं। परिशिष्ट III में कुल पूंजीगत प्राप्तियों की जानकारी है जिसमें निवल आधार पर सरकारी लेखों की जानकारी शामिल है तथा परिशिष्ट IV सरकारी लेखा के अलावा कुल पूंजीगत व्यय बताता है। परिशिष्ट सारणियों (समेकित), विवरणों (राज्यवार) में दी गई और इस विश्लेषण में उपयोग की गई पूंजी प्राप्तियों में सरकारी लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि सरकारी लेखे को संबंधित पूंजीगत व्यय से निकाल दिया गया है। इस अध्ययन और राष्ट्रीय औसतों में सभी राज्यों का योग एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर अट्ठाईस राज्यों से संबंधित है। इस अध्ययन में प्रयोग किए गए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से लिए गए हैं। इसमें राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रयोग किए गए जीएसडीपी अनुमान से प्राप्त जानकारी जोड़ी गई है। जहाँ कहीं जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहाँ आंकड़े पिछले तीन वर्षों की वार्षिक औसत विकास दर पर आधारित अनुमानों के अनुसार लिए गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य से संबंधित हैं और 2007-08(सं.अ.) तक सीएसओ से तथा 2008-09(ब.अ.) के लिए संघीय बजट, भारत सरकार से लिए गए हैं। जीएसडीपी/जीडीपी अनुपात की गणना जीएसडीपी/जीडीपी के अद्यतन उपलब्ध अनुमानों पर आधारित है। आबादी से संबंधित आंकड़े भारत की जनगणना की वेबसाइट से लिए गए हैं। परिशिष्ट सारणियों और विवरणियों में बताया गया प्रतिशत अंतर आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण अलग-अलग हो सकता है।

कार्यप्रणाली

व्यय संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा, पूंजी परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित सभी खर्चों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल रहती हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए खर्च को गैर विकासात्मक खर्च माना जाता है। इस प्रकार, विकास व्यय में राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय के विकास घटक तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल रहते हैं। इस सामाजिक क्षेत्र व्यय में राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं,ग्रामीण विकास तथा

खाद्यान्न भंडारण एवं वेयरहाउसिंग पर किया जानेवाला व्यय शामिल रहता है। पूंजी परिव्यय में विकास और विकासेतर दोनों ही प्रकार के पूंजी परिव्यय शामिल रहते हैं। इस विश्लेषण में प्रयुक्त समग्र घाटा/अधिशेष (परांपरागत घाटा/अधिशेष),नकद घाटा/अधिशेष (अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष के बीच का अंतर), नकदी शेष निवेश लेखा में वृद्धि/कमी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि/कमी के बराबर है।

ऋण सांख्यिकी के लिए कार्यप्रणाली

2005-06 के बजटों के अध्ययन में रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों की बकाया देयताओं के आंकड़े 1990-91 से संकलित किए थे। 2006-07 के अध्ययन में बकाया देयताओं की संशोधित श्रृंखला प्रकाशित की गई जिसमें राज्य सरकारों की आरक्षित निधि, जमाराशि और अग्रिम तथा आकस्मिकता निधि के आंकड़े शामिल थे। 2007-08 के अध्ययन में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की आंकड़ा श्रृंखला केंद्र एवं राज्य सरकारों के मिश्रित वित्त तथा राजस्व लेखों, रिज़र्व बैंक रिकॉर्डों, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त लेखों तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 2003-04 से प्रकाशित की गयी थीं। वर्तमान अध्ययन में बकाया देयताओं के समेकन हेतु वही पद्धति अपनायी गई है जो 2007-08 के अध्ययन में दी गयी है और इसकी अनुपलब्धता के कारण 2006-07 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के मिश्रित वित्त और राजस्व लेखों को छोड़कर उन्हीं आंकड़ा स्रोतों का उपयोग करती है।

परिशिष्ट सारणी 20 और 21 और विवरण 26 से 28 में दिए गए राज्यों की ऋण स्थिति के आंकड़े अनंतिम हैं। बाजार से लिए गए राज्यवार ऋणों (विवरण 32) के आधार पर बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता की जानकारी विवरण 34-35 में दी गई है। इन विवरणों में भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर विभक्त हुए तीन राज्यों की देयताओं के उनके संबंधित नवनिर्मित राज्यों में किए गए विनियोजन को शामिल किया गया है।

नोट : 1988-81 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार आंकड़े तथा 1990-91 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए राजस्व और पूंजी लेखा में हुए लेनदेनों के संबंध में राज्यवार विस्तृत आंकड़े रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2004 में प्रकाशित "राज्य सरकार के वित्त संबंधी सांख्यिकी पुस्तिका" में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकाशन को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rhi.org.in) पर देखा जा सकता है। 2001-02 से राज्य वित्त अध्ययन भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट सारणी

विवरण

परिशिष्ट
I से IV

परिशिष्ट सारणी 1 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	परंपरागत घाटा	प्राथमिक घाटा	भा.रि.बैंक से राज्यों को निवल ऋण
1	2	3	4	5	6
1990-91	18,787	5,309	-72	10,132	420
	(3.3)	(0.9)	(-0.0)	(1.8)	(0.1)
1991-92	18,900	5,651	156	7,956	-340
	(2.9)	(0.9)	(0.0)	(1.2)	(-0.1)
1992-93	20,891	5,114	-1,829	7,681	176
	(2.8)	(0.7)	(-0.2)	(1.0)	(0.0)
1993-94	20,364	3,872	363	4,564	591
	(2.4)	(0.4)	(0.0)	(0.5)	(0.1)
1994-95	27,308	6,706	-4,346	7,895	48
	(2.7)	(0.7)	(-0.4)	(0.8)	(0.0)
1995-96	30,870	8,620	-2,680	9,031	16
	(2.6)	(0.7)	(-0.2)	(0.8)	(0.0)
1996-97	36,561	16,878	7,202	11,175	898
	(2.7)	(1.2)	(0.5)	(0.8)	(0.1)
1997-98	43,474	17,492	-1,803	13,675	1,543
	(2.8)	(1.1)	(-0.1)	(0.9)	(0.1)
1998-99	73,295	44,462	3,268	37,854	5,579
	(4.2)	(2.5)	(0.2)	(2.2)	(0.3)
1999-00	90,099	54,548	3,125	45,458	1,312
	(4.6)	(2.8)	(0.2)	(2.3)	(0.1)
2000-01	87,923	55,316	-2,379	36,937	-1,092
	(4.2)	(2.6)	(-0.1)	(1.8)	(-0.1)
2001-02	94,260	60,398	3,545	32,665	3,451
	(4.1)	(2.7)	(0.2)	(1.4)	(0.2)
2002-03	99,726	57,179	-4,291	30,699	-3,100
	(4.1)	(2.3)	(-0.2)	(1.3)	(-0.1)
2003-04	1,20,631	63,407	-526	40,235	293
	(4.4)	(2.3)	(-0.0)	(1.5)	(0.0)
2004-05	1,07,774	39,158	-10,232	21,353	-2,705
	(3.4)	(1.2)	(-0.3)	(0.7)	(-0.1)
2005-06	90,084	7,013	-33,947	6,060	2,425
	(2.5)	(0.2)	(-0.9)	(0.2)	(0.1)
2006-07	77,508	-24,857	-16,324	-15,672	640
	(1.9)	(-0.6)	(-0.4)	(-0.4)	(0.0)
2007-08 (ब.अ.)	1,08,323	-11,973	-1,075	5,648	–
	(2.3)	(-0.3)	(-0.0)	(0.1)	–
2007-08 (सं.अ.)	1,07,958	-22,526	24,112	5,080	-3,486
	(2.3)	(-0.5)	(0.5)	(0.1)	(-0.1)
2008-09 (ब.अ.)	1,12,653	-28,426	-2,358	4,270	–
	(2.1)	(-0.5)	(-0.0)	(0.1)	–

ब.अ. : बजट अनुमान सं.अ. : संशोधित अनुमान '–' : उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी :
1. (-) घाटा संकेतक के लिए अधिशेष दर्शाता है।
2. परंपरागत घाटे कुल संवितरण और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर दर्शाते है। कुल प्राप्तियों में (i) राजस्व प्राप्तियाँ (ii) भा.रि.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा (iii) नकद शेष निवेश खाता से आहरण और भा.रि.बैं. में जमाराशि को छोड़कर लोक लेखा के अंतर्गत निवल प्राप्तियाँ शामिल हैं। कुल संवितरण में (i) राजस्व व्यय और (ii) भा.रि.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की चुकौती के अलावा पूंजीगत संवितरण शामिल हैं।
3. राजस्व घाटे से तात्पर्य है : राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का अंतर।
4. सकल राजकोषीय घाटा को घटाकर ऋण चुकौती कुल संवितरण से राजस्व प्राप्तियों, ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों और कर्ज तथा अग्रिम की वसूली घटाकर है।
5. प्राथमिक घाटे से तात्पर्य है : ब्याज भुगतान निकालने के बाद सकल राजकोषीय घाटा।
6. कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत हैं।
7. जम्मू और कश्मीर के 1990-91 से 2006-07 के आंकड़े तथा झारखंड के 2001-02 से 2006-07 के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
8. भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों को निवल ऋण से तात्पर्य है : भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी उनकी वृद्धिशील जमाराशियों को घटाकर दिए गए ऋण तथा अग्रिम में घटबढ़।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और भारतीय रिजर्व बैंक अभिलेख।

परिशिष्ट सारणी 2 : समेकित बजटीय स्थिति - एक नज़र में

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. राजस्व खाता										
क. प्राप्तियां	5,30,556	6,06,733	6,28,742	7,19,835	98,186	18.5	22,009	3.6	91,093	14.5
ख. व्यय	5,05,699	5,94,760	6,06,216	6,91,409	1,00,517	19.9	11,456	1.9	85,193	14.1
ग. अधिशेष (+) / घाटा(-) (I क - I ख)	24,857	11,973	22,526	28,426						
II. पूँजी खाता*										
क. प्राप्तियां	1,43,049	1,60,962	1,34,635	1,75,306	-8,414	-5.9	-26,327	-16.4	40,671	30.2
ख. संवितरण	1,51,582	1,71,859	1,81,273	2,01,374	29,692	19.6	9,414	5.5	20,101	11.1
ग. अधिशेष (+) / घाटा (-) (II क - II ख)	-8,533	-10,898	-46,638	-26,068						
III. कुल प्राप्तियाँ	**6,73,605**	**7,67,695**	**7,63,377**	**8,95,141**	**89,773**	**13.3**	**-4,317**	**-0.6**	**1,31,764**	**17.3**
IV. कुल संवितरण	**6,57,280**	**7,66,619**	**7,87,489**	**8,92,783**	**1,30,209**	**19.8**	**20,870**	**2.7**	**1,05,294**	**13.4**
V. समग्र अधिशेष (+) / घाटा (-) (III-IV)	**16,324**	**1,075**	**-24,112**	**2,358**						
VI. समग्र अधिशेष (+) / घाटे (-) [V=VI (क + ख + ग)] का वित्तपोषण										
क. नकदी शेष (निवल) में वृद्धि (+) / कमी (-)	-4,783	3,161	-15,214	1,547						
ख. नकदी शेष निवेश खाते में वृद्धि (+) / से आहरण (-) (निवल)	21,275	-2,016	-8,797	901						
ग. भा.रि.बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की चुकौती (+) / में वृद्धि (-) (निवल)	-168	-70	-101	-90						

*: (i) भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय अग्रिम (ii) नकद शेष निवेश खाते से प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री और (iii) भारिबैंक के पास जमाराशियों को छोड़कर। पूंजी प्राप्तियों में लोक लेखा निवल आधार पर शामिल जबकि पूंजी व्यय लोक-लेखा को छोड़कर।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 3 : राजस्व प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल राजस्व (I+II)	**5,30,556**	**6,06,733**	**6,28,742**	**7,19,835**	**98,186**	**18.5**	**22,009**	**3.6**	**91,093**	**14.5**
I. कर-राजस्व (अ + आ)	**3,72,841**	**4,30,222**	**4,41,526**	**5,09,957**	**68,685**	**18.4**	**11,304**	**2.6**	**68,431**	**15.5**
अ. राज्यों के करों से राजस्व (i से iii)	**2,52,548**	**2,94,038**	**2,93,392**	**3,36,810**	**40,843**	**16.2**	**-646**	**-0.2**	**43,418**	**14.8**
(i) आय पर कर (क + ख)	2,862	3,028	3,206	3,362	345	12.0	178	5.9	156	4.9
क) कृषिगत आयकर	15	26	12	13	-3	-17.5	-14	-53.6	1	10.4
ख) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार पर कर	2,847	3,002	3,194	3,349	347	12.2	192	6.4	155	4.8
(ii) संपत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर (क से ग)	35,973	40,310	42,691	49,295	6,718	18.7	2,381	5.9	6,604	15.5
क) मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	32,452	36,862	38,429	44,629	5,977	18.4	1,568	4.3	6,200	16.1
ख) भू-राजस्व	3,298	3,287	3,988	4,351	690	20.9	701	21.3	363	9.1
ग) शहरी अचल संपत्ति कर	222	162	274	315	52	23.3	112	69.1	41	15.0
(iii) पण्य और सेवाओं पर कर (क से छ)	2,13,714	2,50,700	2,47,495	2,84,153	33,780	15.8	-3,205	-1.3	36,658	14.8
क) बिक्री-कर*	1,53,573	1,82,973	1,78,198	2,03,623	24,625	16.0	-4,775	-2.6	25,425	14.3
ख) राज्य उत्पाद शुल्क	29,316	31,578	34,200	39,463	4,884	16.7	2,623	8.3	5,263	15.4
ग) वाहन-कर	13,238	15,222	15,414	17,905	2,175	16.4	192	1.3	2,492	16.2
घ) यात्री और माल पर कर	6,808	8,509	7,270	8,910	462	6.8	-1,239	-14.6	1640	22.6
ङ) बिजली प्रशुल्क	8,161	9,052	9,366	10,713	1205	14.8	314	3.5	1347	14.4
च) मनोरंजन कर	705	851	780	831	75	10.6	-71	-8.4	51	6.6
छ) अन्य कर और शुल्क	1,912	2,515	2,267	2,706	354	18.5	-248	-9.9	440	19.4
आ. केंद्रीय कर में अंश	**1,20,293**	**1,36,184**	**1,48,134**	**1,73,147**	**27,841**	**23.1**	**11,951**	**8.8**	**25,013**	**16.9**
II. करेतर-राजस्व (इ + ई)	**1,57,714**	**1,76,511**	**1,87,216**	**2,09,878**	**29,502**	**18.7**	**10,705**	**6.1**	**22,662**	**12.1**
इ. केंद्र से प्राप्त अनुदान	**94,451**	**1,17,320**	**1,24,638**	**1,43,030**	**30,187**	**32.0**	**7,318**	**6.2**	**18,392**	**14.8**
ई. राज्यों के अपने करेतर राजस्व (क से च)	**63,263**	**59,191**	**62,578**	**66,848**	**-685**	**-1.1**	**3,387**	**5.7**	**4,270**	**6.8**
क) ब्याज प्राप्तियां	11,825	11,008	13,041	12,686	1216	10.3	2,033	18.5	-355	-2.7
ख) लाभांश और लाभ	633	335	409	442	-223	-35.3	75	22.4	32	7.9
ग) सामान्य सेवाएँ	18,648	14,285	13,894	14,106	-4754	-25.5	-391	-2.7	212	1.5
जिसमें से : राज्य लॉटरी	6,473	8,207	5,411	5,998	-1062	-16.4	-2,796	-34.1	587	10.8
घ) समाज सेवा	6,967	4,474	5,631	5,861	-1336	-19.2	1,157	25.9	230	4.1
ङ) आर्थिक सेवा	25,190	29,090	29,601	33,754	4,411	17.5	511	1.8	4,153	14.0
च) राजकोषीय सेवा	1	–	2	–	2	–	2	–	-2	–

* : सामान्य बिक्री कर/वैट केंद्रीय बिक्री कर, मोटर स्पिरिट पर बिक्री कर और गन्ने खरीद पर बिक्री कर आदि शामिल। '–' : नगण्य / शून्य।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 4 : राजस्व व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल व्यय (I+II+III)	**5,05,699**	**5,94,760**	**6,06,216**	**6,91,409**	**1,00,517**	**19.9**	**11,456**	**1.9**	**85,193**	**14.1**
I. विकास व्यय (अ + आ)	**2,84,797**	**3,38,251**	**3,55,099**	**4,02,810**	**70,302**	**24.7**	**16,848**	**5.0**	**47,710**	**13.4**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 11)	**1,74,555**	**2,10,153**	**2,17,616**	**2,53,160**	**43,061**	**24.7**	**7,464**	**3.6**	**35,544**	**16.3**
1. शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति	89,578	1,03,870	1,06,474	1,22,072	16,895	18.9	2,604	2.5	15,598	14.6
2. चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	22,205	27,649	27,760	32,224	5,555	25.0	112	0.4	4,463	16.1
3. जल आपूर्ति और स्वच्छता-प्रबंध	8,775	9,468	9,787	9,537	1,013	11.5	319	3.4	-250	-2.6
4. आवास निर्माण	2,878	4,219	4,308	6,784	1,430	49.7	89	2.1	2,476	57.5
5. शहरी विकास	9,471	17,219	16,114	21,978	6,644	70.2	-1,105	-6.4	5,864	36.4
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11,802	15,639	16,631	17,460	4,829	40.9	991	6.3	829	5.0
7. श्रम और श्रमिक-कल्याण	2,484	2,576	2,699	3,013	215	8.7	123	4.8	314	11.6
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12,917	16,819	18,468	23,720	5,550	43.0	1,649	9.8	5,253	28.4
9. पोषण	4,845	5,746	6,540	8,594	1,695	35.0	794	13.8	2,054	31.4
10. प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	7,859	4,978	6,685	5,491	-1,174	-14.9	1,708	34.3	-1,194	-17.9
11. अन्य*	1,741	1,969	2,150	2,287	409	23.5	181	9.2	137	6.4
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**1,10,242**	**1,28,099**	**1,37,483**	**1,49,649**	**27,242**	**24.7**	**9,385**	**7.3**	**12,166**	**8.8**
1. कृषि और सम्बद्ध गतिविधियाँ	24,596	28,615	32,926	36,376	8,330	33.9	4,311	15.1	3,450	10.5
2. ग्रामीण विकास	19,315	24,636	23,454	29,750	4,138	21.4	-1,183	-4.8	6,296	26.8
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,156	1,271	1,367	1,312	211	18.3	96	7.5	-55	-4.0
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	13,281	17,233	17,583	19,860	4,302	32.4	350	2.0	2,277	13.0
5. ऊर्जा	25,033	23,980	28,599	26,483	3566	14.2	4,619	19.3	-2,116	-7.4
6. उद्योग और खनिज	4,371	5,724	6,624	6,852	2,253	51.5	901	15.7	228	3.4
7. परिवहन और संचार	14,491	15,808	17,778	18,525	3,287	22.7	1,969	12.5	747	4.2
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	273	501	505	553	233	85.4	4	0.8	48	9.5
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ	7,726	10,329	8,648	9,938	922	11.9	-1,681	-16.3	1,290	14.9
II. विकासेतर व्यय (अ से च)	**2,07,390**	**2,40,585**	**2,34,386**	**2,68,665**	**26,995**	**13.0**	**-6,200**	**-2.6**	**34,279**	**14.6**
क. राज्य के अंग	4,791	5,457	5,559	6,220	768	16.0	101	1.9	661	11.9
ख. राजकोषीय सेवा	10,316	12,185	9,272	10,285	-1,044	-10.1	-2,913	-23.9	1,013	10.9
ग. ब्याज अदायगी और ऋण शोधन (1+2)	1,00,673	1,09,887	1,10,066	1,15,186	9,393	9.3	179	0.2	5,120	4.7
1. ऋण में कमी अथवा ऋण से बचाव के लिए विनियोग	7,493	7,212	7,188	6,803	-304.8	-4.1	-24	-0.3	-385	-5.4
2. ब्याज अदायगी	93,180	1,02,675	1,02,878	1,08,383	9,698	10.4	203	0.2	5,505	5.4
घ. प्रशासनिक सेवाएं	38,964	49,066	47,694	62,905	8,730	22.4	-1,372	-2.8	15,211	31.9
ङ. पेंशन	46,861	54,263	56,002	62,729	9,141	19.5	1,739	3.2	6,727	12.0
च. विविध सामान्य सेवाएँ	5,785	9,727	5,792	11,341	7	0.1	-3,935	-40.5	5,549	95.8
जिसमें से : राज्य लॉटरी	5,088	7,888	5,090	5,709	3	0.1	-2,798	-35.5	618	12.1
III. सहायता अनुदान तथा अंशदान	**13,511**	**15,923**	**16,731**	**19,935**	**3,220**	**23.8**	**807**	**5.1**	**3,204**	**19.2**

*: इसमें मुख्यत: सूचना और प्रचार, सचिवालय - सामाजिक सेवा, आदि पर व्यय शामिल है।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 5 : पूंजीगत प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल पूंजी प्राप्तियाँ (1 से 10)	**1,43,049**	**1,60,962**	**1,34,635**	**1,75,306**	**-8,414**	**-5.9**	**-26,327**	**-16.4**	**40,671**	**30.2**
1. आंतरिक ऋण *	91,754	1,14,658	1,06,349	1,22,535	14,594	15.9	-8,309	-7.2	16,186	15.2
जिसमें से :										
(i) बाजार ऋण (सकल)	20,366	36,818	73,539	76,027	53,172	261.1	36,721	99.7	2,488	3.4
(ii) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	58,756	59,746	15,781	29,484	-42,974	-73.1	-43,965	-73.6	13,703	86.8
2. केंद्र से प्राप्त ऋण @	5,717	14,918	11,291	15,348	5,573	97.5	-3,628	-24.3	4,057	35.9
3. ऋण और अग्रिमों की वसूली	7,579	4,592	6,212	5,172	-1,367	-18.0	1,621	35.3	-1,041	-16.8
4. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (निवल)	10,370	12,396	12,147	13,001	1,777	17.1	-249	-2.0	855	7.0
5. आकस्मिकता निधि (निवल)	182	28	20	165	-162	-89.0	-8	–	145	726.1
6. आरक्षित निधि (निवल)**	7,634	4,235	-9,625	1,203	-17,259	-226.1	-13,860	-327.2	10,828	-112.5
7. जमा और अग्रिम (निवल)***	12,796	1,515	5,026	4,813	-7,770	-60.7	3,511	231.8	-213	-4.2
8. आकस्मिकता निधि में विनियोग (निवल)	740	–	–	-165	-740	–	–	–	-165	–
9. विप्रेषण (निवल)	-305	-44	-322	85	-17	5.6	-278	627.4	408	-126.5
10. अन्य #	6,581	8,665	3,538	13,149	-3,043	-46.2	-5,127	-59.2	9,611	271.7

'–' : नगण्य / शून्य.

* : भा.रि.बैंक अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट को छोड़कर इसमें बाजार ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, भूमि क्षतिपूर्ति बांड, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से नकदी ऋण और कर्ज (निवल) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नाबार्ड के राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधिक परिचालन) निधि से दिए गए ऋण आदि शामिल हैं।

@ : वर्ष 1999-2000 से लेखा प्रणाली में परिवर्तन के साथ अल्प बचत में राज्यों का अंश जो अब तक केंद्र से ऋण शीर्ष के अंतर्गत आंतरिक ऋण में शामिल किया जाता था, अब केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में अलग मद में दर्शाया जाता है।

** : आरक्षित निधि (निवल) में, ब्याज सहित आरक्षित निधियां (जैसे सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यह्रास आरक्षित निधियां) और ब्याज रहित आरक्षित (जैसे शोधन निधि, अकाल राहत निधि तथा सड़क और पुल निधि) शामिल है।

*** : जमा राशियों और अग्रिमों (निवल) में ब्याजवाली जमाराशि, (जैसे कि स्थानीय निधियों की जमाराशि) और ब्याज-रहित जमाराशि (जैसे रक्षा और डाक जमाराशि, तथा सिविल अग्रिम) शामिल है।

: उचंत और विविध (निवल) तथा अंतर-राज्य निपटान (निवल) और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल है।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल। परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 6 : पूंजी संवितरण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूंजी संवितरण (1 से 4)	**1,51,582**	**1,71,859**	**1,81,273**	**2,01,374**	**29,692**	**19.6**	**9,414**	**5.5**	**20,101**	**11.1**
1. कुल पूंजी परिव्यय (i+ii)	98,063	1,18,796	1,28,331	1,45,159	30,268	30.9	9,535	8.0	16,828	13.1
i) विकास परिव्यय (क + ख)	94,165	1,13,855	1,22,315	1,39,013	28,150	29.9	8,460	7.4	16,698	13.7
क) सामाजिक सेवाएँ	17,393	23,239	26,182	31,612	8,788	50.5	2,942	12.7	5,430	20.7
ख) आर्थिक सेवाएं	76,772	90,616	96,134	1,07,401	19,361	25.2	5,518	6.1	11,268	11.7
ii) विकासेतर परिव्यय@	3,898	4,941	6,016	6,146	2,118	54.3	1,075	21.8	130	2.2
2. आंतरिक ऋण की चुकौती@@	25,127	28,437	28,321	31,717	3,194	12.7	-116	-0.4	3,396	12.0
जिसमें से :										
बाजार ऋण	7,283	10,511	9,986	12,184	2,702	37.1	-525	-5.0	2,198	22.0
3. केंद्र के ऋणों की चुकौती	14,605	8,433	7,855	8,406	-6,750	-46.2	-578	-6.9	551	7.0
4. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (i+ii)	13,787	16,193	16,766	16,092	2,980	21.6	573	3.5	-674	-4.0
i) विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	13,202	15,589	16,149	15,294	2,946	22.3	559	3.6	-855	-5.3
क) सामाजिक सेवाएं	3,630	8,809	8,409	8,018	4,779	131.7	-400	-4.5	-390	-4.6
ख) आर्थिक सेवाएं	9,573	6,780	7,740	7,275	-1,833	-19.1	960	14.2	-464	-6.0
ii) विकासेतर प्रयोजन	584	604	618	798	33	5.7	14	2.3	180	29.2

@ : सामान्य सेवाओं पर व्यय शामिल हैं।

@@ : इसमें बाजार ऋण, भूमि क्षतिपूर्ति बांड, साथ ही, नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि से प्राप्त ऋण की चुकौती भी शामिल है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट से प्राप्त चुकौती एवं भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से नकद ऋण तथा कर्ज इसमें शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. लोक लेखा को छोड़कर पूंजी व्यय। परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 7 : केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. केंद्रीय करों में राज्यों का अंश	**1,20,293**	**1,36,184**	**1,48,134**	**1,73,147**	**27,841**	**23.1**	**11,951**	**8.8**	**25,013**	**16.9**
II. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**94,451**	**1,17,320**	**1,24,638**	**1,43,030**	**30,187**	**32.0**	**7,318**	**6.2**	**18,392**	**14.8**
1. राज्य आयोजना योजनाएं	40,215	52,499	55,236	66,624	15,021	37.4	2,737	5.2	11,388	20.6
2. केंद्रीय आयोजना योजनाएं	2,097	5,551	6,189	6,613	4,092	195.2	638	11.5	424	6.9
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	17,427	24,655	27,237	31,432	9,810	56.3	2,582	10.5	4,195	15.4
4. एनईसी/विशेष आयोजना योजनाएं	306	736	895	1,052	588	192.3	159	21.6	157	17.6
5. योजनेतर अनुदान (क से ग)	34,406	33,880	35,081	37,309	675	2.0	1,201	3.5	2,227	6.3
क) सांविधिक अनुदान	17,719	17,067	16,873	16,525	-846	-4.8	-194	-1.1	-348	-2.1
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए अनुदान	3,604	2,722	2,762	2,904	-842	-23.4	40	1.5	142	5.1
ग) योजनेतर गैर-सांविधिक अनुदान	13,083	14,091	15,446	17,880	2,363	18.1	1,355	9.6	2,433	15.8
III. केंद्र से सकल ऋण (i+ii)	**5,718**	**14,918**	**11,291**	**15,348**	**5,573**	**97.5**	**-3,628**	**-24.3**	**4,057**	**35.9**
i) योजना ऋण	6,158	14,503	11,216	14,975	5,058	82.1	-3,287	-22.7	3,759	33.5
ii) योजनेतर ऋण*	-440	415	74	373	515	-116.9	-341	-82.1	298	400.4
IV. सकल अंतरण (I+II+III)	**2,20,462**	**2,68,422**	**2,84,063**	**3,31,525**	**63,602**	**28.8**	**15,641**	**5.8**	**47,462**	**16.7**
V. ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान (क + ख)	**27,786**	**21,348**	**21,326**	**21,089**	**-6,460**	**-23.2**	**-22**	**-0.1**	**-236**	**-1.1**
क) केंद्र को ऋण की चुकौती	14,605	8,433	7,855	8,406	-6,750	-46.2	-578	-6.9	551	7.0
ख) केंद्र के ऋण पर ब्याज का भुगतान	13,181	12,914	13,470	12,683	289	2.2	556	4.3	-787	-5.8
VI. केंद्र से संसाधनों का निवल अंतरण (IV-V)	**1,92,676**	**2,47,075**	**2,62,737**	**3,10,436**	**70,062**	**36.4**	**15,662**	**6.3**	**47,698**	**18.2**

* : केंद्र से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम शामिल है।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 8 : विकास और विकासेतर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	विकास*	विकासेतर*	अन्य**	कुल
1	2	3	4	5
1990-91	63,370	22,600	5,118	91,088
	(69.6)	(24.8)	(5.6)	(100.0)
1991-92	74,588	27,143	6,198	1,07,929
	(69.1)	(25.1)	(5.7)	(100.0)
1992-93	80,567	32,104	6,664	1,19,335
	(67.5)	(26.9)	(5.6)	(100.0)
1993-94	88,791	37,859	7,199	1,33,849
	(66.3)	(28.3)	(5.4)	(100.0)
1994-95	1,02,629	48,964	7,554	1,59,147
	(64.5)	(30.8)	(4.7)	(100.0)
1995-96	1,12,888	54,544	7,200	1,74,632
	(64.6)	(31.2)	(4.1)	(100.0)
1996-97	1,29,363	61,353	8,537	1,99,253
	(64.9)	(30.8)	(4.3)	(100.0)
1997-98	1,42,266	70,652	11,006	2,23,924
	(63.5)	(31.6)	(4.9)	(100.0)
1998-99	1,61,200	85,174	15,045	2,61,419
	(61.7)	(32.6)	(5.8)	(100.0)
1999-00	1,83,540	1,08,451	15,986	3,07,977
	(59.6)	(35.2)	(5.2)	(100.0)
2000-01	2,05,670	1,16,823	17,342	3,39,835
	(60.5)	(34.2)	(5.1)	(100.0)
2001-02	2,11,086	1,35,505	22,089	3,68,680
	(57.3)	(36.8)	(6.0)	(100.0)
2002-03	2,21,799	1,49,554	38,896	4,10,249
	(54.1)	(36.5)	(9.5)	(100.0)
2003-04	2,72,848	1,66,538	74,916	5,14,302
	(53.1)	(32.4)	(14.6)	(100.0)
2004-05	2,86,473	1,85,152	81,803	5,53,428
	(51.8)	(33.3)	(14.9)	(100.0)
2005-06	3,30,044	1,90,021	41,617	5,61,682
	(58.8)	(33.8)	(7.4)	(100.0)
2006-07	3,92,165	2,11,872	53,243	6,57,280
	(59.7)	(32.2)	(8.1)	(100.0)
2007-08 (सं.अ)	4,93,563	2,41,019	52,907	7,87,489
	(62.7)	(30.6)	(6.7)	(100.0)
2008-09 (ब.अ.)	5,57,116	2,75,609	60,058	8,92,783
	(62.4)	(30.9)	(6.7)	(100.0)

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

* : इसमें राजस्व और पूंजी खाता संबंधी व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

** : इसमें सहायता अनुदान और अंशदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और आंबटन) आंतरिक ऋण चुकौती और केंद्र से लिए गए ऋण की चुकौती शामिल है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल से प्रतिशत हैं।

2. जम्मू और कश्मीर के 1990-91 से 2006-07 के आंकड़े और झारखंड से संबंधित वर्ष 2001-02 से 2006-07 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 9 : विकास व्यय : मुख्य शीर्ष

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घटबढ़		
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 5 की तुलना में कॉ. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
I. विकास व्यव (राजस्व और पूंजी) (क + ख)	**3,78,963**	**4,52,106**	**4,77,415**	**5,41,822**	**26.0**	**5.6**	**13.5**
क. सामाजिक सेवाएँ (1 से 11)	**1,91,949**	**2,33,392**	**2,43,798**	**2,84,772**	**27.0**	**4.5**	**16.8**
	(48.9)	**(49.9)**	**(49.4)**	**(51.1)**			
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	91,957	1,06,845	1,10,230	1,26,707	19.9	3.2	14.9
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वस्थ्य परिवार कल्याण	25,375	31,283	31,567	36,961	24.4	0.9	17.1
3. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	15,421	18,495	20,348	21,223	31.9	10.0	4.3
4. आवास निर्माण	3,860	5,523	5,574	8,177	44.4	0.9	46.7
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़ वर्गों का कल्याण	13,517	17,830	18,942	20,766	40.1	6.2	9.6
6. श्रम और श्रम कल्याण	2,484	2,576	2,699	3,013	8.7	4.8	11.6
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	13,189	17,251	19,020	24,358	44.2	10.3	28.1
8. पोषण	4,845	5,746	6,540	8,594	35.0	13.8	31.4
9. प्राकृतिक आपदा के लिए राहत	7,859	4,978	6,685	5,491	-14.9	34.3	-17.9
10. शहरी विकास	11,237	19,722	18,948	26,267	68.6	-3.9	38.6
11. अन्य*	2,204	3,144	3,246	3,215	47.2	3.2	-1.0
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	**1,87,014**	**2,18,714**	**2,33,617**	**2,57,051**	**24.9**	**6.8**	**10.0**
	(47.7)	**(46.8)**	**(47.3)**	**(46.1)**			
1. कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	27,809	32,757	37,592	40,693	35.2	14.8	8.2
2. ग्रामीण विकास	24,703	30,881	29,309	36,416	18.6	-5.1	24.3
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,851	3,488	3,834	4,502	34.5	9.9	17.4
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	44,834	53,639	56,711	64,386	26.5	5.7	13.5
5. ऊर्जा	36,389	38,971	44,251	43,173	21.6	13.5	-2.4
6. उद्योग और खनिज	5,624	6,886	7,919	8,024	40.8	15.0	1.3
7. परिवहन और संचार	34,322	39,270	43,053	46,143	25.4	9.6	7.2
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	296	564	565	610	90.6	0.2	8.0
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	10,186	12,259	10,384	13,105	1.9	-15.3	26.2
II. राज्य सरकार द्वारा विकासात्मक प्रयोजन के लिए ऋण और अग्रिम (क + ख)	**13,202**	**15,589**	**16,149**	**15,294**	**22.3**	**3.6**	**-5.3**
क. सामाजिक सेवाएँ (1 से 7)	**3,630**	**8,809**	**8,409**	**8,018**	**131.7**	**-4.5**	**-4.6**
	(0.9)	**(1.9)**	**(1.7)**	**(1.4)**			
1. शिक्षा, खेल-कुद, कला और संस्कृति	16	15	21	11	30.4	36.8	-45.9
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	73	185	185	180	153.1	–	-2.4
3. परिवार कल्याण	1	2	2	2	173.3	14.8	5.0
4. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	703	1,439	1,136	1,439	61.7	-21.1	26.6
5. आवास निर्माण	894	4,956	5,031	4,015	462.6	1.5	-20.2
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	429	616	615	662	43.1	-0.3	7.8
7. अन्य @	1,514	1,597	1,419	1,708	-6.3	-11.1	20.4
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	**9,573**	**6,780**	**7,740**	**7,275**	**-19.1**	**14.2**	**-6.0**
	(2.4)	**(1.4)**	**(1.6)**	**(1.3)**			
1. फसल उत्पादन	103	12	163	47	59.1	1,257.8	-71.4
2. मिट्टी और जल परिरक्षण	2	–	6	6	219.8	–	1.9
3. खाद्य भंडारण एवं माल गोदाम	1,111	784	1,334	1,287	20.1	70.2	-3.5
4. सहकारिता	2,348	389	452	402	-80.8	16.1	-11.0
5. बड़ी एवं मध्यम सिंचाई, *आदि*	-	8	3	–	–	-61.7	-100.0
6. ऊर्जा परियोजनाएं	4,245	3,966	3,382	3,785	-20.3	-14.7	11.9
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	120	78	124	95	2.9	58.4	-23.5
8. अन्य उद्योग और खनिज	847	512	873	606	3.1	70.6	-30.6
9. ग्रामीण विकास	6	4	4	4	-37.2	1.7	18.5
10. अन्य+	792	1,028	1,400	1,044	76.7	36.2	-25.4
III. कुल विकासात्मक व्यय (I + II)	**3,92,165**	**4,67,695**	**4,93,563**	**5,57,116**	**25.9**	**5.5**	**12.9**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**			

'–' : शून्य / नगण्य

* : सूचना और प्रचार व्यय शामिल है।

@ : शहरी विकास सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आदि पर किया गया खर्च शामिल है।

\+ : वन, मत्स्यपालन, पशुपालन, सड़क और जल परिवहन सेवाएं शामिल है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल विकासात्मक व्यय से प्रतिशत हैं।

2. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के संबंध में वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 10 : विकासेतर व्यय : मुख्य शीर्ष

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घटबढ़		
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 5 की तुलना में कॉ. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
I. राजस्व लेखा की मदों के संबंध मे विकासेतर व्यय (सामान्य सेवाएं) (i से vi)	**2,07,390**	**2,40,585**	**2,34,386**	**2,68,665**	**13.0**	**-2.6**	**14.6**
i. राजस्व सरकार के अंग	4,791	5,457	5,559	6,220	16.0	1.9	11.9
ii. राजकोषीय सेवाएं	10,316	12,185	9,272	10,285	-10.1	-23.9	10.9
iii. ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती (1+2)	1,00,673	1,09,887	1,10,066	1,15,186	9.3	0.2	4.7
1. ऋण में घट अथवा बचाव के लिए विनयोग	7,493	7,212	7,188	6,803	-4.1	-0.3	-5.4
2. ब्याज भुगतान	93,180	1,02,675	1,02,878	1,08,383	10.4	0.2	5.4
iv. प्रशासनिक सेवा (1 से 5)	38,964	49,066	47,694	62,905	22.4	-2.8	31.9
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,418	3,733	3,904	4,896	175.2	4.6	25.4
2. जिला प्रशासन	4,627	5,296	5,293	5,667	14.4	-0.1	7.1
3. पुलिस	23,702	26,469	27,603	30,297	16.5	4.3	9.8
4. लोक निर्माण	4,147	4,431	4,708	4,873	13.5	6.2	3.5
5. अन्य @	5,070	9,136	6,186	17,171	22.0	-32.3	177.6
v. पेन्शन	46,861	54,263	56,002	62,729	19.5	3.2	12.0
vi. अन्य विविध सामान्य सेवाएं	5,785	9,727	5,792	11,341	0.1	-40.5	95.8
II. पूंजी लेखा की मदों के संबंध में विकासेतर व्यय (1+2)	**4,482**	**5,545**	**6,633**	**6,944**	**48.0**	**19.6**	**4.7**
1. विकासेतर (सामान्य सेवाएं)	3,898	4,941	6,016	6,146	54.3	21.8	2.2
2. विकासेतर उद्देश्यों के लिए ऋण (क + ख)	584	604	618	798	5.7	2.3	29.2
क) सरकारी कर्मचारी	278	358	374	536	34.8	4.7	43.3
ख) विविध	307	246	243	262	-20.6	-1.2	7.6
III. कुल विकासेतर व्यय (I + II)	**2,11,872**	**2,46,130**	**2,41,019**	**2,75,609**	**13.8**	**-2.1**	**14.4**
IV. कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रुप में III	**31.5**	**32.1**	**31.6**	**30.8**			
V. कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में III	**32.2**	**32.1**	**30.6**	**30.9**			

@ इसमें लोक सेवा आयोग, कोषागार और प्रशासन, जेल, आदि का व्यय शामिल है।
टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के संबंध में वर्ष 2006-2007 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित है।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 11 : विकासात्मक और विकासेतर व्यय : योजना और योजनेतर घटक

(करोड़ रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल संवितरण (1 से 3)*	**1,88,410**	**4,68,870**	**6,57,280**	**2,45,888**	**5,20,731**	**7,66,619**	**2,54,361**	**5,33,128**	**7,87,489**	**3,09,991**	**5,82,792**	**8,92,783**
1. विकासात्मक व्यय (क + ख)*	**1,82,548**	**2,09,617**	**3,92,165**	**2,37,291**	**2,30,404**	**4,67,695**	**2,45,529**	**2,48,034**	**4,93,563**	**3,01,085**	**2,56,031**	**5,57,116**
क) प्रत्यक्ष विकासात्मक व्यय (i + ii)*	1,75,511	2,03,452	3,78,963	2,25,524	2,26,582	4,52,106	2,34,605	2,42,809	4,77,415	2,89,115	2,52,708	5,41,822
i) आर्थिक सेवाएं	1,04,527	82,487	1,87,014	1,30,177	88,537	2,18,714	1,33,411	1,00,206	2,33,617	1,61,237	95,813	2,57,051
ii) सामाजिक सेवाएँ	70,984	1,20,965	1,91,949	95,347	1,38,045	2,33,392	1,01,194	1,42,603	2,43,798	1,27,877	1,56,894	2,84,772
ख) विकासात्मक प्रयोजनार्थ ऋण और अग्रिम (i + ii)	7,037	6,165	13,202	11,767	3,822	15,589	10,924	5,225	16,149	11,970	3,323	15,294
i) आर्थिक सेवाएं	5,134	4,438	9,573	5,009	1,771	6,780	4,553	3,187	7,740	5,131	2,144	7,275
ii) सामाजिक सेवाएँ	1,903	1,727	3,630	6,758	2,051	8,809	6,371	2,037	8,409	6,840	1,179	8,018
2. विकासेतर व्यय (क + ख)*	**5,201**	**2,06,671**	**2,11,872**	**7,974**	**2,38,156**	**2,46,130**	**8,159**	**2,32,860**	**2,41,019**	**8,238**	**2,67,370**	**2,75,609**
क) प्रत्यक्ष विकासेतर व्यय*	5,200	2,06,088	2,11,288	7,972	2,37,554	2,45,526	8,157	2,32,244	2,40,401	8,237	2,66,574	2,74,811
ख) विकासेतर प्रयोजनार्थ ऋण और अग्रिम	1	583	584	2	602	604	2	616	618	2	797	798
3. अन्य (क से ग)*	**661**	**52,582**	**53,243**	**623**	**52,171**	**52,794**	**673**	**52,234**	**52,907**	**668**	**59,390**	**60,058**
क) केन्द्र को ऋण की चुकौती	–	14,605	14,605	–	8,433	8,433	–	7,855	7,855	–	8,406	8,406
ख) आंतरिक ऋण की चुकौती	–	25,127	25,127	–	28,437	28,437	–	28,321	28,321	–	31,717	31,717
जिसमें से :												
बाजार ऋण	–	7,283	7,283	–	10,511	10,511	–	9,986	9,986	–	12,184	12,184
ग) सहायता अनुदान और अंशदान	661	12,850	13,511	623	15,301	15,923	673	16,058	16,731	668	19,267	19,935
जिसमें से :												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और अंशदान	661	12,850	13,511	623	15,301	15,923	673	16,058	16,731	668	19,267	19,935

* : राजस्व और पूंजी लेखा दोनों के व्यय शामिल हैं।

'–' : शून्य / नगण्य

टिप्पणी : राजस्व और पूंजी लेखा दोनों के व्यय शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 12 : विकासात्मक और विकासेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
I. विकासात्मक व्यय	**3,92,165** (59.7)	**4,67,695** (61.0)	**4,93,563** (62.7)	**5,57,116** (62.4)
क) राजस्व	2,84,797	3,38,251	3,55,099	4,02,810
ख) पूंजी	1,07,368	1,29,444	1,38,464	1,54,306
II. विकासेतर व्यय	**2,11,872** (32.2)	**2,46,130** (32.1)	**2,41,019** (30.6)	**2,75,609** (30.9)
क) राजस्व	2,07,390	2,40,585	2,34,386	2,68,665
ख) पूंजी	4,482	5,545	6,633	6,944
III. अन्य	**53,243** (8.1)	**52,794** (6.9)	**52,907** (6.7)	**60,058** (6.7)
क) राजस्व *	13,511	15,923	16,731	19,935
ख) पूंजी **	39,732	36,870	36,176	40,123
IV. कुल संवितरण (I+II+III)	**6,57,280**	**7,66,619**	**7,87,489**	**8,92,783**

* : इसमें सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है (स्थानीय निकायों की क्षतिपूर्ति और समनुदेशन)।

** : आंतरिक ऋण की चुकौती और केनदिर से लिए गए ऋण की चुकौती शामिल है।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. कोष्ठकों के आंकड़े समग्र संवितरण से प्रतिशत है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 13 : योजना और योजनेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
I. योजना व्यय	**1,88,410**	**2,45,888**	**2,54,361**	**3,09,991**
	(28.7)	**(32.1)**	**(32.3)**	**(34.7)**
क) राजस्व	90,189	1,23,501	1,27,038	1,62,489
	(13.7)	(16.1)	(16.1)	(18.2)
ख) पूंजी	98,221	1,22,387	1,27,323	1,47,502
	(14.9)	(16.0)	(16.2)	(16.5)
II. योजनेतर व्यय	**4,68,870**	**5,20,731**	**5,33,128**	**5,82,792**
	(71.3)	**(67.9)**	**(67.7)**	**(65.3)**
क) राजस्व	4,15,510	4,71,259	4,79,178	5,28,920
	(63.2)	(61.5)	(60.8)	(59.2)
ख) पूंजी	53,360	49,473	53,950	53,872
	(8.1)	(6.5)	(6.9)	(6.0)
III. कुल व्यय	**6,57,280**	**7,66,619**	**7,87,489**	**8,92,783**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
2. कोष्ठको के आंकड़े कुल व्यय से प्रतिशत हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 14 : राज्यों के योजनेतर विकासेतर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4
I. योजनेतर विकासेतर राजस्व व्यय (1 से 6)	**2,05,207**	**2,30,016**	**2,65,357**
	(10.7)	**(12.1)**	**(15.4)**
1. राज्य सरकारों के विभाग और संस्थाएं	4,709	5,442	6,069
	(16.0)	(15.6)	(11.5)
2. राजकोषीय सेवाएं	10,005	8,775	9,711
	(6.6)	(-12.3)	(10.7)
3. ब्याज अदायगी और ऋणों की चुकौती	1,00,630	1,10,066	1,15,186
	(11.3)	(9.4)	(4.7)
जिसमें से :			
ब्याज अदायगी	93,136	1,02,878	1,08,383
	(10.9)	(10.5)	(5.4)
जिसमें से :			
केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	13,181	13,470	12,683
	(0.2)	(2.2)	(-5.8)
4. प्रशानसनिक सेवाएं	37,343	44,056	60,433
	(12.5)	(18.0)	(37.2)
5. पँशन	46,861	56,002	62,728
	(15.3)	(19.5)	(12.0)
6. फुटकर सामान्य सेवाएं	5,661	5,675	11,230
	(-26.0)	(0.3)	(97.9)
II. योजनेतर विकासेतर पूंजी संवितरण (1 + 2)*	**1,464**	**2,844**	**2,013**
	(91.2)	**(94.3)**	**(-29.2)**
1. योजनेतर विकासेतर पूंजी परिव्यय	881	2,228	1,216
	(138.3)	(152.9)	(-45.4)
2. राज्यों द्वारा योजनेतर विकासेतर ऋण और अग्रिम	583	616	797
	(47.2)	(5.7)	(29.3)
III. कुल योजनेतर विकासेतर व्यय	**2,06,671**	**2,32,860**	**2,67,370**
	(11.0)	**(12.7)**	**(14.8)**

* इसमें केंद्र के ऋणों की चुकौती और आंतरिक ऋण से मुक्ति शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के योजनेतर आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 15 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय* का संयोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. राजस्व व्यव (i + ii)	**32,826**	**36,617**	**41,344**	**46,342**	**51,292**	**60,003**	**67,364**	**76,107**	**91,460**	**1,05,688**
(i) सामाजिक सेवाएं (क से ठ)	**27,962**	**31,092**	**34,565**	**38,685**	**44,079**	**52,596**	**59,097**	**66,798**	**80,187**	**94,097**
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,528	17,077	19,261	21,462	24,556	28,419	32,495	36,377	44,697	54,897
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वस्थ्य	4,586	5,054	5,662	6,608	7,271	6,646	7,660	8,716	10,511	11,805
(ग) परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	1,639	1,554	1,730	1,858	2,102
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,638	1,845	2,095	2,424	2,979	3,130	3,661	4,557	5,239	5,345
(ङ) आवास निर्माण	361	398	445	467	561	689	837	907	1,126	1,012
(च) शहरी विकास	634	764	727	791	848	1,102	1,385	1,735	2,134	2,660
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़ वर्गों का कल्याण	1,790	2,071	2,301	2,569	3,007	3,390	3,890	4,493	5,175	5,513
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	453	489	550	585	658	728	799	1,008	1,051	1,202
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,362	1,477	1,663	1,852	2,092	2,378	2,587	3,004	3,568	4,054
(ञ) पोषण	536	611	633	665	852	2,136	1,854	1,844	2,116	2,248
(ट) प्राकृतिक आपदा के लिए राहत	877	1,076	972	948	899	1,927	1,963	1,976	2,104	2,609
(ठ) अन्य	198	230	256	314	357	413	413	452	608	649
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**4,863**	**5,525**	**6,779**	**7,657**	**7,213**	**7,407**	**8,267**	**9,309**	**11,273**	**11,592**
(क) ग्रामीण विकास	4,675	5,287	6,362	7,276	6,777	6,568	7,526	8,367	10,460	10,505
(ख) खाद्यान्न भंडार और गोदाम	188	238	416	381	436	839	741	942	813	1,087
2. पूंजी परिव्यय (i + ii)	**1,566**	**1,690**	**2,022**	**1,985**	**2,409**	**2,472**	**2,524**	**3,862**	**5,094**	**5,637**
(i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	**1,257**	**1,647**	**1,664**	**1,787**	**2,219**	**2,510**	**2,887**	**3,303**	**4,144**	**4,218**
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	284	278	302	304	365	408	435	451	535	361
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ	237	276	263	272	306	302	330	451	482	669
(ग) परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	35	38	65	45	27
(घ) जल, आपूर्ति और स्वच्छता	354	499	549	677	894	896	1,026	1,117	1,688	1,822
(ङ) आवास निर्माण	182	209	188	196	251	346	296	398	580	500
(च) शहरी विकास	30	146	97	109	125	179	263	244	176	233
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	120	162	177	167	189	217	355	411	487	474
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	27	39	37	24	43	25	72	86	89	103
(झ) अन्य	24	39	50	38	47	101	73	80	62	31
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**308**	**43**	**358**	**197**	**190**	**-38**	**-362**	**559**	**950**	**1,419**
(क) ग्रामीण विकास	115	204	184	139	136	152	353	330	321	550
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	194	-161	174	58	54	-190	-716	229	630	868
3. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (i + ii)	**741**	**948**	**1,103**	**1,125**	**1,442**	**1,501**	**2,008**	**1,458**	**1,573**	**2,365**
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	**741**	**948**	**1,103**	**1,125**	**1,442**	**1,406**	**1,820**	**1,436**	**1,559**	**2,235**
(क) शिक्षा	–	–	–	–	–	21	9	22	10	4
(ख) आवास निर्माण	174	213	228	316	274	222	471	293	360	407
(ग) आवास निर्माण (सरकारी कर्मचारी)	143	162	185	229	257	279	340	358	448	994
(घ) अन्य	424	573	690	579	910	884	1,000	764	741	831
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**95**	**188**	**22**	**14**	**130**
(क) ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	95	188	22	14	130
सामाजिक क्षेत्र का कुल व्यय (1+2+3)	**35,132**	**39,255**	**44,468**	**49,451**	**55,143**	**63,975**	**71,896**	**81,427**	**98,127**	**1,13,690**

(जारी)

परिशिष्ट सारणी 15 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय* का संयोजन *(समाप्त)*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ)	2008-09 (ब.अ.)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. राजस्व व्यय (i + ii)	**1,13,366**	**1,16,342**	**1,21,866**	**1,32,204**	**1,46,001**	**1,67,775**	**1,95,626**	**2,43,282**	**2,84,656**
(i) सामाजिक सेवाएँ (क से ठ)	**1,02,385**	**1,05,350**	**1,09,075**	**1,17,517**	**1,29,035**	**1,48,552**	**1,74,555**	**2,17,616**	**2,53,160**
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	58,783	59,095	61,253	64,280	69,371	78,147	89,578	1,06,474	1,22,072
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वस्थ्य	12,627	12,943	13,443	14,121	15,230	17,542	19,162	23,821	27,535
(ग) परिवार कल्याण	2,339	2,466	2,375	2,473	2,530	2,763	3,043	3,940	4,689
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	5,398	5,519	5,502	6,482	6,923	8,465	8,775	9,787	9,537
(ङ) आवास निर्माण	1,285	1,243	1,442	1,739	1,868	2,002	2,878	4,308	6,784
(च) शहरी विकास	2,678	3,216	3,544	3,921	4,833	4,687	9,471	16,114	21,978
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़ वर्गो का कल्याण	6,104	6,778	7,105	7,704	9,189	10,457	11,802	16,631	17,460
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	1,203	1,132	1,194	1,381	1,483	1,656	2,484	2,699	3,013
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,897	5,042	6,124	7,104	8,005	9,232	12,917	18,468	23,720
(ञ) पोषण	2,478	2,249	2,255	2,836	3,226	4,022	4,845	6,540	8,594
(ट) प्राकृतिक आपदा के लिए राहत	3,878	5,012	4,153	4,657	5,566	8,570	7,859	6,685	5,491
(ठ) अन्य	714	655	684	818	810	1,009	1,741	2,150	2,287
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**10,981**	**10,992**	**12,791**	**14,687**	**16,966**	**19,223**	**21,071**	**25,666**	**31,496**
(क) ग्रामीण विकास	10,014	10,192	11,747	13,547	15,391	17,588	19,315	23,454	29,750
(ख) खाद्यान्न भंडार और गोदाम	967	800	1,045	1,140	1,574	1,635	1,756	2,212	1,746
2. पूंजी परिव्यय (i + ii)	**8,508**	**9,669**	**9,028**	**11,171**	**15,573**	**18,261**	**22,615**	**32,483**	**38,566**
(i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	**5,348**	**5,777**	**7,203**	**9,294**	**11,685**	**14,137**	**17,393**	**26,182**	**31,612**
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	370	513	492	648	984	1,716	2,379	3,756	4,635
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ	604	605	623	917	1,008	1,722	3,135	3,730	4,562
(ग) परिवार कल्याण	42	34	10	18	3	4	35	76	175
(घ) जल, आपूर्ति और स्वच्छता	3,069	2,686	3,553	3,586	5,180	5,181	6,646	10,560	11,686
(ङ) आवास निर्माण	491	511	635	599	976	745	982	1,266	1,393
(च) शहरी विकास	322	350	468	1,841	1,774	2,301	1,766	2,833	4,289
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	394	423	618	781	928	1,242	1,715	2,311	3,306
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	21	36	85	163	158	244	272	552	638
(झ) अन्य	35	619	718	740	675	982	463	1,096	928
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**3,160**	**3,892**	**1,825**	**1,877**	**3,888**	**4,124**	**5,222**	**6,301**	**6,955**
(क) ग्रामीण विकास	1,285	2,280	2,223	2,318	3,015	3,951	5,388	5,855	6,666
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	1,876	1,613	-399	-441	873	173	-166	446	288
3. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (i + ii)	**3,046**	**3,242**	**2,754**	**2,789**	**2,503**	**3,394**	**4,746**	**9,747**	**9,310**
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	**2,980**	**2,863**	**2,736**	**2,784**	**2,186**	**3,042**	**3,630**	**8,409**	**8,018**
(क) शिक्षा	–	3	34	49	128	53	16	21	11
(ख) आवास निर्माण	440	506	544	810	739	750	894	5,031	4,015
(ग) आवास निर्माण (सरकारी कर्मचारी)	1,145	952	786	560	320	360	429	615	662
(घ) अन्य	1,395	1,402	1,371	1,365	998	1,879	2,290	2,742	3,329
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**66**	**379**	**18**	**5**	**317**	**352**	**1,117**	**1,338**	**1,292**
(क) ग्रामीण विकास	–	–	–	–	7	6	6	4	4
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	66	379	18	5	310	346	1,111	1,334	1,287
सामाजिक क्षेत्र का कुल व्यय (1+2+3)	**1,24,919**	**1,29,253**	**1,33,648**	**1,46,164**	**1,64,077**	**1,89,430**	**2,22,988**	**2,85,512**	**3,32,532**

सं.अ: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान '–' : शून्य / नगण्य

* : राजस्व व्यव के अंतर्गत आनेवाले सामाजिक सेवा, ग्रामिण विकास, खाद्यान्न भंडारण और गोदाम पर व्यय तथा पूंजी परिव्यय और राज्य सरकारों के ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं ।

टिप्पणी : जम्मू और काश्मीर के 1990-91 से 2006-07 के आंकड़े और झारखंड से संबधित वर्ष 2001-02 से 2006-07 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 16 : सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल उधार	ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	सकल राजकोषीय घाटा (2+3+4-5)	सकल राजकोषीय घाटा से प्रतिशत				
						राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल उधार	ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	कुल (7+8+9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990-91	5,309	9,223	4,255	–	18,787	28.3	49.1	22.6	–	100.0
1991-92	5,651	10,096	3,154	–	18,900	29.9	53.4	16.7	–	100.0
1992-93	5,114	10,655	5,123	–	20,891	24.5	51.0	24.5	–	100.0
1993-94	3,872	12,354	4,139	–	20,364	19.0	60.7	20.3	–	100.0
1994-95	6,706	17,138	3,464	–	27,308	24.6	62.8	12.7	–	100.0
1990-95 (औसत)	**5,330**	**11,893**	**4,027**	**–**	**21,250**	**25.2**	**55.4**	**19.4**	**–**	**100.0**
1995-96	8,620	18,226	4,024	–	30,870	27.9	59.0	13.0	–	100.0
1996-97	16,878	17,123	2,754	193	36,561	46.2	46.8	7.5	0.5	100.0
1997-98	17,492	22,137	3,845	–	43,474	40.2	50.9	8.8	–	100.0
1998-99	44,462	22,731	6,606	505	73,295	60.7	31.0	9.0	0.7	100.0
1999-2000	54,549	25,002	10,549	–	90,099	60.5	27.7	11.7	–	100.0
1995-2000 (औसत)	**28,400**	**21,044**	**5,555**	**140**	**54,860**	**47.1**	**43.1**	**10.0**	**0.2**	**100.0**
2000-01	55,316	30,260	2,346	–	87,923	62.9	34.4	2.7	–	100.0
2001-02	60,398	31,658	2,206	–	94,261	64.1	33.6	2.3	–	100.0
2002-03	57,179	35,655	6,892	–	99,726	57.3	35.8	6.9	–	100.0
2003-04	63,407	51,573	5,650	–	1,20,631	52.6	42.8	4.7	–	100.0
2004-05	39,158	60,133	8,483	–	1,07,774	36.3	55.8	7.9	–	100.0
2000-05 (औसत)	**55,091**	**41,856**	**5,116**	**–**	**1,02,063**	**54.6**	**40.5**	**4.9**	**–**	**100.0**
2005-06	7,013	77,559	5,521	9	90,084	7.8	86.1	6.1	–	100.0
2006-07	-24,857	98,063	6,207	1,906	77,508	-32.1	126.5	8.0	2.5	100.0
2007-08 (सं.अ)	-22,526	1,28,331	10,554	8,400	1,07,958	-20.9	118.9	9.8	7.8	100.0
2008-09 (ब.अ.)	-28,426	1,45,159	10,920	15,000	1,12,653	-25.2	128.9	9.7	13.3	100.0

'–' : शून्य / नगण्य सं.अ: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर के 1990-91 से 2006-07 के आंकड़े और झारखंड से संबंधित वर्ष 2001-02 से 2006-07 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित है।

2. ऋणात्मक (-) चिह्न घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 17 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	एलआइसी, नाबार्ड एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	अन्य	समग्र अधिशेष(-) घाटा (+) (13+14+15)	नकदी शेष मे वृद्धि (-)/ कमी (+)	नकदी शेष निवेश खाते से आहरण (+)/में योगदान (-)	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (+) कमी (-)	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	2,556	9,978	–	241	3,069	1,120	1,670	376	-154	4	-74	266	-427	88	18,787
1991-92	3,305	9,374	–	-19	2,909	1,343	1,587	724	-716	237	156	629	-685	212	18,900
1992-93	3,501	8,921	–	-46	3,622	1,523	2,378	3,197	-337	-38	-1,829	602	-2,248	-183	20,891
1993-94	3,620	9,400	–	113	4,330	1,541	1,561	-556	-226	217	363	561	-137	38	20,364
1994-95	4,075	14,250	–	2,099	4,779	1,713	3,545	788	59	347	-4,347	1,173	-3,667	-1,974	27,308
1990-95 (औसत)	**3,411**	**10,385**	**–**	**478**	**3,742**	**1,448**	**2,148**	**906**	**-275**	**153**	**-1,146**	**646**	**-1,433**	**-364**	**21,250**
1995-96	5,888	14,075	–	635	4,902	2,101	2,947	3,096	-338	245	-2,680	-465	-3,589	1,204	30,870
1996-97	6,515	16,696	–	686	5,375	2,438	4,465	129	-7,505	558	7,202	6,794	-415	663	36,561
1997-98	7,280	22,649	–	1,504	6,226	2,930	3,521	271	-30	927	-1,803	-561	385	-1,926	43,474
1998-99	10,467	30,350	–	2,382	11,969	3,588	7,131	1,483	2,244	414	3,268	-33,690	32,982	4,228	73,295
1999-2000	12,664	12,178	26,416	3,381	17,877	2,562	9,051	849	77	1,917	3,126	-625	1,268	2,470	90,098
1995-2000 (औसत)	**8,563**	**19,190**	**26,416***	**1,718**	**9,270**	**2,724**	**5,423**	**1,166**	**-1,111**	**812**	**1,823**	**-5,710**	**6,126**	**1,328**	**54,860**
2000-01	12,519	8,324	32,606	4,550	13,107	3,099	7,136	2,355	1,032	5,574	-2,379	-849	-727	-769	87,922
2001-02	17,249	10,895	35,648	6,285	10,186	4,521	4,996	-2,452	-427	3,814	3,545	-637	1,203	2,860	94,261
2002-03	28,484	-372	48,966	4,858	9,863	4,799	711	1,212	93	5,403	-4,290	5,057	-2,762	-6,907	99,727
2003-04	47,286	13,940	18,003	4,132	9,325	6,377	-374	-3,651	1,850	24,268	-526	1,713	-1,778	-461	1,20,631
2004-05	34,559	-9,781	64,192	26**	8,883	7,127	8,074	-2,623	1,240	6,335	-10,232	-651	-8,026	-1,782	1,07,774
2000-05 (औसत)	**28,019**	**4,601**	**39,883**	**4,956**	**10,273**	**5,185**	**4,109**	**-1,032**	**758**	**9,079**	**-2,776**	**927**	**-2,418**	**-1,412**	**1,02,063**
2005-06	15,305	-44	73,815	4,055	10,463	5,228	7,262	7,911	51	-17	-33,947	1,827	-34,761	-1,013	90,084
2006-07	13,083	-8,887	56,023	3,937	10,370	7,634	12,796	4,675	-305	-5,492	-16,324	4,783	-21,275	168	77,508
2007-08 (सं.अ)	63,553	3,435	9,527	7,381	12,147	-9,625	5,026	-4,861	-322	-2,414	24,112	15,214	8,797	101	1,07,958
2008-09 (ब.अ.)	63,842	6,942	22,044	7,360	13,001	1,203	4,813	-1,851	85	-2,429	-2,358	-1,547	-901	90	1,12,653

सं.अ: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान एनएसएसएफ : राष्ट्रीय लघु बचत निधि '–' : लागू नहीं

* : 1999-2000 से संबंधित क्योंकि, यह मात्र उसी वर्ष से आरंभ हुआ। इस प्रकार, 1995-2000 (औसत) का मदों का जोड सकल राजकोषीय घाटे के बराबर नहीं होगा।

** : तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) के बांडों के समायोजन के कारण तामिलनाडु ने एनसीडीसी से लिए गए ऋण के अंतर्गत 1376 करोड़ रुपए का नकारात्मक आंकड़ा दर्शाया।

टिप्पणी : 1. 'अन्य' अवशिष्ट है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान, भूमि क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड एवं सारणी में उल्लिखित के सिवाय वित्तीय संस्थानों से ऋण शामिल है।

2. वर्ष 1999-2000 से लेखा प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण 'केन्द्र से ऋण' में लघु बचत संग्रह में राज्य का शेयर शामिल नहीं है, 'आंतरिक ऋण' के अधीन एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत दर्शाया गया है। तदनुसार, प्राप्तियों और व्यय के सतत लेखांकन हेतु केंद्र से ऋण की चुकौती के अंतर्गत शामिल लघु बचत संग्रह चुकौती को आंतरिक ऋण की चुकौती के अंतर्गत दर्शाया गया है।

3. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के संबंध में 2006-07 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

4. सभी आंकड़े निवल आधार पर हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 18 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में

(प्रतिशत)

वर्ष	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	एलआइसी, नाबार्ड एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	अन्य	समग्र अधिशेष(-) घाटा (+) (13+14+15)	नकदी शेष मे वृद्धि (-)/ कमी (+)	नकदी शेष निवेश खाते से आहरण (+)/में योगदान	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (+) कमी	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	13.6	53.1	–	1.3	16.3	6.0	8.9	2.0	-0.8	–	-0.4	1.4	-2.3	0.5	100.0
1991-92	17.5	49.6	–	-0.1	15.4	7.1	8.4	3.8	-3.8	1.3	0.8	3.3	-3.6	1.1	100.0
1992-93	16.8	42.7	–	-0.2	17.3	7.3	11.4	15.3	-1.6	-0.2	-8.8	2.9	-10.8	-0.9	100.0
1993-94	17.8	46.2	–	0.6	21.3	7.6	7.7	-2.7	-1.1	1.1	1.8	2.8	-0.7	0.2	100.0
1994-95	14.9	52.2	–	7.7	17.5	6.3	13.0	2.9	0.2	1.3	-15.9	4.3	-13.4	-7.2	100.0
1990-95 (औसत)	**16.1**	**48.8**	**–**	**1.8**	**17.6**	**6.8**	**9.9**	**4.3**	**-1.4**	**0.7**	**-4.5**	**2.9**	**-6.2**	**-1.3**	**100.0**
1995-96	19.1	45.6	–	2.1	15.9	6.8	9.5	10.0	-1.1	0.8	-8.7	-1.5	-11.6	3.9	100.0
1996-97	17.8	45.7	–	1.9	14.7	6.7	12.2	0.4	-20.5	1.5	19.7	18.6	-1.1	1.8	100.0
1997-98	16.7	52.1	–	3.5	14.3	6.7	8.1	0.6	-0.1	2.1	-4.1	-1.3	0.9	-4.4	100.0
1998-99	14.3	41.4	–	3.2	16.3	4.9	9.7	2.0	3.1	0.6	4.5	-46.0	45.0	5.8	100.0
1999-2000	14.1	13.5	29.3	3.8	19.8	2.8	10.0	0.9	0.1	2.1	3.5	-0.7	1.4	2.7	100.0
1995-2000 (औसत)	**16.4**	**39.7**	**29.3***	**2.9**	**16.2**	**5.6**	**9.9**	**2.8**	**-3.7**	**1.4**	**3.0**	**-6.2**	**6.9**	**2.0**	**100.0**
2000-01	14.2	9.5	37.1	5.2	14.9	3.5	8.1	2.7	1.2	6.3	-2.7	-1.0	-0.8	-0.9	100.0
2001-02	18.3	11.6	37.8	6.7	10.8	4.8	5.3	-2.6	-0.5	4.0	3.8	-0.7	1.3	3.0	100.0
2002-03	28.6	-0.4	49.1	4.9	9.9	4.8	0.7	1.2	0.1	5.4	-4.3	5.1	-2.8	-6.9	100.0
2003-04	39.2	11.6	14.9	3.4	7.7	5.3	-0.3	-3.0	1.5	20.1	-0.4	1.4	-1.5	-0.4	100.0
2004-05	31.6	-10.8	62.2	–	7.2	6.5	7.4	-2.4	1.1	-12.4	9.6	0.6	7.3	1.6	100.0
2000-05 (औसत)	**26.4**	**4.3**	**40.2**	**4.0**	**10.1**	**5.0**	**4.2**	**-0.8**	**0.7**	**4.7**	**1.2**	**1.1**	**0.7**	**-0.7**	**100.0**
2005-06	17.0	-	81.9	4.5	11.6	5.8	8.1	8.8	0.1	–	-37.7	2.0	-38.6	-1.1	100.0
2006-07	16.9	-11.5	72.3	5.1	13.4	9.8	16.5	6.0	-0.4	-7.1	-21.1	6.2	-27.4	0.2	100.0
2007-08 (सं.अ)	58.9	3.2	8.8	6.8	11.3	-8.9	4.7	-4.5	-0.3	-2.2	22.3	14.1	8.1	0.1	100.0
2008-09 (ब.अ.)	56.7	6.2	19.6	6.5	11.5	1.1	4.3	-1.6	0.1	-2.2	-2.1	-1.4	-0.8	0.1	100.0

सं.अ: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान एनएसएसएफ : राष्ट्रीय लघु बचत निधि '–' : शून्य / नगण्य / लागू नहीं

*: 1999-2000 से संबंधित क्योंकि, यह मात्र उसी वर्ष से आरंभ हुआ। इस प्रकार 1995-2000 (औसत) की मदों का जोड़ 100 के बराबर नहीं होगा।

टिप्पणी : परिशिष्ट सारणी 17 जैसी।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 19 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की बनावट

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	राज्य विकास ऋण	पावर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएस एसएफ	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	एलआईसी से ऋण	जीआईसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भा. स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केन्द्र से ऋण तथा अग्रिम	भविष्य निधियां, आदि	आरक्षित निधि	जमा तथा अग्रिम	आकस्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = जोड़ (7 से 12)	**14 = जोड़ (2 से 6)+13**	15	16	17	18	19	20 = जोड़ (14 से 19)
1991	15,652	–	60	_	1,050	718	241	278	303	630	343	2,513	**19,274**	73,521	16,861	4,734	12,769	995	**1,28,155**
1992	19,008	–	64	–	1,288	775	267	151	604	812	301	2,910	**23,270**	82,979	19,790	5,519	14,502	969	**1,47,030**
1993	22,480	–	72	–	1,073	894	295	25	733	885	396	3,228	**26,853**	91,626	23,515	6,698	18,911	762	**1,68,365**
1994	26,119	–	79	–	1,306	1,044	380	-85	807	893	391	3,429	**30,933**	1,01,122	27,972	8,180	19,009	658	**1,87,875**
1995	31,200	–	77	–	608	1,135	421	-79	943	1,071	499	3,989	**35,875**	1,15,238	32,894	9,013	22,963	489	**2,16,473**
1996	37,088	–	76	–	1,894	1,257	501	288	1,175	1,101	517	4,838	**43,895**	1,29,264	38,216	10,577	26,654	929	**2,49,535**
1997	43,602	–	74	–	2,557	1,418	–	821	1,183	1,108	575	5,106	**51,338**	1,46,168	44,095	12,350	31,436	511	**2,85,898**
1998	50,847	–	77	–	630	1,684	–	2,038	1,396	1,107	1,510	7,734	**59,289**	1,68,656	50,843	14,498	36,609	921	**3,30,816**
1999	61,477	–	66	–	4,858	2,203	–	3,147	2,057	1,204	2,178	10,789	**77,190**	1,99,007	63,256	17,320	42,357	445	**3,99,576**
2000	75,427	–	65	25,251	7,328	3,102	–	4,372	3,177	1,345	5,114	17,110	**1,26,346**	2,30,331	80,523	19,769	52,193	1,533	**5,09,529**
2001	86,767	–	62	56,352	6,559	4,216	–	6,501	4,390	1,439	12,667	29,213	**1,81,623**	2,38,655	93,629	22,868	59,328	714	**5,94,147**
2002	1,04,027	–	59	90,226	9,419	5,085	–	8,969	7,139	1,622	18,078	40,894	**2,49,069**	2,49,551	1,03,815	27,389	64,325	1,042	**6,90,747**
2003	1,33,066	–	63	1,39,193	2,512	6,621	–	11,546	7,896	1,611	23,524	51,198	**3,33,753**	2,49,179	1,13,678	32,188	65,036	314	**7,86,430**
2004	1,79,917	28,984	82	1,98,454	3,375	8,967	1,008	11,285	8,222	3,071	33,407	65,960	**4,76,772**	1,92,981	1,32,043	42,217	69,116	246	**9,13,376**
2005	2,13,480	29,883	83	2,82,200	1,498	11,994	990	8,226	9,486	1,577	35,648	67,921	**5,95,064**	1,60,045	1,45,936	52,311	75,290	527	**10,29,174**
2006	2,28,925	31,581	82	3,65,933	407	12,609	989	11,654	9,680	1,195	35,718	71,845	**6,98,773**	1,57,004	1,60,955	63,120	86,691	1,322	**11,67,866**
2007	2,42,777	26,051	82	4,25,309	575	12,257	989	16,372	9,094	1,352	32,782	72,846	**7,67,640**	1,46,653	1,71,325	70,754	99,487	1,504	**12,57,362**
2008 (सं.अ)	2,98,508	23,143	80	4,30,879	676	11,647	989	24,523	8,568	1,718	32,199	79,644	**8,32,930**	1,50,088	1,83,472	61,129	1,04,513	1,524	**13,33,656**
2009 (ब.अ.)	3,62,350	21,689	80	4,52,923	766	11,077	989	32,500	7,996	2,242	31,562	86,367	**9,24,176**	1,57,030	1,96,473	62,332	1,09,326	1,689	**14,51,026**

सं.अ: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान '–' : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : 1. 1997 से 2003 तक ''अन्य संस्थाओं से ऋण'' में ''अन्य ऋण'' एवं ''जीआईसी से ऋण भी शामिल है। 2004 से अन्य संस्थाओं से ऋण'' में ''अन्य ऋण'' शामिल है।

2. चूंकि अरुणाचल प्रदेश [2007-08 (सं.अ.) और 2008-09 (ब.अ.)] तथा जम्मू और कश्मीर [2007-08 (सं.अ.) और 2008-09 (ब.अ.)] के आंतरिक ऋण से मुक्ति संबंधी अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं थे अत: उन्हें ''अन्य संस्थाओं से ऋण'' में शामिल किया गया है।

3. ''आंकड़ा स्रोत तथा कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी'' भी देखें।

परिशिष्ट सारणी 20 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की बनावट

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

वर्ष	बाज़ार ऋण	पावर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएस एसएफ	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	एलआईसी से ऋण	जीआईसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भा. स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	एनसी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केन्द्र से ऋण तथा अग्रिम	भविष्य निधियां, आदि	आरक्षित निधि	जमा तथा अग्रिम	आकस्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = जोड (7 से 12)	**14 = जोड (2 से 6)+13**	15	16	17	18	19	20 = जोड (14 से 19)
1991	12.2	–	0.05	–	0.8	0.6	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	2.0	**15.0**	57.4	13.2	3.7	10.0	0.8	**100.0**
1992	12.9	–	0.04	–	0.9	0.5	0.2	0.1	0.4	0.6	0.2	2.0	**15.8**	56.4	13.5	3.8	9.9	0.7	**100.0**
1993	13.4	–	0.04	–	0.6	0.5	0.2	–	0.4	0.5	0.2	1.9	**15.9**	54.4	14.0	4.0	11.2	0.5	**100.0**
1994	13.9	–	0.04	–	0.7	0.6	0.2	–	0.4	0.5	0.2	1.8	**16.5**	53.8	14.9	4.4	10.1	0.4	**100.0**
1995	14.4	–	0.04	–	0.3	0.5	0.2	–	0.4	0.5	0.2	1.8	**16.6**	53.2	15.2	4.2	10.6	0.2	**100.0**
1996	14.9	–	0.03	–	0.8	0.5	0.2	0.1	0.5	0.4	0.2	1.9	**17.6**	51.8	15.3	4.2	10.7	0.4	**100.0**
1997	15.3	–	0.03	–	0.9	0.5	–	0.3	0.4	0.4	0.2	1.8	**18.0**	51.1	15.4	4.3	11.0	0.2	**100.0**
1998	15.4	–	0.02	–	0.2	0.5	–	0.6	0.4	0.3	0.5	2.3	**17.9**	51.0	15.4	4.4	11.1	0.3	**100.0**
1999	15.4	–	0.02	–	1.2	0.6	–	0.8	0.5	0.3	0.5	2.7	**19.3**	49.8	15.8	4.3	10.6	0.1	**100.0**
2000	14.8	–	0.01	5.0	1.4	0.6	–	0.9	0.6	0.3	1.0	3.4	**24.8**	45.2	15.8	3.9	10.2	0.3	**100.0**
2001	14.6	–	0.01	9.5	1.1	0.7	–	1.1	0.7	0.2	2.1	4.9	**30.6**	40.2	15.8	3.8	10.0	0.1	**100.0**
2002	15.1	–	0.01	13.1	1.4	0.7	–	1.3	1.0	0.2	2.6	5.9	**36.1**	36.1	15.0	4.0	9.3	0.2	**100.0**
2003	16.9	–	0.01	17.7	0.3	0.8	–	1.5	1.0	0.2	3.0	6.5	**42.4**	31.7	14.5	4.1	8.3	–	**100.0**
2004	19.7	3.2	0.01	21.7	0.4	1.0	0.1	1.2	0.9	0.3	3.7	7.2	**52.2**	21.1	14.5	4.6	7.6	–	**100.0**
2005	20.7	2.9	0.01	27.4	0.1	1.2	0.1	0.8	0.9	0.2	3.5	6.6	**57.8**	15.6	14.2	5.1	7.3	0.1	**100.0**
2006	19.6	2.7	0.01	31.3	–	1.1	0.1	1.0	0.8	0.1	3.1	6.2	**59.8**	13.4	13.8	5.4	7.4	0.1	**100.0**
2007	19.4	2.1	0.01	33.8	–	1.0	0.1	1.3	0.7	0.1	2.6	5.8	**61.1**	11.7	13.7	5.6	7.9	0.1	**100.0**
2008 (सं.अ)	22.4	1.7	0.01	32.3	0.1	0.9	0.1	1.8	0.6	0.1	2.4	6.0	**62.5**	11.2	13.8	4.6	7.8	0.1	**100.0**
2009 (ब.अ.)	25.0	1.5	0.01	31.2	0.1	0.8	0.1	2.2	0.6	0.2	2.2	5.9	**63.7**	10.8	13.5	4.3	7.5	0.1	**100.0**

सं.अ: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान '–': लागू नहीं / उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : परिशिष्ट सारणी 19 की टिप्पणी देखें।

परिशिष्ट सारणी 21 : राज्य सरकारों के बाजार उधार

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	सकल आबंटन	चुकौती	निवल आबंटन
1	2	3	4
1990-91	2,569	–	2,569
1991-92	3,364	–	3,364
1992-93	3,805	334	3,471
1993-94	4,145	507	3,638
1994-95	5,123	–	5,123
1995-96	6,274	343	5,931
1996-97	6,536	–	6,536
1997-98	7,749	557	7,192
1998-99	12,114	1,414	10,700
1999-00	13,706	1,301	12,405
2000-01	13,300	420	12,880
2001-02	18,707	1,446	17,261
2002-03*	30,853	1,789	29,064
2003-04*	50,521	4,145	46,376
2004-05*	39,101	5,123	33,978
2005-06	21,729	6,274	15,455
2006-07	26,597	6,551	20,046
2007-08 @	80,570 $	11,555 #	69,015 $
2008-09 अ @	71,474	14,371	57,103

'–' : शून्य अ : अनंतिम.

* : इसमें ऋण बदल योजना (डेट स्वैप स्कीम) के अंतर्गत 2002-03 के लिए 10,000 करोड़ रुपए, 2003-04 के लिए 26,623 करोड़ रुपए और 2004-05 के लिए 16,943 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बाजार उधार शामिल है।

\# : ओडीसा द्वारा प्रतिभूति के बाय-बैंक के प्रति 156 करोड़ रु. को छोड़कर।

@ : केंद्र शासित पुदुचेरी सहित

$: एनएसएसएफ में आई कमी के कारण 35,780 करोड़ रु. का अतिरिक्त आंबटन सहित।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक अभिलेख के अनुसार।

परिशिष्ट सारणी 22 : राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्ति

(सघउ से प्रतिशत)

वर्ष	स्व राजस्व			चालू अंतरण			कुल राजस्व प्राप्तियां
	स्व कर राजस्व	स्व करेतर राजस्व	स्व राजस्व	केंद्रीय करों में अंश	केंद्र से सहायता	चालू अंतरण	
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=4+7
1980-81	4.6	2.2	6.8	2.6	1.8	4.4	11.2
1981-82	4.8	1.9	6.7	2.5	1.6	4.1	10.8
1982-83	5.0	1.9	6.9	2.4	1.8	4.2	11.1
1983-84	4.8	1.9	6.7	2.3	1.8	4.1	10.8
1984-85	4.9	1.8	6.7	2.3	1.9	4.3	11.0
1985-86	5.2	1.9	7.1	2.6	2.2	4.8	11.9
1986-87	5.3	2.0	7.3	2.7	2.2	4.9	12.1
1987-88	5.4	1.9	7.3	2.7	2.3	5.0	12.3
1988-89	5.3	1.8	7.1	2.5	2.3	4.8	11.9
1989-90	5.3	1.8	7.2	2.7	1.7	4.4	11.6
1990-91	5.3	1.6	6.9	2.5	2.2	4.7	11.7
1991-92	5.5	1.9	7.4	2.6	2.3	4.9	12.3
1992-93	5.3	1.7	7.0	2.7	2.4	5.1	12.1
1993-94	5.3	1.8	7.1	2.6	2.4	5.0	12.1
1994-95	5.3	2.1	7.4	2.4	2.0	4.4	11.8
1995-96	5.2	1.9	7.1	2.4	1.8	4.2	11.3
1996-97	5.0	1.7	6.7	2.5	1.7	4.2	10.9
1997-98	5.1	1.6	6.7	2.6	1.6	4.2	10.9
1998-99	4.9	1.4	6.3	2.3	1.3	3.6	9.9
1999-00	5.1	1.5	6.6	2.3	1.5	3.8	10.4
2000-01	5.4	1.5	6.9	2.4	1.8	4.2	11.1
2001-02	5.4	1.4	6.8	2.3	1.9	4.2	10.9
2002-03	5.6	1.4	7.0	2.3	1.8	4.1	11.1
2003-04	5.6	1.4	6.9	2.4	1.8	4.3	11.2
2004-05	5.8	1.5	7.3	2.5	1.8	4.3	11.5
2005-06	5.9	1.3	7.3	2.6	2.1	4.8	12.0
2006-07	6.1	1.5	7.6	2.9	2.3	5.2	12.8
2007-08 (सं.अ)	6.2	1.3	7.6	3.1	2.6	5.8	13.3
2008-09 (ब.अ.)	6.4	1.3	7.6	3.3	2.7	6.0	13.6

सं.अ: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

स्रोत : सभी राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 23 : राज्य सरकारों के स्व कर राजस्व

(सघउ से प्रतिशत)

वर्ष	आयकर	संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर	*जिसमें से*		पण्यों और लेनदेन पर कर	*जिसमें से*			स्व कर राजस्व
			स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	भू राजस्व		राज्य बिक्री कर/वैट	राज्य उत्पाद कर	वाहन कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 2 +3+6
1980-81	0.07	0.40	0.29	0.10	4.08	1.93	0.57	0.29	**4.55**
1981-82	0.07	0.42	0.30	0.12	4.33	2.12	0.65	0.27	**4.82**
1982-83	0.06	0.41	0.31	0.10	4.49	2.08	0.70	0.28	**4.96**
1983-84	0.07	0.39	0.28	0.11	4.37	2.07	0.71	0.28	**4.83**
1984-85	0.08	0.40	0.28	0.11	4.44	2.08	0.74	0.28	**4.92**
1985-86	0.10	0.43	0.30	0.13	4.64	2.32	0.73	0.29	**5.17**
1986-87	0.09	0.45	0.32	0.12	4.78	2.36	0.77	0.32	**5.31**
1987-88	0.08	0.48	0.35	0.13	4.84	2.47	0.80	0.33	**5.40**
1988-89	0.07	0.49	0.35	0.14	4.71	2.48	0.73	0.30	**5.28**
1989-90	0.09	0.52	0.38	0.14	4.71	2.42	0.79	0.29	**5.33**
1990-91	0.11	0.48	0.37	0.11	4.73	2.23	0.84	0.27	**5.33**
1991-92	0.10	0.51	0.41	0.10	4.86	2.53	0.83	0.28	**5.46**
1992-93	0.08	0.48	0.40	0.08	4.74	2.34	0.83	0.29	**5.30**
1993-94	0.08	0.50	0.41	0.08	4.73	2.45	0.81	0.30	**5.30**
1994-95	0.07	0.61	0.49	0.11	4.63	2.48	0.73	0.30	**5.31**
1995-96	0.07	0.60	0.48	0.11	4.51	2.26	0.69	0.31	**5.18**
1996-97	0.07	0.53	0.45	0.08	4.37	2.44	0.61	0.29	**4.97**
1997-98	0.07	0.54	0.46	0.07	4.52	2.40	0.70	0.31	**5.13**
1998-99	0.08	0.48	0.42	0.06	4.35	2.32	0.73	0.28	**4.91**
1999-00	0.09	0.49	0.43	0.05	4.50	2.32	0.74	0.31	**5.08**
2000-01	0.09	0.52	0.45	0.07	4.79	2.62	0.74	0.31	**5.40**
2001-02	0.13	0.56	0.48	0.08	4.71	2.49	0.72	0.33	**5.41**
2002-03	0.09	0.61	0.54	0.07	4.88	2.72	0.74	0.34	**5.57**
2003-04	0.08	0.65	0.56	0.08	4.86	2.44	0.69	0.36	**5.59**
2004-05	0.07	0.69	0.60	0.08	5.02	2.85	0.67	0.34	**5.78**
2005-06	0.07	0.77	0.69	0.08	5.09	2.93	0.70	0.33	**5.93**
2006-07	0.07	0.87	0.78	0.08	5.15	3.11	0.71	0.32	**6.09**
2007-08 (सं.अ)	0.07	0.91	0.82	0.08	5.25	3.13	0.73	0.33	**6.22**
2008-09 (ब.अ.)	0.06	0.93	0.84	0.08	5.36	3.24	0.74	0.34	**6.35**

वैट : मूल्यावर्धित कर सं.अ: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

स्रोत : सभी राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 24 : राज्य सरकारों का स्व-करेतर राजस्व

(सघउ से प्रतिशत)

वर्ष	ब्याज प्राप्तियां	सामान्य सेवाएं	लाभांश और लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	*जिसमें*					स्व करे तर राजस्व
						वनिकी और वन्य जीव	पावर	उद्योग	बड़े और मध्यम सिंचन	रास्ते	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 2 से 6
1980-81	0.57	0.58	0.01	0.18	0.91	0.36	0.03	0.05	0.06	0.06	**2.25**
1981-82	0.48	0.26	0.01	0.18	0.97	0.38	0.03	0.06	0.06	0.06	**1.89**
1982-83	0.52	0.22	0.01	0.20	0.95	0.38	0.02	0.06	0.05	0.06	**1.90**
1983-84	0.53	0.20	0.01	0.17	0.96	0.35	0.02	0.06	0.07	0.06	**1.87**
1984-85	0.51	0.23	0.01	0.14	0.94	0.31	0.02	0.07	0.04	0.05	**1.83**
1985-86	0.49	0.24	0.01	0.16	0.99	0.32	0.03	0.24	0.08	0.05	**1.88**
1986-87	0.54	0.22	0.01	0.15	1.03	0.30	0.03	0.27	0.05	0.05	**1.95**
1987-88	0.54	0.21	0.01	0.14	0.98	0.30	0.05	0.25	0.04	0.05	**1.88**
1988-89	0.56	0.22	0.01	0.13	0.86	0.24	0.04	0.28	0.04	0.05	**1.80**
1989-90	0.54	0.23	0.01	0.14	0.91	0.25	0.06	0.29	0.04	0.05	**1.83**
1990-91	0.42	0.34	0.01	0.10	0.76	0.20	0.03	0.21	0.04	0.04	**1.62**
1991-92	0.81	0.26	0.01	0.12	0.74	0.19	0.04	0.23	0.03	0.04	**1.94**
1992-93	0.52	0.25	0.01	0.11	0.82	0.17	0.03	0.31	0.04	0.05	**1.71**
1993-94	0.55	0.34	0.01	0.11	0.80	0.17	0.03	0.29	0.05	0.05	**1.80**
1994-95	0.53	0.70	0.01	0.09	0.79	0.16	0.04	0.30	0.04	0.05	**2.12**
1995-96	0.49	0.64	0.01	0.09	0.69	0.14	0.02	0.30	0.04	0.04	**1.92**
1996-97	0.59	0.38	0.01	0.09	0.63	0.12	0.03	0.27	0.03	0.04	**1.70**
1997-98	0.51	0.42	0.01	0.11	0.55	0.10	0.03	0.21	0.02	0.04	**1.59**
1998-99	0.42	0.31	0.01	0.10	0.54	0.08	0.04	0.22	0.03	0.03	**1.37**
1999-00	0.46	0.30	0.01	0.11	0.62	0.10	0.07	0.23	0.02	0.03	**1.51**
2000-01	0.52	0.29	0.01	0.11	0.54	0.07	0.04	0.22	0.04	0.03	**1.47**
2001-02	0.37	0.35	0.01	0.11	0.54	0.06	0.03	0.23	0.03	0.03	**1.38**
2002-03	0.36	0.36	0.01	0.12	0.58	0.08	0.04	0.25	0.03	0.03	**1.43**
2003-04	0.28	0.34	0.01	0.12	0.60	0.07	0.04	0.26	0.04	0.04	**1.35**
2004-05	0.27	0.35	0.01	0.11	0.73	0.07	0.16	0.26	0.04	0.02	**1.48**
2005-06	0.26	0.33	0.02	0.13	0.60	0.06	0.06	0.27	0.03	0.02	**1.34**
2006-07	0.29	0.45	0.02	0.17	0.61	0.05	0.09	0.28	0.04	0.02	**1.53**
2007-08 (सं.अ)	0.28	0.29	0.01	0.12	0.63	0.05	0.13	0.27	0.04	0.02	**1.33**
2008-09 (ब.अ.)	0.24	0.27	0.01	0.11	0.64	0.05	0.11	0.30	0.04	0.02	**1.26**

सं.अ: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

स्रोत : सभी राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	राजस्व घाटा/ सकल राजकोषीय घाटा			पूंजी परिव्यय/ सकल राजकोषीय घाटा			निवल उधार/ सकल राजकोषीय घाटा			विकासेतर व्यय/ कुल संवितरण		
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	-49.7	-4.9	-7.3	175.5	139.8	184.8	7.7	53.9	46.8	27.7	24.5	21.0
2. बिहार	-82.7	-106.1	-138.7	172.5	195.4	229.6	10.2	10.7	9.1	32.4	31.5	28.8
3. छत्तीसगढ़	8,050.7	-101.3	-93.0	-6,685.0	200.0	204.2	-1,265.7	1.3	-11.2	22.6	20.1	21.0
4. गोवा	-29.0	-0.5	-28.0	128.5	99.0	125.8	0.5	1.5	2.2	27.4	26.4	28.2
5. गुजरात	-31.3	-45.9	-0.7	138.9	141.3	99.7	-7.5	4.5	1.0	31.2	31.7	32.1
6. हरियाणा	134.9	-88.0	-70.2	-206.0	181.8	166.7	171.0	6.2	3.5	25.5	24.7	30.1
7. झारखंड	20.7	23.9	-96.3	52.3	60.3	173.5	27.0	15.8	22.7	22.9	27.4	26.6
8. कर्नाटक	-88.6	-49.0	-21.7	182.2	146.0	151.4	6.3	6.3	13.0	24.4	24.0	24.1
9. केरल	69.0	67.3	59.9	23.6	21.7	27.8	7.4	11.0	12.4	42.2	41.6	39.4
10. मध्य प्रदेश	-121.0	-74.6	-59.9	187.7	150.8	128.7	33.6	23.9	31.2	28.7	26.9	27.7
11. महाराष्ट्र	-7.0	-26.7	-7.3	87.4	115.0	102.5	19.7	11.8	4.8	33.7	30.1	37.4
12. उड़ीसा	274.6	-151.0	-22.2	-176.3	246.0	119.0	1.7	5.0	3.2	39.7	35.9	37.4
13. पंजाब	39.9	34.0	35.1	59.0	68.4	67.0	1.1	-2.4	-2.1	39.7	43.9	45.5
14. राजस्थान	-16.1	-4.6	-23.2	121.2	132.3	122.9	-5.1	-27.8	0.2	33.1	30.8	30.3
15. तमिलनाडु	-66.9	-12.4	-0.9	150.5	105.4	95.7	16.5	6.9	5.1	29.7	30.4	30.6
16. उत्तर प्रदेश	-51.0	-87.7	-93.8	145.4	184.7	192.8	5.5	2.9	1.0	33.3	29.8	30.1
17. पश्चिम बंगाल	72.9	68.1	65.0	17.7	24.6	27.1	9.4	7.3	7.9	43.6	40.2	40.5
कुल I	**-22.1**	**-15.3**	**-15.7**	**116.5**	**113.4**	**120.0**	**8.1**	**10.6**	**10.1**	**32.2**	**30.5**	**31.0**
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	653.7	-191.9	149.8	-550.8	291.4	-49.5	-2.8	0.5	-0.3	21.0	17.4	18.5
2. असम	310.7	-2.9	-128.5	-204.3	99.0	222.8	-6.5	3.9	5.7	32.1	29.1	27.6
3. हिमाचल प्रदेश	-20.7	3.3	-3.6	120.5	96.1	99.6	0.3	0.5	4.1	33.3	35.5	32.2
4. जम्मू और कश्मीर	-131.0	-84.9	-154.9	227.9	183.4	252.3	3.2	1.5	2.6	33.0	35.0	31.3
5. मणिपुर	-94.4	-1,030.0	-832.7	182.6	1,120.4	928.1	11.8	9.6	4.5	27.8	26.2	25.2
6. मेघालय	-314.9	-607.6	-416.8	429.9	690.4	487.7	-15.0	17.2	29.0	31.1	23.6	23.6
7. मिजोरम	-131.7	-280.4	-140.9	244.2	390.7	253.2	-12.4	-10.3	-12.3	27.9	24.8	29.7
8. नागालैंड	-352.7	-92.9	-236.6	455.4	192.2	335.2	-2.6	0.7	1.4	35.3	34.6	39.7
9. सिक्किम	-236.4	-162.9	-120.7	337.0	263.0	220.7	-0.6	-0.1	-0.1	56.3	51.8	43.7
10. त्रिपुरा	648.5	-123.9	-97.0	-550.7	224.0	197.1	2.2	-0.1	-0.1	37.4	34.7	37.5
11. उत्तराखंड	-101.2	-68.9	-155.3	191.8	162.3	242.6	9.4	6.6	12.7	30.0	27.7	26.6
कुल II	**-255.7**	**-71.7**	**-147.4**	**349.9**	**168.9**	**242.4**	**5.9**	**2.7**	**5.0**	**32.6**	**31.2**	**29.8**
सभी राज्य (I+II)	**-32.1**	**-20.9**	**-25.2**	**126.5**	**118.9**	**128.9**	**8.0**	**9.8**	**9.7**	**32.2**	**30.6**	**30.9**
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-1,081.4	-227.0	-345.6	434.4	172.8	249.0	747.0	154.2	196.6	32.6	24.0	22.6
2. पुदुचेरी	10.9	47.4	80.9	90.4	54.2	19.3	-1.3	-1.6	-0.2	20.9	22.0	17.5

(जारी)

विवरण 1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

राज्य	ब्याज भुगतान/ राजस्व व्यय			राज्य का अपना कर राजस्व/ राजस्व व्यय			राज्य का अपना करेतर राजस्व/ राजस्व व्यय			सकल अंतरण/ कुल संवितरण		
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	17.6	15.5	12.8	57.7	56.4	53.9	15.7	12.3	12.6	25.0	24.0	27.4
2. बिहार	16.6	15.4	13.1	19.6	19.7	18.2	2.5	1.7	1.5	68.3	68.9	72.3
3. छत्तीसगढ़	11.7	8.9	8.3	57.3	46.2	47.1	16.5	12.8	13.1	41.8	42.5	41.1
4. गोवा	17.3	15.5	16.7	52.3	45.6	47.7	37.2	34.7	34.7	12.7	15.5	19.5
5. गुजरात	23.7	22.7	21.3	63.2	65.8	61.9	16.9	13.8	11.7	20.1	22.0	21.4
6. हरियाणा	13.8	13.0	12.5	66.8	69.4	70.5	28.1	22.3	19.9	12.5	13.7	13.6
7. झारखंड	6.9	15.1	15.7	27.8	27.1	40.8	12.8	12.2	21.4	35.5	35.2	38.9
8. कर्नाटक	12.7	12.5	11.5	69.7	71.9	69.7	12.3	4.8	4.2	24.6	28.5	25.4
9. केरल	20.1	18.2	18.2	57.3	53.5	55.8	4.5	4.1	4.6	23.8	23.2	27.8
10. मध्य प्रदेश	18.0	15.9	14.2	46.8	44.9	45.0	11.9	9.7	9.6	43.0	45.1	46.1
11. महाराष्ट्र	19.0	18.2	15.7	65.3	70.4	65.7	12.2	8.6	8.5	19.9	21.5	22.8
12. उड़ीसा	20.2	20.6	19.0	38.5	34.5	32.0	16.4	9.7	9.4	52.3	55.4	56.4
13. पंजाब	22.4	17.8	19.1	48.6	42.2	44.5	21.4	27.2	21.3	14.6	21.5	23.2
14. राजस्थान	22.8	19.8	20.3	46.5	43.0	45.8	13.7	12.9	11.3	34.2	35.9	38.0
15. तमिलनाडु	14.4	13.5	11.6	72.6	64.1	64.5	8.9	6.6	6.4	19.6	26.2	26.0
16. उत्तर प्रदेश	18.8	16.2	15.3	41.3	41.0	43.2	11.7	10.0	8.1	41.9	47.5	47.4
17. पश्चिम बंगाल	31.8	29.0	28.5	34.2	34.9	37.3	3.7	4.0	4.1	32.8	34.5	35.6
कुल I	**18.9**	**17.4**	**16.1**	**53.1**	**51.8**	**51.9**	**12.5**	**10.1**	**9.5**	**30.1**	**33.1**	**33.9**
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	9.9	7.1	7.7	4.1	3.0	3.2	15.7	22.3	17.6	82.6	69.4	94.4
2. असम	13.2	10.7	9.5	30.4	20.2	20.1	16.2	11.1	11.2	62.6	56.7	64.7
3. हिमाचल प्रदेश	21.8	22.0	19.6	21.7	24.8	24.7	17.5	13.8	13.2	48.4	47.9	47.5
4. जम्मू और कश्मीर	11.9	17.4	13.4	18.9	19.7	22.4	6.0	8.4	9.6	72.0	65.3	66.9
5. मणिपुर	12.0	12.0	12.0	5.0	5.8	6.4	7.5	8.3	8.5	70.8	81.0	80.0
6. मेघालय	10.6	8.2	7.2	16.0	12.1	12.1	9.7	6.6	6.2	71.4	79.4	78.7
7. मिजोरम	13.3	9.1	10.0	3.9	3.5	3.7	7.8	6.5	5.8	77.3	82.8	82.4
8. नागालैंड	12.6	10.8	12.3	5.4	4.8	5.2	4.1	4.1	4.5	83.1	76.2	80.6
9. सिक्किम	6.1	5.3	6.0	9.2	6.1	6.8	57.5	57.1	51.2	38.3	42.0	44.4
10. त्रिपुरा	15.6	13.1	11.2	13.8	12.9	13.0	3.8	3.8	3.5	87.9	73.1	70.4
11. उत्तराखंड	14.9	14.6	14.4	38.8	35.4	36.0	10.0	10.9	10.4	49.7	49.0	52.8
कुल II	**14.0**	**13.5**	**12.2**	**21.4**	**19.0**	**19.7**	**13.0**	**12.1**	**11.5**	**64.3**	**61.0**	**64.4**
सभी राज्य (I+II)	**18.4**	**17.0**	**15.7**	**49.9**	**48.4**	**48.7**	**12.5**	**10.3**	**9.7**	**33.5**	**36.1**	**37.1**
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	28.5	24.8	22.1	131.0	118.3	123.7	18.9	18.1	18.5	4.4	7.6	8.6
2. पुदुचेरी	9.7	9.8	8.5	29.6	27.1	24.6	28.5	25.8	21.9	50.6	33.6	26.7

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान. '-' : नगण्य/शून्य/लागू नहीं

टिप्पणी : 1. ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है।
2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 2 : राजस्व घाटा / अधिशेष

(करोड़ रुपए)

राज्य	2006-07 (लेखा)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	44,245	41,438	2,807	56,127	55,676	451	70,927	70,218	709
2. बिहार	23,083	20,585	2,498	28,557	24,764	3,793	33,551	28,938	4,613
3. छत्तीसगढ़	11,450	8,802	2,647	14,387	12,598	1,789	15,656	13,879	1,778
4. गोवा	2,610	2,468	141	2,914	2,911	3	3,510	3,284	226
5. गुजरात	31,002	29,232	1,770	34,979	32,640	2,340	38,278	38,226	52
6. हरियाणा	17,952	16,362	1,590	19,630	18,135	1,495	21,695	20,281	1,414
7. झारखंड	10,144	11,234	-1,090	11,612	13,096	-1,484	15,782	13,582	2,200
8. कर्नाटक	37,587	33,435	4,152	40,840	37,859	2,981	47,240	45,713	1,527
9. केरल	18,187	20,825	-2,638	21,497	26,141	-4,644	24,936	28,303	-3,367
10. मध्य प्रदेश	25,694	22,363	3,332	29,840	26,484	3,356	34,404	31,564	2,840
11. महाराष्ट्र	62,195	61,385	810	68,989	66,229	2,760	79,911	78,946	965
12. उड़ीसा	18,033	15,772	2,261	21,381	19,699	1,682	23,270	22,707	564
13. पंजाब	16,795	18,544	-1,749	22,803	24,494	-1,691	23,261	25,261	-2,000
14. राजस्थान	25,592	24,954	638	30,128	29,881	247	32,986	31,803	1,183
15. तमिलनाडु	40,913	38,265	2,648	46,517	45,601	916	51,506	51,422	84
16. उत्तर प्रदेश	60,600	55,699	4,901	76,565	67,551	9,015	85,806	74,829	10,978
17. पश्चिम बंगाल	25,828	34,161	-8,333	31,360	39,498	-8,139	36,066	43,436	-7,370
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	2,592	1,897	695	3,307	2,642	665	3,904	2,963	941
2. असम	13,667	11,457	2,210	17,443	17,353	90	22,193	20,039	2,154
3. हिमाचल प्रदेश	7,835	7,644	191	7,861	7,905	-45	9,398	9,328	70
4. जम्मू और कश्मीर	11,981	10,067	1,914	13,901	11,685	2,216	15,317	11,927	3,390
5. मणिपुर	2,863	2,415	448	3,600	2,444	1,156	3,637	2,491	1,146
6. मेघालय	2,142	1,908	235	3,242	2,733	509	3,703	3,180	522
7. मिजोरम	1,969	1,717	252	2,362	1,974	389	2,218	2,033	185
8. नागालैंड	2,773	2,222	550	3,159	2,688	471	3,266	2,678	588
9. सिक्किम	2,117	1,888	229	2,856	2,423	433	2,689	2,237	452
10. त्रिपुरा	3,333	2,483	851	3,622	2,958	664	4,269	3,481	788
11. उत्तराखंड	7,373	6,477	896	9,262	8,155	1,107	10,457	8,663	1,794
सभी राज्य	**5,30,556**	**5,05,699**	**24,857**	**6,28,742**	**6,06,216**	**22,526**	**7,19,835**	**6,91,409**	**28,426**
ज्ञापन मद :									
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	12,194	7,755	4,438	15,188	10,105	5,082	17,648	11,192	6,456
2. पुदुचेरी	1,884	1,927	-43	1,986	2,227	-241	2,086	2,979	-893

टिप्पणी : जम्मू कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित है।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 3 : परंपरागत घाटा / अधिशेष

(करोड़ रुपए)

राज्य	2006-07 (लेखा)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	परंपरागत अधिशेष (+)/ घाटा (-)	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	परंपरागत अधिशेष (+)/ घाटा (-)	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	परंपरागत अधिशेष (+)/ घाटा (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	57,794	56,648	1,146	79,069	78,803	267	97,908	97,773	134
2. बिहार	26,607	27,136	-529	32,475	33,784	-1,308	38,518	38,574	-56
3. छत्तीसगढ़	12,923	11,991	932	16,868	17,022	-154	18,734	18,789	-54
4. गोवा	3,312	3,176	136	3,679	3,728	-48	4,489	4,496	-8
5. गुजरात	40,456	39,200	1,256	43,637	42,119	1,518	48,556	49,432	-876
6. हरियाणा	22,776	19,638	3,138	21,719	22,252	-534	25,638	25,045	593
7. झारखंड	15,294	15,726	-432	16,210	18,360	-2,149	18,479	18,851	-372
8. कर्नाटक	45,584	44,085	1,499	44,937	48,488	-3,552	59,108	59,147	-39
9. केरल	23,985	23,159	826	29,026	29,907	-881	32,799	32,604	195
10. मध्य प्रदेश	31,696	30,217	1,479	36,288	36,068	220	41,399	41,279	120
11. महाराष्ट्र	77,281	75,841	1,440	74,389	82,279	-7,890	98,201	96,563	1,639
12. उड़ीसा	20,982	19,346	1,636	24,903	25,006	-103	28,536	27,948	588
13. पंजाब	21,603	26,297	-4,693	28,729	29,115	-386	28,764	30,029	-1,266
14. राजस्थान	32,614	31,856	758	39,691	39,095	595	41,300	40,620	680
15. तमिलनाडु	52,233	51,147	1,086	56,388	58,648	-2,260	63,520	64,624	-1,104
16. उत्तर प्रदेश	81,974	74,983	6,992	85,557	89,675	-4,117	1,02,803	1,00,973	1,831
17. पश्चिम बंगाल	38,900	41,203	-2,303	47,141	48,074	-933	52,874	52,392	482
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	2,848	2,786	62	3,804	3,833	-29	4,336	3,482	854
2. असम	15,160	13,485	1,675	19,625	21,429	-1,804	24,313	24,771	-459
3. हिमाचल प्रदेश	9,844	10,091	-247	10,049	10,031	18	12,345	12,352	-7
4. जम्मू और कश्मीर	13,875	13,873	2	17,046	17,046	–	18,150	18,120	30
5. मणिपुर	3,554	3,626	-72	4,094	4,027	67	4,205	4,093	112
6. मेघालय	2,464	2,320	144	3,681	3,448	233	4,124	3,973	151
7. मिजोरम	2,215	2,295	-80	2,576	2,638	-62	2,542	2,488	54
8. नागालैंड	3,158	3,085	73	3,631	3,837	-207	3,675	3,733	-58
9. सिक्किम	2,290	2,253	37	3,179	3,178	–	3,142	3,142	–
10. त्रिपुरा	3,687	3,301	386	3,723	4,279	-555	4,522	5,249	-727
11. उत्तराखंड	8,494	8,516	-22	11,264	11,320	-56	12,162	12,241	-79
सभी राज्य	**6,73,605**	**6,57,280**	**16,324**	**7,63,377**	**7,87,489**	**-24,112**	**8,95,141**	**8,92,783**	**2,358**
ज्ञापन मद :									
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	16,424	12,966	3,458	16,141	18,606	-2,465	17,946	20,200	-2,254
2. पुदुचेरी	2,335	2,387	-51	2,432	2,615	-183	3,437	3,318	119

'-' : शून्य/नगण्य

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 4 : सकल राजकोषीय घाटा / अधिशेष

(करोड़ रुपए)

राज्य	2006-07 (लेखा)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष (-)/ घाटा (+)	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष (-)/ घाटा (+)	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष (-)/ घाटा (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	46,135	51,778	5,643	64,327	73,564	9,237	82,927	92,585	9,658
2. बिहार	23,083	26,104	3,021	28,557	32,132	3,575	33,551	36,876	3,325
3. छत्तीसगढ़	11,450	11,417	-33	14,387	16,153	1,766	15,656	17,568	1,912
4. गोवा	2,610	3,097	487	2,914	3,639	725	3,510	4,317	807
5. गुजरात	31,005	36,654	5,649	34,979	40,081	5,102	38,278	46,045	7,767
6. हरियाणा	17,952	16,774	-1,179	19,630	21,329	1,699	21,695	23,711	2,016
7. झारखंड	10,144	15,402	5,257	11,612	17,829	6,217	15,782	18,068	2,286
8. कर्नाटक	37,587	42,275	4,688	41,040	47,126	6,085	50,240	57,270	7,030
9. केरल	18,189	22,010	3,822	21,497	28,398	6,901	24,936	30,561	5,626
10. मध्य प्रदेश	25,703	28,457	2,754	29,840	34,338	4,498	34,404	39,145	4,741
11. महाराष्ट्र	62,195	73,748	11,553	68,989	79,308	10,319	79,911	93,069	13,158
12. उड़ीसा	18,033	17,209	-823	21,381	22,495	1,114	23,270	25,807	2,537
13. पंजाब	16,795	21,179	4,384	22,803	27,781	4,978	23,261	28,959	5,698
14. राजस्थान	25,592	29,562	3,970	30,128	35,549	5,421	32,986	38,088	5,102
15. तमिलनाडु	40,913	44,869	3,956	46,517	53,928	7,411	51,506	61,298	9,792
16. उत्तर प्रदेश	60,600	70,215	9,615	76,565	86,849	10,284	85,806	97,505	11,699
17. पश्चिम बंगाल	25,828	37,259	11,431	31,360	43,305	11,946	36,066	47,404	11,338
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	2,592	2,486	-106	3,307	3,654	347	3,904	3,276	-628
2. असम	13,667	12,956	-711	17,443	20,581	3,138	22,193	23,869	1,676
3. हिमाचल प्रदेश	7,835	8,756	921	7,861	9,197	1,337	9,398	11,337	1,939
4. जम्मू और कश्मीर	11,983	13,444	1,461	13,901	16,510	2,609	15,317	17,506	2,189
5. मणिपुर	2,863	3,338	475	3,600	3,713	112	3,637	3,775	138
6. मेघालय	2,142	2,217	75	3,242	3,325	84	3,703	3,828	125
7. मिजोरम	1,969	2,160	191	2,362	2,501	139	2,218	2,349	131
8. नागालैंड	2,773	2,929	156	3,159	3,666	507	3,266	3,514	248
9. सिक्किम	2,117	2,213	97	2,856	3,122	266	2,689	3,064	375
10. त्रिपुरा	3,333	3,202	-131	3,622	4,159	536	4,269	5,081	812
11. उत्तराखंड	7,373	8,259	886	9,262	10,869	1,607	10,457	11,612	1,155
सभी राज्य	**5,32,461**	**6,09,969**	**77,508**	**6,37,142**	**7,45,101**	**1,07,958**	**7,34,835**	**8,47,488**	**1,12,653**
ज्ञापन मद :									
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	12,194	12,604	410	15,188	17,427	2,239	17,648	19,516	1,868
2. पुदुचेरी	1,884	2,282	399	1,986	2,495	508	2,086	3,189	1,103

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 5 : सकल राजकोषीय का नियोजन

(करोड़ रुपए)

राज्य	2006-07 (लेखा)					2007-08 (संशोधित अनुमान)					2008-09 (बजट अनुमान)				
	राजस्व घाटा	पूंजीगत परिव्यय	निवल उधार	ऋणेतर पूंजी प्राप्ति	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	पूंजीगत परिव्यय	निवल उधार	ऋणेतर पूंजी प्राप्ति	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	पूंजीगत परिव्यय	निवल उधार	ऋणेतर पूंजी प्राप्ति	सकल राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5	6= (2+3+4-5)	7	8	9	10	11= (7+8+9-10)	12	13	14	15	16= (12+13+14-15)
I. गैर-विशेष श्रेणी															
1. आंध्र प्रदेश	-2,807	9,904	435	1,889	5,643	-451	12,912	4,976	8,200	9,237	-709	17,852	4,515	12,000	9,658
2. बिहार	-2,498	5,211	308	–	3,021	-3,793	6,984	384	–	3,575	-4,613	7,635	303	–	3,325
3. छत्तीसगढ़	-2,647	2,198	416	–	-33	-1,789	3,532	23	–	1,766	-1,778	3,903	-214	–	1,912
4. गोवा	-141	626	2	–	487	-3	718	11	–	725	-226	1,015	17	–	807
5. गुजरात	-1,770	7,845	-424	3	5,648	-2,340	7,210	231	–	5,102	-52	7,740	79	–	7,767
6. हरियाणा	-1,590	2,428	-2,016	–	-1,179	-1,495	3,088	105	–	1,699	-1,414	3,360	70	–	2,016
7. झारखंड	1,090	2,750	1,418	–	5,257	1,484	3,748	985	–	6,217	-2,200	3,966	520	–	2,286
8. कर्नाटक	-4,152	8,543	297	–	4,688	-2,981	8,886	381	200	6,085	-1,527	10,640	917	3,000	7,030
9. केरल	2,638	903	283	2	3,822	4,644	1,499	757	–	6,901	3,367	1,562	697	–	5,626
10. मध्य प्रदेश	-3,332	5,170	925	9	2,754	-3,356	6,782	1,073	–	4,498	-2,840	6,100	1,481	–	4,741
11. महाराष्ट्र	-810	10,092	2,271	–	11,553	-2,760	11,862	1,217	–	10,319	-965	13,493	630	–	13,158
12. उड़ीसा	-2,261	1,451	-14	–	-823	-1,682	2,740	56	–	1,114	-564	3,020	81	–	2,537
13. पंजाब	1,749	2,587	49	–	4,384	1,691	3,405	-117	–	4,978	2,000	3,817	-118	–	5,698
14. राजस्थान	-638	4,809	-201	–	3,970	-247	7,174	-1,506	–	5,421	-1,183	6,272	13	–	5,102
15. तमिलनाडु	-2,648	5,952	652	–	3,956	-916	7,812	515	–	7,411	-84	9,373	503	–	9,792
16. उत्तर प्रदेश	-4,901	13,984	532	–	9,615	-9,015	18,995	303	–	10,284	-10,978	22,554	122	–	11,699
17. पश्चिम बंगाल	8,333	2,018	1,079	–	11,431	8,139	2,938	869	–	11,946	7,370	3,072	896	–	11,338
II. विशेष श्रेणी															
1. अरुणाचल प्रदेश	-695	586	3	–	-106	-665	1,010	2	–	347	-941	311	2	–	-628
2. असम	-2,210	1,453	46	–	-711	-90	3,105	123	–	3,138	-2,154	3,734	96	–	1,676
3. हिमाचल प्रदेश	-191	1,110	2	–	921	45	1,285	7	–	1,337	-70	1,931	79	–	1,939
4. जम्मू और कश्मीर	-1,914	3,330	47	2	1,462	-2,216	4,785	39	–	2,609	-3,390	5,522	56	–	2,189
5. मणिपुर	-448	867	56	–	475	-1,156	1,257	11	–	112	-1,146	1,277	6	–	138
6. मेघालय	-235	320	-11	–	75	-509	578	14	–	84	-522	611	36	–	125
7. मिजोरम	-252	466	-24	–	191	-389	541	-14	–	139	-185	333	-16	–	131
8. नागालैंड	-550	710	-4	–	156	-471	975	3	–	507	-588	833	3	–	248
9. सिक्किम	-229	326	-0.6	–	97	-433	699	–	–	266	-452	828	–	–	375
10. त्रिपुरा	-851	722	-3	–	-131	-664	1,201	-1	–	536	-788	1,602	-1	–	812
11. उत्तराखंड	-896	1,699	83	–	886	-1,107	2,607	107	–	1,607	-1,794	2,802	147	–	1,155
सभी राज्य	**-24,857**	**98,063**	**6,207**	**1,906**	**77,508**	**-22,526**	**1,28,331**	**10,554**	**8,400**	**1,07,958**	**-28,426**	**1,45,159**	**10,920**	**15,000**	**1,12,653**
ज्ञापन मद :															
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-4,438	1,783	3,066	–	410	-5,082	3,869	3,452	–	2,239	-6,456	4,651	3,673	–	1,868
2. पुदुचेरी	43	360	-5	–	399	241	275	-8	–	508	893	213	-3	–	1,103

'-' : शून्य/नगण्य

टिप्पणी : 1. ऋणात्मक (-) चिह्न घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है।

2. झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 6 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 2006-07 (लेखा)

(करोड़ रुपए)

राज्य (कॉ 2 से 12)	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेक्षण	अन्य	समग्र अधिशेष (-)/ घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+)/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	2,196	-876	3,997	511	699	19	2,062	-252	-34	-1,534	-1,146	5,643
2. बिहार	-413	-310	2,036	228	395	–	869	-43	-63	-209	529	3,021
3. छत्तीसगढ़	-95	42	736	83	10	-201	313	32	27	-48	-932	-33
4. गोवा	81	-18	526	-8	59	-3	51	-49	-1	-15	-136	487
5. गुजरात	-446	-564	5,473	-27	285	312	830	451	-223	816	-1,256	5,649
6. हरियाणा	-147	-90	1,099	116	365	-48	378	382	-16	-80	-3,138	-1,179
7. झारखंड	253	-137	1,476	997	198	–	133	52	-18	1,871	432	5,257
8. कर्नाटक	-233	-83	2,478	191	659	1,190	1,805	236	514	-570	-1,499	4,688
9. केरल	1,785	-46	2,178	438	-307	-45	428	320	-4	-101	-826	3,822
10. मध्य प्रदेश	1,063	-311	2,045	515	158	318	782	73	23	-433	-1,479	2,754
11. महाराष्ट्र	1,168	95	8,839	-91	640	1,646	1,714	275	-1,315	22	-1,440	11,553
12. उड़ीसा	-789	-39	1,036	170	598	271	-66	26	-74	-320	-1,636	-823
13. पंजाब	738	-4,008	2,802	-311	402	266	-102	36	-15	-117	4,693	4,384
14. राजस्थान	1,065	-295	1,745	165	1,245	460	592	49	–	-298	-758	3,970
15. तमिलनाडु	1,372	-213	3,898	301	256	168	1,130	963	52	-2,885	-1,086	3,956
16. उत्तर प्रदेश	2,219	-1,795	5,831	3	2,733	2,962	1,794	2,277	407	176	-6,992	9,615
17. पश्चिम बंगाल	843	-255	7,842	-20	314	-27	893	383	244	-1,089	2,303	11,431
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	26	39	30	53	63	–	-50	-90	-5	-111	-62	-106
2. असम	592	5	-18	71	349	77	-127	87	-44	-28	-1,675	-711
3. हिमाचल प्रदेश	467	-91	670	31	322	6	-489	-7	73	-309	247	921
4. जम्मू और कश्मीर	167	408	300	250	531	212	-291	33	–	-149	–	1,461
5. मणिपुर	224	-239	230	-1	63	-7	15	-75	198	-3	72	475
6. मेघालय	164	-26	21	16	36	3	-4	18	5	-13	-144	75
7. मिजोरम	108	-26	8	29	143	2	-128	14	-27	-13	80	191
8. नागालैंड	242	-17	14	36	-7	-21	92	-60	-78	28	-73	156
9. सिक्किम	97	-8	6	13	16	-10	5	6	12	-4	-37	97
10. त्रिपुरा	15	-22	145	21	56	18	2	27	22	-13	-386	-131
11. उत्तराखंड	319	-9	580	158	89	66	166	-491	35	-48	22	886
सभी राज्य	**13,083**	**-8,887**	**56,023**	**3,937**	**10,370**	**7,634**	**12,796**	**4,675**	**-305**	**-5,492**	**-16,322**	**77,508**
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	3,869	–	–	–	–	–	–	–	-3,458	410
2. पुदुचेरी	–	350	-3	–	–	–	–	–	–	–	51	399

'-' : शून्य/नगण्य

टिप्पणी : 1. परिरशिष्ट सारणी 17 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अत: इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं है।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मितता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मितता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 7 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2006-07 (लेखा)

(प्रतिशत)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेक्षण	अन्य	समग्र अधिशेष (-)/ घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+)/ (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	38.9	-15.5	70.8	9.1	12.4	0.3	36.5	-4.5	-0.6	-27.2	-37.9	100.0
2. बिहार	-13.7	-10.3	67.4	7.5	13.1	–	28.8	-1.4	-2.1	-6.9	17.5	100.0
3. छत्तीसगढ़	289.7	-127.9	-2,239.1	-252.5	-29.4	609.8	-951.2	-98.7	-81.6	146.2	2,834.6	100.0
4. गोवा	16.6	-3.7	108.1	-1.7	12.0	-0.6	10.5	-10.0	-0.2	-3.0	-28.0	100.0
5. गुजरात	-7.9	-10.0	96.9	-0.5	5.0	5.5	14.7	8.0	-4.0	14.4	-22.2	100.0
6. हरियाणा	12.5	7.7	-93.2	-9.9	-31.0	4.1	-32.0	-32.4	1.3	6.8	266.2	100.0
7. झारखंड	4.8	-2.6	28.1	19.0	3.8	–	2.5	1.0	-0.3	35.6	8.2	100.0
8. कर्नाटक	-5.0	-1.8	52.9	4.1	14.1	25.4	38.5	5.0	11.0	-12.2	-32.0	100.0
9. केरल	46.7	-1.2	57.0	11.5	-8.0	-1.2	11.2	8.4	-0.1	-2.6	-21.6	100.0
10. मध्य प्रदेश	38.6	-11.3	74.2	18.7	5.7	11.6	28.4	2.6	0.8	-15.7	-53.7	100.0
11. महाराष्ट्र	10.1	0.8	76.5	-0.8	5.5	14.2	14.8	2.4	-11.4	0.2	-12.5	100.0
12. उड़ीसा	95.9	4.7	-125.8	-20.6	-72.6	-33.0	8.1	-3.2	9.0	38.9	198.7	100.0
13. पंजाब	16.8	-91.4	63.9	-7.1	9.2	6.1	-2.3	0.8	-0.3	-2.7	107.1	100.0
14. राजस्थान	26.8	-7.4	43.9	4.2	31.4	11.6	14.9	1.2	–	-7.5	-19.1	100.0
15. तमिलनाडु	34.7	-5.4	98.5	7.6	6.5	4.2	28.6	24.3	1.3	-72.9	-27.5	100.0
16. उत्तर प्रदेश	23.1	-18.7	60.6	0.1	28.4	30.8	18.7	23.7	4.2	1.8	-72.7	100.0
17. पश्चिम बंगाल	7.4	-2.2	68.6	-0.5	2.7	-0.2	7.8	3.4	2.1	-9.5	20.1	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	-24.2	-36.9	-28.2	-49.5	-59.2	4.1	47.1	84.3	4.4	104.4	57.9	100.0
2. असम	-83.2	-0.7	2.6	-10.0	-49.1	-10.8	17.8	-12.3	6.2	4.0	235.5	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	50.8	-9.8	72.8	3.3	35.0	0.7	-53.1	-0.8	8.0	-33.6	26.8	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	11.5	27.9	20.5	17.1	36.3	14.5	-19.9	2.2	–	-10.2	–	100.0
5. मणिपुर	47.2	-50.3	48.3	-0.3	13.3	-1.5	3.1	-15.8	41.6	-0.7	15.1	100.0
6. मेघालय	220.5	-35.5	28.4	22.0	48.7	–	-5.0	24.3	7.1	-16.9	-193.6	100.0
7. मिजोरम	56.7	-13.7	4.4	15.0	75.0	0.9	-66.9	7.5	-13.9	-6.9	41.9	100.0
8. नागालैंड	155.1	-10.8	9.2	22.9	-4.5	-13.3	58.9	-38.6	-49.8	18.0	-47.0	100.0
9. सिक्किम	100.6	-8.7	5.8	-13.4	16.8	-10.2	5.6	6.0	12.3	-3.9	-37.7	100.0
10. त्रिपुरा	-11.5	16.7	-110.5	15.7	-43.0	-13.9	-1.2	-20.4	-17.0	22.6	293.8	100.0
11. उत्तराखंड	36.0	-1.0	65.5	17.9	10.0	7.4	18.8	-55.5	3.9	-5.5	2.5	100.0
सभी राज्य	**16.9**	**-11.5**	**72.3**	**5.1**	**13.4**	**9.8**	**16.5**	**6.0**	**-0.4**	**-7.1**	**-21.1**	**100.0**
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	-0.1	942.7	–	–	–	–	–	–	–	-842.6	100.0
2. पुदुचेरी	–	87.9	-0.7	–	–	–	–	–	–	–	12.9	100.0

'-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. परिरिशिष्ट सारणी 17 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अत: इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं है।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मितता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मितता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 8 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2007-08 (सं.अ.)

(करोड़ रुपए)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेक्षण	अन्य	समग्र अधिशेष (-)/ घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+)/ (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	7,595	315	796	874	791	340	698	–	–	-1,904	-267	9,237
2. बिहार	1,338	-415	1,815	622	250	-700	-434	–	–	-208	1,308	3,575
3. छत्तीसगढ़	853	265	95	284	-10	84	8	-5	83	-45	154	1,766
4. गोवा	499	-10	133	9	30	–	16	–	–	–	48	725
5. गुजरात	5,858	-274	459	-28	–	-200	–	–	–	805	-1,518	5,102
6. हरियाणा	-253	35	51	205	431	19	365	304	–	9	534	1,699
7. झारखंड	1,605	-139	390	826	218	–	-162	1	-20	1,347	2,149	6,217
8. कर्नाटक	-465	1,527	421	470	1,013	–	–	-370	–	-61	3,552	6,085
9. केरल	3,633	278	107	616	1,651	-24	181	16	-334	-105	881	6,901
10. मध्य प्रदेश	3,557	434	422	573	151	-165	93	–	-1	-345	-220	4,498
11. महाराष्ट्र	7,766	578	1,475	844	780	-11,384	2,661	-1	-4	-286	7,890	10,319
12. उड़ीसा	82	751	-174	296	301	–	-100	-6	–	-138	103	1,114
13. पंजाब	3,794	122	457	-233	541	–	–	–	–	-88	386	4,978
14. राजस्थान	3,233	207	-223	292	1,304	1,044	200	14	–	-54	-595	5,421
15. तमिलनाडु	4,127	778	-516	557	938	155	1,305	-1,913	23	-303	2,260	7,411
16. उत्तर प्रदेश	4,287	-687	1,967	294	1,718	1,357	288	-3,000	2	-59	4,117	10,284
17. पश्चिम बंगाल	10,740	-366	467	-7	349	-340	203	–	–	-33	933	11,946
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	174	19	40	64	150	–	-9	–	–	-121	29	347
2. असम	963	-84	17	171	384	–	–	–	–	-118	1,804	3,138
3. हिमाचल प्रदेश	1,338	-54	200	101	350	–	–	–	–	-581	-18	1,337
4. जम्मू और कश्मीर	1,402	403	208	300	509	131	-309	49	–	-85	–	2,609
5. मणिपुर	194	-238	230	4	23	–	-51	–	17	-1	-67	112
6. मेघालय	234	-12	42	23	42	–	-3	8	1	-17	-233	84
7. मिजोरम	124	–	5	6	147	-4	-98	9	-70	-42	62	139
8. नागालैंड	290	–	4	23	-3	-19	-55	–	–	61	207	507
9. सिक्किम	237	-5	-2	24	17	4	–	–	–	-8	–	266
10. त्रिपुरा	-45	-28	9	29	48	-5	15	9	-19	-31	555	536
11. उत्तराखंड	391	35	632	143	25	85	215	25	–	-1	56	1,607
सभी राज्य	**63,553**	**3,435**	**9,527**	**7,381**	**12,147**	**-9,625**	**5,026**	**-4,861**	**-322**	**-2,414**	**24,112**	**1,07,958**
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	-225	–	–	–	–	–	–	–	2,465	2,239
2. पुदुचेरी	–	-30	-7	353	2	–	7	–	–	–	183	508

'-' : नगण्य/शून्य सं.अ. : संशोधित अनुमान

टिप्पणी : 1. परिरशिष्ट सारणी 17 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अत: इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं है।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मितता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मितता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 9 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2007-08 (सं.अ.)

(प्रतिशत)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेक्षण	अन्य	समग्र अधिशेष (-)/ घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+)/ (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	82.2	3.4	8.6	9.5	8.6	3.7	7.6	–	–	-20.6	-2.9	100.0
2. बिहार	37.4	-11.6	50.8	17.4	7.0	-19.6	-12.1	–	–	-5.8	36.6	100.0
3. छत्तीसगढ़	48.3	15.0	5.4	16.1	-0.5	4.7	0.4	-0.3	4.7	-2.6	8.7	100.0
4. गोवा	68.9	-1.3	18.3	1.2	4.1	–	2.1	–	–	–	6.7	100.0
5. गुजरात	114.8	-5.4	9.0	-0.6	–	-3.9	–	–	–	15.8	-29.8	100.0
6. हरियाणा	-14.9	2.1	3.0	12.1	25.4	1.1	21.5	17.9	–	0.5	31.4	100.0
7. झारखंड	25.8	-2.2	6.3	13.3	3.5	–	-2.6	–	-0.3	21.7	34.6	100.0
8. कर्नाटक	-7.6	25.1	6.9	7.7	16.6	–	–	-6.1	–	-1.0	58.4	100.0
9. केरल	52.7	4.0	1.5	8.9	23.9	-0.3	2.6	0.2	-4.8	-1.5	12.8	100.0
10. मध्य प्रदेश	79.1	9.6	9.4	12.7	3.4	–	2.1	–	–	-7.7	-4.9	100.0
11. महाराष्ट्र	75.3	5.6	14.3	8.2	7.6	-110.3	25.8	–	–	-2.8	76.5	100.0
12. उड़ीसा	7.4	67.4	-15.6	26.6	27.0	–	-9.0	-0.5	–	-12.4	9.3	100.0
13. पंजाब	76.2	2.5	9.2	-4.7	10.9	–	–	–	–	-1.8	7.7	100.0
14. राजस्थान	59.6	3.8	-4.1	5.4	24.0	19.3	3.7	–	–	-1.0	-11.0	100.0
15. तमिलनाडु	55.7	10.5	-7.0	7.5	12.7	2.1	17.6	-25.8	0.3	-4.1	30.5	100.0
16. उत्तर प्रदेश	41.7	-6.7	19.1	2.9	16.7	13.2	2.8	-29.2	–	-0.6	40.0	100.0
17. पश्चिम बंगाल	89.9	-3.1	3.9	-0.1	2.9	-2.8	1.7	–	–	-0.3	7.8	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	50.3	5.4	11.5	18.5	43.2	–	–	–	–	-34.9	8.5	100.0
2. असम	30.7	-2.7	0.5	5.4	12.2	–	–	–	–	-3.8	57.5	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	100.1	-4.1	15.0	7.6	26.2	–	–	–	–	-43.4	-1.3	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	53.7	15.5	8.0	11.5	19.5	5.0	-11.9	1.9	–	-3.3	–	100.0
5. मणिपुर	173.2	-212.0	204.8	3.9	20.6	–	-45.4	–	15.4	-0.5	-60.0	100.0
6. मेघालय	279.9	-14.9	50.4	27.1	49.8	–	-3.9	9.0	1.5	-20.9	-278.0	100.0
7. मिजोरम	89.6	0.3	3.6	4.6	105.7	-2.9	-70.9	6.4	-50.8	-30.3	44.7	100.0
8. नागालैंड	57.2	–	0.8	4.6	-0.6	-3.8	-10.8	–	–	11.9	40.7	100.0
9. सिक्किम	89.1	-1.9	-0.6	9.0	6.4	1.3	–	–	–	-3.1	-0.2	100.0
10. त्रिपुरा	-8.5	-5.2	1.7	5.3	8.9	-0.9	2.8	1.6	-3.5	-5.8	103.6	100.0
11. उत्तराखंड	24.3	2.2	39.3	8.9	1.6	5.3	13.4	1.5	–	–	3.5	100.0
सभी राज्य	**58.9**	**3.2**	**8.8**	**6.8**	**11.3**	**-8.9**	**4.7**	**-4.5**	**-0.3**	**-2.2**	**22.3**	**100.0**
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	-10.1	–	–	–	–	–	–	–	110.1	100.0
2. पुदुचेरी	–	-5.9	-1.4	69.5	0.3	–	1.4	–	–	0.1	36.0	100.0

'-' : नगण्य/शून्य सं.अ. : संशोधित अनुमान

टिप्पणी : 1. परिरशिष्ट सारणी 17 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अत: इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं है।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मितता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मितता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 10 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2008-09 (सं.अ.)

(करोड़ रुपए)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेक्षण	अन्य	समग्र अधिशेष (-)/ घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+)/ (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	5,849	1,768	663	1,207	870	-7	94	–	–	-653	-134	9,658
2. बिहार	1,953	-421	943	558	350	–	95	–	–	-209	56	3,325
3. छत्तीसगढ़	692	321	228	535	–	105	35	-5	–	-54	54	1,912
4. गोवा	568	52	97	10	30	–	16	–	–	26	8	807
5. गुजरात	7,150	-137	-297	-25	–	-405	–	–	–	605	876	7,767
6. हरियाणा	1,268	-73	150	212	474	29	369	155	–	25	-593	2,016
7. झारखंड	377	-165	436	259	257	–	154	11	114	471	372	2,286
8. कर्नाटक	3,200	1,070	1,156	426	1,114	–	–	30	–	-6	39	7,030
9. केरल	1,430	599	2,449	595	950	6	213	17	-335	-105	-195	5,626
10. मध्य प्रदेश	2,414	1,429	605	556	164	-17	41	–	-1	-329	-120	4,741
11. महाराष्ट्र	4,499	297	7,197	808	777	-331	1,757	90	–	-298	-1,639	13,158
12. उड़ीसा	650	1,465	-155	376	500	–	139	-3	280	-129	-588	2,537
13. पंजाब	3,140	117	957	-257	571	–	–	–	–	-95	1,266	5,698
14. राजस्थान	3,719	188	-97	229	1,355	116	325	14	–	-67	-680	5,102
15. तमिलनाडु	4,908	1,413	1,266	544	1,031	176	994	-1,391	20	-271	1,104	9,792
16. उत्तर प्रदेश	7,099	-698	3,813	268	2,372	1,380	546	-823	–	-428	-1,831	11,699
17. पश्चिम बंगाल	9,886	-267	1,607	-15	376	-26	257	–	–	1	-482	11,338
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	115	-22	40	16	159	–	–	–	–	-126	-854	-628
2. असम	778	-102	-10	162	423	–	–	–	–	-32	459	1,676
3. हिमाचल प्रदेश	1,944	-56	101	191	300	–	–	–	–	-547	7	1,939
4. जम्मू और कश्मीर	541	499	453	365	641	146	-293	35	–	-168	-30	2,189
5. मणिपुर	249	-238	233	4	29	–	-29	-10	13	-1	-112	138
6. मेघालय	181	-10	42	20	55	–	-1	6	-1	-16	-151	125
7. मिजोरम	93	7	-2	2	103	15	–	–	–	-31	-54	131
8. नागालैंड	224	-16	9	12	-28	-21	-40	–	–	51	58	248
9. सिक्किम	328	-9	-2	41	16	8	–	–	–	-7	–	375
10. त्रिपुरा	76	-62	-1	58	50	–	5	–	-5	-35	727	812
11. उत्तराखंड	512	-9	165	158	61	29	135	25	–	-1	79	1,155
सभी राज्य	**63,842**	**6,942**	**22,044**	**7,360**	**13,001**	**1,203**	**4,813**	**-1,851**	**85**	**-2,429**	**-2,358**	**1,12,653**
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	-386	–	–	–	–	–	–	–	2,254	1,868
2. पुदुचेरी	–	72	-12	–	9	12	28	71	–	1,044	-119	1,103

'-' : नगण्य/शून्य सं.अ. : संशोधित अनुमान

टिप्पणी : 1. परिरशिष्ट सारणी 17 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अत: इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं है।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मितता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मितता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 11 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2008-09 (ब.अ.)

(प्रतिशत)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेक्षण	अन्य	समग्र अधिशेष (-)/ घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+)/ (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	60.6	18.3	6.9	12.5	9.0	-0.1	1.0	–	–	-6.8	-1.4	100.0
2. बिहार	58.7	-12.7	28.4	16.8	10.5	–	2.9	–	–	-6.3	1.7	100.0
3. छत्तीसगढ़	36.2	16.8	11.9	28.0	–	5.5	1.8	-0.3	–	-2.8	2.8	100.0
4. गोवा	70.4	6.5	12.0	1.2	3.7	–	1.9	–	–	3.2	1.0	100.0
5. गुजरात	92.1	-1.8	-3.8	-0.3	–	-5.2	–	–	–	7.8	11.3	100.0
6. हरियाणा	62.9	-3.6	7.4	10.5	23.5	1.4	18.3	7.7	–	1.2	-29.4	100.0
7. झारखंड	16.5	-7.2	19.1	11.3	11.3	–	6.7	–	5.0	20.6	16.3	100.0
8. कर्नाटक	45.5	15.2	16.4	6.1	15.8	–	–	0.4	–	-0.1	0.6	100.0
9. केरल	25.4	10.7	43.5	10.6	16.9	–	3.8	0.3	-5.9	-1.9	-3.5	100.0
10. मध्य प्रदेश	50.9	30.1	12.8	11.7	3.4	-0.4	0.9	–	–	-6.9	-2.5	100.0
11. महाराष्ट्र	34.2	2.3	54.7	6.1	5.9	-2.5	13.4	0.7	–	-2.3	-12.5	100.0
12. उड़ीसा	25.6	57.8	-6.1	14.8	19.7	–	5.5	-0.1	11.1	-5.1	-23.2	100.0
13. पंजाब	55.1	2.1	16.8	-4.5	10.0	–	–	–	–	-1.7	22.2	100.0
14. राजस्थान	72.9	3.7	-1.9	4.5	26.6	2.3	6.4	0.3	–	-1.3	-13.3	100.0
15. तमिलनाडु	50.1	14.4	12.9	5.6	10.5	1.8	10.2	-14.2	–	-2.8	11.3	100.0
16. उत्तर प्रदेश	60.7	-6.0	32.6	-2.3	20.3	11.8	4.7	-7.0	–	-3.7	-15.6	100.0
17. पश्चिम बंगाल	87.2	-2.4	14.2	0.1	3.3	-0.2	2.3	–	–	–	-4.3	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	-18.4	3.5	-6.4	-9.6	-25.4	–	–	–	–	20.1	136.0	100.0
2. असम	46.4	-6.1	-0.6	9.6	25.2	–	–	–	–	-1.9	27.4	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	100.2	-2.9	5.2	9.8	15.5	–	–	–	–	-28.2	0.4	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	24.7	22.8	20.7	16.7	29.3	6.7	-13.4	1.6	–	-7.7	-1.4	100.0
5. मणिपुर	180.6	-172.8	169.3	3.2	21.1	–	-21.2	-7.3	9.8	-1.1	-81.7	100.0
6. मेघालय	144.2	-8.1	33.2	16.1	44.2	–	-0.8	4.8	-0.8	-12.6	-120.2	100.0
7. मिजोरम	70.7	4.9	-1.8	1.9	78.0	11.0	–	–	–	-23.3	-41.3	100.0
8. नागालैंड	90.0	-6.4	3.5	4.8	-11.2	-8.3	-16.1	–	–	20.5	23.2	100.0
9. सिक्किम	87.5	-2.5	-0.5	10.8	4.3	2.1	–	–	–	-1.8	0.1	100.0
10. त्रिपुरा	9.3	-7.6	-0.2	7.1	6.2	–	0.6	–	-0.6	-4.2	89.4	100.0
11. उत्तराखंड	44.4	-0.8	14.3	13.7	5.3	2.5	11.7	2.1	–	-0.1	6.8	100.0
सभी राज्य	**56.7**	**6.2**	**19.6**	**6.5**	**11.5**	**1.1**	**4.3**	**-1.6**	**0.1**	**-2.2**	**-2.1**	**100.0**
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	-20.7	–	–	–	–	–	–	–	120.7	100.0
2. पुदुचेरी	–	6.5	-1.1	–	0.8	1.1	2.5	6.4	–	–	-10.8	100.0

'-' : नगण्य/शून्य ब.अ. : बजट अनुमान

टिप्पणी : 1. परिरशिष्ट सारणी 17 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अत: इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं है।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मितता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मितता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 12: विकासात्मक व्यय *

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	36,298	54,296	72,065	49.6	32.7
2. बिहार	17,304	21,527	25,778	24.4	19.7
3. छत्तीसगढ़	8,581	12,746	13,945	48.5	9.4
4. गोवा	2,232	2,665	3,061	19.4	14.8
5. गुजरात	25,092	26,788	30,332	6.8	13.2
6. हरियाणा	13,684	15,676	16,305	14.6	4.0
7. झारखंड	11,803	12,819	13,059	8.6	1.9
8. कर्नाटक	29,952	33,627	40,105	12.3	19.3
9. केरल	10,397	13,929	15,514	34.0	11.4
10. मध्य प्रदेश	18,509	23,159	26,443	25.1	14.2
11. महाराष्ट्र	47,220	53,939	56,295	14.2	4.4
12. उड़ीसा	9,536	13,507	15,215	41.6	12.6
13. पंजाब	10,797	14,396	14,639	33.3	1.7
14. राजस्थान	19,533	25,268	25,847	29.4	2.3
15. तमिलनाडु	28,820	33,959	39,090	17.8	15.1
16. उत्तर प्रदेश	42,872	57,031	64,088	33.0	12.4
17. पश्चिम बंगाल	19,137	23,733	25,804	24.0	8.7
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,903	2,989	2,634	57.1	-11.9
2. असम	8,653	14,243	15,343	64.6	7.7
3. हिमाचल प्रदेश	5,415	5,653	7,376	4.4	30.5
4. जम्मू और कश्मीर	8,874	10,549	11,829	18.9	12.1
5. मणिपुर	2,329	2,660	2,747	14.2	3.3
6. मेघालय	1,512	2,529	2,906	67.3	14.9
7. मिजोरम	1,543	1,872	1,635	21.3	-12.7
8. नागालैंड	1,845	2,343	2,037	27.0	-13.1
9. सिक्किम	945	1,478	1,691	56.4	14.4
10. त्रिपुरा	1,923	2,609	3,056	35.7	17.1
11. उत्तराखंड	5,456	7,573	8,279	38.8	9.3
सभी राज्य	**3,92,165**	**4,93,563**	**5,57,116**	**25.9**	**12.9**
ज्ञापन मद :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	8,068	12,498	14,761	54.9	18.1
2. पुदुचेरी	1,788	1,926	2,611	7.7	35.6

* : इसमें राजस्व तथा पूंजी खाता पर व्यय और राज्यों द्वारा विकासात्मक प्रयोजनों के लिए, लिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 13: विकासेतर व्यय*

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	15,706	19,279	20,505	22.8	6.4
2. बिहार	8,803	10,631	11,116	20.8	4.6
3. छत्तीसगढ़	2,714	3,419	3,942	26.0	15.3
4. गोवा	870	983	1,269	12.9	29.1
5. गुजरात	12,227	13,346	15,863	9.1	18.9
6. हरियाणा	5,015	5,505	7,534	9.8	36.8
7. झारखंड	3,608	5,023	5,020	39.2	-0.1
8. कर्नाटक	10,744	11,658	14,240	8.5	22.2
9. केरल	9,769	12,446	12,855	27.4	3.3
10. मध्य प्रदेश	8,673	9,714	11,426	12.0	17.6
11. महाराष्ट्र	25,562	24,794	36,120	-3.0	45.7
12. उड़ीसा	7,687	8,969	10,462	16.7	16.7
13. पंजाब	10,450	12,795	13,658	22.4	6.7
14. राजस्थान	10,535	12,043	12,327	14.3	2.4
15. तमिलनाडु	15,205	17,830	19,771	17.3	10.9
16. उत्तर प्रदेश	24,957	26,716	30,379	7.0	13.7
17. पश्चिम बंगाल	17,983	19,323	21,212	7.5	9.8
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	585	667	644	14.0	-3.4
2. असम	4,329	6,237	6,825	44.1	9.4
3. हिमाचल प्रदेश	3,362	3,564	3,980	6.0	11.7
4. जम्मू और कश्मीर	4,574	5,964	5,680	30.4	-4.8
5. मणिपुर	1,009	1,054	1,031	4.4	-2.2
6. मेघालय	722	815	939	12.8	15.2
7. मिजोरम	641	654	740	2.0	13.1
8. नागालैंड	1,087	1,328	1,482	22.1	11.6
9. सिक्किम	1,269	1,645	1,374	29.6	-16.5
10. त्रिपुरा	1,234	1,484	1,966	20.3	32.5
11. उत्तराखंड	2,551	3,135	3,250	22.9	3.7
सभी राज्य	**2,11,872**	**2,41,019**	**2,75,609**	**13.8**	**14.4**
ज्ञापन मद :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	4,233	4,465	4,569	5.5	2.3
2. पुदुचेरी	500	576	581	15.3	0.8

* : इसमें राजस्व तथा पूंजी खाता पर व्यय और राज्यों द्वारा विकासात्मक प्रयोजनों के लिए, लिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 14: योजना व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	19,611	32,975	48,551	68.1	47.2
2. बिहार	6,239	8,042	11,489	28.9	42.9
3. छत्तीसगढ़	5,545	8,659	10,154	56.2	17.3
4. गोवा	1,109	1,385	1,749	24.9	26.2
5. गुजरात	13,198	15,228	17,831	15.4	17.1
6. हरियाणा	4,975	6,569	7,567	32.0	15.2
7. झारखंड	7,949	8,803	9,654	10.7	9.7
8. कर्नाटक	16,540	16,983	22,380	2.7	31.8
9. केरल	3,537	5,156	5,923	45.8	14.9
10. मध्य प्रदेश	10,572	14,217	15,352	34.5	8.0
11. महाराष्ट्र	17,135	21,387	26,306	24.8	23.0
12. उड़ीसा	4,205	7,044	8,325	67.5	18.2
13. पंजाब	3,341	4,919	5,757	47.2	17.0
14. राजस्थान	8,765	11,737	12,642	33.9	7.7
15. तमिलनाडु	13,332	16,916	19,847	26.9	17.3
16. उत्तर प्रदेश	23,573	31,784	38,568	34.8	21.3
17. पश्चिम बंगाल	8,046	11,157	12,478	38.7	11.8
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,398	2,163	2,086	54.7	-3.6
2. असम	3,433	7,212	8,708	110.1	20.7
3. हिमाचल प्रदेश	2,364	2,355	2,739	-0.4	16.3
4. जम्मू और कश्मीर	4,014	5,024	6,138	25.2	22.2
5. मणिपुर	1,336	1,846	1,841	38.2	-0.3
6. मेघालय	881	1,938	2,212	119.9	14.1
7. मिजोरम	1,055	1,248	1,001	18.3	-19.8
8. नागालैंड	1,142	1,571	1,357	37.5	-13.6
9. सिक्किम	663	1,176	1,392	77.4	18.4
10. त्रिपुरा	1,152	1,743	2,272	51.3	30.4
11. उत्तराखंड	3,299	5,121	5,673	55.3	10.8
सभी राज्य	**1,88,410**	**2,54,361**	**3,09,991**	**35.0**	**21.9**
ज्ञापन मद :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	2,052	3,555	3,668	73.3	3.2
2. पुदुचेरी	1,057	1,096	1,755	3.7	60.1

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 15: योजनेतर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	37,037	45,828	49,222	23.7	7.4
2. बिहार	20,898	25,741	27,086	23.2	5.2
3. छत्तीसगढ़	6,446	8,363	8,634	29.7	3.2
4. गोवा	2,067	2,342	2,748	13.3	17.3
5. गुजरात	26,001	26,892	31,601	3.4	17.5
6. हरियाणा	14,663	15,683	17,478	7.0	11.4
7. झारखंड	7,777	9,557	9,197	22.9	-3.8
8. कर्नाटक	27,545	31,505	36,767	14.4	16.7
9. केरल	19,622	24,751	26,681	26.1	7.8
10. मध्य प्रदेश	19,645	21,852	25,927	11.2	18.6
11. महाराष्ट्र	58,706	60,892	70,257	3.7	15.4
12. उड़ीसा	15,141	17,962	19,623	18.6	9.3
13. पंजाब	22,956	24,196	24,272	5.4	0.3
14. राजस्थान	23,091	27,358	27,978	18.5	2.3
15. तमिलनाडु	37,815	41,732	44,776	10.4	7.3
16. उत्तर प्रदेश	51,410	57,891	62,404	12.6	7.8
17. पश्चिम बंगाल	33,157	36,917	39,913	11.3	8.1
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,388	1,670	1,396	20.3	-16.4
2. असम	10,052	14,216	16,064	41.4	13.0
3. हिमाचल प्रदेश	7,726	7,676	9,614	-0.7	25.2
4. जम्मू और कश्मीर	9,859	12,022	11,982	21.9	-0.3
5. मणिपुर	2,290	2,180	2,252	-4.8	3.3
6. मेघालय	1,439	1,510	1,762	5.0	16.6
7. मिजोरम	1,240	1,390	1,487	12.1	7.0
8. नागालैंड	1,943	2,266	2,375	16.6	4.8
9. सिक्किम	1,590	2,003	1,751	25.9	-12.6
10. त्रिपुरा	2,149	2,536	2,976	18.0	17.4
11. उत्तराखंड	5,217	6,199	6,569	18.8	6.0
सभी राज्य	**4,68,870**	**5,33,128**	**5,82,792**	**13.7**	**9.3**
ज्ञापन मद :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	5,704	6,551	7,524	14.8	14.9
2. पुदुचेरी	1,317	1,500	1,563	14.0	4.2

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 16: योजनेतर विकासेतर व्यय*

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	15,248	18,068	19,913	18.5	10.2
2. बिहार	8,284	9,803	10,520	18.3	7.3
3. छत्तीसगढ़	2,632	3,243	3,788	23.2	16.8
4. गोवा	782	865	1,111	10.5	28.5
5. गुजरात	12,016	13,120	15,381	9.2	17.2
6. हरियाणा	4,888	5,293	7,337	8.3	38.6
7. झारखंड	3,020	4,577	4,454	51.5	-2.7
8. कर्नाटक	10,347	11,155	13,654	7.8	22.4
9. केरल	9,586	12,186	12,660	27.1	3.9
10. मध्य प्रदेश	8,611	9,636	11,324	11.9	17.5
11. महाराष्ट्र	25,127	24,109	35,469	-4.1	47.1
12. उड़ीसा	7,648	8,861	10,310	15.9	16.3
13. पंजाब	10,411	12,680	13,523	21.8	6.6
14. राजस्थान	10,372	11,823	12,099	14.0	2.3
15. तमिलनाडु	15,070	17,610	19,414	16.9	10.2
16. उत्तर प्रदेश	24,482	26,326	29,774	7.5	13.1
17. पश्चिम बंगाल	17,870	19,091	20,918	6.8	9.6
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	550	617	616	12.2	-0.2
2. असम	4,309	5,593	6,443	29.8	15.2
3. हिमाचल प्रदेश	3,273	3,494	3,890	6.8	11.3
4. जम्मू और कश्मीर	4,137	5,312	4,956	28.4	-6.7
5. मणिपुर	874	941	970	7.7	3.0
6. मेघालय	684	736	863	7.5	17.3
7. मिजोरम	597	618	714	3.5	15.6
8. नागालैंड	1,010	1,205	1,255	19.3	4.2
9. सिक्किम	1,241	1,583	1,305	27.5	-17.6
10. त्रिपुरा	1,163	1,348	1,654	15.9	22.8
11. उत्तराखंड	2,437	2,968	3,057	21.8	3.0
सभी राज्य	**2,06,671**	**2,32,860**	**2,67,370**	**12.7**	**14.8**
ज्ञापन मद :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	4,010	4,040	4,178	0.8	3.4
2. पुदुचेरी	419	472	509	12.9	7.7

* : इसमें राजस्व तथा पूंजी खाता पर व्यय और राज्यों द्वारा विकासात्मक प्रयोजनों के लिए, लिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 17 : ब्याज भुगतान

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)		2007-08 (संशोधित अनुमान)		2008-09 (बजट अनुमान)		अंतर (प्रतिशत)			
							कॉ.4/कॉ.2	कॉ.5/कॉ.3	कॉ.6/कॉ.4	कॉ.7/कॉ.5
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर-विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	7,280	5,049	8,629	5,030	8,985	4,624	18.5	-0.4	4.1	-8.1
2. बिहार	3,416	3,240	3,816	3,757	3,796	3,739	11.7	16.0	-0.5	-0.5
3. छत्तीसगढ़	1,026	839	1,118	974	1,154	1,015	9.0	16.1	3.2	4.2
4. गोवा	427	412	452	441	549	539	5.9	7.0	21.5	22.3
5. गुजरात	6,932	6,649	7,417	7,156	8,159	7,952	7.0	7.6	10.0	11.1
6. हरियाणा	2,265	1,616	2,359	1,643	2,536	1,861	4.2	1.6	7.5	13.3
7. झारखंड	777	718	1,982	1,920	2,137	2,063	154.9	167.4	7.8	7.4
8. कर्नाटक	4,236	3,860	4,718	4,531	5,278	5,131	11.4	17.4	11.9	13.3
9. केरल	4,190	4,145	4,758	4,709	5,144	5,093	13.6	13.6	8.1	8.1
10. मध्य प्रदेश	4,029	3,896	4,200	4,015	4,490	3,994	4.2	3.1	6.9	-0.5
11. महाराष्ट्र	11,656	9,152	12,022	10,917	12,389	11,303	3.1	19.3	3.1	3.5
12. उड़ीसा	3,188	2,790	4,049	3,660	4,312	4,052	27.0	31.2	6.5	10.7
13. पंजाब	4,152	3,493	4,355	2,959	4,818	4,619	4.9	-15.3	10.6	56.1
14. राजस्थान	5,702	4,629	5,922	4,827	6,441	5,434	3.9	4.3	8.8	12.6
15. तमिलनाडु	5,506	4,402	6,160	5,145	5,976	4,899	11.9	16.9	-3.0	-4.8
16. उत्तर प्रदेश	10,477	9,648	10,965	9,317	11,427	9,838	4.7	-3.4	4.2	5.6
17. पश्चिम बंगाल	10,879	10,195	11,446	10,674	12,390	11,561	5.2	4.7	8.2	8.3
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	188	174	187	165	227	205	-0.2	-5.1	21.2	24.0
2. असम	1,516	1,348	1,862	1,686	1,911	1,727	22.8	25.1	2.7	2.4
3. हिमाचल प्रदेश	1,669	1,582	1,737	1,724	1,829	1,766	4.0	8.9	5.3	2.4
4. जम्मू और कश्मीर	1,201	1,183	2,031	2,011	1,600	1,577	69.1	70.1	-21.3	-21.6
5. मणिपुर	289	254	294	254	299	264	1.6	-0.1	1.8	4.1
6. मेघालय	203	190	225	219	230	223	10.9	15.5	2.3	1.6
7. मिजोरम	229	220	181	174	203	197	-21.1	-20.8	12.5	12.9
8. नागालैंड	280	274	292	288	329	326	4.2	5.0	13.0	13.3
9. सिक्किम	115	110	129	122	135	132	12.1	11.1	4.2	7.8
10. त्रिपुरा	388	362	386	353	390	352	-0.4	-2.5	1.0	-0.1
11. उत्तराखंड	964	923	1,187	1,166	1,249	1,211	23.1	26.3	5.2	3.9
सभी राज्य	**93,180**	**81,355**	**1,02,878**	**89,837**	**1,08,383**	**95,697**	**10.4**	**10.4**	**5.4**	**6.5**
ज्ञापन मद :										
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	2,210	925	2,505	861	2,475	557	13.3	-7.0	-1.2	-35.3
2. पुदुचेरी	187	181	218	215	253	250	16.1	18.6	16.2	16.4

* : सकल ब्याज भुगतान से ब्याज प्राप्तियां घटाने के बाद के आंकड़े दर्शाता है।

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 18: कर राजस्व*

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	कर राजस्व / सभी राज्यों का कर राजस्व (प्रतिशत)		
				2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर-विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	32,792	41,900	50,464	8.8	9.5	9.9
2. बिहार	17,325	21,091	24,353	4.6	4.8	4.8
3. छत्तीसगढ़	8,244	9,600	10,914	2.2	2.2	2.1
4. गोवा	1,604	1,695	2,030	0.4	0.4	0.4
5. गुजरात	22,891	26,683	29,700	6.1	6.0	5.8
6. हरियाणा	12,223	14,122	16,057	3.3	3.2	3.1
7. झारखंड	6,946	8,345	10,811	1.9	1.9	2.1
8. कर्नाटक	28,675	33,518	39,858	7.7	7.6	7.8
9. केरल	15,154	17,989	20,491	4.1	4.1	4.0
10. मध्य प्रदेश	18,562	21,459	24,745	5.0	4.9	4.9
11. महाराष्ट्र	46,122	54,211	60,839	12.4	12.3	11.9
12. उड़ीसा	12,285	14,154	15,517	3.3	3.2	3.0
13. पंजाब	10,583	12,321	13,572	2.8	2.8	2.7
14. राजस्थान	18,369	21,356	24,440	4.9	4.8	4.8
15. तमिलनाडु	34,165	37,314	42,653	9.2	8.5	8.4
16. उत्तर प्रदेश	46,216	57,882	67,019	12.4	13.1	13.1
17. पश्चिम बंगाल	20,200	24,503	28,856	5.4	5.5	5.7
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	425	491	611	0.1	0.1	0.1
2. असम	7,382	8,126	9,812	2.0	1.8	1.9
3. हिमाचल प्रदेश	2,286	2,708	3,195	0.6	0.6	0.6
4. जम्मू और कश्मीर	3,391	3,954	4,651	0.9	0.9	0.9
5. मणिपुर	558	659	754	0.1	0.1	0.1
6. मेघालय	752	861	1,049	0.2	0.2	0.2
7. मिजोरम	356	410	502	0.1	0.1	0.1
8. नागालैंड	436	503	609	0.1	0.1	0.1
9. सिक्किम	396	409	452	0.1	0.1	0.1
10. त्रिपुरा	857	1,032	1,201	0.2	0.2	0.2
11. उत्तराखंड	3,646	4,227	4,800	1.0	1.0	0.9
सभी राज्य	**3,72,841**	**4,41,526**	**5,09,957**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
ज्ञापन मद :						
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	10,156	11,952	13,840	–	–	–
2. पुदुचेरी	570	604	732	–	–	–

'–' : नगण्य/शून्य

* : इसमे केंद्रीय करों में राज्य के अंश और राजस्व शामिल है।

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 19 : राज्यों के अपने कर राजस्व

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	23,926	31,402	37,866	31.2	20.6
2. बिहार	4,033	4,875	5,259	20.9	7.9
3. छत्तीसगढ़	5,046	5,814	6,538	15.2	12.4
4. गोवा	1,292	1,326	1,566	2.7	18.1
5. गुजरात	18,465	21,473	23,650	16.3	10.1
6. हरियाणा	10,928	12,589	14,294	15.2	13.5
7. झारखंड	3,128	3,550	5,536	13.5	55.9
8. कर्नाटक	23,301	27,218	31,876	16.8	17.1
9. केरल	11,942	13,997	15,781	17.2	12.7
10. मध्य प्रदेश	10,473	11,886	14,215	13.5	19.6
11. महाराष्ट्र	40,099	46,612	51,893	16.2	11.3
12. उड़ीसा	6,065	6,793	7,272	12.0	7.1
13. पंजाब	9,017	10,347	11,247	14.7	8.7
14. राजस्थान	11,608	12,841	14,562	10.6	13.4
15. तमिलनाडु	27,771	29,248	33,156	5.3	13.4
16. उत्तर प्रदेश	22,998	27,703	32,313	20.5	16.6
17. पश्चिम बंगाल	11,695	13,774	16,223	17.8	17.8
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	78	80	95	2.6	19.0
2. असम	3,483	3,512	4,021	0.8	14.5
3. हिमाचल प्रदेश	1,656	1,963	2,301	18.5	17.2
4. जम्मू और कश्मीर	1,903	2,299	2,666	20.9	16.0
5. मणिपुर	122	143	160	17.6	12.0
6. मेघालय	305	332	385	8.9	15.9
7. मिजोरम	68	69	75	1.9	8.2
8. नागालैंड	119	128	138	7.7	8.0
9. सिक्किम	173	148	151	-14.7	2.3
10. त्रिपुरा	342	382	451	11.8	18.2
11. उत्तराखंड	2,514	2,887	3,120	14.9	8.1
सभी राज्य	**2,52,548**	**2,93,392**	**3,36,810**	**16.2**	**14.8**
ज्ञापन मद :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	10,156	11,952	13,840	17.7	15.8
2. पुदुचेरी	570	604	732	6.0	21.2

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 20: करेतर राजस्व*

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	करेतर राजस्व / सभी राज्यों का करेतर राजस्व (प्रतिशत)		
				2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर-विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	11,453	14,227	20,463	7.3	7.6	9.8
2. बिहार	5,758	7,466	9,198	3.7	4.0	4.4
3. छत्तीसगढ़	3,205	4,787	4,742	2.0	2.6	2.3
4. गोवा	1,006	1,218	1,480	0.6	0.7	0.7
5. गुजरात	8,112	8,297	8,579	5.1	4.4	4.1
6. हरियाणा	5,729	5,507	5,638	3.6	2.9	2.7
7. झारखंड	3,198	3,267	4,971	2.0	1.7	2.4
8. कर्नाटक	8,912	7,322	7,382	5.7	3.9	3.5
9. केरल	3,033	3,508	4,444	1.9	1.9	2.1
10. मध्य प्रदेश	7,133	8,381	9,659	4.5	4.5	4.6
11. महाराष्ट्र	16,073	14,778	19,072	10.2	7.9	9.1
12. उड़ीसा	5,747	7,227	7,754	3.6	3.9	3.7
13. पंजाब	6,212	10,482	9,689	3.9	5.6	4.6
14. राजस्थान	7,224	8,773	8,547	4.6	4.7	4.1
15. तमिलनाडु	6,748	9,203	8,853	4.3	4.9	4.2
16. उत्तर प्रदेश	14,383	18,683	18,787	9.1	10.0	9.0
17. पश्चिम बंगाल	5,628	6,857	7,210	3.6	3.7	3.4
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	2,167	2,816	3,293	1.4	1.5	1.6
2. असम	6,285	9,317	12,381	4.0	5.0	5.9
3. हिमाचल प्रदेश	5,550	5,153	6,203	3.5	2.8	3.0
4. जम्मू और कश्मीर	8,590	9,946	10,666	5.4	5.3	5.1
5. मणिपुर	2,305	2,941	2,883	1.5	1.6	1.4
6. मेघालय	1,390	2,381	2,654	0.9	1.3	1.3
7. मिजोरम	1,613	1,953	1,716	1.0	1.0	0.8
8. नागालैंड	2,337	2,656	2,657	1.5	1.4	1.3
9. सिक्किम	1,721	2,447	2,237	1.1	1.3	1.1
10. त्रिपुरा	2,476	2,590	3,068	1.6	1.4	1.5
11. उत्तराखंड	3,728	5,035	5,657	2.4	2.7	2.7
सभी राज्य	**1,57,714**	**1,87,216**	**2,09,878**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
ज्ञापन मद :						
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	2,038	3,236	3,808	–	–	–
2. पुदुचेरी	1,314	1,382	1,354	–	–	–

'-' : लागू नहीं।
* : इसमें केंद्रीय करों में राज्य के अंश और राजस्व शामिल है।
टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 21 : राज्यों के अपने करेतर राजस्व

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	6,488	6,872	8,873	5.9	29.1
2. बिहार	511	418	422	-18.2	0.8
3. छत्तीसगढ़	1,451	1,611	1,819	11.0	13.0
4. गोवा	918	1,011	1,140	10.1	12.8
5. गुजरात	4,949	4,503	4,459	-9.0	-1.0
6. हरियाणा	4,591	4,042	4,044	-12.0	0.1
7. झारखंड	1,434	1,599	2,913	11.6	82.1
8. कर्नाटक	4,098	1,802	1,932	-56.0	7.2
9. केरल	938	1,084	1,294	15.6	19.3
10. मध्य प्रदेश	2,658	2,560	3,018	-3.7	17.9
11. महाराष्ट्र	7,518	5,689	6,715	-24.3	18.0
12. उड़ीसा	2,588	1,916	2,135	-26.0	11.5
13. पंजाब	3,973	6,657	5,391	67.6	-19.0
14. राजस्थान	3,431	3,849	3,591	12.2	-6.7
15. तमिलनाडु	3,423	3,004	3,277	-12.2	9.1
16. उत्तर प्रदेश	6,533	6,775	6,098	3.7	-10.0
17. पश्चिम बंगाल	1,249	1,573	1,771	26.0	12.6
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	297	590	522	98.6	-11.6
2. असम	1,859	1,934	2,249	4.0	16.3
3. हिमाचल प्रदेश	1,337	1,092	1,232	-18.3	12.8
4. जम्मू और कश्मीर	604	985	1,140	63.1	15.7
5. मणिपुर	181	204	211	12.7	3.6
6. मेघालय	184	180	199	-2.2	10.2
7. मिजोरम	133	129	117	-3.3	-9.0
8. नागालैंड	91	111	121	21.7	9.2
9. सिक्किम	1,085	1,383	1,146	27.5	-17.1
10. त्रिपुरा	95	111	123	17.3	10.6
11. उत्तराखंड	647	892	897	38.0	0.5
सभी राज्य	**63,263**	**62,578**	**66,848**	**-1.1**	**6.8**
ज्ञापन मद :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	1,464	1,826	2,070	24.8	13.3
2. पुदुचेरी	550	575	651	4.6	13.2

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 22 : केंद्रीय करों में राज्यों के अंश

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	8,866	10,498	12,597	18.4	20.0
2. बिहार	13,292	16,216	19,094	22.0	17.8
3. छत्तीसगढ़	3,199	3,786	4,376	18.4	15.6
4. गोवा	312	369	464	18.4	25.5
5. गुजरात	4,426	5,210	6,050	17.7	16.1
6. हरियाणा	1,296	1,533	1,763	18.4	15.0
7. झारखंड	3,818	4,795	5,276	25.6	10.0
8. कर्नाटक	5,374	6,300	7,982	17.2	26.7
9. केरल	3,212	3,992	4,711	24.3	18.0
10. मध्य प्रदेश	8,089	9,573	10,530	18.4	10.0
11. महाराष्ट्र	6,023	7,599	8,946	26.2	17.7
12. उड़ीसा	6,220	7,362	8,245	18.3	12.0
13. पंजाब	1,566	1,974	2,325	26.1	17.8
14. राजस्थान	6,760	8,515	9,877	26.0	16.0
15. तमिलनाडु	6,394	8,066	9,497	26.2	17.7
16. उत्तर प्रदेश	23,218	30,179	34,706	30.0	15.0
17. पश्चिम बंगाल	8,506	10,729	12,633	26.1	17.8
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	347	411	516	18.4	25.5
2. असम	3,899	4,615	5,791	18.4	25.5
3. हिमाचल प्रदेश	629	745	894	18.4	20.1
4. जम्मू और कश्मीर	1,488	1,655	1,985	11.2	19.9
5. मणिपुर	436	517	594	18.4	15.0
6. मेघालय	447	529	664	18.3	25.5
7. मिजोरम	288	341	428	18.3	25.5
8. नागालैंड	317	375	471	18.3	25.5
9. सिक्किम	223	262	301	17.5	15.0
10. त्रिपुरा	516	651	750	26.1	15.3
11. उत्तराखंड	1,132	1,340	1,680	18.3	25.4
सभी राज्य	**1,20,293**	**1,48,134**	**1,73,147**	**23.1**	**16.9**

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 23: केंद्र से अनुदान

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	4,965	7,355	11,591	48.1	57.6
2. बिहार	5,247	7,048	8,776	34.3	24.5
3. छत्तीसगढ़	1,754	3,176	2,923	81.1	-8.0
4. गोवा	88	208	339	134.8	63.3
5. गुजरात	3,163	3,793	4,120	19.9	8.6
6. हरियाणा	1,138	1,466	1,594	28.8	8.8
7. झारखंड	1,765	1,667	2,058	-5.5	23.4
8. कर्नाटक	4,813	5,520	5,450	14.7	-1.3
9. केरल	2,095	2,424	3,151	15.7	30.0
10. मध्य प्रदेश	4,474	5,821	6,641	30.1	14.1
11. महाराष्ट्र	8,555	9,089	12,357	6.2	35.9
12. उड़ीसा	3,159	5,311	5,618	68.1	5.8
13. पंजाब	2,240	3,825	4,297	70.8	12.3
14. राजस्थान	3,793	4,923	4,955	29.8	0.7
15. तमिलनाडु	3,326	6,199	5,576	86.4	-10.0
16. उत्तर प्रदेश	7,851	11,908	12,689	51.7	6.6
17. पश्चिम बंगाल	4,379	5,283	5,439	20.6	2.9
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,870	2,226	2,771	19.1	24.5
2. असम	4,425	7,383	10,132	66.8	37.2
3. हिमाचल प्रदेश	4,213	4,060	4,971	-3.6	22.4
4. जम्मू और कश्मीर	7,985	8,961	9,525	12.2	6.3
5. मणिपुर	2,124	2,737	2,672	28.9	-2.4
6. मेघालय	1,206	2,200	2,455	82.5	11.6
7. मिजोरम	1,480	1,824	1,598	23.2	-12.4
8. नागालैंड	2,245	2,545	2,535	13.3	-0.4
9. सिक्किम	636	1,064	1,091	67.4	2.6
10. त्रिपुरा	2,381	2,479	2,944	4.1	18.8
11. उत्तराखंड	3,081	4,143	4,760	34.5	14.9
सभी राज्य	**94,451**	**1,24,638**	**1,43,030**	**32.0**	**14.8**
ज्ञापन मद :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	574	1,409	1,738	145.4	23.3
2. पुदुचेरी	764	807	703	5.7	-12.9

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 24 : केंद्र से ऋण

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)		2007-08 (संशोधित अनुमान)		2008-09 (बजट अनुमान)		अंतर (प्रतिशत)			
							कॉ.4/कॉ.2	कॉ.5/कॉ.3	कॉ.6/कॉ.4	कॉ.7/कॉ.5
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर-विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	315	-876	1,098	315	2,569	1,768	249.0	-135.9	134.0	462.0
2. बिहार	3	-310	7	-415	8	-421	111.1	34.0	14.1	1.3
3. छत्तीसगढ़	55	42	279	265	429	321	406.1	529.4	53.7	21.2
4. गोवा	2	-18	–	-10	75	52	-100.0	-47.1	–	-645.9
5. गुजरात	295	-564	280	-274	424	-137	-5.2	-51.4	51.7	-50.1
6. हरियाणा	22	-90	50	35	39	-73	133.6	-139.2	-23.4	-306.3
7. झारखंड	–	-137	–	-139	–	-165	–	1.2	–	18.7
8. कर्नाटक	654	-83	1,991	1,527	1,571	1,070	204.2	-1,949.2	-21.1	-29.9
9. केरल	205	-46	534	278	1,218	599	160.5	-710.0	128.1	115.3
10. मध्य प्रदेश	431	-311	871	434	1,875	1,429	101.8	-239.3	115.3	229.5
11. महाराष्ट्र	498	95	991	578	722	297	98.9	506.9	-27.1	-48.6
12. उड़ीसा	741	-39	1,186	751	1,901	1,465	60.1	-2,049.1	60.3	95.2
13. पंजाब	21	-4,008	465	122	344	117	2,137.6	-103.1	-26.0	-4.3
14. राजस्थान	341	-295	589	207	584	188	72.5	-170.4	-0.7	-9.1
15. तमिलनाडु	327	-213	1,088	778	1,737	1,413	233.0	-464.6	59.6	81.6
16. उत्तर प्रदेश	379	-1,795	503	-687	503	-698	32.5	-61.7	–	1.5
17. पश्चिम बंगाल	621	-255	562	-366	569	-267	-9.4	43.8	1.1	-27.1
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	84	39	22	19	2	-22	-74.0	-51.9	-92.9	-217.5
2. असम	117	5	148	-84	93	-102	26.5	-1,833.8	-37.6	22.2
3. हिमाचल प्रदेश	38	-91	–	-54	–	-56	-99.1	-40.0	–	3.7
4. जम्मू और कश्मीर	521	408	516	403	607	499	-1.0	-1.2	17.6	23.8
5. मणिपुर	6	-239	7	-238	7	-238	16.0	-0.4	–	–
6. मेघालय	3	-26	9	-12	9	-10	189.3	-52.9	1.2	-19.0
7. मिजोरम	5	-26	19	–	25	7	249.4	-101.6	36.0	1,416.1
8. नागालैंड	1	-17	4	–	4	-16	230.5	-100.1	–	-145,596.3
9. सिक्किम	5	-8	9	-5	5	-9	79.4	-40.1	-44.3	84.5
10. त्रिपुरा	6	-22	–	-28	–	-62	-100.0	27.9	–	121.3
11. उत्तराखंड	20	-9	64	35	29	-9	220.6	-501.2	-54.5	-124.7
सभी राज्य	**5,717**	**-8,887**	**11,291**	**3,435**	**15,348**	**6,942**	**97.5**	**-138.7**	**35.9**	**102.1**
ज्ञापन मद :										
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. पुदुचेरी	444	350	72	-30	182	72	-83.8	-108.5	152.8	-340.9

'-' : नगण्य/शून्य।

* : केंद्र को ऋण चुकौती को घटाकर केंद्र से प्राप्त सकल ऋण है।

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 25 : केंद्र के संसाधनों का सकल और निवल न्यागमन तथा अंतरण

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2006-07 (लेखा)		2007-08 (संशोधित अनुमान)		2008-09 (बजट अनुमान)		अंतर (प्रतिशत)			
							कॉ.4/कॉ.2	कॉ.5/कॉ.3	कॉ.6/कॉ.4	कॉ.7/कॉ.5
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर-विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	14,146	11,709	18,951	16,855	26,757	24,785	34.0	44.0	41.2	47.1
2. बिहार	18,542	17,802	23,271	22,208	27,878	26,841	25.5	24.7	19.8	20.9
3. छत्तीसगढ़	5,008	4,819	7,241	7,061	7,728	7,458	44.6	46.5	6.7	5.6
4. गोवा	403	327	577	530	878	813	43.2	62.1	52.1	53.4
5. गुजरात	7,884	6,164	9,283	7,856	10,594	9,176	17.7	27.4	14.1	16.8
6. हरियाणा	2,456	2,190	3,049	2,867	3,396	3,122	24.2	30.9	11.4	8.9
7. झारखंड	5,583	5,125	6,463	6,000	7,334	6,873	15.8	17.1	13.5	14.6
8. कर्नाटक	10,842	9,351	13,811	12,533	15,004	13,616	27.4	34.0	8.6	8.6
9. केरल	5,512	4,829	6,950	6,266	9,079	7,992	26.1	29.8	30.6	27.6
10. मध्य प्रदेश	12,994	11,534	16,265	15,117	19,046	17,851	25.2	31.1	17.1	18.1
11. महाराष्ट्र	15,076	12,953	17,679	15,903	22,025	20,827	17.3	22.8	24.6	31.0
12. उड़ीसा	10,120	8,640	13,859	12,249	15,764	14,059	36.9	41.8	13.7	14.8
13. पंजाब	3,826	-249	6,265	5,886	6,967	6,695	63.7	-2,465.3	11.2	13.8
14. राजस्थान	10,895	9,627	14,027	13,032	15,417	14,385	28.7	35.4	9.9	10.4
15. तमिलनाडु	10,046	8,877	15,353	14,541	16,810	15,955	52.8	63.8	9.5	9.7
16. उत्तर प्रदेश	31,448	27,426	42,590	39,682	47,898	45,037	35.4	44.7	12.5	13.5
17. पश्चिम बंगाल	13,506	10,819	16,575	13,936	18,641	16,221	22.7	28.8	12.5	16.4
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	2,301	2,256	2,659	2,656	3,288	3,264	15.6	17.7	23.7	22.9
2. असम	8,442	8,147	12,146	11,593	16,016	15,499	43.9	42.3	31.9	33.7
3. हिमाचल प्रदेश	4,880	4,669	4,805	4,673	5,865	5,735	-1.5	0.1	22.1	22.7
4. जम्मू और कश्मीर	9,995	9,882	11,132	10,829	12,117	11,868	11.4	9.6	8.9	9.6
5. मणिपुर	2,566	2,201	3,260	2,917	3,272	2,950	27.1	32.5	0.4	1.2
6. मेघालय	1,656	1,584	2,738	2,680	3,128	3,081	65.3	69.2	14.2	14.9
7. मिजोरम	1,773	1,699	2,183	2,133	2,051	2,001	23.1	25.6	-6.0	-6.2
8. नागालैंड	2,564	2,499	2,924	2,903	3,010	2,959	14.1	16.2	2.9	1.9
9. सिक्किम	863	811	1,334	1,296	1,397	1,358	54.6	59.9	4.7	4.8
10. त्रिपुरा	2,903	2,824	3,129	3,056	3,694	3,590	7.8	8.2	18.1	17.5
11. उत्तराखंड	4,233	4,162	5,547	5,481	6,469	6,421	31.0	31.7	16.6	17.2
सभी राज्य	**2,20,462**	**1,92,676**	**2,84,063**	**2,62,737**	**3,31,525**	**3,10,436**	**28.8**	**36.4**	**16.7**	**18.2**
ज्ञापन मद :										
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	574	-1,636	1,409	-1,096	1,738	-737	145.4	-33.0	23.3	-32.8
2. पुदुचेरी	1,208	928	879	566	885	573	-27.2	-39.0	0.7	1.3

* : निवल न्यागमन तथा अंतरण केंद्र को ऋण की चुकौती और केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज का भुगतान घटाकर सकल न्यागमन तथा अंतरण है।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 26 : बकाया देयताओं का संयोजन

(मार्च 2007 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	राज्य विकास ऋण	पॉवर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएस-एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंक और अन्य वित्त संस्थाओ से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण तथा अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 7 to 12	14= (2 to 6)+13	15	16	17	18	19	20 = 14 to 19
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	23,543	2,192	–	24,039	–	2,096	149	2,357	–	97	1,843	6,542	**56,317**	15,000	26,148	1,944	10,687	50	**1,10,145**
2. बिहार	10,393	1,868	23	14,704	-9	25	3	336	–	48	13	424	**27,404**	8,268	9,161	976	3,691	350	**49,850**
3. छत्तीसगढ़	2,695	435	–	4,295	–	20	11	591	–	43	–	665	**8,090**	2,111	1,573	739	1,418	40	**13,971**
4. गोवा	1,108	–	–	2,582	–	27	–	18	–	1	71	117	**3,806**	861	633	105	371	30	**5,806**
5. गुजरात	12,722	1,466	2	43,966	–	–	4	6	227	6	2,579	2,822	**60,978**	11,015	4,415	3,522	9,874	197	**90,001**
6. हरियाणा	4,994	1,820	–	10,485	–	22	18	691	–	89	241	1,061	**18,360**	2,128	5,958	802	1,387	10	**28,645**
7. झारखंड	3,805	1,904	8	7,731	9	5	2	1,055	–	178	1,777	3,016	**16,473**	2,649	689	331	917	300	**21,360**
8. कर्नाटक	11,700	–	–	19,306	–	678	72	895	–	-2	-557	1,087	**32,094**	9,202	7,785	1,190	4,249	67	**54,587**
9. केरल	12,847	1,042	1	11,875	–	2,871	299	552	–	222	260	4,203	**29,969**	5,373	14,534	395	1,896	100	**52,266**
10. मध्य प्रदेश	11,219	2,398	–	14,579	–	153	20	1,533	122	18	2,082	3,928	**32,124**	8,685	7,647	1,782	3,632	100	**53,971**
11. महाराष्ट्र	19,967	917	3	71,376	–	2,336	-8	734	2	363	2,891	6,318	**98,580**	8,645	9,411	24,696	18,338	95	**1,59,765**
12. उड़ीसा	8,898	993	–	6,862	–	22	46	656	–	5	686	1,414	**18,167**	8,797	10,327	2,406	1,967	-28	**41,635**
13. पंजाब	9,435	574	–	21,185	–	5	2	1,018	4,255	–	666	5,946	**37,140**	3,213	7,977	1,563	1,080	25	**50,998**
14. राजस्थान	16,070	221	–	24,425	59	799	85	927	–	56	223	2,089	**42,865**	7,632	14,304	1,339	4,998	35	**71,173**
15. तमिलनाडु	16,373	–	–	25,631	–	1,279	125	1,564	314	34	1,295	4,610	**46,614**	6,469	7,088	2,064	5,604	150	**67,989**
16. उत्तर प्रदेश	30,759	5,285	40	42,647	-31	-18	76	1,030	2,091	-47	5,982	9,113	**87,813**	21,965	19,963	22,225	15,950	-141	**1,67,776**
17. पश्चिम बंगाल	20,839	1,767	2	60,987	–	29	16	42	–	101	8,400	8,588	**91,184**	14,778	5,383	2,060	8,954	13	**1,23,372**
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	424	22	–	496	332	3	–	183	–	14	-1	199	**1,472**	478	527	117	52	–	**2,646**
2. असम	6,525	772	–	4,689	–	3	21	303	–	25	115	467	**12,453**	2,670	3,615	950	-375	50	**19,364**
3. हिमाचल प्रदेश	4,583	63	–	3,694	42	520	3	464	–	27	2,728	3,742	**12,125**	1,022	3,613	175	1,142	5	**18,082**
4. जम्मू और कश्मीर	3,538	1,432	–	3,141	–	686	14	629	2,047	1	328	3,705	**11,815**	2,075	4,058	1,135	688	1	**19,772**
5. मणिपुर	868	141	–	481	–	8	–	10	–	17	88	123	**1,613**	1,206	900	14	703	–	**4,436**
6. मेघालय	1,120	13	–	279	–	1	1	58	–	7	132	199	**1,611**	364	383	57	399	6	**2,819**
7. मिजोरम	709	41	–	140	47	285	–	48	–	4	106	443	**1,380**	384	863	29	657	–	**3,313**
8. नागालैंड	1,700	71	–	113	95	99	27	90	–	1	320	537	**2,516**	419	508	-22	-70	–	**3,352**
9. सिक्किम	517	43	–	117	–	75	1	24	–	–	13	113	**790**	222	321	2	67	1	**1,403**
10. त्रिपुरा	1,159	57	–	1,111	–	227	–	22	–	–	-16	233	**2,561**	556	2,341	21	78	10	**5,567**
11. उत्तराखंड	4,266	515	2	4,373	31	1	5	534	36	47	516	1,139	**10,325**	464	1,202	137	1,134	38	**13,300**
सभी राज्य	**2,42,777**	**26,051**	**82**	**4,25,309**	**575**	**12,257**	**989**	**16,372**	**9,094**	**1,352**	**32,782**	**72,846**	**7,67,640**	**1,46,653**	**1,71,325**	**70,754**	**99,487**	**1,504**	**12,57,362**
ज्ञापन मद :																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	25,569	–	–	–	–	–	–	–	–	**25,569**	–	–	–	–	–	**25,569**
2. पुदुचेरी	–	–	–	1,165	–	–	–	–	–	–	–	–	**1,165**	1,353	–	–	–	1	**2,519**

(Contd.)

विवरण 26: बकाया देयताओं का संयोजन *(जारी)*

(मार्च 2008 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	राज्य विकास ऋण	पॉवर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएस-एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंक और अन्य वित्त संस्थाओ से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण तथा अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 7 to 12	14= (2 to 6)+13	15	16	17	18	19	20 = 14 to 19
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	29,186	1,949	–	24,222	–	1,747	149	3,570	–	107	183	5,756	**61,112**	15,314	26,939	2,283	11,384	50	**1,17,083**
2. बिहार	10,706	1,660	22	15,331	-9	24	3	965	–	41	13	1,046	**28,757**	7,852	9,410	276	3,257	350	**49,903**
3. छत्तीसगढ़	2,510	387	–	4,355	–	20	11	879	–	39	–	949	**8,201**	2,375	1,563	823	1,426	43	**14,431**
4. गोवा	1,477	–	–	2,680	–	25	–	27	–	3	71	126	**4,283**	852	663	105	386	30	**6,318**
5. गुजरात	19,021	1,303	2	44,389	–	–	4	4	204	2	3,384	3,599	**68,315**	10,740	4,415	3,322	9,874	197	**96,864**
6. हरियाणा	4,741	1,618	–	10,536	–	19	18	891	–	97	452	1,477	**18,372**	2,164	6,389	821	1,751	10	**29,507**
7. झारखंड	4,734	1,692	7	7,861	9	5	2	1,680	–	379	3,337	5,402	**19,706**	2,511	906	331	756	300	**24,510**
8. कर्नाटक	11,988	–	–	19,515	–	644	72	1,441	–	-42	-618	1,496	**32,999**	10,729	8,798	1,190	4,249	67	**58,032**
9. केरल	16,481	927	1	11,982	–	3,121	299	968	–	172	271	4,831	**34,221**	5,651	16,185	371	2,077	100	**58,605**
10. मध्य प्रदेश	12,584	2,131	–	14,686	–	150	20	2,114	122	13	2,099	4,518	**33,919**	9,119	7,799	1,617	3,725	100	**56,280**
11. महाराष्ट्र	27,711	815	3	72,851	–	2,086	-8	1,625	2	566	2,605	6,876	**1,08,255**	9,223	10,191	13,312	20,999	95	**1,62,075**
12. उड़ीसा	8,024	882	–	6,756	–	19	46	956	–	4	658	1,682	**17,345**	9,548	10,627	2,406	1,867	-28	**41,764**
13. पंजाब	13,228	510	–	21,642	90	4	2	1,274	3,768	–	609	5,657	**41,127**	3,335	8,518	1,563	1,080	25	**55,649**
14. राजस्थान	19,303	184	–	24,203	–	614	85	1,369	–	91	187	2,346	**46,036**	7,839	15,607	2,383	5,198	35	**77,099**
15. तमिलनाडु	20,502	–	–	24,848	–	1,203	125	2,202	298	44	992	4,864	**50,214**	7,247	8,025	2,218	6,910	150	**74,764**
16. उत्तर प्रदेश	33,389	4,697	40	44,055	-31	-24	76	1,315	2,091	-32	5,913	9,339	**91,489**	21,277	21,681	23,582	16,239	-131	**1,74,138**
17. पश्चिम बंगाल	31,579	1,571	2	61,715	–	25	16	49	–	91	8,557	8,737	**103,604**	14,412	5,731	1,720	9,157	20	**1,34,645**
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	598	19	–	521	402	3	–	247	–	14	-121	143	**1,683**	497	677	117	43	–	**3,016**
2. असम	7,155	686	–	4,699	–	2	21	468	–	32	83	606	**13,147**	2,586	3,999	950	-375	50	**20,358**
3. हिमाचल प्रदेश	5,905	56	–	3,829	42	471	3	618	–	24	2,148	3,263	**13,095**	968	3,963	175	1,142	5	**19,348**
4. जम्मू और कश्मीर	5,645	1,273	–	3,169	–	786	14	829	2,047	1	243	3,920	**14,007**	2,479	4,567	1,265	378	1	**22,697**
5. मणिपुर	1,078	126	–	681	–	5	–	20	–	14	87	127	**2,011**	968	923	14	652	–	**4,568**
6. मेघालय	1,268	11	–	288	–	1	1	82	–	6	115	205	**1,772**	351	425	57	396	6	**3,007**
7. मिजोरम	838	36	–	140	47	286	–	55	–	2	64	407	**1,468**	384	1,009	25	559	–	**3,446**
8. नागालैंड	1,998	63	–	113	95	103	27	107	–	3	381	620	**2,890**	419	505	-41	-125	–	**3,649**
9. सिक्किम	742	38	–	115	–	81	1	42	–	–	11	135	**1,030**	217	338	6	67	1	**1,659**
10. त्रिपुरा	1,114	51	–	1,115	–	227	–	51	–	–	-41	237	**2,516**	528	2,389	16	93	10	**5,553**
11. उत्तराखंड	5,001	458	2	4,582	31	1	5	676	36	47	515	1,281	**11,355**	499	1,227	222	1,349	38	**14,690**
सभी राज्य	**2,98,508**	**23,143**	**80**	**4,30,879**	**676**	**11,647**	**989**	**24,523**	**8,568**	**1,718**	**32,199**	**79,644**	**8,32,930**	**1,50,088**	**1,83,472**	**61,129**	**1,04,513**	**1,524**	**13,33,656**
ज्ञापन मद :																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	25,339	–	–	–	–	–	–	–	–	**25,339**	–	–	–	–	–	**25,339**
2. पुदुचेरी	337	–	–	1,174	–	–	–	–	–	–	353	353	**1,864**	1,324	2	–	7	1	**3,198**

विवरण 26: बकाया देयताओं का संयोजन *(समाप्त)*

(मार्च 2008 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	राज्य विकास ऋण	पॉवर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएस-एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंक और अन्य वित्त संस्थाओ से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण तथा अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 7 to 12	14= (2 to 6)+13	15	16	17	18	19	20 = 14 to 19
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	35,035	1,827	–	24,886	–	1,398	149	5,125	–	107	-226	6,553	**68,301**	17,083	27,809	2,276	11,478	50	**1,26,996**
2. बिहार	12,659	1,556	22	16,274	-9	24	3	1,516	–	48	13	1,604	**32,106**	7,432	9,760	276	3,352	350	**53,277**
3. छत्तीसगढ़	3,203	363	–	4,582	–	12	11	1,130	–	331	-6	1,479	**9,627**	2,696	1,564	927	1,461	43	**16,317**
4. गोवा	2,045	–	–	2,777	–	23	–	37	–	5	97	162	**4,984**	904	693	105	402	30	**7,118**
5. गुजरात	26,171	1,222	2	44,092	–	–	4	3	182	1	3,989	4,179	**75,667**	10,603	4,415	2,917	9,874	197	**1,03,674**
6. हरियाणा	6,009	1,517	–	10,686	–	16	18	1,098	–	105	680	1,916	**20,128**	2,091	6,862	850	2,121	10	**32,062**
7. झारखंड	5,111	1,586	7	8,297	9	5	2	1,883	–	435	4,021	6,346	**21,356**	2,346	1,164	331	910	300	**26,407**
8. कर्नाटक	15,188	–	–	20,671	–	609	72	1,932	–	-72	-624	1,916	**37,775**	11,800	9,912	1,190	4,249	67	**64,992**
9. केरल	17,911	869	1	14,431	–	3,341	299	1,359	–	156	282	5,437	**38,649**	6,250	17,135	377	2,290	100	**64,801**
10. मध्य प्रदेश	14,998	1,998	–	15,291	–	139	20	2,702	122	-7	2,130	5,105	**37,393**	10,549	7,962	1,601	3,766	100	**61,370**
11. महाराष्ट्र	32,209	764	3	80,048	–	1,836	-8	2,489	2	761	2,307	7,386	**120,410**	9,520	10,968	12,981	22,757	95	**1,76,730**
12. उड़ीसा	8,674	827	–	6,601	–	16	46	1,336	–	3	639	2,040	**18,142**	11,013	11,127	2,406	2,006	-28	**44,666**
13. पंजाब	16,369	478	–	22,599	90	3	2	1,549	3,236	–	546	5,337	**44,872**	3,452	9,089	1,563	1,080	25	**60,081**
14. राजस्थान	23,022	166	–	24,106	–	428	85	1,748	–	126	157	2,545	**49,840**	8,028	16,963	2,499	5,522	200	**83,051**
15. तमिलनाडु	25,410	–	–	26,114	–	1,128	125	2,827	281	56	720	5,137	**56,661**	8,660	9,056	2,394	7,904	150	**84,825**
16. उत्तर प्रदेश	40,489	4,403	40	47,868	-31	-31	76	1,578	2,091	-21	5,485	9,178	**1,01,947**	20,579	24,054	24,962	16,785	-131	**1,88,197**
17. पश्चिम बंगाल	41,465	1,473	2	63,322	–	20	16	57	–	73	8,753	8,920	**1,15,182**	14,146	6,108	1,694	9,413	20	**1,46,563**
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	714	18	–	561	492	3	–	307	–	14	-248	76	**1,861**	474	836	117	43	–	**3,331**
2. असम	7,933	643	–	4,689	–	2	21	631	–	31	51	736	**14,000**	2,484	4,422	950	-375	50	**21,532**
3. हिमाचल प्रदेश	7,849	52	–	3,930	42	522	3	765	–	16	1,608	2,914	**14,787**	911	4,263	175	1,142	5	**21,283**
4. जम्मू और कश्मीर	6,186	1,193	–	3,622	–	886	14	1,094	2,047	1	74	4,116	**15,117**	2,978	5,208	1,412	85	1	**24,800**
5. मणिपुर	1,326	118	–	914	–	2	–	30	–	11	86	130	**2,488**	730	952	14	623	–	**4,806**
6. मेघालय	1,448	10	–	329	–	1	1	103	–	6	101	211	**1,999**	341	480	57	395	6	**3,278**
7. मिजोरम	931	34	–	137	47	285	–	60	–	–	38	384	**1,533**	391	1,112	39	559	–	**3,634**
8. नागालैंड	2,222	59	–	122	95	95	27	124	–	6	432	683	**3,181**	404	478	-61	-165	–	**3,836**
9. सिक्किम	1,070	36	–	113	–	85	1	78	–	–	9	174	**1,393**	208	354	13	67	1	**2,036**
10. त्रिपुरा	1,190	48	–	1,114	–	227	–	109	–	–	-69	267	**2,617**	466	2,439	16	98	10	**5,647**
11. उत्तराखंड	5,514	429	2	4,747	31	1	5	833	36	48	515	1,438	**12,161**	491	1,288	251	1,484	38	**15,713**
सभी राज्य	**3,62,350**	**21,689**	**80**	**4,52,923**	**766**	**11,077**	**989**	**32,500**	**7,996**	**2,242**	**31,562**	**86,367**	**9,24,176**	**1,57,030**	**1,96,473**	**62,332**	**1,09,326**	**1,689**	**14,51,026**
ज्ञापन मद :																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	24,953	–	–	–	–	–	–	–	–	**24,953**	–	–	–	–	–	**24,953**
2. पुदुचेरी	337	–	–	1,161	–	–	–	–	–	–	1,397	1,397	**2,895**	1,395	11	12	35	1	**4,350**

'-' : नगण्य/शून्य

स्रोत : 1. भारत के केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा, सीएजी
2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
3. रिज़र्व बैंक के रिकार्ड
4. राज्य सरकारों के बजट दसतावेज।
5. केंद्र सरकार का वित्तीय लेखा, सीजीए, भारत सरकार

विवरण 27 : राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (सं.अ.)	2009 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	8,150	9,454	11,063	12,940	15,224	17,778	20,201	23,313	28,301	34,829	41,809	48,637	56,030	75,361	90,399	1,03,177	1,10,145	1,17,083	1,26,996
2. बिहार	10,633	11,777	13,551	14,752	16,701	18,695	20,752	23,584	27,109	32,866	29,942	34,135	38,254	39,999	43,183	47,290	49,850	49,903	53,277
3. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,967	8,121	9,592	10,825	12,133	13,190	13,971	14,431	16,317
4. गोवा	903	967	1,049	1,115	1,183	1,275	1,402	1,568	1,936	2,510	2,822	3,746	3,503	3,885	4,417	5,126	5,806	6,318	7,118
5. गुजरात	8,076	9,361	10,502	11,467	12,999	14,889	17,006	20,419	25,068	34,190	42,781	47,919	55,175	62,307	71,334	83,024	90,001	96,864	1,03,674
6. हरियाणा	3,076	3,471	3,899	4,424	5,036	6,171	7,004	8,110	10,250	13,810	14,650	17,726	19,948	22,450	24,900	26,979	28,645	29,507	32,062
7. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,448	9,979	11,887	10,036	13,090	16,924	21,360	24,510	26,407
8. कर्नाटक	5,898	6,271	7,160	8,815	9,952	11,074	12,739	14,697	17,455	21,045	25,301	31,337	36,020	39,959	44,345	49,587	54,587	58,032	64,992
9. केरल	4,983	5,833	6,682	7,595	9,280	10,719	12,314	14,469	17,333	22,214	26,259	29,536	34,312	39,151	43,695	47,883	52,266	58,605	64,801
10. मध्य प्रदेश	7,777	8,803	11,442	10,792	12,165	13,891	15,948	17,975	21,957	25,933	22,127	26,043	29,882	37,967	44,586	49,647	53,971	56,280	61,370
11. महाराष्ट्र	12,878	15,279	16,911	18,787	21,979	26,379	30,602	37,052	44,264	58,813	67,601	78,541	89,952	1,06,838	1,24,554	1,46,228	1,59,765	1,62,075	1,76,730
12. उड़ीसा	5,156	6,065	6,792	7,689	8,914	10,295	11,996	13,636	16,281	20,614	24,220	28,161	30,869	33,850	36,982	40,724	41,635	41,764	44,666
13. पंजाब	7,071	8,131	9,524	10,874	12,454	14,040	15,618	17,904	21,823	26,610	30,763	35,730	40,125	42,819	47,071	51,140	50,998	55,649	60,081
14. राजस्थान	6,580	7,647	8,654	10,038	11,866	14,137	16,742	19,229	24,136	31,684	35,541	41,634	47,534	53,109	59,968	66,239	71,173	77,099	83,051
15. तमिलनाडु	7,044	8,341	10,206	11,616	13,541	15,134	17,257	19,512	23,189	29,568	34,541	39,069	44,471	51,759	55,968	63,848	67,989	74,764	84,825
16. उत्तर प्रदेश	19,760	22,978	26,366	29,693	34,253	38,998	45,630	52,428	62,103	77,934	83,098	95,822	1,05,126	1,24,063	1,36,273	1,54,061	1,67,776	1,74,138	1,88,197
17. पश्चिम बंगाल	8,857	10,135	11,281	12,926	15,128	17,716	21,114	25,173	32,192	44,042	54,929	66,396	78,325	89,472	97,342	1,14,419	1,23,372	1,34,645	1,46,563
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	280	287	262	281	319	397	480	477	566	735	739	790	966	1,736	2,069	2,412	2,646	3,016	3,331
2. असम	4,341	4,658	4,670	4,675	5,228	6,326	6,402	6,469	6,765	8,666	10,227	11,988	13,099	15,688	17,043	18,401	19,364	20,358	21,532
3. हिमाचल प्रदेश	1,329	1,492	1,833	1,996	2,556	3,267	3,661	4,298	6,383	7,840	8,705	10,055	12,228	14,379	16,483	17,390	18,082	19,348	21,283
4. जम्मू और कश्मीर	3,358	3,808	4,014	4,510	4,448	4,628	5,294	5,736	6,429	7,739	9,101	9,624	10,528	14,728	15,877	18,427	19,772	22,697	24,800
5. मणिपुर	390	503	531	564	607	676	721	1,040	1,328	1,614	1,870	1,870	1,890	2,537	3,365	4,316	4,436	4,568	4,806
6. मेघालय	218	245	301	381	450	490	475	658	862	1,117	1,388	1,528	1,820	2,123	2,410	2,610	2,819	3,007	3,278
7. मिजोरम	330	314	322	378	444	538	574	771	842	1,178	1,375	1,713	1,967	2,606	2,922	3,154	3,313	3,446	3,634
8. नागालैंड	409	476	520	586	624	781	753	876	1,063	1,389	1,604	1,884	2,385	2,389	2,638	3,006	3,352	3,649	3,836
9. सिक्किम	142	162	199	222	263	292	228	260	415	593	852	929	989	1,010	1,150	1,289	1,403	1,659	2,036
10. त्रिपुरा	517	573	631	759	856	948	986	1,163	1,525	1,993	2,384	2,817	3,278	4,057	4,853	5,358	5,567	5,553	5,647
11. उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,106	5,018	6,274	8,273	10,123	12,017	13,300	14,690	15,713
सभी राज्य	**1,28,155**	**1,47,030**	**1,68,365**	**1,87,875**	**2,16,473**	**2,49,535**	**2,85,898**	**3,30,816**	**3,99,576**	**5,09,529**	**5,94,148**	**6,90,747**	**7,86,427**	**9,13,376**	**10,29,174**	**11,67,866**	**12,57,362**	**13,33,656**	**14,51,026**
ज्ञापन मद :																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	117	627	1,354	2,205	3,081	3,788	6,348	7,924	9,777	12,494	14,149	15,836	21,567	25,569	25,339	24,953
2. पुदुचेरी	–	–	-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,310	1,549	1,817	2,519	3,198	4,350

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान '-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : आंकड़ा स्रोत तथा कार्यपद्धति पर व्याख्यात्मक टिप्पणी देखें।

स्रोत : विवरण 26 के अनुसार।

विवरण 28 : कुल बकाया देयताएं - राज्यों के सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

राज्य	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (सं.अ.)	2009 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	23.0	21.9	23.5	22.4	22.1	22.3	22.4	24.3	24.6	26.9	28.8	30.9	33.3	39.5	43.0	43.7	40.9	37.5	35.6
2. बिहार	38.1	37.8	40.2	37.8	37.9	42.3	38.6	38.4	39.0	39.0	52.3	59.1	58.7	59.7	58.5	59.3	52.9	47.9	46.3
3. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.4	26.8	29.2	27.2	26.4	25.4	23.6	21.3	21.2
4. गोवा	67.3	58.4	52.5	46.5	41.7	38.4	35.4	31.9	31.9	39.7	41.8	52.8	43.3	41.8	38.5	41.3	42.1	40.1	40.6
5. गुजरात	26.5	28.0	23.9	23.3	20.5	20.7	19.8	22.4	23.8	31.1	38.5	38.8	39.0	37.1	38.3	38.3	35.4	33.1	30.4
6. हरियाणा	20.9	19.7	20.8	20.0	19.2	20.7	19.7	21.0	23.5	26.9	25.2	27.1	27.5	27.2	26.6	25.4	22.6	20.0	18.7
7. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.3	28.5	31.1	23.6	23.0	26.9	30.6	31.7	30.9
8. कर्नाटक	23.6	19.4	20.2	21.5	20.8	19.7	19.5	20.1	19.9	21.9	24.6	29.0	30.7	31.1	29.9	29.0	29.0	27.0	26.6
9. केरल	30.2	28.5	28.7	28.9	29.1	27.7	27.7	29.2	30.8	32.4	36.4	38.2	39.8	40.8	40.8	40.2	39.4	39.5	39.3
10. मध्य प्रदेश	24.7	26.1	30.3	20.7	21.0	21.4	21.4	22.0	23.5	24.0	27.9	30.0	34.4	36.9	41.6	42.7	42.1	39.5	38.9
11. महाराष्ट्र	19.4	20.2	18.0	16.6	16.9	16.7	17.1	19.0	21.1	23.8	27.0	29.0	30.1	31.7	32.9	33.8	31.4	28.0	26.9
12. उड़ीसा	45.2	41.4	42.9	41.5	40.1	38.0	45.3	42.3	45.8	48.0	55.7	60.0	61.5	55.1	51.8	51.9	45.7	40.4	38.3
13. पंजाब	38.4	36.5	37.2	36.0	36.4	36.4	35.3	36.8	39.2	39.6	41.2	44.8	48.7	47.7	48.3	46.6	41.3	40.7	39.6
14. राजस्थान	27.5	28.8	27.7	30.4	28.6	29.9	29.1	30.0	33.0	38.3	43.1	45.4	53.7	47.6	52.0	53.3	50.1	46.3	44.1
15. तमिलनाडु	20.3	20.4	21.4	20.2	19.7	19.4	19.3	18.8	19.6	22.0	23.5	26.2	28.1	29.4	27.9	28.6	26.3	25.1	23.9
16. उत्तर प्रदेश	32.8	32.8	34.4	34.5	33.9	34.3	33.5	35.8	37.9	41.5	45.8	50.3	50.8	54.6	55.3	55.1	53.6	50.3	48.1
17. पश्चिम बंगाल	23.6	23.3	24.2	24.2	24.4	24.0	25.7	25.7	27.9	32.6	38.3	42.3	46.6	47.3	46.7	48.5	45.3	43.5	41.5
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	55.9	46.4	36.0	31.4	32.9	33.5	39.6	35.7	37.4	45.5	40.9	37.1	45.9	72.1	74.2	80.8	78.8	79.8	78.4
2. असम	39.7	38.2	34.8	30.9	29.8	32.6	30.5	28.4	26.5	24.9	27.8	31.3	30.2	33.2	32.2	32.0	29.8	28.0	26.8
3. हिमाचल प्रदेश	41.7	39.8	42.3	41.7	43.9	48.8	47.2	48.6	59.7	55.6	55.6	58.6	64.7	69.4	71.6	68.4	63.9	60.5	58.9
4. जम्मू और कश्मीर	81.0	80.7	76.7	71.1	63.8	57.2	58.0	55.8	56.3	49.4	54.5	53.4	51.8	66.4	65.4	68.8	67.9	70.5	69.1
5. मणिपुर	47.5	51.0	48.6	43.1	43.2	41.5	38.0	48.2	54.7	49.5	60.1	55.5	53.9	63.8	66.6	75.5	68.9	62.8	58.6
6. मेघालय	21.4	20.7	22.9	25.2	27.0	24.6	21.6	26.3	29.3	30.7	34.3	33.1	37.1	38.6	40.3	40.3	40.0	39.4	39.6
7. मिजोरम	84.8	59.1	53.0	53.1	60.1	57.4	53.5	68.6	67.6	76.0	79.2	88.0	90.8	112.1	119.0	117.0	111.0	104.8	99.2
8. नागालैंड	53.4	51.6	48.4	42.6	39.1	43.0	37.2	37.7	44.6	49.6	45.1	45.2	50.9	47.4	49.3	45.3	44.9	43.5	40.6
9. सिक्किम	58.0	60.2	71.5	55.2	59.7	56.1	38.4	38.2	52.8	66.1	84.0	81.8	77.5	70.6	71.8	71.5	68.8	72.2	78.6
10. त्रिपुरा	39.8	39.1	40.7	42.7	45.5	41.3	35.8	35.3	40.0	41.0	43.4	44.2	48.7	53.7	58.5	58.7	54.1	48.4	43.8
11. उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.9	31.3	33.6	40.0	44.5	46.6	44.5	42.5	39.3
सभी राज्य (सधउ का प्रतिशत)	**22.5**	**22.5**	**22.4**	**21.7**	**21.3**	**20.9**	**20.7**	**21.7**	**22.8**	**26.1**	**28.3**	**30.3**	**32.0**	**33.2**	**32.7**	**32.6**	**30.3**	**28.3**	**27.4**
ज्ञापन मद :																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	0.6	2.4	4.8	6.5	7.5	8.0	11.5	12.9	14.7	17.4	17.5	17.2	20.5	21.6	18.9	16.4
2. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.1	29.8	31.9	40.0	45.7	56.3

'–' : उपलब्ध नहीं/लागू नहीं. सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान.

टिप्पणी : आंकड़ा स्रोत तथा कार्यपद्धति पर व्याख्यात्मक टिप्पणी देखें।

स्रोत : विवरण 26 के अनुसार।

विवरण 29 : राज्य सरकारों के बाजार उधार

(करोड़ रुपए)

राज्य	2006-07				2007-08				2008-09			
	सकल आंबटन	चुकौति	निवल आंबटन	उगाही गई राशि	सकल आंबटन	चुकौति	निवल आंबटन	उगाही गई राशि	सकल आंबटन	चुकौति	निवल आंबटन	उगाही गई राशि*
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12=10-11	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	2,726	530	2,196	2,726	8,325	1,008	7,318	6,650	9,415	1,783	7,633	5000
2. बिहार	1,183	418	766	–	2,196	779	1,417	1,092	1,481	733	748	–
3. छत्तीसगढ़	476	95	381	–	978	157	821	–	396	153	242	–
4. गोवा	159	19	140	100	636	31	605	400	602	96	505	200
5. गुजरात	944	282	662	–	6,777	475	6,301	6,775	6,874	677	6,198	2250
6. हरियाणा	598	147	451	–	1,272	253	1,018	–	1,295	290	1,005	–
7. झारखंड	401	141	259	401	1,553	264	1,289	1,192	444	248	195	–
8. कर्नाटक	1,376	233	1,142	–	2,462	462	2,000	750	4,033	833	3,200	–
9. केरल	2,168	380	1,788	2,168	4,297	663	3,634	4,297	3,947	734	3,213	2,335
10. मध्य प्रदेश	1,421	357	1,065	1,420	3,682	538	3,144	1,875	2,952	538	2,414	625
11. महाराष्ट्र	1,738	468	1,269	1,738	8,568	775	7,793	8,520	5,295	795	4,500	2,000
12. उड़ीसा	1,047	393	653	–	1,085	718	367	–	718	670	48	–
13. पंजाब	981	243	738	981	4,121	328	3,794	4,121	3,869	416	3,453	3,202
14. राजस्थान	1,499	434	1,065	1,499	3,987	754	3,233	3,987	2,416	1,160	1,256	2,000
15. तमिलनाडु	1,814	444	1,371	1,814	4,942	813	4,130	4,942	4,920	806	4,114	1,500
16. उत्तर प्रदेश	3,248	979	2,269	3,248	6,494	1,791	4,703	4,422	7,099	2,397	4,703	6,000
17. पश्चिम बंगाल	1,336	492	844	1,336	11,607	867	10,740	11,607	9,241	854	8,387	8,353
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	108	5	103	108	185	10	174	185	181	10	171	–
2. असम	857	179	678	857	964	333	631	963	788	405	383	–
3. हिमाचल प्रदेश	512	44	468	512	1,399	77	1,322	1,399	2,173	160	2,014	512
4. जम्मू और कश्मीर	691	73	617	691	2,226	118	2,108	2,226	1,063	128	936	976
5. मणिपुर	99	18	81	99	247	37	210	247	200	39	161	200
6. मेघालय	192	28	164	192	196	48	147	196	245	73	172	120
7. मिजोरम	125	17	108	125	147	18	129	147	90	30	60	60
8. नागालैंड	293	44	250	293	369	71	298	369	310	94	216	160
9. सिक्किम	115	17	97	115	308	26	282	250	293	45	248	293
10. त्रिपुरा	123	20	104	35	238	45	193	–	144	78	66	–
11. उत्तराखंड	369	52	317	369	971	95	877	830	891	127	764	665
सभी राज्य	**26,597**	**6,551**	**20,046**	**20,825**	**80,233**	**11,555**	**68,678**	**67,442**	**71,374**	**14,371**	**57,003**	**36,451**
ज्ञापन मद :												
1. पुदुचेरी	–	–	–	–	337	–	337	337	100	–	100	100

* : 15 दिसंबर 2008 तक। '-' : शून्य।

स्रोत: रिज़र्व बैंक रिकार्ड।

विवरण 30 : राज्य सरकारों के योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	1999-2000 (वास्तविक व्यय)	2000-01 (वास्तविक व्यय)	2001-02 (वास्तविक व्यय)	2002-03 (वास्तविक व्यय)	2003-04 (वास्तविक व्यय)	2004-05 (वास्तविक व्यय)	2005-06 (वास्तविक व्यय)	2006-07 (वास्तविक व्यय)	2007-08 (संशोधित परिव्यय)	2008-09 (संशोधित परिव्यय)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
I. गैर-विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	4,748	7,035	7,969	8,315	10,759	11,457	13,439	18,207	29,982	44,000
2. बिहार	2,676	1,638	1,471	2,207	2,627	3,196	4,465	8,550	10,200	13,000
3. छत्तीसगढ़	–	470	1,361	1,767	2,404	2,833	3,465	5,107	7,414	9,600
4. गोवा	237	361	373	423	568	767	958	1,070	1,430	1,738
5. गुजरात	6,492	4,965	5,357	5,403	7,585	7,603	11,000	14,384	16,000	21,000
6. हरियाणा	1,676	1,718	1,766	1,776	1,866	2,108	2,997	4,233	5,500	6,650
7. झारखंड	–	–	2,024	2,797	1,772	2,991	4,079	3,883	6,676	8,015
8. कर्नाटक	6,363	6,785	7,904	8,164	8,619	11,741	12,678	18,309	17,783	26,053
9. केरल	2,946	2,954	2,398	3,944	3,618	3,544	3,878	4,559	6,950	7,700
10. मध्य प्रदेश	3,589	3,177	4,532	5,330	5,087	6,610	7,443	9,532	12,011	14,183
11. महाराष्ट्र	10,419	9,586	8,526	7,739	8,188	9,817	14,674	15,681	20,200	25,000
12. उड़ीसा	2,484	2,562	2,450	2,474	2,437	2,739	2,819	3,631	5,520	7,500
13. पंजाब	1,753	1,877	2,171	1,766	1,586	1,956	3,825	5,752	5,111	6,210
14. राजस्थान	3,601	3,773	4,338	4,431	6,044	6,591	7,700	8,969	11,950	14,000
15. तमिलनाडु	5,414	5,777	5,319	5,841	7,088	8,286	8,784	12,677	14,000	16,000
16. उत्तर प्रदेश	6,572	5,956	7,695	6,618	6,132	8,428	13,523	20,342	25,000	35,000
17. पश्चिम बंगाल	3,928	5,631	4,595	2,673	2,529	4,268	5,990	6,935	9,637	11,602
कुल I	**62,898**	**64,265**	**70,249**	**71,668**	**78,908**	**94,935**	**1,21,717**	**1,61,820**	**2,05,363**	**2,67,250**
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	468	511	555	532	642	656	738	892	1,320	2,065
2. असम	1,405	1,481	1,628	1,415	1,456	2,175	1,869	2,758	3,895	5,012
3. हिमाचल प्रदेश	1,624	1,723	1,720	2,051	1,307	1,475	1,676	2,017	2,105	2,400
4. जम्मू और कश्मीर	1,506	1,538	1,743	2,064	2,352	2,839	3,556	3,406	4,850	4,500
5. मणिपुर	453	248	229	209	287	560	611	1,046	1,420	1,660
6. मेघालय	343	463	470	400	487	590	688	760	1,017	1,500
7. मिजोरम	378	372	402	421	551	550	693	702	858	1,000
8. नागालैंड	306	318	400	368	479	463	648	693	843	1,200
9. सिक्किम	193	218	282	340	368	467	472	450	695	852
10. त्रिपुरा	453	474	523	591	576	579	746	892	1,021	1,450
11. उत्तराखंड	–	821	1,729	1,449	1,678	1,917	3,026	3,250	4,379	4,775
कुल II	**7,129**	**8,167**	**9,681**	**9,840**	**10,183**	**12,271**	**14,723**	**16,867**	**22,404**	**26,414**
समग्र कुल (I + II)	**70,027**	**72,432**	**79,930**	**81,508**	**89,091**	**1,07,206**	**1,36,440**	**1,78,687**	**2,27,767**	**2,93,664**
ज्ञापन मद :										
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	2,298	3,129	4,005	4,406	4,609	4,261	4,286	5,084	9,000	10,000
2. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	916	1,037	1,090	1,750

'-' : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं।

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार।

विवरण 31 : पूंजी प्राप्तियां तथा पूंजी व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	पूंजी प्रप्तियां			पूंजी व्यय		
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर-विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	13,548	22,943	26,980	15,210	23,127	27,556
2. बिहार	3,524	3,918	4,967	6,551	9,020	9,636
3. छत्तीसगढ़	1,473	2,481	3,078	3,188	4,424	4,910
4. गोवा	703	766	979	708	817	1,213
5. गुजरात	9,454	8,658	10,277	9,968	9,480	11,206
6. हरियाणा	4,824	2,089	3,943	3,276	4,117	4,764
7. झारखंड	5,149	4,598	2,697	4,492	5,264	5,269
8. कर्नाटक	7,997	4,096	11,867	10,649	10,630	13,434
9. केरल	5,798	7,529	7,863	2,335	3,766	4,301
10. मध्य प्रदेश	6,002	6,448	6,995	7,854	9,585	9,715
11. महाराष्ट्र	15,086	5,400	18,290	14,456	16,050	17,616
12. उड़ीसा	2,949	3,521	5,266	3,574	5,307	5,242
13. पंजाब	4,808	5,926	5,503	7,753	4,621	4,768
14. राजस्थान	7,022	9,562	8,314	6,902	9,214	8,817
15. तमिलनाडु	11,320	9,871	12,014	12,882	13,047	13,202
16. उत्तर प्रदेश	21,375	8,992	16,997	19,284	22,124	26,144
17. पश्चिम बंगाल	13,072	15,781	16,808	7,042	8,576	8,955
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	255	496	433	889	1,191	519
2. असम	1,493	2,181	2,120	2,028	4,076	4,732
3. हिमाचल प्रदेश	2,009	2,189	2,947	2,447	2,126	3,024
4. जम्मू और कश्मीर	1,895	3,145	2,833	3,806	5,361	6,193
5. मणिपुर	692	494	568	1,211	1,582	1,602
6. मेघालय	322	439	421	413	715	793
7. मिजोरम	246	214	325	578	664	455
8. नागालैंड	386	472	409	863	1,149	1,055
9. सिक्किम	173	322	453	366	755	906
10. त्रिपुरा	354	101	253	819	1,320	1,768
11. उत्तराखंड	1,120	2,002	1,706	2,039	3,165	3,579
सभी राज्य	**1,43,049**	**1,34,635**	**1,75,306**	**1,51,582**	**1,81,273**	**2,01,374**
ज्ञापन मद :						
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	4,231	954	298	5,211	8,501	9,008
2. पुदुचेरी	452	445	1,351	460	387	339

टिप्पणी : 1. पूंजी प्राप्तियों में लोक लेखा निवल आधार पर शामिल है, जबकि पूंजी व्यय लोक लेखा को छोड़कर है।
2. परिशिष्ट III और IV के नोट भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 32: राज्य सरकार के बाजार ऋण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	226.04
2	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	381.12
3	12.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	775.72
4	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	245.36
5	11.77% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	400.00
6	11.85% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	251.49
7	12.25% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	700.67
8	12.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	400.00
9	10.52% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	514.13
10	11.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	500.01
11	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	239.91
12	11.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	400.00
13	12.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	285.07
14	8.37% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	350.00
15	9.45% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	198.74
16	9.53% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011	475.00
17	10.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	684.46
18	10.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	200.02
19	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	127.20
20	12.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	212.31
21	6.67% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	294.65
22	7.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	386.71
23	7.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	442.82
24	7.90% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2012	250.00
25	8.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	154.00
26	8.30% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	192.54
27	6.03% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2013	500.00
28	6.20% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	462.14
29	6.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	404.26
30	6.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	531.53
31	6.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	828.00
32	6.60% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	808.85
33	6.75% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	342.19
34	6.95% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	876.00
35	5.60% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	732.45
36	5.70% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	590.62
37	7.32% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	321.15
38	7.36% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	734.87
39	5.85% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	263.83
40	6.20% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	462.25
41	7.02% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	354.34
42	7.39% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2015	482.10
43	7.77% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	782.75
44	7.34% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2015	375.00
45	7.32% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	316.53
46	7.74% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	400.00
47	7.89% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	500.00
48	7.93% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	408.78
49	8.65% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	742.16
50	5.90% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	305.98
51	7.17% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	46.86
52	7.99% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	300.00
53	8.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	600.00
54	8.17% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	375.00
55	8.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	400.00
56	8.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	750.00
57	8.45% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	600.00
58	8.48% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	500.00
59	7.92% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	500.00
60	7.98% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	800.00
61	8.41% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,000.00
62	8.45% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,500.00
63	5.00% नगरभूमि अधिकतम सीमा (आंध्र प्रदेश) बांड 1976	0.12
	जोड़ (क)	**29,185.68**
पावर बांड		
1	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	121.80
3	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	121.80
4	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	121.80
5	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	121.80
6	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर '2010	121.80
7	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	121.80
8	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	121.80
9	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	121.80
10	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	121.80
11	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	121.80
12	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	121.80
13	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	121.80
14	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	121.80
15	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	121.80
16	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	121.80
17	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	121.80
	जोड़ (ख)	**1,948.88**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	0.76
	जोड़ (क+ख+ग)	**31,135.32**
अरुणाचल प्रदेश		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	3.33
2	12.15% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	4.00
3	12.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	2.22
4	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	3.60
5	12.25% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	4.00
6	10.52% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	4.01
7	11.30% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	2.22
8	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	4.30
9	12.00% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	2.21
10	8.60% अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टाक 2011	5.17
11	9.45% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	5.17
12	10.35% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	5.88
13	10.82% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	10.00
14	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	1.77

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
15	12.00% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	2.96
16	6.80% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	3.12
17	7.80% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	8.43
18	7.80% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	4.67
19	8.00% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	7.93
20	8.30% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	3.05
21	6.95% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	14.00
22	6.75% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	4.00
23	6.40% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	9.02
24	6.35% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	8.75
25	6.20% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	10.00
26	5.60% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	8.50
27	7.32% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	5.13
28	7.36% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	8.52
29	6.20% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	10.00
30	5.85% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	11.88
31	5.85% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	23.00
32	7.39% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	6.83
33	7.53% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	9.35
35	7.77% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	7.21
34	7.61% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2016	23.60
36	8.00% अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टाक 2016	12.63
37	8.04% अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टाक 2016	48.10
38	8.10% अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टाक 2017	47.00
39	5.90% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	58.00
40	8.42% अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टाक 2017	50.00
41	8.48% अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टाक 2017	20.00
42	8.00% अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टाक 2018	105.84
43	8.46% अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टाक 2018	8.85
	जोड़ (क)	**598.26**
पावर बांड		
1	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	1.20
3	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	1.20
4	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	1.20
5	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	1.20
6	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	1.20
7	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	1.20
8	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	1.20
9	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	1.20
10	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	1.20
11	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	1.20
12	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	1.20
13	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	1.20
14	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	1.20
15	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	1.20
16	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	1.20
17	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	1.20
	जोड़ (ख)	**19.26**
	जोड़ (क + ख)	**617.51**

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
असम		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2008	24.10
2	12.15% असम रा.वि.ऋ. 2008	200.00
3	12.50% असम रा.वि.ऋ. 2008	181.25
4	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2009	31.83
5	11.85% असम रा.वि.ऋ. 2009	100.00
6	12.25% असम रा.वि.ऋ. 2009	200.00
7	10.52% असम रा.वि.ऋ. 2010	125.00
8	11.30% असम रा.वि.ऋ. 2010	86.45
9	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2010	34.31
10	12.00% असम रा.वि.ऋ. 2010	125.00
11	9.45% असम रा.वि.ऋ. 2011	155.00
12	10.35% असम रा.वि.ऋ. 2011	75.00
13	10.82% असम रा.वि.ऋ. 2011	129.90
14	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2011	14.14
15	12.00% असम रा.वि.ऋ. 2011	23.60
16	6.80% असम रा.वि.ऋ. 2012	118.88
17	7.80% असम रा.वि.ऋ. 2012	89.04
18	7.80% असम रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	177.19
19	8.00% असम रा.वि.ऋ. 2012	106.76
20	8.30% असम रा.वि.ऋ. 2012	194.52
21	6.95% असम रा.वि.ऋ. 2013	303.00
22	6.75% असम रा.वि.ऋ. 2013	222.52
23	6.40% असम रा.वि.ऋ. 2013	207.37
24	6.35% असम रा.वि.ऋ. 2013	113.41
25	6.20% असम रा.वि.ऋ. 2013	129.60
26	6.35% असम रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	49.53
27	5.60% असम रा.वि.ऋ. 2014	220.00
28	5.70% असम रा.वि.ऋ. 2014	110.49
29	7.32% असम रा.वि.ऋ. 2014	174.32
30	7.36% असम रा.वि.ऋ. 2014	137.11
31	6.20% असम रा.वि.ऋ. 2015	129.60
32	5.85% असम रा.वि.ऋ. 2015	157.60
33	7.02% असम रा.वि.ऋ. 2015	69.40
34	7.39% असम रा.वि.ऋ. 2015	146.62
35	7.50% असम सरकार का स्टाक 2015	208.84
36	7.77% असम रा.वि.ऋ. 2015	224.84
37	7.65% असम सरकार का स्टाक 2016	200.00
38	7.75% असम सरकार का स्टाक 2016	100.00
39	7.89% असम सरकार का स्टाक 2016	166.46
40	7.95% असम सरकार का स्टाक 2016	262.63
41	8.11% असम सरकार का स्टाक 2016	215.00
42	5.90% असम रा.वि.ऋ. 2017	205.40
43	7.17% असम रा.वि.ऋ. 2017	33.61
44	8.20% असम सरकार का स्टाक 2017	212.57
45	8.20% असम सरकार का स्टाक 2017	116.13
46	8.40% असम सरकार का स्टाक 2017	200.00
47	8.52% असम रा.वि.ऋ. 2017	401.00
48	7.97% असम सरकार का स्टाक 2018	246.00
	जोड़ (क)	**7,155.01**

विवरण 32: राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
पावर बांड		
1	8.50% असम सरकार पावर बांड 2008	0.00
2	8.50% असम सरकार पावर बांड 2008	42.88
3	8.50% असम सरकार पावर बांड 2009	42.88
4	8.50% असम सरकार पावर बांड 2009	42.88
5	8.50% असम सरकार पावर बांड 2010	42.88
6	8.50% असम सरकार पावर बांड 2010	42.88
7	8.50% असम सरकार पावर बांड 2011	42.88
8	8.50% असम सरकार पावर बांड 2011	42.88
9	8.50% असम सरकार पावर बांड 2012	42.88
10	8.50% असम सरकार पावर बांड 2012	42.88
11	8.50% असम सरकार पावर बांड 2013	42.88
12	8.50% असम सरकार पावर बांड 2013	42.88
13	8.50% असम सरकार पावर बांड 2014	42.88
14	8.50% असम सरकार पावर बांड 2014	42.88
15	8.50% असम सरकार पावर बांड 2015	42.88
16	8.50% असम सरकार पावर बांड 2015	42.88
17	8.50% असम सरकार पावर बांड 2016	42.88
	जोड़ (ख)	**686.03**
	जोड़ (क+ख)	**7,841.16**
बिहार [1]		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	184.56
2	12.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	548.37
3	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2009	199.31
4	11.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	298.86
5	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	253.77
6	10.52% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	216.66
7	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	59.77
8	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	108.88
9	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	181.74
10	2.50% बिहार जमीनदारी समापन श्रतिपूर्ति बांड	21.73
	जोड़ (क)	**2,073.64**
11	9.45% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	262.00
12	10.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	170.02
13	10.82% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	362.19
14	6.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	227.09
15	7.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	184.30
16	7.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	327.11
17	8.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	323.61
18	8.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	360.30
19	6.20% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	337.20
20	6.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	295.05
21	6.40% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	369.00
22	6.75% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	297.97
23	6.95% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	299.00
24	6.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	151.98
25	5.60% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	359.00
26	5.70% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	265.06
27	7.32% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	308.53
28	7.36% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	266.05
29	5.85% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	202.06
30	5.85% बिहार रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	21.83
31	6.20% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	337.20
32	7.02% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	213.00
33	7.77% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	494.14
34	7.39% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	233.49
35	5.90% बिहार रा.वि.ऋ. 2017	568.50
36	7.17% बिहार रा.वि.ऋ. 2017	326.55
37	8.25% बिहार सरकार का स्टाक 2018	1,092.00
	जोड़ (ख)	**8,654.21**
	जोड़ (क+ख)	**10,727.85**
पावर बांड		
1	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	103.78
3	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	103.78
4	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	103.78
5	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	103.78
6	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	103.78
7	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	103.78
8	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	103.78
9	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	103.78
10	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	103.78
11	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	103.78
12	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	103.78
13	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	103.78
14	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	103.78
15	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	103.78
16	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	103.78
17	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	103.78
	जोड़ (ग)	**1,660.49**
	ब्याज रहित ऋण (घ)	*0.29*
	जोड़ (क+ख+ग+घ)	**12,388.63**
छत्तीसगढ़ [2]		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	21.52
2	12.15% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	80.90
3	12.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	81.62
4	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	38.18
5	11.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	64.08
6	12.25% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	98.37
7	10.52% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	62.94
8	11.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	79.86
9	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	40.08
10	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	61.49
11	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	17.71
12	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	26.01
13	5.00% नगर भूमि अधिकतम सीमा (मध्यप्रदेश) बांड	0.15
	जोड़ (क)	**672.91**

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
14	10.35% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011	84.93
15	10.50% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011	40.00
16	10.82% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011	30.49
17	7.80% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	56.45
18	7.80% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	154.87
19	8.00% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	65.49
20	8.10% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	67.00
21	8.30% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	52.00
22	6.75% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	115.21
23	6.95% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	137.01
24	6.35% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	72.80
25	6.20% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	83.21
26	5.60% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014	153.68
27	5.70% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014	106.67
28	7.32 % छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014	132.00
29	6.20% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2015	83.23
30	5.85% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2015	100.02
31	5.90% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2017	302.32
	जोड़ (ख)	**1,837.38**
पावर बांड		
1	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	24.16
3	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	24.16
4	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	24.16
5	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	24.16
6	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	24.16
7	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	24.16
8	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	24.16
9	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	24.16
10	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	24.16
11	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	24.16
12	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	24.16
13	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	24.16
14	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	24.16
15	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	24.16
16	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	24.16
17	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	24.16
	जोड़ (ग)	**386.58**
	ब्याज रहित ऋण (घ)	*0.36*
	जोड़ (क+ख+ग+घ)	**2,897.23**
गोवा		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2008	6.09
2	12.15% गोवा रा.वि.ऋ. 2008	21.17
3	12.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2008	18.83
4	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	7.31
5	11.85% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	37.57
6	12.25% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	37.43
7	12.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	50.00
8	10.52% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	39.74
9	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	8.73
10	12.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	40.27
11	9.45% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	20.00
12	10.35% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	40.01
13	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	3.60
14	12.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	6.00
15	6.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	48.29
16	7.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	34.31
17	7.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	27.41
18	8.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	6.69
19	8.30% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	22.58
20	6.20% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	24.81
21	6.35% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	21.70
22	6.40% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	62.15
23	6.75% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	11.24
24	6.95% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	33.75
25	5.60% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	67.22
26	7.32% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	26.39
27	7.36% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	39.35
28	5.85% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	57.33
29	6.20% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	24.82
30	7.77% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	33.22
31	7.65% गोवा सरकार का स्टॉक 2016	50.00
32	5.90% गोवा रा.वि.ऋ. 2017	49.00
33	7.99% गोवा सरकार का स्टॉक 2017	100.00
34	8.40% गोवा सरकार का स्टॉक 2017	150.00
35	8.35% गोवा सरकार का स्टॉक 2018	250.00
	जोड़ (क)	**1,477.01**
	ब्याज रहित ऋण (ख)	*0.35*
	जोड़ (क+ख)	**1,477.36**
गुजरात		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2008	92.43
2	12.15% गुजरात रा.वि.ऋ. 2008	210.00
3	12.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2008	374.42
4	9.40% गुजरात सरकार का स्टॉक 2009	250.00
5	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2009	99.57
6	11.85% गुजरात रा.वि.ऋ. 2009	80.05
7	12.25% गुजरात रा.वि.ऋ. 2009	500.00
8	10.52% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	488.07
9	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	84.30
10	12.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	71.19
11	9.45% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	200.73
12	9.50% गुजरात सरकार का स्टॉक 2011	190.00
13	10.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	388.50
14	10.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	250.00
15	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	36.61
16	12.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	61.12
17	6.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	360.77
18	7.33% गुजरात सरकार का स्टॉक 2012	200.00

विवरण 32: राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
19	7.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	344.21
20	7.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	240.04
21	7.83% गुजरात सरकार का स्टॉक 2012	245.00
22	8.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	99.75
23	8.30% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	277.20
24	6.00% गुजरात सरकार का स्टॉक 2013	250.00
25	6.20% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	629.72
26	6.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	550.93
27	6.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	508.86
28	6.40% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	343.08
29	6.75% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	452.88
30	6.95% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	694.03
31	5.60% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	318.94
32	5.70% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	740.00
33	7.32% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	169.25
34	7.36% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	283.42
35	5.85% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	300.04
36	6.20% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	629.73
37	7.77% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	347.85
38	7.61% गुजरात रा.वि.ऋ. 2016	254.42
39	5.90% गुजरात रा.वि.ऋ. 2017	629.27
40	8.00% गुजरात सरकार का स्टॉक 2017	400.00
41	8.20% गुजरात सरकार का स्टॉक 2017	475.00
42	8.30% गुजरात सरकार का स्टॉक 2017	400.00
43	8.32% गुजरात सरकार का स्टॉक 2017	1,000.00
44	7.87% गुजरात सरकार का स्टॉक 2018	1,000.00
45	8.07% गुजरात सरकार का स्टॉक 2018	1,000.00
46	8.14% गुजरात सरकार का स्टॉक 2018	1,000.00
47	8.39% गुजरात सरकार का स्टॉक 2018	360.00
48	8.43% गुजरात सरकार का स्टॉक 2018	1,140.00
49	5.00% नगर भूमि अधिकतम सीमा (गुजरात) बांड	1.23
50	3.00% बंबई भूमि समापन क्षतिपूर्ति बांड	0.70
51	4.50% गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 क्षतिपूर्ति बांड	0.32
52	3.00% गुजरात उत्तरजीवी हस्तांतरण अधिनियम, 1963 क्षतिपूर्ति बांड	0.17
	जोड़ (क)	**19,023.76**
पावर बांड		
1	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	81.44
3	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	81.44
4	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	81.44
5	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	81.44
6	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	81.44
7	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	81.44
8	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	81.44
9	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	81.44
10	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	81.44
11	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	81.44
12	8.50% गुजरात सरकार पावर बांडअक्तूबर 2013	81.44
13	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	81.44
14	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	81.44
15	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	81.44
16	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	81.44
17	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	81.44
	जोड़ (ख)	**1,302.97**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*3.07*
	जोड़ (क+ख+ग)	**20,329.80**
हरियाणा		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2008	56.21
2	12.15% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2008	170.00
3	12.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2008	64.28
4	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009	60.07
5	11.85% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009	144.93
6	12.25% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009	111.33
7	10.52% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	140.30
8	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	53.97
9	12.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	98.08
10	9.45% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	80.00
11	10.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	100.01
12	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	26.16
13	12.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	40.99
14	6.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	168.90
15	7.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	129.78
16	7.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	77.86
17	8.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	30.68
18	8.30% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	83.92
19	6.95% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	289.40
20	6.75% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	89.61
21	6.40% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	215.55
22	6.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	185.52
23	6.20% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	212.04
24	6.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	211.70
25	5.60% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	204.88
26	5.70% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	271.04
27	7.32% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	99.44
28	7.36% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	165.65
29	6.20% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	212.05
30	5.85% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	198.86
31	7.02% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	86.00
32	7.53% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	164.97
33	7.77% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	189.86
34	7.33% हरियाणा सरकार का स्टॉक 2016	165.93
35	5.90% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2017	141.02
	जोड़ (क)	**4,741.01**
पावर बांड		
1	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	101.11
3	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	101.11
4	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	101.11

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
5	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	101.11
6	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	101.11
7	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	101.11
8	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	101.11
9	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	101.11
10	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	101.11
11	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	101.11
12	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	101.11
13	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	101.11
14	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	101.11
15	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	101.11
16	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	101.11
17	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	101.11
	जोड़ (ख)	**1,617.83**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*0.15*
	जोड़ (क+ख+ग)	**6,358.99**
हिमाचल प्रदेश		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	16.59
2	12.15% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	50.00
3	12.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	93.02
4	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	13.76
5	11.85% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	97.96
6	12.25% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	91.21
7	10.52% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	134.19
8	11.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	40.01
9	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	22.54
10	12.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	48.91
11	9.45% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	40.01
12	10.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	121.45
13	10.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	50.00
14	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	9.11
15	12.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	17.33
16	6.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	99.91
17	7.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	104.05
18	7.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	149.88
19	8.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	22.20
20	8.30% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	192.56
21	6.20% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	141.22
22	6.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	123.57
23	6.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	155.40
24	6.40% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	190.31
25	6.60% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	100.00
26	6.75% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	68.65
27	6.95% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	175.36
28	5.60% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	207.76
29	5.70% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	174.03
30	7.32% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	85.31
31	7.36% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	157.50
32	5.85% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	175.51
33	6.20% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	141.22
34	7.02% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	89.75
35	7.39% हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2015	56.25
36	7.53% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	212.57
37	7.77% हिमाचल प्रदेश 2015	200.00
38	7.74% हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	300.00
39	5.90% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	110.00
40	7.17% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	15.85
41	8.16% हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	300.00
42	8.35% हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	211.50
43	8.40% हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	100.00
44	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	200.00
45	8.00% हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2018	274.01
46	8.03% हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2018	300.00
47	8.35% हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2018	225.00
	जोड़ (क)	**5,905.45**
पावर बांड		
1	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	3.51
3	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	3.51
4	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	3.51
5	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	3.51
6	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	3.51
7	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	3.51
8	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	3.51
9	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	3.51
10	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	3.51
11	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	3.51
12	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	3.51
13	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	3.51
14	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	3.51
15	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	3.51
16	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	3.51
17	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	3.51
	जोड़ (ख)	**56.20**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*0.06*
	जोड़ (क+ख+ग)	**5,961.71**
जम्मू और कश्मीर		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2008	21.58
2	12.15% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2008	60.00
3	12.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2008	45.95
4	11.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2009	26.54
5	11.85% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2009	50.44
6	12.25% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2009	50.00
7	10.52% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2010	50.00
8	11.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2010	28.80

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
9	12.00% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2010	38.61
10	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2011	45.00
11	9.45% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	38.71
12	10.35% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	30.00
13	10.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	150.00
14	11.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	16.87
15	12.00% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	19.81
16	6.80% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	30.37
17	7.80% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	61.14
18	7.80% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	45.54
19	8.00% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	41.92
20	8.00% जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2012	70.00
21	8.30% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	123.88
22	6.20% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	109.20
23	6.35% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	95.56
24	6.35% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	65.00
25	6.40% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	115.66
26	6.60% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	211.99
27	6.75% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	87.00
28	6.95% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	90.00
29	5.60% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014	54.15
30	5.70% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014	106.78
31	7.32% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014	35.60
32	7.36% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014	42.20
33	5.85% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015	17.48
34	6.20% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015	109.22
35	7.02% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015	45.03
36	7.53% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015	128.38
37	7.77% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015	95.11
38	7.75% जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2016	75.00
39	7.80% जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2016	90.97
40	8.04 % जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2016	149.73
41	5.90% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017	75.01
42	7.17% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017	124.98
43	7.95% जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2017	200.00
44	8.25% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017	122.02
45	8.45% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017	250.00
46	8.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017	134.51
47	8.57% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017	100.00
48	8.58% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017	307.06
49	8.90% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017	371.86
50	7.98% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2018	100.00
51	8.48% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2018	976.00
52	8.70% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2018	114.65
	जोड़ (क)	**5,645.29**
पावर बांड		
1	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	79.54
3	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	79.54
4	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	79.54
5	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	79.54
6	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	79.54
7	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	79.54
8	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	79.54
9	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	79.54
10	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	79.54
11	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	79.54
12	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	79.54
13	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	79.54
14	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	79.54
15	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	79.54
16	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	79.54
17	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	79.54
	जोड़ (ख)	**1,272.65**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*0.24*
	जोड़ (क+ख+ग)	**6,918.19**
झारखंड [3]		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	62.47
2	12.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	185.63
3	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2009	67.47
4	11.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	101.17
5	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	85.90
6	10.52% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	73.34
7	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	20.23
8	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	36.86
9	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	61.52
10	2.50% बिहार जमीनदारी समापन श्रतिपूर्ति बांड	7.36
	जोड़ (क)	**701.95**
11	10.35% झारखंड रा.वि.ऋ. 2011	120.13
12	10.82% झारखंड रा.वि.ऋ. 2011	122.61
13	6.80% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	64.91
13	7.80% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	87.69
14	7.80% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	97.37
15	8.00% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	97.76
15	8.30% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	152.40
16	6.20% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	82.81
17	6.35% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	72.45
17	6.40% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	161.71
18	6.75% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	75.62
19	6.95% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	129.38
19	6.35% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	97.50
20	5.60% झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	124.78
21	5.70% झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	130.43
21	7.32% झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	116.75
22	7.36% झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	74.50
23	5.85% झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	147.11
23	6.20% झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	82.83
24	7.02% झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	15.69

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
25	7.39% झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	79.04
25	7.50% झारखंड सरकार का स्टॉक 2015	117.81
26	7.77% झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	167.27
27	7.96% झारखंड सरकार का स्टॉक 2016	129.59
27	7.99% झारखंड सरकार का स्टॉक 2016	192.56
28	8.65% झारखंड सरकार का स्टॉक 2016	78.37
29	5.90% झारखंड रा.वि.ऋ. 2017	27.99
29	8.04% झारखंड सरकार का स्टॉक 2017	192.18
30	7.89% झारखंड सरकार का स्टॉक 2018	1,000.00
	जोड़ (ख)	**4,039.25**
पावर बांड		
1	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	105.77
3	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	105.77
4	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	105.77
5	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	105.77
6	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	105.77
7	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	105.77
8	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	105.77
9	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	105.77
10	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	105.77
11	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	105.77
12	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	105.77
13	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	105.77
14	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	105.77
15	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	105.77
16	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	105.77
17	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	105.77
	जोड़ (ग)	**1,692.26**
	ब्याज रहित ऋण (घ)	*0.10*
	जोड़ (क+ख+ग+घ)	**6,433.56**
कर्नाटक		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2008	131.37
2	12.15% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2008	275.75
3	12.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2008	426.31
4	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	142.28
5	11.85% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	203.96
6	12.25% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	500.00
7	10.52% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2010	428.64
8	11.08% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2010	200.00
9	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2010	137.18
10	11.57% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2010	250.00
11	9.10% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2011	315.00
12	10.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	400.04
13	10.82% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	146.97
14	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	59.14
15	12.00% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	98.81
16	6.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	352.24
17	7.80% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2012	80.00
18	7.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	150.02
19	7.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	300.04
20	7.90% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2012	200.00
21	8.00% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	80.21
22	8.30% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	259.41
23	6.20% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	339.68
24	6.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	297.25
25	6.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	391.57
26	6.40% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	562.46
27	6.75% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	151.47
28	6.95% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	456.79
29	5.60% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	550.09
30	5.70% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	435.13
31	7.32% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	295.70
32	7.36% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	365.47
33	5.85% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	518.68
34	5.85% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	500.03
35	6.20% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	339.84
36	7.02% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	261.02
37	7.77% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	414.92
38	5.90% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2017	220.96
39	8.40% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2018	750.00
40	3.00% बंबई भूमि धारणाधिकार समापन अधिनियम (मैसूर) क्षतिपूर्ति बांड	0.29
41	2.75% मैसूर इनाम समापन क्षतिपूर्ति बांड	0.02
42	5.00% नगरभूमि अधिकतम सीमा कर्नाटक बांड 1976	0.10
	जोड़ (क)	**11,988.83**
	ब्याज रहित ऋण (ख)	*0.26*
	जोड़ (क+ख)	**11,989.09**
केरल		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% केरल रा.वि.ऋ. 2008	142.28
2	12.15% केरल रा.वि.ऋ. 2008	301.62
3	12.50% केरल रा.वि.ऋ. 2008	290.34
4	11.50% केरल रा.वि.ऋ. 2009	154.70
5	11.85% केरल रा.वि.ऋ. 2009	138.21
6	12.25% केरल रा.वि.ऋ. 2009	452.73
7	10.52% केरल रा.वि.ऋ. 2010	302.03
8	11.50% केरल रा.वि.ऋ. 2010	152.23
9	11.75% केरल रा.वि.ऋ. 2010	200.00
10	12.00% केरल रा.वि.ऋ. 2010	75.42
11	8.37% केरल रा.वि.ऋ. 2011	138.96
12	9.56% केरल रा.वि.ऋ. 2011	289.59
13	10.53% केरल रा.वि.ऋ. 2011	200.00
14	11.50% केरल रा.वि.ऋ. 2011	72.28
15	12.00% केरल रा.वि.ऋ. 2011	120.64
16	6.80% केरल रा.वि.ऋ. 2012	197.39

विवरण 32: राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
17	6.93% केरल सरकार का स्टॉक 2012	220.00
18	7.80% केरल रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	251.06
19	8.00% केरल रा.वि.ऋ. 2012	286.15
20	8.30% केरल रा.वि.ऋ. 2012	276.42
21	6.02% केरल सरकार का स्टॉक 2013	250.00
22	6.20% केरल रा.वि.ऋ. 2013	192.05
23	6.35% केरल रा.वि.ऋ. 2013	168.01
24	6.35% केरल रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	221.46
25	6.40% केरल रा.वि.ऋ. 2013	395.01
26	6.75% केरल रा.वि.ऋ. 2013	85.97
27	6.95% केरल रा.वि.ऋ. 2013	258.00
28	5.60% केरल रा.वि.ऋ. 2014	329.94
29	5.70% केरल रा.वि.ऋ. 2014	396.08
30	5.80% केरल सरकार का स्टॉक 2014	200.00
31	7.25% केरल सरकार का स्टॉक 2014	355.66
32	7.32% केरल सरकार का स्टॉक 2015	250.00
33	7.42% केरल सरकार का स्टॉक 2015	145.82
34	7.33% केरल सरकार का स्टॉक 2015	361.14
35	5.85% केरल रा.वि.ऋ. 2015	114.57
36	5.85% केरल रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	300.02
37	6.20% केरल रा.वि.ऋ. 2015	192.02
38	7.02% केरल रा.वि.ऋ. 2015	41.54
39	7.45% केरल रा.वि.ऋ. 2 015	300.00
40	7.77% केरल रा.वि.ऋ. 2015	422.84
41	7.75% केरल सरकार का स्टॉक 2016	328.00
42	7.65% केरल सरकार का स्टॉक 2016	300.00
43	7.87% केरल सरकार का स्टॉक 2016	400.00
44	7.94% केरल सरकार का स्टॉक 2016	400.00
45	7.99% केरल सरकार का स्टॉक 2016	153.23
46	8.11% केरल सरकार का स्टॉक 2016	300.00
47	5.90% केरल रा.वि.ऋ. 2017	118.99
48	7.17% केरल रा.वि.ऋ. 2017	327.23
49	7.99% केरल सरकार का स्टॉक 2017	314.59
50	8.19% केरल रा.वि.ऋ. 2017	300.00
51	8.19% केरल रा.वि.ऋ. 2017	436.00
52	8.20% केरल रा.वि.ऋ. 2017	590.23
53	8.34% केरल रा.वि.ऋ. 2017	350.00
54	8.36% केरल रा.वि.ऋ. 2017	350.00
55	8.45% केरल रा.वि.ऋ. 2017	300.00
56	8.69% केरल रा.वि.ऋ. 2017	800.00
57	8.00% केरल रा.वि.ऋ. 2018	637.23
58	8.12% केरल रा.वि.ऋ. 2018	833.30
59	4.25% केरल गृहभूमि बांड	0.01
58	4.50% केरल गृहभूमि बांड	0.00
59	4.50% केरल भूमिसुधार बांड	0.99
60	4.00% जन्मीकरण अदायगी (समापन) बांड	0.02
	जोड़ (क)	**16,481.96**
पावर बांड		
1	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	57.91
3	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	57.91
4	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	57.91
5	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	57.91
6	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	57.91
7	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	57.91
8	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	57.91
9	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	57.91
10	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	57.91
11	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	57.91
12	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	57.91
13	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	57.91
14	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	57.91
15	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	57.91
16	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	57.91
17	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	57.91
	जोड़ (ख)	**926.60**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*0.23*
	जोड़ (क+ख+ग)	**17,408.79**
मध्य प्रदेश[4]		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	59.32
2	12.15% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	222.99
3	12.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	224.99
4	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	105.25
5	11.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	176.62
6	12.25% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	271.15
7	10.52% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	173.51
8	11.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	220.14
9	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	110.50
10	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	169.50
11	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	48.83
12	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	71.71
13	5.00% नगर भूमि अधिकतम सीमा (मध्यप्रदेश) बांड	0.40
	जोड़ (क)	**1,854.50**
14	8.50% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011	43.00
15	9.45% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	87.55
16	9.55% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011	105.00
17	10.35% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	187.32
18	10.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	105.00
19	10.82% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	84.02
20	6.94% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2012	247.00
21	7.80% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	109.04
22	7.80% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	370.17
23	8.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	129.07
24	8.30% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	161.32
25	6.95% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	281.26
26	6.75% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	129.50
27	6.40% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	379.12
28	6.35% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	199.86

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
29	6.20% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	228.42
30	6.00% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2013	220.00
31	6.35% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	400.78
32	5.60% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	349.50
33	5.70% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	247.00
34	7.32% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	290.01
35	7.36% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	342.44
36	6.20% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	228.44
37	5.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	220.01
38	5.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	799.96
39	7.02% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	99.97
40	7.39% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	292.75
41	7.53% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	50.02
42	7.77% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	418.04
43	7.61% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2016	300.00
44	7.65% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	200.00
45	7.95% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	300.00
46	8.66% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	300.00
47	5.90% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	129.01
48	8.20% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	350.00
49	8.40 % मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	470.00
50	8.49% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	625.00
51	8.40% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	750.00
52	8.43% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	500.00
	जोड़ (ख)	**10,729.58**
पावर बांड		
1	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	133.19
3	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	133.19
4	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	133.19
5	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	133.19
6	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	133.19
7	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	133.19
8	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	133.19
9	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	133.19
10	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	133.19
11	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	133.19
12	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	133.19
13	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	133.19
14	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	133.19
15	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	133.19
16	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	133.19
17	8.50% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	133.19
	जोड़ (ग)	**2,131.11**
	ब्याज रहित ऋण (घ)	*0.99*
	जोड़ (क+ख+ग+घ)	**14,716.18**
महाराष्ट्र		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2008	109.50
2	12.15% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2008	563.81
3	12.50% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2008	121.46
4	11.50% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	116.51
5	11.85% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	172.47
6	12.25% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	600.00
7	10.52% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	421.49
8	11.50% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	104.43
9	11.70% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	280.00
10	12.00% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	107.70
11	8.37% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	141.20
12	9.40% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2011	290.00
13	10.35% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	500.01
14	11.50% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	38.97
15	12.00% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	150.11
16	6.93% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2012	230.00
17	7.80% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	328.16
18	7.80% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	236.97
19	7.83% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	278.75
20	8.00% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	150.52
21	8.30% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	207.92
22	5.78% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2013	400.00
23	6.20% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013	1,253.75
24	6.35% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013	1,096.98
25	6.35% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	700.52
26	6.40% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013	643.66
27	5.60% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	610.98
28	5.70% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	1,145.00
29	6.00% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2014	300.00
30	7.32% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	347.66
31	7.36% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	427.16
32	5.85% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	567.42
33	5.85% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	50.06
34	6.20% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	1,253.61
35	7.02% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	136.92
36	7.39% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2015	407.39
37	7.77% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	595.35
38	7.45% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2015	290.00
39	7.70% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2016	286.89
40	7.74% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2016	500.00
41	7.91% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2016	500.00
42	5.90% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017	883.92
43	7.17% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017	519.97
44	7.20% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017	386.38
45	8.30% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2017	500.00
46	8.31% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2017	722.31
47	8.35% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2017	737.60
48	8.50% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2017	1,597.35
49	7.89% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2018	1,350.00
50	8.00% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2018	2,350.00
51	8.08% महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2018	2,000.00
52	5.00% नगर भूमि अधिकतम सीमा (महाराष्ट्र) बांड	0.36

विवरण 32: राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
53	3.00% बम्बई भूमि धारणाधिकार समापन अधिनियम (बम्बई) क्षतिपूर्ति बांड	0.10
54	3.00% बम्बई भूमि धारणाधिकार अधनियम (महाराष्ट्र) क्षतिपूर्ति बांड	0.05
55	3.00% म्हाराष्ट्र कृषि भूमि (धारणाधिकार उच्चतर सीमा) अधिनियम, 1961 (किस्तों में चुकौती योग्य) क्षतिपूर्ति बांड	1.83
56	3.00% महाराष्ट्र कृषि भूमि (धारणाधिकार उच्चतम सीमा) अधिनियम, 1961 श्रतिपूर्ति बांड (परिपक्वता पर प्रतिदानयोग्य)	0.22
57	3.00% हैदराबाद (नकदी मंजूरी समापन) अधिनियम 1952 क्षतिपूर्ति बांड	0.03
58	3.00% महाराष्ट्र राजस्व पटेल (कार्यालय समापन) (अधिनियम) 1962	0.01
59	3.00% कोल्हापूर के न्यासी जागीरदारों के सरंजाम (पुनर्ग्रहण) नियमावली, 1957	0.00
60	4.00% बम्बई नगर (इनामी और विशेष धारणाधिकार) समापन और महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता (कोड) (संशोधन) अधिनियम, 1969	0.00
	जोड़ (क)	**27,713.45**
पावर बांड		
1	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	-
2	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	50.93
3	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	50.93
4	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	50.93
5	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	50.93
6	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	50.93
7	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	50.93
8	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	50.93
9	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	50.93
10	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	50.93
11	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	50.93
12	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	50.93
13	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	50.93
14	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	50.93
15	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	50.93
16	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	50.93
17	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	50.93
	जोड़ (ख)	**814.88**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*1.49*
	जोड़ (क+ख+ग)	**28,529.82**
मणिपुर		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2008	9.77
2	12.15% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2008	20.00
3	12.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2008	9.28
4	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009	11.43
5	11.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009	9.75
6	12.25% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009	20.64
7	10.52% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	15.76
8	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	11.03
9	12.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	9.44
10	9.45% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	10.00
11	10.35% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	10.00
12	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	4.54
13	12.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	7.59
14	6.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	21.43
15	7.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	10.33
16	7.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	27.52
17	8.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	11.90
18	8.30% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	13.29
19	6.20% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	10.40
20	6.35% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	9.10
21	6.40% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	26.62
22	6.75% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	4.50
23	6.95% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	13.50
24	5.60% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2014	34.00
25	7.36% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2014	44.06
26	5.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	57.69
27	5.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	28.00
28	6.20% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	10.40
29	7.02% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	2.00
30	7.39% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2015	27.23
31	7.45% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2015	36.95
32	7.77% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	25.73
33	7.61% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2016	30.00
34	7.74% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2016	85.00
35	7.82% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2016	42.25
36	7.98% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2016	56.65
37	5.90% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2017	50.00
38	7.17% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2017	2.93
39	8.35% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2017	85.67
40	8.02% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2018	124.38
41	8.46% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2018	37.18
	जोड़ (क)	**1,077.95**
पावर बांड		
1	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	7.85
3	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	7.85
4	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	7.85
5	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	7.85
6	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	7.85
7	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	7.85
8	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	7.85
9	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	7.85
10	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	7.85
11	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	7.85
12	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	7.85
13	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	7.85
14	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	7.85
15	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	7.85
16	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	7.85
17	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	7.85
	जोड़ (ख)	**125.68**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*0.09*
	जोड़ (क+ख+ग)	**1,203.71**

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
मेघालय		
ब्याज वाले ऋण		
1	12.15% मेघालय रा.वि.ऋ. 2008	30.00
2	12.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2008	43.08
3	11.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	2.71
4	11.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	29.15
5	12.25% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	50.00
6	10.52% मेघालय रा.वि.ऋ. 2010	50.00
7	12.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2010	20.00
8	9.45% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	25.00
9	10.35% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	25.00
10	11.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	4.70
11	12.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	8.33
12	6.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	19.60
13	7.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	21.00
14	7.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	29.40
15	8.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	11.11
16	8.30% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	27.31
17	6.20% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	10.00
18	6.35% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	8.75
19	6.40% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	34.70
20	6.75% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	4.25
21	6.95% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	12.75
22	5.60% मेघालय रा.वि.ऋ. 2014	41.15
23	7.36% मेघालय रा.वि.ऋ. 2014	46.61
24	5.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	52.06
25	5.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	11.32
26	6.20% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	10.00
27	7.02% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	3.00
28	7.53% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	69.14
29	7.77% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	39.11
30	7.70% मेघालय सरकार का स्टॉक 2016	50.00
31	7.94% मेघालय सरकार का स्टॉक 2016	55.44
32	7.95% मेघालय सरकार का स्टॉक 2016	40.00
33	8.65% मेघालय सरकार का स्टॉक 2016	29.43
34	5.90% मेघालय रा.वि.ऋ. 2017	39.22
35	7.17% मेघालय रा.वि.ऋ. 2017	51.59
36	8.39% मेघालय सरकार का स्टॉक 2017	67.00
37	8.42% मेघालय सरकार का स्टॉक 2017	50.00
38	8.48% मेघालय सरकार का स्टॉक 2017	55.00
39	8.02% मेघालय सरकार का स्टॉक 2018	50.00
40	8.46% मेघालय सरकार का स्टॉक 2018	40.69
	जोड़ (क)	**1,267.60**
पावर बांड		
1	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	0.70
3	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	0.70
4	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	0.70
5	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	0.70
6	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	0.70
7	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	0.70
8	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	0.70
9	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	0.70
10	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	0.70
11	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	0.70
12	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	0.70
13	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	0.70
14	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	0.70
15	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	0.70
16	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	0.70
17	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	0.70
	जोड़ (ख)	**11.19**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*0.00*
	जोड़ (क+ख+ग)	**1,278.80**
मिजोरम		
ब्याज वाले ऋण		
1	12.15% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2008	15.00
2	12.50% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2008	14.97
3	11.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2009	14.97
4	12.25% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2009	20.00
5	10.52% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2010	20.00
6	12.00% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2010	14.97
7	9.45% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2011	13.00
8	10.35% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2011	10.32
9	6.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	80.59
10	7.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	10.49
11	7.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	13.89
12	8.00% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	6.44
13	8.30% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	14.12
14	6.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	7.20
15	6.35% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	6.30
16	6.40% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	16.96
17	6.75% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	3.25
18	6.95% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	9.75
19	5.60% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	15.50
20	7.32% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	9.96
21	7.36% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	16.81
22	5.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	18.01
23	5.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	11.95
24	6.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	7.20
25	7.53% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	29.28
26	7.77% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	20.31
27	7.61% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2016	15.08
28	7.71% मजोरम सरकार का स्टॉक 2016	50.00
29	7.82% मजोरम सरकार का स्टॉक 2016	20.52
30	8.05% मजोरम सरकार का स्टॉक 2016	15.00
31	8.65% मजोरम सरकार का स्टॉक 2016	19.02
32	5.90% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2017	33.05
33	7.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2017	46.82
34	8.39% मजोरम सरकार का स्टॉक 2017	70.20

विवरण 32: राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
35	8.30% मजोरम सरकार का स्टॉक 2017	47.00
36	8.35% मजोरम सरकार का स्टॉक 2017	28.84
37	8.42% मजोरम सरकार का स्टॉक 2017	28.85
38	8.25% मजोरम सरकार का स्टॉक 2018	42.18
	जोड़ (क)	**837.79**
पावर बांड		
1	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	2.28
3	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	2.28
4	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	2.28
5	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	2.28
6	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	2.28
7	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	2.28
8	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	2.28
9	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	2.28
10	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	2.28
11	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	2.28
12	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	2.28
13	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	2.28
14	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	2.28
15	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	2.28
16	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	2.28
17	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	2.28
	जोड़ (ख)	**36.45**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*0.00*
	जोड़ (क+ख+ग)	**874.25**
नागालैंड		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2008	12.84
2	12.15% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2008	50.00
3	12.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2008	30.73
4	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	15.06
5	11.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	63.65
6	12.25% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	50.00
7	10.52 % नागालैंड रा.वि.ऋ. 2010	50.00
8	11.50 % नागालैंड रा.वि.ऋ. 2010	14.37
9	9.45% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	43.00
10	10.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	35.00
11	10.82% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	54.95
12	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	5.92
13	12.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	9.88
14	6.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	74.29
15	7.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	36.33
16	7.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	53.49
17	8.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	20.15
18	8.30% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	57.65
19	6.20% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	8.40
20	6.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	7.35
21	6.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	42.50
22	6.40% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	57.65
23	6.75% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	6.99
24	6.95% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	7.00
25	5.60% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	62.00
26	7.32% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	21.00
27	7.36% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	34.27
28	5.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	82.15
29	5.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	21.00
30	6.20% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	8.40
31	7.02% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	1.80
32	7.53% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	125.09
33	7.77% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	59.57
34	7.61% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2016	24.17
35	7.69% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2016	45.00
36	7.81% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2016	40.00
37	7.82% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2016	43.19
38	7.95% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2016	120.00
39	5.90% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	42.00
40	7.17% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	2.04
41	8.04% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2017	74.96
42	8.30% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2017	140.00
43	8.39% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2017	90.00
44	8.42% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2017	77.00
45	8.02% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2018	77.09
	जोड़ (क)	**1,997.93**
पावर बांड		
1	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	3.95
3	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	3.95
4	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	3.95
5	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	3.95
6	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	3.95
7	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	3.95
8	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	3.95
9	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	3.95
10	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	3.95
11	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	3.95
12	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	3.95
13	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	3.95
14	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	3.95
15	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	3.95
16	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	3.95
17	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	3.95
	जोड़ (ख)	**63.14**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*0.10*
	जोड़ (क+ख+ग)	**2,061.17**
उड़ीसा		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2008	134.03
2	12.15% उड़ीसा सरकार ऋण 2008	216.42
3	12.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2008	319.77
4	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2009	58.28

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
5	11.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2009	276.40
6	12.25% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2009	186.30
7	11.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	49.93
8	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	122.22
9	10.52% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	106.51
10	12;00% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	134.20
11	9.45% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	300.00
12	10.35% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	154.01
13	10.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	131.00
14	10.82% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	129.00
15	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	79.42
16	12.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	144.27
	जोड़ (क)	**2,541.76**
17	6.80% उड़ीसा सरकार ऋण 2012	186.81
18	7.80% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	154.03
19	7.80% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	280.23
20	8.00% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	161.07
21	8.30% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	207.24
22	6.20% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	220.00
23	6.35% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	192.50
24	6.40% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	339.28
25	6.75% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	333.96
26	6.95% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	353.02
27	6.35% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	133.10
28	5.60% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	313.46
29	5.70% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	174.69
30	7.32% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	217.83
31	7.36% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	168.89
32	5.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	183.39
33	5.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	481.46
34	6.20% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	220.03
35	7.77% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	506.13
36	5.90% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2017	464.21
37	7.17% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2017	191.00
	जोड़ (ख)	**5,482.33**
पावर बांड		
1	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	55.14
3	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	55.14
4	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	55.14
5	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	55.14
6	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	55.14
7	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	55.14
8	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	55.14
9	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	55.14
10	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	55.14
11	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	55.14
12	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	55.14
13	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	55.14
14	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	55.14
15	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	55.14
16	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	55.14
17	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	55.14
	जोड़ (ग)	**882.30**
	ब्याज रहित ऋण (घ)	*0.19*
	जोड़ (क+ख+ग+घ)	**8,906.57**
पंजाब		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2008	42.39
2	12.15% पंजाब रा.वि.ऋ. 2008	200.00
3	12.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2008	113.33
4	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	43.43
5	11.85% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	80.48
6	12.25% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	300.00
7	12.47% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	60.00
8	10.52% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	261.26
9	11.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	200.02
10	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	37.25
11	12.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	100.45
12	9.40% पंजाब सरकार का स्टॉक 2011	130.00
13	10.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	200.02
14	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	15.35
15	12.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	25.63
16	6.80% पंजाब सरकार का स्टॉक 2012	85.00
17	7.80% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	212.08
18	7.80% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	127.26
19	8.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	37.28
20	8.30% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	51.34
21	6.95% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	450.50
22	6.75% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	266.34
23	6.40% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	205.85
24	6.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	351.43
25	6.20% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	401.66
26	6.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	596.05
27	5.90% पंजाब सरकार का स्टॉक 2013	189.78
28	5.60% पंजाब रा.वि.ऋ. 2014	210.81
29	5.70% पंजाब रा.वि.ऋ. 2014	512.11
30	5.85% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	249.99
31	7.02% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015	292.50
32	6.20% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015	401.69
33	7.67% पंजाब सरकार का स्टॉक 2016	619.30
34	7.74% पंजाब सरकार का स्टॉक 2016	243.36
35	7.79% पंजाब सरकार का स्टॉक 2016	580.00
36	7.93 % पंजाब सरकार का स्टॉक 2016	437.86
37	5.90% पंजाब रा.वि.ऋ. 2017	256.03
38	7.17% पंजाब रा.वि.ऋ. 2017	219.23
39	8.22% पंजाब सरकार का स्टॉक 2017	1,000.00
40	8.32% पंजाब सरकार का स्टॉक 2017	300.00
41	8.35% पंजाब सरकार का स्टॉक 2017	500.00
42	8.41% पंजाब सरकार का स्टॉक 2017	900.00
43	7.86 % पंजाब सरकार का स्टॉक 2018	456.10
44	7.96 % पंजाब सरकार का स्टॉक 2018	500.00
45	8.28 % पंजाब सरकार का स्टॉक 2018	765.18
	जोड़ (क)	**13,228.34**

विवरण 32: राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
पावर बांड		
1	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	31.87
3	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	31.87
4	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	31.87
5	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	31.87
6	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	31.87
7	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	31.87
8	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	31.87
9	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	31.87
10	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	31.87
11	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	31.87
12	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	31.87
13	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	31.87
14	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	31.87
15	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	31.87
16	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	31.87
17	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	31.87
	जोड़ (ख)	**509.88**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*0.14*
	जोड़ (क+ख+ग)	**13,738.36**
राजस्थान		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2008	158.82
2	12.15% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2008	442.29
3	12.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2008	559.02
4	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009	165.28
5	11.85% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009	243.32
6	12.25% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009	700.00
7	10.52.% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	342.56
8	11.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	280.03
9	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	160.79
10	12.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	425.18
11	9.45% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	350.00
12	10.35% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	446.15
13	10.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	280.00
14	10.82% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	134.33
15	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	76.63
16	12.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	127.69
17	6.80% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	283.94
18	7.80% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	248.52
19	7.80% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	425.98
20	8.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	177.87
21	8.30% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	218.08
22	6.20% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	381.22
	जोड़ (क)	**6,627.69**
23	6.35% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	333.58
24	6.40% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	516.65
25	6.75% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	711.63
26	6.95% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	713.35
27	6.35% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	393.37
28	5.60% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	512.84
29	5.70% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	495.33
30	7.32% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	217.06
31	7.36% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	504.86
32	5.85% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	571.19
33	5.85% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	300.03
34	6.20% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	381.23
35	7.02% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	267.75
36	7.77% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	540.83
37	7.65% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2016	500.00
38	7.74% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2016	274.01
39	7.81% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2016	300.00
40	8.62% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2016	225.00
41	8.11% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2016	500.00
42	5.90% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2017	230.00
43	8.25% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2017	200.00
44	8.30% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2017	750.00
45	8.32% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2017	950.00
46	8.45% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2017	215.00
47	8.46% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2017	500.00
48	7.84% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2018	549.33
49	7.93% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2018	220.00
50	8.06% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2018	600.00
51	8.40% राजस्थान सरकार का स्टॉक 2018	202.63
52	2.50% राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अतिरिक्त पुनर्वसन बांड	0.07
53	2.50% राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण क्षतिपूर्ति पुनर्वसन बांड	0.09
54	2.50% राजस्थान जमीदारी और बीसवारी समापन क्षतिपूर्ति बांड	0.04
	जोड़ (ख)	**12,675.86**
पावर बांड		
1	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	18.44
3	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	18.44
4	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	18.44
5	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	18.44
6	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	18.44
7	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	18.44
8	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	18.44
9	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	18.44
10	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	18.44
11	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	18.44
	जोड़ (ग)	**184.39**
	ब्याज रहित ऋण (घ)	*0.22*
	जोड़ (क+ख+ग+घ)	**19,488.16**

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
सिक्किम		
ब्याज वाले ऋण		
1	12.15% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2008	16.00
2	12.50% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2008	24.90
3	11.50% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009	4.26
4	11.50% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009 (1989-90)	5.11
5	11.85% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009	10.90
6	12.25% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009	35.00
7	10.52% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2010	25.00
8	11.50% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2010	6.11
9	9.45% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	4.58
10	10.35% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	5.42
11	11.50% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	2.52
12	12.00% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	4.20
13	6.80% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2012	3.89
14	7.80% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	6.11
15	6.95% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	10.00
16	6.40% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	6.67
17	6.35% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	4.70
18	6.20% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	5.20
19	5.60% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	6.11
20	7.32% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	5.63
21	7.36% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	10.68
22	6.20% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	5.20
23	5.85% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	9.83
24	7.53% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	8.71
25	7.77% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	18.49
26	7.61% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2016	11.15
27	7.70% सिक्किम सरकार का स्टॉक 2016	65.65
28	7.82% सिक्किम सरकार का स्टॉक 2016	50.26
29	8.65% सिक्किम सरकार का स्टॉक 2016	64.35
30	5.90% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2017	30.00
31	7.17% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2017	25.15
32	8.20% सिक्किम सरकार का स्टॉक 2017	112.11
33	8.02% सिक्किम सरकार का स्टॉक 2018	137.80
	जोड़ (क)	**741.68**
पावर बांड		
1	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	2.39
3	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	2.39
4	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड सितंबर 2009	2.39
5	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	2.39
6	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	2.39
7	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	2.39
8	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	2.39
9	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	2.39
10	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	2.39
11	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	2.39
12	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	2.39
13	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	2.39
14	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	2.39
15	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	2.39
16	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	2.39
17	8.50% सिक्किम सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	2.39
	जोड़ (ख)	**38.24**
	जोड़ (क+ख)	**779.92**
तमिलनाडु		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2008	184.66
2	12.15% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2008	389.59
3	12.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2008	231.34
4	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009	200.42
5	11.74% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2009	200.00
6	11.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009	24.18
7	12.25% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009	450.00
8	10.52% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	400.00
9	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	185.12
10	11.70% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	290.00
11	12.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	152.53
12	9.38% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2011	320.00
13	9.45% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	137.42
14	10.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	460.00
15	10.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	249.94
16	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	86.91
17	12.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	146.14
18	6.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	145.94
19	7.30% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2012	275.00
20	7.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	309.02
21	7.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	406.48
22	8.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	107.37
23	8.30% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	134.96
24	6.95% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	728.57
25	6.75% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	460.40
26	6.40% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	657.07
27	6.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	335.00
28	6.20% तमिलनाडु रा.वि.ऋ.2013	382.97
29	6.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	443.27
30	6.00% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2013	250.00
31	5.60% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	580.56
32	5.70% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	722.60
33	7.10% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2014	270.00
34	7.36% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	449.93
35	6.20% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	383.01
36	5.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	150.10
37	5.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	249.95
38	7.02% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	133.01
39	7.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	209.50
40	7.77% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	200.01
41	7.68% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2016	600.00
42	7.79% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2016	609.38

विवरण 32: राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
43	7.93% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2016	400.00
44	5.90% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2017	442.86
45	7.96% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017	500.00
46	8.14% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017	500.00
47	8.19% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017	500.00
48	8.30% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017	300.00
49	8.32% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017	414.47
50	8.39% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017	500.00
51	8.39% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017	500.00
52	8.47% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017	600.00
53	7.85% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2018	750.00
54	7.96% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2018	1,000.00
55	8.12% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2018	792.44
	जोड़ (क)	**20,502.09**
	ब्याज रहित ऋण (ख)	*1.32*
	जोड़ (क+ख)	**20,503.41**
त्रिपुरा		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2008	10.54
2	12.15% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2008	25.00
3	12.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2008	42.43
4	11.50 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009	12.93
5	11.85 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009	46.92
6	12.25 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009	36.13
7	10.52% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2010	50.00
8	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2010	12.84
9	9.45% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2 011	27.00
10	10.35% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	30.00
11	10.82% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	29.95
12	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	5.08
13	12.00% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	11.49
14	6.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012	24.19
15	7.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012	25.34
16	7.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	34.92
17	6.20% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	20.40
18	6.35% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	17.85
19	6.40% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	39.42
20	6.75% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	17.00
21	6.95% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	20.00
22	5.60% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	41.60
23	7.32% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	22.00
24	7.36% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	39.85
25	5.85% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	61.93
26	5.85% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	13.00
27	6.20% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	20.40
28	7.02% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	1.50
29	7.45% त्रिपुरा सरकार का स्टॉक 2015	40.00
30	7.77% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	30.08
31	7.61% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2016	42.09
32	7.70% त्रिपुरा सरकार का स्टॉक 2016	25.03
33	8.11% त्रिपुरा सरकार का स्टॉक 2016	35.00
34	5.90% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2017	56.00
35	7.17% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2017	145.94
	जोड़ (क)	**1,113.86**
पावर बांड		
1	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	3.18
3	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	3.18
4	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	3.18
5	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	3.18
6	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	3.18
7	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	3.18
8	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	3.18
9	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	3.18
10	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	3.18
11	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	3.18
12	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	3.18
13	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	3.18
14	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	3.18
15	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	3.18
16	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	3.18
17	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	3.18
	जोड़ (ख)	**50.81**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*0.05*
	जोड़ (क+ख+ग)	**1,164.72**
उत्तरखंड [5]		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	21.30
2	12.15% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	37.68
3	12.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	47.90
4	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	23.32
5	11.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	40.26
6	12.25% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	43.43
7	12.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	20.13
8	10.52% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	45.29
9	11.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	25.16
10	11.30% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	7.39
11	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	23.09
12	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	17.61
13	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	10.31
14	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	18.69
15	2.75% उत्तर प्रदेश जैग. - बांड	0.59
16	3.25% उत्तर प्रदेश संपदा अधिनियम बांड	0.01
17	3.50% उत्तर प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा क्षतिपूर्ति बांड	0.02
18	2.50% उत्तर प्रदेश जेडए क्षतिपूर्ति बांड प्रमाणपत्र	0.02
19	2.50% उत्तर प्रदेश जेडए क्षतिपूर्ति बांड प्रमाणपत्र	1.47
	जोड़ (क)	**383.67**

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
20	9.45% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2011	126.25
21	10.35% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2011	45.00
22	10.82% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2011	15.99
23	6.80% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012	286.29
24	7.80% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012	56.85
25	7.80% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	22.74
26	8.00% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012	19.23
27	8.30% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012	21.26
28	6.20% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013	339.24
29	6.35% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013	296.95
30	6.40% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013	127.68
31	6.75% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013	291.99
32	6.95% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013	292.00
33	5.60% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2014	209.00
34	7.32 % उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2014	32.54
35	7.36 % उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2014	67.31
36	5.85% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015	262.70
37	6.20% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015	339.25
38	7.77% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015	92.00
39	7.70% उत्तराखंड सरकार का स्टॉक 2016	250.00
40	7.72% उत्तराखंड सरकार का स्टॉक 2016	226.25
41	7.95% उत्तराखंड सरकार का स्टॉक 2016	158.65
37	8.38% उत्तराखंड सरकार का स्टॉक 2017	210.54
38	8.39% उत्तराखंड सरकार का स्टॉक 2017	250.00
39	7.87% उत्तराखंड सरकार का स्टॉक 2018	250.00
40	8.12% उत्तराखंड सरकार का स्टॉक 2018	250.00
41	8.68% उत्तराखंड सरकार का स्टॉक 2018	80.00
	जोड़ (ख)	**4,619.71**
पावर बांड		
1	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	28.60
3	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	28.60
4	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	28.60
5	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	28.60
6	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	28.60
7	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	28.60
8	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	28.60
9	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	28.60
10	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	28.60
11	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	28.60
12	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	28.60
13	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	28.60
14	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	28.60
15	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	28.60
16	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	28.60
17	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	28.60
	जोड़ (ग)	**457.60**
	ब्याज रहित ऋण (घ)	*0.21*
	जोड़ (क+ख+ग+घ)	**5,461.18**

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
उत्तर प्रदेश [6]		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	401.99
2	12.15% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	711.06
3	12.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	903.88
4	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	440.15
5	11.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	759.74
6	12.25% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	819.57
7	12.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	379.87
8	10.52% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	854.71
9	11.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	474.86
10	11.30% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	139.49
11	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	435.83
12	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	332.38
13	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	194.47
14	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	352.63
15	2.75% उत्तर प्रदेश जैग. - बांड	11.22
16	3.25% उत्तर प्रदेश संपदा अधिनियम बांड	0.20
17	3.50% उत्तर प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा क्षतिपूर्ति बांड	0.30
18	2.50% उत्तर प्रदेश जेडए क्षतिपूर्ति बांड प्रमाणपत्र	0.33
19	2.50% उत्तर प्रदेश जेडए क्षतिपूर्ति बांड प्रमाणपत्र	27.66
	जोड़ (क)	**7,240.35**
20	8.37% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	207.35
21	9.45% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	597.75
22	10.35% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	574.94
23	10.82% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	302.45
24	6.80% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	542.49
25	7.80% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	432.67
26	7.80% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	813.82
27	8.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	471.51
28	8.30% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	597.50
29	6.20% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	808.00
30	6.35% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	707.92
31	6.40% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	916.49
32	6.75% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	598.78
33	6.95% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	849.15
34	6.35% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	513.57
35	5.60% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	775.20
36	5.70% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	735.00
37	7.32% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	1,144.40
38	7.36% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	367.12
39	5.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	794.55
40	5.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	474.17
41	6.20% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	808.05
42	7.02% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	491.91
43	7.53% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	1,500.14
44	7.77% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	996.97
45	7.85% उत्तर प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	599.33
46	8.00% उत्तर प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	1,632.90

विवरण 32: राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
47	5.90% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	865.40
48	7.17% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	32.30
49	8.45% उत्तर प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	1,615.01
45	8.55% उत्तर प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	1,000.00
46	8.01% उत्तर प्रदेश सरकार का स्टॉक 2018	1,500.00
47	8.07% उत्तर प्रदेश सरकार का स्टॉक 2018	1,100.00
48	8.25% उत्तर प्रदेश सरकार का स्टॉक 2018	822.00
	जोड़ (ख)	**26,188.85**
पावर बांड		
1	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
2	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	293.59
3	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	293.59
4	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	293.59
5	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	293.59
6	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	293.59
7	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	293.59
8	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	293.59
9	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	293.59
10	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	293.59
11	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	293.59
12	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	293.59
13	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	293.59
14	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	293.59
15	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	293.59
16	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	293.59
17	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	293.59
	जोड़ (ग)	**4,697.49**
	ब्याज रहित ऋण (घ)	*3.88*
	जोड़ (क+ख+ग+घ)	**38,130.57**
पश्चिम बंगाल		
ब्याज वाले ऋण		
1	11.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2008	148.14
2	12.15% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2008	435.16
3	12.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2008	270.60
4	11.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	180.83
5	11.85% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	272.68
6	12.25% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	494.00
7	10.52% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	372.56
8	11.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	178.45
9	11.80% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2010	250.00
10	12.00% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	104.81
11	9.45% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	75.00
12	9.72% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2011	250.00
13	10.35% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	387.74
14	10.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	150.00
15	11.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	94.10
16	12.00% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	177.08
17	7.35% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2012	152.65
18	7.80% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	384.37
19	7.80% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	229.05
20	8.00% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	160.83
21	8.30% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	245.90
22	5.78% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2013	335.00
23	6.20% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	1,170.57
24	6.35% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	1,024.11
25	6.35% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	680.60
26	6.40% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	465.71
27	6.75% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	838.23
28	6.95% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	901.77
29	5.60% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	406.22
30	5.70% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	1,112.58
31	7.15% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2014	259.00
32	7.32% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	182.92
33	7.36% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	289.31
34	5.85% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	164.22
35	5.85% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	500.00
36	6.20% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	1,170.59
37	7.02% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	542.21
38	7.39% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2015	449.45
39	7.53% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	633.49
40	7.77% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	631.53
41	7.74% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2016	466.67
42	7.93% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2016	869.34
43	5.90% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2017	898.96
44	7.17% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2017	965.99
45	8.39% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2017	1,098.06
46	8.40% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2017	1,000.00
47	8.40% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2017	2,000.00
48	8.48% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2017	964.59
49	8.48% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2017	2,100.00
50	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2017	2,100.00
51	7.87% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2018	1,400.00
52	8.30% पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2018	944.00
53	पश्चिम बंगाल संपदा अभिग्रहण क्षतिपूर्ति बांड	2.26
54	5.00% यूएलसी (पश्चिम बंगाल) बांड 1976	0.03
	जोड़ (क)	**31,581.34**
पावर बांड		
1	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	-
2	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2008	98.19
3	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	98.19
4	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2009	98.19
5	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	98.19
6	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	98.19
7	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	98.19
8	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	98.19

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
9	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	98.19
10	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	98.19
11	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	98.19
12	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	98.19
13	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	98.19
14	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	98.19
15	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	98.19
16	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	98.19
17	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	98.19
	जोड़ (ख)	**1,571.02**
	ब्याज रहित ऋण (ग)	*3.48*
	जोड़ (क+ख+ग)	**33,155.84**

क्रम सं.	ब्यौरा	मार्च 2008 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
	पुदुचेरी	
	ब्याज वाले ऋण	
1	7.90% पुदुचेरी सरकार का स्टॉक 2018	177.00
2	8.40% पुदुचेरी सरकार का स्टॉक 2018	160.00
	जोड़ (क)	**337.00**

रा.वि.ऋ. : राज्य विकास ऋण

टिप्पणी : 1. क्रम संख्या 1 से 10 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 26 जुलाई 2002 आदेश क्र. एफ 9(3)बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए है।
2. क्रम संख्या 1 से 10 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 26 जुलाई 2002 आदेश क्र. एफ 9(3)बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए है।
3. क्रम संख्या 1 से 13 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 25 जून 2002 आदेश क्र. एफ 9(2)बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए है।
4. क्रम संख्या 1 से 13 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 25 जून 2002 आदेश क्र. एफ 9(2)बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए है।
5. क्रम संख्या 1 से 19 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 11 अक्तूबर 2002 आदेश क्र. एफ 9(1)बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए है।
6. क्रम संख्या 1 से 19 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 11 अक्तूबर 2002 आदेश क्र. एफ 9(1)बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए है।

स्रोत : रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार

विवरण 33: राज्य सरकार के बकाया बाजार ऋण

(मार्च 2008 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	राज्य विकास ऋण	पावर बांड	ब्याज रहित बाजार ऋण	क्षतिपूर्ति बॉंड	कुल बकाया बाजार ऋण
1	2	3	4	5	6= 2 to 5
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	29,185.6	1,948.9	0.8	0.1	31,135.3
2. बिहार	10,706.1	1,660.5	0.3	21.7	12,388.6
3. छत्तीसगढ़	2,510.1	386.6	0.4	0.1	2,897.2
4. गोवा	1,477.0	–	0.4	–	1,477.4
5. गुजरात	19,021.3	1,303.0	3.1	2.4	20,329.8
6. हरियाणा	4,741.0	1,617.8	0.1	–	6,359.0
7. झारखंड	4,733.8	1,692.3	0.1	7.4	6,433.6
8. कर्नाटक	11,988.4	–	0.3	0.4	11,989.1
9. केरल	16,480.9	926.6	0.2	1.0	17,408.8
10. मध्य प्रदेश	12,584.1	2,131.1	1.0	0.4	14,716.6
11. महाराष्ट्र	27,710.9	814.9	1.5	2.6	28,529.8
12. उड़ीसा	8,024.1	882.3	0.2	–	8,906.6
13. पंजाब	13,228.3	509.9	0.1	–	13,738.3
14. राजस्थान	19,303.4	184.4	0.2	0.2	19,488.2
15. तमिलनाडु	20,502.1	–	1.3	–	20,503.4
16. उत्तर प्रदेश	33,389.5	4,697.5	3.9	39.7	38,130.6
17. पश्चिम बंगाल	31,579.0	1,571.0	3.5	2.3	33,155.8
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	598.3	19.2	–	–	617.5
2. असम	7,155.0	686.0	–	–	7,841.0
3. हिमाचल प्रदेश	5,905.5	56.2	0.1	–	5,961.7
4. जम्मू और कश्मीर	5,645.3	1,272.6	0.2	–	6,918.2
5. मणिपुर	1,077.9	125.7	0.1	–	1,203.7
6. मेघालय	1,267.6	11.2	–	–	1,278.8
7. मिजोरम	837.8	36.5	–	–	874.2
8. नागालैंड	1,997.9	63.1	0.1	–	2,061.2
9. सिक्किम	741.7	38.2	–	–	779.9
10. त्रिपुरा	1,113.9	50.8	0.1	–	1,164.7
11. उत्तराखंड	5,001.3	457.6	0.2	2.1	5,461.2
सभी राज्य	**2,98,507.8**	**23,143.7**	**18.0**	**80.5**	**3,21,750.0**
ज्ञापन मद					
1. पुदुचेरी	337.0	–	–	–	337.0

'–' : शून्य/नगण्य

स्रोत : रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार।

विवरण 34 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता विन्यास

(31 मार्च 2008 को बकाया)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल	पावर बाँड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	1,783	2,098	1,639	2,394	3,401	2,726	2,733	2,682	3,079	6,650	**29,186**	**1,949**
2. बिहार	733	498	892	1,407	1,335	1,153	1,433	1,267	895	1,092	**10,706**	**1,661**
3. छत्तीसगढ़	184	280	235	313	464	156	392	183	302	–	**2,510**	**387**
4. गोवा	96	82	89	99	155	109	133	165	149	400	**1,477**	**–**
5. गुजरात	677	930	894	1,254	2,537	2,283	1,512	1,532	629	6,775	**19,021**	**1,303**
6. हरियाणा	290	316	292	362	756	825	827	932	141	–	**4,741**	**1,618**
7. झारखंड	248	169	302	469	455	414	462	594	429	1,192	**4,734**	**1,692**
8. कर्नाटक	833	1,046	963	1,293	1,611	1,591	2,407	1,273	221	750	**11,988**	**–**
9. केरल	734	746	730	1,384	1,012	1,427	1,423	2,114	2,614	4,297	**16,481**	**927**
10. मध्य प्रदेश	507	773	643	834	1,137	1,428	2,129	1,709	1,549	1,875	**12,584**	**2,131**
11. महाराष्ट्र	795	889	914	1,479	1,074	4,395	2,718	3,401	3,528	8,520	**27,711**	**815**
12. उड़ीसा	670	571	623	1,046	1,308	885	1,356	910	655	–	**8,024**	**882**
13. पंजाब	416	624	399	460	1,141	1,745	1,265	1,601	1,456	4,121	**13,228**	**510**
14. राजस्थान	1,160	1,389	1,343	1,396	2,383	1,625	2,298	1,993	1,729	3,987	**19,303**	**184**
15. तमिलनाडु	806	875	1,278	1,393	2,325	2,068	2,406	2,152	2,257	4,942	**20,502**	**–**
16. उत्तर प्रदेश	2,397	2,634	1,925	2,996	3,237	2,946	3,988	4,699	4,146	4,422	**33,389**	**4,697**
17. पश्चिम बंगाल	854	948	1,056	1,391	2,506	3,676	3,292	3,049	3,201	11,607	**31,579**	**1,571**
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	10	10	21	32	34	28	45	69	166	185	**598**	**19**
2. असम	405	418	414	569	911	500	711	1,167	1,096	963	**7,155**	**686**
3. हिमाचल प्रदेश	160	243	256	403	698	610	714	786	637	1,399	**5,905**	**56**
4. जम्मू और कश्मीर	128	127	267	316	596	385	284	425	891	2,226	**5,645**	**1,273**
5. मणिपुर	39	42	36	57	77	46	108	273	152	247	**1,078**	**126**
6. मेघालय	73	82	70	101	87	53	102	220	283	196	**1,268**	**11**
7. मिजोरम	30	35	35	44	118	30	54	140	205	147	**838**	**36**
8. नागालैंड	94	129	119	172	178	116	140	344	337	369	**1,998**	**63**
9. सिक्किम	45	51	31	17	20	17	22	119	170	250	**742**	**38**
10. त्रिपुरा	78	96	93	74	121	78	118	220	237	–	**1,114**	**51**
11. उत्तराखंड	127	140	102	241	950	764	309	1,170	369	830	**5,001**	**458**
सभी राज्य	**14,371**	**16,238**	**15,660**	**21,993**	**30,628**	**32,079**	**33,384**	**35,191**	**31,522**	**67,442**	**2,98,508**	**23,144**
ज्ञापन मद :												
1. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	337	**337**	**–**
पावर बांड	**1,453**	**2,907**	**2,907**	**2,907**	**2,870**	**2,870**	**2,870**	**2,907**	**1,453**	**–**	**23,144**	**23,144**

टिप्पणी : 1. क्षतिपूर्ति बांड, ब्याज रहित ऋण और पावर बांड को शामिल नहीं किया है। '-' : शून्य/नगण्य/लागू नहीं

2. पूर्ववर्ती बिहार राज्य के बकाया ऋण को जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बिहार और झारखंड में क्रमश: 74.71 प्रतिशत और 25.29 प्रतिशत में विभाजित किया गया है।

3. पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के बकाया ऋण को जनसंख्या के अनुपात के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमश: 73.3797 प्रतिशत और 26.6203 प्रतिशत में विभाजित किया गया है।

4. पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया ऋण को जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तरखंड में क्रमश: 94.9676 प्रतिशत और 5.0324 प्रतिशत में विभाजित किया गया है।

स्रोत : रिज़र्व बैंक अभिलेख।

विवरण 35 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता विन्यास - कुल के प्रतिशत के रूप में

(31 मार्च 2008 के अनुसार बकाया)

(प्रतिशत)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. गैर-विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	6.11	7.19	5.62	8.20	11.65	9.34	9.37	9.19	10.55	22.79	**100.00**
2. बिहार	6.85	4.65	8.34	13.14	12.47	10.77	13.39	11.83	8.36	10.20	**100.00**
3. छत्तीसगढ़	7.33	11.17	9.36	12.48	18.47	6.22	15.63	7.30	12.04	–	**100.00**
4. गोवा	6.51	5.57	6.01	6.69	10.49	7.36	9.00	11.20	10.09	27.08	**100.00**
5. गुजरात	3.56	4.89	4.70	6.59	13.34	12.00	7.95	8.05	3.31	35.62	**100.00**
6. हरियाणा	6.13	6.67	6.17	7.63	15.94	17.40	17.44	19.65	2.97	–	**100.00**
7. झारखंड	5.24	3.56	6.38	9.90	9.61	8.76	9.76	12.55	9.05	25.18	**100.00**
8. कर्नाटक	6.95	8.73	8.03	10.78	13.43	13.27	20.08	10.62	1.84	6.26	**100.00**
9. केरल	4.46	4.52	4.43	8.40	6.14	8.66	8.64	12.83	15.86	26.07	**100.00**
10. मध्य प्रदेश	4.03	6.14	5.11	6.63	9.03	11.35	16.92	13.58	12.31	14.90	**100.00**
11. महाराष्ट्र	2.87	3.21	3.30	5.34	3.88	15.86	9.81	12.27	12.73	30.74	**100.00**
12. उड़ीसा	8.35	7.12	7.76	13.04	16.30	11.03	16.90	11.34	8.17	–	**100.00**
13. पंजाब	3.14	4.72	3.02	3.47	8.63	13.19	9.57	12.10	11.01	31.15	**100.00**
14. राजस्थान	6.01	7.19	6.96	7.23	12.35	8.42	11.90	10.33	8.96	20.65	**100.00**
15. तमिलनाडु	3.93	4.27	6.23	6.79	11.34	10.09	11.74	10.50	11.01	24.11	**100.00**
16. उत्तर प्रदेश	7.18	7.89	5.77	8.97	9.69	8.82	11.94	14.07	12.42	13.24	**100.00**
17. पश्चिम बंगाल	2.70	3.00	3.34	4.40	7.94	11.64	10.43	9.66	10.14	36.75	**100.00**
II. विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	1.60	1.64	3.43	5.34	5.72	4.64	7.55	11.51	27.70	30.87	**100.00**
2. असम	5.67	5.85	5.79	7.95	12.73	6.99	9.94	16.32	15.31	13.46	**100.00**
3. हिमाचल प्रदेश	2.70	4.11	4.33	6.82	11.82	10.34	12.10	13.30	10.79	23.69	**100.00**
4. जम्मू और कश्मीर	2.26	2.25	4.74	5.60	10.56	6.83	5.03	7.53	15.78	39.43	**100.00**
5. मणिपुर	3.62	3.88	3.36	5.32	7.17	4.28	10.02	25.33	14.09	22.94	**100.00**
6. मेघालय	5.77	6.46	5.52	8.00	6.86	4.22	8.05	17.38	22.30	15.44	**100.00**
7. मिजोरम	3.58	4.17	4.17	5.24	14.08	3.64	6.47	16.70	24.42	17.53	**100.00**
8. नागालैंड	4.68	6.44	5.97	8.59	8.91	5.80	7.01	17.24	16.88	18.47	**100.00**
9. सिक्किम	6.09	6.88	4.19	2.25	2.70	2.23	3.02	16.05	22.89	33.69	**100.00**
10. त्रिपुरा	7.00	8.62	8.33	6.60	10.90	6.97	10.59	19.71	21.27	–	**100.00**
11. उत्तराखंड	2.54	2.79	2.04	4.81	18.99	15.27	6.18	23.40	7.38	16.60	**100.00**
सभी राज्य	**4.81**	**5.44**	**5.25**	**7.37**	**10.26**	**10.75**	**11.18**	**11.79**	**10.56**	**22.59**	**100.00**
ज्ञापन मद :											
1. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100.00	**100.00**

'–' : शून्य/नगण्य/लागू नहीं

टिप्पणी : विवरण 34 के जैसा।

स्रोत : रिज़र्व बैंक अभिलेख के अनुसार।

विवरण 36 : राज्य सरकार के चयनित प्रतिबद्ध व्यय-राज्यों के स्व-राजस्व के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2006-07				2007-08 (सं.अ.)				2008-09 (बं.अ.)			
	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (2+3+4)	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (6+7+8)	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	23.9	8.9	13.6	46.5	22.5	11.1	12.3	46.0	19.2	9.3	11.1	39.7
2. बिहार	75.2	47.8	54.9	177.9	72.1	53.1	59.0	184.2	66.8	51.3	60.5	178.6
3. छत्तीसगढ़	15.8	9.5	9.6	34.9	15.1	11.6	9.7	36.3	13.8	13.5	10.3	37.6
4. गोवा	19.3	6.8	6.7	32.7	19.3	8.0	6.3	33.7	20.3	7.2	9.9	37.4
5. गुजरात	29.6	6.1	10.2	45.9	28.6	6.4	9.9	44.9	29.0	6.1	10.8	46.0
6. हरियाणा	14.6	6.9	7.6	29.1	14.2	7.3	7.9	29.4	13.8	6.9	9.8	30.6
7. झारखंड	17.0	37.0	17.3	71.4	38.5	36.0	13.9	88.3	25.3	18.6	8.4	52.3
8. कर्नाटक	15.5	7.0	9.1	31.6	16.3	8.0	11.4	35.6	15.6	11.6	10.4	37.5
9. केरल	32.5	9.4	25.6	67.5	31.5	10.6	30.4	72.6	30.1	9.7	26.8	66.5
10. मध्य प्रदेश	30.7	11.8	13.3	55.8	29.1	12.7	13.8	55.6	26.1	16.4	13.3	55.8
11. महाराष्ट्र	24.5	10.1	7.4	42.0	23.0	11.4	8.3	42.7	21.1	23.8	7.8	52.7
12. उड़ीसा	36.8	10.6	17.2	64.6	46.5	13.2	24.1	83.8	45.8	23.0	29.7	98.5
13. पंजाब	32.0	14.1	14.7	60.8	25.6	12.8	11.9	50.3	29.0	14.2	12.7	55.9
14. राजस्थान	37.9	9.9	14.1	61.9	35.5	9.9	15.9	61.3	35.5	10.2	16.5	62.2
15. तमिलनाडु	17.7	8.1	17.4	43.1	19.1	9.9	20.8	49.9	16.4	10.3	21.7	48.4
16. उत्तर प्रदेश	35.5	14.6	16.4	66.5	31.8	12.7	16.6	61.1	29.7	15.3	17.5	62.5
17. पश्चिम बंगाल	84.0	18.0	27.4	129.5	74.6	16.4	25.5	116.5	68.9	14.7	23.9	107.5
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	50.0	68.2	21.0	139.2	28.0	46.6	12.0	86.5	36.8	43.7	13.7	94.2
2. असम	28.4	22.7	22.0	73.1	34.2	41.6	26.2	101.9	30.5	36.9	24.5	91.9
3. हिमाचल प्रदेश	55.8	18.1	30.5	104.4	56.8	17.5	34.3	108.6	51.8	19.0	34.1	104.9
4. जम्मू और कश्मीर	47.9	70.8	40.3	159.0	61.8	61.3	32.0	155.1	42.0	57.4	25.0	124.4
5. मणिपुर	95.5	99.2	79.0	273.7	84.7	107.9	62.9	255.5	80.5	101.8	58.7	241.0
6. मेघालय	41.5	60.9	24.0	126.4	44.0	70.3	22.1	136.4	39.5	68.3	21.5	129.3
7. मिजोरम	113.8	128.0	38.5	280.2	91.3	143.3	53.6	288.1	105.9	177.0	55.3	338.1
8. नागालैंड	133.1	232.2	96.0	461.2	122.0	244.9	107.0	474.0	127.0	219.9	112.1	459.0
9. सिक्किम	9.2	9.5	3.9	22.6	8.4	9.6	3.2	21.3	10.4	11.5	4.3	26.1
10. त्रिपुरा	88.9	99.4	61.2	249.6	78.4	107.1	63.6	249.1	67.9	142.3	60.8	271.0
11. उत्तराखंड	30.5	17.7	16.7	64.8	31.4	17.6	17.5	66.5	31.1	17.9	17.4	66.4
सभी राज्य 29.5	**12.3**	**14.8**	**56.7**	**28.9**	**13.4**	**15.7**	**58.0**	**26.9**	**15.6**	**15.5**	**58.0**	
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	19.0	3.1	–	22.1	18.2	3.2	–	21.4	15.6	3.1	–	18.7
2. पुदुचेरी	16.7	9.1	9.3	35.1	18.5	9.7	10.2	38.3	18.3	8.5	8.2	35.0

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान. '-' : शून्य

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

विवरण 37 : राज्य सरकार के चयनित प्रतिबद्ध व्यय-राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2006-07				2007-08 (सं.अ.)				2008-09 (बं.अ.)			
	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (2+3+4)	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (6+7+8)	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	17.6	6.5	10.0	34.1	15.5	7.7	8.5	31.6	12.8	6.2	7.4	26.4
2. बिहार	16.6	10.5	12.1	39.3	15.4	11.4	12.6	39.4	13.1	10.1	11.9	35.1
3. छत्तीसगढ़	11.7	7.0	7.1	25.8	8.9	6.8	5.7	21.4	8.3	8.1	6.2	22.7
4. गोवा	17.3	6.0	6.0	29.3	15.5	6.4	5.1	27.0	16.7	5.9	8.2	30.8
5. गुजरात	23.7	4.9	8.2	36.8	22.7	5.1	7.9	35.7	21.3	4.5	8.0	33.8
6. हरियाणा	13.8	6.6	7.2	27.6	13.0	6.7	7.2	27.0	12.5	6.3	8.9	27.6
7. झारखंड	6.9	15.0	7.0	29.0	15.1	14.1	5.4	34.7	15.7	11.6	5.3	32.6
8. कर्नाटक	12.7	5.8	7.5	25.9	12.5	6.1	8.7	27.3	11.5	8.5	7.7	27.8
9. केरल	20.1	5.8	15.8	41.8	18.2	6.1	17.6	41.9	18.2	5.8	16.1	40.1
10. मध्य प्रदेश	18.0	6.9	7.8	32.8	15.9	6.9	7.5	30.3	14.2	8.9	7.3	30.5
11. महाराष्ट्र	19.0	7.9	5.8	32.6	18.2	9.0	6.6	33.7	15.7	17.7	5.8	39.1
12. उड़ीसा	20.2	5.8	9.4	35.4	20.6	5.8	10.7	37.0	19.0	9.5	12.3	40.8
13. पंजाब	22.4	9.9	10.3	42.6	17.8	8.9	8.3	34.9	19.1	9.4	8.4	36.8
14. राजस्थान	22.8	6.0	8.5	37.3	19.8	5.5	8.9	34.2	20.3	5.8	9.4	35.5
15. तमिलनाडु	14.4	6.6	14.2	35.2	13.5	7.0	14.7	35.3	11.6	7.3	15.4	34.3
16. उत्तर प्रदेश	18.8	7.7	8.7	35.2	16.2	6.5	8.5	31.2	15.3	7.8	9.0	32.1
17. पश्चिम बंगाल	31.8	6.8	10.4	49.1	29.0	6.4	9.9	45.3	28.5	6.1	9.9	44.5
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	9.9	13.5	4.2	27.5	7.1	11.8	3.0	22.0	7.7	9.1	2.8	19.6
2. असम	13.2	10.6	10.3	34.1	10.7	13.0	8.2	32.0	9.5	11.5	7.7	28.7
3. हिमाचल प्रदेश	21.8	7.1	11.9	40.9	22.0	6.8	13.3	42.0	19.6	7.2	12.9	39.7
4. जम्मू और कश्मीर	11.9	17.6	10.0	39.6	17.4	17.2	9.0	43.6	13.4	18.3	8.0	39.7
5. मणिपुर	12.0	12.4	9.9	34.3	12.0	15.3	8.9	36.3	12.0	15.2	8.7	35.9
6. मेघालय	10.6	15.6	6.2	32.4	8.2	13.2	4.1	25.6	7.2	12.5	3.9	23.7
7. मिजोरम	13.3	15.0	4.5	32.8	9.1	14.4	5.4	28.9	10.0	16.7	5.2	31.9
8. नागालैंड	12.6	22.0	9.1	43.6	10.8	21.8	9.5	42.1	12.3	21.3	10.9	44.5
9. सिक्किम	6.1	6.3	2.6	15.1	5.3	6.1	2.0	13.4	6.0	6.6	2.5	15.1
10. त्रिपुरा	15.6	17.5	10.8	43.9	13.1	17.9	10.6	41.5	11.2	23.5	10.0	44.7
11. उत्तराखंड	14.9	8.6	8.1	31.6	14.6	8.2	8.1	30.8	14.4	8.3	8.1	30.8
सभी राज्य	**18.4**	**7.7**	**9.3**	**35.4**	**17.0**	**7.9**	**9.2**	**34.1**	**15.7**	**9.1**	**9.1**	**33.8**
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	28.5	4.6	–	33.1	24.8	4.4	–	29.1	22.1	4.4	–	26.6
2. पुदुचेरी	9.7	5.3	5.4	20.4	9.8	5.1	5.4	20.3	8.5	4.0	3.8	16.2

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान. '-' : शून्य

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

विवरण 38 : भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की प्राप्तता

राज्य	अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट					
	2006-07	2007-08	2008-09#	2006-07		2007-08		2008-09#	
	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या*	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या *	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या*	दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. झारखंड	29	–	–	–	–	–	–	–	–
8. कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. केरल	223	184	18	9	63	9	51	–	–
10. मध्य प्रदेश	–	–	2	–	–	–	–	–	–
11. महाराष्ट्र	42	–	–	–	–	–	–	–	–
12. उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13. पंजाब	–	19	21	–	–	–	–	–	–
14. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15. तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17. पश्चिम बंगाल	–	142	33	–	–	6	65	1	4
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	2	–	–	–	–	–	–	–	–
2. असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. हिमाचल प्रदेश	1	1	–	–	–	–	–	–	–
4. मणिपुर	–	3	–	–	–	–	–	–	–
5. मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. मिजोरम	1	4	–	–	–	–	–	–	–
7. नागालैंड	28	30	18	2	16	1	3	1	4
8. त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. उत्तराखंड	63	5	27	–	–	–	–	1	14

: 13, दिसंबर 2008 तक की स्थिति '-' : शून्य।
* : वर्ष के दौरान दिए गए नए ओवरड्राफ्ट के संदर्भ में।
स्रोत : रिज़र्व बैंक अभिलेख के अनुसार।

विवरण 39 : केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रुपए)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	75	329	135	–	–	–	–	–	–
2. बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गुजरात	550	91	–	–	–	–	–	–	–
6. हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. कर्नाटक	–	–	–	500	–	–	–	–	–
9. केरल	–	203	178	310	350	350	–	–	350
10. मध्य प्रदेश	–	–	312	–	250	–	–	–	–
11. महाराष्ट्र	–	–	25	–	–	–	–	–	–
12. उड़ीसा	250	382	695	400	–	–	–	–	–
13. पंजाब	250	305	–	150	200	–	–	–	–
14. राजस्थान	–	–	198	–	–	–	–	–	–
15. तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. उत्तर प्रदेश	–	–	1	–	–	13	–	–	–
17. पश्चिम बंगाल	200	227	650	–	–	–	–	–	–
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. असम	200	675	470	50	200	–	–	50	10
3. हिमाचल प्रदेश	110	187	–	125	100	–	–	–	–
4. जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. मणिपुर	196	433	573	445	331	–	–	–	–
6. मेघालय	–	–	65	–	65	–	–	–	–
7. मिजोरम	–	37	–	–	–	–	–	–	–
8. नागालैंड	–	70	27	–	100	100	–	–	–
9. सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सभी राज्य	**1,831**	**2,939**	**3,329**	**1,980**	**1,596**	**463**	**–**	**50**	**360**

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान. '-' : शून्य

टिप्पणी : सभी आंकड़े सकल आधार पर है।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

विवरण 40: 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल का बकाया निवेश

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
I. गैर-विशेष श्रेणी							
1. आंध्र प्रदेश	139	190	1,183	1,701	2,076	3,416	6,380
2. बिहार	91	943	299	2,845	2,848	1,674	4,446
3. छत्तीसगढ़	352	589	271	335	882	1,121	1,641
4. गोवा	–	–	–	80	258	353	654
5. गुजरात	–	747	289	227	3,420	2,105	8,223
6. हरियाणा	–	149	632	1,571	3,861	2,898	845
7. झारखंड	1,482	217	1,259	1,139	147	963	1,467
8. कर्नाटक	1,885	388	296	2,033	4,213	1,597	3,488
9. केरल	–	–	–	–	147	828	840
10. मध्य प्रदेश	–	27	–	200	646	2,507	2,761
11. महाराष्ट्र	857	1,021	1,831	1,095	3,255	4,711	6,495
12. उड़ीसा	–	–	102	653	1,722	2,621	4,821
13. पंजाब	–	–	–	–	1,527	457	730
14. राजस्थान	–	–	179	930	1,805	–	3,389
15. तमिलनाडु	–	–	–	–	2,944	3,407	5,279
16. उत्तर प्रदेश	–	407	240	–	3,234	5,481	5,451
17. पश्चिम बंगाल	–	–	–	935	3,302	1,136	2,121
कुल (I)	**4,806**	**4,678**	**6,580**	**13,744**	**36,288**	**35,276**	**59,032**
II. विशेष श्रेणी							
1. अरुणाचल प्रदेश	48	97	6	–	–	39	846
2. असम	–	–	–	–	1,378	2,549	4,447
3. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	337	–	1,122
4. मणिपुर	–	–	–	–	138	315	624
5. मेघालय	89	123	148	160	165	366	481
6. मिजोरम	–	36	11	114	84	–	267
7. नागालैंड	–	245	25	–	–	–	82
8. त्रिपुरा	–	103	8	297	476	538	578
9. उत्तराखंड	–	311	77	–	118	133	–
कुल (II)	**137**	**916**	**275**	**571**	**2,695**	**3,941**	**8,445**
कुल योग (I+II)	**4,943**	**5,594**	**6,856**	**14,314**	**38,983**	**39,217**	**67,477**

'–' : शून्य।

स्रोत : रिजर्व बैंक अभिलेख के अनुसार।

विवरण 41 : शिक्षा* पर व्यय - कुल संवितरण के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अं.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	13.3	12.5	11.7	11.6	9.8	11.1	10.8	11.1	11.0
2. बिहार	23.7	20.7	18.4	18.9	15.8	19.6	19.7	16.7	18.9
3. छत्तीसगढ़	13.1	12.4	11.0	10.8	12.3	13.4	12.9	13.5	14.1
4. गोवा	11.9	10.5	12.0	12.1	13.9	12.3	13.7	12.6	11.4
5. गुजरात	13.6	12.7	13.5	11.2	11.5	12.6	12.7	12.7	11.7
6. हरियाणा	14.6	13.8	13.7	10.2	11.6	13.4	11.9	13.7	13.6
7. झारखंड	–	16.2	19.0	14.2	14.9	15.8	15.2	15.1	17.1
8. कर्नाटक	17.7	16.0	14.8	12.9	12.7	14.0	13.1	14.2	15.3
9. केरल	20.0	19.0	17.6	15.7	16.2	16.6	17.1	16.4	17.0
10. मध्य प्रदेश	16.3	12.5	12.2	9.9	8.8	10.2	12.4	11.6	12.7
11. महाराष्ट्र	22.3	22.1	18.9	15.5	14.0	15.7	16.4	17.1	15.5
12. उड़ीसा	15.9	14.6	14.3	12.2	12.6	14.7	12.8	13.5	14.2
13. पंजाब	13.2	11.7	12.1	10.2	10.1	11.3	8.9	11.1	11.6
14. राजस्थान	18.8	18.2	15.5	14.1	13.8	17.2	15.6	14.5	16.8
15. तमिलनाडु	18.0	17.3	13.8	12.6	11.2	13.6	12.2	13.0	14.6
16. उत्तर प्रदेश	16.8	16.0	14.6	9.1	12.5	15.2	14.7	14.1	13.1
17. पश्चिम बंगाल	17.1	16.2	15.9	11.8	14.9	13.7	15.2	15.3	15.3
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	6.4	13.3	12.1	9.1	10.7	9.9	10.7	9.5	7.7
2. असम	25.5	21.9	22.4	22.3	17.0	20.8	20.4	17.7	16.1
3. हिमाचल प्रदेश	17.0	16.2	14.5	12.4	13.5	14.1	14.1	16.3	17.4
4. जम्मू और कश्मीर	11.1	11.6	10.9	11.1	9.7	9.3	10.0	9.2	10.0
5. मणिपुर	20.2	13.7	13.3	13.1	15.3	15.4	11.9	13.6	14.2
6. मेघालय	16.6	17.9	15.3	15.2	15.0	15.5	14.1	14.9	15.7
7. मिजोरम	16.2	16.0	14.5	12.0	13.8	13.4	13.8	13.2	13.5
8. नागालैंड	13.8	11.0	11.0	10.8	11.0	11.6	12.3	11.5	11.4
9. सिक्किम	14.2	8.0	7.6	11.8	8.8	10.4	10.5	8.6	9.8
10. त्रिपुरा	19.3	18.6	19.2	18.3	20.0	15.3	15.9	15.5	14.2
11. उत्तराखंड	21.5	21.1	20.0	17.6	18.4	17.2	18.1	16.7	16.0
सभी राज्य	**17.4**	**16.2**	**15.1**	**12.6**	**12.7**	**14.2**	**14.0**	**14.0**	**14.2**
सभी राज्य (सधउ का प्रतिशत)	**2.8**	**2.6**	**2.5**	**2.3**	**2.3**	**2.2**	**2.2**	**2.3**	**2.4**
ज्ञापन मद :									
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	15.1	13.7	12.1	10.9	13.1	14.9	15.1	13.3	15.0
2. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	10.7	9.9	10.1	7.7

स.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान. '-' : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं

* : इसमें राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय के अंतर्गत खेल, कला एवं संस्कृति पर व्यय शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

विवरण 42: चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण* पर व्यय - कुल संवितरण के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (बं.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	4.7	4.4	4.0	3.7	3.2	3.4	3.3	3.2	3.3
2. बिहार	5.9	4.9	4.2	3.8	3.1	4.5	4.2	3.9	4.2
3. छत्तीसगढ़	4.1	4.3	4.0	3.3	3.3	3.4	3.5	3.8	4.7
4. गोवा	4.4	3.8	4.0	4.5	4.7	4.9	4.6	4.6	4.2
5. गुजरात	3.4	2.8	3.2	2.7	2.8	3.1	2.9	3.1	3.1
6. हरियाणा	3.3	3.0	3.3	2.4	2.7	3.1	2.5	2.7	2.7
7. झारखंड	–	4.9	4.2	4.1	3.7	6.9	6.3	5.0	5.3
8. कर्नाटक	5.1	4.9	4.2	3.4	3.0	3.3	3.1	3.9	4.1
9. केरल	5.3	5.8	4.8	4.3	4.5	4.7	4.9	4.9	4.7
10. मध्य प्रदेश	5.1	4.1	4.1	3.3	3.1	3.4	3.8	3.7	3.9
11. महाराष्ट्र	3.9	4.3	3.7	3.2	2.7	3.2	3.1	3.6	3.1
12. उड़ीसा	4.2	3.7	3.8	3.2	4.0	3.0	3.1	3.5	3.8
13. पंजाब	4.5	3.9	3.5	3.0	2.9	3.4	2.7	2.9	3.2
14. राजस्थान	5.2	5.2	4.2	4.0	3.7	4.4	4.1	4.1	4.6
15. तमिलनाडु	4.9	4.9	4.1	3.8	3.2	4.2	3.3	3.6	4.2
16. उत्तर प्रदेश	4.0	3.6	3.8	2.7	3.8	5.1	5.7	5.2	5.6
17. पश्चिम बंगाल	5.6	5.0	4.9	3.7	4.2	3.9	4.1	4.4	4.4
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	5.0	4.9	4.5	3.5	4.5	3.1	4.4	3.8	2.7
2. असम	4.7	4.2	3.7	3.5	2.9	3.4	4.2	5.6	5.6
3. हिमाचल प्रदेश	5.6	4.9	4.5	4.3	4.6	4.6	4.4	4.5	4.7
4. जम्मू और कश्मीर	4.9	5.5	5.2	5.5	4.9	4.5	5.4	5.3	5.3
5. मणिपुर	4.8	3.4	2.9	3.2	2.6	3.0	2.7	4.3	4.0
6. मेघालय	5.6	6.6	5.9	5.5	4.9	5.5	5.1	4.6	4.4
7. मिजोरम	5.4	5.4	5.0	5.0	4.3	3.5	3.6	3.9	6.3
8. नागालैंड	5.2	4.1	4.6	4.0	5.7	4.3	4.2	3.8	4.6
9. सिक्किम	3.7	2.2	2.0	2.9	2.6	2.8	2.5	2.5	2.7
10. त्रिपुरा	4.0	3.7	3.8	3.4	3.5	4.7	5.1	6.3	5.0
11. उत्तराखंड	3.1	4.4	3.8	3.4	3.9	4.6	4.8	5.5	4.9
सभी राज्य	**4.6**	**4.4**	**4.0**	**3.4**	**3.4**	**3.9**	**3.9**	**4.0**	**4.1**
सभी राज्य (घधउ का प्रतिशत)	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.7**	**0.7**
ज्ञापन मद :									
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	7.2	6.7	6.3	6.0	6.6	8.2	8.5	7.5	7.2
2. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	5.4	7.6	7.9	5.0

स.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान. '-' : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं

* : राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

विवरण 43 : राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 #	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. गैर-विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश *	3,633	5,021	5,326	5,848	4,343	7,947	9,885	10,469	13,794	13,138	10,237	15,337	15,317	17,707	17,386	17,433
2. बिहार	1,359	1,477	1,652	73	1,184	525	525	525	1,149	1,157	997	789	899	1,166	591	620
3. गुजरात	4,514	5,190	5,387	6,501	6,519	6,602	7,274	7,299	13,450	17,301	18,723	19,001	17,624	15,683	14,079	12,701
4. हरियाणा*	1,264	1,526	1,856	1,811	2,362	3,749	4,119	4,119	4,315	8,209	9,174	7,684	5,869	4,380	5,574	5,596
5. कर्नाटक*	3,057	2,255	3,640	3,862	4,669	4,887	6,122	6,517	9,829	12,989	11,845	13,314	14,179	17,451	8,983	9,879
6. केरल	1,744	2,296	2,320	3,229	2,082	2,069	2,466	2,866	7,952	8,756	11,937	11,410	13,836	12,316	11,935	9,496
7. मध्य प्रदेश*	677	720	1,890	287	440	3,485	3,485	3,485	9,841	10,482	9,670	9,670	9,974	9,435	13,692	5,697
8. महाराष्ट्र	7,351	6,132	7,305	7,706	8,127	7,636	9,933	12,851	21,161	44,954	35,520	38,002	67,068	58,818	59,470	37,823
9. उड़ीसा*	1,090	1,333	1,357	1,484	1,716	1,919	2,094	2,292	3,837	3,787	5,309	5,499	5,178	3,823	3,496	2,648
10. पंजाब*	1,303	1,225	1,517	2,360	2,525	6,691	7,044	7,292	8,744	6,067	6,149	18,632	12,987	10,585	9,226	–
11. राजस्थान*	2,727	3,143	3,573	3,929	4,758	5,754	6,154	6,454	11,270	11,954	12,912	14,819	17,239	12,703	13,098	14,706
12. तमिलनाडु*	2,895	3,205	3,604	2,128	3,456	4,339	4,339	4,637	9,287	12,388	12,004	11,918	10,818	7,779	6,329	5,850
13. उत्तर प्रदेश	4,257	4,852	5,135	5,300	4,730	4,338	4,503	4,643	8,090	6,391	6,268	3,601	8,364	8,433	11,426	12,736
14. पश्चिम बंगाल*	2,450	2,193	2,299	2,246	2,893	2,380	2,480	2,680	4,378	6,982	7,641	10,331	11,044	14,154	13,519	13,137
II. विशेष श्रेणी																
1. असम	1,008	1,022	1,022	945	1,430	1,430	1,430	1,430	1,033	1,100	1,854	1,101	1,023	607	1,221	863
2. हिमाचल प्रदेश*	370	482	502	495	798	989	1,299	1,299	3,109	1,921	4,113	2,153	4,610	4,315	6,888	2,852
3. जम्मू और कश्मीर*	459	443	480	275	599	599	599	599	790	1,143	1,033	1,033	3,629	5,071	–	–
4. मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194
5. मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130
6. सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
7. उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,738
कुल	**40,158**	**42,515**	**48,865**	**48,479**	**52,631**	**65,339**	**73,751**	**79,457**	**1,32,029**	**1,68,719**	**1,65,386**	**1,84,294**	**2,19,658**	**2,04,426**	**1,96,914**	**1,54,183**
सघउ का प्रतिशत	**6.1**	**5.6**	**5.6**	**4.8**	**4.4**	**4.7**	**4.8**	**4.5**	**6.8**	**8.0**	**7.3**	**7.5**	**8.0**	**6.5**	**5.5**	**3.7**

'-' : लागू नहीं।. अ : अनंतिम

* : वर्ष 1991-92 से 1996-97 के बकाया गारटियों में मूल तथा ब्याज का भाग शामिल है।

: आंकड़े अप्रैल से सितंबर तक से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी एवं राज्य के बजट दस्तावेजो के अनुसार।

विवरण 44 : मजदूरी तथा वेतन पर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. आंध्र प्रदेश	2,048	2,470	2,732	3,083	3,622	3,773	4,219	4,768	5,936	6,668	7,978	8,165	8,103	8,718	8,825	10,269	11,932	14,020	16,308
	(37.2)	(38.3)	(38.0)	(38.5)	(38.1)	(35.5)	(29.3)	(32.8)	(35.0)	(37.0)	(34.6)	(33.0)	(31.1)	(29.2)	(28.2)	(29.4)	(28.8)	(25.2)	(23.2)
2. असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,264	3,410	3,646	3,877	4,056	4,435	4,715	5,126	–
											(50.9)	(49.8)	(51.3)	(45.9)	(39.7)	(42.1)	(41.2)	(29.5)	
3. बिहार$	2,410	2,640	3,024	3,262	3,448	3,833	4,047	4,561	5,321	6,686	7,129	5,276	5,073	5,020	5,005	–	–	–	–
	(49.3)	(46.0)	(46.0)	(44.6)	(44.6)	(45.3)	(49.0)	(50.9)	(50.1)	(41.5)	(49.7)	(42.0)	(36.2)	(34.3)	(34.2)				
4. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	833	1,916	1,948	2,059	2,103	2,139	2,501	3,142	4,113
											(51.7)	(39.0)	(35.2)	(31.2)	(29.6)	(28.7)	(28.4)	(24.9)	(29.6)
5. गुजरात	636	765	890	917	1,049	1,299	1,345	1,547	2,124	2,116	2,229	2,310	2,460	2,548	2,567	2,709	2,801	2,790	3,063
	(15.6)	(14.6)	(14.3)	(13.2)	(13.9)	(14.8)	(13.1)	(12.7)	(13.6)	(12.1)	(10.1)	(10.2)	(11.5)	(11.6)	(10.6)	(10.6)	(9.6)	(8.5)	(8.0)
6. हरियाणा	687	774	881	980	1,171	1,369	1,597	1,827	2,703	2,627	2,687	2,920	3,156	3,143	3,455	3,737	4,027	4,679	5,030
	(35.5)	(34.0)	(37.0)	(28.8)	(18.7)	(25.5)	(23.6)	(27.6)	(38.5)	(37.8)	(37.4)	(33.7)	(33.8)	(31.1)	(30.3)	(29.6)	(24.6)	(25.8)	(24.8)
7. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	646	769	879	1,053	1,412	1,578	1,683	1,877	2,062	2,148	2,198	–	2,776	3,144	3,505
					(40.0)	(40.4)	(40.9)	(39.0)	(42.3)	(41.3)	(38.5)	(41.0)	(40.1)	(38.4)	(37.9)		(36.3)	(39.8)	(37.6)
8. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,547	3,370	6,187
																	(22.7)	(25.7)	(45.6)
9. कर्नाटक*	1,289	1,431	1,657	1,941	2,213	2,481	2,871	3,365	3,810	4,576	4,630	5,030	4,941	5,323	5,530	5,899	6,545	8,383	11,413
	(32.5)	(28.9)	(29.6)	(31.3)	(30.5)	(29.2)	(28.1)	(30.9)	(30.6)	(30.0)	(27.7)	(27.0)	(26.3)	(25.0)	(22.2)	(21.0)	(19.6)	(22.1)	(25.0)
10. केरल	1,683	1,384	1,419	1,836	2,194	2,230	2,617	2,842	3,298	4,566	4,561	4,263	4,745	5,136	5,417	5,677	6,663	8,470	9,326
	(59.6)	(43.0)	(38.8)	(42.8)	(43.3)	(38.3)	(38.5)	(34.5)	(35.7)	(39.5)	(38.4)	(36.6)	(32.2)	(33.1)	(31.6)	(30.8)	(32.0)	(32.4)	(33.0)
11. मध्य प्रदेश	–	2,461	2,638	3,048	3,308	3,815	4,257	4,795	6,440	7,012	6,015	4,934	5,310	4,987	6,200	6,039	–	–	–
		(45.4)	(42.8)	(40.5)	(42.4)	(41.8)	(37.1)	(40.9)	(45.3)	(43.5)	(40.1)	(34.3)	(36.5)	(26.6)	(32.6)	(29.4)			
12. महाराष्ट्र	3,848	4,908	5,548	6,216	6,837	7,899	8,890	10,074	11,125	16,089	18,188	18,475	18,499	19,627	20,678	22,816	24,222	28,654	38,547
	(44.0)	(48.8)	(48.0)	(47.4)	(46.2)	(46.0)	(42.6)	(44.0)	(43.4)	(54.5)	(48.6)	(48.3)	(45.7)	(46.0)	(40.5)	(43.6)	(39.5)	(43.3)	(48.8)
13. मिजोरम	89	104	127	147	172	204	240	262	280	393	437	474	487	503	556	544	623	783	873
	(29.3)	(32.4)	(34.1)	(35.1)	(37.1)	(36.0)	(38.7)	(39.6)	(40.5)	(43.9)	(42.7)	(42.0)	(43.1)	(39.1)	(39.9)	(34.3)	(36.3)	(39.7)	(42.9)
14. नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,020	2,300	1,212
																	(45.9)	(85.6)	(45.3)
15. उड़ीसा	906	991	1,157	1,274	1,427	1,798	2,209	2,814	3,091	3,741	3,803	3,736	3,929	4,002	4,074	4,350	4,634	5,606	6,267
	(41.4)	(37.6)	(38.0)	(36.6)	(35.4)	(38.3)	(43.2)	(50.8)	(45.3)	(44.2)	(43.1)	(37.8)	(39.2)	(36.8)	(32.9)	(32.0)	(29.4)	(28.5)	(27.6)
16. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	3,089	3,395	4,737	5,043	5,101	5,298	5,282	5,745	6,081	6,815	7,289	8,117	9,675
							(36.7)	(37.8)	(40.9)	(37.6)	(33.9)	(33.2)	(31.0)	(30.5)	(30.5)	(31.7)	(29.2)	(27.2)	(30.4)
17. सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	398	403	428	447	449	500	425	456	419
											(52.2)	(24.2)	(22.8)	(37.9)	(26.0)	(28.3)	(22.5)	(18.8)	(18.7)
18. तमिलनाडु	2,350	2,530	2,869	3,235	3,603	4,136	4,818	5,559	7,469	8,295	8,251	8,262	7,981	7,966	8,507	8,980	10,695	13,372	17,317
	(41.6)	(29.1)	(33.6)	(36.9)	(37.4)	(37.9)	(36.9)	(37.2)	(42.2)	(40.0)	(37.9)	(38.3)	(31.1)	(31.5)	(29.2)	(28.1)	(27.9)	(29.3)	(33.7)
19. उत्तर प्रदेश	2,569	2,585	3,291	3,492	3,628	4,066	4,670	6,033	6,389	7,054	7,721	6,962	7,395	8,039	8,423	9,057	9,869	11,871	13,744
	(26.9)	(24.9)	(25.9)	(26.3)	(23.6)	(23.2)	(24.3)	(27.2)	(24.5)	(24.5)	(24.9)	(21.9)	(22.5)	(16.0)	(18.9)	(19.4)	(17.7)	(17.6)	(18.4)
20. उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,271	2,303	3,095
																	(35.1)	(28.2)	(35.7)
21. पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	5,386	7,098	9,842	9,600	9,297	9,270	9,451	9,801	10,190	10,876	12,809	13,821
								(47.6)	(49.8)	(50.5)	(43.4)	(39.7)	(40.0)	(36.7)	(34.8)	(32.7)	(31.8)	(32.4)	(31.8)
सभी राज्य	**18,515**	**23,042**	**26,234**	**29,431**	**33,317**	**37,673**	**45,746**	**58,282**	**71,234**	**86,285**	**94,507**	**93,008**	**94,717**	**98,741**	**1,03,924**	**1,04,158**	**1,16,431**	**1,39,395**	**1,63,915**
	(37.3)	(35.2)	(35.5)	(35.6)	(34.3)	(34.4)	(33.3)	(34.4)	(35.6)	(36.4)	(39.1)	(36.3)	(35.1)	(32.0)	(31.1)	(29.1)	(27.5)	(27.6)	(29.4)
ज्ञापन मद :																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली#	–	–	–	–	–	–	–	761	962	1,012	1,064	1,106	1,172	1,275	1,441	–	–	–	–
								(32.8)	(33.9)	(28.7)	(28.8)	(21.9)	(25.5)	(25.1)	(24.7)				
2. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	378	445	469	491
																(21.1)	(23.1)	(21.1)	(16.5)

संअ. : संशोधित अनुमान. बअ : बजट अनुमान. '-' : उपलब्ध नहीं।

$: 2001-02 से आकड़े विभाजित बिहार से संबंधित है।

* : वेतन व्यय से संबंधित।

: 1998-99 से आंकड़े कर्मचारियों को दिए गए मुआवजा से संबंधित है।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत है।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी।

विवरण 45 : परिचालन तथा रखरखाव पर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. आंध्र प्रदेश	576	722	746	871	810	911	1,103	1,085	1,427	1,395	2,499	2,899	3,117	3,828	3,833	3,884	4,713	6,569	9,795
	(10.5)	(11.2)	(10.4)	(10.9)	(8.5)	(8.6)	(7.7)	(7.5)	(8.4)	(7.7)	(10.8)	(11.7)	(12.0)	(12.8)	(12.2)	(11.1)	(11.4)	(11.8)	(13.9)
2. असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	402	322	333	366	511	541	360	393	–
											(6.3)	(4.7)	(4.7)	(4.3)	(5.0)	(5.1)	(3.1)	(2.3)	
3. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	125	221	212	189	114	327	511	500
											(2.9)	(2.5)	(4.0)	(3.2)	(2.7)	(1.5)	(3.7)	(4.1)	(3.6)
4. गुजरात	193	259	640	356	373	425	403	794	433	483	1,224	909	1,419	2,180	1,380	791	636	1,298	794
	(4.7)	(4.9)	(10.3)	(5.1)	(4.9)	(4.8)	(3.9)	(6.5)	(2.8)	(2.8)	(5.6)	(4.0)	(6.6)	(9.9)	(5.7)	(3.1)	(2.2)	(4.0)	(2.1)
5. हरियाणा	86	88	99	115	135	158	171	208	191	254	220	259	318	414	349	456	748	974	819
	(4.4)	(3.9)	(4.2)	(3.4)	(2.1)	(3.0)	(2.5)	(3.1)	(2.7)	(3.7)	(3.1)	(3.0)	(3.4)	(4.1)	(3.1)	(3.6)	(4.6)	(5.4)	(4.0)
6. हिमाचल प्रदेश$	–	–	–	–	204	208	228	271	355	364	401	297	268	379	349	–	590	800	868
					(12.6)	(10.9)	(10.6)	(10.0)	(10.6)	(9.5)	(9.2)	(6.5)	(5.2)	(6.8)	(6.0)		(7.7)	(10.1)	(9.3)
7. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	335	1,973
																	(0.0)	(2.6)	(14.5)
8. कर्नाटक	11	14	9	12	16	15	14	15	16	33	49	93	89	253	274	448	858	725	776
	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.3)	(0.5)	(0.5)	(1.2)	(1.1)	(1.6)	(2.6)	(1.9)	(1.7)
9. केरल @	–	–	–	–	–	–	–	254	236	272	248	291	347	354	434	504	549	788	691
								(3.1)	(2.6)	(2.3)	(2.1)	(2.5)	(2.4)	(2.3)	(2.5)	(2.7)	(2.6)	(3.0)	(2.4)
10. मध्य प्रदेश$	–	268	291	342	339	367	414	436	418	410	371	366	311	204	246	268	–	–	–
		(4.9)	(5.4)	(5.5)	(4.5)	(4.7)	(4.5)	(3.8)	(3.6)	(2.9)	(2.5)	(2.5)	(2.1)	(1.1)	(1.4)	(1.3)			
11. महाराष्ट्र*	3,194	3,079	3,817	3,552	3,864	4,266	5,690	6,461	7,029	6,675	7,207	7,444	8,630	9,229	12,350	16,002	18,503	18,622	20,807
	(36.5)	(30.6)	(33.1)	(27.1)	(26.1)	(24.9)	(27.3)	(28.2)	(27.4)	(22.6)	(19.3)	(19.4)	(21.3)	(21.6)	(24.2)	(30.6)	(30.1)	(28.1)	(26.4)
12. मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510	488	448
																	(21.1)	(20.0)	(18.0)
13. मिजोरम	17	21	26	30	32	25	46	49	43	48	56	59	118	130	126	174	372	234	141.00
	(5.6)	(6.5)	(6.9)	(7.1)	(7.0)	(4.4)	(7.4)	(7.5)	(6.2)	(5.3)	(5.5)	(5.2)	(10.4)	(10.1)	(9.0)	(11.0)	(21.7)	(11.9)	(6.9)
14. नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	17	17
																	(0.7)	(0.6)	(0.6)
15. उड़ीसा	97	106	156	176	199	223	261	260	262	320	426	424	436	423	484	672	1,211	1,620	1702
	(4.4)	(4.0)	(5.1)	(5.1)	(4.9)	(4.7)	(5.1)	(4.7)	(3.8)	(3.8)	(4.8)	(4.3)	(4.4)	(3.9)	(3.9)	(4.9)	(7.7)	(8.2)	(7.5)
16. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	1,380	1,493	794	851	1,117	1,136	1,224	1,274	1,521	1,714	1,741
									(11.9)	(11.1)	(5.3)	(5.3)	(6.6)	(6.0)	(6.1)	(5.9)	(6.1)	(5.7)	(5.5)
17. सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,389	1,400	1,522	1,707	1,650	1,751	2,256	2,648	2,747
											(181.9)	(84.1)	(80.9)	(144.5)	(95.7)	(99.1)	(119.5)	(109.3)	(122.8)
18. तमिलनाडु	915	1,109	1,146	1,268	1,415	1,498	1,728	1,816	1,941	1,815	1,867	1,683	2,144	2,472	3,159	3,829	3,721	4,553	4,272
	(16.2)	(12.8)	(13.4)	(14.5)	(14.7)	(13.7)	(13.2)	(12.1)	(11.0)	(8.8)	(8.6)	(7.8)	(8.3)	(9.8)	(10.8)	(12.0)	(9.7)	(10.0)	(8.3)
19. उत्तर प्रदेश	1,832	1,637	2,353	2,317	3,199	3,272	2,584	2,478	3,043	2,718	749	749	1,034	1,110	1,376	1,664	2,668	2,948	3,042
	(19.2)	(15.7)	(18.5)	(17.4)	(20.8)	(18.6)	(13.5)	(11.2)	(11.7)	(9.5)	(2.4)	(2.4)	(3.1)	(2.2)	(3.1)	(3.6)	(4.8)	(4.4)	(4.1)
20. उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	152	131
																	(1.3)	(1.9)	(1.5)
21. पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	745	937	1,242	1,580	1,420	1,015	1,068	1,232	1,603	2,163	2,976	3,687
								(6.6)	(6.6)	(6.4)	(7.1)	(6.1)	(4.4)	(4.1)	(4.4)	(5.2)	(6.3)	(7.5)	(8.5)
सभी राज्य	**6,922**	**7,302**	**9,281**	**9,037**	**10,585**	**11,368**	**12,642**	**14,872**	**17,710**	**17,522**	**19,529**	**19,591**	**22,438**	**25,464**	**29,163**	**33,976**	**41,807**	**48,365**	**54,950**
	(16.5)	(12.9)	(14.6)	(12.7)	(12.5)	(11.9)	(11.1)	(9.5)	(9.6)	(8.2)	(8.1)	(7.6)	(8.3)	(8.3)	(8.8)	(9.5)	(9.8)	(9.5)	(9.8)
ज्ञापन मद :																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली#	–	–	–	–	–	–	–	94	104	116	138	129	135	141	164	–	–	–	–
								(4.1)	(3.7)	(3.3)	(3.7)	(2.6)	(2.9)	(2.8)	(2.8)				
2. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,556	1,964	2,156	2,842
																(86.7)	(101.9)	(96.8)	(95.4)

संअ. : संशोधित अनुमान. बअ : बजट अनुमान. '-' : उपलब्ध नहीं।

$: रखरखाव से संबंधित।

@ : इसमें यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, भाड़ा, छोटे-छोटे काम, मशीनरी और उपस्कर, सामग्री तथा आपूर्ति, रखरखाव, मोटार वाहन, ईंधन प्रभार, और अन्य प्रभार शामिल है।

* : इसमें रखरखाव कार्यों के अंतर्गत आनेवाला व्यय, औजार व संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर, सामग्री तथा आपूर्ति, वेतनेतर सहायता अनुदान, और उचंत शामिल है।

: मरम्मत तथा रखरखाव से संबंधित आंकड़े।

टिप्पणी : कोष्ठक मे दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत है।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी।

विवरण 46 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय*

(करोड़ रुपए)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	2,741	3,121	3,662	3,919	4,265	5,507	6,284	6,759	8,927	8,831	10,006	10,876	11,179	13,367	13,821	14,900	18,654	28,801	38,544
2. बिहार	2,381	3,073	3,143	3,434	3,524	3,796	4,014	4,375	5,354	8,338	7,408	5,783	6,466	7,023	6,117	8,663	11,127	13,741	17,091
3. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	968	2,435	2,820	3,244	3,635	4,295	5,707	8,340	9,264
4. गोवा	162	181	192	216	223	257	292	350	415	470	518	543	626	686	798	880	1,010	1,216	1,429
5. गुजरात	1,993	2,344	2,456	2,844	3,273	3,666	4,068	4,953	6,609	7,571	9,681	9,029	8,177	8,992	10,127	10,995	13,104	14,509	17,338
6. हरियाणा	776	781	955	1,093	1,304	1,698	1,628	1,829	2,474	2,572	3,387	3,675	2,810	2,818	3,497	4,742	5,605	7,553	8,151
7. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,727	4,904	4,320	5,127	6,156	7,392	7,984	8,583
8. कर्नाटक	1,842	2,299	2,557	3,063	3,449	3,995	4,526	4,886	5,851	6,803	7,541	7,642	7,570	8,315	9,764	11,675	14,407	17,815	23,073
9. केरल	1,477	1,594	1,791	2,061	2,387	2,691	3,215	4,239	4,660	5,432	5,242	4,932	6,338	5,924	7,344	7,524	7,189	9,795	11,139
10. मध्य प्रदेश	2,439	2,664	3,020	3,508	3,854	4,416	5,267	5,622	6,887	7,417	7,153	6,007	7,158	6,787	7,268	9,426	10,658	13,324	15,592
11. महाराष्ट्र	3,792	4,601	5,561	6,204	6,723	8,361	9,195	10,609	11,407	12,844	15,429	15,452	15,704	18,877	20,433	24,268	28,276	31,649	35,450
12. उड़ीसा	1,113	1,310	1,492	1,747	1,864	2,188	2,467	2,636	3,246	4,889	4,065	4,122	4,210	4,360	4,598	5,386	6,126	8,512	9,624
13. पंजाब	957	1,099	1,058	1,335	1,565	1,767	1,231	2,242	3,054	2,724	3,887	3,730	2,990	3,525	3,747	4,052	4,706	6,338	7,757
14. राजस्थान	1,866	2,036	2,393	2,783	3,291	3,912	4,324	4,697	5,953	6,377	7,224	7,730	8,032	9,228	9,845	10,920	12,580	15,450	17,960
15. तमिलनाडु	2,985	3,433	3,929	4,251	4,550	5,145	6,210	6,654	8,153	8,862	9,618	9,190	9,662	11,586	13,617	14,297	16,921	21,482	25,236
16. उत्तर प्रदेश	4,711	4,443	5,573	5,212	6,031	6,466	7,693	9,080	10,477	11,669	12,135	12,279	13,103	12,999	16,932	20,141	24,032	31,886	35,088
17. पश्चिम बंगाल	2,824	2,716	2,747	3,323	3,827	4,097	4,991	5,180	6,626	9,338	9,623	9,581	8,463	9,008	9,732	11,445	13,142	16,986	19,271
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	128	137	172	198	217	263	317	334	332	372	325	449	421	620	650	742	843	1,074	587
2. असम	932	1,113	1,138	1,397	1,538	1,815	1,708	1,892	2,151	2,640	3,077	3,035	3,233	3,709	4,775	4,452	5,220	9,036	9,255
3. हिमाचल प्रदेश	444	495	581	621	731	881	994	1,242	1,553	1,701	1,963	1,912	1,973	2,348	2,328	2,804	3,334	3,466	4,475
4. जम्मू और कश्मीर	600	732	887	901	1,047	1,223	1,393	1,623	1,496	1,726	2,044	2,321	2,518	2,493	3,104	4,030	4,348	5,108	5,575
5. मणिपुर	151	185	196	210	241	307	384	416	391	605	449	550	562	603	873	939	1,041	1,277	1,329
6. मेघालय	160	189	198	238	216	288	314	338	390	502	578	565	570	640	741	767	873	1,319	1,482
7. मिजोरम	153	173	200	212	239	292	343	320	379	506	505	542	562	652	647	722	798	961	970
8. नागालैंड	182	179	224	269	299	364	353	370	415	479	585	544	567	644	629	804	914	1,163	971
9. सिक्किम	61	73	81	90	101	151	166	188	254	245	259	314	348	406	479	501	547	763	839
10. त्रिपुरा	264	286	261	324	383	429	517	594	673	776	896	968	974	963	1,121	1,121	1,206	1,656	1,917
11. उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	355	1,320	1,708	2,027	2,327	2,781	3,226	4,307	4,541
सभी राज्य	**35,132**	**39,255**	**44,468**	**49,451**	**55,143**	**63,975**	**71,896**	**81,427**	**98,127**	**1,13,690**	**1,24,919**	**1,29,253**	**1,33,648**	**1,46,164**	**1,64,077**	**1,89,430**	**2,22,988**	**2,85,512**	**3,32,532**
ज्ञापन मद :																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	386	1,155	1,365	1,714	2,043	2,245	2,461	3,000	2,989	3,492	3,465	4,267	4,566	5,139	7,667	8,641
2. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	797	828	971	1,018

संअ. : संशोधित अनुमान. बअ : बजट अनुमान. '-' : उपलब्ध नहीं।

* : इसमें सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास, राजस्व व्यय के अंतर्गत खाद्य भंडारण एवं गोदाम, पूंजी परिव्यय पर व्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 47 : कुल व्यय की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के व्यय*

(प्रतिशत)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	41.7	40.2	40.8	37.2	34.2	38.5	38.6	38.1	40.7	38.8	35.6	35.0	32.5	33.3	29.3	30.8	32.9	36.5	39.4
2. बिहार	38.3	45.2	40.6	40.7	41.2	40.3	42.7	42.8	44.0	42.7	43.7	38.9	36.4	36.7	30.5	38.4	41.0	40.7	44.3
3. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.5	43.3	41.3	36.2	37.7	44.2	47.6	49.0	49.3
4. गोवा	40.9	38.8	38.6	38.7	37.1	27.2	30.8	27.6	28.5	29.1	26.4	23.1	26.1	28.4	31.4	30.9	31.8	32.6	31.8
5. गुजरात	36.4	33.9	30.8	33.8	34.5	33.9	32.3	33.3	34.5	35.3	35.6	35.2	30.4	27.3	29.0	32.1	33.4	34.4	35.1
6. हरियाणा	32.4	28.6	32.3	26.6	18.9	27.7	20.8	23.4	28.8	30.8	37.0	34.3	26.6	18.6	24.2	32.0	28.5	33.9	32.5
7. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.0	50.0	44.4	44.1	45.9	47.0	43.5	45.5
8. कर्नाटक	37.0	36.8	36.0	37.9	38.9	38.4	37.8	38.8	39.3	38.2	38.3	34.8	31.4	28.4	28.5	33.4	32.7	36.7	39.0
9. केरल	43.7	39.8	41.1	40.1	40.1	38.9	40.5	43.2	43.9	42.1	39.9	37.6	37.4	30.0	36.2	35.6	31.0	32.8	34.2
10. मध्य प्रदेश	41.3	40.1	39.4	39.5	41.4	41.7	40.2	39.5	43.1	41.3	42.3	35.4	37.7	28.4	24.7	32.5	35.3	36.9	37.8
11. महाराष्ट्र	35.2	38.2	39.7	38.8	33.6	39.1	36.8	38.3	37.6	33.6	36.6	36.4	33.3	30.9	28.1	35.3	37.3	38.5	36.7
12. उड़ीसा	36.5	36.0	38.1	39.2	37.4	39.3	39.1	38.5	37.6	48.3	36.8	34.2	31.7	28.0	28.9	34.2	31.7	34.0	34.4
13. पंजाब	28.1	21.9	25.1	25.6	20.9	25.2	16.3	23.7	27.9	22.7	27.6	23.8	17.2	17.3	17.8	19.8	17.9	21.8	25.8
14. राजस्थान	39.5	35.0	37.7	37.5	39.1	35.9	39.4	37.0	41.6	39.2	41.3	40.7	37.3	35.7	34.1	40.1	39.5	39.5	44.2
15. तमिलनाडु	45.1	35.8	40.3	42.2	39.8	41.1	40.3	38.4	41.0	39.2	39.4	37.0	32.0	34.3	32.6	36.9	33.1	36.6	39.1
16. उत्तर प्रदेश	38.5	33.5	34.5	32.0	28.6	31.1	33.4	34.1	33.3	33.7	33.1	32.2	31.1	18.7	28.6	33.7	32.1	35.6	34.8
17. पश्चिम बंगाल	46.9	43.9	41.3	41.7	41.2	39.0	38.3	38.2	38.6	41.2	36.0	34.1	30.5	23.4	29.1	28.2	31.9	35.3	36.8
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	32.1	31.0	34.1	34.4	31.5	32.8	35.6	34.3	33.1	33.9	26.9	32.5	30.9	28.3	31.2	30.4	30.2	28.0	16.9
2. असम	34.7	40.3	36.3	38.6	38.5	41.3	40.0	37.7	41.3	37.3	40.3	35.5	36.2	35.0	32.4	36.8	38.7	42.2	37.4
3. हिमाचल प्रदेश	39.7	21.1	40.1	36.7	36.4	37.5	37.7	36.0	37.3	36.1	36.9	33.7	29.8	29.0	29.0	32.7	33.0	34.6	36.2
4. जम्मू और कश्मीर	29.7	32.0	38.2	34.7	31.4	34.2	34.6	33.2	25.6	24.3	26.1	28.8	28.8	28.3	27.9	29.9	31.3	30.0	30.8
5. मणिपुर	33.4	34.6	23.8	32.9	35.6	37.9	37.9	36.7	35.1	34.0	32.5	26.0	26.0	26.0	33.6	34.2	28.7	31.7	32.5
6. मेघालय	39.3	38.3	36.4	34.9	36.8	37.0	40.0	39.7	38.7	42.0	40.6	40.5	35.9	36.2	35.8	38.2	37.6	38.2	37.3
7. मिजोरम	30.6	41.8	40.9	40.7	40.3	40.8	42.4	36.8	42.4	43.6	39.2	40.7	40.0	35.7	35.6	33.3	34.8	36.4	39.0
8. नागालैंड	33.0	27.6	26.2	28.9	33.0	35.0	32.2	30.0	27.9	32.1	31.9	26.9	29.6	27.0	27.6	28.6	29.6	30.3	26.0
9. सिक्किम	33.3	32.2	32.4	34.4	16.8	15.2	13.4	13.5	15.7	15.1	27.3	16.5	16.3	27.5	22.2	23.3	24.3	24.0	26.7
10. त्रिपुरा	43.1	42.3	39.8	41.2	43.5	43.4	43.8	44.0	43.9	43.8	42.0	39.3	38.4	34.8	37.6	34.0	36.5	38.7	36.5
11. उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.0	40.0	35.2	32.7	36.6	36.3	37.9	38.0	37.1
सभी राज्य	**38.6**	**36.4**	**37.3**	**36.9**	**34.6**	**36.6**	**36.1**	**36.4**	**37.5**	**36.9**	**36.8**	**35.1**	**32.6**	**28.4**	**29.6**	**33.7**	**33.9**	**36.3**	**37.2**
ज्ञापन मद :																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	48.2	48.0	46.3	48.8	48.5	45.4	41.6	40.8	34.6	34.2	29.6	33.1	41.0	39.6	41.2	42.8
2. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.7	34.7	37.1	30.7

संअ. : संशोधित अनुमान. बअ : बजट अनुमान. '-' : उपलब्ध नहीं।

* : इसमें सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास, राजस्व व्यय के अंतर्गत खाद्य भंडारण एवं गोदाम, पूंजी परिव्यय पर व्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 48: बारह वे वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए और ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत पात्र राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऋण/ब्याज राहत के लाभ

(30 अगस्त 2008 को)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08	
	ऋण राहत	ब्याज राहत
1	2	3
I. गैर-विशेष श्रेणी		
1. आंध्र प्रदेश	703	527
2. बिहार	–	258
3. छत्तीसगढ़	93	66
4. गोवा #	20	15
5. गुजरात	472	357
6. हरियाणा	97	60
7. झारखंड *	–	81
8. कर्नाटक	358	279
9. केरल	–	142
10. मध्य प्रदेश	363	279
11. महाराष्ट्र	340	202
12. उड़ीसा	382	184
13. पंजाब	86	125
14. राजस्थान	309	183
15. तमिलनाडु	263	191
16. उत्तर प्रदेश	1,064	820
17. पश्चिम बंगाल	–	–
II. विशेष श्रेणी		
1. अरुणाचल प्रदेश	20	15
2. असम	105	28
3. हिमाचल प्रदेश	45	32
4. जम्मू और कश्मीर	–	–
5. मणिपुर	38	3
6. मेघालय #	15	11
7. मिजोरम #	13	10
8. नागालैंड	16	11
9. सिक्किम	–	–
10. त्रिपुरा	–	16
11. उत्तराखंड	9	7
सभी राज्य	**4,812**	**3,903**

: 2006-07 से प्रभावी समेकन। '–' : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं।

* : समेकन 2006-07 से प्रभावी पर एफएलआर अधिनियम 2007-08 में बनाया गया।

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**4,424,549**	**5,494,959**	**5,612,660**	**7,092,705**	**259,218**	**233,127**	**330,725**	**390,355**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**3,279,221**	**4,058,988**	**4,189,950**	**5,046,361**	**42,538**	**49,025**	**49,113**	**61,100**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**2,392,621**	**3,139,913**	**3,140,163**	**3,786,616**	**7,819**	**7,940**	**8,020**	**9,540**
1. आय पर कर (i+ii)	**31,221**	**38,300**	**38,300**	**42,130**	–	–	–	–
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	31,221	38,300	38,300	42,130	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**300,441**	**389,448**	**392,948**	**472,298**	**265**	**720**	**220**	**290**
i) भू-राजस्व	11,350	12,948	12,948	13,048	210	500	150	210
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	286,539	375,000	375,000	453,750	55	220	70	80
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	2,552	1,500	5,000	5,500	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**2,060,959**	**2,712,165**	**2,708,915**	**3,272,188**	**7,555**	**7,220**	**7,800**	**9,250**
i) बिक्री कर (क से च)	1,546,708	2,056,800	2,056,800	2,488,728	6,164	5,800	6,300	7,600
क) राज्य बिक्री कर / वैट	1,418,182	1,875,271	1,875,271	2,269,078	6,164	5,800	6,300	7,600
ख) केंद्रीय बिक्री कर	124,441	179,106	179,106	216,718	–	–	–	–
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	18	28	28	34	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	3,508	1,000	1,000	1,210	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	559	1,395	1,395	1,688	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	343,663	412,500	412,500	499,125	1,098	1,100	1,100	1,200
iii) वाहन कर	136,474	189,240	189,240	228,980	293	320	400	450
iv) माल और यात्री कर	4,125	7,593	7,593	8,352	–	–	–	–
v) विद्युत शुल्क और कर	15,105	17,583	17,583	19,284	–	–	–	–
vi) मनोरंजन कर	6,456	10,449	7,102	7,812	–	–	–	–
vii) अन्य कर और शुल्क	8,428	18,000	18,097	19,907	–	–	–	–
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**886,600**	**919,075**	**1,049,787**	**1,259,745**	**34,719**	**41,085**	**41,093**	**51,560**
i) पलिका कर	276,711	245,092	279,949	335,939	10,834	12,595	12,595	16,906
ii) आय कर	168,033	182,698	208,682	250,418	6,579	7,871	7,871	10,616
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-46	–	–	–	-2	-2	–	–
v) संपत्ती कर	348	575	657	789	14	17	17	16
vi) सीमा शुल्क	172,926	192,899	210,334	264,400	6,770	8,206	8,206	9,855
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	183,623	229,036	261,609	313,931	7,189	8,062	8,062	8,595
viii) सेवा कर	85,060	68,775	88,556	94,268	3,332	4,341	4,341	5,574
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-55	–	–	–	3	-5	1	-2
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**1,145,328**	**1,435,970**	**1,422,710**	**2,046,343**	**216,679**	**184,102**	**281,611**	**329,255**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**648,784**	**685,762**	**687,213**	**887,263**	**29,717**	**17,618**	**59,012**	**52,164**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**223,117**	**362,026**	**359,851**	**436,050**	**1,354**	**450**	**2,200**	**2,200**
2. लाभांश और लाभ	**4,740**	**7,087**	**7,087**	**7,441**	**–**	**–**	**–**	**–**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**203,700**	**30,911**	**30,911**	**102,757**	**7,487**	**2,180**	**1,635**	**2,639**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**24,944**	**22,081**	**24,830**	**28,253**	**875**	**1,006**	**573**	**967**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	13,955	10,400	12,576	15,385	395	73	75	75
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,419	4,595	4,595	4,825	20	40	40	40
iii) परिवार कल्याण	445	401	401	421	–	–	–	–
iv) आवास निर्माण	154	232	232	244	4	9	9	11
v) शहरी विकास	256	1,062	1,062	1,115	236	600	215	600
vi) श्रम और रोजगार	2,052	1,582	2,155	2,263	–	3	3	4
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	973	265	265	278	11	10	10	11
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	493	1,052	1,052	1,105	209	270	220	225
ix) अन्य	3,197	2,492	2,492	2,617	–	1	1	1
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**192,283**	**263,657**	**264,534**	**312,762**	**20,001**	**13,982**	**54,604**	**46,358**
i) फसल कार्य	514	865	865	908	148	135	135	140
ii) पशुपालन	235	128	128	134	32	50	50	50
iii) मत्स्य पालन	293	191	191	201	6	17	17	17
iv) वानिकी और वन्य जीवन	8,711	14,553	14,553	15,281	903	900	952	1,455
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	2,361	3,532	3,532	3,709	12	15	15	16
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	4	6	6	6	10	56	40	40
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	6,881	6,813	6,813	7,154	–	–	–	–
ix) लघु सिंचाई	162	657	657	690	2	–	–	–
x) बिजली	2,211	3,007	3,007	3,157	11,905	8,500	46,756	39,280
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	187	201	201	211	85	40	40	40
xiii) उद्योग@	132,230	175,134	175,134	218,891	4,768	1,565	3,015	2,215
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	4,093	7,527	7,527	7,903	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	1,016	1,432	2,195	1,716
xvi) पर्यटन	877	1,615	1,615	1,696	18	18	20	25
xvii) अन्य*	33,524	49,428	50,305	52,821	1,097	1,254	1,369	1,364
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**496,544**	**750,208**	**735,497**	**1,159,080**	**186,962**	**166,484**	**222,599**	**277,091**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	237,237	350,862	332,823	511,543	104,891	105,829	157,245	213,976
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	10,030	151,108	154,436	238,045	6,770	–	17,867	17,867
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	130,970	140,628	140,628	293,957	32,017	21,319	7,758	7,758
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	4,530	3,642	3,642	3,588
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	118,307	107,610	107,610	115,535	38,754	35,694	36,087	33,902
क) सांविधिक अनुदान	37,397	51,720	51,720	51,720	26,294	31,851	32,014	29,937
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	33,548	21,999	21,999	29,873	6,822	2,248	2,248	2,315
ग) अन्य	47,362	33,891	33,891	33,942	5,638	1,595	1,825	1,650

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**1,366,694**	**1,698,823**	**1,744,326**	**2,219,299**	**2,308,318**	**2,744,102**	**2,855,720**	**3,355,099**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**738,231**	**826,787**	**812,628**	**981,187**	**1,732,479**	**2,000,116**	**2,109,087**	**2,435,321**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**348,332**	**404,185**	**351,176**	**402,080**	**403,307**	**496,997**	**487,496**	**525,889**
1. आय पर कर (i+ii)	**11,088**	**13,757**	**12,379**	**12,932**	**–**	**–**	**–**	**–**
i) ऋषि-आय कर	252	1,650	272	294	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	10,836	12,107	12,107	12,638	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**17,147**	**19,439**	**19,005**	**21,476**	**52,967**	**79,467**	**62,467**	**65,574**
i) भू-राजस्व	7,415	9,155	8,008	9,049	7,465	7,467	7,467	7,472
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	9,732	10,284	10,997	12,427	45,502	72,000	55,000	58,102
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**320,097**	**370,989**	**319,792**	**367,672**	**350,340**	**417,530**	**425,029**	**460,315**
i) बिक्री कर (क से च)	278,324	312,951	272,695	282,069	208,148	287,993	310,726	293,772
क) राज्य बिक्री कर / वैट	154,674	257,225	227,735	257,341	201,140	276,657	299,390	289,772
ख) केंद्रीय बिक्री कर	–	55,726	44,960	24,728	7,005	11,336	11,336	4,000
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	-419	–	–	–	2	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	3	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	124,066	–	–	–	1	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	17,488	20,492	19,761	22,330	38,193	50,000	47,500	53,769
iii) वाहन कर	15,115	19,162	17,080	19,300	18,138	37,500	22,500	25,660
iv) माल और यात्री कर	7,015	15,625	7,927	41,458	78,301	38,133	40,400	82,500
v) विद्युत शुल्क और कर	1,590	1,888	1,717	1,854	6,284	1,969	1,969	3,028
vi) मनोरंजन कर	85	465	292	315	1,244	1,734	1,734	960
vii) अन्य कर और शुल्क	481	406	320	346	32	201	200	626
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**389,899**	**422,602**	**461,452**	**579,107**	**1,329,172**	**1,503,119**	**1,621,591**	**1,909,432**
i) पलिका कर	121,691	125,701	141,479	189,902	414,841	447,145	506,106	585,411
ii) आय कर	73,897	80,357	88,415	119,248	251,913	285,838	307,334	365,843
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-20	–	–	–	-69	-79	-84	-92
v) संपत्ती कर	153	182	191	181	522	648	637	789
vi) सीमा शुल्क	76,049	83,240	92,174	110,701	259,248	296,100	316,283	381,401
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	80,753	94,244	90,559	96,549	275,285	335,245	335,848	374,721
viii) सेवा कर	37,400	38,878	48,634	62,526	127,515	138,317	155,568	201,605
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-24	–	–	–	-83	-95	-101	-246
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**628,464**	**872,036**	**931,698**	**1,238,112**	**575,839**	**743,986**	**746,634**	**919,778**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**185,927**	**169,433**	**193,381**	**224,894**	**51,128**	**39,624**	**41,833**	**42,182**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**16,749**	**12,810**	**17,586**	**18,465**	**17,599**	**5,889**	**5,889**	**5,744**
2. लाभांश और लाभ	**1,854**	**1,159**	**2,775**	**2,914**	**58**	**79**	**79**	**81**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**3,274**	**3,721**	**14,037**	**15,283**	**6,164**	**9,305**	**9,305**	**7,953**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**13,526**	**2,642**	**2,051**	**2,195**	**7,751**	**6,887**	**6,887**	**6,675**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,280	668	712	762	2,757	3,076	3,076	2,647
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	550	595	595	637	1,752	1,573	1,573	1,778
iii) परिवार कल्याण	2	13	2	2	18	–	–	–
iv) आवास निर्माण	355	246	380	407	141	103	103	103
v) शहरी विकास	1	14	1	1	64	–	–	–
vi) श्रम और रोजगार	240	236	257	275	174	125	125	101
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	50	45	52	56	1,879	1,002	1,002	1,322
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	46	811	49	52	254	24	24	108
ix) अन्य	3	14	3	3	712	984	984	616
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**13**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**150,524**	**149,101**	**156,932**	**186,037**	**19,543**	**17,464**	**19,673**	**21,729**
i) फसल कार्य	21	39	22	24	237	56	56	185
ii) पशुपालन	31	59	33	35	35	67	67	43
iii) मत्स्य पालन	92	125	125	134	609	740	740	742
iv) वानिकी और वन्य जीवन	4,299	3,750	3,750	4,583	635	465	465	465
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	22	29	29	31	142	248	248	342
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	31	26	33	35	–	6	6	–
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	38	32	44	47	1,290	2,650	2,650	1,100
ix) लघु सिंचाई	24	54	54	58	140	50	50	50
x) बिजली	–	1	–	–	–	–	–	–
xi) पेट्रोलियम	138,582	139,100	145,511	172,787	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	661	152	707	756	119	48	48	48
xiii) उद्योग@	64	108	46	49	12,767	10,310	12,517	14,017
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	1	–	–	5	3	3	5
xvi) पर्यटन	7	11	12	13	2	1	–	1
xvii) अन्य*	6,651	5,614	6,566	7,485	3,562	2,820	2,823	4,731
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**442,537**	**702,603**	**738,317**	**1,013,218**	**524,711**	**704,362**	**704,801**	**877,596**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	275,419	410,081	412,512	446,604	244,524	356,270	356,270	456,499
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	5,733	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	18,828	15,916	17,238	20,323	14,429	15,370	15,471	19,807
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	72,050	134,134	146,803	174,552	97,417	160,270	159,609	222,289
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	5,369	40,024	39,596	48,875	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	70,870	102,448	122,168	322,865	168,341	172,452	173,451	179,001
क) सांविधिक अनुदान	58,133	14	14	14	2,371	8,000	8,000	4,000
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	–	15,336	15,336	15,797	5,585	11,831	11,831	12,186
ग) अन्य	12,737	87,097	106,818	307,053	160,385	152,621	153,620	162,815

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**1,144,961**	**1,346,696**	**1,438,652**	**1,565,617**	**260,976**	**338,199**	**291,387**	**350,953**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**824,450**	**934,338**	**959,990**	**1,091,422**	**160,365**	**155,692**	**169,546**	**202,992**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**504,573**	**602,792**	**581,407**	**653,782**	**129,154**	**123,307**	**132,607**	**156,636**
1. आय पर कर (i+ii)	**1,624**	**2,061**	**2,061**	**2,270**	**–**	**–**	**–**	**–**
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	1,624	2,061	2,061	2,270	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**45,037**	**50,918**	**56,823**	**64,607**	**12,215**	**8,096**	**8,096**	**8,831**
i) भू-राजस्व	6,086	7,395	9,676	9,683	623	769	769	384
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	38,951	43,523	47,147	54,923	11,592	7,327	7,327	8,447
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**457,912**	**549,813**	**522,524**	**586,906**	**116,938**	**115,211**	**124,511**	**147,805**
i) बिक्री कर (क से च)	284,305	328,000	320,000	362,000	84,482	84,110	92,010	102,635
क) राज्य बिक्री कर / वैट	207,277	243,000	253,600	311,565	78,052	75,010	82,910	92,335
ख) केंद्रीय बिक्री कर	70,234	85,000	66,400	50,435	6,154	8,900	8,900	9,900
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	22	100	100	300
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	6,794	–	–	–	254	100	100	100
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	70,681	82,822	84,000	93,000	5,723	6,700	7,200	7,705
iii) वाहन कर	25,305	30,248	29,700	33,000	7,456	8,475	8,475	9,714
iv) माल और यात्री कर	30,181	60,000	40,100	46,100	13,802	9,051	9,051	11,001
v) विद्युत शुल्क और कर	46,913	48,100	48,110	52,120	–	–	–	–
vi) मनोरंजन कर	421	540	540	605	509	1,000	900	1,050
vii) अन्य कर और शुल्क	106	103	73	81	4,967	5,875	6,875	15,700
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**319,877**	**331,546**	**378,583**	**437,640**	**31,211**	**32,385**	**36,939**	**46,356**
i) पलिका कर	99,833	98,630	116,069	133,479	9,743	9,626	11,327	15,204
ii) आय कर	60,625	63,050	72,536	83,416	5,916	6,153	7,079	9,547
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-17	-18	-18	-18	-2	27	-2	-1
v) संपत्ती कर	126	143	156	179	12	13	15	14
vi) सीमा शुल्क	62,391	65,314	75,620	89,232	6,089	6,375	7,380	8,863
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	66,250	73,947	74,295	85,439	6,465	7,217	7,250	7,730
viii) सेवा कर	30,689	30,510	39,974	45,970	2,990	2,973	3,895	5,001
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-20	-30	-49	-58	-2	1	-5	-2
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**320,511**	**412,357**	**478,661**	**474,194**	**100,611**	**182,507**	**121,840**	**147,962**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**145,136**	**174,396**	**161,057**	**181,938**	**91,762**	**161,732**	**101,066**	**114,029**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**18,604**	**12,713**	**14,390**	**13,851**	**1,520**	**1,142**	**1,142**	**1,034**
2. लाभांश और लाभ	**–**	**136**	**136**	**136**	**40**	**108**	**108**	**54**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**4,834**	**4,721**	**4,294**	**4,685**	**6,708**	**70,387**	**2,221**	**1,182**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	69,317	1	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**4,897**	**2,671**	**2,883**	**3,131**	**8,022**	**10,245**	**10,245**	**10,077**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	474	205	181	189	1,057	812	812	736
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,933	1,583	1,578	1,590	906	617	617	638
iii) परिवार कल्याण	13	15	10	15	–	–	–	–
iv) आवास निर्माण	251	114	252	277	27	26	26	18
v) शहरी विकास	444	40	30	40	–	10	10	9
vi) श्रम और रोजगार	344	149	217	453	197	243	243	273
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	68	6	6	6	26	10	10	5
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	532	257	306	358	5,809	8,523	8,523	8,396
ix) अन्य	840	302	303	203	1	4	3	2
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**116,801**	**154,155**	**139,355**	**160,135**	**75,472**	**79,850**	**87,350**	**101,682**
i) फसल कार्य	656	513	483	510	110	149	149	134
ii) पशुपालन	230	288	279	288	68	177	177	87
iii) मत्स्य पालन	239	227	197	167	100	99	99	100
iv) वानिकी और वन्य जीवन	20,579	32,000	25,000	27,556	199	222	222	242
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	434	620	470	450	9	30	30	30
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	102	43	62	70	5	5	5	5
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	10,496	9,735	9,513	8,883	293	977	977	819
ix) लघु सिंचाई	1,036	3,361	3,266	3,690	78	600	600	141
x) बिजली	–	–	–	–	68,245	72,000	79,500	92,960
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	76	50	55	60	348	312	312	525
xiii) उद्योग@	81,502	104,862	98,414	117,109	3,436	2,900	2,901	4,001
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	1,685	1,500	1,500	1,710
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	–	–	–	–	46	40	40	55
xvii) अन्य*	1,451	2,456	1,615	1,351	851	839	838	875
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**175,375**	**237,961**	**317,604**	**292,256**	**8,849**	**20,775**	**20,775**	**33,932**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	88,093	121,785	179,708	154,302	4,856	12,959	12,959	24,565
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	15,546	27,557	40,961	31,242	453	845	845	1,344
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	37,058	46,799	60,684	61,125	1,457	2,509	2,509	3,573
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	34,678	41,820	36,251	45,587	2,083	4,462	4,462	4,450
क) सांविधिक अनुदान	–	–	–	–	62	–	–	–
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	–	–	–	–	247	174	174	183
ग) अन्य	34,678	41,820	36,251	45,587	1,773	4,288	4,288	4,267

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**3,100,222**	**3,296,422**	**3,497,920**	**3,827,812**	**1,795,243**	**1,791,735**	**1,962,970**	**2,169,533**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**2,289,058**	**2,515,492**	**2,668,254**	**2,969,960**	**1,222,340**	**1,359,410**	**1,412,242**	**1,605,718**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**1,846,459**	**2,086,752**	**2,147,254**	**2,364,960**	**1,092,776**	**1,225,100**	**1,258,900**	**1,429,375**
1. आय पर कर (i+ii)	**13,112**	**12,300**	**14,000**	**14,500**	**–**	**–**	**–**	**–**
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	13,112	12,300	14,000	14,500	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**200,067**	**173,750**	**213,800**	**227,280**	**177,797**	**179,200**	**201,300**	**211,350**
i) भू-राजस्व	49,871	26,750	45,000	55,000	1,299	1,200	1,300	1,350
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	142,503	145,000	159,000	165,800	176,498	178,000	200,000	210,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	7,693	2,000	9,800	6,480	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**1,633,280**	**1,900,702**	**1,919,454**	**2,123,180**	**914,979**	**1,045,900**	**1,057,600**	**1,218,025**
i) बिक्री कर (क से च)	1,281,746	1,508,000	1,538,000	1,702,300	685,324	783,200	840,800	978,500
क) राज्य बिक्री कर / वैट	1,028,802	1,151,890	1,241,060	1,374,795	531,235	557,545	670,800	838,500
ख) केंद्रीय बिक्री कर	193,125	306,905	247,735	275,005	154,086	225,655	170,000	140,000
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	58,718	48,405	48,405	51,700	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	1	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	1,100	800	800	800	3	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	4,194	5,000	4,400	5,000	121,710	132,000	135,000	148,500
iii) वाहन कर	119,115	128,400	130,000	141,240	22,366	27,500	25,000	27,500
iv) माल और यात्री कर	596	22,302	15,054	23,800	73,841	92,400	43,500	48,525
v) विद्युत शुल्क और कर	208,777	214,000	209,000	226,000	9,828	9,000	10,800	12,000
vi) मनोरंजन कर	2,818	3,500	3,500	3,947	1,352	1,100	1,800	2,250
vii) अन्य कर और शुल्क	16,034	19,500	19,500	20,893	558	700	700	750
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**442,599**	**428,740**	**521,000**	**605,000**	**129,564**	**134,310**	**153,342**	**176,343**
i) पलिका कर	137,004	98,525	150,074	164,074	40,438	39,850	48,525	55,804
ii) आय कर	83,870	65,655	96,939	110,939	24,556	21,625	22,837	26,263
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-5	–	–	–	-7	–	–	–
v) संपत्ती कर	173	24,450	2,233	16,233	51	27	43	49
vi) सीमा शुल्क	86,539	79,150	99,609	113,609	25,271	25,237	29,275	33,666
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	93,348	118,504	120,488	134,488	26,835	40,722	34,642	39,838
viii) सेवा कर	41,637	42,456	51,657	65,657	12,428	6,849	18,020	20,723
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	33	–	–	–	-8	–	–	–
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**811,164**	**780,930**	**829,666**	**857,852**	**572,903**	**432,325**	**550,728**	**563,815**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**494,878**	**387,994**	**450,330**	**445,859**	**459,077**	**292,496**	**404,168**	**404,388**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**28,307**	**18,695**	**26,100**	**20,700**	**64,863**	**59,216**	**71,645**	**67,519**
2. लाभांश और लाभ	**35,479**	**4,409**	**4,409**	**4,718**	**562**	**351**	**889**	**913**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**117,555**	**53,773**	**82,581**	**65,860**	**24,331**	**13,912**	**15,730**	**16,488**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	40	3	10	3
4. समाज सेवा (i से ix)	**32,283**	**26,084**	**34,918**	**37,012**	**275,782**	**122,605**	**213,768**	**206,330**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,639	7,330	5,855	6,206	11,162	11,911	12,769	14,150
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,668	5,800	7,809	8,278	3,159	4,488	5,190	5,432
iii) परिवार कल्याण	129	100	51	54	46	10	10	12
iv) आवास निर्माण	1,195	1,380	786	832	164	220	220	230
v) शहरी विकास	8,832	4,550	10,455	11,082	256,234	100,210	190,000	180,000
vi) श्रम और रोजगार	6,153	1,859	8,237	8,731	792	654	800	840
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	231	225	291	308	562	343	600	630
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	143	155	61	65	3,494	4,675	3,975	4,820
ix) अन्य	2,293	4,685	1,374	1,456	169	94	204	216
5. राजकोषीय सेवाएं	**8**	**8**	**8**	**8**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**281,246**	**285,025**	**302,314**	**317,561**	**93,539**	**96,412**	**102,136**	**113,138**
i) फसल कार्य	1,137	990	551	584	483	303	310	325
ii) पशुपालन	500	550	364	386	214	185	250	262
iii) मत्स्य पालन	344	600	333	353	91	151	162	157
iv) वानिकी और वन्य जीवन	3,691	4,986	4,986	5,335	3,862	2,432	3,312	3,413
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	1,618	2,061	1,715	1,817	1,062	470	844	928
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	13	2	1	1	113	131	121	121
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	33,062	31,700	44,160	46,115	8,719	11,565	11,565	12,201
ix) लघु सिंचाई	733	1,374	1,103	1,169	30	–	10	10
x) बिजली	6	100	–	–	458	525	525	600
xi) पेट्रोलियम	2	1	1	1	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	526	550	200	212	199	273	266	221
xiii) उद्योग@	218,575	215,800	224,405	235,740	18,807	17,263	18,030	20,004
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	8,606	9,077	9,077	9,700	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	2	–	–	57,118	61,700	65,000	73,000
xvi) पर्यटन	3	1	–	–	49	77	111	87
xvii) अन्य*	12,430	17,231	15,418	16,148	2,334	1,337	1,630	1,809
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**316,286**	**392,936**	**379,336**	**411,993**	**113,826**	**139,828**	**146,560**	**159,427**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	122,822	213,368	223,549	235,844	63,028	41,326	52,373	45,084
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	4,477	155	155	155	531	27,632	20,104	25,938
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	59,727	126,162	111,041	119,718	37,294	39,711	42,551	55,791
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	129,260	53,251	44,591	56,276	12,973	31,160	31,532	32,614
क) सांविधिक अनुदान	44,488	2,500	–	–	9,519	–	–	–
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	79,255	15,027	15,027	21,358	–	10,285	10,285	10,799
ग) अन्य	5,517	35,724	29,564	34,918	3,454	20,875	21,247	21,815

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**783,522**	**730,546**	**786,070**	**939,773**	**1,198,059**	**1,340,490**	**1,390,071**	**1,531,701**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**228,554**	**260,311**	**270,798**	**319,508**	**339,098**	**367,011**	**395,436**	**465,145**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**165,638**	**195,090**	**196,334**	**230,098**	**190,264**	**219,864**	**229,950**	**266,645**
1. आय पर कर (i+ii)	–	–	–	–	–	–	–	–
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	–	–	–	–	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**9,438**	**9,264**	**9,264**	**9,727**	**5,626**	**6,903**	**7,364**	**8,844**
i) भू-राजस्व	191	176	176	185	178	230	649	926
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	9,247	9,088	9,088	9,542	5,445	6,670	6,710	7,917
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	3	3	5	1
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**156,199**	**185,826**	**187,070**	**220,371**	**184,638**	**212,961**	**222,586**	**257,801**
i) बिक्री कर (क से च)	91,445	111,500	109,734	133,681	121,100	142,231	148,000	177,800
क) राज्य बिक्री कर / वैट	80,820	98,572	98,571	111,594	95,000	107,800	120,000	147,000
ख) केंद्रीय बिक्री कर	9,329	11,985	10,219	20,297	–	–	–	–
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	26,100	34,431	28,000	30,800
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	1296	943	944	1,791	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	34,186	36,269	38,269	42,861	21,500	22,500	23,800	24,500
iii) वाहन कर	10,635	12,000	13,000	13,650	6,350	7,150	6,906	7,586
iv) माल और यात्री कर	5,022	4,635	4,635	6,867	26,230	27,500	28,600	29,950
v) विद्युत शुल्क और कर	3,043	7,822	7,822	9,032	9,456	13,578	15,278	17,965
vi) मनोरंजन कर	18	19	19	19	2	2	2	–
vii) अन्य कर और शुल्क	11,850	13,581	13,591	14,261	–	–	–	–
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**62,916**	**65,221**	**74,464**	**89,410**	**148,834**	**147,147**	**165,486**	**198,500**
i) पलिका कर	19,636	19,402	22,829	25,112	–	–	–	–
ii) आय कर	11,924	12,402	14,267	15,694	–	–	–	–
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-3	-3	-3	-3	–	–	–	–
v) संपत्ती कर	25	28	31	34	–	–	–	–
vi) सीमा शुल्क	12,271	12,848	14,873	16,360	–	–	–	–
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	13,030	14,545	14,613	23,574	148,834	147,147	165,486	198,500
viii) सेवा कर	6,037	6,003	7,864	8,650	–	–	–	–
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-4	-4	-10	-11	–	–	–	–
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**554,968**	**470,235**	**515,272**	**620,266**	**858,962**	**973,479**	**994,635**	**1,066,556**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**133,686**	**80,328**	**109,232**	**123,166**	**60,415**	**91,305**	**98,543**	**114,028**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**8,718**	**1,277**	**1,341**	**6,358**	**1,857**	**1,944**	**2,020**	**2,219**
2. लाभांश और लाभ	**181**	**85**	**85**	**150**	**2,700**	**3,000**	**2,964**	**3,000**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**12,460**	**6,004**	**6,514**	**6,436**	**3,927**	**3,627**	**3,676**	**3,561**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**7,175**	**8,540**	**7,954**	**8,358**	**3,273**	**3,705**	**3,908**	**4,678**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,233	4,785	4,790	4,967	131	136	128	133
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	538	585	612	681	1,179	1,188	1,336	2,079
iii) परिवार कल्याण	8	7	8	9	–	–	–	–
iv) आवास निर्माण	201	235	235	234	115	117	125	125
v) शहरी विकास	264	412	41	50	–	–	–	–
vi) श्रम और रोजगार	335	301	343	338	85	90	95	95
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	166	184	184	184	4	4	4	5
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,339	1,966	1,675	1,828	1,760	2,170	2,220	2,240
ix) अन्य	89	65	65	66	1	1	1	1
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**105,152**	**64,422**	**93,339**	**101,865**	**48,657**	**79,029**	**85,975**	**100,571**
i) फसल कार्य	400	488	488	492	384	466	499	517
ii) पशुपालन	41	40	41	42	433	453	457	461
iii) मत्स्य पालन	74	105	105	105	121	126	150	165
iv) वानिकी और वन्य जीवन	4,555	4,864	4,864	4,694	4,318	4,719	3,636	3,980
v) बागान	1	1	1	1	–	–	–	–
vi) सहकारिता	728	245	245	261	16	16	16	16
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	6	5	5	6	9	20	15	16
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	21	13	13	26	241	221	179	184
ix) लघु सिंचाई	48	75	75	78	216	211	222	227
x) बिजली	91,008	52,500	81,300	88,600	40,742	70,245	78,063	92,205
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	63	39	39	38	258	155	194	176
xiii) उद्योग@	7,307	5,206	5,206	6,463	1,128	1,621	1,621	1,700
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	2	11	11	11	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	29	27	27	27	73	63	110	103
xvii) अन्य*	869	803	918	1,021	717	713	813	821
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**421,283**	**389,907**	**406,040**	**497,100**	**798,547**	**882,174**	**896,092**	**952,527**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	146,510	142,250	145,791	172,118	392,134	475,466	475,421	557,589
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	1,468	1,213	1,213	1,582	–	–	–	–
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	31,728	12,499	24,878	26,258	70,000	70,000	70,000	75,000
4. NEC/Special Plan Scheme	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	241,577	233,945	234,158	297,142	336,413	336,708	350,671	319,938
क) सांविधिक अनुदान	216,930	212,096	212,096	216,202	255,070	265,624	270,623	264,469
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	10,284	7,999	7,999	8,240	35,077	23,580	24,931	7,075
ग) अन्य	14,363	13,850	14,063	72,700	46,266	47,504	55,117	48,394

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**1,014,447**	**1,161,207**	**1,161,207**	**1,578,214**	**3,758,695**	**4,076,209**	**4,084,022**	**4,724,031**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**694,613**	**834,549**	**834,549**	**1,081,142**	**2,867,536**	**3,299,117**	**3,351,832**	**3,985,823**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**312,815**	**355,034**	**355,034**	**553,565**	**2,330,103**	**2,669,117**	**2,721,832**	**3,187,585**
1. आय पर कर (i+ii)	**-20**	**-22**	**-22**	**–**	**39,395**	**39,750**	**39,750**	**43,016**
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	137	161	161	169
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	-20	-22	-22	–	39,258	39,589	39,589	42,847
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**12,825**	**14,556**	**14,556**	**35,000**	**331,456**	**448,622**	**389,877**	**428,632**
i) भू-राजस्व	3,300	3,745	3,746	5,000	10,876	8,622	8,622	9,048
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	9,525	10,811	10,811	30,000	320,580	440,000	381,255	419,584
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**300,010**	**340,500**	**340,500**	**518,565**	**1,959,251**	**2,180,745**	**2,292,206**	**2,715,937**
i) बिक्री कर (क से च)	245,800	278,983	278,983	400,000	1,176,172	1,486,852	1,446,852	1,716,078
क) राज्य बिक्री कर / वैट	180,721	205,118	205,118	340,000	1,026,285	1,283,285	1,343,285	1,642,989
ख) केंद्रीय बिक्री कर	65,079	73,865	73,865	60,000	149,887	203,567	103,567	73,089
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	18,600	21,111	21,111	50,000	449,548	330,000	466,859	562,608
iii) वाहन कर	16,280	18,478	18,478	50,000	137,450	156,000	180,601	209,896
iv) माल और यात्री कर	12,000	13,620	13,620	9,300	114,720	126,960	116,960	125,998
v) विद्युत शुल्क और कर	6,000	6,810	6,810	7,400	38,857	34,020	34,020	38,579
vi) मनोरंजन कर	993	1,127	1,127	1,365	5,612	5,790	5,790	6,514
vii) अन्य कर और शुल्क	337	371	371	500	36,892	41,123	41,123	56,263
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**381,798**	**479,515**	**479,515**	**527,577**	**537,433**	**630,000**	**630,000**	**798,238**
i) पलिका कर	113,564	146,989	146,989	161,688	167,734	195,009	195,009	261,753
ii) आय कर	72,596	91,859	91,859	101,045	101,857	121,868	121,868	164,366
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	–	–	–	–	-28	-31	-31	-11
v) संपत्ती कर	165	198	198	218	211	263	263	249
vi) सीमा शुल्क	75,202	95,764	95,764	105,450	104,823	121,049	121,049	152,585
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	85,144	94,087	94,087	103,496	111,307	124,824	124,824	133,080
viii) सेवा कर	35,127	50,618	50,618	55,680	51,563	67,100	67,100	86,242
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	–	–	–	–	-34	-82	-82	-26
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**319,834**	**326,658**	**326,658**	**497,072**	**891,158**	**777,092**	**732,190**	**738,208**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**143,351**	**159,912**	**159,912**	**291,273**	**409,842**	**185,710**	**180,210**	**193,165**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**5,925**	**6,148**	**6,148**	**7,381**	**37,619**	**18,754**	**18,754**	**14,692**
2. लाभांश और लाभ	**300**	**341**	**341**	**1,000**	**1,948**	**273**	**273**	**287**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**3,664**	**4,159**	**4,159**	**3,634**	**212,681**	**15,423**	**51,223**	**16,995**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	112,828	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**4,713**	**5,349**	**5,349**	**6,954**	**14,757**	**13,924**	**13,924**	**14,620**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	719	816	816	1,701	6,500	5,145	5,145	5,402
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	580	658	658	776	3,954	5,268	5,268	5,531
iii) परिवार कल्याण	25	28	28	30	13	127	127	134
iv) आवास निर्माण	74	84	84	94	1,149	1,208	1,208	1,269
v) शहरी विकास	13	15	15	17	144	119	119	125
vi) श्रम और रोजगार	196	223	223	222	1,816	1,203	1,203	1,263
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,500	1,703	1,703	2,164	673	555	555	583
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	897	1,018	1,018	1,130	156	64	64	67
ix) अन्य	709	804	804	820	352	235	234	246
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**128,749**	**143,915**	**143,915**	**272,304**	**142,837**	**137,336**	**96,035**	**146,572**
i) फसल कार्य	367	417	417	457	1,292	1,660	1,660	1,743
ii) पशुपालन	34	39	39	48	323	443	443	465
iii) मत्स्य पालन	153	174	174	189	513	390	390	410
iv) वानिकी और वन्य जीवन	2,500	2,838	2,838	5,000	12,797	17,788	14,188	18,677
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	245	278	278	306	3,013	3,636	3,636	3,818
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	5	6	6	6	7	3	3	3
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	2,923	1,122	1,122	3,031	2,148	4,247	2,347	2,359
ix) लघु सिंचाई	64	73	73	79	664	695	695	729
x) बिजली	–	–	–	15	529	4,300	4,300	4,515
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	38	43	43	47	3,946	2,035	2,035	2,137
xiii) उद्योग@	120,401	136,655	136,655	260,270	36,915	60,449	45,449	63,742
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	1,079	833	833	874
xv) सड़क परिवहन	57	65	65	25	2	–	–	–
xvi) पर्यटन	90	102	102	103	931	815	815	855
xvii) अन्य*	1,871	2,105	2,105	2,727	78,677	40,042	19,242	46,244
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**176,483**	**166,746**	**166,746**	**205,799**	**481,317**	**591,382**	**551,981**	**545,043**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	56,958	32,601	32,601	34,951	128,430	203,719	173,720	205,804
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	32,774	38,676	38,676	28,182	4,288	14,947	14,947	–
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	39,283	41,841	41,841	85,272	126,162	259,588	231,186	223,137
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	47,468	53,628	53,628	57,394	222,437	113,128	132,128	116,102
क) सांविधिक अनुदान	6,319	9,334	9,334	10,751	–	15,000	15,000	15,000
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	9,728	10,015	10,015	10,316	11,398	9,481	9,481	9,955
ग) अन्य	31,421	34,279	34,279	36,327	211,039	88,647	107,647	91,147

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**1,818,662**	**2,144,575**	**2,149,697**	**2,493,573**	**2,569,428**	**2,799,584**	**2,984,001**	**3,440,378**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**1,515,386**	**1,759,127**	**1,798,928**	**2,049,138**	**1,856,167**	**2,010,159**	**2,145,906**	**2,474,504**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**1,194,182**	**1,378,978**	**1,399,730**	**1,578,085**	**1,047,313**	**1,171,675**	**1,188,614**	**1,421,481**
1. आय पर कर (i+ii)	**963**	**656**	**656**	**739**	**16,874**	**16,722**	**18,646**	**20,301**
i) ऋषि-आय कर	963	656	656	739	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	–	–	–	–	16,874	16,722	18,646	20,301
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**161,907**	**163,850**	**210,687**	**261,417**	**138,331**	**153,000**	**166,245**	**196,745**
i) भू-राजस्व	4,701	5,569	5,602	8,413	13,221	13,000	12,245	12,745
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	151,993	152,412	199,185	242,056	125,110	140,000	154,000	184,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	5,213	5,869	5,900	10,948	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**1,031,313**	**1,214,473**	**1,188,388**	**1,315,929**	**892,109**	**1,001,953**	**1,003,723**	**1,204,435**
i) बिक्री कर (क से च)	856,331	1,003,551	971,216	1,061,639	526,141	590,000	570,000	660,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	807,162	895,396	922,466	1,008,984	469,557	520,575	527,642	613,448
ख) केंद्रीय बिक्री कर	33,966	56,925	32,700	35,322	56,584	69,425	42,358	46,552
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	1	330	1	1	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	15,203	50,900	16,049	17,333	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	95,307	98,686	119,331	129,985	154,668	170,000	175,000	207,500
iii) वाहन कर	70,774	83,508	88,222	100,864	63,430	77,500	77,500	100,000
iv) माल और यात्री कर	–	–	–	–	74,460	80,000	96,000	120,000
v) विद्युत शुल्क और कर	3,178	25,000	3,425	13,620	71,455	82,500	83,200	115,000
vi) मनोरंजन कर	136	174	164	171	709	1,933	2,003	1,915
vii) अन्य कर और शुल्क	5,586	3,554	6,031	9,650	1,247	20	20	20
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**321,204**	**380,149**	**399,198**	**471,054**	**808,854**	**838,484**	**957,292**	**1,053,023**
i) पलिका कर	100,249	116,550	122,390	144,420	252,448	249,432	293,497	322,847
ii) आय कर	60,877	72,836	76,486	90,253	153,299	159,449	183,416	201,758
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-17	-18	-19	-22	-42	-44	-46	-51
v) संपत्ती कर	126	157	165	195	318	362	396	436
vi) सीमा शुल्क	62,649	75,933	79,738	94,091	157,763	165,173	191,215	210,337
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	66,525	74,603	78,341	92,443	167,523	187,010	187,865	206,652
viii) सेवा कर	30,815	40,137	42,148	49,735	77,596	77,155	101,072	111,179
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-20	-49	-51	-61	-51	-53	-123	-135
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**303,276**	**385,447**	**350,769**	**444,434**	**713,261**	**789,425**	**838,094**	**965,874**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**93,757**	**113,307**	**108,395**	**129,356**	**265,846**	**242,703**	**255,959**	**301,770**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**4,463**	**4,555**	**4,843**	**5,116**	**13,273**	**3,999**	**18,440**	**49,548**
2. लाभांश और लाभ	**3,017**	**2,520**	**3,300**	**3,450**	**1,444**	**2,257**	**6,003**	**6,171**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**39,196**	**45,179**	**51,866**	**63,341**	**86,191**	**14,528**	**52,057**	**17,444**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	23,632	25,145	32,761	42,000	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**14,247**	**17,395**	**17,256**	**19,733**	**7,506**	**4,745**	**5,091**	**5,467**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,991	12,157	12,157	13,861	1,106	135	124	365
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,299	3,800	3,644	4,211	2,088	1,844	2,216	2,323
iii) परिवार कल्याण	6	6	21	26	51	117	117	118
iv) आवास निर्माण	103	197	197	223	1,376	1,251	1,246	1,250
v) शहरी विकास	124	108	108	141	181	121	129	143
vi) श्रम और रोजगार	516	559	559	636	473	412	402	405
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	104	106	109	118	311	10	3	4
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	278	278	314	513	825	825	825
ix) अन्य	105	184	184	203	1,407	30	30	35
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**32,833**	**43,658**	**31,131**	**37,715**	**157,431**	**217,174**	**174,366**	**223,139**
i) फसल कार्य	1,233	1,583	1,624	1,961	1,601	1,149	1,974	7,645
ii) पशुपालन	643	688	688	691	331	223	332	260
iii) मत्स्य पालन	296	550	565	324	175	193	193	199
iv) वानिकी और वन्य जीवन	17,456	26,844	14,529	19,121	53,650	52,500	54,300	60,000
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	3,575	3,822	3,822	4,319	1,854	1,533	2,090	1,697
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	4	3	8	8	1,002	1,102	1,102	1,134
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	487	890	582	654	2,982	6,853	3,446	3,646
ix) लघु सिंचाई	188	164	164	185	893	3,699	681	681
x) बिजली	–	–	–	–	1	20,000	–	25,000
xi) पेट्रोलियम	1	1	1	1	1	–	1	1
xii) ग्राम और लघु उद्योग	840	574	574	614	295	108	280	320
xiii) उद्योग@	3,329	3,336	3,364	3,768	92,923	127,880	108,532	120,575
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	233	256	256	284	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	501	364	364	509	–	–	–	–
xvii) अन्य*	4,048	4,581	4,589	5,276	1,723	1,934	1,435	1,983
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**209,519**	**272,141**	**242,374**	**315,079**	**447,415**	**546,722**	**582,136**	**664,104**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	63,078	107,132	93,483	173,077	198,252	236,507	248,163	327,576
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	1,964	–	–	–	5,708	122,558	130,511	124,596
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	35,235	93,827	91,334	85,541	145,008	75,744	92,342	93,853
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	109,242	71,181	57,556	56,461	98,448	111,913	111,120	118,080
क) सांविधिक अनुदान	57,571	58,947	45,322	46,121	65,958	–	–	–
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	6,733	7,070	7,070	7,424	24,667	15,148	15,148	20,804
ग) अन्य	44,937	5,164	5,164	2,915	7,823	96,765	95,972	97,276

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**6,219,535**	**6,829,887**	**6,898,905**	**7,991,086**	**286,274**	**276,216**	**360,037**	**363,694**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**4,612,200**	**5,300,211**	**5,421,064**	**6,083,923**	**55,789**	**64,395**	**65,940**	**75,395**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**4,009,924**	**4,587,406**	**4,661,191**	**5,189,346**	**12,151**	**12,744**	**14,289**	**16,001**
1. आय पर कर (i+ii)	**124,672**	**129,800**	**145,400**	**145,000**	**1,328**	**1,400**	**1,400**	**1,568**
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	124,672	129,800	145,400	145,000	1,328	1,400	1,400	1,568
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**689,989**	**789,000**	**869,500**	**1,030,000**	**384**	**375**	**410**	**456**
i) भू-राजस्व	48,417	69,000	69,500	70,000	101	88	110	120
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	641,572	720,000	800,000	960,000	283	287	300	336
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**3,195,263**	**3,668,606**	**3,646,291**	**4,014,346**	**10,439**	**10,969**	**12,479**	**13,977**
i) बिक्री कर (क से च)	2,413,073	2,746,500	2,661,200	2,903,900	9,664	10,000	11,500	12,880
क) राज्य बिक्री कर / वैट	2,172,099	1,943,200	1,740,000	2,000,000	9,664	10,000	11,500	12,880
ख) केंद्रीय बिक्री कर	254,766	205,500	246,000	199,600	–	–	–	–
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	12,666	590,200	675,000	704,000	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	-26,458	7,600	200	300	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	330,070	350,000	380,000	450,000	362	399	399	447
iii) वाहन कर	184,106	207,000	221,531	242,618	319	438	438	491
iv) माल और यात्री कर	22,448	59,400	59,400	59,400	60	94	94	105
v) विद्युत शुल्क और कर	157,719	178,154	231,800	260,000	19	30	30	34
vi) मनोरंजन कर	32,819	35,500	33,000	36,000	–	–	–	–
vii) अन्य कर और शुल्क	55,028	92,052	59,360	62,428	14	8	18	20
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**602,276**	**712,805**	**759,873**	**894,577**	**43,638**	**51,651**	**51,651**	**59,394**
i) पलिका कर	187,972	218,538	232,938	293,335	13,617	15,832	15,832	18,205
ii) आय कर	114,146	136,572	145,571	184,198	8,269	9,894	9,894	11,377
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-31	-35	-37	-12	–	–	–	–
v) संपत्ती कर	237	295	314	279	17	21	21	24
vi) सीमा शुल्क	117,470	142,378	151,760	170,995	8,510	10,314	10,314	11,860
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	124,737	139,884	149,102	149,137	9,037	10,134	10,134	11,653
viii) सेवा कर	57,783	75,265	80,225	96,645	4,188	5,456	5,456	6,274
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-38	-92	–	–	–	–	–	–
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**1,607,336**	**1,529,676**	**1,477,841**	**1,907,163**	**230,484**	**211,821**	**294,097**	**288,299**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**751,823**	**574,767**	**568,896**	**671,467**	**18,104**	**14,627**	**20,397**	**21,137**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**250,392**	**102,702**	**110,501**	**108,536**	**3,505**	**941**	**4,000**	**3,500**
2. लाभांश और लाभ	**616**	**425**	**452**	**453**	**–**	**1**	**1**	**1**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**202,807**	**156,127**	**70,798**	**153,597**	**9,194**	**5,460**	**6,104**	**6,569**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	85,303	100,000	2,018	82,639	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**54,780**	**46,333**	**58,105**	**57,356**	**338**	**547**	**548**	**577**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,699	8,685	12,140	12,212	94	130	130	137
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	15,920	14,872	17,772	19,904	24	35	35	37
iii) परिवार कल्याण	1,029	1,182	1,182	1,151	–	–	–	–
iv) आवास निर्माण	2,334	2,357	3,300	3,500	68	150	150	158
v) शहरी विकास	6,588	5,285	7,635	5,925	–	–	–	–
vi) श्रम और रोजगार	4,855	4,775	4,776	5,014	4	3	4	5
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,402	5,225	5,225	5,486	–	–	–	–
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,282	933	2,995	980	139	220	220	231
ix) अन्य	4,671	3,019	3,080	3,184	10	9	9	10
5. राजकोषीय सेवाएं	**28**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**243,200**	**269,180**	**329,040**	**351,525**	**5,066**	**7,678**	**9,745**	**10,490**
i) फसल कार्य	2,226	3,745	2,775	2,831	30	15	15	15
ii) पशुपालन	1,092	1,503	1,858	1,870	9	10	10	10
iii) मत्स्य पालन	450	503	505	540	6	10	10	10
iv) वानिकी और वन्य जीवन	12,137	22,291	22,291	25,431	152	220	220	231
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	6,446	6,048	6,990	10,376	12	15	12	12
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	260	236	296	311	1	2	1	1
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	44,493	62,000	67,364	71,858	785	350	864	950
ix) लघु सिंचाई	5,818	3,462	5,715	5,812	6	10	10	10
x) बिजली	13,383	9,646	55,000	39,958	4,024	7,000	6,481	7,126
xi) पेट्रोलियम	5	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	402	315	700	600	6	12	7	8
xiii) उद्योग@	82,048	87,523	98,875	114,758	9	10	9	10
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	2	–	–	–	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	187	–	–	–	4	3	5	5
xvii) अन्य*	74,251	71,908	66,671	77,180	25	21	2,102	2,103
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**855,513**	**954,909**	**908,945**	**1,235,696**	**212,380**	**197,194**	**273,700**	**267,162**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	391,912	362,202	433,702	655,904	94,290	80,158	147,148	148,850
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	8,877	250	1,075	514	7,946	4,579	7,426	6,500
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	105,824	138,235	178,150	180,128	14,882	10,167	15,686	9,121
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	3,786	4,664	4,747	2,657
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	348,900	454,222	296,018	399,150	91,476	97,626	98,692	100,034
क) सांविधिक अनुदान	21,495	10,000	10,000	10,000	87,586	93,319	94,165	96,271
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	22,000	–	–	–	–	–	–	–
ग) अन्य	305,405	444,222	286,018	389,150	3,890	4,307	4,527	3,763

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**214,218**	**324,177**	**324,177**	**370,286**	**196,894**	**193,636**	**236,240**	**221,787**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**75,192**	**86,117**	**86,117**	**104,878**	**35,567**	**40,902**	**40,977**	**50,237**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**30,474**	**33,193**	**33,193**	**38,461**	**6,762**	**6,813**	**6,888**	**7,456**
1. आय पर कर (i+ii)	**952**	**128**	**128**	**136**	**500**	**450**	**480**	**500**
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	952	128	128	136	500	450	480	500
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**1,207**	**829**	**829**	**989**	**94**	**123**	**141**	**145**
i) भू-राजस्व	558	37	37	39	73	102	118	120
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	649	792	792	950	21	21	23	25
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**28,315**	**32,236**	**32,236**	**37,336**	**6,169**	**6,240**	**6,267**	**6,811**
i) बिक्री कर (क से च)	21,582	23,316	23,316	28,542	5,372	5,500	5,500	6,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	18,104	10,081	10,081	16,535	5,372	5,500	5,500	6,000
ख) केंद्रीय बिक्री कर	2,804	3,564	3,564	3,734	–	–	–	–
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	183	9,671	9,671	8,273	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	491	–	–	–	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	5,396	7,158	7,158	7,157	165	145	165	170
iii) वाहन कर	934	1,056	1,056	1,162	501	450	475	500
iv) माल और यात्री कर	279	570	570	339	98	95	95	100
v) विद्युत शुल्क और कर	3	5	5	5	–	–	–	–
vi) मनोरंजन कर	120	27	27	37	–	–	–	–
vii) अन्य कर और शुल्क	2	104	104	94	32	50	32	41
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**44,718**	**52,924**	**52,924**	**66,417**	**28,805**	**34,089**	**34,089**	**42,781**
i) पलिका कर	13,956	16,225	16,225	21,778	8,991	10,452	10,452	14,030
ii) आय कर	8,475	10,140	10,140	13,676	5,460	6,532	6,532	8,810
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-2	-3	-3	-1	-1	-2	-2	-1
v) संपत्ती कर	18	22	22	21	11	14	14	13
vi) सीमा शुल्क	8,722	10,571	10,571	12,695	5,618	6,810	6,810	8,178
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	9,261	10,386	10,386	11,073	5,966	6,690	6,690	7,133
viii) सेवा कर	4,291	5,590	5,590	7,177	2,762	3,597	3,597	4,619
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-3	-7	-7	-2	-2	-4	-4	-1
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**139,026**	**238,060**	**238,060**	**265,408**	**161,327**	**152,734**	**195,263**	**171,550**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**18,436**	**18,035**	**18,035**	**19,870**	**13,338**	**9,797**	**12,894**	**11,727**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**1,336**	**600**	**600**	**772**	**876**	**625**	**625**	**625**
2. लाभांश और लाभ	**1**	**19**	**19**	**9**	**-**	**–**	**–**	**–**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**3,593**	**2,294**	**2,294**	**2,336**	**5,250**	**801**	**2,142**	**877**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	244	924	924	924	4,429	300	1,592	300
4. समाज सेवा (i से ix)	**325**	**364**	**364**	**393**	**778**	**657**	**813**	**882**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	91	100	100	108	52	48	54	60
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	108	96	96	100	56	42	44	50
iii) परिवार कल्याण	2	–	–	–	–	–	–	–
iv) आवास निर्माण	17	30	30	33	51	45	70	75
v) शहरी विकास	4	3	3	3	–	–	–	–
vi) श्रम और रोजगार	49	58	58	64	–	–	–	–
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1	11	11	12	80	35	38	40
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	49	60	60	66	532	480	600	650
ix) अन्य	4	6	6	7	6	7	7	7
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**13,181**	**14,758**	**14,758**	**16,360**	**6,435**	**7,715**	**9,314**	**9,344**
i) फसल कार्य	221	301	301	306	22	32	32	35
ii) पशुपालन	156	120	120	123	56	65	65	65
iii) मत्स्य पालन	2	6	6	6	5	4	4	4
iv) वानिकी और वन्य जीवन	1,666	1,785	1,785	1,927	406	320	320	320
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	38	64	64	67	2	2	2	2
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	82	113	113	123	58	55	56	60
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) लघु सिंचाई	9	6	6	6	–	1	1	1
x) बिजली	–	–	–	–	5,179	6,643	8,000	8,000
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	23	34	34	37	22	15	15	15
xiii) उद्योग@	10,903	12,143	12,143	13,569	44	10	153	160
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	174	165	165	170
xvi) पर्यटन	–	2	2	3	82	65	100	107
xvii) अन्य*	82	184	184	193	385	338	402	405
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**120,590**	**220,025**	**220,025**	**245,538**	**147,990**	**142,936**	**182,369**	**159,823**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	56,900	115,771	115,771	135,602	62,590	76,963	82,759	90,953
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	1,117	5,380	5,380	2,006	454	110	110	110
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	10,666	41,119	41,119	44,244	16,895	15	25,113	8
4. NEC/Special Plan Scheme	4,660	8,609	8,609	19,509	3,769	3	5,316	2
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	47,247	49,146	49,146	44,176	64,282	65,846	69,071	68,750
क) सांविधिक अनुदान	–	–	–	–	57,621	62,777	63,068	65,660
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	1,295	896	896	923	501	523	1,404	539
ग) अन्य	45,952	48,250	48,250	43,253	6,160	2,546	4,599	2,551

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**277,251**	**305,982**	**315,891**	**326,561**	**1,803,263**	**1,946,720**	**2,138,134**	**2,327,042**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**43,596**	**47,068**	**50,322**	**60,911**	**1,228,549**	**1,340,631**	**1,415,443**	**1,551,688**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**11,903**	**12,814**	**12,814**	**13,838**	**606,507**	**661,552**	**679,287**	**727,195**
1. आय पर कर (i+ii)	**1,635**	**1,516**	**1,516**	**1,637**	**7,360**	**7,920**	**8,096**	**8,906**
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	1,635	1,516	1,516	1,637	7,360	7,920	8,096	8,906
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**156**	**157**	**157**	**169**	**48,687**	**53,480**	**59,075**	**60,078**
i) भू-राजस्व	50	64	64	69	22,638	21,000	23,091	25,024
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	105	93	93	100	26,049	32,480	35,984	35,054
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**10,112**	**11,141**	**11,141**	**12,032**	**550,460**	**600,152**	**612,116**	**658,211**
i) बिक्री कर (क से च)	8,502	9,914	9,914	10,707	376,482	402,488	405,471	440,037
क) राज्य बिक्री कर / वैट	8,502	9,914	9,914	10,707	304,234	358,131	360,786	401,542
ख) केंद्रीय बिक्री कर	–	–	–	–	72,248	44,357	44,685	38,495
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	213	292	292	315	43,007	55,370	55,370	60,076
iii) वाहन कर	1,226	793	793	856	42,654	55,200	55,200	59,079
iv) माल और यात्री कर	169	140	140	151	57,400	53,693	60,270	58,090
v) विद्युत शुल्क और कर	2	1	1	2	28,258	33,000	33,019	37,972
vi) मनोरंजन कर	–	–	–	–	4	7	7	9
vii) अन्य कर और शुल्क	–	1	1	1	2,655	394	2,779	2,948
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**31,693**	**34,254**	**37,508**	**47,073**	**622,042**	**679,079**	**736,156**	**824,493**
i) पलिका कर	9,893	10,191	11,502	15,439	194,142	211,938	229,688	257,250
ii) आय कर	6,008	6,513	7,188	9,695	117,893	128,700	139,516	156,258
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-2	–	-2	-1	-32	-34	–	–
v) संपत्ती कर	12	15	16	15	244	266	289	323
vi) सीमा शुल्क	6,183	6,749	7,493	9,000	121,325	132,446	143,578	160,807
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	6,565	7,642	7,362	7,849	128,831	140,640	152,461	170,756
viii) सेवा कर	3,036	3,144	3,954	5,078	59,678	65,148	70,624	79,099
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-2	–	-5	-2	-39	-25	–	–
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**233,655**	**258,913**	**265,568**	**265,649**	**574,714**	**606,089**	**722,690**	**775,354**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**9,114**	**9,704**	**11,087**	**12,110**	**258,812**	**158,078**	**191,553**	**213,532**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**522**	**340**	**340**	**306**	**39,843**	**6,996**	**38,953**	**26,000**
2. लाभांश और लाभ	**–**	**–**	**–**	**–**	**4,939**	**6,000**	**3,500**	**6,000**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**1,882**	**1,754**	**1,554**	**1,694**	**85,879**	**8,875**	**11,141**	**17,809**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	1,459	1,000	1,000	1,080	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**648**	**509**	**609**	**658**	**10,619**	**12,104**	**11,625**	**12,880**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	164	26	26	28	4,194	4,725	4,300	4,386
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	13	16	16	17	1,306	1,470	1,470	1,499
iii) परिवार कल्याण	–	–	–	–	7	9	8	14
iv) आवास निर्माण	221	295	295	319	1,200	1,654	1,667	1,667
v) शहरी विकास	2	–	–	–	12	37	24	36
vi) श्रम और रोजगार	6	4	4	5	375	404	404	627
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	16	19	19	21	15	53	18	33
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	226	146	246	265	3,210	3,358	3,358	4,030
ix) अन्य	–	3	3	3	300	394	376	588
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**6,062**	**7,101**	**8,585**	**9,452**	**117,531**	**124,103**	**126,334**	**150,843**
i) फसल कार्य	15	12	12	13	552	683	683	971
ii) पशुपालन	35	47	47	50	91	105	105	164
iii) मत्स्य पालन	2	1	1	1	205	315	315	494
iv) वानिकी और वन्य जीवन	595	542	642	694	13,063	6,200	6,226	12,752
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	92	5	5	6	239	235	235	366
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	5	4	4	4	66	137	57	89
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	–	–	–	–	4,975	7,200	7,200	7,745
ix) लघु सिंचाई	–	1	1	1	446	1,100	1,000	1,000
x) बिजली	4,163	5,280	6,788	7,467	124	362	129	161
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	21	21	21	22	12	37	37	61
xiii) उद्योग@	191	7	7	7	93,674	104,516	106,018	120,028
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	149	64	152	241
xv) सड़क परिवहन	803	1,115	991	1,115	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	30	26	26	28	14	32	32	50
xvii) अन्य*	110	40	40	44	3,921	3,117	4,145	6,721
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**224,542**	**249,209**	**254,481**	**253,540**	**315,902**	**448,011**	**531,137**	**561,822**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	82,680	82,120	77,487	81,831	128,432	209,608	259,517	267,692
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	25,629	32,792	38,602	32,422	6,229	54,912	59,778	53,893
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	72,607	79,752	108,103	119,722
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	3,937	4,115	5,158	4,448	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	112,296	130,182	133,234	134,839	108,634	103,739	103,739	120,515
क) सांविधिक अनुदान	103,764	112,444	112,444	116,817	–	–	–	–
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	81	303	742	312	–	23,953	23,953	24,673
ग) अन्य	8,451	17,435	20,049	17,710	108,634	79,786	79,786	95,842

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**1,679,513**	**2,274,954**	**2,280,306**	**2,326,102**	**2,559,218**	**2,859,949**	**3,012,842**	**3,298,625**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**1,058,291**	**1,272,911**	**1,232,087**	**1,357,248**	**1,836,861**	**2,091,430**	**2,135,583**	**2,443,971**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**901,716**	**1,087,603**	**1,034,683**	**1,124,701**	**1,160,824**	**1,291,326**	**1,284,080**	**1,456,228**
1. आय पर कर (i+ii)	**–**	**–**	**–**	**–**	**6**	**–**	**–**	**–**
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	–	–	–	–	6	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**181,921**	**230,053**	**171,725**	**188,900**	**146,326**	**162,506**	**167,212**	**200,394**
i) भू-राजस्व	1,527	53	1,725	1,900	11,671	10,006	12,206	21,206
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	180,394	230,000	170,000	187,000	129,368	147,500	150,000	172,500
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	5,287	5,000	5,006	6,688
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**719,795**	**857,550**	**862,958**	**935,801**	**1,014,492**	**1,128,820**	**1,116,868**	**1,255,834**
i) बिक्री कर (क से च)	482,902	577,800	577,800	629,000	672,071	767,600	760,000	850,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	441,280	551,610	531,610	551,520	606,758	705,957	701,436	785,760
ख) केंद्रीय बिक्री कर	32,678	25,400	25,400	39,400	44,856	43,692	41,555	45,536
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	6	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	1	790	20,790	38,080	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	8,937	–	–	–	20,458	17,951	17,009	18,704
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	136,778	172,600	172,608	183,001	159,109	172,000	175,000	191,000
iii) वाहन कर	46,805	48,800	52,400	57,600	102,361	105,000	107,500	115,300
iv) माल और यात्री कर	–	–	–	–	24,760	25,000	11,000	30,000
v) विद्युत शुल्क और कर	52,758	57,600	59,400	65,300	51,588	55,220	58,368	63,534
vi) मनोरंजन कर	455	500	500	650	1,156	1,600	1,600	1,700
vii) अन्य कर और शुल्क	97	250	250	250	3,448	2,400	3,400	4,300
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**156,575**	**185,308**	**197,404**	**232,547**	**676,037**	**800,104**	**851,503**	**987,743**
i) पलिका कर	48,865	57,832	62,832	76,254	210,994	245,303	261,061	302,831
ii) आय कर	29,673	35,118	40,116	47,883	128,126	153,298	163,146	189,249
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-8	-9	-9	-3	-36	-39	-42	-48
v) संपत्ती कर	63	75	75	73	266	331	352	409
vi) सीमा शुल्क	30,537	36,141	38,242	44,451	131,856	159,816	170,083	197,296
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	32,426	38,376	38,374	38,769	140,014	157,016	167,103	193,839
viii) सेवा कर	15,019	17,775	17,774	25,120	64,859	84,482	89,909	104,295
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	–	–	–	–	-42	-103	-110	-127
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**621,222**	**1,002,043**	**1,048,219**	**968,854**	**722,357**	**768,519**	**877,260**	**854,654**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**397,257**	**662,029**	**665,685**	**539,110**	**343,061**	**338,429**	**384,949**	**359,117**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**65,857**	**83,115**	**139,625**	**19,919**	**107,272**	**94,924**	**109,469**	**100,687**
2. लाभांश और लाभ	**196**	**110**	**1,348**	**148**	**962**	**2,715**	**2,963**	**2,963**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**272,317**	**513,083**	**461,152**	**450,564**	**69,322**	**62,493**	**100,556**	**64,808**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	320,211	496,939	375,319	375,062	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**19,519**	**17,050**	**20,649**	**22,715**	**25,535**	**29,787**	**26,517**	**29,082**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,706	5,544	2,667	3,086	3,171	3,184	2,165	2,299
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,282	4,881	4,760	5,073	3,063	3,014	2,982	2,973
iii) परिवार कल्याण	11	35	42	46	25	25	51	31
iv) आवास निर्माण	207	248	220	250	299	331	332	332
v) शहरी विकास	6,832	1,150	7,515	8,270	27	89	62	38
vi) श्रम और रोजगार	685	844	957	1,050	371	277	317	327
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,072	539	1,180	1,300	87	224	237	252
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,993	3,800	3,290	3,620	18,249	22,454	20,145	22,587
ix) अन्य	731	10	18	20	244	189	226	242
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**39,367**	**48,671**	**42,911**	**45,764**	**139,969**	**148,510**	**145,444**	**161,576**
i) फसल कार्य	980	863	1,080	1,185	238	265	246	249
ii) पशुपालन	833	807	559	603	136	141	3,200	151
iii) मत्स्य पालन	121	141	141	145	810	700	700	775
iv) वानिकी और वन्य जीवन	1,462	1,886	1,610	1,770	4,524	4,865	5,179	5,379
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	502	450	550	610	2,223	1,515	2,748	1,987
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3,209	2,010	3,530	3,880	297	338	330	359
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	2,014	11,934	2,210	2,440	6,056	6,048	5,496	5,678
ix) लघु सिंचाई	13	15	14	16	1,537	2,611	2,152	2,902
x) बिजली	35	–	–	–	493	100	180	50
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	868	927	927	950
xii) ग्राम और लघु उद्योग	-210	60	60	62	109	60	600	60
xiii) उद्योग@	1,275	1,273	1,403	1,543	119,843	128,040	120,582	140,056
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	16,488	17,417	22,295	23,267	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	4,411	–	–	–	850	1,515	1,650	1,520
xvii) अन्य*	8,235	11,815	9,459	10,243	1,983	1,385	1,454	1,459
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**223,965**	**340,014**	**382,534**	**429,744**	**379,296**	**430,090**	**492,310**	**495,538**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	39,736	83,755	98,200	109,300	112,853	126,295	150,301	138,562
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	2,078	20,118	30,708	38,139	6,137	–	–	–
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	33,366	121,818	147,692	218,261	139,436	208,711	237,366	252,036
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	148,785	114,323	105,934	64,044	120,869	95,084	104,644	104,940
क) सांविधिक अनुदान	–	10,524	5,262	–	64,459	65,160	73,548	64,723
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	–	–	–	–	41,366	25,734	25,734	36,087
ग) अन्य	148,785	103,799	100,672	64,044	15,045	4,190	5,362	4,130

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**211,654**	**276,439**	**285,641**	**268,919**	**4,091,323**	**4,453,229**	**4,651,678**	**5,150,563**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**39,596**	**40,636**	**40,942**	**45,199**	**3,416,501**	**3,855,543**	**3,731,398**	**4,265,274**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**17,318**	**14,472**	**14,774**	**15,110**	**2,777,115**	**3,098,819**	**2,924,807**	**3,315,610**
1. आय पर कर (i+ii)	**4,672**	**4,200**	**4,202**	**4,230**	**7**	**–**	**–**	**–**
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	7	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	4,672	4,200	4,202	4,230	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**330**	**306**	**306**	**344**	**313,259**	**334,674**	**409,387**	**505,302**
i) भू-राजस्व	78	92	92	111	12,068	7,077	13,923	14,618
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	252	214	214	233	299,746	325,888	393,864	488,890
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	1,445	1,709	1,600	1,794
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**12,316**	**9,966**	**10,266**	**10,536**	**2,463,849**	**2,764,145**	**2,515,420**	**2,810,308**
i) बिक्री कर (क से च)	7,466	5,500	5,600	5,600	1,772,716	2,003,084	1,743,247	1,941,774
क) राज्य बिक्री कर / वैट	2,674	2,400	2,500	2,600	1,546,525	1,807,191	1,577,456	1,814,074
ख) केंद्रीय बिक्री कर	467	400	400	200	226,191	195,893	165,791	127,700
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	4,324	2,700	2,700	2,800	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3,331	2,800	2,900	3,050	398,642	437,012	463,444	532,960
iii) वाहन कर	595	300	400	400	126,088	141,022	150,191	170,760
iv) माल और यात्री कर	–	–	–	–	124,350	143,331	115,106	115,106
v) विद्युत शुल्क और कर	–	–	–	–	26,640	25,000	22,735	25,009
vi) मनोरंजन कर	58	55	55	55	4,037	93	1,084	681
vii) अन्य कर और शुल्क	867	1,311	1,311	1,431	11,376	14,603	19,613	24,018
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**22,278**	**26,164**	**26,168**	**30,089**	**639,386**	**756,724**	**806,591**	**949,664**
i) पलिका कर	8,654	9,928	9,928	11,411	199,558	232,008	247,297	311,415
ii) आय कर	–	–	–	–	121,182	144,989	154,543	195,551
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-1	-2	-2	–	-33	-37	-39	-13
v) संपत्ती कर	–	–	–	–	251	313	334	297
vi) सीमा शुल्क	5,336	6,468	6,468	7,438	124,711	151,154	161,115	181,535
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	5,666	6,355	6,355	7,308	132,425	148,506	158,292	158,329
viii) सेवा कर	2,625	3,419	3,419	3,932	61,332	79,888	85,152	102,581
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-2	-4	–	–	-40	-97	-103	-31
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**172,059**	**235,804**	**244,700**	**223,721**	**674,821**	**597,686**	**920,280**	**885,289**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**108,505**	**138,298**	**138,322**	**114,626**	**342,256**	**284,593**	**300,424**	**327,693**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**534**	**308**	**710**	**308**	**110,379**	**84,228**	**101,468**	**107,718**
2. लाभांश और लाभ	**76**	**75**	**75**	**75**	**3,020**	**1,488**	**3,267**	**3,255**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**98,559**	**126,870**	**126,408**	**96,477**	**82,536**	**53,250**	**54,008**	**59,202**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	96,330	124,829	124,329	94,336	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**530**	**478**	**488**	**474**	**52,042**	**43,848**	**48,810**	**59,917**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	109	61	70	67	21,583	21,564	27,017	35,612
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	60	45	97	50	9,664	9,640	9,645	9,531
iii) परिवार कल्याण	–	–	–	–	4,411	1,213	2,015	2,415
iv) आवास निर्माण	30	36	36	36	5,998	4,708	2,778	4,848
v) शहरी विकास	63	74	74	74	2,302	115	615	615
vi) श्रम और रोजगार	21	10	10	10	3,898	3,013	3,215	3,410
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22	52	1	1	3,108	2,742	2,774	2,738
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	206	190	190	225	131	19	28	28
ix) अन्य	19	10	11	11	947	834	723	720
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**3**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**8,805**	**10,567**	**10,641**	**17,293**	**94,276**	**101,778**	**92,871**	**97,601**
i) फसल कार्य	50	39	34	34	7,445	7,230	8,089	9,478
ii) पशुपालन	39	50	50	40	732	850	837	832
iii) मत्स्य पालन	1	1	3	2	1,820	834	1,398	1,468
iv) वानिकी और वन्य जीवन	950	750	750	800	8,231	12,286	10,588	11,056
v) बागान	195	282	210	220	–	–	–	–
vi) सहकारिता	1	–	–	–	1,437	976	1,615	1,633
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	110	6	50	10	2,311	3,737	2,588	3,276
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	–	–	–	–	2,851	2,097	2,207	2,261
ix) लघु सिंचाई	19	10	10	10	157	336	259	238
x) बिजली	5,816	8,000	8,000	14,600	1	–	–	–
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	1	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	10	25	15	15	5,163	527	778	630
xiii) उद्योग@	13	9	25	26	56,676	66,730	56,276	59,342
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	100	100
xv) सड़क परिवहन	1,486	1,300	1,400	1,400	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	87	82	82	123	1,542	1,565	2,388	1,615
xvii) अन्य*	29	13	13	13	5,909	4,610	5,748	5,672
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**63,554**	**97,506**	**106,378**	**109,095**	**332,565**	**313,094**	**619,856**	**557,596**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	44,347	58,132	58,695	59,704	181,103	206,464	247,044	283,689
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	257	70	186	300	8,777	4,548	5,264	5,198
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	10,195	23,272	29,747	36,801	62,715	41,693	59,539	57,433
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	2,329	7,762	8,125	7,068	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	6,426	8,270	9,626	5,222	79,970	60,389	308,009	211,276
क) सांविधिक अनुदान	4,706	5,286	5,286	2,194	51,144	37,275	37,274	37,300
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	520	1,393	2,746	1,435	24,306	17,288	17,288	18,152
ग) अन्य	1,200	1,591	1,594	1,593	4,520	5,826	253,447	155,824

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखंड			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**333,336**	**366,295**	**362,245**	**426,902**	**737,322**	**901,650**	**926,184**	**1,045,656**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**85,733**	**92,884**	**103,245**	**120,138**	**364,561**	**399,052**	**422,678**	**479,966**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**34,155**	**40,084**	**38,183**	**45,138**	**251,364**	**274,535**	**288,722**	**311,966**
1. आय पर कर (i+ii)	**2,237**	**2,515**	**2,459**	**2,583**	**455**	**472**	**472**	**634**
i) ऋषि-आय कर	15	15	18	20	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	2,222	2,500	2,441	2,563	455	472	472	634
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**1,965**	**2,110**	**1,938**	**2,230**	**56,174**	**48,628**	**48,627**	**51,647**
i) भू-राजस्व	303	310	310	357	1,542	2,062	2,062	3,143
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	1,661	1,800	1,627	1,871	54,632	46,566	46,566	48,504
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	1	–	1	2	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**29,953**	**35,459**	**33,786**	**40,326**	**194,736**	**225,435**	**239,622**	**259,685**
i) बिक्री कर (क से च)	23,345	28,500	26,582	32,164	136,142	155,150	168,820	184,950
क) राज्य बिक्री कर / वैट	23,345	28,500	26,582	32,164	2	135,950	139,900	132,200
ख) केंद्रीय बिक्री कर	–	–	–	–	136,140	16,000	24,000	8,000
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	2,500	4,220	44,000
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	700	700	750
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3,842	3,888	4,025	4,430	37,291	45,971	46,198	50,100
iii) वाहन कर	2,251	2,416	2,375	2,850	14,146	17,000	17,000	17,554
iv) माल और यात्री कर	–	–	–	–	–	1	1	1
v) विद्युत शुल्क और कर	1	–	2	2	6,619	6,708	7,000	6,460
vi) मनोरंजन कर	4	–	–	–	551	560	560	574
vii) अन्य कर और शुल्क	509	655	802	880	-14	45	44	45
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**51,578**	**52,800**	**65,062**	**75,000**	**113,197**	**124,516**	**133,956**	**168,000**
i) पलिका कर	16,100	14,798	20,650	24,644	35,323	38,855	41,801	52,424
ii) आय कर	9,777	10,217	13,861	15,278	21,450	23,595	25,384	31,835
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-3	–	–	–	-6	-7	-7	-9
v) संपत्ती कर	20	29	23	28	44	48	52	65
vi) सीमा शुल्क	10,061	10,233	12,300	14,144	22,074	24,281	26,122	32,761
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	10,684	13,658	11,741	12,646	23,440	25,784	27,739	34,788
viii) सेवा कर	4,942	3,865	6,487	8,260	10,865	11,952	12,858	16,125
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-3	–	–	–	7	8	8	10
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**247,603**	**273,411**	**259,000**	**306,764**	**372,760**	**502,598**	**503,506**	**565,690**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**9,497**	**7,902**	**11,141**	**12,321**	**64,682**	**88,337**	**89,245**	**89,723**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**2,623**	**2,000**	**3,354**	**3,772**	**4,094**	**2,162**	**2,162**	**3,802**
2. लाभांश और लाभ	**11**	**33**	**12**	**12**	**16**	**12**	**12**	**86**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखंड			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**4,241**	**2,417**	**4,757**	**5,480**	**10,830**	**20,440**	**20,665**	**20,725**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**558**	**609**	**719**	**834**	**3,634**	**5,002**	**5,373**	**5,252**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	73	116	100	120	2,334	3,512	3,883	3,760
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	274	330	388	460	429	429	429	605
iii) परिवार कल्याण	–	–	–	–	2	3	3	3
iv) आवास निर्माण	112	134	124	136	155	164	164	200
v) शहरी विकास	–	–	–	–	171	173	173	250
vi) श्रम और रोजगार	10	13	11	13	143	152	152	161
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4	8	5	5	206	210	210	–
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	68	–	74	82	9	100	100	10
ix) अन्य	16	8	17	18	185	260	259	263
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**200**	**–**	**1**	**1**	**1**	**1**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**2,065**	**2,843**	**2,099**	**2,224**	**46,107**	**60,720**	**61,032**	**59,857**
i) फसल कार्य	156	193	164	172	273	360	362	310
ii) पशुपालन	154	150	162	170	106	113	99	104
iii) मत्स्य पालन	64	65	68	71	3	5	3	4
iv) वानिकी और वन्य जीवन	624	605	543	570	18,809	18,951	18,951	20,068
v) बागान	–	–	–	–	1	–	–	2
vi) सहकारिता	6	8	7	7	399	451	583	503
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	3	21	21	5
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	–	–	–	–	569	521	7	487
ix) लघु सिंचाई	25	36	28	31	120	126	126	567
x) बिजली	6	–	–	–	17,222	31,600	31,600	27,000
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	6	6	7	8	124	128	128	83
xiii) उद्योग@	925	1,600	971	1,020	6,343	7,090	7,090	8,600
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	107	110	110	100
xvi) पर्यटन	54	68	62	67	393	505	505	610
xvii) अन्य*	44	111	87	108	1,634	739	1,447	1,416
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**238,106**	**265,509**	**247,859**	**294,443**	**308,079**	**414,261**	**414,261**	**475,967**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	98,534	109,794	93,932	127,897	144,540	227,362	227,362	305,614
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	1,247	900	800	900	3,227	6,228	6,228	1,670
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	18,906	27,465	20,214	24,108	15,246	41,224	41,224	43,556
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	2,223	4,748	14,257	19,036	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	117,196	122,602	118,656	122,502	145,065	139,447	139,447	125,127
क) सांविधिक अनुदान	110,295	112,291	112,291	113,190	140,267	128,976	128,976	114,574
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	1,697	1,021	1,007	1,022	4,328	8,750	8,750	7,550
ग) अन्य	5,204	9,290	5,358	8,290	471	1,721	1,721	3,003

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**6,059,954**	**7,401,769**	**7,656,546**	**8,580,634**	**2,582,832**	**3,065,731**	**3,135,966**	**3,606,603**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**4,621,629**	**5,528,140**	**5,788,246**	**6,701,910**	**2,020,038**	**2,432,129**	**2,450,300**	**2,885,601**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**2,299,798**	**2,780,219**	**2,770,325**	**3,231,300**	**1,169,478**	**1,425,475**	**1,377,420**	**1,622,283**
1. आय पर कर (i+ii)	**1,492**	**700**	**1,450**	**1,500**	**26,592**	**30,188**	**29,249**	**33,631**
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	107	150	115	127
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	1,492	700	1,450	1,500	26,485	30,038	29,134	33,504
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**470,119**	**437,873**	**520,105**	**554,065**	**221,139**	**273,649**	**267,028**	**322,685**
i) भू-राजस्व	18,752	10,273	40,105	17,011	95,269	110,964	119,086	148,858
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	451,367	427,600	480,000	537,054	125,857	162,581	147,883	173,762
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	12	103	59	65
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**1,828,187**	**2,341,646**	**2,248,770**	**2,675,735**	**921,747**	**1,121,638**	**1,081,144**	**1,265,967**
i) बिक्री कर (क से च)	1,327,882	1,731,410	1,628,685	1,970,500	707,902	850,571	830,016	979,418
क) राज्य बिक्री कर / वैट	827,677	1,193,000	1,027,000	1,244,300	626,289	748,936	734,323	866,501
ख) केंद्रीय बिक्री कर	68,899	68,200	135,000	163,600	79,920	99,411	93,706	110,573
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	35,884	448,815	452,000	547,600	6	4	7	8
घ) बिक्री पर अधिभार	4,912	–	–	–	1,637	2,212	1,919	2,265
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	44	6	52	61
च) अन्य प्राप्तियाँ	390,511	21,395	14,685	15,000	7	1	9	10
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	355,125	419,200	459,200	504,000	81,736	101,766	97,443	111,542
iii) वाहन कर	101,760	82,630	66,382	86,225	50,897	64,588	58,531	67,311
iv) माल और यात्री कर	10,871	70,700	56,798	73,775	103	82	113	125
v) विद्युत शुल्क और कर	19,392	24,005	24,005	27,535	52,635	63,250	60,531	69,610
vi) मनोरंजन कर	8,087	13,122	13,122	13,122	2,841	5,779	3,043	3,347
vii) अन्य कर और शुल्क	5,070	579	578	578	25,633	35,602	31,467	34,614
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**2,321,831**	**2,747,921**	**3,017,921**	**3,470,610**	**850,560**	**1,006,654**	**1,072,880**	**1,263,318**
i) पलिका कर	724,655	842,487	919,135	1,057,005	265,463	308,629	328,933	414,261
ii) आय कर	440,047	526,499	594,399	683,559	161,203	192,873	205,567	260,133
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-120	-134	-146	-168	-44	-49	-60	-17
v) संपत्ती कर	914	1,136	1,239	1,425	334	416	448	394
vi) सीमा शुल्क	452,861	548,884	598,820	688,643	165,897	201,073	214,296	241,488
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	480,875	539,269	588,331	676,581	176,159	197,551	210,550	210,618
viii) सेवा कर	222,744	290,134	316,530	364,010	81,601	106,290	113,280	136,482
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-145	-354	-387	-445	-53	-129	-134	-41
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**1,438,324**	**1,873,630**	**1,868,302**	**1,878,725**	**562,793**	**633,602**	**685,666**	**721,002**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**653,264**	**682,386**	**677,525**	**609,845**	**124,876**	**129,784**	**157,331**	**177,091**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**82,886**	**166,482**	**164,769**	**158,858**	**68,366**	**45,741**	**77,144**	**82,886**
2. लाभांश और लाभ	**897**	**592**	**592**	**592**	**234**	**191**	**257**	**283**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**266,215**	**172,035**	**171,598**	**167,701**	**20,045**	**24,736**	**26,007**	**34,470**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	2,832	2,212	3,115	3,427
4. समाज सेवा (i से ix)	**96,260**	**25,725**	**24,331**	**24,932**	**11,395**	**16,487**	**14,509**	**15,712**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	81,496	8,563	7,325	7,981	1,622	2,557	1,816	1,997
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,267	7,833	7,833	7,362	6,813	10,872	8,974	9,627
iii) परिवार कल्याण	74	200	200	200	14	62	16	18
iv) आवास निर्माण	1,221	3,464	3,484	3,693	1,043	1,170	1,149	1,262
v) शहरी विकास	23	3,890	3,890	3,890	515	426	566	623
vi) श्रम और रोजगार	1,337	1,164	1,164	1,354	429	451	493	542
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,577	424	424	440	552	404	608	668
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	327	–	–	–	484	156	533	586
ix) अन्य	3,938	187	12	12	-76	389	354	390
5. राजकोषीय सेवाएं	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**207,005**	**317,552**	**316,235**	**257,763**	**24,836**	**42,627**	**39,415**	**43,740**
i) फसल कार्य	3,396	2,936	2,387	3,946	493	705	614	673
ii) पशुपालन	1,124	2,377	2,364	1,955	329	652	361	398
iii) मत्स्य पालन	447	313	313	350	257	567	567	624
iv) वानिकी और वन्य जीवन	21,237	18,515	18,515	18,515	4,087	4,699	4,595	5,043
v) बागान	–	–	–	–	5	–	–	–
vi) सहकारिता	702	1,184	1,184	1,254	487	646	803	878
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	257	294	307	358	38	38	42	46
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	14,863	17,298	17,299	18,336	695	623	765	842
ix) लघु सिंचाई	3,302	4,315	4,315	4,574	1,890	2,329	2,080	2,288
x) बिजली	116,101	210,571	210,571	148,500	1	1	1	1
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	1	2	1	2
xii) ग्राम और लघु उद्योग	446	8	8	8	169	171	186	204
xiii) उद्योग@	34,578	44,904	44,904	44,904	1,347	2,712	1,639	1,802
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	9	6	10	10
xv) सड़क परिवहन	232	198	198	198	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	2	851	90	100	805	623	134	564
xvii) अन्य*	10,318	13,788	13,779	14,764	14,222	28,853	27,617	30,367
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**785,060**	**1,191,244**	**1,190,776**	**1,268,880**	**437,918**	**503,818**	**528,334**	**543,911**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	283,757	429,942	376,043	441,292	173,587	271,202	259,062	256,010
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	15,313	120	120	421	5,123	9,067	10,772	10,142
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	216,609	388,997	450,932	468,026	109,976	117,993	145,667	161,943
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	269,380	372,185	363,681	359,141	149,232	105,556	112,833	115,816
क) सांविधिक अनुदान	235,245	334,142	325,639	313,342	115,201	79,457	75,234	80,196
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	22,836	23,510	23,510	24,215	18,112	18,647	18,647	19,207
ग) अन्य	11,300	14,533	14,533	21,584	15,919	7,452	18,952	16,413

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	सभी राज्य			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**53,055,580**	**60,673,308**	**62,874,222**	**71,983,505**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**37,284,139**	**43,022,171**	**44,152,603**	**50,995,659**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**25,254,845**	**29,403,800**	**29,339,174**	**33,680,969**
1. आय पर कर (i+ii)	**286,163**	**302,813**	**320,621**	**336,212**
i) ऋषि-आय कर	1,480	2,632	1,221	1,348
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	284,683	300,181	319,400	334,864
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**3,597,267**	**4,030,996**	**4,269,091**	**4,929,474**
i) भू-राजस्व	329,832	328,655	398,785	435,090
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	3,245,229	3,686,157	3,842,935	4,462,906
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	22,206	16,184	27,371	31,478
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**21,371,415**	**25,069,991**	**24,749,462**	**28,415,283**
i) बिक्री कर (क से च)	15,357,290	18,297,304	17,819,767	20,362,275
क) राज्य बिक्री कर / वैट	12,877,596	15,063,515	14,752,738	17,181,784
ख) केंद्रीय बिक्री कर	1,788,858	1,990,812	1,771,247	1,692,884
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	133,157	1,134,054	1,217,330	1,386,415
घ) बिक्री पर अधिभार	6,577	2,642	2,020	2,565
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	3,557	1,796	21,842	39,351
च) अन्य प्राप्तियाँ	547,545	104,485	54,590	59,275
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	2,931,626	3,157,782	3,420,032	3,946,330
iii) वाहन कर	1,323,825	1,522,174	1,541,374	1,790,546
iv) माल और यात्री कर	680,831	850,925	727,028	891,043
v) विद्युत शुल्क और कर	816,119	905,243	936,631	1,071,346
vi) मनोरंजन कर	70,487	85,076	77,970	83,099
vii) अन्य कर और शुल्क	191,235	251,489	226,659	270,644
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**12,029,294**	**13,618,371**	**14,813,429**	**17,314,690**
i) पलिका कर	3,702,909	4,037,562	4,455,112	5,282,822
ii) आय कर	2,247,651	2,556,601	2,815,445	3,356,909
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-577	-519	-551	-471
v) संपत्ती कर	4,675	30,044	8,201	22,748
vi) सीमा शुल्क	2,319,152	2,674,607	2,899,492	3,371,840
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	2,618,197	2,991,084	3,142,589	3,509,516
viii) सेवा कर	1,137,914	1,330,117	1,494,302	1,772,507
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-627	-1,124	-1,162	-1,180
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**15,771,440**	**17,651,136**	**18,721,619**	**20,987,845**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**6,326,328**	**5,919,086**	**6,257,796**	**6,684,844**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**1,182,453**	**1,100,782**	**1,304,068**	**1,268,565**
2. लाभांश और लाभ	**63,291**	**33,467**	**40,948**	**44,193**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	सभी राज्य			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**1,864,842**	**1,428,466**	**1,389,394**	**1,410,566**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	647,308	820,669	541,069	599,771
4. समाज सेवा (i से ix)	**696,713**	**447,379**	**563,096**	**586,112**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	200,783	116,462	121,008	138,432
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	78,323	86,209	90,272	96,108
iii) परिवार कल्याण	6,331	3,554	4,293	4,698
iv) आवास निर्माण	18,266	20,208	18,902	21,824
v) शहरी विकास	283,332	118,503	222,741	213,047
vi) श्रम और रोजगार	25,556	18,807	26,427	28,480
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	19,701	14,413	15,542	16,671
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	43,550	54,004	52,130	54,894
ix) अन्य	20,871	15,219	11,782	11,958
5. राजकोषीय सेवाएं	**55**	**9**	**209**	**9**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**2,518,974**	**2,908,983**	**2,960,081**	**3,375,400**
i) फसल कार्य	24,680	26,191	26,027	35,844
ii) पशुपालन	8,044	10,382	13,186	9,787
iii) मत्स्य पालन	7,300	7,152	7,473	7,755
iv) वानिकी और वन्य जीवन	226,095	262,776	239,810	274,358
v) बागान	202	283	211	222
vi) सहकारिता	27,678	28,134	31,767	35,440
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	8,008	8,403	8,807	9,972
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	146,883	184,888	186,822	196,815
ix) लघु सिंचाई	17,621	25,371	23,367	25,244
x) बिजली	381,654	510,381	620,201	599,195
xi) पेट्रोलियम	139,461	140,031	146,442	173,741
xii) ग्राम और लघु उद्योग	13,942	5,999	7,591	7,218
xiii) उद्योग@	1,142,020	1,319,656	1,285,383	1,574,369
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	15,854	19,263	19,454	20,823
xv) सड़क परिवहन	77,491	83,519	92,433	101,007
xvi) पर्यटन	11,090	8,472	8,292	8,266
xvii) अन्य*	270,952	268,080	242,815	295,342
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**9,445,112**	**11,732,050**	**12,463,823**	**14,303,001**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	4,021,493	5,249,923	5,523,639	6,662,431
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	5,733	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	209,677	555,052	618,873	661,296
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	1,742,730	2,465,492	2,723,715	3,143,213
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	30,603	73,567	89,451	105,182
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	3,440,608	3,388,017	3,508,144	3,730,878
क) सांविधिक अनुदान	1,771,895	1,706,737	1,687,309	1,652,481
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	360,385	272,211	276,221	290,440
ग) अन्य	1,308,328	1,409,068	1,544,615	1,787,957

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**1,219,360**	**1,528,215**	**1,518,780**	**1,764,797**	**188,357**	**195,980**	**198,626**	**208,605**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**1,015,580**	**1,212,503**	**1,195,200**	**1,384,000**	**56,955**	**58,600**	**60,400**	**73,200**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**1,015,580**	**1,212,503**	**1,195,200**	**1,384,000**	**56,955**	**58,600**	**60,400**	**73,200**
1. आय पर कर (i+ii)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
i) ऋषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	–	–	–	–	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**91,798**	**135,000**	**135,000**	**162,000**	**3,192**	**2,627**	**3,696**	**3,879**
i) भू-राजस्व	1	–	–	–	91	27	29	30
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	91,797	135,000	135,000	162,000	3,101	2,600	3,667	3,849
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**923,782**	**1,077,503**	**1,060,200**	**1,222,000**	**53,763**	**55,973**	**56,704**	**69,321**
i) बिक्री कर (क से च)	736,579	873,000	850,000	980,000	36,489	39,400	33,184	41,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	630,756	753,175	750,000	850,000	36,489	39,400	33,184	41,000
ख) केंद्रीय बिक्री कर	105,810	119,800	99,975	129,975	–	–	–	–
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री पर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	13	25	25	25	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	113,318	116,640	125,000	142,500	14,349	13,800	20,000	24,700
iii) वाहन कर	36,284	46,300	42,500	50,000	2,901	2,757	3,500	3,600
iv) माल और यात्री कर	–	200	–	–	–	–	–	–
v) विद्युत शुल्क और कर	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) मनोरंजन कर	3,606	4,950	4,200	4,700	–	–	–	–
vii) अन्य कर और शुल्क	33,995	36,413	38,500	44,800	24	16	20	21
आ. केंद्रीय कर मे अंश (i से ix)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
i) पलिका कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) संपदा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	–	–	–	–	–	–	–	–
v) संपत्ती कर	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सीमा शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
vii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) सेवा कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	–	–	–	–	–	–	–	–
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**203,780**	**315,712**	**323,580**	**380,797**	**131,402**	**137,380**	**138,226**	**135,405**
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	**146,358**	**169,932**	**182,640**	**206,950**	**54,993**	**55,900**	**57,499**	**65,100**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**128,498**	**157,976**	**164,440**	**191,850**	**620**	**276**	**276**	**277**
2. लाभांश और लाभ	**2,217**	**2,072**	**3,200**	**3,450**	**103**	**203**	**236**	**238**

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां *(समाप्त)*

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	**6,223**	**4,835**	**6,049**	**6,155**	**1,779**	**1,166**	**1,304**	**1,331**
जिसमें से : राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**3,191**	**2,870**	**3,024**	**3,118**	**1,228**	**950**	**1,303**	**1,153**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	927	853	950	975	47	55	71	73
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,518	1,373	1,418	1,455	752	470	762	620
iii) परिवार कल्याण	–	1	–	–	–	–	–	–
iv) आवास निर्माण	288	260	280	290	62	42	63	42
v) शहरी विकास	–	1	1	1	3	16	3	4
vi) श्रम और रोजगार	437	364	360	380	85	93	93	93
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	17	16	13	15	18	12	19	19
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	250	250	281	291
ix) अन्य	4	2	2	2	11	13	11	11
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**6,229**	**2,179**	**5,927**	**2,377**	**51,263**	**53,305**	**54,380**	**62,101**
i) फसल कार्य	40	42	30	32	43	30	45	42
ii) पशुपालन	38	33	33	35	11	10	13	13
iii) मत्स्य पालन	2	2	5	5	11	13	13	13
iv) वानिकी और वन्य जीवन	4	5	2	2	2	1	7	7
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	5	5	3	4	10	17	15	16
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1	1	2	2	1	1	1	1
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	535	312	520	530	–	1	–	–
ix) लघु सिंचाई	10	6	9	10	21	24	21	23
x) बिजली	703	936	700	700	50,895	53,000	54,000	61,700
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	161	177	133	140	9	10	19	19
xiii) उद्योग@	5	5	4	5	95	65	95	105
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	33	44	10	10
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	5	5	3	5	28	13	33	33
xvii) अन्य*	4,720	650	4,483	907	104	77	108	120
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**57,422**	**145,780**	**140,940**	**173,847**	**76,409**	**81,480**	**80,727**	**70,305**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	15,726	103,280	73,950	124,002	76,409	28,400	25,749	14,396
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	6,977	10,000	11,734	14,845	–	1,380	1,212	2,984
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	34,719	32,500	55,256	35,000	–	51,700	53,766	52,925
क) सांविधिक अनुदान	32,500	32,500	32,500	32,500	–	15,000	16,442	16,000
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) अन्य	2,219	–	22,756	2,500	–	36,700	37,324	36,925

'-' : शून्य/नगण्य/अनुपलब्ध।

@ : इसमें अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग तथा अन्य उद्योग शामिल हैं।

* : इसमें डेअरी विकास, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जल परिवहन, विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सामान्य आर्थिक सेवाएँ, नागरिक आपूर्ति, सड़क और पुल आदि से प्राप्त राशि शामिल हैं।

परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : सभी राज्यों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय

आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**951,872**	**3,191,967**	**4,143,839**	**1,566,792**	**3,931,812**	**5,498,604**	**1,576,603**	**3,990,975**	**5,567,578**	**2,596,525**	**4,425,246**	**7,021,771**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**940,191**	**1,647,766**	**2,587,957**	**1,462,947**	**2,122,774**	**3,585,721**	**1,466,458**	**2,165,154**	**3,631,612**	**2,558,074**	**2,404,371**	**4,962,445**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**616,087**	**920,844**	**1,536,931**	**954,145**	**1,093,949**	**2,048,094**	**953,155**	**1,142,537**	**2,095,692**	**1,555,461**	**1,350,794**	**2,906,255**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	69,813	533,748	603,561	194,388	611,578	805,966	194,388	665,956	860,344	354,738	697,306	1,052,044
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	22,730	126,717	149,447	39,478	168,746	208,224	39,478	161,674	201,152	69,930	184,337	254,267
3. परिवार कल्याण	35,650	294	35,944	41,032	393	41,425	41,032	758	41,790	57,556	747	58,303
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	94,450	8,257	102,707	102,281	19,581	121,862	102,281	19,749	122,030	118,284	20,618	138,902
5. आवास निर्माण	52,234	1,520	53,754	109,375	1,755	111,130	109,375	1,734	111,109	215,250	1,578	216,828
6. शहरी विकास	88,735	18,545	107,280	148,055	20,826	168,881	148,055	20,520	168,575	276,318	13,311	289,629
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	121,401	65,695	187,096	154,467	120,092	274,559	153,478	122,286	275,764	192,882	144,731	337,613
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,654	7,601	9,255	2,381	10,490	12,871	2,381	10,035	12,416	16,638	11,150	27,788
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	109,042	8,285	117,327	117,403	28,268	145,671	117,402	27,830	145,232	205,653	28,978	234,631
10. पौष्टिक आहार	19,854	70,775	90,629	43,733	72,988	116,721	43,733	72,984	116,717	42,751	198,986	241,737
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	71,021	71,021	–	31,967	31,967	–	31,922	31,922	–	40,161	40,161
12. अन्य*	524	8,386	8,910	1,552	7,265	8,817	1,552	7,089	8,641	5,461	8,891	14,352
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**324,104**	**726,922**	**1,051,026**	**508,802**	**1,028,825**	**1,537,627**	**513,303**	**1,022,617**	**1,535,920**	**1,002,613**	**1,053,577**	**2,056,190**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	63,432	80,379	143,811	103,163	97,660	200,823	107,664	95,984	203,648	260,177	82,906	343,083
i) फसल कार्य	39,891	11,924	51,815	67,771	16,976	84,747	67,771	16,526	84,297	157,102	18,639	175,741
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	374	1,600	1,974	638	2,348	2,986	638	1,870	2,508	908	2,113	3,021
iii) पशु पालन	4,462	21,405	25,867	6,803	26,300	33,103	11,304	25,661	36,965	26,022	29,426	55,448
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	1,820	2,060	3,880	2,554	2,419	4,973	2,554	2,405	4,959	4,954	2,714	7,668
vi) वानिकी और वन्यजीवन	13,219	15,474	28,693	20,024	17,842	37,866	20,024	17,580	37,604	16,667	19,408	36,075
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,010	14,441	16,451	2,910	16,930	19,840	2,910	16,930	19,840	30,558	1,072	31,630
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	1,656	12,873	14,529	2,463	14,179	16,642	2,463	14,316	16,779	23,966	8,758	32,724
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	602	602	–	666	666	–	696	696	–	776	776
2. ग्रामीण विकास	116,890	127,705	244,595	119,280	132,362	251,642	119,280	135,847	255,127	296,303	123,999	420,302
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	91,455	226,201	317,656	175,835	379,070	554,905	175,835	372,606	548,441	245,806	449,838	695,644
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	87,425	215,226	302,651	158,943	365,687	524,630	158,943	359,418	518,361	206,875	435,749	642,624
ii) लघु सिंचाई	3,401	3,490	6,891	15,888	3,820	19,708	15,888	3,783	19,671	38,137	4,084	42,221
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	7,485	7,485	–	9,564	9,564	–	9,405	9,405	–	10,005	10,005
5. ऊर्जा	2,342	157,770	160,112	6,098	252,018	258,116	6,098	251,743	257,841	3,096	247,901	250,997
जिसमें से : बिजली	2,147	157,567	159,714	5,822	251,744	257,566	5,822	251,468	257,290	2,850	247,592	250,442
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	16,789	6,421	23,210	43,740	12,760	56,500	43,740	14,063	57,803	57,213	10,382	67,595
i) ग्राम और लघु उद्योग	14,476	2,595	17,071	21,854	4,541	26,395	21,854	6,081	27,935	30,888	6,871	37,759
ii) उद्योग@	1,799	3,588	5,387	14,886	8,219	23,105	14,886	7,982	22,868	13,325	3,511	16,836
iii) अन्य**	514	238	752	7,000	–	7,000	7,000	–	7,000	13,000	–	13,000

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	12	113,413	113,425	514	139,374	139,888	514	138,784	139,298	27,600	122,998	150,598
i) सड़क और पुल	–	102,065	102,065	500	123,312	123,812	500	122,722	123,222	10,100	121,819	131,919
ii) अन्य @@	12	11,348	11,360	14	16,062	16,076	14	16,062	16,076	17,500	1,179	18,679
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	572	151	723	714	162	876	714	162	876	897	171	1,068
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	32,612	14,882	47,494	59,458	15,419	74,877	59,458	13,428	72,886	111,521	15,382	126,903
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	26,901	3,315	30,216	47,535	4,396	51,931	47,535	3,716	51,251	99,741	4,484	104,225
ii) पर्यटन	2,372	350	2,722	6,251	1,552	7,803	6,251	391	6,642	5,400	421	5,821
iii) नागरिक आपूर्ति	2,390	7,472	9,862	4,251	4,789	9,040	4,251	4,804	9,055	4,730	5,310	10,040
iv) अन्य +	949	3,745	4,694	1,421	4,682	6,103	1,421	4,517	5,938	1,650	5,167	6,817
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**11,681**	**1,519,718**	**1,531,399**	**103,845**	**1,780,959**	**1,884,804**	**110,145**	**1,799,383**	**1,909,528**	**38,451**	**1,983,920**	**2,022,371**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**1,066**	**34,998**	**36,064**	**392**	**46,977**	**47,369**	**392**	**38,893**	**39,285**	**392**	**45,598**	**45,990**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**1,881**	**58,761**	**60,642**	**2,636**	**71,380**	**74,016**	**2,636**	**68,548**	**71,184**	**6,691**	**74,129**	**80,820**
i) कर और शुल्क वसूली	1,881	49,844	51,725	2,636	61,684	64,320	2,636	58,920	61,556	6,691	68,623	75,314
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	8,917	8,917	–	9,696	9,696	–	9,628	9,628	–	5,506	5,506
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**749,378**	**749,378**	**–**	**886,407**	**886,407**	**–**	**900,574**	**900,574**	**–**	**940,445**	**940,445**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	21,349	21,349	–	23,544	23,544	–	37,711	37,711	–	41,950	41,950
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	728,029	728,029	–	862,863	862,863	–	862,863	862,863	–	898,495	898,495
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	124,726	124,726	–	130,026	130,026	–	131,298	131,298	–	117,185	117,185
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	556,976	556,976	–	649,717	649,717	–	648,392	648,392	–	686,580	686,580
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	191,609	191,609	–	220,030	220,030	–	220,030	220,030	–	295,030	295,030
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	46,326	46,326	–	83,118	83,118	–	83,172	83,172	–	94,729	94,729
iv) अन्य	–	1	1	–	2	2	–	1	1	–	1	1
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**8,734**	**261,488**	**270,222**	**100,817**	**323,765**	**424,582**	**107,117**	**318,943**	**426,060**	**31,368**	**403,461**	**434,829**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	2,348	6,783	9,131	94,842	7,924	102,766	101,142	7,313	108,455	18,895	41,758	60,653
ii) जिला प्रशासन	–	35,268	35,268	–	52,448	52,448	–	43,062	43,062	–	58,443	58,443
iii) पुलिस	4,358	170,437	174,795	3,000	178,039	181,039	3,000	185,715	188,715	9,000	212,941	221,941
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	10,050	10,050	2	25,036	25,038	2	24,662	24,664	2	28,533	28,535
v) अन्य ++	2,028	38,950	40,978	2,973	60,318	63,291	2,973	58,191	61,164	3,471	61,786	65,257
उ. पेन्शन	**–**	**415,049**	**415,049**	**–**	**452,413**	**452,413**	**–**	**472,413**	**472,413**	**–**	**520,275**	**520,275**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**44**	**44**	**–**	**17**	**17**	**–**	**12**	**12**	**–**	**12**	**12**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**24,483**	**24,483**	**–**	**28,079**	**28,079**	**–**	**26,438**	**26,438**	**–**	**36,955**	**36,955**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	24,483	24,483	–	28,079	28,079	–	26,438	26,438	–	36,955	36,955

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**81,101**	**108,623**	**189,723**	**104,441**	**112,412**	**216,853**	**117,759**	**146,428**	**264,187**	**177,626**	**118,674**	**296,300**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**79,790**	**53,973**	**133,764**	**103,781**	**56,007**	**159,788**	**116,305**	**85,062**	**201,366**	**176,481**	**57,467**	**233,948**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**43,271**	**20,089**	**63,360**	**18,202**	**22,052**	**40,254**	**52,555**	**24,788**	**77,343**	**24,425**	**22,479**	**46,904**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	14,423	10,407	24,829	11,028	10,570	21,598	19,976	10,704	30,681	15,892	10,640	26,532
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,849	6,894	8,743	1,272	6,678	7,950	5,038	6,702	11,740	2,025	6,701	8,726
3. परिवार कल्याण	520	–	520	14	–	14	842	–	842	59	–	59
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,981	1,066	15,047	3,175	501	3,676	18,631	2,136	20,767	3,020	742	3,762
5. आवास निर्माण	880	324	1,204	880	–	880	1,907	703	2,610	1,075	–	1,075
6. शहरी विकास	14	334	348	–	182	182	954	188	1,142	279	157	436
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. श्रम और श्रम कल्याण	209	94	303	158	98	256	489	117	607	312	104	417
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3,273	401	3,674	1,193	472	1,665	3,175	540	3,715	1,094	475	1,569
10. पौष्टिक आहार	684	10	694	345	7	352	1,319	7	1,326	441	7	448
11. प्राकृतिक आपदा राहत	7,278	–	7,278	–	2,997	2,997	–	2,997	2,997	–	3,087	3,087
12. अन्य*	162	559	720	137	547	684	223	693	916	228	566	794
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**36,520**	**33,884**	**70,404**	**85,579**	**33,955**	**119,534**	**63,750**	**60,274**	**124,024**	**152,056**	**34,988**	**187,044**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	11,278	11,326	22,604	7,501	10,703	18,204	13,245	34,092	47,338	9,388	11,225	20,614
i) फसल कार्य	4,485	2,201	6,687	2,132	2,303	4,435	5,505	2,583	8,088	3,375	2,465	5,840
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	841	939	1,780	752	949	1,701	1,291	1,145	2,436	992	1,002	1,993
iii) पशु पालन	1,105	1,337	2,442	748	1,327	2,075	1,214	1,583	2,797	883	1,411	2,294
iv) डेरी विकास	26	30	56	30	30	60	–	29	29	–	25	25
v) मत्स्य पालन	245	214	459	240	224	464	381	257	638	305	218	523
vi) वानिकी और वन्यजीवन	4,197	2,792	6,989	3,337	2,961	6,298	4,412	3,120	7,532	3,434	3,183	6,617
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	3,507	3,507	–	2,591	2,591	–	7,047	7,047	–	2,583	2,583
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	66	62	127	34	65	99	206	67	274	80	60	140
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	259	216	475	174	223	397	183	18,229	18,412	250	238	488
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	54	28	82	54	30	84	54	31	85	70	39	109
2. ग्रामीण विकास	2,139	1,155	3,293	2,040	2,505	4,545	2,026	1,815	3,841	2,663	2,421	5,085
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,442	3	4,445	3,408	4	3,412	11,902	6	11,909	5,637	4	5,641
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,840	834	7,673	7,390	782	8,172	9,894	1,983	11,877	4,800	791	5,590
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	56	–	56	48	–	48	48	–	48	50	–	50
ii) लघु सिंचाई	4,817	814	5,631	7,072	782	7,854	8,749	1,715	10,464	4,457	791	5,248
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	1,515	20	1,535	10	–	10	430	268	698	22	–	22
5. ऊर्जा	196	11,829	12,025	1,248	11,161	12,409	2,078	11,534	13,612	2,543	11,161	13,704
जिसमें से : बिजली	10	11,829	11,839	1,062	11,160	12,222	1,887	11,307	13,195	2,343	11,161	13,504
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,057	736	1,793	770	630	1,400	1,560	872	2,432	1,016	699	1,715
i) ग्राम और लघु उद्योग	905	736	1,641	648	630	1,278	1,256	872	2,128	817	699	1,516
ii) उद्योग@	143	–	143	112	–	112	159	–	159	169	–	169
iii) अन्य**	9	–	9	10	–	10	145	–	145	30	–	30

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	3,315	7,091	10,405	3,305	7,175	10,480	8,025	8,643	16,669	4,937	7,567	12,504
i) सड़क और पुल	3,010	1,240	4,250	3,045	1,413	4,458	7,591	2,408	9,999	4,564	1,454	6,017
ii) अन्य @@	304	5,851	6,155	260	5,762	6,022	435	6,235	6,670	373	6,113	6,486
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	150	–	150	1,028	–	1,028	2,047	–	2,047	1,057	–	1,057
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	7,103	912	8,015	58,889	995	59,884	12,971	1,327	14,298	120,016	1,120	121,135
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	6,321	87	6,407	58,192	87	58,279	11,596	81	11,677	119,110	76	119,186
ii) पर्यटन	342	24	366	340	25	365	625	34	659	437	26	462
iii) नागरिक आपूर्ति	200	389	589	164	441	605	254	724	978	209	522	731
iv) अन्य +	240	412	652	193	442	635	496	488	984	260	496	756
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**1,311**	**54,649**	**55,960**	**660**	**56,405**	**57,064**	**1,454**	**61,366**	**62,821**	**1,145**	**61,207**	**62,352**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**22**	**1,850**	**1,872**	**0**	**1,762**	**1,762**	**21**	**2,754**	**2,776**	**1**	**2,142**	**2,143**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**13**	**494**	**506**	**13**	**473**	**486**	**14**	**654**	**668**	**18**	**573**	**591**
i) कर और शुल्क वसूली	–	475	475	–	456	456	–	634	634	–	554	554
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	13	19	32	13	17	30	14	20	34	18	19	37
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**20,052**	**20,052**	**–**	**22,257**	**22,257**	**–**	**19,982**	**19,982**	**–**	**24,119**	**24,119**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	1,276	1,276	–	1,476	1,476	–	1,240	1,240	–	1,400	1,400
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	18,776	18,776	–	20,781	20,781	–	18,742	18,742	–	22,719	22,719
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य	–	18,776	18,776	–	20,781	20,781	–	18,742	18,742	–	22,719	22,719
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**1,276**	**24,320**	**25,596**	**647**	**23,296**	**23,942**	**1,419**	**29,809**	**31,228**	**1,126**	**25,867**	**26,993**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	43	2,839	2,881	26	2,294	2,320	39	3,199	3,238	31	2,166	2,197
ii) जिला प्रशासन	–	4,922	4,922	–	4,714	4,714	–	6,088	6,088	–	5,330	5,330
iii) पुलिस	609	10,346	10,955	–	10,462	10,462	–	12,287	12,287	–	11,322	11,322
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	529	4,876	5,404	529	4,538	5,067	1,270	6,057	7,327	960	5,494	6,454
v) अन्य ++	96	1,338	1,434	92	1,288	1,379	110	2,179	2,289	135	1,554	1,689
उ. पेन्शन	**–**	**7,882**	**7,882**	**–**	**8,548**	**8,548**	**–**	**8,043**	**8,043**	**–**	**8,430**	**8,430**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**51**	**51**	**–**	**69**	**69**	**–**	**124**	**124**	**–**	**77**	**77**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

असम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**195,263**	**950,390**	**1,145,653**	**363,829**	**1,245,252**	**1,609,081**	**431,176**	**1,304,104**	**1,735,280**	**498,566**	**1,505,366**	**2,003,932**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**194,841**	**519,796**	**714,637**	**302,207**	**689,944**	**992,151**	**369,554**	**738,325**	**1,107,879**	**464,827**	**688,497**	**1,153,324**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**75,232**	**372,517**	**447,748**	**157,430**	**513,724**	**671,154**	**223,983**	**544,728**	**768,711**	**262,628**	**507,647**	**770,275**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	22,900	252,212	275,112	37,906	333,520	371,425	38,239	341,052	379,291	47,227	352,458	399,685
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,839	46,197	49,036	18,569	81,126	99,696	18,575	82,249	100,824	27,907	93,404	121,311
3. परिवार कल्याण	7,090	715	7,805	11,912	6,599	18,511	11,912	6,599	18,511	12,236	5,415	17,650
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	10,815	15,564	26,379	2,509	12,346	14,854	2,509	12,846	15,354	2,324	15,504	17,828
5. आवास निर्माण	55	391	447	285	1,166	1,451	285	1,266	1,551	228	1,274	1,503
6. शहरी विकास	3,434	2,627	6,061	14,535	6,766	21,301	14,535	6,767	21,302	23,276	3,596	26,873
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	11,641	23,923	35,564	55,648	39,251	94,899	55,648	40,799	96,447	43,077	2,031	45,108
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,156	2,917	4,073	3,618	3,395	7,013	3,618	3,399	7,017	5,699	3,598	9,297
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11,830	5,448	17,278	2,569	5,761	8,330	63,074	5,926	69,001	69,877	5,833	75,710
10. पौष्टिक आहार	3,371	1,068	4,439	9,607	39	9,646	15,317	40	15,356	30,497	182	30,679
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	19,319	19,319	–	20,448	20,448	–	40,310	40,310	–	21,063	21,063
12. अन्य*	102	2,134	2,236	272	3,307	3,579	272	3,476	3,748	280	3,289	3,569
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**119,610**	**147,279**	**266,889**	**144,777**	**176,220**	**320,997**	**145,570**	**193,597**	**339,168**	**202,199**	**180,850**	**383,049**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	16,732	44,626	61,358	34,343	49,831	84,174	34,343	52,550	86,893	54,865	49,502	104,366
i) फसल कार्य	7,859	10,021	17,880	17,641	11,529	29,170	17,641	12,529	30,170	31,076	12,046	43,122
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	395	1,936	2,331	405	1,462	1,867	405	1,472	1,877	1,006	1,538	2,544
iii) पशु पालन	454	9,069	9,524	2,256	11,843	14,099	2,256	11,861	14,117	4,361	10,617	14,978
iv) डेरी विकास	155	873	1,028	1,435	1,087	2,522	1,435	1,087	2,522	2,094	1,235	3,329
v) मत्स्य पालन	986	1,345	2,331	2,665	1,526	4,191	2,665	1,826	4,491	3,941	1,680	5,621
vi) वानिकी और वन्यजीवन	4,527	11,278	15,805	6,075	13,432	19,507	6,075	13,493	19,568	7,250	13,056	20,306
vii) बागान	–	–	–	2	–	2	2	–	2	5	–	5
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	233	2,133	2,366	198	1,473	1,671	198	2,241	2,439	250	1,394	1,644
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,928	5,309	7,237	3,030	4,422	7,452	3,030	4,723	7,753	4,215	4,581	8,795
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	139	2,417	2,556	630	2,759	3,389	630	3,018	3,648	517	3,038	3,555
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	54	246	300	6	299	305	6	299	305	150	318	468
2. ग्रामीण विकास	40,114	16,022	56,136	46,915	33,857	80,772	46,915	37,174	84,089	83,611	8,642	92,253
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,281	420	2,701	9,826	291	10,117	10,021	1,291	11,311	10,073	321	10,395
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	–	26,922	26,922	–	35,091	35,091	–	35,097	35,097	–	38,255	38,255
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	3,856	3,856	–	4,763	4,763	–	4,769	4,769	–	5,573	5,573
ii) लघु सिंचाई	–	12,962	12,962	–	17,830	17,830	–	17,830	17,830	–	19,987	19,987
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	9,929	9,929	–	12,236	12,236	–	12,236	12,236	–	12,395	12,395
5. ऊर्जा	29,093	1	29,094	6	3,338	3,344	6	3,338	3,344	8	12,275	12,283
जिसमें से : बिजली	29,087	–	29,087	–	3,322	3,322	–	3,322	3,322	–	12,257	12,257
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,675	8,599	11,274	10,298	6,155	16,453	10,298	8,247	18,544	10,242	7,244	17,486
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,980	7,952	9,932	9,056	5,434	14,490	9,056	7,525	16,581	7,447	6,417	13,864
ii) उद्योग@	695	647	1,342	1,242	721	1,963	1,242	721	1,963	2,795	827	3,622
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

असम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	2,047	36,618	38,665	8,829	42,296	51,125	9,037	49,589	58,626	4,103	58,527	62,631
i) सड़क और पुल	1,726	31,531	33,257	3,693	40,880	44,573	3,693	47,967	51,660	2,967	51,548	54,515
ii) अन्य @@	321	5,087	5,408	5,136	1,416	6,552	5,344	1,622	6,966	1,136	6,980	8,116
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	159	42	201	416	60	476	416	60	476	1,950	70	2,020
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	26,508	14,029	40,537	34,144	5,301	39,444	34,535	6,252	40,788	37,348	6,013	43,361
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	25,986	11,735	37,721	32,982	2,563	35,545	32,982	2,569	35,551	35,538	2,784	38,322
ii) पर्यटन	22	440	462	695	376	1,071	695	416	1,111	1,433	452	1,885
iii) नागरिक आपूर्ति	163	20	183	–	36	36	402	36	437	10	40	50
iv) अन्य +	337	1,834	2,171	467	2,326	2,793	457	3,232	3,689	367	2,737	3,104
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**421**	**429,815**	**430,236**	**61,622**	**541,477**	**603,099**	**61,622**	**551,948**	**613,570**	**33,739**	**642,575**	**676,314**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**–**	**8,580**	**8,580**	**–**	**12,635**	**12,635**	**–**	**13,976**	**13,976**	**–**	**14,597**	**14,597**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**320**	**13,218**	**13,538**	**627**	**22,122**	**22,749**	**627**	**23,405**	**24,032**	**725**	**24,047**	**24,772**
i) कर और शुल्क वसूली	320	13,142	13,463	627	22,012	22,639	627	23,265	23,892	725	23,930	24,655
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	75	75	–	110	110	–	140	140	–	118	118
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**169,167**	**169,167**	**–**	**206,589**	**206,589**	**–**	**206,589**	**206,589**	**–**	**201,938**	**201,938**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	17,600	17,600	–	20,400	20,400	–	20,400	20,400	–	10,800	10,800
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	151,567	151,567	–	186,189	186,189	–	186,189	186,189	–	191,138	191,138
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	18,178	18,178	–	32,118	32,118	–	32,118	32,118	–	32,164	32,164
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	110,339	110,339	–	125,338	125,338	–	125,338	125,338	–	127,231	127,231
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	58,632	58,632	–	65,498	65,498	–	65,498	65,498	–	71,757	71,757
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	47,586	47,586	–	54,445	54,445	–	54,445	54,445	–	50,222	50,222
iii) Interest on Small Savings, पर ब्याज	–	23,051	23,051	–	28,733	28,733	–	28,733	28,733	–	31,744	31,744
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**101**	**121,010**	**121,111**	**60,995**	**157,427**	**218,422**	**60,995**	**165,271**	**226,266**	**33,014**	**198,204**	**231,218**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	9,864	9,864	52,969	21,142	74,111	52,969	21,149	74,118	26,582	35,654	62,236
ii) जिला प्रशासन	–	5,002	5,002	–	5,300	5,300	–	5,300	5,300	–	6,522	6,522
iii) पुलिस	–	77,674	77,674	100	92,565	92,665	100	97,118	97,218	260	113,863	114,123
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	1	12,361	12,362	–	19,536	19,536	–	21,566	21,566	–	18,969	18,969
v) अन्य ++	100	16,110	16,210	7,926	18,885	26,811	7,926	20,138	28,064	6,172	23,197	29,369
उ. पेंशन	**–**	**117,786**	**117,786**	**–**	**142,662**	**142,662**	**–**	**142,662**	**142,662**	**–**	**153,732**	**153,732**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**53**	**53**	**–**	**41**	**41**	**–**	**45**	**45**	**–**	**50,056**	**50,056**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**780**	**780**	**–**	**13,831**	**13,831**	**–**	**13,831**	**13,831**	**–**	**174,293**	**174,293**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	780	780	–	13,831	13,831	–	13,831	13,831	–	174,293	174,293

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

बिहार

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**328,179**	**1,730,324**	**2,058,503**	**436,538**	**1,959,240**	**2,395,778**	**412,502**	**2,063,890**	**2,476,392**	**671,531**	**2,222,259**	**2,893,789**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**284,716**	**909,086**	**1,193,802**	**367,236**	**999,475**	**1,366,711**	**342,821**	**1,092,454**	**1,435,275**	**622,783**	**1,180,454**	**1,803,236**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**169,369**	**622,353**	**791,721**	**184,063**	**713,758**	**897,821**	**171,420**	**782,274**	**953,694**	**400,212**	**868,716**	**1,268,928**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	65,831	459,424	525,255	28,583	509,880	538,463	41,641	513,140	554,781	131,804	588,962	720,766
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	436	84,346	84,782	510	99,438	99,948	510	99,438	99,948	816	127,631	128,447
3. परिवार कल्याण	–	13,680	13,680	–	19,899	19,899	–	19,899	19,899	–	21,983	21,983
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	9,566	13,478	23,044	7,230	18,200	25,430	8,378	19,272	27,650	12,892	20,897	33,788
5. आवास निर्माण	–	371	371	–	1,090	1,090	–	1,090	1,090	–	770	770
6. शहरी विकास	22,570	5,388	27,958	65,326	5,342	70,668	32,950	11,680	44,630	85,748	6,888	92,635
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	8,055	5,019	13,074	10,822	8,429	19,251	15,896	10,806	26,701	14,277	12,189	26,466
8. श्रम और श्रम कल्याण	36,034	3,556	39,590	40,275	4,061	44,336	40,275	4,174	44,450	2,369	7,164	9,533
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	352	29,092	29,444	4,952	28,178	33,130	6,410	30,362	36,772	74,456	32,697	107,153
10. पौष्टिक आहार	26,087	–	26,087	25,319	–	25,319	24,215	–	24,215	29,937	28,557	58,493
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	5,086	5,086	–	15,939	15,939	–	67,684	67,684	46,600	16,398	62,998
12. अन्य*	437	2,914	3,351	1,046	3,302	4,348	1,146	4,730	5,875	1,315	4,581	5,896
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**115,347**	**286,734**	**402,081**	**183,173**	**285,717**	**468,890**	**171,400**	**310,181**	**481,581**	**222,570**	**311,738**	**534,308**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	27,023	31,492	58,515	28,165	36,245	64,410	30,942	55,275	86,217	38,003	42,568	80,571
i) फसल कार्य	14,673	9,858	24,532	18,867	11,860	30,727	18,848	27,671	46,519	25,428	15,421	40,849
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	68	916	983	310	441	751	315	486	801	360	840	1,200
iii) पशु पालन	222	6,973	7,195	433	7,900	8,333	474	8,071	8,545	1,283	9,157	10,439
iv) डेरी विकास	5,204	690	5,894	3,207	364	3,571	3,207	376	3,583	4,407	413	4,820
v) मत्स्य पालन	104	892	996	400	1,295	1,695	603	1,295	1,898	550	1,300	1,850
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,121	3,448	6,569	3,014	4,349	7,363	4,017	4,699	8,716	3,315	4,741	8,056
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,300	4,835	8,135	1,700	6,174	7,874	2,230	8,469	10,699	2,400	6,220	8,620
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	246	3,730	3,976	109	3,678	3,787	1,124	4,023	5,147	109	4,252	4,361
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	85	150	235	125	184	309	125	184	309	150	225	375
2. ग्रामीण विकास	78,879	53,009	131,887	132,010	59,165	191,175	113,120	60,444	173,564	139,558	71,617	211,176
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,651	40,878	43,529	10,097	47,800	57,897	10,097	49,057	59,154	6,810	47,519	54,330
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	18,691	18,691	–	22,220	22,220	–	23,253	23,253	–	22,751	22,751
ii) लघु सिंचाई	2,631	10,960	13,591	4,517	14,929	19,446	4,517	14,936	19,453	4,800	16,105	20,905
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	5,797	5,797	–	7,692	7,692	80	7,830	7,910	10	8,063	8,073
5. ऊर्जा	174	107,890	108,064	628	72,281	72,909	628	72,281	72,909	400	72,100	72,500
जिसमें से : बिजली	–	107,890	107,890	–	72,281	72,281	–	72,281	72,281	–	72,100	72,100
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	6,225	2,409	8,634	10,541	2,964	13,505	15,541	3,300	18,841	36,478	3,308	39,786
i) ग्राम और लघु उद्योग	4,513	1,059	5,572	4,121	1,330	5,451	4,121	1,578	5,699	8,072	1,442	9,514
ii) उद्योग@	1,712	1,350	3,062	6,420	1,634	8,054	11,420	1,722	13,142	28,406	1,865	30,271
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

बिहार

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	176	41,238	41,414	410	55,844	56,254	410	55,980	56,389	120	61,395	61,515
i) सड़क और पुल	62	41,085	41,147	290	55,658	55,948	290	55,669	55,958	–	61,183	61,183
ii) अन्य @@	114	153	267	120	186	306	120	311	431	120	212	332
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	220	9,817	10,037	1,322	11,418	12,740	663	13,843	14,506	1,201	13,230	14,431
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	7	1,903	1,909	1,000	2,073	3,073	110	2,635	2,745	680	3,450	4,130
ii) पर्यटन	110	226	336	113	232	345	229	232	462	165	246	411
iii) नागरिक आपूर्ति	1	5,871	5,873	–	6,450	6,450	–	8,194	8,194	–	6,625	6,625
iv) अन्य +	102	1,817	1,919	209	2,663	2,872	324	2,781	3,105	356	2,909	3,265
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**43,463**	**820,838**	**864,301**	**69,302**	**959,765**	**1,029,067**	**69,682**	**971,435**	**1,041,117**	**48,748**	**1,041,393**	**1,090,141**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**1,368**	**29,690**	**31,059**	**1,649**	**30,507**	**32,156**	**2,015**	**34,097**	**36,112**	**2,506**	**37,992**	**40,498**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**1,519**	**23,312**	**24,831**	**1,995**	**27,061**	**29,056**	**1,995**	**27,722**	**29,717**	**4,065**	**30,760**	**34,825**
i) कर और शुल्क वसूली	1,519	23,077	24,596	1,995	26,804	28,799	1,995	27,454	29,449	4,065	30,549	34,614
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	235	235	–	257	257	–	269	269	–	211	211
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**341,609**	**341,609**	**–**	**390,941**	**390,941**	**–**	**381,627**	**381,627**	**–**	**379,604**	**379,604**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	341,609	341,609	–	390,941	390,941	–	381,627	381,627	–	379,604	379,604
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	42,655	42,655	–	64,096	64,096	–	64,096	64,096	–	60,850	60,850
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	245,999	245,999	–	268,388	268,388	–	258,388	258,388	–	255,488	255,488
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	90,048	90,048	–	95,520	95,520	–	85,620	85,620	–	83,474	83,474
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	123,953	123,953	–	150,900	150,900	–	150,900	150,900	–	151,901	151,901
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	52,554	52,554	–	57,964	57,964	–	57,964	57,964	–	62,764	62,764
iv) अन्य	–	401	401	–	493	493	–	1,179	1,179	–	501	501
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**40,576**	**176,519**	**217,095**	**65,658**	**198,902**	**264,560**	**65,672**	**215,634**	**281,306**	**42,177**	**249,201**	**291,377**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	26	5,587	5,614	682	5,685	6,367	682	7,049	7,731	2,859	6,777	9,636
ii) जिला प्रशासन	39,170	10,425	49,595	61,255	13,173	74,428	61,255	13,460	74,715	36,779	14,819	51,597
iii) पुलिस	–	121,278	121,278	940	135,283	136,223	940	144,235	145,175	250	173,391	173,641
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	17,666	17,666	–	20,867	20,867	–	20,932	20,932	–	22,112	22,112
v) अन्य ++	1,380	21,563	22,943	2,781	23,894	26,675	2,795	29,958	32,753	2,289	32,102	34,391
उ. पेन्शन	**–**	**249,709**	**249,709**	**–**	**312,354**	**312,354**	**–**	**312,354**	**312,354**	**–**	**343,837**	**343,837**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**400**	**400**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**412**	**412**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	400	400	–	–	–	–	–	–	–	412	412

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**260,841**	**619,402**	**880,243**	**404,243**	**762,319**	**1,166,562**	**462,249**	**797,513**	**1,259,761**	**576,473**	**811,389**	**1,387,862**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**257,964**	**310,731**	**568,695**	**401,871**	**353,849**	**755,720**	**458,923**	**421,304**	**880,227**	**569,772**	**393,020**	**962,792**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**170,896**	**174,993**	**345,890**	**272,179**	**210,257**	**482,436**	**295,129**	**208,164**	**503,292**	**404,562**	**233,194**	**637,756**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	72,240	68,567	140,807	105,802	86,397	192,199	120,911	82,544	203,456	135,621	96,082	231,703
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	9,802	18,180	27,982	24,742	25,904	50,646	19,870	22,902	42,771	33,155	28,532	61,687
3. परिवार कल्याण	6,215	–	6,215	7,981	15	7,996	7,510	15	7,525	8,033	15	8,048
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	22,996	5,881	28,877	33,946	6,468	40,414	36,310	6,512	42,822	39,106	7,154	46,260
5. आवास निर्माण	1,592	2,738	4,330	2,618	3,554	6,172	2,618	3,743	6,361	4,823	3,658	8,481
6. शहरी विकास	23,263	1,292	24,555	40,959	2,161	43,120	45,709	2,085	47,795	43,428	2,148	45,576
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	11,853	41,465	53,318	11,149	48,717	59,866	13,868	49,706	63,574	12,492	55,424	67,916
8. श्रम और श्रम कल्याण	998	1,976	2,974	2,730	2,806	5,536	2,578	2,749	5,327	3,863	3,217	7,081
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	13,734	12,827	26,561	21,639	15,013	36,652	25,332	18,144	43,476	102,820	16,837	119,657
10. पौष्टिक आहार	7,892	–	7,892	20,504	–	20,504	20,064	–	20,064	20,877	–	20,877
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	20,330	20,330	–	17,336	17,336	–	17,335	17,335	–	17,640	17,640
12. अन्य*	310	1,739	2,049	109	1,888	1,996	359	2,429	2,787	345	2,487	2,832
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**87,068**	**135,738**	**222,806**	**129,692**	**143,592**	**273,284**	**163,794**	**213,141**	**376,935**	**165,210**	**159,826**	**325,036**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	32,561	58,512	91,073	55,753	53,665	109,418	65,576	111,198	176,775	60,922	61,898	122,819
i) फसल कार्य	6,568	5,766	12,333	11,278	7,140	18,418	17,059	7,269	24,328	16,568	8,450	25,018
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	3	911	914	65	977	1,042	65	932	997	55	1,093	1,148
iii) पशु पालन	6,642	5,379	12,022	8,211	6,141	14,351	7,957	6,666	14,622	9,872	7,362	17,234
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	537	585	1,122	696	679	1,375	1,051	677	1,728	875	984	1,860
vi) वानिकी और वन्यजीवन	12,816	28,133	40,949	15,815	29,442	45,258	20,218	31,311	51,529	19,610	34,544	54,153
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	3,918	16,090	20,008	15,516	6,138	21,654	15,109	61,295	76,404	3,601	6,122	9,722
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,000	611	1,611	650	1,788	2,438	650	1,787	2,437	1,000	1,889	2,889
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	1,076	1,037	2,113	1,748	1,342	3,090	1,694	1,244	2,938	9,341	1,454	10,795
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	1,774	18	1,791	1,774	18	1,791	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	34,462	29,915	64,377	48,479	30,554	79,032	70,257	30,542	100,799	76,814	31,806	108,620
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	4,237	9,387	13,624	3,217	6,998	10,215	3,522	7,617	11,139	3,809	8,590	12,398
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1,658	8,223	9,881	–	5,901	5,901	–	6,110	6,110	–	7,307	7,307
ii) लघु सिंचाई	2,506	1,163	3,669	2,908	1,097	4,005	3,213	1,506	4,719	3,490	1,283	4,773
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	4,826	13,523	18,349	10,630	10,760	21,390	10,630	12,901	23,531	6,605	11,960	18,565
जिसमें से : बिजली	3,306	13,523	16,829	9,110	10,760	19,870	9,110	12,901	22,011	5,042	11,960	17,002
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	5,517	3,198	8,716	6,953	8,179	15,132	8,496	7,977	16,473	10,444	9,663	20,107
i) ग्राम और लघु उद्योग	3,113	2,024	5,136	2,814	2,324	5,138	2,920	2,246	5,166	4,232	2,656	6,888
ii) उद्योग@	2,405	1,175	3,579	4,139	5,856	9,995	5,577	5,705	11,282	6,213	6,982	13,195
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	25	25	–	25	25

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	2,671	20,381	23,052	1,836	32,281	34,117	2,467	41,770	44,237	2,772	34,464	37,236
i) सड़क और पुल	2,671	20,374	23,045	50	32,270	32,320	10	41,762	41,772	10	34,456	34,466
ii) अन्य @@	–	7	7	1,786	11	1,797	2,457	8	2,465	2,762	8	2,770
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	724	45	769	695	72	767	695	72	767	713	100	813
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,070	776	2,846	2,130	1,082	3,212	2,150	1,064	3,214	3,131	1,346	4,477
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	–	265	265	6	398	404	6	329	335	1	444	445
ii) पर्यटन	2,000	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	2,000	3,100	–	3,100
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	70	511	581	124	684	808	144	735	878	30	903	933
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**977**	**262,932**	**263,909**	**2,372**	**368,820**	**371,191**	**3,326**	**324,035**	**327,361**	**6,701**	**378,434**	**385,135**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**42**	**7,321**	**7,363**	**220**	**10,944**	**11,164**	**220**	**12,488**	**12,708**	**231**	**14,778**	**15,010**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**713**	**23,861**	**24,573**	**838**	**35,599**	**36,438**	**1,682**	**33,379**	**35,061**	**5,143**	**40,522**	**45,665**
i) कर और शुल्क वसूली	713	23,827	24,540	838	35,546	36,385	1,682	33,326	35,008	5,143	40,461	45,604
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	34	34	–	53	53	–	53	53	–	61	61
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**107,553**	**107,553**	**–**	**129,863**	**129,863**	**–**	**121,817**	**121,817**	**–**	**125,382**	**125,382**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	5,000	5,000	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	102,553	102,553	–	119,863	119,863	–	111,817	111,817	–	115,382	115,382
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	17,580	17,580	–	17,385	17,385	–	16,548	16,548	–	16,155	16,155
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	65,172	65,172	–	78,976	78,976	–	72,003	72,003	–	75,445	75,445
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	20,239	20,239	–	21,721	21,721	–	21,231	21,231	–	19,703	19,703
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	40,832	40,832	–	49,091	49,091	–	46,257	46,257	–	47,117	47,117
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	11,340	11,340	–	14,527	14,527	–	14,527	14,527	–	14,527	14,527
iv) अन्य	–	8,460	8,460	–	8,976	8,976	–	8,739	8,739	–	9,255	9,255
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**222**	**61,723**	**61,945**	**1,313**	**114,110**	**115,423**	**1,424**	**84,551**	**85,975**	**1,327**	**111,762**	**113,089**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	28	2,783	2,810	73	3,615	3,688	53	3,044	3,097	42	3,757	3,799
ii) जिला प्रशासन	–	5,022	5,022	–	6,636	6,636	–	5,924	5,924	–	7,038	7,038
iii) पुलिस	252	38,422	38,674	1,135	53,315	54,450	1,259	55,169	56,428	1,250	59,248	60,498
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	-151	7,446	7,295	–	11,242	11,242	–	10,807	10,807	–	10,592	10,592
v) अन्य ++	94	8,049	8,144	105	39,301	39,406	112	9,607	9,719	35	31,127	31,162
उ. पेन्शन	**–**	**62,469**	**62,469**	**–**	**78,288**	**78,288**	**–**	**71,788**	**71,788**	**–**	**85,978**	**85,978**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**6**	**6**	**–**	**16**	**16**	**–**	**11**	**11**	**–**	**11**	**11**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**1,900**	**45,740**	**47,640**	**–**	**39,650**	**39,650**	**–**	**52,173**	**52,173**	**–**	**39,935**	**39,935**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	1,900	45,740	47,640	–	39,650	39,650	–	52,173	52,173	–	39,935	39,935

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**48,226**	**198,605**	**246,831**	**56,381**	**282,610**	**338,991**	**65,504**	**225,555**	**291,059**	**72,642**	**255,747**	**328,389**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**47,747**	**120,532**	**168,279**	**55,052**	**121,645**	**176,697**	**64,574**	**139,666**	**204,240**	**71,447**	**146,884**	**218,331**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**32,976**	**50,159**	**83,135**	**37,392**	**53,493**	**90,885**	**43,590**	**56,470**	**100,060**	**46,879**	**61,941**	**108,820**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,524	27,990	40,514	8,438	30,060	38,498	10,440	31,784	42,224	10,894	33,885	44,779
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,645	9,654	13,298	4,076	9,721	13,797	4,197	10,546	14,742	4,598	11,609	16,207
3. परिवार कल्याण	250	–	250	320	–	320	320	–	320	355	–	355
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,191	8,410	10,601	2,126	9,308	11,434	2,385	9,601	11,986	2,838	10,962	13,800
5. आवास निर्माण	–	513	513	–	468	468	–	468	468	–	488	488
6. शहरी विकास	3,645	742	4,386	10,422	802	11,224	6,922	802	7,724	11,165	1,093	12,258
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	294	16	310	421	18	439	428	45	473	443	20	463
8. श्रम और श्रम कल्याण	606	859	1,465	550	969	1,519	584	969	1,552	648	1,034	1,682
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8,269	1,341	9,610	9,849	1,572	11,421	16,475	1,667	18,142	14,448	2,215	16,663
10. पौष्टिक आहार	280	60	340	295	80	375	295	80	375	464	80	544
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	375	375	–	262	262	–	263	263	–	284	284
12. अन्य*	1,272	198	1,470	895	233	1,128	1,545	245	1,790	1,027	271	1,298
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**14,771**	**70,373**	**85,144**	**17,659**	**68,153**	**85,812**	**20,983**	**83,196**	**104,179**	**24,568**	**84,943**	**109,511**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	4,369	2,612	6,981	4,950	3,034	7,984	5,508	3,027	8,535	5,486	3,211	8,697
i) फसल कार्य	1,255	690	1,945	1,422	768	2,190	1,522	768	2,290	1,753	830	2,583
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	68	55	124	84	62	146	84	62	146	80	65	145
iii) पशु पालन	377	617	994	516	632	1,148	536	632	1,168	524	715	1,239
iv) डेरी विकास	673	7	681	676	17	693	676	17	693	730	13	743
v) मत्स्य पालन	1,234	220	1,454	1,228	235	1,463	1,324	254	1,578	1,278	265	1,542
vi) वानिकी और वन्यजीवन	657	639	1,296	698	810	1,508	974	810	1,784	797	800	1,597
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	3	65	68	5	74	79	5	74	79	7	99	106
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	16	55	72	37	76	113	37	76	113	49	76	125
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	85	223	308	284	309	593	351	282	633	269	294	563
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	40	40	–	51	51	–	51	51	–	54	54
2. ग्रामीण विकास	2,898	1,668	4,567	2,869	1,915	4,784	2,869	1,915	4,784	3,572	2,279	5,850
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	286	–	286	222	–	222	313	–	313	263	–	263
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	539	2,066	2,606	1,286	2,029	3,315	1,326	2,344	3,670	1,255	2,503	3,758
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	900	900	623	962	1,585	623	969	1,592	443	1,077	1,519
ii) लघु सिंचाई	156	976	1,133	275	933	1,208	275	1,241	1,516	279	1,262	1,541
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	141	164	305	121	95	216	161	95	256	202	125	327
5. ऊर्जा	1,213	52,485	53,699	1,417	49,783	51,200	1,495	62,181	63,676	1,563	63,868	65,431
जिसमें से : बिजली	1,181	52,485	53,667	1,417	49,754	51,171	1,467	62,181	63,648	1,530	63,868	65,398
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,246	509	2,754	3,629	518	4,147	6,128	517	6,646	8,215	730	8,945
i) ग्राम और लघु उद्योग	715	421	1,136	1,754	414	2,168	1,254	414	1,668	1,861	619	2,479
ii) उद्योग@	1,530	88	1,618	1,650	104	1,754	4,649	104	4,753	6,117	111	6,228
iii) अन्य**	–	–	–	225	–	225	225	–	225	237	–	237

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	597	9,998	10,595	730	9,564	10,294	730	11,829	12,559	1,103	10,910	12,013
i) सड़क और पुल	43	7,479	7,523	66	7,163	7,229	66	9,344	9,410	16	8,266	8,282
ii) अन्य @@	554	2,519	3,073	664	2,401	3,065	664	2,485	3,149	1,087	2,645	3,732
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	196	–	196	380	–	380	430	–	430	448	–	448
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,426	1,034	3,460	2,176	1,310	3,486	2,183	1,382	3,566	2,663	1,442	4,105
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	10	463	473	10	646	656	10	700	710	16	713	729
ii) पर्यटन	2,322	224	2,545	2,049	263	2,312	2,049	263	2,312	2,526	293	2,819
iii) नागरिक आपूर्ति	2	105	107	3	123	126	10	136	146	5	146	151
iv) अन्य +	93	242	335	114	278	392	114	284	398	116	290	407
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**479**	**78,073**	**78,552**	**1,329**	**160,965**	**162,294**	**930**	**85,889**	**86,819**	**1,195**	**108,863**	**110,058**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**80**	**2,501**	**2,581**	**76**	**3,044**	**3,120**	**76**	**3,629**	**3,705**	**85**	**3,005**	**3,090**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**116**	**1,236**	**1,352**	**695**	**1,532**	**2,227**	**446**	**1,549**	**1,995**	**660**	**1,726**	**2,386**
i) कर और शुल्क वसूली	116	1,224	1,340	695	1,523	2,218	446	1,540	1,986	660	1,717	2,377
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	12	12	–	9	9	–	9	9	–	9	9
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**44,681**	**44,681**	**–**	**51,700**	**51,700**	**–**	**47,200**	**47,200**	**–**	**57,900**	**57,900**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	3,000	3,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	42,681	42,681	–	49,700	49,700	–	45,200	45,200	–	54,900	54,900
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	5,539	5,539	–	5,237	5,237	–	3,737	3,737	–	4,188	4,188
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	30,995	30,995	–	38,130	38,130	–	35,130	35,130	–	43,499	43,499
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	8,765	8,765	–	9,686	9,686	–	9,686	9,686	–	15,557	15,557
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	20,527	20,527	–	26,385	26,385	–	23,385	23,385	–	26,000	26,000
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	4,756	4,756	–	5,110	5,110	–	5,111	5,111	–	5,935	5,935
iv) अन्य	–	1,391	1,391	–	1,223	1,223	–	1,223	1,223	–	1,278	1,278
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**154**	**14,764**	**14,918**	**483**	**17,053**	**17,536**	**333**	**18,438**	**18,771**	**440**	**19,021**	**19,461**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	1,041	1,041	–	963	963	–	1,173	1,173	–	1,134	1,134
ii) जिला प्रशासन	–	958	958	–	1,322	1,322	–	1,322	1,322	–	1,365	1,365
iii) पुलिस	–	7,831	7,831	–	9,299	9,299	–	9,299	9,299	–	9,959	9,959
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	102	2,750	2,853	300	3,029	3,329	312	3,934	4,246	318	3,574	3,891
v) अन्य ++	52	2,184	2,236	183	2,440	2,623	21	2,710	2,731	122	2,989	3,111
उ. पेन्शन	**–**	**14,749**	**14,749**	**–**	**18,975**	**18,975**	**–**	**14,729**	**14,729**	**–**	**26,875**	**26,875**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**130**	**142**	**271**	**75**	**68,661**	**68,736**	**75**	**345**	**420**	**11**	**336**	**347**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	25	25	–	68,356	68,356	–	40	40	–	31	31
III. सहायता अनुदान और अंशदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**535,767**	**2,387,448**	**2,923,215**	**682,070**	**2,449,265**	**3,131,335**	**778,595**	**2,485,359**	**3,263,954**	**1,001,341**	**2,821,234**	**3,822,575**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**520,039**	**1,177,881**	**1,697,920**	**660,086**	**1,091,022**	**1,751,107**	**762,912**	**1,164,675**	**1,927,587**	**969,831**	**1,282,178**	**2,252,009**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**315,096**	**736,335**	**1,051,431**	**385,985**	**626,147**	**1,012,132**	**463,385**	**670,494**	**1,133,879**	**554,439**	**818,249**	**1,372,689**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	41,901	430,754	472,655	64,884	413,426	478,310	62,292	437,673	499,966	86,757	451,118	537,875
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	29,323	66,499	95,822	39,191	63,603	102,794	38,918	66,850	105,767	52,467	65,221	117,688
3. परिवार कल्याण	2,797	10,526	13,324	4,556	10,782	15,338	7,063	11,048	18,112	9,507	11,202	20,709
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	22,386	8,786	31,172	30,030	9,236	39,266	29,519	9,274	38,792	42,665	8,685	51,350
5. आवास निर्माण	25,168	7,373	32,541	27,248	8,585	35,833	28,617	8,810	37,427	30,582	9,589	40,171
6. शहरी विकास	95,990	32,961	128,951	115,899	22,846	138,746	189,133	27,902	217,035	198,466	161,670	360,136
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	47,659	22,976	70,635	52,068	22,325	74,393	53,425	25,596	79,021	61,939	24,378	86,317
8. श्रम और श्रम कल्याण	5,351	10,413	15,764	7,154	11,211	18,366	7,023	11,521	18,544	11,549	14,263	25,812
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	14,541	8,653	23,194	15,864	7,562	23,426	16,017	13,444	29,462	23,070	7,644	30,714
10. पौष्टिक आहार	28,502	17,362	45,864	26,700	22,580	49,280	29,220	22,688	51,908	34,251	26,286	60,537
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	115,511	115,511	–	29,988	29,988	–	29,988	29,988	–	32,713	32,713
12. अन्य*	1,478	4,520	5,999	2,390	4,001	6,391	2,158	5,700	7,857	3,186	5,480	8,667
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**204,942**	**441,546**	**646,488**	**274,101**	**464,875**	**738,976**	**299,527**	**494,181**	**793,709**	**415,391**	**463,929**	**879,321**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	44,718	56,014	100,732	66,453	60,060	126,513	80,721	73,351	154,072	98,836	66,651	165,487
i) फसल कार्य	18,173	16,389	34,562	31,780	19,654	51,434	39,203	20,214	59,417	39,818	19,592	59,410
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	11,984	618	12,603	13,918	741	14,659	18,884	800	19,684	24,150	975	25,125
iii) पशु पालन	3,752	6,099	9,851	6,416	6,465	12,882	6,367	6,868	13,236	8,958	6,488	15,446
iv) डेरी विकास	710	351	1,061	2,942	45	2,987	2,478	290	2,767	2,440	45	2,485
v) मत्स्य पालन	1,485	4,512	5,997	2,450	6,189	8,639	2,417	15,711	18,128	4,999	9,712	14,711
vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,897	13,449	16,346	3,529	12,852	16,381	4,302	14,292	18,594	5,230	14,087	19,317
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	504	1,448	1,952	810	1,454	2,264	769	1,486	2,255	907	1,595	2,501
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,010	9,246	12,256	2,859	8,871	11,730	3,564	9,776	13,340	9,801	10,128	19,929
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	1,697	3,748	5,445	1,245	3,642	4,887	2,232	3,760	5,992	2,010	3,870	5,880
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	505	153	658	505	146	651	505	155	660	523	160	683
2. ग्रामीण विकास	71,943	24,005	95,948	86,017	20,361	106,378	93,005	20,797	113,803	109,984	21,653	131,637
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	523	2,429	2,952	648	2,293	2,941	436	2,432	2,868	722	2,458	3,179
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	13,152	38,979	52,131	15,786	31,508	47,294	26,155	33,658	59,814	32,994	33,243	66,238
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	567	31,989	32,556	2,965	25,969	28,934	1,253	27,693	28,946	6,035	27,633	33,668
ii) लघु सिंचाई	11,812	6,041	17,853	11,885	5,169	17,054	23,606	5,587	29,193	22,013	5,234	27,246
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	219	938	1,157	320	369	689	485	378	862	3,475	379	3,854
5. ऊर्जा	23,025	177,311	200,336	12,689	214,254	226,943	14,699	223,329	238,028	27,895	215,329	243,224
जिसमें से : बिजली	22,941	177,311	200,252	12,605	214,254	226,859	14,615	223,329	237,944	27,695	215,329	243,024
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	24,129	4,433	28,562	38,880	6,189	45,069	31,814	6,454	38,268	68,430	5,533	73,962
i) ग्राम और लघु उद्योग	11,745	2,332	14,077	16,402	2,891	19,293	14,843	3,196	18,040	29,308	2,679	31,987
ii) उद्योग@	12,384	2,094	14,478	22,478	3,293	25,771	16,971	3,251	20,222	39,122	2,846	41,968
iii) अन्य**	–	7	7	–	5	5	–	7	7	–	8	8

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	10,360	119,463	129,823	35,182	110,314	145,496	35,069	113,105	148,175	56,901	98,644	155,545
i) सड़क और पुल	10,360	83,695	94,055	35,182	74,576	109,758	35,069	76,761	111,830	56,901	78,511	135,412
ii) अन्य @@	–	35,768	35,768	–	35,738	35,738	–	36,345	36,345	–	20,133	20,133
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	4,414	110	4,524	3,024	111	3,135	2,814	144	2,958	1,811	80	1,891
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	12,678	18,802	31,480	15,421	19,785	35,206	14,813	20,910	35,723	17,818	20,338	38,156
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	1,371	3,030	4,401	2,141	2,994	5,136	2,034	3,538	5,572	2,467	3,395	5,863
ii) पर्यटन	10,386	195	10,581	10,448	18	10,466	10,049	13	10,061	10,437	15	10,452
iii) नागरिक आपूर्ति	516	13,766	14,282	712	15,060	15,772	621	15,388	16,009	2,942	15,121	18,063
iv) अन्य +	406	1,811	2,216	2,119	1,713	3,833	2,110	1,971	4,081	1,972	1,806	3,779
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**15,729**	**1,196,325**	**1,212,053**	**21,984**	**1,348,207**	**1,370,191**	**15,682**	**1,305,934**	**1,321,617**	**31,510**	**1,528,934**	**1,560,444**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**98**	**21,564**	**21,662**	**808**	**25,933**	**26,741**	**335**	**31,636**	**31,971**	**1,268**	**22,200**	**23,467**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**390**	**19,679**	**20,069**	**825**	**19,045**	**19,870**	**595**	**23,747**	**24,343**	**3,419**	**21,161**	**24,580**
i) कर और शुल्क वसूली	390	19,472	19,862	825	18,819	19,644	595	23,513	24,108	3,419	20,992	24,411
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	207	207	–	226	226	–	235	235	–	169	169
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**4,315**	**768,863**	**773,178**	**–**	**862,546**	**862,546**	**–**	**831,709**	**831,709**	**–**	**865,937**	**865,937**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	80,000	80,000	–	88,000	88,000	–	90,000	90,000	–	50,000	50,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	4,315	688,863	693,178	–	774,546	774,546	–	741,709	741,709	–	815,937	815,937
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	86,031	86,031	–	95,960	95,960	–	87,339	87,339	–	85,699	85,699
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	533,514	533,514	–	605,338	605,338	–	572,791	572,791	–	652,741	652,741
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	118,640	118,640	–	122,695	122,695	–	118,578	118,578	–	173,209	173,209
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	396,590	396,590	–	462,045	462,045	–	432,137	432,137	–	451,676	451,676
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	33,382	33,382	–	36,954	36,954	–	36,816	36,816	–	38,703	38,703
iv) अन्य	4,315	35,936	40,251	–	36,294	36,294	–	44,763	44,763	–	38,794	38,794
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**10,925**	**131,151**	**142,076**	**20,352**	**134,072**	**154,424**	**14,752**	**151,788**	**166,540**	**26,823**	**144,590**	**171,413**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	4,276	4,738	9,014	6,705	4,659	11,363	5,576	5,040	10,616	5,428	5,019	10,446
ii) जिला प्रशासन	752	8,767	9,518	954	8,610	9,564	845	8,733	9,578	1,231	9,198	10,428
iii) पुलिस	1,624	88,923	90,547	9,946	88,329	98,275	6,592	103,057	109,649	12,017	97,327	109,345
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	1	12,474	12,475	151	15,959	16,110	151	17,242	17,393	351	15,836	16,187
v) अन्य ++	4,274	16,249	20,522	2,596	16,515	19,111	1,588	17,716	19,304	7,797	17,210	25,007
उ. पेन्शन	**–**	**239,600**	**239,600**	**–**	**231,440**	**231,440**	**–**	**256,894**	**256,894**	**–**	**304,880**	**304,880**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**15,468**	**15,468**	**–**	**75,171**	**75,171**	**–**	**10,160**	**10,160**	**–**	**170,166**	**170,166**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**13,242**	**13,242**	**–**	**10,036**	**10,036**	**–**	**14,750**	**14,750**	**–**	**10,121**	**10,121**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	13,242	13,242	–	10,036	10,036	–	14,750	14,750	–	10,121	10,121

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**245,412**	**1,390,804**	**1,636,216**	**315,087**	**1,361,768**	**1,676,855**	**341,464**	**1,472,036**	**1,813,500**	**413,655**	**1,614,429**	**2,028,084**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**241,692**	**882,537**	**1,124,229**	**311,101**	**808,358**	**1,119,459**	**337,032**	**917,062**	**1,254,094**	**408,865**	**882,628**	**1,291,493**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**158,492**	**303,048**	**461,540**	**212,941**	**342,954**	**555,895**	**234,308**	**362,359**	**596,668**	**272,671**	**371,868**	**644,539**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	46,283	182,924	229,208	73,745	217,453	291,198	81,408	216,253	297,661	102,930	230,016	332,946
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	10,613	30,428	41,041	11,835	36,826	48,662	10,354	37,586	47,940	16,349	40,224	56,573
3. परिवार कल्याण	5,615	–	5,615	6,225	–	6,225	6,225	–	6,225	6,867	–	6,867
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	884	38,368	39,252	705	39,929	40,634	705	48,236	48,941	1,760	43,834	45,594
5. आवास निर्माण	–	1,839	1,839	–	1,154	1,154	–	1,259	1,259	–	1,365	1,365
6. शहरी विकास	7,905	6,561	14,466	20,313	6,643	26,956	31,416	6,816	38,232	29,163	10,835	39,998
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	9,181	3,214	12,395	13,320	3,629	16,949	12,948	3,084	16,032	17,036	3,159	20,194
8. श्रम और श्रम कल्याण	2,930	7,478	10,409	2,327	8,994	11,320	2,199	8,785	10,984	3,097	9,178	12,274
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	67,043	8,333	75,376	68,992	10,321	79,313	72,761	11,447	84,208	78,319	11,354	89,673
10. पौष्टिक आहार	7,523	49	7,571	14,530	49	14,579	14,769	50	14,819	14,650	51	14,701
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	21,680	21,680	–	15,750	15,750	–	26,496	26,496	–	19,436	19,436
12. अन्य*	514	2,175	2,689	950	2,205	3,155	1,524	2,347	3,871	2,500	2,417	4,917
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**83,201**	**579,488**	**662,689**	**98,160**	**465,404**	**563,565**	**102,724**	**554,702**	**657,426**	**136,194**	**510,760**	**646,955**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	23,769	38,722	62,491	29,425	46,940	76,365	25,517	97,697	123,214	40,596	45,705	86,301
i) फसल कार्य	5,151	7,193	12,344	11,326	7,694	19,021	8,224	7,794	16,018	10,526	8,259	18,785
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	470	1,703	2,173	550	1,806	2,356	550	1,850	2,400	1,030	1,960	2,990
iii) पशु पालन	2,116	12,140	14,256	2,945	13,430	16,375	2,634	13,483	16,117	10,706	13,716	24,422
iv) डेरी विकास	177	82	259	265	97	362	152	79	231	200	88	288
v) मत्स्य पालन	751	425	1,176	862	799	1,660	627	798	1,425	1,207	845	2,052
vi) वानिकी और वन्यजीवन	12,379	4,383	16,762	10,299	4,758	15,057	10,299	5,014	15,312	11,600	5,230	16,830
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	523	523	–	499	499	–	542	542	–	1,262	1,262
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	803	10,073	10,875	2,014	10,494	12,508	2,014	10,829	12,843	3,423	10,619	14,042
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	1,923	2,111	4,034	1,164	7,261	8,425	1,018	57,206	58,224	1,905	3,619	5,524
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	88	88	–	102	102	–	102	102	–	108	108
2. ग्रामीण विकास	17,551	14,989	32,540	21,334	19,311	40,645	39,787	19,536	59,323	42,621	20,536	63,157
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	11,446	43,752	55,198	23,380	57,986	81,366	19,994	70,645	90,639	22,557	62,365	84,922
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	5,959	43,338	49,297	11,300	56,837	68,137	12,300	69,482	81,782	12,700	61,141	73,841
ii) लघु सिंचाई	–	414	414	–	1,149	1,149	–	1,163	1,163	–	1,224	1,224
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	400	375,836	376,236	432	230,757	231,189	1,862	256,669	258,531	1,118	266,200	267,318
जिसमें से : बिजली	–	375,820	375,820	–	230,340	230,340	1,430	256,252	257,682	643	265,768	266,411
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	14,469	1,684	16,153	5,357	2,536	7,893	5,796	2,693	8,489	6,230	2,609	8,839
i) ग्राम और लघु उद्योग	13,036	179	13,215	3,413	324	3,736	3,908	404	4,312	4,191	339	4,530
ii) उद्योग@	1,433	1,504	2,938	1,945	2,212	4,157	1,888	2,289	4,177	2,039	2,270	4,309
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	12,715	102,859	115,573	7,200	105,864	113,064	5,200	105,407	110,607	12,200	111,291	123,491
i) सड़क और पुल	12,510	32,991	45,500	7,000	31,679	38,679	5,000	31,494	36,494	12,000	32,994	44,994
ii) अन्य @@	205	69,868	70,073	200	74,186	74,386	200	73,913	74,113	200	78,297	78,497
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	790	48	837	676	158	834	745	164	910	560	166	726
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,061	1,599	3,660	10,357	1,852	12,209	3,822	1,892	5,713	10,313	1,889	12,201
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,004	722	2,725	10,341	775	11,115	3,780	822	4,602	10,296	809	11,105
ii) पर्यटन	–	103	103	–	184	184	–	185	185	–	188	188
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	58	775	832	17	893	909	42	885	927	17	892	908
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**3,720**	**480,786**	**484,505**	**3,986**	**520,201**	**524,187**	**4,432**	**521,028**	**525,460**	**4,790**	**712,474**	**717,264**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**70**	**13,625**	**13,695**	**100**	**13,862**	**13,962**	**192**	**16,103**	**16,295**	**210**	**16,206**	**16,416**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**27**	**13,354**	**13,381**	**75**	**13,926**	**14,001**	**63**	**14,773**	**14,836**	**49**	**15,062**	**15,111**
i) कर और शुल्क वसूली	27	13,108	13,135	75	13,432	13,507	63	14,477	14,540	49	14,764	14,813
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	246	246	–	494	494	–	296	296	–	298	298
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**231,606**	**231,606**	**–**	**255,517**	**255,517**	**–**	**240,915**	**240,915**	**–**	**258,349**	**258,349**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	5,100	5,100	–	5,402	5,402	–	4,997	4,997	–	4,744	4,744
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	226,506	226,506	–	250,115	250,115	–	235,918	235,918	–	253,605	253,605
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	15,333	15,333	–	17,142	17,142	–	16,691	16,691	–	16,281	16,281
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	165,000	165,000	–	181,734	181,734	–	168,454	168,454	–	182,955	182,955
जिसमें से :		164,999										
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	41,829	41,829	–	46,041	46,041	–	40,419	40,419	–	47,559	47,559
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	98,016	98,016	–	102,961	102,961	–	103,682	103,682	–	103,829	103,829
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	43,687	43,687	–	48,397	48,397	–	47,689	47,689	–	51,070	51,070
iv) अन्य	–	2,487	2,487	–	2,841	2,841	–	3,084	3,084	–	3,299	3,299
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**3,622**	**104,037**	**107,659**	**3,811**	**113,832**	**117,643**	**4,177**	**117,700**	**121,877**	**4,531**	**122,266**	**126,797**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	4,162	4,162	–	4,041	4,041	–	4,582	4,582	–	4,484	4,484
ii) जिला प्रशासन	–	5,398	5,398	–	5,662	5,662	–	6,383	6,383	–	6,354	6,354
iii) पुलिस	–	69,035	69,035	–	76,686	76,686	–	77,454	77,454	–	81,657	81,657
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	3,562	14,691	18,253	3,745	16,372	20,117	4,109	16,442	20,551	4,330	17,340	21,670
v) अन्य ++	60	10,751	10,811	66	11,070	11,136	68	12,839	12,907	201	12,431	12,632
उ. पेन्शन	**–**	**117,333**	**117,333**	**–**	**122,469**	**122,469**	**–**	**131,400**	**131,400**	**–**	**180,000**	**180,000**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**831**	**831**	**–**	**595**	**595**	**–**	**138**	**138**	**–**	**120,592**	**120,592**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	46	46	–	16	16	–	23	23	–	18	18
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**27,481**	**27,481**	**–**	**33,209**	**33,209**	**–**	**33,946**	**33,946**	**–**	**19,326**	**19,326**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	27,481	27,481	–	33,209	33,209	–	33,946	33,946	–	19,326	19,326

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**129,766**	**634,644**	**764,411**	**118,840**	**636,720**	**755,560**	**115,671**	**674,866**	**790,537**	**77,939**	**854,841**	**932,780**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**126,959**	**307,179**	**434,139**	**116,861**	**305,710**	**422,571**	**113,692**	**326,030**	**439,723**	**74,838**	**465,550**	**540,388**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**80,699**	**177,896**	**258,595**	**69,034**	**195,518**	**264,552**	**65,846**	**206,376**	**272,222**	**36,542**	**300,212**	**336,754**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	22,337	110,112	132,450	19,811	129,142	148,953	19,811	133,067	152,878	8,108	183,589	191,697
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	18,584	16,957	35,540	18,561	16,953	35,514	18,532	19,382	37,914	2,822	40,623	43,445
3. परिवार कल्याण	3,942	263	4,206	3,480	280	3,760	321	3,439	3,761	189	4,603	4,792
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	17,258	27,779	45,037	4,137	28,634	32,771	4,137	28,669	32,806	2,905	39,335	42,240
5. आवास निर्माण	1,817	518	2,336	1,847	346	2,193	1,847	546	2,393	1,832	354	2,186
6. शहरी विकास	1,834	2,664	4,497	1,607	3,357	4,964	1,607	3,751	5,358	1,514	4,914	6,429
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2,146	554	2,700	3,277	594	3,871	3,277	607	3,884	5,178	764	5,941
8. श्रम और श्रम कल्याण	203	1,657	1,861	345	1,680	2,025	345	1,852	2,196	169	2,622	2,791
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	10,663	3,160	13,823	13,457	2,638	16,095	13,457	2,729	16,186	10,701	10,411	21,111
10. पौष्टिक आहार	1,486	–	1,486	943	–	943	943	433	1,376	2,260	40	2,300
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	12,874	12,874	–	10,665	10,665	–	10,665	10,665	–	10,987	10,987
12. अन्य*	429	1,357	1,786	1,569	1,229	2,798	1,569	1,236	2,804	864	1,971	2,835
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**46,261**	**129,283**	**175,544**	**47,827**	**110,192**	**158,019**	**47,846**	**119,654**	**167,501**	**38,296**	**165,338**	**203,634**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	22,390	27,425	49,815	22,934	24,073	47,007	22,935	31,719	54,654	23,536	47,292	70,828
i) फसल कार्य	3,162	6,496	9,658	3,703	6,402	10,105	3,703	6,617	10,320	3,176	8,317	11,494
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	2,296	1,333	3,630	1,616	1,347	2,963	1,616	1,360	2,976	1,492	1,867	3,359
iii) पशु पालन	1,158	6,721	7,879	1,537	6,343	7,880	1,537	6,353	7,890	1,091	9,312	10,404
iv) डेरी विकास	121	232	353	85	243	328	85	665	750	50	934	984
v) मत्स्य पालन	137	440	577	133	423	556	133	432	565	165	622	787
vi) वानिकी और वन्यजीवन	10,230	9,637	19,867	10,339	7,468	17,807	10,339	11,500	21,839	10,943	14,941	25,884
vii) बागान	5	53	58	7	50	57	7	50	57	11	64	75
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	38	630	668	25	518	543	25	2,918	2,944	34	9,575	9,609
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	4,754	597	5,351	5,385	–	5,385	5,385	518	5,903	6,505	–	6,505
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	489	1,286	1,775	104	1,279	1,383	104	1,306	1,411	68	1,658	1,726
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	4,824	10,084	14,908	7,088	9,727	16,815	7,088	10,673	17,761	9,898	15,746	25,644
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	26	12,918	12,944	253	12,881	13,134	254	13,172	13,425	339	17,803	18,142
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	550	550	–	263	263	–	262	262	–	726	726
ii) लघु सिंचाई	-8	12,346	12,338	200	12,596	12,796	200	12,887	13,087	-626	17,055	16,429
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	25	22	47	30	22	52	30	22	52	–	22	22
5. ऊर्जा	6,682	24,762	31,444	6,157	13,227	19,384	6,157	13,271	19,428	549	14,274	14,823
जिसमें से : बिजली	6,555	24,627	31,182	5,850	13,091	18,941	5,850	13,135	18,985	355	14,100	14,455
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,557	1,564	4,121	2,550	1,494	4,044	2,550	1,964	4,514	3,097	2,088	5,185
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,477	1,042	3,518	2,479	973	3,452	2,479	1,090	3,569	2,996	1,402	4,398
ii) उद्योग@	81	522	603	71	521	592	71	873	944	101	686	787
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	567	50,667	51,234	1,268	46,710	47,978	1,268	46,747	48,015	215	64,807	65,022
i) सड़क और पुल	377	45,194	45,571	1,237	41,840	43,077	1,237	41,863	43,100	200	59,050	59,250
ii) अन्य @@	190	5,473	5,663	31	4,870	4,901	31	4,884	4,915	15	5,757	5,772
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	181	36	217	144	39	183	144	39	183	–	200	200
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	9,033	1,828	10,861	7,433	2,041	9,474	7,451	2,071	9,522	662	3,129	3,790
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	8,448	623	9,071	7,023	612	7,635	7,023	612	7,635	150	1,301	1,451
ii) पर्यटन	533	53	586	405	175	580	405	185	591	510	214	724
iii) नागरिक आपूर्ति	17	646	663	–	683	683	–	692	692	–	873	873
iv) अन्य +	34	507	541	5	571	576	22	582	604	2	740	742
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**2,807**	**327,178**	**329,985**	**1,979**	**330,694**	**332,673**	**1,979**	**348,520**	**350,499**	**3,102**	**388,943**	**392,045**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**143**	**6,772**	**6,916**	**213**	**6,608**	**6,821**	**213**	**8,200**	**8,413**	**–**	**8,642**	**8,642**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**477**	**9,360**	**9,837**	**147**	**8,819**	**8,966**	**147**	**9,009**	**9,156**	**505**	**11,397**	**11,902**
i) कर और शुल्क वसूली	477	9,252	9,729	147	8,726	8,873	147	8,916	9,063	505	11,292	11,796
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	108	108	–	93	93	–	94	94	–	105	105
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**166,943**	**166,943**	**–**	**177,248**	**177,248**	**–**	**173,701**	**173,701**	**–**	**182,910**	**182,910**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	166,943	166,943	–	177,248	177,248	–	173,701	173,701	–	182,910	182,910
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	8,271	8,271	–	8,192	8,192	–	7,735	7,735	–	7,359	7,359
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	131,031	131,031	–	139,046	139,046	–	134,356	134,356	–	140,669	140,669
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	37,425	37,425	–	39,603	39,603	–	36,665	36,665	–	45,728	45,728
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	27,641	27,641	–	30,010	30,010	–	31,610	31,610	–	34,882	34,882
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**2,187**	**52,071**	**54,257**	**1,619**	**49,236**	**50,855**	**1,619**	**51,784**	**53,403**	**2,597**	**64,436**	**67,033**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	2,944	2,944	–	2,796	2,796	–	2,897	2,897	–	3,526	3,526
ii) जिला प्रशासन	1,987	5,051	7,038	1,464	4,990	6,454	1,464	5,168	6,632	2,551	6,363	8,914
iii) पुलिस	–	22,191	22,191	–	20,877	20,877	–	21,952	21,952	–	29,523	29,523
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	75	13,269	13,343	20	12,664	12,684	20	13,176	13,196	21	15,702	15,723
v) अन्य ++	125	8,616	8,741	135	7,909	8,044	135	8,590	8,725	25	9,322	9,347
उ. पेन्शन	**–**	**91,177**	**91,177**	**–**	**88,000**	**88,000**	**–**	**104,880**	**104,880**	**–**	**120,612**	**120,612**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**855**	**855**	**–**	**783**	**783**	**–**	**947**	**947**	**–**	**946**	**946**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**287**	**287**	**–**	**316**	**316**	**–**	**316**	**316**	**–**	**347**	**347**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	287	287	–	316	316	–	316	316	–	347	347

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**79,389**	**927,295**	**1,006,684**	**53,711**	**1,007,874**	**1,061,586**	**53,886**	**1,114,618**	**1,168,504**	**72,742**	**1,119,978**	**1,192,719**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**78,781**	**514,391**	**593,172**	**53,259**	**558,266**	**611,525**	**53,652**	**587,684**	**641,335**	**72,429**	**624,735**	**697,163**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**52,756**	**238,149**	**290,905**	**40,863**	**235,369**	**276,232**	**42,682**	**256,913**	**299,595**	**56,025**	**270,779**	**326,804**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	16,822	103,637	120,459	18,974	110,134	129,108	23,230	115,115	138,345	33,251	121,012	154,263
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	11,400	42,468	53,868	864	55,571	56,435	1,650	59,565	61,215	2,887	67,933	70,820
3. परिवार कल्याण	2,800	–	2,800	2,800	–	2,800	570	739	1,309	580	759	1,339
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	8,253	27,037	35,290	–	36,904	36,904	300	40,803	41,103	300	41,762	42,062
5. आवास निर्माण	–	3,046	3,046	3,060	–	3,060	–	3,275	3,275	–	3,339	3,339
6. शहरी विकास	3,828	13,559	17,387	4,109	13,614	17,723	2,042	15,873	17,915	2,435	15,367	17,802
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,796	432	2,228	1,982	455	2,436	1,607	472	2,080	1,844	456	2,299
8. श्रम और श्रम कल्याण	270	669	938	440	762	1,201	343	757	1,100	567	867	1,434
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,205	7,543	13,748	7,115	6,090	13,205	11,077	6,901	17,978	12,133	6,709	18,842
10. पौष्टिक आहार	1,217	57	1,273	1,340	65	1,405	1,641	157	1,798	1,798	174	1,972
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	37,355	37,355	–	9,187	9,187	–	10,535	10,535	–	9,467	9,467
12. अन्य*	166	2,346	2,512	180	2,587	2,767	222	2,721	2,943	230	2,934	3,164
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**26,025**	**276,242**	**302,267**	**12,396**	**322,898**	**335,293**	**10,969**	**330,771**	**341,740**	**16,404**	**353,956**	**370,360**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	14,373	45,206	59,579	484	60,700	61,184	816	66,571	67,387	1,298	71,554	72,852
i) फसल कार्य	6,881	4,831	11,712	25	11,824	11,849	612	13,604	14,216	670	14,372	15,042
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	263	1,926	2,189	–	2,434	2,434	–	2,690	2,690	200	3,134	3,334
iii) पशु पालन	2,776	11,869	14,645	145	14,551	14,696	70	15,449	15,519	272	16,979	17,251
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	10	1,927	1,937	10	2,053	2,063	12	2,152	2,164	12	2,303	2,315
vi) वानिकी और वन्यजीवन	242	20,557	20,799	242	21,637	21,879	60	22,938	22,998	60	24,886	24,946
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	56	–	56	62	–	62	62	–	62	68	–	68
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,620	2,287	5,907	–	5,695	5,695	–	7,088	7,088	17	6,984	7,001
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	171	1,332	1,503	–	1,671	1,671	–	1,621	1,621	–	1,834	1,834
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	355	476	831	–	834	834	–	1,028	1,028	–	1,063	1,063
2. ग्रामीण विकास	5,541	6,296	11,837	5,366	8,131	13,496	4,741	8,610	13,351	5,688	9,229	14,916
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	929	929	–	1,268	1,268	–	1,171	1,171	–	1,303	1,303
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	539	20,414	20,953	10	24,079	24,089	30	23,552	23,582	30	24,108	24,138
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	3,751	3,751	–	4,745	4,745	20	4,687	4,707	20	4,811	4,831
ii) लघु सिंचाई	–	12,638	12,638	–	14,220	14,220	–	13,876	13,876	–	14,449	14,449
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	3,517	3,517	–	4,074	4,074	–	3,754	3,754	–	3,534	3,534
5. ऊर्जा	–	185,453	185,453	–	205,402	205,402	–	206,403	206,403	–	221,245	221,245
जिसमें से : बिजली	–	185,453	185,453	–	205,402	205,402	–	206,403	206,403	–	221,245	221,245
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	4,257	7,778	12,035	134	12,703	12,837	84	12,772	12,856	93	14,401	14,494
i) ग्राम और लघु उद्योग	3,912	6,860	10,772	134	11,077	11,211	84	11,395	11,479	93	12,611	12,704
ii) उद्योग@	345	918	1,263	–	1,626	1,626	–	1,377	1,377	–	1,790	1,790
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	4	3,687	3,691	–	3,697	3,697	–	4,344	4,344	–	4,349	4,349
i) सड़क और पुल	–	3,687	3,687	–	3,697	3,697	–	4,344	4,344	–	4,349	4,349
ii) अन्य @@	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	838	838	–	968	968	–	887	887	10	982	992
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,311	5,640	6,951	6,402	5,950	12,352	5,298	6,461	11,759	9,285	6,785	16,070
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	947	1,600	2,547	1,809	1,841	3,650	2,659	1,913	4,572	3,000	1,999	4,999
ii) पर्यटन	190	3,041	3,231	452	2,986	3,438	459	3,331	3,790	565	3,513	4,078
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	175	999	1,174	4,141	1,123	5,265	2,180	1,217	3,398	5,720	1,272	6,992
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**608**	**412,903**	**413,511**	**452**	**449,608**	**450,060**	**234**	**526,935**	**527,169**	**313**	**495,243**	**495,556**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**100**	**7,922**	**8,022**	**100**	**10,973**	**11,073**	**–**	**9,109**	**9,109**	**–**	**12,577**	**12,577**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**–**	**6,779**	**6,779**	**–**	**8,123**	**8,123**	**–**	**8,406**	**8,406**	**–**	**9,333**	**9,333**
i) कर और शुल्क वसूली	–	6,737	6,737	–	7,769	7,769	–	8,299	8,299	–	9,279	9,279
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	42	42	–	354	354	–	108	108	–	54	54
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**120,209**	**120,209**	**–**	**125,225**	**125,225**	**–**	**203,236**	**203,236**	**–**	**160,055**	**160,055**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	100	100	–	100	100	–	100	100	–	100	100
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	120,109	120,109	–	125,125	125,125	–	203,136	203,136	–	159,955	159,955
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	18,990	18,990	–	14,088	14,088
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	100,962	100,962	–	62,312	62,312
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	22,500	22,500	–	20,000	20,000
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	66,841	66,841	–	30,075	30,075
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	37,723	37,723	–	41,677	41,677
iv) अन्य	–	120,109	120,109	–	125,125	125,125	–	45,461	45,461	–	41,878	41,878
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**508**	**176,989**	**177,498**	**352**	**207,083**	**207,435**	**234**	**201,176**	**201,410**	**313**	**218,270**	**218,583**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	263	2,160	2,423	250	2,787	3,037	128	2,661	2,789	201	3,084	3,285
ii) जिला प्रशासन	–	3,165	3,165	–	3,594	3,594	–	3,644	3,644	–	3,985	3,985
iii) पुलिस	–	137,030	137,030	–	144,053	144,053	–	154,145	154,145	–	148,352	148,352
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	15,915	15,915	–	16,352	16,352	–	18,639	18,639	–	20,242	20,242
v) अन्य ++	245	18,720	18,966	102	40,296	40,399	106	22,087	22,193	112	42,608	42,720
उ. पेन्शन	**–**	**101,000**	**101,000**	**–**	**98,200**	**98,200**	**–**	**105,004**	**105,004**	**–**	**95,004**	**95,004**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**4**	**4**	**–**	**4**	**4**	**–**	**4**	**4**	**–**	**4**	**4**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**418,181**	**705,252**	**1,123,433**	**402,892**	**809,003**	**1,211,894**	**452,090**	**857,478**	**1,309,568**	**521,444**	**836,741**	**1,358,186**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**367,868**	**403,776**	**771,644**	**389,103**	**380,097**	**769,200**	**418,419**	**405,828**	**824,247**	**486,603**	**395,449**	**882,052**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**174,587**	**289,346**	**463,934**	**190,041**	**273,046**	**463,088**	**210,304**	**291,868**	**502,172**	**259,560**	**296,886**	**556,446**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	57,645	154,145	211,790	88,424	144,338	232,762	53,641	195,524	249,165	109,063	180,779	289,842
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	12,732	55,988	68,720	5,639	44,131	49,770	354	50,342	50,696	10,073	42,844	52,917
3. परिवार कल्याण	13,481	1,512	14,994	17,405	1,246	18,650	17,405	1,380	18,784	15,271	1,446	16,717
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,013	12,828	14,841	2,300	12,563	14,863	3,300	12,020	15,320	2,300	13,792	16,092
5. आवास निर्माण	178	10,308	10,486	180	10,581	10,761	180	10,581	10,761	730	10,208	10,938
6. शहरी विकास	19,233	1,963	21,197	1,000	847	1,847	1,000	1,647	2,647	1,266	555	1,821
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	18,047	16,870	34,917	17,245	17,803	35,048	16,808	17,825	34,633	21,218	18,388	39,606
8. श्रम और श्रम कल्याण	3,126	2,624	5,750	3,290	2,654	5,944	3,640	2,722	6,362	18,515	2,952	21,467
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	27,055	7,672	34,726	37,027	7,093	44,120	47,338	16,419	63,757	60,064	15,286	75,350
10. पौष्टिक आहार	20,778	–	20,778	17,172	–	17,172	17,172	–	17,172	20,060	–	20,060
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	22,772	22,772	–	28,839	28,839	49,107	-20,269	28,839	–	7,161	7,161
12. अन्य*	300	2,664	2,964	360	2,952	3,312	360	3,677	4,037	1,000	3,475	4,475
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**193,281**	**114,429**	**307,710**	**199,061**	**107,051**	**306,112**	**208,115**	**113,959**	**322,074**	**227,044**	**98,563**	**325,607**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	46,975	20,453	67,427	60,563	20,414	80,977	64,959	18,764	83,723	88,001	21,472	109,474
i) फसल कार्य	8,450	2,823	11,273	21,170	2,672	23,842	21,203	2,686	23,889	53,187	3,239	56,426
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	2,145	962	3,107	1,300	881	2,181	1,300	910	2,210	550	912	1,462
iii) पशु पालन	2,367	4,203	6,570	2,992	4,389	7,381	3,692	4,429	8,121	3,306	4,469	7,774
iv) डेरी विकास	5,139	482	5,621	5,126	456	5,582	6,389	456	6,845	5,100	438	5,538
v) मत्स्य पालन	1,051	437	1,488	1,444	380	1,825	1,444	380	1,825	1,864	402	2,266
vi) वानिकी और वन्यजीवन	13,820	7,627	21,447	12,075	7,417	19,492	12,075	7,973	20,048	11,855	7,979	19,834
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,180	2,113	4,293	2,870	2,300	5,170	5,159	11	5,170	3,100	2,204	5,304
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	11,783	1,738	13,521	13,351	1,849	15,200	13,351	1,850	15,201	8,900	1,759	10,659
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	40	68	108	235	70	305	345	70	415	140	71	211
2. ग्रामीण विकास	90,525	26,004	116,529	53,334	23,615	76,949	57,256	22,966	80,222	44,658	20,946	65,604
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	540	17,873	18,413	440	14,746	15,186	440	17,830	18,270	400	19,076	19,476
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	14,136	14,136	–	11,189	11,189	–	14,273	14,273	–	14,732	14,732
ii) लघु सिंचाई	140	3,737	3,877	40	3,556	3,596	40	3,556	3,596	–	4,345	4,345
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	13,238	29,670	42,908	39,500	29,815	69,315	39,500	29,815	69,315	35,145	8,130	43,275
जिसमें से : बिजली	10,438	29,670	40,108	35,500	29,815	65,315	35,500	29,815	65,315	31,645	8,130	39,775
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	16,093	2,507	18,600	15,858	2,650	18,508	15,882	2,686	18,568	20,111	2,742	22,853
i) ग्राम और लघु उद्योग	4,271	1,191	5,462	6,299	1,221	7,520	6,323	1,226	7,549	7,238	1,282	8,519
ii) उद्योग@	11,822	1,316	13,138	9,559	1,429	10,988	9,559	1,460	11,019	12,873	1,461	14,334
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	18,875	14,650	33,525	22,283	12,680	34,963	22,283	18,505	40,788	26,803	22,283	49,086
i) सड़क और पुल	390	12,283	12,673	449	11,169	11,618	449	16,993	17,442	493	20,772	21,265
ii) अन्य @@	18,485	2,367	20,852	21,834	1,512	23,346	21,834	1,512	23,346	26,310	1,512	27,822
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	7,035	3,272	10,308	7,083	3,131	10,214	7,795	3,394	11,189	11,926	3,912	15,838
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	–	1,425	1,425	–	1,479	1,479	46	1,531	1,577	–	1,589	1,589
ii) पर्यटन	400	166	566	596	125	721	596	131	727	4,350	125	4,475
iii) नागरिक आपूर्ति	6,125	926	7,051	6,300	756	7,056	6,300	1,028	7,328	7,500	1,293	8,793
iv) अन्य +	510	755	1,265	187	770	957	853	705	1,558	76	904	980
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**50,313**	**301,210**	**351,523**	**13,789**	**428,889**	**442,679**	**33,671**	**451,635**	**485,306**	**34,841**	**441,226**	**476,067**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**–**	**10,867**	**10,867**	**–**	**12,547**	**12,547**	**–**	**14,419**	**14,419**	**–**	**16,094**	**16,094**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**4,825**	**9,992**	**14,817**	**1,888**	**13,359**	**15,247**	**2,544**	**13,557**	**16,101**	**3,245**	**14,551**	**17,796**
i) कर और शुल्क वसूली	4,825	9,658	14,483	1,888	13,211	15,098	2,544	13,359	15,902	3,245	14,393	17,638
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	333	333	–	149	149	–	198	198	–	158	158
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**77,743**	**77,743**	**–**	**180,193**	**180,193**	**–**	**198,183**	**198,183**	**–**	**213,694**	**213,694**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	77,743	77,743	–	180,193	180,193	–	198,183	198,183	–	213,694	213,694
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	32,089	32,089	–	32,407	32,407	–	32,407	32,407	–	29,556	29,556
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	21,770	21,770	–	123,621	123,621	–	141,610	141,610	–	154,412	154,412
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	18,000	18,000	–	36,520	36,520	–	36,520	36,520	–	50,950	50,950
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	720	720	–	78,245	78,245	–	78,245	78,245	–	70,200	70,200
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	23,812	23,812	–	24,000	24,000	–	24,000	24,000	–	29,500	29,500
iv) अन्य	–	73	73	–	165	165	–	165	165	–	226	226
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**45,488**	**123,494**	**168,982**	**11,902**	**152,038**	**163,940**	**31,128**	**154,123**	**185,251**	**31,596**	**125,535**	**157,131**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	200	3,258	3,458	120	55,723	55,843	120	56,208	56,328	100	6,159	6,259
ii) जिला प्रशासन	35,528	4,771	40,299	1,685	5,029	6,714	8,885	5,103	13,987	21,111	5,532	26,643
iii) पुलिस	8,250	91,367	99,617	9,067	72,457	81,524	13,853	79,593	93,446	8,580	92,816	101,396
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	62	11,848	11,910	53	8,136	8,189	7,162	1,027	8,189	55	9,283	9,338
v) अन्य ++	1,448	12,250	13,698	977	10,693	11,670	1,108	12,192	13,300	1,750	11,744	13,494
उ. पेन्शन	**–**	**79,114**	**79,114**	**–**	**70,752**	**70,752**	**–**	**71,352**	**71,352**	**–**	**71,352**	**71,352**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**266**	**266**	**–**	**16**	**16**	**–**	**16**	**16**	**–**	**66**	**66**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	266	266	–	16	16	–	16	16	–	66	66

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**782,304**	**2,561,239**	**3,343,543**	**998,159**	**2,915,385**	**3,913,544**	**914,765**	**2,871,109**	**3,785,874**	**1,195,708**	**3,375,578**	**4,571,286**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**774,682**	**1,363,013**	**2,137,695**	**987,987**	**1,557,902**	**2,545,889**	**903,137**	**1,571,658**	**2,474,795**	**1,178,604**	**1,716,866**	**2,895,470**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**420,816**	**672,855**	**1,093,671**	**625,016**	**853,293**	**1,478,309**	**519,771**	**824,747**	**1,344,518**	**728,085**	**985,754**	**1,713,839**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	134,004	436,318	570,321	150,795	544,229	695,024	149,857	524,549	674,406	196,507	679,935	876,442
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	24,904	78,700	103,604	34,441	109,037	143,478	32,167	106,372	138,538	50,773	118,139	168,911
3. परिवार कल्याण	16,216	846	17,062	20,691	995	21,686	21,272	996	22,268	26,324	1,475	27,799
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	16,542	912	17,454	22,069	1,082	23,151	22,069	1,082	23,151	30,676	1,272	31,948
5. आवास निर्माण	26,488	4,319	30,807	28,063	5,001	33,064	30,006	5,001	35,007	60,987	5,512	66,499
6. शहरी विकास	70,315	1,969	72,283	201,183	8,156	209,339	93,699	8,156	101,855	139,355	8,570	147,925
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	61,955	30,616	92,571	85,509	39,410	124,919	91,582	37,541	129,123	100,252	49,942	150,193
8. श्रम और श्रम कल्याण	4,674	4,861	9,535	7,538	6,411	13,949	8,876	6,410	15,286	15,744	6,941	22,686
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	54,666	31,473	86,138	60,488	104,902	165,390	55,704	82,692	138,395	89,483	76,363	165,846
10. पौष्टिक आहार	8,224	12,910	21,134	11,228	13,691	24,919	11,228	13,691	24,919	11,408	14,239	25,647
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	61,215	61,215	–	12,641	12,641	–	27,868	27,868	–	13,273	13,273
12. अन्य*	2,829	8,718	11,547	3,011	7,738	10,749	3,311	10,389	13,700	6,575	10,095	16,670
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**353,866**	**690,158**	**1,044,024**	**362,971**	**704,609**	**1,067,580**	**383,366**	**746,911**	**1,130,277**	**450,519**	**731,111**	**1,181,631**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	93,780	220,304	314,084	156,689	216,635	373,324	177,849	288,897	466,746	204,729	227,187	431,916
i) फसल कार्य	38,839	18,338	57,177	59,277	36,987	96,264	54,654	28,331	82,986	76,719	79,643	156,363
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	12,637	2,432	15,069	22,693	5,103	27,796	22,693	5,103	27,796	23,956	7,036	30,992
iii) पशु पालन	8,253	13,781	22,034	12,082	16,341	28,423	12,167	15,574	27,741	15,470	19,600	35,070
iv) डेरी विकास	425	1,100	1,525	7,950	–	7,950	4,950	902	5,852	16,585	–	16,585
v) मत्स्य पालन	2,988	1,137	4,124	5,079	1,347	6,426	3,432	1,544	4,977	6,139	1,690	7,829
vi) वानिकी और वन्यजीवन	14,076	18,874	32,950	19,479	22,759	42,238	16,690	22,122	38,812	23,552	26,226	49,778
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	76,807	76,807	500	62,286	62,786	500	67,294	67,794	–	65,737	65,737
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	6,200	7,541	13,741	8,000	7,843	15,843	8,300	8,343	16,643	10,900	11,235	22,135
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	10,363	80,293	90,656	21,629	63,969	85,598	54,462	139,683	194,146	31,407	16,021	47,428
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	59,187	31,493	90,680	80,039	34,138	114,177	72,423	34,163	106,586	91,325	36,581	127,906
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,513	30,338	34,852	7,141	30,000	37,141	7,152	17,511	24,663	27,359	–	27,359
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9,721	19,720	29,442	9,514	16,882	26,396	14,301	16,994	31,295	11,227	18,322	29,549
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	312	7,667	7,979	951	7,329	8,280	1,351	7,411	8,762	1,691	6,858	8,549
ii) लघु सिंचाई	2,031	11,994	14,025	2,784	9,517	12,301	2,812	9,547	12,359	3,176	11,424	14,600
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	59	59	–	36	36	–	36	36	–	40	40
5. ऊर्जा	3,059	237,141	240,201	2,623	215,176	217,799	3,043	195,176	198,219	2,624	241,183	243,807
जिसमें से : बिजली	2,722	237,141	239,863	1,832	215,176	217,008	2,252	195,176	197,428	1,832	241,183	243,015
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	19,500	17,086	36,586	32,033	30,761	62,794	36,698	26,151	62,849	29,722	23,819	53,542
i) ग्राम और लघु उद्योग	17,969	15,035	33,004	29,590	28,192	57,782	28,211	23,574	51,786	22,172	20,867	43,039
ii) उद्योग@	1,331	2,052	3,382	2,023	2,569	4,592	8,066	2,577	10,643	7,550	2,952	10,503
iii) अन्य**	200	–	200	420	–	420	420	–	420	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	58,158	98,240	156,398	58,952	86,461	145,413	55,666	92,992	148,659	62,655	83,934	146,589
i) सड़क और पुल	58,158	70,383	128,541	58,952	67,724	126,676	55,666	67,756	123,422	62,655	64,173	126,828
ii) अन्य @@	–	27,857	27,857	–	18,737	18,737	–	25,236	25,236	–	19,761	19,761
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,632	1	1,633	3,631	1	3,632	3,717	1	3,718	3,253	1	3,254
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	104,315	35,834	140,149	12,349	74,555	86,904	12,516	75,027	87,542	17,626	100,084	117,709
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	1,474	4,500	5,974	2,081	4,974	7,055	2,189	5,072	7,262	4,956	4,112	9,067
ii) पर्यटन	4,832	157	4,989	5,733	239	5,972	5,733	239	5,972	6,717	270	6,987
iii) नागरिक आपूर्ति	201	506	707	69	697	766	128	932	1,060	170	1,338	1,508
iv) अन्य +	97,807	30,671	128,479	4,466	68,645	73,111	4,466	68,783	73,248	5,783	94,363	100,146
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**7,622**	**1,034,320**	**1,041,942**	**10,172**	**1,167,044**	**1,177,216**	**11,628**	**1,109,011**	**1,120,640**	**17,104**	**1,359,245**	**1,376,348**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**629**	**26,831**	**27,460**	**1,000**	**33,923**	**34,923**	**1,250**	**33,659**	**34,909**	**2,221**	**48,318**	**50,539**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**468**	**36,388**	**36,856**	**2,077**	**46,489**	**48,566**	**2,077**	**47,047**	**49,124**	**2,181**	**52,521**	**54,702**
i) कर और शुल्क वसूली	468	34,263	34,731	2,077	43,174	45,251	2,077	43,732	45,808	2,181	49,109	51,290
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	2,125	2,125	–	3,315	3,315	–	3,315	3,315	–	3,412	3,412
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**423,640**	**423,640**	**–**	**481,800**	**481,800**	**–**	**471,821**	**471,821**	**–**	**527,810**	**527,810**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	423,640	423,640	–	481,800	481,800	–	471,821	471,821	–	527,810	527,810
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	75,438	75,438	–	81,404	81,404	–	81,404	81,404	–	88,735	88,735
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	291,364	291,364	–	311,474	311,474	–	311,495	311,495	–	366,714	366,714
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	99,769	99,769	–	95,550	95,550	–	95,550	95,550	–	132,615	132,615
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	171,535	171,535	–	195,625	195,625	–	195,625	195,625	–	216,716	216,716
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	56,830	56,830	–	88,912	88,912	–	78,912	78,912	–	72,350	72,350
iv) अन्य	–	8	8	–	10	10	–	11	11	–	11	11
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**6,525**	**186,406**	**192,931**	**7,095**	**260,701**	**267,796**	**8,302**	**223,984**	**232,286**	**12,702**	**377,983**	**390,685**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	77	4,739	4,816	570	6,722	7,292	970	6,762	7,732	250	7,259	7,509
ii) जिला प्रशासन	–	15,717	15,717	–	19,617	19,617	2,300	19,931	22,231	375	21,483	21,858
iii) पुलिस	5,773	106,448	112,220	3,800	133,090	136,890	2,300	121,764	124,064	5,000	162,277	167,277
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	349	33,510	33,859	200	38,542	38,742	200	34,608	34,808	100	43,757	43,857
v) अन्य ++	327	25,993	26,319	2,525	62,730	65,255	2,532	40,919	43,451	6,977	143,207	150,184
उ. पेन्शन	**–**	**249,588**	**249,588**	**–**	**341,582**	**341,582**	**–**	**329,594**	**329,594**	**–**	**350,049**	**350,049**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**111,468**	**111,468**	**–**	**2,549**	**2,549**	**–**	**2,907**	**2,907**	**–**	**2,563**	**2,563**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	109,297	109,297	–	–	–	–	341	341	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**163,906**	**163,906**	**–**	**190,439**	**190,439**	**–**	**190,439**	**190,439**	**–**	**299,468**	**299,468**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	163,906	163,906	–	190,439	190,439	–	190,439	190,439	–	299,468	299,468

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

केरल

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**231,318**	**1,851,137**	**2,082,455**	**313,692**	**2,355,998**	**2,669,690**	**288,076**	**2,326,053**	**2,614,128**	**363,881**	**2,466,399**	**2,830,280**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**216,932**	**702,081**	**919,012**	**288,439**	**943,449**	**1,231,889**	**266,764**	**898,515**	**1,165,279**	**346,521**	**974,397**	**1,320,917**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**104,039**	**543,785**	**647,824**	**181,340**	**742,789**	**924,129**	**166,026**	**692,685**	**858,711**	**220,458**	**752,903**	**973,362**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	16,253	375,456	391,709	17,013	538,031	555,044	18,251	469,256	487,507	23,512	529,101	552,613
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,008	89,997	98,005	7,525	116,954	124,479	9,053	116,959	126,012	9,462	122,408	131,870
3. परिवार कल्याण	12,758	–	12,758	15,000	–	15,000	15,500	–	15,500	5,627	13,256	18,883
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,066	9,586	22,652	20,565	10,308	30,873	18,940	10,561	29,501	41,635	11,306	52,941
5. आवास निर्माण	4,350	3,249	7,599	2,078	1,348	3,426	2,078	2,428	4,506	1,010	1,380	2,390
6. शहरी विकास	6,624	785	7,408	58,839	1,346	60,185	41,094	1,304	42,398	68,770	1,353	70,123
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	23,308	10,679	33,987	28,421	13,839	42,260	25,082	17,293	42,375	35,204	16,440	51,644
8. श्रम और श्रम कल्याण	653	12,441	13,094	1,955	14,851	16,806	1,949	15,669	17,619	2,385	14,904	17,289
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	18,441	30,059	48,499	29,658	33,486	63,144	33,527	36,594	70,121	32,088	29,678	61,766
10. पौष्टिक आहार	–	39	39	–	84	84	–	84	84	–	103	103
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	8,978	8,978	–	9,427	9,427	–	19,433	19,433	–	9,898	9,898
12. अन्य*	578	2,516	3,094	286	3,116	3,402	553	3,104	3,657	765	3,077	3,842
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**112,893**	**158,296**	**271,189**	**107,100**	**200,660**	**307,760**	**100,738**	**205,829**	**306,567**	**126,063**	**221,493**	**347,556**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	44,233	67,187	111,420	36,624	81,743	118,367	33,139	93,779	126,918	47,176	84,212	131,387
i) फसल कार्य	23,133	14,985	38,118	15,370	28,740	44,110	14,016	27,207	41,223	18,048	21,361	39,409
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,636	1,466	3,102	1,812	1,877	3,689	1,262	1,820	3,082	1,845	1,930	3,775
iii) पशु पालन	3,216	9,304	12,520	3,830	12,504	16,334	3,714	12,505	16,219	5,577	12,831	18,408
iv) डेरी विकास	1,632	1,364	2,996	933	1,792	2,724	1,057	1,800	2,858	2,271	1,801	4,072
v) मत्स्य पालन	5,553	2,229	7,782	4,812	2,618	7,430	3,864	3,549	7,413	9,098	2,660	11,757
vi) वानिकी और वन्यजीवन	4,497	10,986	15,483	4,228	14,066	18,294	3,605	13,985	17,590	4,931	13,751	18,682
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	390	16,642	17,032	379	5,347	5,726	663	16,792	17,455	416	14,348	14,764
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,578	5,970	8,548	2,110	6,667	8,777	2,388	6,667	9,055	3,415	7,129	10,544
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	519	3,252	3,771	585	8,073	8,658	460	9,393	9,853	580	8,339	8,919
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1,079	989	2,068	2,565	60	2,625	2,112	60	2,172	995	63	1,058
2. ग्रामीण विकास	17,550	7,289	24,839	15,271	10,418	25,689	16,406	10,492	26,898	17,793	15,820	33,613
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,937	–	1,937	1,313	–	1,313	2,163	–	2,163	2,000	–	2,000
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,874	17,474	19,347	6,030	25,369	31,399	2,385	28,826	31,211	4,605	25,969	30,574
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	14	10,783	10,797	40	14,693	14,733	40	15,398	15,438	45	13,756	13,801
ii) लघु सिंचाई	1,182	6,186	7,368	2,964	10,676	13,640	1,329	12,037	13,366	3,285	10,774	14,059
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	36	504	540	1,366	–	1,366	–	1,391	1,391	15	1,439	1,454
5. ऊर्जा	4,400	111	4,512	5,793	198	5,991	5,743	197	5,940	10,785	214	10,999
जिसमें से : बिजली	4,005	3	4,008	4,400	55	4,455	4,400	54	4,454	8,685	57	8,742
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	17,931	4,870	22,801	13,795	5,611	19,406	12,905	6,237	19,142	18,441	6,082	24,523
i) ग्राम और लघु उद्योग	9,322	4,281	13,603	9,646	4,789	14,435	9,786	5,411	15,197	10,606	5,249	15,856
ii) उद्योग@	7,609	589	8,198	4,149	822	4,971	3,119	825	3,944	7,835	832	8,667
iii) अन्य**	1,000	–	1,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

केरल

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	10,415	52,665	63,080	10,105	66,452	76,557	10,336	55,879	66,215	2,296	78,158	80,454
i) सड़क और पुल	10,295	50,100	60,395	10,030	62,206	72,236	10,030	51,636	61,666	2,091	73,788	75,879
ii) अन्य @@	121	2,565	2,686	75	4,246	4,321	306	4,243	4,549	205	4,370	4,575
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2,858	1,838	4,696	4,423	2,015	6,438	4,408	1,869	6,277	4,695	2,025	6,720
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	11,694	6,862	18,556	13,746	8,854	22,600	13,252	8,550	21,802	18,272	9,014	27,286
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	4,822	1,904	6,726	5,686	2,455	8,141	5,379	2,323	7,702	9,651	2,477	12,128
ii) पर्यटन	5,696	1,618	7,314	6,983	1,941	8,924	6,829	1,947	8,776	7,228	2,080	9,308
iii) नागरिक आपूर्ति	49	562	611	26	712	738	24	726	750	45	746	791
iv) अन्य +	1,128	2,778	3,906	1,051	3,746	4,797	1,020	3,555	4,574	1,348	3,711	5,059
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**14,386**	**957,928**	**972,314**	**25,253**	**1,202,336**	**1,227,589**	**21,312**	**1,217,324**	**1,238,636**	**17,360**	**1,265,144**	**1,282,504**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**–**	**22,152**	**22,152**	**–**	**23,637**	**23,637**	**–**	**24,363**	**24,363**	**–**	**25,651**	**25,651**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**2,062**	**42,424**	**44,486**	**203**	**52,152**	**52,355**	**2,485**	**55,083**	**57,568**	**250**	**52,065**	**52,315**
i) कर और शुल्क वसूली	2,062	34,215	36,277	203	44,687	44,890	2,485	45,329	47,814	250	44,625	44,875
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	8,209	8,209	–	7,465	7,465	–	9,754	9,754	–	7,440	7,440
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**418,970**	**418,970**	**–**	**496,658**	**496,658**	**–**	**494,599**	**494,599**	**–**	**539,295**	**539,295**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	18,828	18,828	–	18,828	18,828	–	24,887	24,887
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	418,970	418,970	–	477,830	477,830	–	475,771	475,771	–	514,408	514,408
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज		43,273	43,273	–	51,322	51,322	–	42,856	42,856	–	46,847	46,847
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	237,876	237,876	–	269,281	269,281	–	275,766	275,766	–	309,279	309,279
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	97,665	97,665	–	110,620	110,620	–	110,768	110,768	–	141,525	141,525
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	97,146	97,146	–	111,210	111,210	–	117,651	117,651	–	118,446	118,446
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	136,227	136,227	–	157,128	157,128	–	157,149	157,149	–	158,282	158,282
iv) अन्य	–	1,595	1,595	–	100	100	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**1,359**	**119,666**	**121,025**	**14,465**	**149,080**	**163,545**	**8,242**	**151,993**	**160,235**	**6,535**	**158,396**	**164,931**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	386	6,398	6,784	–	7,547	7,547	108	7,543	7,651	–	7,915	7,915
ii) जिला प्रशासन	–	8,569	8,569	6,800	10,604	17,404	7,100	10,961	18,061	4,939	11,144	16,083
iii) पुलिस	246	70,614	70,859	140	88,513	88,653	84	85,319	85,403	170	95,785	95,955
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	9,953	9,953	–	18,959	18,959	–	18,803	18,803	–	11,965	11,965
v) अन्य ++	727	24,132	24,860	7,525	23,457	30,982	950	29,368	30,317	1,426	31,587	33,013
उ. पेन्शन	**–**	**329,457**	**329,458**	**–**	**457,822**	**457,822**	**–**	**459,156**	**459,156**	**–**	**456,903**	**456,903**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**10,965**	**25,259**	**36,224**	**10,585**	**22,985**	**33,570**	**10,585**	**32,131**	**42,716**	**10,575**	**32,833**	**43,408**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	19,420	19,420	–	21,500	21,500	–	28,900	28,900	–	32,280	32,280
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**191,128**	**191,128**	**–**	**210,213**	**210,213**	**–**	**210,213**	**210,213**	**–**	**226,858**	**226,858**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	191,128	191,128	–	210,213	210,213	–	210,213	210,213	–	226,858	226,858

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**545,209**	**1,691,051**	**2,236,260**	**687,622**	**1,911,290**	**2,598,912**	**706,416**	**1,941,948**	**2,648,364**	**831,846**	**2,324,554**	**3,156,401**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**523,945**	**721,718**	**1,245,663**	**660,967**	**791,797**	**1,452,764**	**682,590**	**856,568**	**1,539,158**	**806,069**	**1,060,483**	**1,866,552**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**292,638**	**465,010**	**757,648**	**379,172**	**514,110**	**893,282**	**364,424**	**520,989**	**885,414**	**420,123**	**621,825**	**1,041,948**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	92,115	275,288	367,404	110,081	299,257	409,338	100,526	306,178	406,704	130,624	377,179	507,804
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,235	76,565	89,800	8,100	90,925	99,025	9,695	88,427	98,122	20,029	104,463	124,493
3. परिवार कल्याण	10,890	320	11,210	18,086	402	18,488	18,086	402	18,488	19,516	406	19,922
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6,395	21,408	27,803	13,885	23,708	37,593	17,828	23,616	41,444	15,055	25,643	40,698
5. आवास निर्माण	3,348	7,759	11,108	6,161	6,704	12,865	7,036	8,086	15,122	7,486	7,112	14,598
6. शहरी विकास	50,426	902	51,329	65,009	1,066	66,075	40,693	1,055	41,748	47,361	1,252	48,613
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	57,275	15,471	72,746	74,149	19,781	93,930	82,484	20,505	102,988	86,104	23,639	109,743
8. श्रम और श्रम कल्याण	2,598	4,365	6,963	3,463	5,805	9,268	3,781	5,890	9,672	4,239	6,837	11,076
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	34,806	23,948	58,753	46,336	25,570	71,906	49,949	25,535	75,484	54,835	34,381	89,216
10. पौष्टिक आहार	21,510	283	21,794	33,822	210	34,032	34,280	152	34,433	34,651	173	34,824
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	34,354	34,354	–	35,094	35,094	–	35,097	35,097	–	34,191	34,191
12. अन्य*	38	4,346	4,384	80	5,587	5,667	65	6,047	6,112	222	6,549	6,771
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**231,307**	**256,709**	**488,015**	**281,795**	**277,687**	**559,482**	**318,165**	**335,578**	**653,744**	**385,946**	**438,658**	**824,604**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	60,819	103,022	163,841	70,517	104,909	175,426	93,211	112,900	206,111	123,506	137,725	261,231
i) फसल कार्य	19,837	12,584	32,421	29,324	14,195	43,519	44,780	21,722	66,502	81,224	17,254	98,478
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	947	2,160	3,107	1,183	2,540	3,723	992	2,615	3,607	1,381	3,064	4,444
iii) पशु पालन	4,536	13,833	18,369	4,667	20,015	24,682	6,275	17,962	24,237	6,621	23,192	29,813
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	713	1,014	1,727	1,256	1,659	2,916	1,078	1,308	2,386	1,386	1,907	3,293
vi) वानिकी और वन्यजीवन	24,727	41,931	66,658	25,383	46,704	72,087	28,977	49,699	78,676	25,790	53,599	79,389
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	1,302	14,427	15,729	844	12,058	12,901	844	12,013	12,856	1,018	30,488	31,506
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,878	3,701	5,579	2,119	3,801	5,920	2,608	3,801	6,409	2,997	3,820	6,816
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	6,878	13,373	20,251	5,740	3,937	9,677	7,657	3,780	11,437	3,091	4,401	7,492
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	143,231	13,792	157,023	185,512	16,414	201,926	197,020	16,551	213,572	219,904	18,301	238,205
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	8,817	25,234	34,051	535	29,948	30,484	521	32,210	32,732	893	32,732	33,624
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	8,424	19,635	28,059	–	23,558	23,558	–	24,116	24,116	–	26,439	26,439
ii) लघु सिंचाई	310	5,576	5,886	355	6,390	6,745	354	8,095	8,449	482	6,292	6,775
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	8,653	59,591	68,244	11,983	61,903	73,886	9,672	99,300	108,972	18,551	167,722	186,273
जिसमें से : बिजली	8,653	59,591	68,244	11,983	61,903	73,886	9,672	99,300	108,972	18,551	167,722	186,273
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	8,143	7,841	15,984	9,269	11,920	21,189	11,439	14,566	26,005	14,008	16,381	30,389
i) ग्राम और लघु उद्योग	6,530	3,366	9,896	6,457	3,666	10,123	6,824	3,889	10,713	9,327	4,504	13,832
ii) उद्योग@	1,613	4,475	6,088	2,812	8,254	11,066	4,614	10,677	15,292	4,681	11,876	16,557
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	–	43,814	43,814	30	48,370	48,400	30	55,868	55,898	60	61,398	61,458
i) सड़क और पुल	–	43,789	43,789	–	48,323	48,323	–	55,832	55,832	–	61,351	61,351
ii) अन्य @@	–	25	25	30	47	77	30	36	66	60	47	107
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	608	142	750	2,568	168	2,736	4,580	208	4,788	5,973	267	6,241
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,035	3,273	4,308	1,380	4,057	5,437	1,693	3,975	5,667	3,050	4,133	7,182
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	26	735	761	36	908	944	25	926	951	233	1,096	1,330
ii) पर्यटन	828	185	1,013	1,245	256	1,501	1,245	174	1,419	1,974	39	2,013
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	182	2,353	2,535	99	2,892	2,992	423	2,875	3,297	842	2,998	3,840
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**-25**	**860,236**	**860,211**	**5,327**	**1,002,513**	**1,007,840**	**-2,115**	**960,494**	**958,379**	**3,177**	**1,129,310**	**1,132,487**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**–**	**20,964**	**20,964**	**–**	**27,045**	**27,045**	**–**	**25,849**	**25,849**	**–**	**32,909**	**32,909**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**1,042**	**94,491**	**95,533**	**2,913**	**108,926**	**111,839**	**1,923**	**117,648**	**119,571**	**1,669**	**136,298**	**137,967**
i) कर और शुल्क वसूली	1,042	93,346	94,388	2,913	108,599	111,512	1,923	117,372	119,295	1,669	136,013	137,682
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	1,145	1,145	–	327	327	–	276	276	–	285	285
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**402,895**	**402,895**	**–**	**425,333**	**425,333**	**–**	**419,989**	**419,989**	**–**	**448,967**	**448,967**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	402,895	402,895	–	425,333	425,333	–	419,989	419,989	–	448,967	448,967
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	71,755	71,755	–	73,530	73,530	–	71,079	71,079	–	74,915	74,915
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	270,989	270,989	–	285,062	285,062	–	283,384	283,384	–	304,750	304,750
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	90,587	90,587	–	93,476	93,476	–	88,779	88,779	–	104,217	104,217
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	122,981	122,981	–	140,868	140,868	–	140,868	140,868	–	146,523	146,523
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	49,579	49,579	–	56,326	56,326	–	54,343	54,343	–	57,000	57,000
iv) अन्य	–	10,571	10,571	–	10,415	10,415	–	11,183	11,183	–	12,302	12,302
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**-1,067**	**155,692**	**154,625**	**2,414**	**231,233**	**233,646**	**-4,038**	**187,031**	**182,993**	**1,509**	**280,847**	**282,355**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	4,800	4,800	875	5,749	6,624	3,950	5,881	9,831	7,000	6,535	13,535
ii) जिला प्रशासन	–	14,658	14,658	–	19,264	19,264	–	18,816	18,816	–	21,762	21,762
iii) पुलिस	1,264	92,648	93,913	1,375	108,871	110,246	1,253	113,150	114,403	1,750	129,734	131,484
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	-2,332	20,635	18,303	–	20,379	20,379	-9,404	21,730	12,326	-7,366	19,838	12,472
v) अन्य ++	–	22,952	22,952	163	76,971	77,134	163	27,454	27,617	124	102,979	103,103
उ. पेन्शन	**–**	**175,169**	**175,169**	**–**	**199,905**	**199,905**	**–**	**199,905**	**199,905**	**–**	**229,896**	**229,896**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**11,026**	**11,026**	**–**	**10,071**	**10,071**	**–**	**10,072**	**10,072**	**–**	**392**	**392**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**21,289**	**109,096**	**130,385**	**21,328**	**116,980**	**138,308**	**25,941**	**124,886**	**150,827**	**22,600**	**134,762**	**157,362**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	21,289	109,096	130,385	21,328	116,980	138,308	25,941	124,886	150,827	22,600	134,762	157,362

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**820,516**	**5,318,012**	**6,138,528**	**1,145,896**	**5,632,923**	**6,778,820**	**1,082,941**	**5,539,971**	**6,622,911**	**1,465,025**	**6,429,591**	**7,894,616**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**788,098**	**2,738,092**	**3,526,190**	**1,099,865**	**2,598,290**	**3,698,155**	**1,037,031**	**3,057,975**	**4,095,006**	**1,424,825**	**2,805,048**	**4,229,873**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**528,316**	**1,827,570**	**2,355,886**	**713,981**	**1,737,788**	**2,451,768**	**745,387**	**1,995,493**	**2,740,880**	**930,182**	**1,939,196**	**2,869,378**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	77,113	1,154,536	1,231,649	75,703	1,155,758	1,231,461	72,556	1,315,993	1,388,549	84,925	1,393,929	1,478,854
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	25,771	171,761	197,532	56,176	178,791	234,967	65,932	192,108	258,041	51,086	202,557	253,643
3. परिवार कल्याण	25,352	2,471	27,823	28,924	2,910	31,833	29,370	2,718	32,088	31,884	3,213	35,097
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	78,464	68,000	146,464	101,235	88,243	189,479	82,545	87,539	170,084	49,783	12,897	62,679
5. आवास निर्माण	23,890	26,064	49,953	63,389	18,824	82,213	76,074	26,627	102,701	173,568	20,001	193,570
6. शहरी विकास	116,073	44,106	160,179	166,478	41,002	207,480	163,940	41,165	205,106	264,928	41,741	306,669
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	102,746	87,700	190,446	141,725	87,811	229,535	152,787	100,956	253,743	162,731	100,617	263,348
8. श्रम और श्रम कल्याण	7,477	24,375	31,851	9,331	24,348	33,679	15,278	29,052	44,330	14,504	27,876	42,380
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	24,763	59,927	84,690	29,311	61,540	90,852	30,434	69,038	99,472	38,787	67,258	106,045
10. पौष्टिक आहार	45,113	19,237	64,350	38,944	3,287	42,230	55,309	40,215	95,524	55,660	36,890	92,550
11. प्राकृतिक आपदा राहत	240	163,882	164,122	1,353	69,575	70,928	100	83,646	83,746	125	25,584	25,709
12. अन्य*	1,314	5,512	6,826	1,412	5,699	7,110	1,060	6,436	7,496	2,200	6,633	8,833
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**259,782**	**910,522**	**1,170,304**	**385,885**	**860,502**	**1,246,387**	**291,644**	**1,062,482**	**1,354,126**	**494,643**	**865,852**	**1,360,495**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	68,728	267,535	336,263	68,860	236,647	305,507	79,922	255,747	335,669	88,502	253,797	342,299
i) फसल कार्य	31,809	31,485	63,294	36,044	33,595	69,639	35,189	34,961	70,150	46,203	43,199	89,402
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,651	1,196	2,847	1,645	742	2,387	2,411	755	3,165	2,178	801	2,978
iii) पशु पालन	7,362	28,862	36,224	8,827	22,594	31,421	9,714	23,039	32,753	10,635	26,978	37,612
iv) डेरी विकास	4,133	67,945	72,078	700	61,977	62,677	665	43,815	44,480	712	51,672	52,384
v) मत्स्य पालन	1,200	9,594	10,794	2,072	11,785	13,857	1,988	10,303	12,292	2,245	12,175	14,420
vi) वानिकी और वन्यजीवन	4,741	35,570	40,311	7,313	40,122	47,434	9,963	42,243	52,205	9,551	48,051	57,602
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	8,090	8,090	–	8,578	8,578	20	9,185	9,205	–	9,712	9,712
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,224	25,630	27,854	1,500	27,064	28,564	2,055	27,476	29,531	2,066	31,843	33,909
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	15,608	59,163	74,771	10,759	30,190	40,949	17,917	63,972	81,889	14,914	29,366	44,280
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	69,228	189,803	259,031	160,620	204,631	365,251	77,629	77,243	154,871	228,770	76,516	305,286
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,260	24	3,283	2,317	25	2,342	3,282	27	3,309	3,956	29	3,985
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	25,363	126,040	151,403	64,627	107,548	172,175	42,166	109,825	151,991	61,778	110,564	172,341
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	3,488	101,889	105,376	45,672	89,846	135,519	14,959	88,060	103,020	33,043	89,064	122,107
ii) लघु सिंचाई	20,315	23,395	43,710	17,317	17,041	34,358	25,947	20,875	46,822	28,680	19,582	48,261
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	745	745	–	649	649	–	881	881	–	751	751
5. ऊर्जा	45,614	214,517	260,130	50,097	184,685	234,781	53,145	293,002	346,147	59,293	179,805	239,098
जिसमें से : बिजली	44,699	214,448	259,147	48,367	184,685	233,051	50,804	292,938	343,742	56,988	179,805	236,794
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	19,908	36,682	56,590	3,917	56,937	60,854	3,729	101,204	104,933	3,868	57,904	61,771
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,082	3,598	5,681	2,923	2,867	5,790	2,735	3,327	6,062	3,868	3,327	7,194
ii) उद्योग@	17,826	33,084	50,909	994	54,070	55,064	994	97,878	98,872	–	54,577	54,577
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	8,502	61,170	69,672	15,523	54,483	70,006	20,018	209,605	229,623	32,368	176,727	209,095
i) सड़क और पुल	2,577	60,968	63,545	10,922	54,258	65,179	14,006	209,382	223,388	24,859	176,398	201,257
ii) अन्य @@	5,925	203	6,127	4,602	225	4,827	6,012	224	6,235	7,508	329	7,838
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2,450	–	2,450	2,552	1	2,553	2,557	–	2,557	3,905	11	3,916
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	16,729	14,751	31,480	17,372	15,547	32,918	9,196	15,829	25,025	12,204	10,500	22,704
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	1,001	5,702	6,703	940	6,425	7,365	2,040	6,477	8,517	1,773	7,272	9,045
ii) पर्यटन	15,669	6,254	21,923	16,189	6,254	22,443	6,713	6,254	12,967	10,149	4	10,153
iii) नागरिक आपूर्ति	18	–	18	8	–	8	8	–	8	8	–	8
iv) अन्य +	40	2,795	2,835	234	2,868	3,102	435	3,098	3,532	274	3,225	3,498
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**27,325**	**2,483,304**	**2,510,629**	**42,163**	**2,944,911**	**2,987,074**	**42,127**	**2,395,610**	**2,437,737**	**33,584**	**3,530,956**	**3,564,540**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**–**	**46,626**	**46,626**	**–**	**55,451**	**55,451**	**–**	**58,501**	**58,501**	**–**	**60,570**	**60,570**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**2,760**	**324,286**	**327,046**	**4,142**	**401,548**	**405,690**	**4,142**	**84,581**	**88,723**	**706**	**92,782**	**93,488**
i) कर और शुल्क वसूली	2,760	323,077	325,836	4,142	400,808	404,950	4,142	83,870	88,012	706	91,981	92,687
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	1,209	1,209	–	740	740	–	711	711	–	802	802
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**1,218,167**	**1,218,167**	**–**	**1,267,485**	**1,267,485**	**–**	**1,258,254**	**1,258,254**	**–**	**1,298,753**	**1,298,753**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	52,600	52,600	–	56,100	56,100	–	56,100	56,100	–	59,900	59,900
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	1,165,567	1,165,567	–	1,211,385	1,211,385	–	1,202,154	1,202,154	–	1,238,853	1,238,853
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	172,018	172,018	–	69,393	69,393	–	136,328	136,328	–	77,261	77,261
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	807,397	807,397	–	970,545	970,545	–	868,736	868,736	–	942,600	942,600
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	147,721	147,721	–	168,399	168,399	–	150,177	150,177	–	203,872	203,872
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	639,891	639,891	–	699,622	699,622	–	699,622	699,622	–	712,927	712,927
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	158,908	158,908	–	151,713	151,713	–	171,813	171,813	–	187,276	187,276
iv) अन्य	–	27,244	27,244	–	19,734	19,734	–	25,277	25,277	–	31,716	31,716
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**24,565**	**457,786**	**482,351**	**38,021**	**669,271**	**707,292**	**37,985**	**557,281**	**595,266**	**32,878**	**1,361,942**	**1,394,820**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	2,002	7,706	9,708	2,202	8,545	10,747	2,202	8,803	11,005	3,000	10,086	13,086
ii) जिला प्रशासन	21,683	117,733	139,416	31,605	123,870	155,475	31,465	125,796	157,261	24,600	137,799	162,399
iii) पुलिस	–	255,411	255,411	3,644	295,967	299,611	3,644	320,135	323,779	4,465	317,985	322,450
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	731	43,242	43,972	410	35,387	35,797	381	62,334	62,715	653	56,521	57,174
v) अन्य ++	150	33,695	33,845	160	205,501	205,661	293	40,214	40,507	160	839,551	839,711
उ. पेन्शन	**–**	**354,250**	**354,250**	**–**	**414,979**	**414,979**	**–**	**434,530**	**434,530**	**–**	**456,361**	**456,361**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**82,189**	**82,189**	**–**	**136,177**	**136,177**	**–**	**2,462**	**2,462**	**–**	**260,549**	**260,549**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	81,592	81,592	–	95,500	95,500	–	1,704	1,704	–	79,826	79,826
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**5,093**	**96,616**	**101,709**	**3,868**	**89,722**	**93,590**	**3,783**	**86,386**	**90,169**	**6,615**	**93,587**	**100,203**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	5,093	96,616	101,709	3,868	89,722	93,590	3,783	86,386	90,169	6,615	93,587	100,203

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**42,000**	**199,464**	**241,464**	**58,333**	**177,482**	**235,815**	**58,124**	**186,307**	**244,431**	**55,664**	**193,450**	**249,114**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**41,574**	**112,555**	**154,129**	**58,276**	**93,190**	**151,467**	**57,699**	**92,586**	**150,286**	**55,412**	**96,539**	**151,952**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**21,734**	**44,661**	**66,396**	**20,405**	**46,432**	**66,836**	**26,689**	**50,532**	**77,221**	**26,985**	**52,335**	**79,320**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,643	30,929	38,572	7,558	29,715	37,272	9,111	33,570	42,681	8,769	36,384	45,153
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	374	5,750	6,124	789	6,886	7,675	2,007	7,339	9,346	1,384	8,440	9,824
3. परिवार कल्याण	648	–	648	690	–	690	1,352	–	1,352	1,160	–	1,160
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	22	3,625	3,647	45	2,091	2,136	48	2,188	2,237	40	2,423	2,463
5. आवास निर्माण	–	1,159	1,159	–	2,009	2,009	–	69	69	–	70	70
6. शहरी विकास	1,328	205	1,533	921	1,713	2,634	1,366	1,261	2,627	1,828	963	2,791
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	5,762	697	6,460	4,672	1,057	5,729	5,768	739	6,507	6,234	772	7,005
8. श्रम और श्रम कल्याण	233	392	624	142	416	558	383	488	871	188	420	608
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3,650	1,350	5,000	3,751	1,335	5,086	4,205	2,453	6,658	4,951	1,513	6,464
10. पौष्टिक आहार	1,978	7	1,985	1,779	8	1,787	2,295	7	2,302	2,295	8	2,303
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	83	83	10	615	625	60	1,745	1,805	30	636	666
12. अन्य*	97	464	561	48	588	636	95	672	767	106	708	814
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**19,840**	**67,894**	**87,734**	**37,872**	**46,759**	**84,630**	**31,010**	**42,055**	**73,065**	**28,427**	**44,205**	**72,632**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	7,619	7,993	15,613	5,998	8,098	14,096	12,716	8,730	21,445	7,628	9,581	17,209
i) फसल कार्य	3,084	1,838	4,921	2,808	1,883	4,691	3,344	2,064	5,408	3,467	2,178	5,645
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,448	572	2,020	1,268	633	1,901	6,499	678	7,177	1,623	735	2,358
iii) पशु पालन	450	2,325	2,775	255	2,164	2,419	608	2,376	2,984	491	2,619	3,110
iv) डेरी विकास	21	57	78	25	65	90	34	77	111	40	83	123
v) मत्स्य पालन	191	849	1,041	205	818	1,022	282	941	1,223	310	1,008	1,318
vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,309	1,187	3,496	1,290	1,325	2,615	1,799	1,361	3,160	1,550	1,573	3,123
vii) बागान	3	–	3	5	–	5	5	–	5	5	–	5
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	4	436	440	7	431	439	18	436	454	7	491	498
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	23	104	127	32	100	132	23	106	129	24	114	138
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	85	624	709	101	678	779	100	691	791	107	780	887
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3	–	3	3	–	3	3	–	3	4	–	4
2. ग्रामीण विकास	3,420	1,513	4,933	3,136	3,376	6,512	4,075	3,987	8,062	4,609	4,417	9,026
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,096	–	2,096	4,014	–	4,014	4,301	–	4,301	4,296	–	4,296
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,568	2,497	4,065	1,475	3,591	5,066	1,727	2,251	3,978	1,451	2,402	3,853
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1,005	926	1,931	867	1,966	2,833	966	837	1,803	625	914	1,539
ii) लघु सिंचाई	1	616	617	8	724	732	33	454	487	33	455	489
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	826	826	–	773	773	–	813	813	–	871	871
5. ऊर्जा	195	43,074	43,269	195	20,090	20,285	200	17,485	17,685	300	18,101	18,401
जिसमें से : बिजली	–	43,074	43,074	–	20,090	20,090	–	17,485	17,485	–	18,101	18,101
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,963	1,827	3,789	1,883	2,024	3,907	4,140	2,264	6,404	3,439	2,309	5,748
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,787	1,695	3,482	1,708	1,881	3,590	3,770	2,093	5,863	3,109	2,129	5,238
ii) उद्योग@	175	132	307	170	39	209	350	52	402	300	54	354
iii) अन्य**	–	–	–	5	104	109	20	119	139	30	125	155

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	–	9,995	9,995	–	8,494	8,494	–	6,229	6,229	–	6,200	6,200
i) सड़क और पुल	–	9,995	9,995	–	8,494	8,494	–	6,229	6,229	–	6,200	6,200
ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	333	71	405	1,035	69	1,104	1,085	21	1,105	1,220	21	1,241
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,645	924	3,569	20,136	1,016	21,152	2,767	1,089	3,855	5,484	1,174	6,658
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,466	255	2,721	19,945	305	20,250	2,557	309	2,865	5,295	334	5,629
ii) पर्यटन	81	120	201	93	132	225	79	146	224	88	154	242
iii) नागरिक आपूर्ति	11	–	11	–	–	–	47	–	47	–	–	–
iv) अन्य +	86	549	635	99	578	677	84	634	718	101	686	787
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**427**	**86,908**	**87,335**	**57**	**84,291**	**84,348**	**425**	**93,720**	**94,145**	**251**	**96,911**	**97,162**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**–**	**2,695**	**2,695**	**–**	**2,910**	**2,910**	**–**	**3,452**	**3,452**	**–**	**4,192**	**4,192**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**176**	**1,614**	**1,790**	**15**	**1,702**	**1,717**	**75**	**1,934**	**2,009**	**75**	**1,981**	**2,056**
i) कर और शुल्क वसूली	176	1,591	1,767	15	1,681	1,696	75	1,904	1,979	75	1,957	2,032
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	23	23	–	21	21	–	30	30	–	24	24
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**28,899**	**28,899**	**–**	**29,449**	**29,449**	**–**	**29,375**	**29,375**	**–**	**31,278**	**31,278**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,366	1,366
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	28,899	28,899	–	29,449	29,449	–	29,375	29,375	–	29,912	29,912
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	11,999	11,999	–	9,698	9,698	–	9,890	9,890	–	7,738	7,738
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	11,980	11,980	–	14,760	14,760	–	14,655	14,655	–	16,637	16,637
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	8,045	8,045	–	8,431	8,431	–	8,275	8,275	–	8,743	8,743
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	2,621	2,621	–	4,853	4,853	–	4,853	4,853	–	6,608	6,608
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	4,919	4,919	–	4,991	4,991	–	4,831	4,831	–	5,537	5,537
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**251**	**29,758**	**30,009**	**42**	**29,986**	**30,028**	**350**	**37,078**	**37,428**	**176**	**37,622**	**37,798**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	140	1,500	1,640	–	1,603	1,603	222	1,833	2,055	–	1,951	1,951
ii) जिला प्रशासन	–	1,174	1,174	–	1,222	1,222	–	1,329	1,329	–	1,358	1,358
iii) पुलिस	–	19,759	19,759	–	21,561	21,561	–	26,629	26,629	–	26,454	26,454
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	4,717	4,717	–	2,852	2,852	–	4,337	4,337	–	4,556	4,556
v) अन्य ++	111	2,609	2,720	42	2,748	2,790	128	2,950	3,078	176	3,303	3,479
उ. पेन्शन	**–**	**23,891**	**23,891**	**–**	**20,206**	**20,206**	**–**	**21,829**	**21,829**	**–**	**21,794**	**21,794**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**50**	**50**	**–**	**39**	**39**	**–**	**53**	**53**	**–**	**44**	**44**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान		50	50		38	38		53	53		43	43
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**56,646**	**134,104**	**190,750**	**133,176**	**140,033**	**273,209**	**133,176**	**140,149**	**273,325**	**155,388**	**162,659**	**318,047**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**54,127**	**66,314**	**120,441**	**129,070**	**66,940**	**196,010**	**129,070**	**66,940**	**196,010**	**151,442**	**76,889**	**228,331**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**22,411**	**39,019**	**61,430**	**53,333**	**40,856**	**94,189**	**53,333**	**40,856**	**94,189**	**60,657**	**47,639**	**108,296**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,410	21,143	32,552	27,635	23,113	50,748	27,635	23,113	50,748	35,923	26,495	62,419
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,979	5,992	8,971	5,515	6,125	11,640	5,515	6,125	11,640	6,869	7,056	13,925
3. परिवार कल्याण	813	127	940	971	132	1,103	971	132	1,103	1,365	195	1,560
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	981	5,555	6,536	1,535	5,300	6,835	1,535	5,300	6,835	1,841	6,045	7,886
5. आवास निर्माण	683	2,069	2,753	1,008	1,305	2,313	1,008	1,305	2,313	968	2,677	3,645
6. शहरी विकास	919	489	1,408	3,095	647	3,742	3,095	647	3,742	2,611	672	3,283
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	–	1,106	1,106	1,350	1,138	2,488	1,350	1,138	2,488	1,450	1,150	2,600
8. श्रम और श्रम कल्याण	207	490	697	812	600	1,412	812	600	1,412	630	652	1,282
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,019	329	2,348	3,199	425	3,624	3,199	425	3,624	3,604	472	4,076
10. पौष्टिक आहार	2,151	48	2,200	7,865	178	8,043	7,865	178	8,043	5,020	186	5,206
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	1,161	1,161	–	1,195	1,195	–	1,195	1,195	–	1,195	1,195
12. अन्य*	250	509	759	349	698	1,047	349	698	1,047	375	843	1,218
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**31,716**	**27,295**	**59,011**	**75,737**	**26,084**	**101,821**	**75,737**	**26,084**	**101,821**	**90,785**	**29,251**	**120,035**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	8,033	9,596	17,628	21,467	9,384	30,851	21,467	9,384	30,851	20,454	10,718	31,171
i) फसल कार्य	3,164	1,905	5,069	8,865	2,024	10,889	8,865	2,024	10,889	8,235	2,276	10,511
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,841	1,559	3,401	4,090	1,736	5,826	4,090	1,736	5,826	4,349	1,960	6,309
iii) पशु पालन	941	1,686	2,627	2,440	1,825	4,265	2,440	1,825	4,265	1,949	2,073	4,022
iv) डेरी विकास	202	313	515	463	281	744	463	281	744	379	309	689
v) मत्स्य पालन	393	348	740	642	400	1,042	642	400	1,042	587	444	1,031
vi) वानिकी और वन्यजीवन	991	2,717	3,709	3,555	2,180	5,735	3,555	2,180	5,735	3,493	2,627	6,120
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	115	306	421	204	320	524	204	320	524	262	356	618
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	258	643	901	988	486	1,474	988	486	1,474	1,109	532	1,641
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	128	119	246	220	132	352	220	132	352	90	141	231
2. ग्रामीण विकास	11,868	1,217	13,085	15,157	1,291	16,448	15,157	1,291	16,448	18,046	1,478	19,524
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	733	–	733	6,521	–	6,521	6,521	–	6,521	9,052	–	9,052
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	489	887	1,377	1,034	865	1,899	1,034	865	1,899	527	981	1,508
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	489	832	1,322	1,034	800	1,834	1,034	800	1,834	527	910	1,437
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	55	55	–	65	65	–	65	65	–	71	71
5. ऊर्जा	6,652	2,465	9,117	20,100	1,250	21,350	20,100	1,250	21,350	32,855	1,382	34,237
जिसमें से : बिजली	6,447	2,465	8,912	19,800	1,250	21,050	19,800	1,250	21,050	32,540	1,382	33,922
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,226	4,037	6,263	2,839	3,555	6,394	2,839	3,555	6,394	2,440	4,069	6,510
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,869	1,200	3,069	2,424	1,326	3,750	2,424	1,326	3,750	2,098	1,554	3,652
ii) उद्योग@	357	2,837	3,194	415	2,229	2,644	415	2,229	2,644	342	2,516	2,858
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	–	7,655	7,655	–	7,948	7,948	–	7,948	7,948	–	8,521	8,521
i) सड़क और पुल	–	7,655	7,655	–	7,948	7,948	–	7,948	7,948	–	8,521	8,521
ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	13	13	–	28	28	–	28	28	–	31	31
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,716	1,425	3,141	8,619	1,763	10,382	8,619	1,763	10,382	7,411	2,071	9,482
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	1,153	462	1,615	5,125	600	5,725	5,125	600	5,725	6,625	797	7,422
ii) पर्यटन	247	89	335	2,933	155	3,088	2,933	155	3,088	364	163	527
iii) नागरिक आपूर्ति	151	464	615	300	452	752	300	452	752	125	488	613
iv) अन्य +	165	410	575	261	556	817	261	556	817	297	623	920
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**2,518**	**67,790**	**70,309**	**4,106**	**73,093**	**77,199**	**4,106**	**73,209**	**77,315**	**3,946**	**85,770**	**89,716**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**38**	**5,323**	**5,361**	**10**	**3,634**	**3,644**	**10**	**3,634**	**3,644**	**30**	**5,014**	**5,044**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**197**	**1,978**	**2,175**	**250**	**2,308**	**2,558**	**250**	**2,308**	**2,558**	**250**	**7,598**	**7,848**
i) कर और शुल्क वसूली	197	1,970	2,167	250	2,295	2,545	250	2,295	2,545	250	7,582	7,832
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	9	9	–	13	13	–	13	13	–	16	16
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**21,219**	**21,219**	**–**	**23,576**	**23,576**	**–**	**23,692**	**23,692**	**–**	**24,394**	**24,394**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	906	906	–	1,054	1,054	–	1,169	1,169	–	1,352	1,352
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	20,313	20,313	–	22,522	22,522	–	22,522	22,522	–	23,042	23,042
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	4,277	4,277	–	4,110	4,110	–	3,710	3,710	–	2,888	2,888
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	13,226	13,226	–	15,312	15,312	–	15,312	15,312	–	16,504	16,504
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	8,566	8,566	–	9,856	9,856	–	9,856	9,856	–	11,170	11,170
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	2,629	2,629	–	3,035	3,035	–	3,035	3,035	–	3,000	3,000
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	2,800	2,800	–	3,100	3,100	–	3,500	3,500	–	3,650	3,650
iv) अन्य	–	10	10	–	1	1	–	1	1	–	1	1
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**2,283**	**27,481**	**29,764**	**3,846**	**32,191**	**36,037**	**3,846**	**32,191**	**36,037**	**3,666**	**36,148**	**39,814**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	2,866	2,866	–	4,042	4,042	–	4,042	4,042	–	4,748	4,748
ii) जिला प्रशासन	–	943	943	–	1,123	1,123	–	1,123	1,123	–	1,268	1,268
iii) पुलिस	35	13,918	13,953	–	14,800	14,800	–	14,800	14,800	–	16,543	16,543
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	2,044	4,456	6,500	3,436	6,693	10,129	3,436	6,693	10,129	3,232	7,000	10,232
v) अन्य ++	204	5,298	5,502	410	5,533	5,943	410	5,533	5,943	434	6,588	7,022
उ. पेन्शन	**–**	**11,752**	**11,752**	**–**	**11,338**	**11,338**	**–**	**11,338**	**11,338**	**–**	**12,557**	**12,557**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**38**	**38**	**–**	**47**	**47**	**–**	**47**	**47**	**–**	**59**	**59**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	37	37	–	45	45	–	45	45	–	56	56
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*
मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**60,260**	**111,469**	**171,729**	**55,723**	**121,628**	**177,351**	**71,528**	**125,854**	**197,382**	**66,442**	**136,823**	**203,264**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**57,645**	**52,393**	**110,038**	**54,647**	**58,669**	**113,316**	**69,419**	**64,534**	**133,954**	**65,310**	**65,887**	**131,197**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**31,488**	**27,800**	**59,289**	**28,281**	**32,388**	**60,669**	**37,880**	**36,274**	**74,154**	**32,354**	**36,029**	**68,383**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,087	15,012	30,098	11,707	17,557	29,264	15,953	17,835	33,788	12,631	19,226	31,857
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,320	2,976	7,296	4,144	4,380	8,524	4,194	4,489	8,683	10,282	5,205	15,487
3. परिवार कल्याण	871	28	899	153	42	195	1,608	42	1,649	192	20	212
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,324	1,374	4,698	1,977	1,685	3,662	6,906	3,721	10,627	3,550	2,041	5,592
5. आवास निर्माण	660	397	1,056	398	415	813	751	415	1,166	383	432	815
6. शहरी विकास	1,558	241	1,799	5,424	554	5,978	1,866	584	2,450	1,047	433	1,480
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2,166	4,939	7,105	2,226	5,378	7,604	2,749	5,834	8,583	2,360	6,136	8,496
8. श्रम और श्रम कल्याण	233	162	395	180	181	361	251	206	457	180	209	389
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,679	616	2,296	662	658	1,319	2,156	712	2,868	768	702	1,470
10. पौष्टिक आहार	1,382	27	1,410	1,200	29	1,229	1,248	29	1,277	750	29	779
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	1,366	1,366	–	697	697	–	1,578	1,578	–	719	719
12. अन्य*	208	663	871	210	813	1,023	198	829	1,027	210	877	1,087
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**26,156**	**24,593**	**50,749**	**26,366**	**26,281**	**52,646**	**31,540**	**28,260**	**59,800**	**32,956**	**29,858**	**62,814**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	10,889	6,572	17,461	7,215	6,963	14,179	12,984	8,018	21,002	7,612	8,489	16,101
i) फसल कार्य	5,737	1,278	7,015	3,957	1,397	5,354	7,882	1,503	9,385	4,345	1,568	5,913
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	322	379	701	320	487	807	323	578	901	350	661	1,011
iii) पशु पालन	1,073	939	2,012	617	1,099	1,717	1,306	1,234	2,540	671	1,375	2,047
iv) डेरी विकास	83	39	122	50	44	94	49	56	105	50	52	102
v) मत्स्य पालन	363	134	497	250	185	435	568	193	762	396	228	623
vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,468	1,325	3,794	1,216	1,541	2,757	2,100	1,611	3,712	1,027	1,761	2,788
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	157	2,188	2,345	80	1,847	1,927	80	2,448	2,527	105	2,426	2,531
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	13	–	13	12	–	12	12	–	12	12	–	12
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	466	197	663	513	259	772	519	270	789	483	297	780
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	205	94	299	200	104	304	145	125	270	173	120	293
2. ग्रामीण विकास	4,380	428	4,808	4,409	556	4,965	4,703	657	5,360	6,417	895	7,313
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,635	-6	2,629	3,123	–	3,123	3,928	–	3,928	614	–	614
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	184	73	257	564	96	660	539	105	644	266	126	392
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1
ii) लघु सिंचाई	155	73	228	543	96	639	504	105	609	250	126	376
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	2,934	10,773	13,706	3,061	11,050	14,111	3,109	11,393	14,502	2,400	12,052	14,452
जिसमें से : बिजली	2,873	10,784	13,656	3,000	11,061	14,061	3,050	11,404	14,454	2,339	12,063	14,402
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,247	895	3,142	1,845	1,089	2,934	1,899	1,142	3,042	1,554	1,215	2,769
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,144	758	2,902	1,713	913	2,627	1,781	952	2,733	1,474	1,013	2,487
ii) उद्योग@	103	136	240	132	175	308	118	190	309	80	202	282
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	1,349	4,661	6,010	1,870	5,037	6,907	2,893	5,342	8,235	1,977	5,442	7,419
i) सड़क और पुल	846	3,468	4,314	842	3,500	4,342	1,260	3,767	5,027	910	3,776	4,686
ii) अन्य @@	503	1,193	1,696	1,028	1,537	2,565	1,632	1,575	3,208	1,067	1,666	2,733
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	170	–	170	239	10	249	238	16	254	234	23	257
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,369	1,198	2,567	4,039	1,481	5,520	1,247	1,587	2,834	11,881	1,615	13,497
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	315	363	678	3,254	498	3,752	218	512	730	11,091	531	11,622
ii) पर्यटन	331	38	369	310	88	398	397	101	498	330	105	435
iii) नागरिक आपूर्ति	444	496	940	214	570	784	334	627	961	210	620	831
iv) अन्य +	279	300	579	261	325	586	298	346	644	250	360	610
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**2,616**	**59,076**	**61,691**	**1,077**	**62,959**	**64,035**	**2,109**	**61,320**	**63,428**	**1,132**	**70,936**	**72,067**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**51**	**1,833**	**1,884**	**28**	**1,812**	**1,839**	**41**	**2,456**	**2,496**	**43**	**3,091**	**3,135**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**103**	**2,612**	**2,716**	**120**	**2,088**	**2,208**	**215**	**2,240**	**2,455**	**100**	**2,401**	**2,501**
i) कर और शुल्क वसूली	103	2,552	2,656	120	2,030	2,150	215	2,179	2,394	100	2,339	2,439
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	60	60	–	58	58	–	61	61	–	62	62
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**23,575**	**23,575**	**–**	**22,809**	**22,809**	**–**	**19,458**	**19,458**	**–**	**21,813**	**21,813**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	700	700	–	1,400	1,400	–	1,400	1,400	–	1,500	1,500
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	22,875	22,875	–	21,409	21,409	–	18,058	18,058	–	20,313	20,313
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	4,315	4,315	–	3,188	3,188	–	3,160	3,160	–	3,170	3,170
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	12,806	12,806	–	11,200	11,200	–	10,828	10,828	–	12,293	12,293
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	11,421	11,421	–	9,474	9,474	–	9,408	9,408	–	10,897	10,897
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	1,371	1,371	–	1,700	1,700	–	1,394	1,394	–	1,367	1,367
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	5,753	5,753	–	7,020	7,020	–	4,070	4,070	–	4,850	4,850
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**2,461**	**23,259**	**25,719**	**929**	**25,581**	**26,510**	**1,853**	**26,487**	**28,340**	**988**	**32,957**	**33,945**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	3,885	3,885	–	4,339	4,339	–	3,118	3,118	–	8,945	8,945
ii) जिला प्रशासन	125	1,383	1,508	140	1,537	1,677	141	1,618	1,759	200	1,575	1,775
iii) पुलिस	1,201	11,207	12,408	10	13,009	13,019	625	14,305	14,929	10	14,968	14,978
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	258	2,130	2,388	270	2,250	2,520	270	2,333	2,603	280	2,489	2,769
v) अन्य ++	877	4,654	5,531	509	4,446	4,955	817	5,113	5,930	498	4,980	5,479
उ. पेन्शन	**–**	**7,731**	**7,731**	**–**	**10,601**	**10,601**	**–**	**10,601**	**10,601**	**–**	**10,601**	**10,601**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**67**	**67**	**–**	**68**	**68**	**–**	**79**	**79**	**–**	**73**	**73**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	67	67	–	68	68	–	79	79	–	73	73
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*
नागालैंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**44,714**	**177,502**	**222,215**	**54,002**	**191,433**	**245,435**	**60,421**	**208,362**	**268,783**	**52,082**	**215,712**	**267,794**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**43,648**	**76,535**	**120,183**	**53,034**	**80,179**	**133,213**	**59,262**	**87,906**	**147,168**	**51,114**	**90,201**	**141,316**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**16,997**	**41,888**	**58,885**	**17,386**	**43,735**	**61,121**	**19,962**	**45,894**	**65,855**	**17,341**	**47,764**	**65,105**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,447	26,048	33,494	6,819	28,250	35,069	9,270	30,339	39,609	6,819	31,603	38,422
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,361	9,180	10,542	1,518	8,977	10,495	740	9,205	9,945	1,518	9,603	11,120
3. परिवार कल्याण	663	436	1,099	1,867	459	2,325	804	471	1,275	1,867	495	2,362
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	226	2,493	2,719	127	2,280	2,407	130	2,317	2,447	127	2,430	2,556
5. आवास निर्माण	200	255	455	400	302	702	400	318	718	400	333	733
6. शहरी विकास	13	–	13	64	386	450	75	-304	-229	19	–	19
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,478	–	1,478	1,331	–	1,331	1,732	–	1,732	1,331	–	1,331
8. श्रम और श्रम कल्याण	365	616	981	295	663	958	439	694	1,133	295	726	1,020
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,392	1,132	3,524	2,394	721	3,114	2,970	760	3,730	2,394	770	3,164
10. पौष्टिक आहार	2,516	15	2,531	2,370	16	2,386	2,932	16	2,948	2,370	17	2,387
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	564	564	–	405	405	–	892	892	–	416	416
12. अन्य*	336	1,149	1,485	202	1,276	1,478	470	1,186	1,656	202	1,373	1,575
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**26,651**	**34,646**	**61,298**	**35,648**	**36,443**	**72,092**	**39,301**	**42,012**	**81,313**	**33,773**	**42,437**	**76,211**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	9,204	9,049	18,252	9,672	9,431	19,103	12,006	9,687	21,693	9,672	9,960	19,633
i) फसल कार्य	2,780	2,410	5,190	2,668	2,379	5,047	4,316	2,538	6,854	2,668	2,549	5,217
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	2,196	1,039	3,235	1,398	1,062	2,460	2,072	1,106	3,178	1,398	1,162	2,560
iii) पशु पालन	1,399	1,939	3,339	1,220	2,125	3,344	1,360	2,191	3,550	1,220	2,302	3,521
iv) डेरी विकास	184	40	224	180	26	206	–	26	26	180	29	209
v) मत्स्य पालन	378	462	839	468	448	916	564	447	1,011	468	470	938
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,611	1,721	3,332	3,059	1,798	4,857	2,859	1,779	4,638	3,059	1,864	4,923
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	108	588	697	22	617	640	22	649	671	22	676	699
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	174	380	554	183	415	598	183	437	620	183	444	627
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	375	468	843	474	562	1,036	630	514	1,145	474	465	939
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	4,306	2,683	6,989	7,295	2,092	9,387	6,263	4,517	10,780	5,202	4,327	9,529
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,245	204	2,449	3,050	234	3,284	4,415	319	4,734	3,050	262	3,312
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,617	712	3,329	5,020	818	5,838	5,438	867	6,305	5,020	911	5,931
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	2,617	712	3,329	5,020	818	5,838	5,438	867	6,305	5,020	911	5,931
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	50	11,318	11,368	51	9,802	9,853	51	12,245	12,296	51	11,603	11,654
जिसमें से : बिजली	–	11,318	11,318	–	9,765	9,765	–	12,206	12,206	–	11,562	11,562
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,765	1,554	4,319	4,397	2,293	6,689	4,402	2,407	6,808	4,397	2,425	6,822
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,671	1,007	3,678	4,204	1,717	5,920	4,209	1,792	6,001	4,204	1,779	5,982
ii) उद्योग@	95	546	641	193	576	769	193	615	808	193	646	839
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

नागालैंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	35	7,569	7,604	80	9,604	9,684	263	10,014	10,277	80	10,746	10,826
i) सड़क और पुल	–	5,631	5,631	–	7,658	7,658	–	7,927	7,927	–	8,681	8,681
ii) अन्य @@	35	1,938	1,973	80	1,946	2,026	263	2,087	2,350	80	2,064	2,144
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	589	61	650	733	42	775	686	42	728	733	44	777
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	4,840	1,497	6,337	5,351	2,127	7,477	5,777	1,914	7,691	5,569	2,159	7,728
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	3,904	796	4,700	4,751	935	5,686	4,751	1,012	5,763	4,751	1,073	5,824
ii) पर्यटन	347	177	524	382	196	578	408	205	613	382	215	597
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	588	525	1,113	218	995	1,213	619	696	1,315	436	871	1,307
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**1,065**	**100,967**	**102,032**	**968**	**111,254**	**112,222**	**1,159**	**120,457**	**121,615**	**968**	**125,511**	**126,479**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**–**	**2,662**	**2,662**	**50**	**2,873**	**2,923**	**50**	**3,686**	**3,736**	**50**	**2,558**	**2,608**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**520**	**1,769**	**2,289**	**547**	**1,851**	**2,398**	**563**	**1,948**	**2,511**	**547**	**2,007**	**2,554**
i) कर और शुल्क वसूली	520	1,767	2,287	547	1,849	2,396	563	1,944	2,507	547	2,003	2,550
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	2	2	–	2	2	–	4	4	–	4	4
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**27,969**	**27,969**	**–**	**32,843**	**32,843**	**–**	**31,076**	**31,076**	**–**	**35,001**	**35,001**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	1,918	1,918	–	1,918	1,918	–	2,054	2,054
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	27,969	27,969	–	30,925	30,925	–	29,158	29,158	–	32,947	32,947
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	4,640	4,640	–	3,246	3,246	–	1,659	1,659	–	3,092	3,092
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	19,521	19,521	–	23,712	23,712	–	23,531	23,531	–	25,755	25,755
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	13,626	13,626	–	17,662	17,662	–	16,662	16,662	–	17,662	17,662
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	1,011	1,011	–	–	–	–	1,080	1,080	–	1,100	1,100
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	3,808	3,808	–	3,968	3,968	–	3,968	3,968	–	4,100	4,100
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**545**	**48,249**	**48,794**	**371**	**47,973**	**48,344**	**546**	**58,001**	**58,547**	**371**	**56,697**	**57,068**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	3,485	3,485	–	3,343	3,343	–	3,896	3,896	–	3,551	3,551
ii) जिला प्रशासन	89	4,170	4,258	50	3,978	4,028	100	4,188	4,288	50	4,318	4,368
iii) पुलिस	150	33,277	33,427	–	33,249	33,249	–	42,162	42,162	–	40,981	40,981
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	9	2,971	2,980	–	2,843	2,843	–	2,527	2,527	–	2,876	2,876
v) अन्य ++	298	4,347	4,644	321	4,560	4,881	446	5,228	5,674	321	4,971	5,292
उ. पेन्शन	**–**	**20,174**	**20,174**	**–**	**25,585**	**25,585**	**–**	**25,585**	**25,585**	**–**	**29,095**	**29,095**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**144**	**144**	**–**	**129**	**129**	**–**	**161**	**161**	**–**	**153**	**153**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	87	87	–	97	97	–	103	103	–	106	106
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**272,659**	**1,304,544**	**1,577,203**	**410,926**	**1,431,221**	**1,842,147**	**436,557**	**1,533,352**	**1,969,909**	**536,770**	**1,733,885**	**2,270,655**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**271,484**	**528,225**	**799,709**	**405,900**	**589,352**	**995,252**	**432,804**	**642,287**	**1,075,091**	**530,619**	**692,447**	**1,223,067**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**151,310**	**370,745**	**522,055**	**209,139**	**395,656**	**604,795**	**233,826**	**440,513**	**674,339**	**282,811**	**483,541**	**766,351**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	31,935	215,500	247,435	64,781	237,918	302,699	71,547	265,360	336,907	106,465	289,021	395,486
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	483	47,468	47,951	13,057	57,108	70,165	13,802	57,333	71,134	22,231	65,538	87,770
3. परिवार कल्याण	8,626	971	9,597	11,268	1,194	12,462	12,452	1,303	13,755	13,330	1,457	14,787
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,816	11,971	25,787	13,529	11,137	24,666	15,771	11,206	26,976	12,351	10,941	23,292
5. आवास निर्माण	741	10,011	10,752	15	13,085	13,100	50	13,120	13,170	15	14,328	14,343
6. शहरी विकास	2,460	2,623	5,083	7,320	2,534	9,854	11,138	2,584	13,722	12,347	2,576	14,923
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	27,402	13,799	41,201	33,477	16,983	50,460	33,755	18,443	52,198	34,001	18,832	52,833
8. श्रम और श्रम कल्याण	2,223	2,417	4,640	2,779	2,739	5,518	2,733	2,907	5,640	742	2,973	3,715
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	33,446	21,100	54,546	41,426	24,786	66,212	45,198	24,899	70,097	56,847	25,470	82,317
10. पौष्टिक आहार	24,518	118	24,636	19,718	148	19,866	25,439	148	25,588	21,961	162	22,123
11. प्राकृतिक आपदा राहत	4,444	41,331	45,775	707	24,117	24,824	600	39,117	39,717	1,250	47,897	49,147
12. अन्य*	1,216	3,437	4,653	1,063	3,907	4,970	1,341	4,094	5,435	1,270	4,345	5,615
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**120,175**	**157,480**	**277,654**	**196,762**	**193,696**	**390,458**	**198,978**	**201,774**	**400,752**	**247,809**	**208,907**	**456,715**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	23,829	41,415	65,243	47,404	50,290	97,694	51,863	52,337	104,201	60,115	55,336	115,451
i) फसल कार्य	6,821	9,429	16,250	25,489	13,837	39,326	30,310	13,735	44,045	24,257	15,398	39,654
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	5,288	3,024	8,312	2,761	3,139	5,900	3,421	3,369	6,790	3,130	3,553	6,683
iii) पशु पालन	1,311	8,041	9,352	2,182	9,030	11,212	2,837	9,529	12,366	2,997	10,065	13,062
iv) डेरी विकास	348	38	386	224	51	275	525	51	576	669	41	709
v) मत्स्य पालन	1,505	1,768	3,273	2,413	1,944	4,357	2,258	2,132	4,390	3,042	2,236	5,278
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,985	8,535	12,520	11,926	10,921	22,847	7,619	11,541	19,159	16,964	11,944	28,908
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	848	4,394	5,242	519	4,540	5,059	664	4,601	5,265	3,526	4,633	8,159
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	391	2,679	3,070	389	2,791	3,180	383	3,090	3,473	390	3,015	3,405
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	3,328	3,311	6,639	1,403	3,811	5,214	3,749	4,040	7,789	5,028	4,194	9,222
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3	195	198	98	226	324	98	249	347	113	256	369
2. ग्रामीण विकास	32,933	28,078	61,011	72,816	30,413	103,229	63,645	31,150	94,794	77,912	31,071	108,983
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,521	21,544	28,066	8,367	28,463	36,830	10,282	33,111	43,393	12,406	31,123	43,528
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	292	12,099	12,391	140	17,122	17,262	213	18,145	18,358	140	18,800	18,940
ii) लघु सिंचाई	3,945	4,516	8,461	5,857	6,045	11,902	6,934	6,897	13,831	8,357	6,600	14,957
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	4,839	4,839	–	4,811	4,811	–	7,585	7,585	–	5,200	5,200
5. ऊर्जा	2,915	363	3,277	10,936	397	11,333	18,440	406	18,846	22,477	431	22,908
जिसमें से : बिजली	2,806	346	3,152	8,535	380	8,915	15,800	389	16,189	20,120	404	20,524
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	6,713	4,602	11,315	9,513	5,186	14,699	10,415	5,486	15,901	12,433	5,701	18,134
i) ग्राम और लघु उद्योग	4,567	3,156	7,722	6,092	3,484	9,576	7,281	3,728	11,009	7,708	3,900	11,607
ii) उद्योग@	1,963	1,446	3,409	3,396	1,702	5,098	3,089	1,758	4,847	3,698	1,802	5,500
iii) अन्य**	184	–	184	25	–	25	45	–	45	1,027	–	1,027

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	2	56,323	56,324	5,475	73,148	78,623	5,203	73,100	78,303	11,873	78,730	90,603
i) सड़क और पुल	–	55,846	55,846	5,473	72,684	78,157	5,201	72,628	77,829	11,825	78,190	90,015
ii) अन्य @@	2	477	478	2	464	466	2	472	474	48	540	588
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,420	299	1,718	3,085	341	3,426	1,544	341	1,884	3,269	388	3,657
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	45,842	4,857	50,699	39,166	5,458	44,624	37,586	5,843	43,429	47,325	6,127	53,452
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	45,370	3,249	48,619	38,690	3,684	42,374	37,223	3,896	41,119	46,346	4,122	50,468
ii) पर्यटन	382	342	723	324	373	697	144	400	544	465	427	892
iii) नागरिक आपूर्ति	–	181	181	4	205	209	10	246	256	74	230	304
iv) अन्य +	91	1,085	1,176	148	1,196	1,344	208	1,302	1,510	440	1,348	1,788
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**1,175**	**749,093**	**750,267**	**5,026**	**809,780**	**814,806**	**3,753**	**855,331**	**859,084**	**6,150**	**1,003,738**	**1,009,888**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**240**	**13,225**	**13,465**	**228**	**11,079**	**11,307**	**361**	**12,822**	**13,183**	**362**	**16,030**	**16,392**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**808**	**19,209**	**20,016**	**3,554**	**22,588**	**26,142**	**2,855**	**23,863**	**26,718**	**3,882**	**24,804**	**28,686**
i) कर और शुल्क वसूली	808	18,969	19,776	3,554	22,291	25,845	2,855	23,553	26,408	3,882	24,466	28,348
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	240	240	–	297	297	–	310	310	–	338	338
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**467,650**	**467,650**	**–**	**434,918**	**434,918**	**–**	**474,918**	**474,918**	**–**	**461,237**	**461,237**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	148,807	148,807	–	30,007	30,007	–	70,007	70,007	–	30,007	30,007
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	318,843	318,843	–	404,911	404,911	–	404,911	404,911	–	431,230	431,230
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	70,120	70,120	–	117,801	117,801	–	117,501	117,501	–	126,932	126,932
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	169,677	169,677	–	202,390	202,390	–	202,690	202,690	–	229,171	229,171
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	89,118	89,118	–	83,684	83,684	–	83,684	83,684	–	64,773	64,773
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	59,967	59,967	–	97,826	97,826	–	97,826	97,826	–	143,005	143,005
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	79,038	79,038	–	84,714	84,714	–	84,714	84,714	–	75,120	75,120
iv) अन्य	–	8	8	–	6	6	–	6	6	–	6	6
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**127**	**91,180**	**91,307**	**1,244**	**109,055**	**110,299**	**537**	**114,131**	**114,668**	**1,906**	**214,084**	**215,989**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	32	5,176	5,208	11	5,777	5,788	11	6,085	6,096	455	96,413	96,868
ii) जिला प्रशासन	–	4,813	4,813	946	5,307	6,253	–	5,593	5,593	–	5,923	5,923
iii) पुलिस	–	48,879	48,879	–	61,485	61,485	75	63,408	63,483	–	68,525	68,525
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	16,557	16,557	10	19,420	19,430	56	20,253	20,309	10	21,968	21,978
v) अन्य ++	95	15,754	15,849	277	17,066	17,343	395	18,792	19,187	1,441	21,255	22,696
उ. पेन्शन	**–**	**148,459**	**148,459**	**–**	**212,626**	**212,626**	**–**	**210,083**	**210,083**	**–**	**279,565**	**279,565**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**9,370**	**9,370**	**–**	**19,514**	**19,514**	**–**	**19,514**	**19,514**	**–**	**8,018**	**8,018**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**27,226**	**27,226**	**–**	**32,089**	**32,089**	**–**	**35,733**	**35,733**	**–**	**37,700**	**37,700**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	27,226	27,226	–	32,089	32,089	–	35,733	35,733	–	37,700	37,700

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**98,055**	**1,756,323**	**1,854,378**	**214,266**	**2,244,631**	**2,458,897**	**181,159**	**2,268,203**	**2,449,362**	**220,207**	**2,305,912**	**2,526,119**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**94,344**	**693,315**	**787,659**	**212,394**	**843,927**	**1,056,322**	**177,837**	**939,377**	**1,117,214**	**217,311**	**886,993**	**1,104,304**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**23,502**	**386,870**	**410,372**	**66,199**	**429,078**	**495,277**	**50,702**	**443,520**	**494,222**	**123,877**	**462,427**	**586,304**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,441	222,384	231,826	35,398	256,741	292,139	27,854	274,198	302,052	38,565	278,640	317,204
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	141	62,057	62,198	4,656	71,042	75,698	2,114	72,012	74,126	3,962	76,048	80,010
3. परिवार कल्याण	4,975	1,730	6,705	7,253	1,858	9,111	5,724	1,806	7,531	7,250	1,985	9,235
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6	22,975	22,981	–	22,629	22,629	–	22,182	22,182	–	23,716	23,716
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. शहरी विकास	7	11,644	11,651	–	4,813	4,813	–	4,828	4,828	–	4,966	4,966
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,589	6,345	7,934	7,144	6,976	14,120	4,109	6,873	10,982	14,420	7,339	21,759
8. श्रम और श्रम कल्याण	5	6,216	6,220	2,263	7,627	9,890	2,117	7,090	9,207	5,329	7,697	13,026
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,734	36,301	43,035	8,485	12,652	21,136	8,083	13,367	21,450	52,734	13,353	66,087
10. पौष्टिक आहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	14,982	14,982	–	42,278	42,278	–	38,182	38,182	–	45,808	45,808
12. अन्य*	604	2,236	2,840	1,000	2,463	3,463	700	2,979	3,679	1,618	2,876	4,494
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**70,842**	**306,445**	**377,288**	**146,196**	**414,849**	**561,045**	**127,135**	**495,857**	**622,992**	**93,433**	**424,567**	**518,000**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	6,933	40,439	47,372	40,499	46,881	87,380	31,142	47,683	78,825	44,406	50,160	94,566
i) फसल कार्य	1,168	7,007	8,175	21,419	8,631	30,051	15,511	8,653	24,164	26,262	8,900	35,162
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	365	3,333	3,698	1,301	3,276	4,577	1,248	3,467	4,716	1,652	3,548	5,199
iii) पशु पालन	969	11,912	12,881	3,725	13,002	16,727	5,728	13,279	19,007	4,297	14,466	18,763
iv) डेरी विकास	–	517	517	8,798	591	9,389	2,003	582	2,585	3,949	637	4,586
v) मत्स्य पालन	14	654	668	953	741	1,694	534	789	1,323	887	861	1,748
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,918	2,443	6,361	3,965	2,767	6,732	3,780	2,772	6,552	5,620	3,364	8,984
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	500	9,615	10,115	300	12,596	12,896	2,300	12,595	14,895	700	12,603	13,303
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	–	4,640	4,640	38	4,938	4,976	38	5,207	5,246	1,038	5,418	6,456
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	318	318	–	339	339	–	339	339	1	365	366
2. ग्रामीण विकास	432	6,191	6,623	31,181	6,249	37,430	18,191	7,118	25,308	33,848	7,499	41,347
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	–	51,943	51,943	–	66,834	66,834	–	64,820	64,820	–	68,415	68,415
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	42,786	42,786	–	56,063	56,063	–	53,515	53,515	–	56,474	56,474
ii) लघु सिंचाई	–	4,366	4,366	–	4,849	4,849	–	5,100	5,100	–	5,483	5,483
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	4,790	4,790	–	5,272	5,272	–	5,556	5,556	–	5,808	5,808
5. ऊर्जा	–	142,747	142,747	–	200,420	200,420	–	284,503	284,503	–	200,464	200,464
जिसमें से : बिजली	–	142,708	142,708	–	200,357	200,357	–	284,439	284,439	–	200,394	200,394
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	10,575	3,239	13,814	181	12,868	13,050	281	12,895	13,177	303	13,124	13,427
i) ग्राम और लघु उद्योग	75	3,106	3,181	181	2,668	2,850	281	2,691	2,973	303	2,911	3,213
ii) उद्योग@	10,500	132	10,632	–	10,200	10,200	–	10,204	10,204	–	10,214	10,214
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	–	55,160	55,160	350	48,611	48,961	–	45,694	45,694	–	46,958	46,958
i) सड़क और पुल	–	30,483	30,483	–	23,862	23,862	–	23,465	23,465	–	23,626	23,626
ii) अन्य @@	–	24,677	24,677	350	24,749	25,099	–	22,229	22,229	–	23,332	23,332
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	5	86	91	1,820	94	1,914	1,674	94	1,768	3,061	99	3,160
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	52,897	6,640	59,537	72,165	32,892	105,057	75,847	33,050	108,897	11,815	37,847	49,662
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	52,717	600	53,317	71,931	709	72,640	75,666	725	76,391	11,416	734	12,150
ii) पर्यटन	30	67	97	110	83	193	10	87	97	100	73	173
iii) नागरिक आपूर्ति	11	5,030	5,041	113	30,887	31,000	129	30,938	31,067	276	35,713	35,989
iv) अन्य +	140	942	1,082	11	1,213	1,224	42	1,301	1,342	23	1,327	1,350
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**361**	**1,033,503**	**1,033,864**	**1,872**	**1,344,157**	**1,346,029**	**3,322**	**1,254,031**	**1,257,353**	**2,896**	**1,337,094**	**1,339,990**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**–**	**16,833**	**16,833**	**164**	**18,039**	**18,203**	**170**	**20,302**	**20,472**	**180**	**20,609**	**20,789**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**–**	**23,003**	**23,003**	**1,598**	**26,838**	**28,436**	**2,999**	**24,270**	**27,269**	**1,758**	**23,327**	**25,085**
i) कर और शुल्क वसूली	–	17,605	17,605	1,598	21,002	22,600	2,999	20,234	23,233	1,758	21,727	23,485
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	5,398	5,398	–	5,836	5,836	–	4,036	4,036	–	1,600	1,600
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**415,178**	**415,178**	**–**	**435,646**	**435,646**	**–**	**435,475**	**435,475**	**–**	**481,787**	**481,787**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	415,178	415,178	–	435,646	435,646	–	435,475	435,475	–	481,787	481,787
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	4,635	4,635	–	4,678	4,678	–	3,615	3,615	–	4,470	4,470
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	336,354	336,354	–	349,437	349,437	–	347,982	347,982	–	379,087	379,087
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	73,394	73,394	–	77,462	77,462	–	77,462	77,462	–	116,052	116,052
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	197,085	197,085	–	206,519	206,519	–	207,419	207,419	–	203,455	203,455
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	58,073	58,073	–	62,972	62,972	–	63,107	63,107	–	72,807	72,807
iv) अन्य	–	16,116	16,116	–	18,559	18,559	–	20,771	20,771	–	25,424	25,424
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**361**	**183,302**	**183,663**	**110**	**205,149**	**205,259**	**153**	**216,993**	**217,146**	**958**	**235,500**	**236,458**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	35	6,257	6,293	–	7,081	7,081	43	7,825	7,869	630	8,364	8,994
ii) जिला प्रशासन	–	10,998	10,998	–	12,697	12,697	–	13,108	13,108	–	13,092	13,092
iii) पुलिस	–	125,518	125,518	–	134,601	134,601	–	144,550	144,550	–	157,593	157,593
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	17,332	17,332	–	26,426	26,426	–	26,336	26,336	–	28,595	28,595
v) अन्य ++	325	23,197	23,522	110	24,344	24,454	110	25,174	25,284	328	27,857	28,185
उ. पेन्शन	**–**	**190,543**	**190,543**	**–**	**179,085**	**179,085**	**–**	**202,836**	**202,836**	**–**	**211,198**	**211,198**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**204,644**	**204,644**	**–**	**479,400**	**479,400**	**–**	**354,154**	**354,154**	**–**	**364,673**	**364,673**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	204,473	204,473	–	479,189	479,189	–	353,856	353,856	–	364,461	364,461
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**3,350**	**29,505**	**32,855**	**–**	**56,547**	**56,547**	**–**	**74,796**	**74,796**	**–**	**81,824**	**81,824**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	3,350	29,505	32,855	–	56,547	56,547	–	74,796	74,796	–	81,824	81,824

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**380,012**	**2,115,367**	**2,495,379**	**514,304**	**2,324,169**	**2,838,473**	**525,339**	**2,462,765**	**2,988,104**	**628,553**	**2,551,758**	**3,180,311**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**371,903**	**1,087,842**	**1,459,745**	**511,537**	**1,158,851**	**1,670,388**	**510,469**	**1,370,727**	**1,881,196**	**612,491**	**1,340,686**	**1,953,177**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**160,100**	**733,353**	**893,453**	**168,958**	**816,100**	**985,058**	**209,150**	**836,607**	**1,045,756**	**259,116**	**964,803**	**1,223,919**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	52,118	439,616	491,734	42,169	482,102	524,271	62,973	493,245	556,218	95,816	580,480	676,296
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	18,206	89,784	107,990	23,470	100,291	123,761	20,604	99,644	120,248	35,545	120,336	155,880
3. परिवार कल्याण	13,935	2,621	16,556	22,036	3,124	25,160	26,148	2,689	28,837	27,490	1,401	28,890
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,187	89,620	91,807	80	89,635	89,715	80	89,075	89,155	87	94,474	94,561
5. आवास निर्माण	–	2,139	2,139	–	2,450	2,450	–	2,680	2,680	–	2,751	2,751
6. शहरी विकास	10,503	5,199	15,701	12,522	67,223	79,745	15,327	67,297	82,624	15,468	73,345	88,813
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	20,530	3,784	24,314	21,399	4,776	26,175	32,306	4,848	37,154	25,549	5,295	30,845
8. श्रम और श्रम कल्याण	332	4,739	5,071	447	5,244	5,691	1,019	5,258	6,277	1,852	6,200	8,052
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12,376	20,255	32,630	7,685	23,977	31,662	13,541	28,017	41,559	12,246	28,388	40,634
10. पौष्टिक आहार	29,899	125	30,024	39,133	136	39,269	37,059	145	37,204	44,850	167	45,017
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	72,492	72,492	–	34,568	34,568	–	39,878	39,878	–	48,416	48,416
12. अन्य*	13	2,979	2,992	17	2,574	2,591	93	3,829	3,922	213	3,550	3,763
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**211,803**	**354,489**	**566,292**	**342,579**	**342,751**	**685,330**	**301,319**	**534,121**	**835,439**	**353,375**	**375,882**	**729,258**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	36,362	51,985	88,346	32,279	55,917	88,196	42,038	57,339	99,378	52,389	67,502	119,891
i) फसल कार्य	24,804	12,802	37,606	15,329	13,763	29,092	29,669	14,193	43,862	35,640	16,292	51,932
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	4,172	1,840	6,012	6,139	1,931	8,070	1,313	1,850	3,163	3,015	1,783	4,799
iii) पशु पालन	1,825	13,121	14,945	2,157	14,697	16,854	3,035	14,805	17,840	5,116	18,095	23,211
iv) डेरी विकास	173	–	173	345	–	345	396	–	396	200	–	200
v) मत्स्य पालन	125	743	869	123	812	935	108	827	935	92	945	1,037
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,338	15,425	18,763	4,966	16,127	21,093	3,487	17,038	20,524	2,390	21,079	23,468
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	414	–	414	389	–	389	271	–	271	92	–	92
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	627	5,263	5,890	611	5,313	5,924	799	5,315	6,115	777	5,449	6,226
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	884	2,485	3,369	2,220	2,940	5,160	2,960	2,979	5,939	4,517	3,466	7,983
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	306	306	–	334	334	–	333	333	550	393	943
2. ग्रामीण विकास	58,968	37,153	96,121	72,510	44,476	116,986	106,726	46,253	152,979	189,311	47,265	236,576
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	15	–	15	21	–	21	33	–	33
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,901	97,480	99,381	1,887	101,577	103,464	1,920	103,741	105,661	3,574	108,074	111,648
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	966	87,187	88,154	1,001	90,803	91,804	998	92,669	93,667	1,210	97,827	99,038
ii) लघु सिंचाई	54	6,765	6,818	25	7,154	7,179	25	7,370	7,395	1,385	8,052	9,437
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	54,452	119,811	174,263	40,340	88,471	128,811	43,821	272,592	316,413	50,351	96,735	147,086
जिसमें से : बिजली	54,410	119,811	174,221	40,280	88,470	128,750	43,750	272,592	316,342	50,255	96,735	146,990
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	3,325	6,686	10,012	3,571	6,827	10,398	3,772	7,159	10,931	2,905	7,793	10,697
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,396	1,217	2,614	1,646	1,227	2,873	1,980	1,375	3,355	1,668	1,332	3,000
ii) उद्योग@	1,929	5,469	7,398	1,925	5,600	7,525	1,792	5,784	7,576	1,237	6,460	7,697
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	33,567	35,301	68,868	32,216	38,956	71,172	34,984	40,578	75,562	35,000	41,090	76,090
i) सड़क और पुल	33,567	34,323	67,890	32,216	38,956	71,172	34,984	39,352	74,336	35,000	41,080	76,080
ii) अन्य @@	–	978	978	–	–	–	–	1,226	1,226	–	10	10
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	128	262	390	267	286	553	356	288	644	398	333	732
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	23,100	5,811	28,912	159,494	6,241	165,735	67,680	6,170	73,850	19,414	7,091	26,505
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	19,386	938	20,325	155,369	1,048	156,417	61,836	1,055	62,891	14,304	1,238	15,542
ii) पर्यटन	2,059	284	2,343	1,946	311	2,257	1,980	307	2,287	1,755	360	2,115
iii) नागरिक आपूर्ति	575	3,349	3,924	774	3,554	4,328	867	3,489	4,356	795	3,970	4,765
iv) अन्य +	1,081	1,240	2,321	1,405	1,328	2,733	2,997	1,319	4,316	2,561	1,522	4,083
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**8,109**	**1,026,769**	**1,034,878**	**2,767**	**1,163,610**	**1,166,377**	**14,870**	**1,090,381**	**1,105,251**	**16,062**	**1,209,901**	**1,225,963**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**1,172**	**21,261**	**22,433**	**1,255**	**23,074**	**24,329**	**1,268**	**23,603**	**24,871**	**1,952**	**29,480**	**31,432**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**5,713**	**39,111**	**44,824**	**1,313**	**43,914**	**45,227**	**10,808**	**44,973**	**55,781**	**13,802**	**49,825**	**63,627**
i) कर और शुल्क वसूली	5,713	38,340	44,053	1,313	43,263	44,576	10,808	44,432	55,240	13,802	49,626	63,428
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	771	771	–	651	651	–	541	541	–	199	199
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**605,182**	**605,182**	**–**	**672,563**	**672,563**	**–**	**592,170**	**592,170**	**–**	**644,052**	**644,052**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	35,000	35,000	–	60,000	60,000	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	570,182	570,182	–	612,563	612,563	–	592,170	592,170	–	644,052	644,052
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	63,142	63,142	–	64,556	64,556	–	61,321	61,321	–	63,595	63,595
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	387,471	387,471	–	414,842	414,842	–	398,005	398,005	–	435,590	435,590
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	132,450	132,450	–	144,415	144,415	–	138,361	138,361	–	176,982	176,982
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	235,916	235,916	–	251,582	251,582	–	241,708	241,708	–	239,265	239,265
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	116,316	116,316	–	128,867	128,867	–	128,667	128,667	–	140,337	140,337
iv) अन्य	–	3,253	3,253	–	4,298	4,298	–	4,177	4,177	–	4,531	4,531
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**1,224**	**148,130**	**149,354**	**199**	**157,119**	**157,318**	**2,794**	**162,584**	**165,378**	**308**	**184,804**	**185,112**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	5	5,239	5,243	10	6,019	6,029	29	6,220	6,250	160	7,221	7,381
ii) जिला प्रशासन	52	13,130	13,182	–	14,684	14,684	–	14,515	14,515	–	17,003	17,003
iii) पुलिस	1,025	93,276	94,301	43	101,882	101,925	2,455	105,830	108,285	45	121,551	121,595
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	62	14,615	14,677	85	13,526	13,611	96	13,679	13,775	100	15,164	15,264
v) अन्य ++	80	21,871	21,951	61	21,008	21,069	213	22,341	22,554	3	23,866	23,869
उ. पेन्शन	**–**	**211,624**	**211,624**	**–**	**265,482**	**265,482**	**–**	**265,452**	**265,452**	**–**	**300,081**	**300,081**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**1,460**	**1,460**	**–**	**1,458**	**1,458**	**–**	**1,600**	**1,600**	**–**	**1,659**	**1,659**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**756**	**756**	**–**	**1,708**	**1,708**	**–**	**1,657**	**1,657**	**–**	**1,172**	**1,172**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	756	756	–	1,708	1,708	–	1,657	1,657	–	1,172	1,172

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**33,650**	**155,106**	**188,756**	**46,253**	**191,749**	**238,002**	**47,646**	**194,683**	**242,328**	**56,384**	**167,292**	**223,675**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**32,984**	**30,961**	**63,944**	**43,820**	**34,491**	**78,311**	**45,295**	**36,384**	**81,679**	**55,458**	**36,835**	**92,293**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**16,514**	**19,068**	**35,581**	**21,445**	**21,670**	**43,115**	**22,798**	**23,247**	**46,045**	**24,992**	**23,492**	**48,484**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	8,797	12,361	21,158	10,536	13,325	23,861	11,445	13,423	24,868	12,715	14,611	27,326
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,779	3,145	4,924	3,037	3,610	6,647	3,012	3,709	6,722	3,237	3,984	7,222
3. परिवार कल्याण	560	–	560	606	–	606	606	–	606	621	–	621
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	877	621	1,498	1,468	584	2,052	1,328	584	1,913	1,610	608	2,218
5. आवास निर्माण	1,134	269	1,403	1,577	571	2,148	1,521	571	2,092	941	536	1,477
6. शहरी विकास	372	275	646	351	324	675	282	324	605	885	323	1,208
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	870	445	1,315	831	277	1,108	1,147	278	1,426	1,331	281	1,612
8. श्रम और श्रम कल्याण	97	85	182	165	94	259	165	94	259	148	100	247
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,116	274	1,390	1,527	286	1,813	1,731	304	2,035	2,036	372	2,407
10. पौष्टिक आहार	514	45	559	619	46	665	604	46	650	920	48	967
11. प्राकृतिक आपदा राहत	2	981	983	228	1,868	2,096	456	3,221	3,677	–	1,925	1,925
12. अन्य*	396	565	961	500	685	1,185	500	692	1,192	550	704	1,254
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**16,470**	**11,893**	**28,363**	**22,375**	**12,821**	**35,196**	**22,497**	**13,137**	**35,634**	**30,466**	**13,343**	**43,809**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	6,257	4,846	11,103	7,534	5,245	12,779	8,959	5,505	14,464	11,396	5,625	17,021
i) फसल कार्य	1,257	1,109	2,367	1,670	1,231	2,901	1,899	1,277	3,176	2,838	1,276	4,114
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	142	284	426	140	289	429	162	295	457	145	308	453
iii) पशु पालन	770	692	1,462	997	757	1,754	1,160	757	1,917	1,610	777	2,388
iv) डेरी विकास	380	20	400	485	20	505	485	20	505	685	29	714
v) मत्स्य पालन	43	157	200	146	171	317	146	171	317	163	175	338
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,333	1,189	2,522	1,427	1,252	2,679	1,649	1,277	2,925	1,535	1,327	2,862
vii) बागान	–	278	278	–	282	282	–	294	294	–	282	282
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	247	768	1,015	205	856	1,061	208	1,027	1,235	236	1,033	1,268
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	14	–	14	40	–	40	40	–	40	25	–	25
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	188	347	536	349	387	736	358	387	745	400	418	818
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1,882	–	1,882	2,075	–	2,075	2,854	–	2,854	3,759	–	3,759
2. ग्रामीण विकास	3,332	328	3,660	3,615	327	3,942	3,554	327	3,881	4,081	334	4,414
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	424	–	424	150	–	150	163	–	163	150	–	150
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,415	135	1,550	1,140	142	1,282	1,529	142	1,671	5,934	148	6,082
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	651	121	772	755	135	890	770	135	905	944	141	1,085
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	764	14	778	360	7	367	734	7	741	4,945	7	4,952
5. ऊर्जा	1,901	1,917	3,819	1,782	2,374	4,156	1,847	2,379	4,226	2,454	2,266	4,720
जिसमें से : बिजली	1,858	1,917	3,776	1,700	2,374	4,074	1,765	2,379	4,144	2,396	2,266	4,662
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	762	415	1,177	2,211	434	2,646	2,211	461	2,673	1,574	456	2,029
i) ग्राम और लघु उद्योग	578	321	899	812	333	1,146	812	360	1,173	1,008	353	1,361
ii) उद्योग@	184	94	278	1,399	101	1,500	1,399	101	1,500	566	103	669
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*
सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	1,029	3,972	5,001	2,264	4,001	6,265	2,309	4,021	6,330	1,996	4,209	6,205
i) सड़क और पुल	935	2,342	3,277	2,026	2,433	4,459	2,071	2,453	4,524	1,888	2,531	4,419
ii) अन्य @@	94	1,630	1,724	238	1,568	1,806	238	1,568	1,806	108	1,678	1,786
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	199	–	199	351	–	351	320	–	320	318	–	318
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,152	280	1,431	3,328	298	3,626	1,605	302	1,907	2,564	305	2,870
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	194	24	218	2,287	25	2,312	422	25	448	1,537	22	1,559
ii) पर्यटन	511	148	658	615	156	771	724	160	884	502	163	665
iii) नागरिक आपूर्ति	47	23	70	94	26	120	94	26	120	65	28	93
iv) अन्य +	400	85	486	332	91	423	365	91	456	460	93	553
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**667**	**124,145**	**124,812**	**2,433**	**157,258**	**159,691**	**2,350**	**158,299**	**160,649**	**926**	**130,457**	**131,382**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**–**	**2,018**	**2,018**	**–**	**2,389**	**2,389**	**–**	**2,560**	**2,560**	**–**	**2,480**	**2,480**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**8**	**873**	**881**	**20**	**1,462**	**1,482**	**20**	**1,510**	**1,529**	**24**	**1,972**	**1,996**
i) कर और शुल्क वसूली	8	873	881	20	1,462	1,482	20	1,510	1,529	24	1,972	1,996
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**12,700**	**12,700**	**–**	**14,097**	**14,097**	**–**	**14,100**	**14,100**	**–**	**14,647**	**14,647**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	1,173	1,173	–	1,173	1,173	–	1,173	1,173	–	1,173	1,173
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	11,527	11,527	–	12,924	12,924	–	12,927	12,927	–	13,474	13,474
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	3,930	3,930	–	2,434	2,434	–	2,434	2,434	–	2,416	2,416
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	5,347	5,347	–	8,205	8,205	–	8,205	8,205	–	8,551	8,551
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	4,481	4,481	–	5,879	5,879	–	5,879	5,879	–	6,220	6,220
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	1,300	1,300	–	1,300	1,300	–	1,300	1,300
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	2,250	2,250	–	2,285	2,285	–	2,288	2,288	–	2,507	2,507
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**659**	**11,299**	**11,958**	**1,263**	**12,806**	**14,069**	**1,351**	**13,388**	**14,739**	**902**	**13,955**	**14,857**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	12	1,099	1,111	125	1,126	1,251	25	1,223	1,249	23	1,211	1,234
ii) जिला प्रशासन	–	403	403	–	426	426	–	452	452	–	485	485
iii) पुलिस	154	6,622	6,776	26	7,041	7,067	303	7,320	7,623	13	7,792	7,805
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	98	1,487	1,585	331	1,812	2,143	241	1,966	2,207	222	1,957	2,179
v) अन्य ++	395	1,688	2,083	781	2,401	3,182	782	2,426	3,209	644	2,511	3,155
उ. पेन्शन	**–**	**4,924**	**4,924**	**–**	**4,663**	**4,663**	**–**	**4,900**	**4,900**	**–**	**5,553**	**5,553**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**92,332**	**92,332**	**1,150**	**121,841**	**122,991**	**979**	**121,841**	**122,821**	**–**	**91,848**	**91,848**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	91,329	91,329	–	121,329	121,329	–	121,329	121,329	–	91,336	91,336
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**720,050**	**3,106,447**	**3,826,497**	**865,162**	**3,598,205**	**4,463,367**	**910,563**	**3,649,549**	**4,560,112**	**1,030,309**	**4,111,847**	**5,142,157**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**686,936**	**1,395,374**	**2,082,310**	**829,755**	**1,679,484**	**2,509,239**	**874,836**	**1,603,812**	**2,478,648**	**998,427**	**1,860,343**	**2,858,770**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**542,897**	**759,738**	**1,302,635**	**702,071**	**1,027,956**	**1,730,027**	**728,573**	**963,321**	**1,691,894**	**802,481**	**1,158,981**	**1,961,462**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	41,728	564,383	606,110	72,704	751,529	824,233	70,493	670,016	740,509	78,971	840,669	919,640
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	19,753	111,220	130,972	16,505	163,507	180,012	15,200	145,668	160,868	15,515	179,209	194,725
3. परिवार कल्याण	21,721	2,504	24,225	29,948	4,552	34,500	26,583	4,031	30,614	37,035	4,988	42,022
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6,717	1,705	8,422	2,913	1,908	4,821	3,130	1,739	4,869	7,586	1,253	8,840
5. आवास निर्माण	43,136	3,841	46,977	75,891	3,554	79,445	54,753	3,828	58,581	73,776	3,808	77,583
6. शहरी विकास	59,662	3,459	63,121	67,201	3,209	70,410	68,556	4,483	73,039	72,338	4,000	76,338
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	57,386	30,047	87,433	62,475	38,642	101,117	70,718	35,123	105,841	70,592	43,422	114,014
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,853	12,578	14,430	1,927	14,366	16,293	3,086	12,843	15,929	3,872	15,761	19,633
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	134,626	24,853	159,479	180,739	31,739	212,478	215,600	32,212	247,812	232,058	34,780	266,838
10. पौष्टिक आहार	86,694	970	87,664	116,551	2,094	118,645	123,601	1,465	125,066	134,486	1,759	136,245
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	-2,206	-2,206	–	4,795	4,795	–	42,509	42,509	–	19,558	19,558
12. अन्य*	69,621	6,385	76,006	75,217	8,061	83,278	76,853	9,404	86,257	76,253	9,773	86,026
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**144,039**	**635,636**	**779,675**	**127,684**	**651,528**	**779,212**	**146,263**	**640,491**	**786,754**	**195,946**	**701,362**	**897,308**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	47,645	132,285	179,930	50,269	149,726	199,995	57,418	135,506	192,925	79,495	150,659	230,154
i) फसल कार्य	13,395	78,839	92,233	13,960	85,569	99,529	20,012	72,839	92,851	37,604	74,895	112,500
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	11,298	999	12,296	11,215	2,597	13,812	10,599	2,045	12,643	11,387	2,549	13,936
iii) पशु पालन	2,353	10,895	13,248	656	15,860	16,516	1,958	13,388	15,345	1,299	17,241	18,539
iv) डेरी विकास	584	1,322	1,906	318	1,537	1,855	338	1,395	1,733	1,443	1,827	3,270
v) मत्स्य पालन	7,827	1,484	9,311	10,524	2,096	12,620	8,580	2,010	10,590	8,664	2,595	11,258
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,858	8,102	11,960	4,154	10,573	14,727	4,231	9,360	13,591	5,041	11,673	16,714
vii) बागान	2	–	2	2	–	2	2	–	2	2	–	2
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	5,924	8,096	14,020	8,016	8,507	16,523	8,744	8,829	17,573	10,804	9,905	20,709
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	2,192	18,686	20,878	1,281	17,566	18,847	2,781	21,317	24,098	3,133	23,905	27,038
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	213	3,864	4,076	143	5,421	5,564	175	4,323	4,498	119	6,069	6,188
2. ग्रामीण विकास	52,844	14,973	67,817	40,060	23,592	63,652	51,868	25,442	77,310	71,539	28,262	99,801
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,195	70	1,265	557	82	639	1,221	76	1,297	983	95	1,077
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5,307	55,206	60,514	5,571	49,783	55,354	3,402	52,143	55,544	4,963	58,301	63,264
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	3,027	50,681	53,709	2,952	43,948	46,900	1,148	47,407	48,555	2,158	52,422	54,580
ii) लघु सिंचाई	557	4,235	4,792	513	5,415	5,928	421	4,439	4,859	586	5,580	6,166
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	290	290	–	420	420	–	297	297	–	299	299
5. ऊर्जा	95	118,111	118,207	1,170	113,927	115,097	1,150	114,015	115,165	170	122,096	122,266
जिसमें से : बिजली	–	118,111	118,111	1,000	113,927	114,927	1,000	114,015	115,015	–	122,096	122,096
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	27,371	20,853	48,224	22,335	20,963	43,298	22,549	20,104	42,653	30,132	44,259	74,391
i) ग्राम और लघु उद्योग	25,160	17,864	43,024	19,092	17,192	36,284	19,115	16,600	35,715	26,099	17,942	44,041
ii) उद्योग@	2,056	3,208	5,264	3,193	3,771	6,964	3,384	3,504	6,889	4,033	26,317	30,349
iii) अन्य**	155	-219	-64	50	–	50	50	–	50	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	3,314	82,624	85,939	2,088	86,112	88,200	2,515	85,823	88,338	2,641	88,578	91,219
i) सड़क और पुल	3,314	82,313	85,627	2,088	86,072	88,160	2,515	85,780	88,294	2,641	88,535	91,176
ii) अन्य @@	–	311	311	–	40	40	–	43	43	–	43	43
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	844	57	901	1,528	77	1,605	1,029	82	1,111	1,558	96	1,654
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	5,422	211,457	216,878	4,106	207,266	211,372	5,110	207,301	212,411	4,466	209,015	213,481
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	539	2,292	2,831	500	2,953	3,453	733	3,705	4,438	527	3,722	4,249
ii) पर्यटन	4,020	446	4,466	2,705	549	3,254	3,287	548	3,835	2,835	641	3,476
iii) नागरिक आपूर्ति	125	205,232	205,357	–	199,132	199,132	20	199,059	199,078	-15	199,715	199,700
iv) अन्य +	738	3,486	4,225	901	4,632	5,533	1,071	3,990	5,061	1,119	4,936	6,055
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**4,274**	**1,495,212**	**1,499,486**	**6,567**	**1,638,245**	**1,644,812**	**6,887**	**1,741,721**	**1,748,609**	**2,687**	**1,921,586**	**1,924,273**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**561**	**35,980**	**36,541**	**571**	**34,019**	**34,590**	**602**	**34,123**	**34,725**	**680**	**39,066**	**39,746**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**2,150**	**64,843**	**66,993**	**134**	**56,416**	**56,550**	**2,171**	**52,487**	**54,657**	**111**	**62,720**	**62,831**
i) कर और शुल्क वसूली	2,150	59,933	62,084	134	51,258	51,392	2,171	49,447	51,618	111	59,593	59,704
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	4,909	4,909	–	5,158	5,158	–	3,039	3,039	–	3,127	3,127
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**595,599**	**595,599**	**–**	**599,583**	**599,583**	**–**	**660,961**	**660,961**	**–**	**642,617**	**642,617**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	45,000	45,000	–	45,000	45,000	–	45,000	45,000	–	45,000	45,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	550,599	550,599	–	554,583	554,583	–	615,961	615,961	–	597,617	597,617
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	62,923	62,923	–	54,000	54,000	–	50,129	50,129	–	53,017	53,017
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	416,053	416,053	–	447,652	447,652	–	452,866	452,866	–	457,752	457,752
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	126,513	126,513	–	137,750	137,750	–	136,544	136,544	–	166,672	166,672
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज		218,594	218,594	–	251,080	251,080	–	257,568	257,568	–	243,091	243,091
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	59,748	59,748	–	45,207	45,207	–	70,089	70,089	–	76,646	76,646
iv) अन्य	–	11,875	11,875	–	7,724	7,724	–	42,877	42,877	–	10,202	10,202
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**1,563**	**249,960**	**251,522**	**5,862**	**324,886**	**330,748**	**4,115**	**316,214**	**320,329**	**1,896**	**372,180**	**374,076**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	126	6,686	6,811	196	8,370	8,566	158	10,365	10,523	–	9,452	9,452
ii) जिला प्रशासन	300	41,545	41,845	5,000	53,577	58,577	2,708	50,542	53,250	1,000	66,277	67,277
iii) पुलिस	–	143,275	143,275	–	185,316	185,316	–	182,201	182,201	–	211,638	211,638
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	19,608	19,608	–	28,737	28,737	–	28,740	28,740	1	31,516	31,517
v) अन्य ++	1,137	38,846	39,982	666	48,886	49,552	1,249	44,366	45,615	895	53,298	54,193
उ. पेन्शन	**–**	**542,961**	**542,961**	**–**	**617,298**	**617,298**	**–**	**671,822**	**671,822**	**–**	**791,906**	**791,906**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**5,870**	**5,870**	**–**	**6,043**	**6,043**	**–**	**6,114**	**6,114**	**–**	**13,097**	**13,097**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	4	4	–	–	–	–	3	3	–	3	3
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**28,840**	**215,861**	**244,701**	**28,840**	**280,476**	**309,316**	**28,840**	**304,016**	**332,856**	**29,195**	**329,918**	**359,113**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	28,840	215,861	244,701	28,840	280,476	309,316	28,840	304,016	332,856	29,195	329,918	359,113

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**49,002**	**199,254**	**248,256**	**58,076**	**244,259**	**302,335**	**63,178**	**232,660**	**295,838**	**75,349**	**272,725**	**348,074**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**43,763**	**84,061**	**127,824**	**46,195**	**104,902**	**151,097**	**55,341**	**100,739**	**156,080**	**68,089**	**110,011**	**178,099**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**30,224**	**56,701**	**86,925**	**29,267**	**72,666**	**101,932**	**37,261**	**68,033**	**105,294**	**47,340**	**74,191**	**121,531**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,856	43,006	49,862	3,615	55,060	58,674	3,674	50,308	53,982	5,051	56,363	61,414
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,079	7,120	10,199	4,152	8,379	12,531	5,045	8,300	13,346	5,454	8,776	14,230
3. परिवार कल्याण	1,038	–	1,038	1,283	–	1,283	1,291	–	1,291	1,416	–	1,416
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	478	26	503	179	1,521	1,700	179	1,561	1,740	558	1,706	2,264
5. आवास निर्माण	–	384	384	–	600	600	–	600	600	–	600	600
6. शहरी विकास	702	125	827	2,137	228	2,365	1,276	238	1,515	5,097	250	5,347
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	9,216	854	10,071	8,816	1,174	9,990	11,609	1,750	13,360	11,148	1,441	12,588
8. श्रम और श्रम कल्याण	162	530	693	252	626	878	261	585	846	331	697	1,028
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,721	1,763	8,484	6,989	2,324	9,313	10,547	1,907	12,454	15,337	2,004	17,341
10. पौष्टिक आहार	1,537	60	1,597	1,207	102	1,309	2,799	113	2,912	2,298	132	2,431
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	2,194	2,194	–	1,857	1,857	–	1,857	1,857	–	1,403	1,403
12. अन्य*	435	639	1,074	636	795	1,432	579	814	1,392	651	819	1,470
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**13,539**	**27,360**	**40,899**	**16,929**	**32,236**	**49,165**	**18,079**	**32,707**	**50,786**	**20,748**	**35,820**	**56,568**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	5,887	11,807	17,694	8,776	13,891	22,667	8,864	13,556	22,421	11,166	14,573	25,739
i) फसल कार्य	3,185	4,646	7,830	4,861	5,600	10,461	4,163	5,479	9,642	6,087	5,796	11,883
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	141	538	680	105	613	718	195	603	799	147	672	819
iii) पशु पालन	488	2,090	2,578	771	2,473	3,244	793	2,339	3,132	1,478	2,541	4,019
iv) डेरी विकास	17	90	108	14	107	121	4	91	95	40	99	139
v) मत्स्य पालन	930	900	1,830	1,063	941	2,004	1,038	1,052	2,089	1,360	1,094	2,454
vi) वानिकी और वन्यजीवन	890	2,240	3,130	1,362	2,704	4,066	1,654	2,584	4,237	1,656	2,834	4,490
vii) बागान	24	–	24	25	–	25	30	–	30	30	–	30
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	54	670	724	50	749	799	48	728	776	50	802	852
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	34	–	34	244	–	244	89	–	89	100	–	100
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	124	632	756	281	704	985	851	681	1,532	219	735	953
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	5,493	3,122	8,616	4,933	4,316	9,250	5,382	4,787	10,168	6,250	5,277	11,526
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	241	–	241	512	–	512	378	–	378	652	–	652
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	72	1,937	2,008	53	3,026	3,079	53	2,300	2,353	58	2,530	2,588
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	72	1,165	1,237	53	2,333	2,385	53	1,674	1,727	58	1,792	1,850
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	771	771	–	694	694	–	626	626	–	738	738
5. ऊर्जा	4	104	107	11	163	174	3	137	140	33	148	181
जिसमें से : बिजली	–	63	63	–	111	111	–	85	85	–	89	89
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,175	1,268	2,443	1,750	1,443	3,193	2,341	1,445	3,786	1,519	1,618	3,137
i) ग्राम और लघु उद्योग	862	1,251	2,113	987	1,425	2,413	1,843	1,427	3,271	1,439	1,595	3,034
ii) उद्योग@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अन्य**	313	17	330	763	18	781	498	18	516	80	23	103

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	20	8,265	8,285	23	8,264	8,287	25	9,350	9,376	27	10,433	10,460
i) सड़क और पुल	–	7,385	7,385	–	7,237	7,237	–	8,237	8,237	–	9,337	9,337
ii) अन्य @@	20	880	900	23	1,027	1,050	25	1,113	1,139	27	1,096	1,123
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	188	46	234	177	51	228	445	54	499	450	55	505
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	459	811	1,269	694	1,082	1,776	588	1,077	1,666	593	1,186	1,780
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	110	125	235	227	142	369	76	147	223	121	168	289
ii) पर्यटन	114	27	142	160	39	198	196	50	246	190	55	244
iii) नागरिक आपूर्ति	196	374	570	257	500	757	256	500	756	231	560	791
iv) अन्य +	38	284	322	51	401	452	60	380	441	51	404	455
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**327**	**115,193**	**115,520**	**5,566**	**139,357**	**144,922**	**991**	**131,921**	**132,911**	**1,011**	**162,714**	**163,725**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**70**	**2,714**	**2,784**	**78**	**3,654**	**3,732**	**67**	**3,669**	**3,736**	**65**	**3,439**	**3,504**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**12**	**1,771**	**1,784**	**16**	**2,289**	**2,305**	**16**	**2,306**	**2,322**	**18**	**2,366**	**2,384**
i) कर और शुल्क वसूली	12	1,668	1,680	16	2,178	2,194	16	2,190	2,206	18	2,239	2,256
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	104	104	–	111	111	–	116	116	–	128	128
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**40,817**	**40,817**	**–**	**40,928**	**40,928**	**–**	**42,646**	**42,646**	**–**	**41,021**	**41,021**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	4,000	4,000	–	2,000	2,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	38,817	38,817	–	38,928	38,928	–	38,646	38,646	–	39,021	39,021
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	5,079	5,079	–	2,383	2,383	–	4,497	4,497	–	4,267	4,267
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	23,358	23,358	–	24,757	24,757	–	22,732	22,732	–	22,194	22,194
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	9,809	9,809	–	10,000	10,000	–	9,261	9,261	–	9,461	9,461
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	10,040	10,040	–	11,000	11,000	–	10,010	10,010	–	9,000	9,000
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	10,379	10,379	–	11,788	11,788	–	11,417	11,417	–	12,559	12,559
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**245**	**43,155**	**43,400**	**5,472**	**63,364**	**68,836**	**908**	**51,932**	**52,841**	**928**	**80,858**	**81,786**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	1,596	1,596	–	1,963	1,963	–	1,927	1,927	–	2,086	2,086
ii) जिला प्रशासन	156	1,995	2,150	108	2,224	2,332	89	2,163	2,252	100	2,484	2,583
iii) पुलिस	–	27,347	27,347	–	30,029	30,029	–	33,658	33,658	–	35,467	35,467
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	37	7,819	7,856	598	9,074	9,671	746	9,387	10,133	717	10,393	11,110
v) अन्य ++	53	4,397	4,450	4,766	20,074	24,840	74	4,798	4,872	111	30,429	30,541
उ. पेन्शन	**–**	**26,735**	**26,735**	**–**	**29,121**	**29,121**	**–**	**31,366**	**31,366**	**–**	**34,929**	**34,929**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**	**–**	**101**	**101**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**4,912**	**–**	**4,912**	**6,315**	**–**	**6,315**	**6,847**	**–**	**6,847**	**6,250**	**–**	**6,250**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	4,912	–	4,912	6,315	–	6,315	6,847	–	6,847	6,250	–	6,250

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

उत्तराखंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**158,253**	**489,431**	**647,685**	**231,915**	**575,343**	**807,258**	**236,649**	**578,864**	**815,512**	**251,569**	**614,684**	**866,253**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**158,100**	**224,717**	**382,817**	**231,183**	**262,310**	**493,492**	**235,831**	**257,872**	**493,703**	**250,979**	**279,102**	**530,081**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**89,426**	**156,067**	**245,493**	**148,623**	**183,018**	**331,641**	**142,577**	**177,747**	**320,323**	**165,387**	**191,711**	**357,098**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	32,699	108,711	141,410	43,731	121,843	165,575	47,334	120,776	168,110	49,209	130,469	179,678
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,563	17,523	24,086	9,850	24,180	34,030	12,843	24,180	37,023	12,024	28,211	40,234
3. परिवार कल्याण	2,439	–	2,439	3,460	–	3,460	3,796	–	3,796	3,820	–	3,820
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	23,514	5,000	28,514	32,072	6,000	38,072	34,037	6,000	40,037	42,856	5,000	47,856
5. आवास निर्माण	–	111	111	–	162	162	–	162	162	–	162	162
6. शहरी विकास	4,588	320	4,909	22,847	423	23,270	12,747	467	13,215	17,126	417	17,542
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	4,820	4,636	9,456	10,081	5,128	15,209	7,749	5,159	12,907	9,235	5,254	14,489
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,057	1,913	2,971	4,002	2,324	6,326	2,572	2,324	4,896	3,467	2,603	6,070
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	13,232	5,981	19,214	21,541	6,498	28,039	20,460	6,600	27,060	25,592	6,648	32,240
10. पौष्टिक आहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. प्राकृतिक आपदा राहत	133	9,132	9,265	502	13,881	14,384	502	9,200	9,702	1,585	10,167	11,752
12. अन्य*	381	2,739	3,121	536	2,579	3,115	536	2,879	3,415	474	2,781	3,255
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**68,673**	**68,650**	**137,324**	**82,560**	**79,292**	**161,851**	**93,255**	**80,125**	**173,380**	**85,592**	**87,391**	**172,983**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	31,086	29,485	60,571	34,092	33,484	67,577	42,813	33,938	76,751	45,988	36,679	82,667
i) फसल कार्य	10,197	6,859	17,056	15,627	8,425	24,051	17,843	8,428	26,270	17,987	9,488	27,475
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	645	–	645	240	–	240	483	–	483	1,370	–	1,370
iii) पशु पालन	1,072	2,984	4,056	689	3,594	4,283	1,942	3,594	5,535	2,521	3,766	6,287
iv) डेरी विकास	938	197	1,135	998	217	1,215	998	217	1,215	1,087	239	1,327
v) मत्स्य पालन	90	198	287	470	235	706	506	265	771	204	285	489
vi) वानिकी और वन्यजीवन	15,292	11,629	26,920	12,418	13,905	26,322	16,655	13,905	30,559	17,546	15,100	32,646
vii) बागान	–	–	–	–	50	50	–	50	50	–	50	50
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	1,112	1,112	800	1,079	1,879	800	1,396	2,196	400	1,625	2,025
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,426	5,960	7,386	1,289	5,550	6,839	1,789	5,550	7,339	3,057	5,550	8,607
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	1,428	547	1,974	1,562	429	1,991	1,799	533	2,332	1,817	575	2,392
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	21,046	7,518	28,564	27,701	9,735	37,436	29,207	9,808	39,015	27,613	9,911	37,525
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	522	15,461	15,983	1,008	17,639	18,647	1,541	17,729	19,270	1,431	22,058	23,488
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	13	11,508	11,520	5	12,878	12,883	5	12,878	12,883	80	15,287	15,367
ii) लघु सिंचाई	302	3,676	3,979	303	4,470	4,773	836	4,560	5,396	581	6,452	7,033
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	277	277	–	290	290	–	290	290	–	319	319
5. ऊर्जा	3,881	157	4,038	1,809	177	1,986	2,159	177	2,336	1,477	213	1,689
जिसमें से : बिजली	2,770	7	2,777	1,030	33	1,063	1,030	33	1,063	501	33	534
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,778	1,138	2,915	2,424	1,301	3,725	2,276	1,331	3,607	2,048	1,379	3,427
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,757	946	2,703	2,413	1,075	3,488	2,213	1,092	3,305	1,887	1,126	3,013
ii) उद्योग@	21	192	213	11	226	237	63	239	302	161	253	414
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

उत्तराखंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	2,737	13,602	16,338	6,175	15,507	21,682	6,275	15,677	21,952	2,574	15,321	17,895
i) सड़क और पुल	2,737	11,785	14,522	6,113	12,584	18,697	6,213	12,584	18,797	2,513	13,014	15,527
ii) अन्य @@	–	1,817	1,817	62	2,923	2,985	62	3,093	3,155	61	2,307	2,368
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,341	–	1,341	1,238	–	1,238	642	–	642	575	–	575
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	6,282	1,290	7,572	8,113	1,449	9,562	8,342	1,467	9,809	3,886	1,830	5,717
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	4,350	95	4,445	4,876	113	4,989	4,876	113	4,989	420	171	591
ii) पर्यटन	1,852	446	2,298	2,236	476	2,712	2,449	487	2,936	2,475	533	3,008
iii) नागरिक आपूर्ति	–	193	193	925	217	1,141	941	217	1,157	926	232	1,158
iv) अन्य +	80	556	636	76	644	720	76	651	727	65	895	960
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**154**	**237,586**	**237,740**	**732**	**280,678**	**281,411**	**817**	**289,374**	**290,191**	**590**	**301,328**	**301,918**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**10**	**9,404**	**9,414**	**408**	**14,056**	**14,464**	**408**	**13,918**	**14,326**	**216**	**10,584**	**10,800**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**120**	**9,586**	**9,707**	**276**	**14,625**	**14,901**	**295**	**13,183**	**13,478**	**297**	**18,379**	**18,676**
i) कर और शुल्क वसूली	120	9,425	9,546	276	14,369	14,646	295	12,927	13,222	297	18,056	18,353
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	161	161	–	256	256	–	256	256	–	323	323
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**109,923**	**109,923**	**–**	**126,042**	**126,042**	**–**	**129,742**	**129,742**	**–**	**130,403**	**130,403**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	13,500	13,500	–	11,000	11,000	–	11,000	11,000	–	5,500	5,500
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	96,423	96,423	–	115,042	115,042	–	118,742	118,742	–	124,903	124,903
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	4,220	4,220	–	3,700	3,700	–	3,700	3,700	–	1,000	1,000
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	77,311	77,311	–	92,226	92,226	–	92,226	92,226	–	104,556	104,556
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	27,533	27,533	–	31,814	31,814	–	31,814	31,814	–	39,006	39,006
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	41,175	41,175	–	48,500	48,500	–	48,500	48,500	–	53,000	53,000
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	9,109	9,109	–	13,583	13,583	–	13,583	13,583	–	13,796	13,796
iv) अन्य	–	5,783	5,783	–	5,533	5,533	–	9,233	9,233	–	5,551	5,551
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**23**	**55,798**	**55,821**	**48**	**65,953**	**66,001**	**115**	**66,528**	**66,643**	**52**	**71,885**	**71,937**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	3,794	3,794	–	5,080	5,080	–	4,482	4,482	–	4,694	4,694
ii) जिला प्रशासन	–	3,348	3,348	–	4,496	4,496	–	4,496	4,496	–	4,861	4,861
iii) पुलिस	–	28,841	28,841	–	33,411	33,411	–	34,125	34,125	31	36,771	36,802
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	14,185	14,185	–	16,223	16,223	–	16,366	16,366	–	18,202	18,202
v) अन्य ++	23	5,630	5,654	48	6,744	6,792	115	7,061	7,175	21	7,358	7,379
उ. पेन्शन	**–**	**52,702**	**52,702**	**–**	**59,997**	**59,997**	**–**	**65,997**	**65,997**	**25**	**69,976**	**70,001**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**173**	**173**	**–**	**5**	**5**	**–**	**5**	**5**	**–**	**101**	**101**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**27,128**	**27,128**	**–**	**32,355**	**32,355**	**–**	**31,618**	**31,618**	**–**	**34,253**	**34,253**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	27,128	27,128	–	32,355	32,355	–	31,618	31,618	–	34,253	34,253

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**969,848**	**4,600,042**	**5,569,890**	**1,392,541**	**5,394,597**	**6,787,138**	**1,453,281**	**5,301,792**	**6,755,073**	**1,730,283**	**5,752,584**	**7,482,867**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**957,966**	**1,907,767**	**2,865,733**	**1,373,701**	**2,401,667**	**3,775,369**	**1,444,207**	**2,345,552**	**3,789,759**	**1,721,304**	**2,458,367**	**4,179,671**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**736,844**	**1,187,962**	**1,924,806**	**1,001,145**	**1,539,571**	**2,540,716**	**1,064,275**	**1,471,938**	**2,536,213**	**1,154,779**	**1,595,661**	**2,750,440**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	256,518	813,926	1,070,444	277,778	942,404	1,220,182	314,123	884,379	1,198,502	283,980	971,321	1,255,301
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	51,157	185,654	236,811	55,295	240,853	296,148	54,893	238,582	293,475	54,197	271,280	325,477
3. परिवार कल्याण	33,669	11,535	45,205	38,802	14,430	53,232	38,201	13,869	52,070	65,851	15,744	81,595
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	63,910	–	63,910	61,338	–	61,338	60,553	–	60,553	62,678	–	62,678
5. आवास निर्माण	50	2,534	2,584	70	3,253	3,323	70	3,195	3,265	–	3,449	3,449
6. शहरी विकास	40,761	11,582	52,343	230,354	19,045	249,398	243,948	20,351	264,299	240,322	13,337	253,659
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	92,121	58,083	150,205	76,720	141,485	218,205	106,647	134,051	240,698	88,884	138,158	227,042
8. श्रम और श्रम कल्याण	37,181	14,861	52,042	3,577	13,983	17,559	3,739	13,782	17,522	5,301	15,454	20,754
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	158,135	74,522	232,657	256,843	121,875	378,718	241,733	121,641	363,373	353,476	123,710	477,186
10. पौष्टिक आहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. प्राकृतिक आपदा राहत	3,109	9,735	12,843	–	33,359	33,359	–	33,359	33,359	–	33,412	33,412
12. अन्य*	232	5,530	5,762	369	8,885	9,254	369	8,728	9,097	90	9,797	9,887
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**221,122**	**719,805**	**940,927**	**372,556**	**862,096**	**1,234,653**	**379,932**	**873,614**	**1,253,546**	**566,525**	**862,706**	**1,429,231**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	60,113	124,759	184,872	134,415	126,890	261,304	135,291	125,256	260,547	251,338	135,688	387,027
i) फसल कार्य	20,061	56,394	76,455	65,518	58,091	123,609	65,705	58,095	123,800	83,208	61,795	145,004
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	18,424	7,848	26,272	26,307	9,081	35,387	26,312	9,081	35,392	55,708	9,853	65,560
iii) पशु पालन	4,230	18,010	22,240	8,919	19,788	28,708	8,923	19,788	28,712	12,360	22,591	34,952
iv) डेरी विकास	1,692	843	2,535	12,204	948	13,152	12,296	948	13,244	32,642	1,022	33,664
v) मत्स्य पालन	1,532	1,803	3,336	3,493	2,056	5,549	3,339	2,211	5,549	6,269	2,453	8,721
vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,396	16,871	19,267	2,419	20,760	23,179	2,626	18,998	21,624	4,514	20,849	25,363
vii) बागान	57	263	320	–	327	327	–	273	273	–	297	297
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	9,302	9,302	–	1	1	–	24	24	–	1	1
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,997	5,576	8,573	8,075	5,749	13,824	8,611	5,749	14,360	23,523	5,666	29,189
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	8,724	7,267	15,990	7,480	9,333	16,812	7,480	9,333	16,812	23,114	10,337	33,450
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	582	582	–	756	756	–	756	756	10,000	826	10,826
2. ग्रामीण विकास	115,981	81,443	197,424	153,841	149,479	303,320	153,841	149,489	303,330	220,575	126,817	347,392
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	5,850	2,500	8,350	5,000	2,500	7,500	5,000	2,500	7,500	7,000	2,500	9,500
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	27,116	164,856	191,972	28,259	223,222	251,481	33,561	236,506	270,067	43,523	256,131	299,654
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	2	122,617	122,619	100	171,031	171,131	100	174,315	174,415	200	186,375	186,575
ii) लघु सिंचाई	16,106	38,902	55,008	17,267	48,781	66,048	22,569	58,781	81,350	30,948	66,202	97,150
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	43	3,339	3,382	–	3,410	3,410	–	3,410	3,410	–	3,554	3,554
5. ऊर्जा	1,087	185,893	186,980	2,129	160,522	162,651	2,149	160,522	162,671	1,891	159,935	161,826
जिसमें से : बिजली	–	185,578	185,578	–	160,149	160,149	–	160,149	160,149	–	159,515	159,515
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	7,682	15,561	23,243	35,470	36,495	71,966	36,646	36,269	72,915	28,895	12,102	40,997
i) ग्राम और लघु उद्योग	5,230	5,909	11,139	7,930	6,736	14,666	9,106	6,559	15,665	10,765	7,228	17,993
ii) उद्योग@	1,252	9,460	10,712	26,540	4,350	30,890	26,540	4,301	30,841	18,130	4,556	22,686
iii) अन्य**	1,200	193	1,393	1,000	25,409	26,409	1,000	25,409	26,409	–	318	318

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	148	133,360	133,507	140	149,086	149,226	140	149,344	149,484	2,792	154,582	157,374
i) सड़क और पुल	–	129,461	129,461	–	144,739	144,739	–	144,998	144,998	2,500	149,708	152,208
ii) अन्य @@	148	3,898	4,046	140	4,346	4,486	140	4,346	4,486	292	4,875	5,166
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,902	364	2,267	12,032	480	12,512	12,032	462	12,495	9,897	492	10,389
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,243	11,070	12,312	1,270	13,423	14,693	1,272	13,265	14,538	614	14,458	15,072
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	191	4,078	4,268	38	5,670	5,708	38	5,670	5,708	61	6,151	6,212
ii) पर्यटन	422	661	1,082	182	867	1,049	184	836	1,020	475	1,046	1,521
iii) नागरिक आपूर्ति	142	1,412	1,554	–	980	980	–	886	886	–	968	968
iv) अन्य +	488	4,920	5,408	1,050	5,905	6,956	1,050	5,873	6,924	78	6,293	6,371
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**11,882**	**2,418,050**	**2,429,932**	**18,840**	**2,630,289**	**2,649,128**	**9,074**	**2,593,599**	**2,602,674**	**8,979**	**2,931,472**	**2,940,451**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**1,811**	**65,498**	**67,309**	**2,503**	**74,148**	**76,651**	**2,252**	**63,773**	**66,026**	**2,941**	**80,492**	**83,433**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**4,283**	**105,333**	**109,615**	**4,672**	**122,874**	**127,547**	**5,606**	**118,281**	**123,887**	**5,006**	**132,961**	**137,968**
i) कर और शुल्क वसूली	4,283	104,477	108,760	4,672	121,820	126,492	5,606	117,226	122,832	5,006	131,823	136,829
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	855	855	–	1,055	1,055	–	1,055	1,055	–	1,139	1,139
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**1,334,885**	**1,334,885**	**–**	**1,411,937**	**1,411,937**	**–**	**1,402,262**	**1,402,262**	**–**	**1,459,046**	**1,459,046**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	287,207	287,207	–	305,793	305,793	–	305,793	305,793	–	316,379	316,379
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	1,047,678	1,047,678	–	1,106,144	1,106,144	–	1,096,469	1,096,469	–	1,142,667	1,142,667
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	184,763	184,763	–	171,747	171,747	–	171,747	171,747	–	166,037	166,037
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	698,694	698,694	–	749,342	749,342	–	739,667	739,667	–	792,448	792,448
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	250,508	250,508	–	266,950	266,950	–	258,808	258,808	–	302,864	302,864
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	380,834	380,834	–	417,720	417,720	–	417,720	417,720	–	431,123	431,123
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	152,123	152,123	–	174,002	174,002	–	174,002	174,002	–	175,065	175,065
iv) अन्य	–	12,098	12,098	–	11,052	11,052	–	11,052	11,052	–	9,117	9,117
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**4,415**	**425,263**	**429,678**	**1,164**	**437,390**	**438,554**	**1,166**	**435,644**	**436,810**	**532**	**585,894**	**586,426**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	14	13,906	13,919	–	16,657	16,657	–	19,639	19,639	–	121,551	121,551
ii) जिला प्रशासन	4,110	22,067	26,177	650	24,953	25,603	650	24,953	25,603	–	28,958	28,958
iii) पुलिस	–	294,736	294,736	–	321,561	321,561	–	318,139	318,139	–	349,520	349,520
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	96	32,243	32,338	228	4,663	4,892	228	4,673	4,902	210	4,835	5,045
v) अन्य ++	196	62,312	62,508	285	69,555	69,840	287	68,239	68,526	321	81,030	81,351
उ. पेन्शन	**–**	**484,959**	**484,959**	**–**	**581,936**	**581,936**	**–**	**571,736**	**571,736**	**–**	**671,229**	**671,229**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**1,373**	**2,111**	**3,485**	**10,500**	**2,004**	**12,504**	**50**	**1,904**	**1,954**	**500**	**1,849**	**2,349**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	49	49	–	1	1	–	1	1	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**274,225**	**274,225**	**–**	**362,641**	**362,641**	**–**	**362,641**	**362,641**	**–**	**362,746**	**362,746**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	274,225	274,225	–	362,641	362,641	–	362,641	362,641	–	362,746	362,746

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**480,370**	**2,935,753**	**3,416,123**	**665,252**	**3,117,254**	**3,782,507**	**726,494**	**3,223,327**	**3,949,821**	**852,960**	**3,490,662**	**4,343,623**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**475,756**	**1,112,633**	**1,588,389**	**654,694**	**1,207,615**	**1,862,310**	**713,599**	**1,273,739**	**1,987,338**	**841,463**	**1,357,249**	**2,198,712**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**320,304**	**817,694**	**1,137,998**	**444,132**	**905,718**	**1,349,850**	**443,072**	**960,180**	**1,403,252**	**576,878**	**1,027,748**	**1,604,627**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	106,550	518,859	625,409	113,532	570,121	683,653	129,076	604,367	733,443	153,587	645,525	799,112
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	15,205	125,687	140,892	23,802	142,657	166,459	22,536	147,556	170,092	25,633	160,926	186,559
3. परिवार कल्याण	19,935	278	20,213	19,191	431	19,622	24,300	372	24,672	21,623	1,086	22,710
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	8,075	21,738	29,813	7,808	15,787	23,595	8,833	18,555	27,388	9,704	20,125	29,829
5. आवास निर्माण	25	7,701	7,726	200	8,870	9,070	258	10,072	10,331	290	8,296	8,586
6. शहरी विकास	72,484	67,248	139,733	159,023	60,891	219,914	115,063	70,465	185,527	186,341	74,177	260,518
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	19,854	10,271	30,125	22,838	15,213	38,051	27,063	15,291	42,355	28,852	15,687	44,539
8. श्रम और श्रम कल्याण	52	5,586	5,638	1,256	6,570	7,826	1,507	6,514	8,021	5,612	6,893	12,505
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	56,097	28,177	84,274	64,767	50,263	115,030	76,937	55,711	132,647	99,940	57,928	157,868
10. पौष्टिक आहार	17,492	26	17,518	23,395	455	23,850	27,516	400	27,915	36,306	203	36,508
11. प्राकृतिक आपदा राहत	23	24,149	24,172	–	25,213	25,213	10	20,976	20,986	11	26,578	26,588
12. अन्य*	4,513	7,973	12,486	8,320	9,247	17,567	9,973	9,902	19,875	8,981	10,325	19,306
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**155,452**	**294,940**	**450,391**	**210,562**	**301,897**	**512,460**	**270,527**	**313,559**	**584,086**	**264,585**	**329,500**	**594,085**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	16,961	68,543	85,505	21,689	74,346	96,036	37,646	82,550	120,196	41,323	87,695	129,018
i) फसल कार्य	7,977	14,070	22,047	8,922	15,968	24,890	18,166	16,441	34,606	21,012	17,296	38,308
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	114	1,127	1,241	82	1,348	1,430	102	1,330	1,432	120	1,424	1,544
iii) पशु पालन	1,194	11,812	13,005	2,490	13,509	15,999	8,683	14,020	22,703	4,790	14,953	19,743
iv) डेरी विकास	222	7,692	7,914	48	7,932	7,980	48	10,351	10,399	120	11,096	11,216
v) मत्स्य पालन	3,151	1,998	5,149	1,888	2,167	4,055	3,468	2,320	5,788	3,911	2,464	6,375
vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,833	12,299	15,132	3,980	13,723	17,703	3,745	14,257	18,002	4,890	15,139	20,029
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	35	7,444	7,479	80	8,708	8,788	48	8,696	8,744	110	9,105	9,215
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	804	5,267	6,072	1,016	6,104	7,121	1,016	6,320	7,337	1,144	7,036	8,180
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	475	6,273	6,748	2,993	4,221	7,214	2,179	8,158	10,338	4,011	8,485	12,496
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	156	561	717	190	666	856	190	658	848	1,215	696	1,911
2. ग्रामीण विकास	57,667	66,020	123,687	111,464	66,320	177,784	119,251	70,082	189,333	117,512	75,282	192,795
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	29,067	16,940	46,007	25,297	17,332	42,629	31,184	18,982	50,166	27,916	20,497	48,413
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,075	58,675	61,749	3,462	58,296	61,758	3,519	56,823	60,342	3,176	63,517	66,692
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1,698	22,489	24,187	1,777	20,068	21,845	1,847	18,455	20,303	966	23,142	24,108
ii) लघु सिंचाई	507	26,799	27,306	410	30,236	30,646	368	30,241	30,609	869	31,255	32,123
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	478	9,387	9,866	810	7,992	8,802	839	8,126	8,965	830	9,120	9,950
5. ऊर्जा	1,640	–	1,640	3,760	–	3,760	3,878	–	3,878	4,860	–	4,860
जिसमें से : बिजली	790	–	790	2,760	–	2,760	2,878	–	2,878	3,760	–	3,760
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	30,904	7,759	38,663	21,174	8,565	29,739	48,650	9,141	57,791	36,773	9,168	45,941
i) ग्राम और लघु उद्योग	5,234	6,516	11,750	4,658	7,095	11,753	6,732	7,688	14,420	10,141	7,649	17,790
ii) उद्योग@	25,670	1,243	26,913	16,516	1,470	17,986	41,918	1,454	43,371	26,632	1,519	28,151
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	14,105	69,936	84,041	19,689	67,969	87,658	22,314	67,619	89,933	27,048	64,081	91,129
i) सड़क और पुल	8,782	35,126	43,908	13,177	33,586	46,763	15,513	33,801	49,313	18,263	31,249	49,512
ii) अन्य @@	5,323	34,810	40,133	6,512	34,383	40,895	6,801	33,819	40,620	8,785	32,833	41,618
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	805	82	886	2,109	29	2,138	2,133	29	2,162	2,655	31	2,686
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,228	6,986	8,213	1,918	9,040	10,958	1,952	8,332	10,285	3,322	9,230	12,551
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	121	3,472	3,594	247	4,146	4,393	230	4,277	4,507	320	4,635	4,955
ii) पर्यटन	546	333	880	814	1,157	1,971	930	373	1,303	2,038	404	2,442
iii) नागरिक आपूर्ति	446	1,412	1,858	749	1,767	2,516	698	1,630	2,328	750	2,001	2,751
iv) अन्य +	114	1,768	1,882	108	1,970	2,078	95	2,052	2,147	213	2,190	2,403
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**3,922**	**1,786,206**	**1,790,128**	**8,638**	**1,877,877**	**1,886,515**	**10,975**	**1,907,691**	**1,918,667**	**9,370**	**2,090,442**	**2,099,812**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**665**	**29,183**	**29,848**	**1,730**	**26,632**	**28,362**	**1,747**	**28,532**	**30,279**	**1,655**	**28,555**	**30,210**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**435**	**51,132**	**51,567**	**1,685**	**55,695**	**57,380**	**2,480**	**59,067**	**61,547**	**2,199**	**63,812**	**66,011**
i) कर और शुल्क वसूली	435	48,717	49,152	1,685	53,025	54,710	2,480	56,362	58,842	2,199	61,073	63,272
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	2,415	2,415	–	2,670	2,670	–	2,705	2,705	–	2,739	2,739
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**1,117,888**	**1,117,888**	**–**	**1,184,531**	**1,184,531**	**–**	**1,180,552**	**1,180,552**	**–**	**1,306,153**	**1,306,153**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	30,000	30,000	–	36,000	36,000	–	36,000	36,000	–	67,200	67,200
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	1,087,888	1,087,888	–	1,148,531	1,148,531	–	1,144,552	1,144,552	–	1,238,953	1,238,953
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	181,170	181,170	–	171,687	171,687	–	171,059	171,059	–	158,426	158,426
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	812,454	812,454	–	875,084	875,084	–	864,775	864,775	–	973,790	973,790
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	162,858	162,858	–	181,042	181,042	–	171,193	171,193	–	270,152	270,152
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज		548,141	548,141	–	606,136	606,136	–	601,387	601,387	–	608,335	608,335
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	38,434	38,434	–	43,260	43,260	–	43,650	43,650	–	46,200	46,200
iv) अन्य	–	55,831	55,831	–	58,500	58,500	–	65,068	65,068	–	60,537	60,537
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**2,822**	**230,336**	**233,159**	**5,223**	**238,336**	**243,559**	**6,748**	**244,884**	**251,633**	**5,516**	**258,978**	**264,494**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	22	6,521	6,543	120	7,971	8,091	103	7,918	8,021	70	8,393	8,463
ii) जिला प्रशासन	–	7,372	7,372	–	7,932	7,932	–	8,565	8,565	–	9,062	9,062
iii) पुलिस	1,228	137,714	138,942	1,700	146,271	147,971	2,529	153,781	156,311	1,955	160,879	162,834
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	1,049	39,357	40,406	2,355	28,836	31,191	2,355	29,886	32,241	1,997	31,845	33,842
v) अन्य ++	523	39,372	39,895	1,048	47,326	48,374	1,761	44,734	46,496	1,494	48,799	50,293
उ. पेन्शन	**–**	**355,269**	**355,269**	**–**	**369,942**	**369,942**	**–**	**391,948**	**391,948**	**–**	**430,160**	**430,160**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**2,397**	**2,397**	**–**	**2,741**	**2,741**	**–**	**2,709**	**2,709**	**–**	**2,785**	**2,785**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	2,295	2,295	–	2,659	2,659	–	2,564	2,564	–	2,637	2,637
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**691**	**36,915**	**37,606**	**1,920**	**31,762**	**33,682**	**1,920**	**41,897**	**43,817**	**2,126**	**42,972**	**45,099**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	691	36,915	37,606	1,920	31,762	33,682	1,920	41,897	43,817	2,126	42,972	45,099

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**9,018,863**	**41,550,998**	**50,569,861**	**12,350,124**	**47,125,875**	**59,475,999**	**12,703,811**	**47,917,768**	**60,621,579**	**16,248,904**	**52,892,017**	**69,140,921**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**8,734,475**	**19,745,244**	**28,479,719**	**11,864,970**	**21,960,164**	**33,825,134**	**12,199,531**	**23,310,415**	**35,509,946**	**15,851,387**	**24,429,576**	**40,280,963**
अ. सामाजिक सेवाएँ **(1 से 12)**	**5,399,020**	**12,056,515**	**17,455,535**	**7,332,167**	**13,683,091**	**21,015,257**	**7,622,063**	**14,139,545**	**21,761,608**	**9,747,250**	**15,568,766**	**25,316,016**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,350,432	7,607,397	8,957,829	1,723,537	8,663,449	10,386,986	1,807,656	8,839,718	10,647,373	2,360,356	9,846,797	12,207,153
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	321,269	1,594,908	1,916,177	436,770	1,942,399	2,379,169	436,826	1,945,244	2,382,071	552,230	2,201,237	2,753,467
3. परिवार कल्याण	253,470	50,858	304,328	315,955	69,742	385,697	321,265	72,707	393,972	377,024	91,890	468,914
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	443,393	434,062	877,456	469,264	477,569	946,833	482,366	496,344	978,710	508,529	445,164	953,693
5. आवास निर्माण	186,629	101,201	287,830	324,744	97,151	421,895	318,836	111,952	430,788	574,344	104,071	678,416
6. शहरी विकास	709,246	237,807	947,053	1,424,991	296,947	1,721,938	1,288,488	322,937	1,611,424	1,748,901	448,908	2,197,809
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	720,552	459,636	1,180,189	903,561	660,382	1,563,943	986,022	677,048	1,663,070	1,050,061	695,943	1,746,004
8. श्रम और श्रम कल्याण	111,940	136,469	248,410	103,651	153,966	257,616	112,444	157,486	269,931	128,243	173,092	301,335
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	836,906	454,814	1,291,720	1,065,860	616,004	1,681,864	1,208,490	638,277	1,846,767	1,729,810	642,228	2,372,038
10. पौष्टिक आहार	361,201	123,292	484,493	458,319	116,292	574,612	500,863	153,129	653,992	550,959	308,478	859,438
11. प्राकृतिक आपदा राहत	15,229	770,717	785,945	2,800	494,962	497,763	50,836	617,679	668,515	49,601	499,473	549,073
12. अन्य*	88,753	85,353	174,106	102,715	94,227	196,942	107,972	107,024	214,996	117,191	111,486	228,677
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**3,335,455**	**7,688,730**	**11,024,185**	**4,532,803**	**8,277,073**	**12,809,876**	**4,577,468**	**9,170,871**	**13,748,339**	**6,104,138**	**8,860,809**	**14,964,947**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	845,997	1,613,588	2,459,585	1,167,733	1,693,807	2,861,540	1,311,557	1,981,040	3,292,598	1,788,005	1,849,569	3,637,573
i) फसल कार्य	333,796	354,170	687,966	518,225	431,136	949,360	577,614	437,750	1,015,363	838,483	492,796	1,331,279
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	82,175	42,696	124,871	102,336	49,904	152,240	109,323	50,007	159,330	144,576	56,537	201,112
iii) पशु पालन	66,873	238,038	304,911	89,527	270,697	360,224	110,682	269,261	379,944	146,379	305,117	451,496
iv) डेरी विकास	23,239	84,325	107,564	47,500	77,927	125,427	38,731	63,611	102,343	76,074	72,128	148,201
v) मत्स्य पालन	35,356	38,530	73,886	48,539	46,646	95,185	45,606	56,650	102,256	65,367	54,734	120,101
vi) वानिकी और वन्यजीवन	171,367	310,462	481,829	197,587	346,194	543,780	207,787	359,440	567,227	223,869	395,614	619,482
vii) बागान	90	594	684	41	709	750	46	667	713	53	693	747
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	8,313	167,264	175,577	20,491	119,845	140,335	20,354	200,893	221,247	10,849	163,706	174,555
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	48,609	135,717	184,326	55,629	149,636	205,265	64,729	154,873	219,602	121,526	147,997	269,523
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	71,419	232,912	304,331	79,666	190,676	270,342	128,080	378,280	506,360	142,777	148,506	291,283
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	4,761	8,880	13,641	8,193	10,438	18,631	8,605	9,608	18,213	18,052	11,743	29,794
2. ग्रामीण विकास	1,127,631	803,894	1,931,525	1,514,291	949,327	2,463,618	1,501,685	843,674	2,345,359	2,156,076	818,926	2,975,002
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	61,730	53,850	115,580	73,113	54,030	127,143	92,400	44,315	136,715	103,756	27,469	131,225
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	227,990	1,100,098	1,328,088	376,240	1,347,069	1,723,309	371,466	1,386,819	1,758,285	479,630	1,506,394	1,986,025
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	114,906	830,927	945,833	227,385	1,047,842	1,275,228	194,816	1,064,123	1,258,939	266,281	1,168,857	1,435,138
ii) लघु सिंचाई	74,748	205,473	280,220	97,991	231,561	329,552	125,914	250,056	375,970	157,731	267,849	425,580
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	3,221	53,769	56,990	3,017	58,471	61,488	12,164	53,667	65,831	9,499	62,741	72,240
5. ऊर्जा	218,722	2,284,623	2,503,345	234,645	2,163,401	2,398,045	251,665	2,608,244	2,859,908	289,493	2,358,794	2,648,287
जिसमें से : बिजली	207,699	2,283,540	2,491,240	216,053	2,161,710	2,377,763	231,883	2,606,288	2,838,171	270,071	2,356,917	2,626,988
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	260,985	176,149	437,133	307,317	265,050	572,368	349,081	313,363	662,444	416,018	269,203	685,220
i) ग्राम और लघु उद्योग	150,378	97,616	247,995	171,450	117,746	289,196	177,202	119,913	297,115	215,017	121,475	336,492
ii) उद्योग@	107,032	78,296	185,328	126,370	121,768	248,138	162,476	167,872	330,348	186,597	147,228	333,825
iii) अन्य**	3,575	236	3,811	9,498	25,536	35,034	9,403	25,578	34,981	14,404	499	14,903

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	184,718	1,264,376	1,449,095	236,538	1,344,299	1,580,838	247,975	1,529,787	1,777,762	320,141	1,532,345	1,852,486
i) सड़क और पुल	152,360	1,022,677	1,175,037	193,351	1,105,918	1,299,269	201,364	1,285,101	1,486,465	252,397	1,314,557	1,566,955
ii) अन्य @@	32,359	241,699	274,058	43,188	238,381	281,568	46,611	244,686	291,297	67,744	217,787	285,531
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	22,660	4,592	27,251	44,865	5,260	50,125	45,451	5,063	50,514	49,641	5,686	55,327
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	385,024	387,558	772,583	578,061	454,830	1,032,891	406,188	458,566	864,754	501,379	492,424	993,803
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	210,132	54,758	264,890	477,021	53,455	530,476	311,163	55,290	366,453	390,426	59,698	450,124
ii) पर्यटन	56,644	16,213	72,857	66,308	19,209	85,517	57,599	17,651	75,249	66,991	12,226	79,216
iii) नागरिक आपूर्ति	11,830	248,430	260,260	14,963	268,035	282,998	15,694	270,728	286,421	19,056	276,538	295,594
iv) अन्य +	106,419	68,157	174,575	19,769	114,131	133,900	21,733	114,897	136,630	24,906	143,962	168,868
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**218,313**	**20,520,713**	**20,739,026**	**422,883**	**23,635,640**	**24,058,523**	**436,949**	**23,001,602**	**23,438,551**	**330,730**	**26,535,725**	**26,866,455**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**8,236**	**470,891**	**479,126**	**11,583**	**534,165**	**545,749**	**11,690**	**544,205**	**555,895**	**15,089**	**606,869**	**621,958**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**31,139**	**1,000,468**	**1,031,607**	**33,275**	**1,185,205**	**1,218,480**	**49,728**	**877,478**	**927,205**	**57,395**	**971,081**	**1,028,476**
i) कर और शुल्क वसूली	31,126	962,602	993,729	33,262	1,145,774	1,179,035	49,713	840,207	889,920	57,377	942,735	1,000,112
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	13	37,865	37,878	13	39,431	39,444	14	37,271	37,285	18	28,346	28,364
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**4,315**	**10,062,960**	**10,067,275**	**–**	**10,988,686**	**10,988,686**	**–**	**11,006,622**	**11,006,622**	**–**	**11,518,607**	**11,518,607**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	749,318	749,318	–	721,194	721,194	–	718,836	718,836	–	680,312	680,312
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	4,315	9,313,642	9,317,957	–	10,267,491	10,267,491	–	10,287,786	10,287,786	–	10,838,296	10,838,296
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	1,318,100	1,318,100	–	1,291,439	1,291,439	–	1,347,047	1,347,047	–	1,268,330	1,268,330
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	6,452,674	6,452,674	–	7,275,569	7,275,569	–	7,190,278	7,190,278	–	7,779,005	7,779,005
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	1,939,253	1,939,253	–	2,109,778	2,109,778	–	2,059,228	2,059,228	–	2,605,850	2,605,850
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	3,459,161	3,459,161	–	3,972,648	3,972,648	–	4,003,459	4,003,459	–	4,069,280	4,069,280
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	1,210,845	1,210,845	–	1,368,649	1,368,649	–	1,437,447	1,437,447	–	1,513,612	1,513,612
iv) अन्य	4,315	332,023	336,338	–	331,832	331,832	–	313,014	313,014	–	277,348	277,348
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**162,155**	**3,734,287**	**3,896,441**	**355,715**	**4,550,885**	**4,906,600**	**363,842**	**4,405,562**	**4,769,404**	**247,134**	**6,043,344**	**6,290,478**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	10,033	131,811	141,844	159,776	213,563	373,339	168,531	221,876	390,406	65,726	423,892	489,618
ii) जिला प्रशासन	103,950	358,764	462,714	110,656	418,989	529,645	117,002	412,336	529,338	92,935	473,800	566,735
iii) पुलिस	26,168	2,344,023	2,370,191	34,926	2,612,022	2,646,948	39,012	2,721,300	2,760,312	44,795	2,984,859	3,029,654
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	6,581	408,161	414,742	12,723	430,354	443,077	11,630	459,135	470,765	6,194	481,153	487,347
v) अन्य ++	15,423	491,528	506,951	37,633	875,958	913,591	27,667	590,916	618,583	37,485	1,679,640	1,717,125
उ. पेन्शन	**–**	**4,686,056**	**4,686,056**	**–**	**5,426,269**	**5,426,269**	**–**	**5,600,195**	**5,600,195**	**25**	**6,272,827**	**6,272,852**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**12,468**	**566,052**	**578,520**	**22,310**	**950,430**	**972,740**	**11,689**	**567,539**	**579,229**	**11,086**	**1,122,997**	**1,134,083**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	508,771	508,771	–	788,800	788,800	–	509,042	509,042	–	570,872	570,872
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**66,075**	**1,285,040**	**1,351,115**	**62,271**	**1,530,070**	**1,592,341**	**67,331**	**1,605,752**	**1,673,083**	**66,787**	**1,926,716**	**1,993,503**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	66,075	1,285,041	1,351,116	62,271	1,530,070	1,592,341	67,331	1,605,752	1,673,083	66,787	1,926,716	1,993,503

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**205,183**	**570,367**	**775,550**	**334,029**	**662,636**	**996,664**	**355,485**	**655,063**	**1,010,548**	**366,841**	**752,377**	**1,119,218**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**197,604**	**243,724**	**441,328**	**323,549**	**265,355**	**588,904**	**342,191**	**270,627**	**612,818**	**355,649**	**374,382**	**730,031**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**171,400**	**213,319**	**384,718**	**271,856**	**241,182**	**513,038**	**306,091**	**239,211**	**545,302**	**305,475**	**305,843**	**611,318**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	33,406	147,113	180,520	53,176	171,876	225,052	53,448	166,527	219,976	49,813	198,398	248,211
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	56,150	37,414	93,564	78,081	44,215	122,296	73,811	44,745	118,556	69,679	56,323	126,002
3. परिवार कल्याण	1,457	–	1,457	3,595	–	3,595	3,104	–	3,104	3,184	–	3,184
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	8,299	–	8,299	9,575	–	9,575	19,731	–	19,731	19,970	–	19,970
5. आवास निर्माण	1,060	2,004	3,064	1,061	2,410	3,471	16,060	2,407	18,467	14,561	2,480	17,041
6. शहरी विकास	50,892	8,326	59,218	98,565	10,022	108,587	105,827	10,032	115,859	105,545	33,572	139,117
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,168	246	1,414	2,016	387	2,403	2,204	463	2,667	2,656	539	3,195
8. श्रम और श्रम कल्याण	718	3,045	3,763	1,522	3,570	5,093	2,040	3,638	5,678	2,997	4,645	7,642
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	13,133	13,342	26,475	15,429	6,861	22,290	18,321	8,824	27,145	27,247	7,706	34,953
10. पौष्टिक आहार	5,103	33	5,136	8,613	44	8,657	11,307	40	11,347	8,985	–	8,985
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	387	387	223	420	643	224	278	502	815	211	1,026
12. अन्य*	13	1,409	1,422	–	1,378	1,378	13	2,257	2,270	23	1,969	1,992
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**26,204**	**30,405**	**56,609**	**51,693**	**24,173**	**75,865**	**36,100**	**31,416**	**67,516**	**50,174**	**68,540**	**118,714**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	1,815	2,887	4,702	1,806	3,552	5,358	1,910	3,533	5,443	2,634	4,559	7,193
i) फसल कार्य	50	665	715	233	865	1,098	347	855	1,202	344	1,152	1,496
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	10	10	40	14	54	20	13	33	30	18	48
iii) पशु पालन	574	638	1,212	624	813	1,437	1,048	803	1,851	1,782	1,057	2,839
iv) डेरी विकास	770	141	911	401	160	561	1	160	161	1	160	161
v) मत्स्य पालन	1	24	25	3	33	36	3	28	31	2	41	43
vi) वानिकी और वन्यजीवन	325	874	1,199	407	1,067	1,474	401	1,006	1,407	377	1,328	1,705
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	87	87	–	95	95	–	94	94	–	97	97
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	17	364	381	28	411	439	20	480	500	28	592	620
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	78	84	162	70	95	165	70	94	164	70	114	184
2. ग्रामीण विकास	234	196	430	7,830	246	8,076	6,757	251	7,008	350	329	679
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	40	4,901	4,941	42	5,159	5,201	23	5,293	5,316	62	6,046	6,108
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	2	782	784	3	791	794	2	791	793	2	869	871
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	38	4,119	4,157	39	4,368	4,407	21	4,502	4,523	60	5,177	5,237
5. ऊर्जा	588	8,946	9,534	725	1	726	2,338	7,500	9,838	6,025	40,900	46,925
जिसमें से : बिजली	550	8,957	9,507	725	1	726	2,313	7,500	9,813	6,000	40,900	46,900
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,490	558	2,048	2,342	755	3,097	1,476	795	2,271	1,271	933	2,204
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,490	544	2,034	2,342	729	3,071	1,476	782	2,258	1,271	904	2,175
ii) उद्योग@	–	14	14	–	26	26	–	13	13	–	29	29
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	20,191	10,284	30,475	34,865	10,400	45,265	20,043	10,200	30,243	33,170	11,000	44,170
i) सड़क और पुल	14,900	6,096	20,996	31,100	8,000	39,100	18,100	8,000	26,100	29,600	8,600	38,200
ii) अन्य @@	5,291	4,188	9,479	3,765	2,400	6,165	1,943	2,200	4,143	3,570	2,400	5,970
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	619	21	640	2,025	24	2,049	912	28	940	4,114	29	4,143
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,228	2,612	3,840	2,058	4,035	6,093	2,641	3,816	6,457	2,548	4,744	7,292
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	40	275	315	40	369	409	303	26	329	30	419	449
ii) पर्यटन	587	190	777	973	67	1,040	1,343	82	1,425	1,067	84	1,151
iii) नागरिक आपूर्ति	259	1,664	1,923	199	1,829	2,028	314	3,073	3,387	314	3,466	3,780
iv) अन्य +	342	483	825	846	1,770	2,616	681	635	1,316	1,137	775	1,912
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**7,579**	**273,459**	**281,039**	**10,480**	**330,587**	**341,067**	**13,295**	**317,704**	**330,999**	**11,192**	**329,620**	**340,812**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**474**	**14,733**	**15,206**	**1,356**	**19,009**	**20,365**	**1,036**	**19,732**	**20,768**	**826**	**29,456**	**30,282**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**2,275**	**7,003**	**9,278**	**2,085**	**8,829**	**10,914**	**6,066**	**9,410**	**15,476**	**3,005**	**10,126**	**13,131**
i) कर और शुल्क वसूली	1,429	7,003	8,432	2,075	8,829	10,904	5,366	9,410	14,776	2,995	10,126	13,121
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	846	–	846	10	–	10	700	–	700	10	–	10
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**221,023**	**221,023**	**–**	**266,873**	**266,873**	**–**	**250,500**	**250,500**	**–**	**247,500**	**247,500**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	221,023	221,023	–	266,873	266,873	–	250,500	250,500	–	247,500	247,500
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	221,023	221,023	–	266,873	266,873	–	250,500	250,500	–	247,500	247,500
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**4,830**	**30,807**	**35,637**	**7,039**	**35,678**	**42,717**	**6,193**	**37,865**	**44,058**	**7,361**	**42,292**	**49,653**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	312	1,645	1,957	319	2,222	2,541	400	2,000	2,400	431	2,626	3,057
ii) जिला प्रशासन	1,207	1,531	2,738	1,611	1,914	3,525	2,439	2,827	5,266	2,675	2,267	4,942
iii) पुलिस	490	126	616	1,050	186	1,236	528	148	676	950	242	1,192
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	17,401	17,401	10	19,379	19,389	–	18,696	18,696	10	22,553	22,563
v) अन्य ++	2,822	10,104	12,926	4,049	11,977	16,026	2,826	14,194	17,020	3,295	14,604	17,899
उ. पेन्शन	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**-106**	**-106**	**–**	**198**	**198**	**–**	**197**	**197**	**–**	**247**	**247**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**53,184**	**53,184**	**–**	**66,694**	**66,694**	**–**	**66,732**	**66,732**	**–**	**48,375**	**48,375**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	53,184	53,184	–	66,694	66,694	–	66,732	66,732	–	48,375	48,375

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(जारी)*

पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**69,948**	**122,752**	**192,700**	**88,513**	**126,473**	**214,986**	**82,545**	**140,197**	**222,741**	**154,103**	**143,775**	**297,878**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**65,282**	**80,696**	**145,978**	**81,667**	**83,663**	**165,330**	**75,597**	**92,805**	**168,402**	**149,484**	**92,730**	**242,214**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**42,727**	**27,396**	**70,123**	**60,359**	**27,248**	**87,607**	**57,497**	**28,488**	**85,985**	**61,717**	**29,274**	**90,991**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	8,861	12,997	21,857	9,623	13,674	23,297	10,352	14,095	24,447	9,491	14,566	24,057
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	10,040	6,223	16,263	11,710	6,301	18,011	11,997	6,594	18,592	8,971	6,636	15,606
3. परिवार कल्याण	504	24	528	507	25	532	510	30	540	358	31	389
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,760	1,234	2,994	1,550	1,335	2,886	1,386	1,347	2,733	1,157	1,393	2,550
5. आवास निर्माण	2,646	641	3,286	8,492	71	8,563	7,275	86	7,361	4,919	76	4,995
6. शहरी विकास	3,300	417	3,717	2,887	278	3,165	7,170	192	7,362	4,294	226	4,520
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2,641	1,400	4,041	2,233	1,009	3,242	3,875	1,320	5,195	6,900	1,365	8,265
8. श्रम और श्रम कल्याण	491	525	1,016	567	529	1,096	595	552	1,147	462	567	1,029
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	10,089	2,822	12,911	9,344	3,018	12,362	11,914	3,242	15,157	11,933	3,419	15,352
10. पौष्टिक आहार	2,193	370	2,563	2,259	361	2,619	2,259	414	2,673	2,069	423	2,492
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	470	470	11,051	367	11,418	9	344	353	11,028	278	11,306
12. अन्य*	201	275	476	135	281	416	155	272	427	135	293	428
आ. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**22,555**	**53,300**	**75,855**	**21,309**	**56,415**	**77,724**	**18,100**	**64,316**	**82,417**	**87,767**	**63,457**	**151,224**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	7,422	2,676	10,098	6,104	2,566	8,670	6,786	2,744	9,529	5,960	2,952	8,912
i) फसल कार्य	1,286	1,381	2,667	1,130	1,354	2,485	1,612	1,514	3,126	1,650	1,660	3,310
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	88	88	–	90	90	–	89	89	–	92	92
iii) पशु पालन	1,546	553	2,099	1,556	500	2,056	1,484	468	1,952	1,400	492	1,892
iv) डेरी विकास	188	34	222	710	25	735	760	45	805	464	44	508
v) मत्स्य पालन	2,627	255	2,883	1,301	270	1,571	1,614	265	1,879	1,338	286	1,624
vi) वानिकी और वन्यजीवन	153	106	259	242	110	352	242	98	340	142	106	248
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	790	–	790	828	–	828	760	–	760	705	–	705
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकारिता	158	245	403	117	204	321	105	250	355	141	258	399
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	674	14	687	220	13	233	209	14	223	120	14	134
2. ग्रामीण विकास	1,794	513	2,307	1,341	540	1,880	1,134	577	1,711	1,580	604	2,184
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,864	–	2,864	3,000	–	3,000	–	3,300	3,300	–	3,300	3,300
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,304	612	1,916	1,205	868	2,072	1,078	662	1,740	1,082	689	1,771
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	1,043	611	1,654	1,205	643	1,847	691	662	1,353	938	689	1,628
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	261	–	261	–	225	225	–	387	387	–	144	144
5. ऊर्जा	946	47,899	48,845	685	50,635	51,320	643	53,933	54,576	708	52,304	53,012
जिसमें से : बिजली	946	47,899	48,845	685	50,635	51,320	643	53,933	54,576	708	52,304	53,012
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,103	128	2,230	2,603	148	2,752	2,760	148	2,908	71,928	156	72,084
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,928	126	2,054	2,483	146	2,629	2,640	147	2,787	71,808	153	71,961
ii) उद्योग@	175	2	176	120	3	123	120	1	121	120	3	123
iii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	3,764	701	4,466	2,254	764	3,018	2,414	796	3,211	2,941	816	3,757
i) सड़क और पुल	3,753	610	4,363	2,232	658	2,891	2,414	702	3,117	2,889	721	3,611
ii) अन्य @@	11	91	103	22	105	127	–	94	94	52	95	146
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	123	7	131	115	9	124	105	10	115	135	12	147

परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय *(समाप्त)*

पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,234	763	2,998	4,002	886	4,887	3,180	2,147	5,327	3,432	2,624	6,056
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	177	394	571	735	486	1,221	130	243	373	535	288	823
ii) पर्यटन	1,191	70	1,261	2,292	74	2,365	2,141	74	2,214	1,785	79	1,864
iii) नागरिक आपूर्ति	731	149	879	840	163	1,003	775	1,689	2,464	996	2,095	3,091
iv) अन्य +	136	151	287	135	163	298	135	142	276	116	162	278
II. विकासेतर व्यय												
(सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**4,667**	**41,679**	**46,345**	**6,845**	**42,407**	**49,253**	**6,947**	**46,990**	**53,937**	**4,619**	**50,610**	**55,229**
अ. राज्य सरकार के विभाग	**100**	**1,854**	**1,954**	**65**	**1,471**	**1,536**	**65**	**1,725**	**1,790**	**45**	**1,726**	**1,771**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	**3,289**	**1,711**	**5,000**	**5,412**	**1,313**	**6,725**	**5,451**	**1,461**	**6,912**	**2,307**	**1,505**	**3,812**
i) कर और शुल्क वसूली	3,289	1,711	5,000	5,412	1,313	6,725	5,451	1,461	6,912	2,307	1,505	3,812
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**18,734**	**18,734**	**–**	**20,272**	**20,272**	**–**	**21,759**	**21,759**	**–**	**26,493**	**26,493**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,200	1,200
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	18,734	18,734	–	20,272	20,272	–	21,759	21,759	–	25,293	25,293
i) केंद्र से ऋण पर ब्याज	–	18,675	18,675	–	20,259	20,259	–	21,134	21,134	–	20,149	20,149
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	12	12	–	3,100	3,100
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,100	3,100
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	–	–	–	3	3	–	555	555	–	1,984	1,984
iv) अन्य	–	59	59	–	10	10	–	58	58	–	60	60
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**1,278**	**8,880**	**10,157**	**1,369**	**9,005**	**10,373**	**1,432**	**9,953**	**11,385**	**2,266**	**9,517**	**11,783**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	62	807	869	110	777	887	56	784	840	840	17	857
ii) जिला प्रशासन	18	163	181	19	154	173	30	179	209	30	182	212
iii) पुलिस	540	3,814	4,354	537	3,825	4,363	616	4,420	5,036	586	4,688	5,274
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	119	992	1,111	117	1,078	1,195	109	1,222	1,331	136	1,144	1,280
v) अन्य ++	539	3,104	3,643	585	3,170	3,755	620	3,348	3,968	674	3,486	4,160
उ. पेन्शन	**–**	**10,416**	**10,416**	**–**	**10,281**	**10,281**	**–**	**12,004**	**12,004**	**–**	**11,277**	**11,277**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**84**	**84**	**–**	**66**	**66**	**–**	**88**	**88**	**–**	**93**	**93**
जिसमें से :												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**377**	**377**	**–**	**403**	**403**	**–**	**402**	**402**	**–**	**435**	**435**
जिसमें से :												
स्थानीक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	377	377	–	403	403	–	402	402	–	435	435

– : शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।

* : इसमें सूचना और प्रचार, सचिवालय-सामाजिक सेवा और अन्य सामाजिक सेवा आदि पर किए गए व्यय शामिल हैं।

@ : इसमें अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग पर किए गए व्यय शामिल हैं।

** : इसमें अन्य उद्योग पर व्यय तथा उद्योग और खनिज पर किए गए अन्य परिव्यय शामिल हैं।

@@ : इसमें बंदरगाह और प्रकाशगृह, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और देश में जल परिवहन आदि पर किए गए व्यय शामिल हैं।

\+ : इसमें विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर किए गए व्यय शामिल हैं।

++ : इसमें लोक सेवा आयोग, कोषागार और लेखा, प्रशासन, जेल आपूर्ति और निपटान, स्टेशनरी और मुद्रण तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर किए गए व्यय आदि शामिल हैं।

परिशिष्ट की टिप्पणीयां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**9,444,040**	**4,221,354**	**4,466,192**	**5,345,811**	**878,940**	**604,581**	**684,996**	**710,905**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**1,354,825**	**2,327,571**	**2,294,284**	**2,698,047**	**25,546**	**15,081**	**49,626**	**43,263**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**837,942**	**1,428,052**	**1,254,086**	**1,409,929**	**32,118**	**37,847**	**40,197**	**35,988**
1. बाजार ऋण	272,586	492,845	860,340	763,260	2,573	13,897	17,436	11,538
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	21,772	–	–	113	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	78,892	135,000	135,000	180,000	4,500	6,416	6,416	6,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	11,121	3,746	3,746	2,806	650	650	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	300,000	100,000	300,000	6,997	6,997	6,997	9,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	414,377	350,000	100,000	100,000	3,000	3,000	6,000	6,000
8. अन्य@	60,966	124,689	55,000	63,863	14,285	6,887	3,348	3,450
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	12,180	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**31,457**	**147,849**	**109,786**	**256,877**	**8,392**	**55**	**2,178**	**155**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	30,949	147,849	109,786	256,877	8,342	–	2,123	100
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	508	–	–	–	50	55	55	55
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**47,134**	**27,580**	**27,580**	**35,566**	**175**	**180**	**180**	**200**
1. आवास निर्माण	31,567	2,270	2,270	2,384	–	–	–	–
2. शहरी विकास	5	100	100	105	–	–	–	–
3. फसल कार्य	83	210	210	221	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	1	5	5	5	–	–	–	–
5. सहकारिता	120	4,025	4,025	4,232	–	–	–	–
6. लघु सिंचाई	–	100	100	105	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	313	1,947	1,947	8,018	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	1	25	25	26	–	–	–	–
9. उद्योग और खनिज	3,421	481	481	505	–	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	6,877	12,657	12,657	13,917	175	180	180	200
12. अन्य**	4,746	5,760	5,760	6,048	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**85**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**177,016**	**186,379**	**206,881**	**220,456**	**13,277**	**12,136**	**26,208**	**27,517**
1. राज्य भविष्य निधि	144,138	154,849	171,882	190,535	12,713	11,608	26,018	27,318
2. अन्य	32,878	31,530	34,999	29,921	564	528	190	199
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**102,283**	**84,036**	**100,200**	**88,679**	**1,000**	**1,000**	**1,714**	**1,800**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	32	34	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	30,513	24,072	38,169	42,428	1,000	1,000	1,714	1,800
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	71,738	59,930	62,031	46,251	–	–	–	–
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**2,284,349**	**1,407,457**	**1,947,658**	**2,134,303**	**23,032**	**13,978**	**11,514**	**12,090**
1. सिविल जमा	1,164,355	312,390	861,850	969,940	16,559	11,515	9,007	9,458
2. स्थानीय निधि जमाराशि	653,515	688,718	688,663	750,459	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	15,393	25,000	25,000	27,500	6,473	2,463	2,507	2,632
4. अन्य	451,086	381,349	372,145	386,404	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**4,606,323**	**–**	**–**	**–**	**666,155**	**463,944**	**512,598**	**538,227**
1. उचंत	5,802	–	–	–	-23,681	-18,855	509,276	534,740
2. नकदी शेष निवेश खाता	3,645,996	–	–	–	688,697	482,648	2,825	2,966
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	758	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	953,767	–	–	–	1,139	151	497	522
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**600**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**188,932**	**940,000**	**820,000**	**1,200,000**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	188,944	–	750,000	1,200,000	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**1,168,520**	**–**	**–**	**–**	**134,792**	**74,840**	**90,407**	**94,927**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**7,463,233**	**5,579,636**	**7,507,077**	**7,672,043**	**9,201,152**	**913,050**	**861,475**	**860,668**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**149,312**	**253,695**	**218,128**	**211,966**	**352,385**	**481,603**	**391,802**	**496,714**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**99,831**	**239,565**	**211,043**	**161,235**	**235,464**	**576,961**	**476,961**	**449,259**
1. बाजार ऋण	85,665	119,565	129,629	126,864	–	211,723	211,723	268,600
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	1,119	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	11,874	18,800	20,000	20,000	22,212	64,904	64,904	58,400
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	1,200	3,105	–	814	231	231	1,556
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	50,000	50,000	5,000	–	100,000	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2,292	50,000	8,309	9,371	211,319	200,000	200,000	120,700
8. अन्य@	–	–	–	–	–	103	103	3
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	3	3	3
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**11,740**	**14,849**	**14,849**	**9,272**	**321**	**677**	**677**	**773**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	86,352	9,849	9,849	8,272	46	–	–	–
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	200	–	–	–	265	666	666	762
4. योजनेतर (i से ii)	-46,343	–	–	–	10	11	11	11
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	-46,343	–	–	–	10	11	11	11
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	5,000	5,000	1,000	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-28,470	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**3,457**	**4,741**	**3,803**	**4,183**	**740**	**2,589**	**2,589**	**2,190**
1. आवास निर्माण	–	–	–	–	4	2	2	–
2. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–
3. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	11	14	12	13	306	1,675	1,675	1,220
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	2	6	3	3	27	30	30	50
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	8	59	59	51
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	3,443	4,721	3,788	4,167	386	823	823	869
12. अन्य**	–	–	–	–	9	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**56,599**	**71,208**	**62,259**	**68,485**	**101,217**	**108,766**	**108,766**	**112,390**
1. राज्य भविष्य निधि	54,447	68,308	59,891	65,880	96,465	104,147	104,147	107,903
2. अन्य2,152	2,900	2,368	2,605	4,752	4,619	4,619	4,487	
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**37,028**	**40,848**	**40,848**	**81,863**	**–**	**19,075**	**67,500**	**16,745**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	17,600	20,400	20,400	10,800	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	19,428	20,448	20,448	71,063	–	19,075	67,500	16,745
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**215,030**	**95,650**	**232,700**	**255,430**	**301,412**	**204,982**	**204,982**	**279,311**
1. सिविल जमा	160,406	45,000	176,400	194,000	191,436	73,311	73,311	117,232
2. स्थानीय निधि जमाराशि	1,216	650	1,300	1,430	104,183	130,671	130,671	161,579
3. सिविल अग्रिम	53,408	50,000	55,000	60,000	5,793	1,000	1,000	500
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**6,842,781**	**5,012,775**	**6,736,575**	**6,886,575**	**8,058,198**	**–**	**–**	**–**
1. उचंत	-16,015	10,000	-15,000	-15,000	15,978	–	–	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	6,857,306	5,000,000	6,750,000	6,900,000	8,039,758	–	–	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	1,490	2,775	1,575	1,575	2,462	–	–	–
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**191,767**	**95,000**	**200,000**	**200,000**	**503,800**	**–**	**–**	**–**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**5,030,447**	**2,106,000**	**4,450,380**	**2,661,538**	**1,099,804**	**291,621**	**271,428**	**302,776**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**147,337**	**243,785**	**248,101**	**307,831**	**70,252**	**86,750**	**76,556**	**97,904**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**88,184**	**168,500**	**150,500**	**197,654**	**63,702**	**83,794**	**71,100**	**94,540**
1. बाजार ऋण	–	25,000	101,000	84,654	10,000	30,046	53,000	66,440
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	11,615	35,000	35,000	35,000	–	1,500	1,500	1,500
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	53	500	500	30,000	17	200	200	200
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	18,000	–	18,000	–	10,000	–	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	76,516	90,000	14,000	30,000	53,684	40,648	15,000	12,400
8. अन्य@	–	–	–	–	1	1,400	1,400	4,000
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**5,513**	**27,903**	**27,903**	**42,882**	**246**	**7,500**	**–**	**7,500**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	4,906	26,682	26,682	42,382	159	7,500	–	7,500
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	226	911	911	250	77	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	381	310	310	250	10	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	381	310	310	250	10	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**35,495**	**47,583**	**53,407**	**71,796**	**578**	**900**	**900**	**1,309**
1. आवास निर्माण	–	–	–	–	38	68	68	94
2. शहरी विकास	3,937	20,433	433	20,433	18	30	30	–
3. फसल कार्य	9	402	10	10	–	4	4	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	19,881	15,150	40,151	35,152	–	–	–	–
5. सहकारिता	1,877	651	1,866	2,728	31	34	34	31
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	5,643	9,230	9,230	11,758	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	4	11	10	10	1	3	4	3
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	5	–	–	1
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	155	125	125	125	441	712	712	1,125
12. अन्य**	3,989	1,581	1,582	1,580	45	50	50	55
V. अंतर राज्य निपटान	**198**	**1**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**4,000**	**1,679**	**4,000**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**40,928**	**46,697**	**43,358**	**46,370**	**13,582**	**12,210**	**12,210**	**12,210**
1. राज्य भविष्य निधि	34,066	42,506	36,358	38,370	13,320	12,000	12,000	12,000
2. अन्य	6,862	4,191	7,000	8,000	262	210	210	210
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**40,499**	**55,347**	**55,281**	**58,724**	**3,294**	**3,301**	**3,301**	**3,301**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	1	1	1	–	–	–	–
2. शोधन निधि	5,000	10,000	10,000	10,000	1,646	2,000	2,000	2,000
3. अकाल राहत निधि	128	29	29	29	–	–	–	–
4. अन्य	35,371	45,317	45,251	48,694	1,647	1,301	1,301	1,301
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**167,522**	**98,390**	**108,546**	**114,904**	**11,308**	**8,466**	**8,466**	**8,466**
1. सिविल जमा	136,446	47,779	39,343	43,603	10,548	8,245	8,245	8,245
2. स्थानीय निधि जमाराशि	6	10	10	9	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	29,234	22,000	30,000	31,000	428	220	220	220
4. अन्य	1,836	28,601	39,193	40,292	333	1	1	1
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**4,293,193**	**1,454,070**	**3,821,086**	**1,921,706**	**830,861**	**120,450**	**120,450**	**120,450**
1. उचंत	-1,450	4,721	2,585	2,705	10,089	5,000	5,000	5,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	2,964,082	900,000	3,000,000	1,000,000	673,378	60,000	60,000	60,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	535,677	245,581	500,000	600,000	–	–	–	–
4. अन्य	794,884	303,768	318,501	319,001	147,394	55,450	55,450	55,450
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**358,916**	**203,510**	**188,620**	**203,502**	**176,233**	**55,000**	**55,000**	**55,000**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**12,478,135**	**6,107,584**	**5,942,423**	**6,524,641**	**12,221,843**	**15,665,860**	**8,147,837**	**8,482,074**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**945,379**	**909,664**	**865,824**	**1,027,739**	**482,366**	**390,849**	**208,897**	**394,287**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**665,350**	**973,881**	**840,121**	**1,003,114**	**199,028**	**376,693**	**73,795**	**393,258**
1. बाजार ऋण	–	80,000	641,500	799,031	-5	74,963	–	155,870
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-28	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-15	–	–	–	45,000	137,800	–	136,600
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	1,874	–	–	–	19,191	29,320	29,745	33,650
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	2,298	1,600	1,600	1,760
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	100,000	–	100	–	1,000	1,000	1,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	577,450	690,260	95,000	90,000	117,593	99,000	17,150	33,628
8. अन्य@	86,069	103,621	103,621	113,983	14,951	33,010	24,300	30,750
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**29,480**	**42,105**	**27,950**	**42,407**	**2,161**	**5,251**	**5,048**	**3,867**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	29,005	42,104	27,950	42,407	1,459	4,741	4,538	3,307
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	466	–	–	–	579	360	360	400
4. योजनेतर (i से ii)	9	–	–	–	123	150	150	160
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	9	–	–	–	123	150	150	160
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	1	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**79,759**	**23,425**	**20,000**	**25,065**	**220,074**	**19,410**	**19,198**	**32,083**
1. आवास निर्माण	2,629	1,000	1,000	2,200	51	163	55	55
2. शहरी विकास	419	1,602	654	1,006	17	14	14	5
3. फसल कार्य	5	5	5	5	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	36	1,000	50	800	420	–	–	–
5. सहकारिता	1,168	2,500	1,400	2,500	277	425	455	485
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	64,977	–	–	–	203,356	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	56	117	117	117	6,448	8,307	7,010	8,023
9. उद्योग और खनिज	–	50	50	50	–	1,200	–	1,400
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	6,256	8,679	8,679	9,277	9,388	9,067	10,433	21,866
12. अन्य**	4,213	8,472	8,045	9,110	116	234	1,231	250
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**1**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**7,611**	**–**	**10,366**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**94,103**	**117,925**	**110,662**	**122,071**	**124,511**	**135,798**	**128,512**	**141,275**
1. राज्य भविष्य निधि	81,551	106,041	104,757	108,816	123,564	134,823	127,554	140,308
2. अन्य	12,552	11,884	5,905	13,255	947	975	958	967
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**189,916**	**140,957**	**155,107**	**116,355**	**27,971**	**25,142**	**26,853**	**25,371**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	54	105	105	77	5,425	5,495	5,425	5,696
2. शोधन निधि	80,000	88,000	90,000	50,000	6,899	5,402	4,997	4,744
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	109,862	52,852	65,002	66,278	15,647	14,245	16,431	14,931
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**1,252,359**	**1,155,372**	**1,155,492**	**1,155,410**	**193,615**	**211,504**	**204,490**	**215,152**
1. सिविल जमा	290,641	312,000	312,000	312,000	172,879	143,000	180,000	190,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	929,963	750,000	750,000	750,000	2,635	2,334	5,355	5,360
3. सिविल अग्रिम	17,453	17,000	17,000	17,000	5,591	6,000	6,000	6,000
4. अन्य	14,302	76,372	76,492	76,410	12,510	60,170	13,135	13,792
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**9,267,990**	**3,237,352**	**3,237,352**	**3,237,352**	**11,147,011**	**14,642,062**	**7,359,941**	**7,351,068**
1. उचंत	-17,116	4,500	4,500	4,500	15,341	1,777,500	275,000	280,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	7,787,112	100,000	100,000	100,000	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	1,800,000	1,800,000	1,800,000	11,120,455	12,855,085	7,075,200	7,061,000
4. अन्य	1,497,994	1,332,852	1,332,852	1,332,852	11,215	9,477	9,741	10,068
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**269**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**891,298**	**416,566**	**385,373**	**822,866**	**307,473**	**250,000**	**330,000**	**320,000**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**2,125,372**	**436,535**	**436,526**	**512,391**	**346,616**	**415,129**	**463,742**	**429,685**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**200,881**	**218,870**	**218,861**	**294,726**	**189,488**	**242,693**	**314,481**	**283,295**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**208,354**	**186,244**	**200,566**	**281,373**	**88,246**	**143,800**	**224,526**	**169,355**
1. बाजार ऋण	51,147	59,800	141,538	210,371	16,746	20,700	140,185	54,055
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	10,000	–	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	14,038	10,000	20,000	22,000	15,000	20,000	20,000	26,500
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	1,050	28	28	2	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	4,200	19,000	19,000	19,000	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	67,998	87,416	20,000	20,000	30,000	59,600	20,841	45,300
8. अन्य@	69,921	–	–	–	16,500	33,500	33,500	33,500
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**3,821**	**14,358**	**36**	**36**	**52,100**	**51,606**	**51,603**	**60,700**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	2,922	14,322	–	–	52,100	51,606	51,603	60,700
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	554	36	36	36	–	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	344	–	–	–	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	344	–	–	–	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**2,341**	**2,268**	**2,260**	**2,317**	**377**	**311**	**306**	**317**
1. आवास निर्माण	47	48	48	47	23	14	18	18
2. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–
3. फसल कार्य	2	7	4	4	5	5	4	5
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	6	8	8	1	–	–	–	–
5. सहकारिता	291	320	320	325	10	3	3	3
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	176	24	24	21	–	–	5	5
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	1,803	1,835	1,835	1,900	300	250	250	260
12. अन्य**	15	27	21	20	39	39	26	26
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**111,229**	**66,000**	**66,000**	**61,000**	**103,982**	**113,758**	**120,044**	**132,445**
1. राज्य भविष्य निधि	109,543	64,400	64,400	59,400	101,462	111,116	117,401	129,680
2. अन्य	1,686	1,600	1,600	1,600	2,520	2,642	2,643	2,765
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**12,874**	**–**	**–**	**–**	**58,226**	**66,285**	**23,166**	**24,301**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	12,874	–	–	–	58,226	66,285	23,166	24,301
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**78,971**	**37,387**	**37,387**	**37,387**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**2,300**
1. सिविल जमा	61,923	7,987	7,987	7,987	1,100	1,100	1,100	1,100
2. स्थानीय निधि जमाराशि	536	21,500	21,500	21,500	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	16,092	7,250	7,250	7,250	1,200	1,200	1,200	1,200
4. अन्य	421	650	650	650	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**1,399,118**	**82,241**	**82,241**	**82,241**	**27,840**	**23,604**	**28,497**	**26,967**
1. उचंत	15,047	17,100	17,100	17,100	21,840	17,604	22,497	20,967
2. नकदी शेष निवेश खाता	1,384,295	15,000	15,000	15,000	3,600	3,600	3,600	3,600
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	50,000	50,000	50,000	–	–	–	–
4. अन्य	-225	141	141	141	2,400	2,400	2,400	2,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**245**	**165**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**308,664**	**48,037**	**48,037**	**48,037**	**13,300**	**13,300**	**13,300**	**13,300**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**828,765**	**833,083**	**833,139**	**737,252**	**14,277,739**	**2,575,430**	**2,489,831**	**2,939,741**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**514,928**	**459,776**	**459,833**	**269,700**	**799,682**	**495,246**	**409,647**	**1,186,740**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**462,255**	**454,660**	**454,717**	**215,000**	**289,148**	**255,000**	**255,000**	**743,219**
1. बाजार ऋण	33,855	38,426	167,107	54,800	–	–	–	403,343
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	82,000	63,070	63,070	26,000	28,933	60,000	60,000	60,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	18,000	20,430	20,430	6,000	940	–	–	1,500
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	135,000	135,000	135,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	151,100	171,499	42,874	50,200	259,276	60,000	60,000	143,376
8. अन्य@	177,300	161,235	161,236	78,000	–	–	–	–
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**–**	**–**	**–**	**–**	**65,446**	**199,071**	**199,071**	**157,129**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	64,338	198,660	198,660	156,718
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	1,043	111	111	111
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	64	300	300	300
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	–	–	64	300	300	300
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**1,192**	**1,354**	**1,354**	**1,130**	**5,998**	**4,907**	**6,307**	**6,997**
1. आवास निर्माण	6	7	7	8	617	630	630	692
2. शहरी विकास	–	–	–	–	18	57	57	62
3. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	–	–	–	–	211	166	166	183
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	500	568	568	100	186	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	56	64	64	70	67	42	42	47
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	201	71	71	78
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	5	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	630	715	715	952	649	-742	658	783
12. अन्य**	–	–	–	–	4,044	4,683	4,683	5,152
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**–**	**500**	**500**	**500**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**39,112**	**44,347**	**44,347**	**49,804**	**174,807**	**207,431**	**207,431**	**228,174**
1. राज्य भविष्य निधि	37,812	42,917	42,917	47,684	91,641	106,512	106,512	117,163
2. अन्य	1,300	1,430	1,430	2,120	83,166	100,919	100,919	111,011
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**16,182**	**19,839**	**19,839**	**13,755**	**165,813**	**89,961**	**89,961**	**89,961**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	4	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	184	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	16,182	19,839	19,839	13,755	165,625	89,961	89,961	89,961
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**103,659**	**95,642**	**95,642**	**160,129**	**1,907,296**	**621,320**	**621,320**	**621,320**
1. सिविल जमा	13,341	14,475	14,475	45,603	304,173	91,358	91,358	91,358
2. स्थानीय निधि जमाराशि	38,100	14,919	14,919	45,068	905,157	451,416	451,416	451,416
3. सिविल अग्रिम	6,618	6,618	6,618	54,800	4,330	–	–	–
4. अन्य	45,600	59,630	59,630	14,658	693,637	78,546	78,546	78,546
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**65,114**	**65,264**	**65,264**	**45,503**	**11,290,166**	**903,682**	**866,682**	**568,882**
1. उचंत	38,514	38,514	38,514	15,741	5,206	28,482	28,482	28,482
2. नकदी शेष निवेश खाता	20,000	20,000	20,000	22,000	9,209,244	337,800	337,800	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	6,600	6,750	6,750	7,762	2,075,717	537,400	500,400	540,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**70,000**	**20,000**	**300,000**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**126,250**	**136,977**	**136,977**	**236,931**	**379,065**	**223,558**	**223,558**	**223,558**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**5,872,730**	**6,055,082**	**6,239,436**	**6,347,173**	**9,784,517**	**3,874,225**	**13,828,993**	**4,460,752**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**579,817**	**915,127**	**752,926**	**786,279**	**600,191**	**649,778**	**644,801**	**699,520**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**1,157,740**	**1,362,842**	**1,394,921**	**1,424,273**	**417,162**	**728,992**	**595,808**	**663,698**
1. बाजार ऋण	216,770	210,138	429,675	216,447	142,000	228,634	406,819	292,298
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	44,000	44,000	44,000	44,000	12,000	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	12,000	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	23,751	45,200	45,400	45,400	49,920	70,000	70,000	77,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	1,719	1,500	1,500	5,449	1,150	1,558	1,558	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	644,687	788,000	852,300	852,500	–	200,000	50,000	200,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	222,810	270,002	18,045	256,475	212,093	209,600	53,880	80,000
8. अन्य@	4,002	4,002	4,001	4,002	–	7,200	13,551	14,400
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	2	2	1	2	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**20,501**	**138,338**	**53,395**	**121,808**	**43,134**	**109,706**	**87,057**	**187,473**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	20,210	103,088	53,145	86,463	42,636	108,261	85,612	186,028
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	270	225	225	315	498	1,445	1,445	1,445
4. योजनेतर (i से ii)	21	25	25	30	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	21	25	25	30	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	35,000	–	35,000	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**6,610**	**7,964**	**7,922**	**7,542**	**2,812**	**4,378**	**4,262**	**29,698**
1. आवास निर्माण	24	76	60	59	–	274	296	263
2. शहरी विकास	120	350	350	355	275	1,639	1,629	1,018
3. फसल कार्य	–	24	24	24	78	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	31	107	114	58	20	85	4	2
5. सहकारिता	664	948	948	750	1,871	968	1,041	2,071
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	75	–	–	25,000
8. ग्राम और लघु उद्योग	515	544	545	677	8	58	1	1
9. उद्योग और खनिज	1,643	2,595	2,595	2,354	33	–	8	14
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	2,791	2,768	2,551	2,334	284	731	731	620
12. अन्य**	822	552	735	932	169	623	552	708
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**111**	**–**	**23**	**57**
VI. आकस्मिकता निधि	**215**	**100**	**–**	**100**	**6,814**	**10,000**	**10,000**	**10,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**789,698**	**1,169,760**	**1,143,495**	**1,134,199**	**141,933**	**142,349**	**141,623**	**152,231**
1. राज्य भविष्य निधि	205,883	363,306	331,606	315,760	119,911	125,300	125,163	134,124
2. अन्य	583,815	806,454	811,889	818,439	22,022	17,049	16,460	18,107
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**11,930**	**29,408**	**39,338**	**35,824**	**81,918**	**60,641**	**76,673**	**69,651**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	36	36	36	36
2. शोधन निधि	195	18,828	18,828	24,887	–	100	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	29	29	29	29
4. अन्य	11,735	10,580	20,510	10,937	81,853	60,476	76,608	69,586
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**350,918**	**489,073**	**501,942**	**525,158**	**443,600**	**551,634**	**690,341**	**603,451**
1. सिविल जमा	121,397	137,970	145,288	151,691	263,638	274,000	238,038	261,125
2. स्थानीय निधि जमाराशि	226,169	347,065	352,615	368,629	15,490	5,000	26,372	29,002
3. सिविल अग्रिम	165	43	43	43	19,891	30,000	18,000	20,000
4. अन्य	3,187	3,995	3,996	4,795	144,581	242,634	407,931	293,324
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**2,929,052**	**2,240,868**	**2,470,969**	**2,470,819**	**7,986,486**	**1,716,500**	**11,896,396**	**2,657,737**
1. उचंत	490,753	460,304	470,318	470,168	1,974	15,000	15,000	14,881
2. नकदी शेष निवेश खाता	499,652	30,005	25,005	25,005	6,088,473	500,000	9,822,500	500,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	1,938,647	1,750,559	1,975,646	1,975,646	1,896,039	1,201,500	2,058,896	2,142,856
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**194**	**–**	**–**	**–**	**919**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	1	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**605,873**	**616,729**	**627,454**	**627,450**	**659,627**	**550,025**	**326,810**	**86,757**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**10,867,343**	**10,709,259**	**14,196,993**	**10,528,259**	**910,374**	**541,320**	**200,582**	**208,098**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**1,508,554**	**1,724,464**	**540,026**	**1,829,030**	**69,152**	**49,193**	**49,351**	**56,824**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**1,405,847**	**1,494,919**	**1,398,518**	**1,792,547**	**49,170**	**45,133**	**49,523**	**55,490**
1. बाजार ऋण	173,725	204,452	854,306	529,478	25,599	20,424	24,723	30,330
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	14,649	100,000	100,000	100,000	156	1,000	1,000	1,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	11,956	28,651	30,048	32,396	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	266,483	300,000	195,363	300,000	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	927,748	861,815	218,801	830,673	23,169	23,609	23,300	23,660
8. अन्य@	11,286	–	–	–	245	100	500	500
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	2	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**49,804**	**81,853**	**99,080**	**72,241**	**595**	**621**	**690**	**690**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	47,207	72,925	35,263	65,680	155	621	690	690
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	2,350	8,828	62,572	6,461	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	440	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	247	100	1,245	100	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	247	100	1,245	100	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**5,070**	**53,434**	**32,656**	**34,838**	**90**	**128**	**192**	**300**
1. आवास निर्माण	5,175	3,800	4,246	4,246	–	1	–	–
2. शहरी विकास	443	1,390	1,037	1,026	–	–	–	–
3. फसल कार्य	5	8	3	3	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	-4	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	1,495	1,460	2,192	2,302	37	32	37	42
6. लघु सिंचाई	2	1	1	1	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	12,408	21,400	–	–	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	82	175	125	151	–	–	–	–
9. उद्योग और खनिज	-39,130	800	800	800	–	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	13,254	15,826	15,407	17,396	53	45	55	58
12. अन्य**	11,340	8,575	8,845	8,913	–	50	100	200
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**128,857**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**189,489**	**232,527**	**217,903**	**230,149**	**14,153**	**8,600**	**10,200**	**11,209**
1. राज्य भविष्य निधि	170,875	205,095	191,157	202,806	13,986	8,400	10,000	11,000
2. अन्य18,614	27,433	26,746	27,343	167	200	200	209	
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**598,799**	**591,018**	**135,178**	**140,640**	**84**	**589**	**589**	**1,972**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	63	72	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	69,806	56,100	56,100	59,900	–	–	–	1,266
3. अकाल राहत निधि	24	30	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	528,906	534,816	79,078	80,740	84	589	589	706
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**889,811**	**900,268**	**1,096,263**	**930,917**	**20,250**	**10,400**	**10,401**	**9,588**
1. सिविल जमा	846,809	851,558	1,062,911	867,623	-11,220	5,000	5,000	5,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	30,001	202	–	18	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	21,517	37,508	20,872	33,276	1,761	400	401	588
4. अन्य	-8,516	11,000	12,480	30,000	29,708	5,000	5,000	4,000
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**6,257,327**	**6,158,979**	**10,005,878**	**6,097,906**	**663,019**	**408,000**	**61,129**	**61,000**
1. उचंत	1,750	9,679	1,253	1,306	-113	5,000	500	500
2. नकदी शेष निवेश खाता	6,204,894	6,000,000	6,000,000	6,000,000	653,785	400,000	60,129	60,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	50,683	149,300	4,004,625	96,600	9,347	3,000	500	500
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**11**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**1,342,328**	**1,196,260**	**1,211,518**	**1,229,021**	**163,013**	**67,849**	**67,858**	**67,849**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**749,087**	**1,208,305**	**1,047,846**	**1,170,928**	**466,799**	**53,533**	**1,589,875**	**50,339**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**32,224**	**44,436**	**43,940**	**42,096**	**24,601**	**33,293**	**21,353**	**32,451**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**24,307**	**40,604**	**40,604**	**37,735**	**23,123**	**25,423**	**25,423**	**22,358**
1. बाजार ऋण	19,186	28,246	28,246	25,377	12,474	13,353	14,687	12,288
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	4,918	2,000	2,000	2,000
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	2,125	3,000	3,000	3,000	1,400	1,400	1,400	1,400
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	87	168	168	168	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	4,050	4,050	4,050	1,959	6,670	6,670	6,670
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2,409	4,640	4,640	4,640	956	2,000	667	–
8. अन्य@	500	500	500	500	1,416	–	–	–
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**298**	**677**	**862**	**872**	**532**	**1,320**	**1,860**	**2,530**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	101	638	638	641	234	1,320	1,320	2,530
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	180	15	200	206	291	–	540	–
4. योजनेतर (i से ii)	18	24	24	25	7	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	18	24	24	25	7	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**1,711**	**1,800**	**1,800**	**1,600**	**2,401**	**2,270**	**2,466**	**2,531**
1. आवास निर्माण	9	–	–	–	1,973	1,820	2,100	2,200
2. शहरी विकास	–	10	10	10	1	1	1	1
3. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	10	5	5	5	58	48	35	30
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	4	–	–	–	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	1	–	–
9. उद्योग और खनिज	–	1	1	1	–	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	1,688	1,784	1,784	1,584	369	400	330	300
12. अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**7,832**	**21,000**	**19,720**	**21,000**	**10**	**10**	**10**	**10**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**9,117**	**8,635**	**8,635**	**11,043**	**21,452**	**19,000**	**22,650**	**19,000**
1. राज्य भविष्य निधि	9,117	8,635	8,635	11,043	20,838	18,750	22,400	18,750
2. अन्य	–	–	–	–	613	250	250	250
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**2,068**	**2,254**	**2,369**	**2,609**	**2,066**	**2,400**	**2,400**	**2,500**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	907	1,059	1,174	1,378	700	1,400	1,400	1,500
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	1,161	1,195	1,195	1,231	1,366	1,000	1,000	1,000
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**34,223**	**14,823**	**24,132**	**28,130**	**23,442**	**1,710**	**12,590**	**10**
1. सिविल जमा	30,124	11,619	20,628	23,826	21,913	1,700	12,230	–
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	2	2	2	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	4,099	3,202	3,502	4,302	1,529	10	360	10
4. अन्य	–		–		–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**592,147**	**1,058,745**	**858,328**	**986,780**	**300,564**	**1,400**	**1,460,736**	**1,400**
1. उचंत	2,979	2,253	2,253	2,253	2,219	–	252,300	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	588,754	300,000	300,000	427,857	297,402		118,380	
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	756,171	555,754	556,348	–	–	1,088,300	–
4. अन्य	414	321	321	322	943	1,400	1,756	1,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**77,384**	**59,768**	**91,397**	**81,160**	**93,209**	**–**	**61,740**	**–**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**513,570**	**209,385**	**512,199**	**506,621**	**6,706,808**	**2,127,724**	**2,125,051**	**2,747,199**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**38,588**	**34,285**	**47,166**	**40,947**	**294,939**	**396,073**	**352,143**	**526,566**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**72,098**	**96,009**	**98,984**	**98,911**	**130,512**	**169,990**	**180,343**	**220,075**
1. बाजार ऋण	29,351	30,459	36,921	32,511	–	108,458	119,988	151,073
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	3,040	1,475	1,245	350	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	3,143	2,650	2,800	2,700	21,984	30,000	35,353	47,500
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	141	400	400	400	–	2	2	2
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	26,671	50,000	45,000	50,000	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,566	2,650	500	1,000	108,528	31,530	20,000	15,000
8. अन्य@	8,187	8,375	12,118	11,950	–	–	5,000	6,500
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**121**	**–**	**400**	**400**	**74,077**	**192,342**	**118,579**	**190,080**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	-303	–	–	–	73,292	189,909	116,146	189,365
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	444	–	400	400	710	2,433	2,433	715
4. योजनेतर (i से ii)	-20	–	–	–	75	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	-20	–	–	–	75	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**433**	**516**	**486**	**475**	**28,582**	**24,641**	**33,772**	**24,680**
1. आवास निर्माण	16	381	58	55	30	–	–	30
2. शहरी विकास	–	–	–	–	269	–	–	274
3. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	1	–	–	1
5. सहकारिता	198	13	208	220	237	–	–	239
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	5,514	11,029	11,029	11,029
8. ग्राम और लघु उद्योग	–	20	20	20	134	–	–	133
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	396	–	–	388
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	219	103	200	180	8,538	13,100	13,100	11,810
12. अन्य**	–	–	–	–	13,463	512	9,643	776
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**15,000**	**15,000**	**15,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**9,522**	**10,050**	**12,020**	**10,525**	**207,683**	**200,854**	**200,854**	**216,846**
1. राज्य भविष्य निधि	9,307	9,800	11,800	10,300	207,382	200,504	200,504	216,504
2. अन्य	215	250	220	225	301	350	350	342
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**564**	**300**	**300**	**300**	**276,208**	**68,368**	**108,445**	**138,349**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	148,807	30,007	70,007	30,007
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	1	–	–	–
4. अन्य	564	300	300	300	127,400	38,361	38,438	108,342
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**12,755**	**2,000**	**6,000**	**2,000**	**246,275**	**311,018**	**322,547**	**398,365**
1. सिविल जमा	10,787	1,000	5,000	1,000	188,640	150,000	149,999	187,109
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	51,182	45,000	45,000	51,032
3. सिविल अग्रिम	1,968	1,000	1,000	1,000	6,448	4,560	4,560	6,551
4. अन्य	–	–	–	–	5	111,458	122,988	153,673
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**331,728**	**20,500**	**314,000**	**314,000**	**5,399,911**	**910,510**	**910,510**	**1,193,750**
1. उचंत	3,973	4,000	4,000	4,000	1,238	8,000	8,000	1,650
2. नकदी शेष निवेश खाता	303,661	6,500	300,000	300,000	5,396,793	900,000	900,000	1,190,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	24,094	10,000	10,000	10,000	1,880	2,510	2,510	2,100
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**86,349**	**80,010**	**80,010**	**80,010**	**343,560**	**235,001**	**235,001**	**350,054**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**15,012,396**	**14,906,811**	**16,440,414**	**16,494,061**	**9,778,578**	**7,105,043**	**11,348,526**	**8,632,438**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**480,814**	**690,493**	**592,611**	**550,257**	**702,219**	**772,018**	**956,249**	**831,391**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**425,420**	**525,640**	**535,039**	**596,375**	**388,091**	**477,531**	**463,520**	**592,287**
1. बाजार ऋण	98,122	235,005	412,128	351,375	149,888	267,531	398,696	487,913
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	28,305	40,035	40,035	45,000	35,385	50,000	50,000	50,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	500	–	–	2,887	400	4,354	4,374
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	100	10,000	100,000	5,921	10,000	–	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	298,993	250,000	72,876	100,000	194011	149,600	10,470	40,000
8. अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**2,079**	**46,758**	**46,518**	**34,440**	**34,123**	**100,600**	**58,851**	**58,427**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	1,819	46,458	46,458	34,380	32,469	93,090	55,930	54,880
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	245	–	–	–	1,643	7,510	2,921	3,547
4. योजनेतर (i से ii)	15	300	60	60	11	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	15	300	60	60	11	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**39,546**	**7,591**	**15,749**	**15,531**	**51,390**	**11,006**	**177,794**	**9,733**
1. आवास निर्माण	10	6	6,964	7,382	139	133	128	138
2. शहरी विकास	45	–	199	199	177	200	253	203
3. फसल कार्य	–	6	–	–	367	404	354	304
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	1	–	–	–	2	1	1	2
5. सहकारिता	31	23	20	20	6,388	2,772	2,921	1,110
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	1	1	1
7. बिजली परियोजना	30,645	–	–	–	14,238	6,412	173,031	7,061
8. ग्राम और लघु उद्योग	1,377	1,236	1,522	1,168	182	228	378	329
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	232	175	155	80
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	7,374	6,316	6,995	6,713	29,367	448	346	277
12. अन्य**	63	5	49	49	298	233	226	229
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**16,500**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**151,174**	**188,788**	**179,048**	**185,789**	**261,127**	**284,441**	**296,228**	**308,383**
1. राज्य भविष्य निधि	149,989	185,101	173,460	182,133	170,829	185,758	196,513	199,003
2. अन्य	1,185	3,687	5,588	3,656	90,298	98,683	99,715	109,380
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**31,931**	**47,568**	**57,635**	**55,500**	**144,616**	**188,504**	**214,872**	**137,197**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	315	17,774	7,443	8,039	190	201	201	–
2. शोधन निधि	–	5,000	5,000	5,000	35,000	60,000	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	31,617	24,794	45,192	42,461	109,426	128,304	214,672	137,197
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**208,593**	**206,713**	**209,920**	**209,920**	**5,058,658**	**5,190,428**	**5,907,052**	**6,582,615**
1. सिविल जमा	198,535	200,398	206,834	206,834	459,855	455,178	473,498	504,509
2. स्थानीय निधि जमाराशि	20	4	7	7	4,412,304	4,410,330	4,982,346	5,532,345
3. सिविल अग्रिम	3,808	3,908	3,079	3,079	3,307	5,008	5,013	5,013
4. अन्य	6,230	2,403	–	–	183,191	319,912	446,195	540,748
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**14,026,948**	**13,756,849**	**15,263,699**	**15,263,699**	**3,466,721**	**507,128**	**3,845,503**	**512,090**
1. उचंत	22,921	–	27,702	27,702	7,419	6,165	10,060	10,061
2. नकदी शेष निवेश खाता	3,605,094	3,531,565	1,770,353	1,770,353	3,458,104	500,000	3,833,415	500,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	9,072,573	8,898,423	12,264,095	12,264,095	–	–	–	–
4. अन्य	1,326,360	1,326,861	1,201,549	1,201,549	1,199	963	2,028	2,029
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**126,704**	**126,905**	**132,807**	**132,807**	**373,852**	**345,405**	**384,705**	**415,205**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**254,444**	**245,645**	**267,330**	**256,718**	**18,854,908**	**10,123,403**	**13,378,224**	**13,778,220**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**17,317**	**30,587**	**32,244**	**45,272**	**1,132,000**	**1,141,897**	**987,074**	**1,201,406**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**13,788**	**28,391**	**29,259**	**42,326**	**682,031**	**972,385**	**760,070**	**981,075**
1. बाजार ऋण	11,461	24,633	26,251	37,318	181,447	342,163	494,244	571,475
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	964	964	964	1,008	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	753	2,000	2,000	4,000	96,450	109,916	132,691	106,241
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	605	306	2,441	2,664
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	150,000	50,000	150,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	566	750	–	–	401,345	370,000	80,000	150,000
8. अन्य@	44	44	44	–	2,184	–	694	695
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**486**	**795**	**872**	**486**	**32,686**	**145,052**	**108,842**	**173,699**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	79	386	386	–	31,406	143,992	107,702	172,450
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	402	400	480	480	1,268	1,010	1,090	1,199
4. योजनेतर (i से ii)	5	9	6	6	12	50	50	50
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	5	9	6	6	12	50	50	50
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**78**	**51**	**53**	**53**	**160,245**	**126,093**	**118,961**	**115,484**
1. आवास निर्माण	38	–	–	–	72	23	132	2
2. शहरी विकास	–	–	–	–	1,717	914	214	188
3. फसल कार्य	–	–	–	–	7	1	1	1
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	51,691	60,003	90,000	90,000
5. सहकारिता	–	–	–	–	72,048	1,499	1,374	1,407
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	2	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	805	12,507	4,782	3,175
8. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	371	667	–	–
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	11,403	12,931	1	28
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	8,000	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	39	51	51	51	8,587	12,429	13,912	14,386
12. अन्य**	1	–	2	2	13,542	17,119	8,545	6,297
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**10**	**–**	**55**	**–**	**1,637**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**8,003**	**8,075**	**8,376**	**9,086**	**321,416**	**365,316**	**385,444**	**413,832**
1. राज्य भविष्य निधि	7,758	7,800	8,100	8,800	314,066	360,132	381,959	410,177
2. अन्य	244	275	276	286	7,350	5,184	3,485	3,655
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**3,104**	**4,165**	**5,346**	**4,261**	**238,773**	**190,859**	**103,560**	**152,522**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	1,173	1,173	1,173	1,173	88,834	47,236	45,436	92,778
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	3	1	3	3
4. अन्य	1,931	2,992	4,173	3,088	149,936	143,622	58,121	59,741
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**2,470**	**2,823**	**2,823**	**2,464**	**1,160,054**	**1,006,201**	**1,226,142**	**1,164,163**
1. सिविल जमा	2,456	2,823	2,823	2,464	854,607	732,112	887,288	849,498
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	171,657	160,623	176,944	176,944
3. सिविल अग्रिम	–	–	–	–	8,510	6,886	9,195	9,199
4. अन्य	13	–	–	–	125,280	106,580	152,715	128,522
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**180,859**	**157,616**	**176,816**	**152,397**	**16,055,030**	**7,108,829**	**10,462,554**	**10,565,168**
1. उचंत	-9	232	232	6	235,920	245,696	240,525	240,525
2. नकदी शेष निवेश खाता	68,476	67,800	87,000	40,000	12,188,387	4,699,007	6,956,459	7,006,926
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	112,392	89,584	89,585	112,392	3,630,723	2,164,126	3,265,570	3,317,717
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**45,645**	**43,729**	**43,729**	**45,645**	**203,036**	**208,669**	**212,651**	**212,278**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखंड			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**1,629,885**	**983,641**	**1,654,216**	**1,531,200**	**3,685,702**	**1,226,244**	**1,239,929**	**1,212,501**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**35,361**	**54,487**	**10,080**	**25,300**	**112,042**	**183,011**	**200,221**	**170,593**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**21,913**	**35,800**	**5,000**	**20,000**	**188,427**	**163,133**	**163,133**	**136,627**
1. बाजार ऋण	3,483	12,000	–	12,000	42,274	54,363	54,363	70,000
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	2,172	5,000	3,000	6,000	16,256	19,250	19,250	21,175
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	1	–	–	–	2,521	1,320	1,320	1,452
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	67,614	20,000	20,000	20,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	15,343	18,800	2,000	2,000	59,762	68,200	68,200	24,000
8. अन्य@	914	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**583**	**–**	**–**	**–**	**2,009**	**6,441**	**6,441**	**2,931**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	163	–	–	–	480	6,441	6,441	2,931
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	400	–	–	–	629	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	20	–	–	–	901	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	20	–	–	–	901	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**351**	**289**	**300**	**300**	**1,950**	**15,636**	**15,636**	**26,024**
1. आवास निर्माण	13	–	–	–	–	–	–	–
2. शहरी विकास	–	–	–	–	–	50	50	–
3. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	35
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	2	–	–	–	17	21	21	41
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	1,289	3,710	3,710	9,000
8. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	2	10,005	10,005	15,000
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	336	289	300	300	640	1,821	1,821	1,923
12. अन्य**	–	–	–	–	2	29	29	25
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**3,420**	**2,800**	**2,800**	**2,500**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**37,974**	**45,200**	**39,340**	**41,350**	**32,987**	**27,560**	**31,946**	**33,146**
1. राज्य भविष्य निधि	37,639	44,900	39,000	41,000	32,370	26,690	31,490	32,690
2. अन्य	335	300	340	350	617	871	457	457
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**1,854**	**500**	**1,500**	**1,500**	**29,760**	**26,000**	**26,000**	**21,000**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	20,000	13,000	13,000	8,000
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	1,854	500	1,500	1,500	9,760	13,000	13,000	13,000
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**19,945**	**20,800**	**20,200**	**19,000**	**219,354**	**166,328**	**175,628**	**171,928**
1. सिविल जमा	6,180	20,000	6,000	5,000	133,937	66,628	68,628	67,128
2. स्थानीय निधि जमाराशि	12,124	–	13,000	13,000	73,103	99,700	107,000	104,800
3. सिविल अग्रिम	1,641	800	1,200	1,000	12,314	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**1,466,593**	**826,052**	**1,539,865**	**1,404,040**	**2,917,486**	**616,792**	**616,792**	**616,792**
1. उचंत	7,228	6,000	5,000	4,000	-36,729	22,572	22,572	22,572
2. नकदी शेष निवेश खाता	1,459,266	820,002	1,534,795	1,400,000	633,997	–	–	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	1,719,413	–	–	–
4. अन्य	99	50	70	40	600,805	594,220	594,220	594,220
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**80,670**	**55,000**	**48,010**	**45,010**	**290,309**	**201,553**	**201,553**	**201,553**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**61,797,413**	**31,990,709**	**21,475,245**	**22,234,419**	**19,479,724**	**16,286,156**	**17,277,738**	**18,042,198**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**2,137,483**	**1,601,467**	**899,188**	**1,699,712**	**1,307,203**	**1,649,968**	**1,578,087**	**1,680,759**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**1,133,202**	**2,457,095**	**908,983**	**2,392,998**	**1,061,937**	**1,626,113**	**1,581,123**	**1,656,839**
1. बाजार ऋण	324,765	428,698	428,698	709,933	133,508	306,265	1,160,665	1,074,020
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	140,000	150,000	150,000	150,000	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	36,968	55,000	55,000	55,000	35	1,000	1,000	1,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	279	–	1,888	1,566	1,946	2,028	2,028	1,689
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	1,000,000	–	1,000,000	20,798	100,000	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	617,179	800,000	250,000	460,000	824,471	1,010,000	155,575	300,000
8. अन्य@	14,011	23,397	23,397	16,500	81,180	206,820	161,855	180,130
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	42	30	30	30
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**37,948**	**51,265**	**50,265**	**50,265**	**62,097**	**104,836**	**56,246**	**56,863**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	36,926	50,000	50,000	50,000	61,459	104,836	56,246	56,863
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	966	1,000	–	–	638	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	56	265	265	265	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	56	265	265	265	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**35,564**	**60,799**	**52,436**	**58,888**	**23,790**	**7,334**	**18,879**	**6,334**
1. आवास निर्माण	1,347	5,986	5,986	5,986	22	150	150	150
2. शहरी विकास	10,589	1,293	1,293	1,293	1	95	95	95
3. फसल कार्य	9	1,442	1,442	171	22	50	50	50
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	5	14	14	14	–	4	4	4
5. सहकारिता	2,943	1,141	1,130	1,252	245	275	275	275
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	1	7	7	7
7. बिजली परियोजना	–	100	100	854	15,971	–	11,932	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	1,110	4,424	1,909	2,106	32	108	108	108
9. उद्योग और खनिज	16,808	32,181	26,353	32,642	3,588	1,245	1,858	1,245
10. सड़क परिवहन	–	49	49	49	–	200	200	200
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	3,055	4,098	4,090	4,450	3,898	5,000	4,000	4,000
12. अन्य**	-303	10,071	10,071	10,071	10	200	200	200
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**64,479**	**1,000**	**994**	**1,000**	**175**	**–**	**719**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**485,791**	**438,663**	**438,844**	**466,694**	**119,456**	**136,270**	**128,930**	**139,005**
1. राज्य भविष्य निधि	470,551	423,970	424,121	451,980	117,693	133,070	125,930	136,005
2. अन्य	15,240	14,693	14,723	14,714	1,763	3,200	3,000	3,000
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**307,380**	**360,917**	**360,932**	**472,360**	**95,157**	**97,499**	**103,165**	**139,877**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	12,015	12,000	12,000	12,000	–	–	–	–
2. शोधन निधि	287,207	305,793	305,793	316,379	39,825	36,000	48,500	82,200
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	-132	–	–	–
4. अन्य	8,158	43,124	43,139	143,981	55,464	61,499	54,665	57,677
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**1,524,944**	**552,548**	**554,368**	**587,845**	**941,167**	**1,232,068**	**2,013,196**	**2,053,422**
1. सिविल जमा	754,652	268,336	269,856	297,406	256,608	217,090	299,035	300,071
2. स्थानीय निधि जमाराशि	663,331	284,212	284,512	290,439	394,114	476,055	452,580	480,061
3. सिविल अग्रिम	20,929	–	–	–	21,328	17,512	22,505	25,006
4. अन्य	86,031	–	–	–	269,117	521,411	1,239,076	1,248,285
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**56,961,749**	**27,816,922**	**18,856,922**	**17,952,869**	**16,838,829**	**12,826,619**	**13,020,481**	**13,618,966**
1. उचंत	-1,485,559	75,015	75,015	75,015	20,422	8,007	2,725	2,810
2. नकदी शेष निवेश खाता	23,340,365	25,000,000	16,000,000	15,000,000	5,569,344	5,000,000	1,200,000	1,200,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	30,870,389	–	–	–	9,218,955	5,800,000	9,500,000	9,900,000
4. अन्य	4,236,554	2,741,907	2,781,907	2,877,854	2,030,109	2,018,612	2,317,756	2,516,156
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**1,246,357**	**251,500**	**251,500**	**251,500**	**337,117**	**255,418**	**355,000**	**370,894**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	सभी राज्य			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**241,760,361**	**147,396,346**	**159,377,644**	**145,380,648**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**14,304,887**	**16,096,159**	**13,463,500**	**17,530,616**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**10,464,392**	**15,174,996**	**12,482,863**	**15,887,538**
1. बाजार ऋण	2,036,620	3,681,787	7,353,868	7,602,661
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	76,126	90,211	58,209	67,358
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	184,985	299,800	150,000	286,600
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	623,580	979,461	1,017,564	1,035,466
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	58,236	65,418	75,547	93,984
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	1,045,330	3,368,817	1,645,380	3,290,320
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां++	5,875,554	5,974,619	1,578,128	2,948,423
8. अन्य@	563,962	714,883	604,167	562,726
जिसमें :				
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	12,226	35	34	35
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**571,751**	**1,491,828**	**1,129,060**	**1,534,803**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	628,912	1,425,278	1,047,168	1,481,164
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	2,350	8,828	62,572	6,461
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	12,992	16,177	11,874	9,920
4. योजनेतर (i से ii)	-44,033	1,544	2,446	1,257
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–
(ii) अन्य	-44,033	1,544	2,446	1,257
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	40,001	5,000	36,000
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-28,470	–	–	–
IV ऋण और अग्रिम की वसूली(1 से 12)	**757,942**	**459,177**	**621,245**	**517,162**
1. आवास निर्माण	43,850	16,852	24,218	26,009
2. शहरी विकास	18,050	28,177	6,418	26,273
3. फसल कार्य	592	2,566	2,110	832
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	72,090	76,377	130,351	126,038
5. सहकारिता	90,548	19,017	20,163	21,485
6. लघु सिंचाई	5	108	108	113
7. बिजली परियोजना	355,923	66,903	216,329	75,995
8. ग्राम और लघु उद्योग	10,651	26,094	21,946	28,066
9. उद्योग और खनिज	-1,390	51,789	32,432	39,638
10. सड़क परिवहन	5	8,249	249	249
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	110,995	104,230	106,527	121,821
12. अन्य**	56,623	58,815	60,395	50,642
V. अंतर राज्य निपटान	**309**	**2**	**25**	**59**
VI. आकस्मिकता निधि	**241,144**	**74,410**	**81,843**	**90,610**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**3,851,336**	**4,408,743**	**4,402,213**	**4,604,685**
1. राज्य भविष्य निधि	2,958,914	3,266,437	3,255,674	3,427,131
2. अन्य	892,422	1,142,306	1,146,539	1,177,554
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**2,481,298**	**2,216,781**	**1,822,072**	**1,896,916**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	18,134	35,718	25,211	25,849
2. शोधन निधि	835,296	726,570	733,691	746,239
3. अकाल राहत निधि	53	89	61	61
4. अन्य	1,627,815	1,454,404	1,063,109	1,124,766
IX जमा और अग्रिम (1 से 4)	**17,697,312**	**14,611,283**	**17,404,043**	**18,285,179**
1. सिविल जमा	6,662,725	4,463,573	5,628,134	5,720,811
2. स्थानीय निधि जमाराशि	8,684,806	7,888,410	8,504,211	9,233,100
3. सिविल अग्रिम	291,230	249,588	241,525	317,169
4. अन्य	2,058,552	2,009,712	3,030,173	3,014,100
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**194,869,198**	**102,137,752**	**114,591,265**	**94,648,383**
1. उचंत	-654,060	2,752,488	2,025,409	1,771,684
2. नकदी शेष निवेश खाता	111,629,915	54,673,927	59,197,261	43,523,707
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	62,538,220	30,405,260	32,833,349	32,231,443
4. अन्य	21,355,124	14,306,077	20,535,246	17,121,549
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**600**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**190,570**	**1,010,165**	**840,000**	**1,500,000**
जिसमें : विनिवेश	188,945	–	750,000	1,200,000
XIII. विप्रेषण	**10,635,112**	**5,810,610**	**6,003,015**	**6,415,314**

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां *(समाप्त)*

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	**423,078**	**37,189**	**95,356**	**29,775**	**45,188**	**79,300**	**74,248**	**429,988**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	**423,078**	**37,189**	**95,356**	**29,775**	**45,188**	**79,300**	**44,544**	**135,119**
I. बाह्य ऋण #	–	–	–	–	–	–	–	–
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**400,214**	–	**75,000**	–	–	**42,500**	**35,319**	**104,379**
1. बाजार ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	400,214	–	75,000	–	–	–	–	–
8. अन्य@	–	–	–	–	–	42,500	35,319	104,379
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	–	–	–	–	**44,377**	**36,200**	**7,200**	**18,200**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	44,377	36,200	7,200	18,200
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**22,864**	**37,189**	**20,356**	**29,775**	**811**	**600**	**1,101**	**600**
1. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–
3. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	–	–	–	–	–	–	–	–
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि+	388	500	400	400	–	–	–	–
12. अन्य**	22,476	36,689	19,956	29,375	811	600	1,101	600
V. अंतर राज्य निपटान	–	–	–	–	–	–	–	–
VI. आकस्मिकता निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	–	–	–	–	–	–	**3,263**	**13,055**
1. राज्य भविष्य निधि	–	–	–	–	–	–	3,175	12,700
2. अन्य	–	–	–	–	–	–	88	355
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	–	–	–	–	–	–	–	**1,200**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	1,200
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	–	–	–	–	–	–	**1,916**	**7,744**
1. सिविल जमा	–	–	–	–	–	–	1,711	6,922
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	2
4. अन्य –	–	–	–	–	–	205	820	
X. उचंत और विविध (1 से 4)	–	–	–	–	–	–	**25,449**	**284,810**
1. उचंत	–	–	–	–	–	–	286	1,560
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	–	–	–	–	–	–	1,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	24,800	15,000
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	363	267,250
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	–	–	–	–	–	–	–	–
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	–	–	–	–	–	–	–	–

– : शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।

* : इसमें मद I से XIII का जोड़ शामिल है जहां मद V से XI, XIII तथा II(3) निवल आधार पर है, जबकि मद II (6) तथा X (2 व 3) शामिल नहीं है। मद II (6) तथा X (2 व 3) को समग्र अधिशेष/घाटे के लिए वित्तीय मदो के रूप में लिया गया है।

\# : भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सीधे बाहरी एजेंसियों से संसाधन नहीं जुटा सकते।

@ : भूमि प्रतिकर बांड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सी.डब्ल्यू.सी. आदि से ऋण शामिल है।

\+ : आवास व्यवस्था, वाहन क्रय, त्यौहार, विवाह आदि के लिए सरकारी कर्मचारीयों को दिए गए ऋण और अग्रिम की वसुली शामिल है।

** : इसमें शिक्षा, कला और संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मत्स्यपालन और पशुपालन आदि के लिए लिये गए ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल है।

परिशिष्टों की टिप्पणियां देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय

आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**1,009,243**	**8,734,699**	**9,743,942**	**1,730,524**	**2,484,678**	**4,215,203**	**1,720,902**	**2,763,687**	**4,484,589**	**2,258,595**	**3,144,725**	**5,403,320**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**1,009,243**	**511,739**	**1,520,982**	**1,730,524**	**590,897**	**2,321,422**	**1,720,902**	**591,779**	**2,312,681**	**2,258,595**	**496,961**	**2,755,556**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**990,889**	**-489**	**990,400**	**1,282,432**	**4,475**	**1,286,907**	**1,286,760**	**4,474**	**1,291,235**	**1,783,795**	**1,389**	**1,785,184**
1. विकासात्मक (क + ख)	**956,776**	**-799**	**955,977**	**1,271,444**	**4,234**	**1,275,678**	**1,275,772**	**4,233**	**1,280,006**	**1,763,024**	**1,148**	**1,764,172**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**16,382**	**–**	**16,382**	**58,784**	**51**	**58,835**	**63,112**	**51**	**63,163**	**128,530**	**51**	**128,581**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,788	–	7,788	9,862	–	9,862	14,189	–	14,189	27,432	–	27,432
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	662	–	662	5,770	–	5,770	5,770	–	5,770	7,850	–	7,850
3. परिवार कल्याण	15	–	15	30	–	30	30	–	30	1,300	–	1,300
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	119	–	119	103	–	103	103	–	103	103	–	103
5. आवास निर्माण	182	–	182	5,942	51	5,993	5,942	51	5,993	5,742	51	5,793
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	7,550	–	7,550	32,763	–	32,763	32,763	–	32,763	78,551	–	78,551
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	49	–	49	315	–	315	315	–	315	1,952	–	1,952
9. अन्य*	17	–	17	4,000	–	4,000	4,000	–	4,000	5,600	–	5,600
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**940,394**	**-799**	**939,595**	**1,212,660**	**4,183**	**1,216,843**	**1,212,661**	**4,182**	**1,216,843**	**1,634,494**	**1,097**	**1,635,591**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,846	-37	1,809	3,012	–	3,012	3,012	–	3,012	6,765	–	6,765
i) फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	–	1,000
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	–	–	–	135	–	135	135	–	135	1,735	–	1,735
iv) डेरी विकास	135	–	135	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	103	–	103	745	–	745	745	–	745	1,894	–	1,894
vi) वानिकी और वन्य जीवन	243	–	243	62	–	62	62	–	62	68	–	68
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	1,368	-37	1,331	2,070	–	2,070	2,070	–	2,070	2,068	–	2,068
xi) अन्य@	-3	–	-3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	821,770	–	821,770	1,122,705	–	1,122,705	1,122,705	–	1,122,705	1,402,494	–	1,402,494
5. ऊर्जा	1,600	–	1,600	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	3,322	–	3,322	4,576	–	4,576	4,576	–	4,576	4,976	–	4,976
i) ग्राम और लघु उद्योग	105	–	105	203	–	203	203	–	203	103	–	103
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	50	–	50	200	–	200	200	–	200	50	–	50
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	3,167	–	3,167	4,173	–	4,173	4,173	–	4,173	4,823	–	4,823
7. परिवहन (i + ii)	89,731	-761	88,970	67,618	4,159	71,777	67,618	4,159	71,777	120,989	1,075	122,064
i) सड़क और पुल	81,018	-811	80,207	60,468	4,159	64,627	60,468	4,159	64,627	110,465	1,075	111,540
ii) अन्य**	8,713	50	8,763	7,150	–	7,150	7,150	–	7,150	10,524	–	10,524
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	22,125	-1	22,124	14,750	24	14,774	14,750	23	14,773	99,270	22	99,292
i) पर्यटन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य@@	22,125	-1	22,124	14,750	24	14,774	14,750	23	14,773	99,270	22	99,292
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**34,113**	**310**	**34,423**	**10,988**	**241**	**11,229**	**10,988**	**241**	**11,229**	**20,771**	**241**	**21,012**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**320,894**	**320,894**	**–**	**713,951**	**713,951**	**–**	**517,988**	**517,988**	**–**	**703,255**	**703,255**
1. बाजार से ऋण	–	52,965	52,965	–	100,817	100,817	–	100,817	100,817	–	178,338	178,338
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	31,781	31,781	–	35,885	35,885	–	34,896	34,896	–	34,880	34,880
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	4,783	4,783	–	13,683	13,683	–	13,733	13,733	–	24,447	24,447
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	2,351	2,351	–	1,016	1,016	–	2,753	2,753	–	2,771	2,771
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	300,000	300,000	–	100,000	100,000	–	300,000	300,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	14,641	14,641	–	20,368	20,368	–	20,368	20,368	–	33,673	33,673
8. अन्य	–	214,373	214,373	–	242,183	242,183	–	245,421	245,421	–	129,146	129,146
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	12,181	12,181	–	24,361	24,361	–	24,361	24,361	–	24,361	24,361
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**119,019**	**119,019**	**–**	**81,475**	**81,475**	**–**	**78,320**	**78,320**	**–**	**80,037**	**80,037**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	117,464	117,464	–	79,395	79,395	–	76,852	76,852	–	78,593	78,593
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	272	272	–	210	210	–	210	210	–	210	210
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	549	549	–	603	603	–	634	634	–	610	610
4. योजनेतर (i से ii)	–	734	734	–	623	623	–	624	624	–	624	624
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	734	734	–	623	623	–	624	624	–	624	624
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	644	644	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**18,354**	**72,315**	**90,669**	**448,092**	**90,997**	**539,089**	**434,142**	**90,997**	**525,139**	**474,801**	**12,279**	**487,080**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**18,354**	**67,537**	**85,891**	**448,092**	**83,837**	**531,930**	**434,142**	**83,838**	**517,980**	**474,801**	**5,120**	**479,921**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**2,210**	**65,310**	**67,520**	**384,546**	**81,611**	**466,157**	**384,546**	**81,611**	**466,157**	**394,155**	**5,120**	**399,275**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	258	5,986	6,244	11,900	6,585	18,485	11,900	6,585	18,485	18,035	–	18,035
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500	2,500	–	2,500
5. आवास निर्माण	632	54,116	54,748	372,226	67,526	439,752	372,226	67,526	439,752	373,200	120	373,320
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	2,591	2,591	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000
7. अन्य	1,320	117	1,437	420	–	420	420	–	420	420	–	420
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**16,144**	**2,227**	**18,371**	**63,546**	**2,227**	**65,773**	**49,596**	**2,227**	**51,823**	**80,646**	**–**	**80,646**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	3,315	–	3,315	1,075	–	1,075	1,075	–	1,075	1,075	–	1,075
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	1,951	–	1,951	19,897	–	19,897	5,947	–	5,947	36,122	–	36,122
7. ग्राम और लघु उद्योग	4,117	–	4,117	–	–	–	–	–	–	2	–	2
8. अन्य उद्योग और खनिज	1,778	–	1,778	–	–	–	1,500	–	1,500	1,000	–	1,000
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	4,983	2,227	7,210	42,574	2,227	44,801	41,074	2,227	43,301	42,447	–	42,447
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**4,778**	**4,778**	**–**	**7,159**	**7,159**	**–**	**7,159**	**7,159**		**7,159**	**7,159**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	4,778	4,778	–	7,159	7,159	–	7,159	7,159	–	7,159	7,159
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**33**	**33**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**107,142**	**107,142**	**–**	**115,659**	**115,659**	**–**	**127,788**	**127,788**	**–**	**133,455**	**133,455**
1. राज्य भविष्य निधि	–	91,767	91,767	–	97,736	97,736	–	107,717	107,717	–	110,098	110,098
2. अन्य	–	15,375	15,375	–	17,923	17,923	–	20,071	20,071	–	23,357	23,357
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**100,395**	**100,395**	**–**	**66,229**	**66,229**	**–**	**66,229**	**66,229**	**–**	**89,389**	**89,389**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	30,367	30,367	–	21,003	21,003	–	21,003	21,003	–	21,003	21,003
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	70,028	70,028	–	45,226	45,226	–	45,226	45,226	–	68,386	68,386
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**2,078,188**	**2,078,188**	**–**	**1,411,893**	**1,411,893**	**–**	**1,877,891**	**1,877,891**	**–**	**2,124,920**	**2,124,920**
1. सिविल जमा	–	1,142,695	1,142,695	–	365,572	365,572	–	694,869	694,869	–	1,028,893	1,028,893
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	619,635	619,635	–	708,507	708,507	–	712,552	712,552	–	616,810	616,810
3. सिविल अग्रिम	–	15,271	15,271	–	25,003	25,003	–	25,003	25,003	–	27,503	27,503
4. अन्य	–	300,587	300,587	–	312,811	312,811	–	445,467	445,467	–	451,714	451,714
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**4,765,302**	**4,765,302**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. उचंत	–	28,228	28,228	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	3,779,741	3,779,741	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	758	758	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	956,575	956,575	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**1,171,901**	**1,171,901**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-166,156**			**6,148**			**-18,399**			**-57,509**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**280,707**			**-3,648**			**45,079**			**70,933**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**114,551**			**2,500**			**26,680**			**13,424**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-19,193**			**2,500**			**26,680**			**13,424**
क) अथ शेष		-8,890			-5,809			-28,084			-1,404	
ख) इति शेष		-28,083			-3,309			-1,404			12,020	
ii. नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**133,744**			**–**			**–**			**–**
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**58,719**	**880,508**	**939,227**	**30,138**	**595,256**	**625,394**	**98,572**	**648,909**	**747,481**	**31,004**	**679,576**	**710,579**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**58,719**	**30,167**	**88,886**	**30,138**	**22,755**	**52,893**	**98,572**	**20,537**	**119,109**	**31,004**	**20,934**	**51,938**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**58,560**	**–**	**58,560**	**30,075**	**-17**	**30,058**	**98,552**	**2,481**	**101,033**	**30,962**	**120**	**31,081**
1. विकासात्मक (क + ख)	**56,358**	**–**	**56,358**	**28,015**	**-17**	**27,998**	**95,035**	**2,481**	**97,516**	**29,253**	**120**	**29,372**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**13,985**	**–**	**13,985**	**3,679**	**–**	**3,679**	**17,271**	**1,326**	**18,597**	**3,925**	**–**	**3,925**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,849	–	4,849	1,060	–	1,060	4,805	900	5,705	403	–	403
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,025	–	3,025	2	–	2	2,042	24	2,065	517	–	517
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,822	–	1,822	708	–	708	1,931	–	1,931	900	–	900
5. आवास निर्माण	811	–	811	766	–	766	1,718	–	1,718	855	–	855
6. शहरी विकास	2,880	–	2,880	865	–	865	5,026	403	5,428	901	–	901
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	524	–	524	262	–	262	1,671	–	1,671	325	–	325
9. अन्य*	75	–	75	16	–	16	79	–	79	24	–	24
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**42,373**	**–**	**42,373**	**24,336**	**-17**	**24,319**	**77,764**	**1,155**	**78,919**	**25,328**	**120**	**25,448**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,563	–	1,563	457	-17	440	1,730	686	2,416	521	120	641
i) फसल कार्य	323	–	323	317	–	317	366	–	366	400	–	400
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	508	–	508	11	–	11	942	–	942	24	–	24
iii) पशु पालन	260	–	260	–	–	–	201	–	201	39	–	39
iv) डेरी विकास	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	32	–	32	–	–	–	16	–	16	1	–	1
vi) वानिकी और वन्य जीवन	–	–	–	40	–	40	–	–	–	–	–	–
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	14	–	14	–	-17	-17	–	128	128	–	120	120
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12	–	12	50	–	50	14	–	14	23	–	23
x) सहकारिता	410	–	410	39	–	39	192	–	192	34	–	34
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	558	558	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	92	–	92	90	–	90	434	–	434	90	–	90
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	6,447	–	6,447	2,785	–	2,785	5,529	–	5,529	2,505	–	2,505
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,234	–	1,234	580	–	580	1,711	197	1,908	544	–	544
5. ऊर्जा	12,828	–	12,828	9,290	–	9,290	27,924	–	27,924	10,132	–	10,132
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	123	–	123	–	–	–	19	–	19	36	–	36
i) ग्राम और लघु उद्योग	13	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	107	–	107	–	–	–	19	–	19	36	–	36
iv) अन्य #	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन (i + ii)	18,572	–	18,572	10,885	–	10,885	37,359	272	37,632	11,233	–	11,233
i) सड़क और पुल	18,062	–	18,062	10,431	–	10,431	36,459	272	36,731	10,746	–	10,746
ii) अन्य**	510	–	510	454	–	454	900	–	900	487	–	487
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,515	–	1,515	249	–	249	3,057	–	3,057	266	–	266
i) पर्यटन	1,481	–	1,481	219	–	219	3,020	–	3,020	208	–	208
ii) अन्य@@	34	–	34	30	–	30	38	–	38	58	–	58
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**2,202**	**–**	**2,202**	**2,060**	**–**	**2,060**	**3,517**	**–**	**3,517**	**1,709**	**–**	**1,709**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**25,380**	**25,380**	**–**	**16,744**	**16,744**	**–**	**17,437**	**17,437**	**–**	**18,081**	**18,081**
1. बाजार से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	–	–	–	3,000	3,000	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000
8. अन्य	–	25,380	25,380	–	13,744	13,744	–	15,437	15,437	–	16,081	16,081
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**4,469**	**4,469**	**–**	**5,668**	**5,668**	**–**	**289**	**289**	**–**	**2,374**	**2,374**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	4,469	4,469	–	5,668	5,668	–	289	289	–	2,374	2,374
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**159**	**319**	**477**	**63**	**360**	**423**	**20**	**330**	**350**	**42**	**360**	**402**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**159**	**–**	**159**	**63**	**–**	**63**	**20**	**–**	**20**	**42**	**–**	**42**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**159**	**–**	**159**	**63**	**–**	**63**	**20**	**–**	**20**	**42**	**–**	**42**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	159	–	159	63	–	63	20	–	20	42	–	42
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**319**	**319**	**–**	**360**	**360**	**–**	**330**	**330**	**–**	**360**	**360**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	319	319	–	360	360	–	330	330	–	360	360
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**6,982**	**6,982**	**–**	**6,876**	**6,876**	**–**	**11,232**	**11,232**	**–**	**11,593**	**11,593**
1. राज्य भविष्य निधि	–	6,742	6,742	–	6,348	6,348	–	11,042	11,042	–	11,394	11,394
2. अन्य	–	240	240	–	528	528	–	190	190	–	199	199
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**1,000**	**1,000**	**–**	**1,000**	**1,000**	**–**	**1,714**	**1,714**	**–**	**1,800**	**1,800**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	1,000	1,000	–	1,000	1,000	–	1,714	1,714	–	1,800	1,800
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**28,042**	**28,042**	**–**	**13,412**	**13,412**	**–**	**12,422**	**12,422**	**–**	**12,094**	**12,094**
1. सिविल जमा	–	21,239	21,239	–	10,949	10,949	–	9,007	9,007	–	9,462	9,462
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	6,803	6,803	–	2,463	2,463	–	3,415	3,415	–	2,632	2,632
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**679,057**	**679,057**	**–**	**478,773**	**478,773**	**–**	**512,598**	**512,598**	**–**	**538,227**	**538,227**
1. उचंत	–	-14,676	-14,676	–	5,974	5,974	–	509,276	509,276	–	534,740	534,740
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	692,640	692,640	–	472,648	472,648	–	2,825	2,825	–	2,966	2,966
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,093	1,093	–	151	151	–	497	497	–	522	522
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**600**	**600**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**135,259**	**135,259**	**–**	**71,840**	**71,840**	**–**	**90,407**	**90,407**	**–**	**94,927**	**94,927**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-63,339**			**-37,813**			**-69,483**			**-8,675**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**69,494**			**16,276**			**66,537**			**94,055**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**6,155**			**-21,537**			**-2,946**			**85,380**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**9,209**			**-4,540**			**4,051**			**94,380**
क) अथ शेष		-31,876			-13,427			-1,828			5,789	
ख) इति शेष		-22,667			-17,967			2,223			100,169	
ii) नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**3,943**			**-10,000**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**-6,997**			**-6,997**			**-6,997**			**-9,000**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

असम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**148,000**	**7,555,440**	**7,703,440**	**288,828**	**5,417,187**	**5,706,014**	**290,054**	**7,406,475**	**7,696,529**	**372,201**	**7,561,062**	**7,933,264**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**148,000**	**54,835**	**202,835**	**288,828**	**91,246**	**380,073**	**290,054**	**117,526**	**407,580**	**372,201**	**100,985**	**473,187**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**140,315**	**4,986**	**145,300**	**273,765**	**11,172**	**284,937**	**274,961**	**35,547**	**310,508**	**360,113**	**13,250**	**373,363**
1. विकासात्मक (क + ख)	**138,671**	**4,313**	**142,984**	**270,919**	**9,879**	**280,798**	**272,115**	**28,934**	**301,049**	**355,731**	**12,101**	**367,832**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**14,796**	**718**	**15,514**	**45,917**	**1,449**	**47,366**	**46,009**	**1,449**	**47,458**	**57,245**	**1,565**	**58,810**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	175	–	175	86	100	186	86	100	186	118	–	118
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	311	54	365	179	100	279	179	100	279	707	100	807
3. परिवार कल्याण	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	12,899	–	12,899	30,779	–	30,779	30,779	–	30,779	47,561	–	47,561
5. आवास निर्माण	222	174	396	750	344	1,094	750	344	1,094	1,130	300	1,430
6. शहरी विकास	1,163	490	1,653	14,111	905	15,016	14,111	905	15,016	7,604	1,015	8,619
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	13	–	13	–	–	–	92	–	92	59	–	59
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150	150
9. अन्य*	7	–	7	12	–	12	12	–	12	66	–	66
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**123,874**	**3,595**	**127,469**	**225,002**	**8,430**	**233,432**	**226,106**	**27,485**	**253,591**	**298,487**	**10,536**	**309,023**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	102	–	102	1,380	–	1,380	1,381	–	1,381	741	–	741
i) फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	–	–	–	392	–	392	392	–	392	230	–	230
iv) डेरी विकास	–	–	–	2	–	2	2	–	2	35	–	35
v) मत्स्य पालन	16	–	16	16	–	16	16	–	16	16	–	16
vi) वानिकी और वन्य जीवन	–	–	–	150	–	150	150	–	150	150	–	150
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	62	–	62	120	–	120	120	–	120	100	–	100
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	24	–	24	701	–	701	701	–	701	210	–	210
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	40,056	–	40,056	89,942	–	89,942	90,967	–	90,967	125,796	–	125,796
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,350	–	5,350
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	19,687	14	19,701	32,155	–	32,155	32,155	–	32,155	45,425	–	45,425
5. ऊर्जा	20,823	–	20,823	31,485	–	31,485	31,485	12,300	43,785	37,217	–	37,217
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	9,989	–	9,989	14,679	600	15,279	14,757	600	15,357	13,138	–	13,138
i) ग्राम और लघु उद्योग	106	–	106	–	–	–	78	–	78	71	–	71
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	9,883	–	9,883	14,679	600	15,279	14,679	600	15,279	13,067	–	13,067
7. परिवहन (i + ii)	32,151	3,581	35,732	54,831	7,830	62,661	54,831	14,585	69,416	75,017	10,536	85,553
i) सड़क और पुल	31,636	3,544	35,180	53,911	7,830	61,741	53,911	14,585	68,496	75,017	8,412	83,429
ii) अन्य**	515	37	552	920	–	920	920	–	920	–	2,124	2,124
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

असम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,066	–	1,066	530	–	530	530	–	530	1,153	–	1,153
i) पर्यटन	225	–	225	528	–	528	528	–	528	959	–	959
ii) अन्य@@	841	–	841	2	–	2	2	–	2	194	–	194
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**1,644**	**673**	**2,317**	**2,846**	**1,293**	**4,139**	**2,846**	**6,613**	**9,459**	**4,382**	**1,149**	**5,531**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**38,214**	**38,214**	**–**	**105,838**	**105,838**	**–**	**107,743**	**107,743**	**–**	**71,539**	**71,539**
1. बाजार से ऋण	–	26,464	26,464	–	33,287	33,287	–	33,287	33,287	–	49,111	49,111
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	38	38	–	38	38	–	38	38	–	38	38
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	4,750	4,750	–	3,500	3,500	–	3,500	3,500	–	3,700	3,700
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	564	564	–	2,469	2,469	–	101	101
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	50,000	50,000	–	50,000	50,000	–	5,000	5,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	4,139	4,139	–	6,658	6,658	–	6,658	6,658	–	10,367	10,367
8. अन्य	–	2,823	2,823	–	11,791	11,791	–	11,791	11,791	–	3,222	3,222
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	8,576	8,576	–	8,576	8,576	–	1	1
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**11,257**	**11,257**	**–**	**23,211**	**23,211**	**–**	**23,212**	**23,212**	**–**	**19,488**	**19,488**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	11,231	11,231	–	9,286	9,286	–	9,286	9,286	–	9,532	9,532
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	2,452	2,452	–	2,452	2,452	–	2,456	2,456
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	828	828	–	828	828	–	828	828
4. योजनेतर (i से ii)	–	26	26	–	2,926	2,926	–	2,926	2,926	–	2,953	2,953
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	26	26	–	2,926	2,926	–	2,926	2,926	–	2,953	2,953
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000	–	1,000	1,000
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	1,207	1,207	–	1,207	1,207	–	1,207	1,207
7. अन्य	–	–	–	–	1,512	1,512	–	1,512	1,512	–	1,512	1,512
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**7,685**	**378**	**8,063**	**15,063**	**1,025**	**16,088**	**15,093**	**1,025**	**16,118**	**12,088**	**1,709**	**13,797**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**7,685**	**10**	**7,695**	**15,063**	**305**	**15,368**	**15,093**	**305**	**15,398**	**12,088**	**1,105**	**13,193**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**175**	**10**	**185**	**431**	**305**	**736**	**431**	**305**	**736**	**2,342**	**105**	**2,447**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	5	5	–	5	5	–	5	5
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	65	–	65	65	–	65	56	–	56
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	10	10	–	300	300	–	300	300	–	100	100
7. अन्य	175	–	175	366	–	366	366	–	366	2,286	–	2,286
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**7,510**	**–**	**7,510**	**14,632**	**–**	**14,632**	**14,662**	**–**	**14,662**	**9,746**	**1,000**	**10,746**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	262	–	262	262	–	262	–	–	–
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

असम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	7,254	–	7,254	14,120	–	14,120	14,120	–	14,120	9,669	–	9,669
7. ग्राम और लघु उद्योग	96	–	96	50	–	50	80	–	80	77	–	77
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	200	–	200	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	160	–	160	–	–	–	200	–	200	–	1,000	1,000
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**368**	**368**	**–**	**720**	**720**	**–**	**720**	**720**	**–**	**604**	**604**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	368	368	–	720	720	–	720	720	–	604	604
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**5,000**	**5,000**	**–**	**5,000**	**5,000**	**–**	**5,000**	**5,000**	**–**	**5,000**	**5,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**21,661**	**21,661**	**–**	**26,668**	**26,668**	**–**	**23,826**	**23,826**	**–**	**26,209**	**26,209**
1. राज्य भविष्य निधि	–	19,178	19,178	–	23,868	23,868	–	21,096	21,096	–	23,205	23,205
2. अन्य	–	2,483	2,483	–	2,800	2,800	–	2,730	2,730	–	3,004	3,004
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**29,340**	**29,340**	**–**	**40,848**	**40,848**	**–**	**40,848**	**40,848**	**–**	**81,863**	**81,863**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	17,600	17,600	–	20,400	20,400	–	20,400	20,400	–	10,800	10,800
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	11,740	11,740	–	20,448	20,448	–	20,448	20,448	–	71,063	71,063
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**227,692**	**227,692**	**–**	**95,650**	**95,650**	**–**	**232,700**	**232,700**	**–**	**255,430**	**255,430**
1. सिविल जमा	–	142,842	142,842	–	45,000	45,000	–	176,400	176,400	–	194,000	194,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	941	941	–	650	650	–	1,300	1,300	–	1,430	1,430
3. सिविल अग्रिम	–	83,909	83,909	–	50,000	50,000	–	55,000	55,000	–	60,000	60,000
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**7,020,745**	**7,020,745**	**–**	**5,012,775**	**5,012,775**	**–**	**6,736,575**	**6,736,575**	**–**	**6,886,575**	**6,886,575**
1. उचंत	–	-24,913	-24,913	–	10,000	10,000	–	-15,000	-15,000	–	-15,000	-15,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	7,043,990	7,043,990	–	5,000,000	5,000,000	–	6,750,000	6,750,000	–	6,900,000	6,900,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,668	1,668	–	2,775	2,775	–	1,575	1,575	–	1,575	1,575
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**196,167**	**196,167**	**–**	**95,000**	**95,000**	**–**	**200,000**	**200,000**	**–**	**200,000**	**200,000**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-53,522**			**-126,378**			**-189,451**			**-261,221**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**221,042**			**89,741**			**9,046**			**215,367**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**167,520**			**-36,637**			**-180,404**			**-45,854**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-19,164**			**-36,637**			**-180,404**			**-45,854**
क) अथ शेष		-36,501			-246,987			-55,665			-236,070	
ख) इति शेष		-55,665			-283,624			-236,069			-281,924	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**186,684**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

बिहार

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**295,695**	**9,145,572**	**9,441,267**	**583,498**	**677,881**	**1,261,379**	**391,731**	**979,922**	**1,371,653**	**477,330**	**850,248**	**1,327,577**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**295,695**	**359,448**	**655,143**	**583,498**	**246,434**	**829,932**	**391,731**	**510,248**	**901,980**	**477,330**	**486,293**	**963,623**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**285,182**	**235,931**	**521,113**	**557,935**	**80,957**	**638,892**	**379,422**	**319,022**	**698,445**	**466,461**	**297,078**	**763,539**
1. विकासात्मक (क + ख)	**276,747**	**228,856**	**505,603**	**549,667**	**72,785**	**622,452**	**366,270**	**310,704**	**676,974**	**455,591**	**287,176**	**742,767**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**43,195**	**16,392**	**59,587**	**52,242**	**50,749**	**102,991**	**51,512**	**50,749**	**102,261**	**51,286**	**42,412**	**93,698**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	10,644	–	10,644	8,116	–	8,116	8,995	–	8,995	8,618	–	8,618
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	16,813	–	16,813	13,310	–	13,310	13,310	–	13,310	13,034	–	13,034
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	8,566	16,261	24,827	20,428	49,855	70,283	13,848	49,855	63,703	21,936	40,875	62,811
5. आवास निर्माण	306	131	437	399	894	1,293	399	894	1,293	400	885	1,285
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	5,901	–	5,901	3,487	–	3,487	4,577	–	4,577	3,578	–	3,578
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	684	–	684	6,053	–	6,053	9,934	–	9,934	3,271	–	3,271
9. अन्य*	281	–	281	449	–	449	449	–	449	449	652	1,101
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**233,551**	**212,465**	**446,016**	**497,425**	**22,036**	**519,461**	**314,758**	**259,955**	**574,713**	**404,305**	**244,764**	**649,069**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	400	724	1,124	100	290	390	100	290	390	145	250	395
i) फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) वानिकी और वन्य जीवन	–	79	79	–	90	90	–	90	90	–	100	100
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	400	646	1,046	100	200	300	100	200	300	145	150	295
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	128,928	–	128,928	124,277	–	124,277	144,216	12	144,228	134,813	–	134,813
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	19,700	43,470	63,170	123,452	20,365	143,817	108,452	20,365	128,817	171,769	51,320	223,089
5. ऊर्जा	43,376	–	43,376	57,486	–	57,486	57,486	–	57,486	85,486	–	85,486
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	41,147	–	41,147	22,359	–	22,359	3,124	–	3,124	10,792	–	10,792
i) ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	41,147	–	41,147	22,359	–	22,359	3,124	–	3,124	10,792	–	10,792
7. परिवहन (i + ii)	–	166,157	166,157	166,914	1,380	168,294	1,380	236,400	237,780	1,300	190,747	192,047
i) सड़क और पुल	–	166,057	166,057	165,814	1,380	167,194	1,380	235,300	236,680	1,300	189,947	191,247
ii) अन्य**	–	100	100	1,100	–	1,100	–	1,100	1,100	–	800	800
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

बिहार

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	–	2,114	2,114	2,837	1	2,838	–	2,888	2,888	–	2,448	2,448
i) पर्यटन	–	1,713	1,713	2,400	–	2,400	–	2,450	2,450	–	2,348	2,348
ii) अन्य@@	–	400	400	437	1	438	–	438	438	–	100	100
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**8,436**	**7,074**	**15,510**	**8,268**	**8,172**	**16,440**	**13,152**	**8,319**	**21,471**	**10,870**	**9,902**	**20,772**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**71,189**	**71,189**	**–**	**220,220**	**220,220**	**–**	**120,373**	**120,373**	**–**	**124,760**	**124,760**
1. बाजार से ऋण	–	41,272	41,272	–	77,963	77,963	–	77,963	77,963	–	73,322	73,322
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	11	11	–	11	11	–	11	11	–	11	11
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	684	684	–	2,017	2,017	–	2,017	2,017	–	3,305	3,305
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	651	651	–	800	800	–	953	953	–	825	825
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	100,000	100,000	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	7,678	7,678	–	18,509	18,509	–	18,509	18,509	–	26,385	26,385
8. अन्य	–	20,894	20,894	–	20,920	20,920	–	20,920	20,920	–	20,912	20,912
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	20,826	20,826	–	20,850	20,850	–	20,850	20,850	–	20,841	20,841
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**31,308**	**31,308**	**–**	**42,853**	**42,853**	**–**	**42,216**	**42,216**	**–**	**42,861**	**42,861**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	30,306	30,306	–	41,721	41,721	–	41,721	41,721	–	41,721	41,721
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	60	60	–	60	60	–	60	60	–	60	60
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	137	137	–	147	147	–	138	138	–	156	156
4. योजनेतर (i से ii)	–	297	297	–	925	925	–	296	296	–	925	925
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	297	297	–	925	925	–	296	296	–	925	925
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	508	508	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**10,512**	**21,020**	**31,533**	**25,563**	**2,404**	**27,967**	**12,309**	**28,638**	**40,947**	**10,869**	**21,594**	**32,463**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**10,512**	**20,504**	**31,016**	**25,563**	**2,119**	**27,682**	**12,309**	**28,112**	**40,422**	**10,869**	**20,904**	**31,773**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**1**	**204**	**205**	**–**	**210**	**210**	**–**	**360**	**360**	**–**	**520**	**520**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	204	204	–	210	210	–	360	360	–	520	520
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**10,512**	**20,299**	**30,811**	**25,563**	**1,909**	**27,472**	**12,309**	**27,752**	**40,062**	**10,869**	**20,384**	**31,253**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	821	–	821	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	3,997	498	4,494	81	–	81	987	66	1,053	1,500	1,417	2,917
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

बिहार

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	5,579	12,351	17,929	25,379	1,908	27,287	8,767	25,379	34,146	9,366	18,947	28,313
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	7,100	7,100	100	–	100	13	100	113	–	20	20
9. ग्रामीण विकास	–	351	351	–	1	1	–	7	7	–	–	–
10. अन्य	936	–	936	3	–	3	1,721	2,200	3,921	3	–	3
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**517**	**517**	**–**	**285**	**285**	**–**	**525**	**525**	**–**	**690**	**690**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	517	517	–	285	285	–	525	525	–	690	690
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**61,711**	**61,711**	**–**	**83,806**	**83,806**	**–**	**83,806**	**83,806**	**–**	**77,398**	**77,398**
1. राज्य भविष्य निधि	–	53,526	53,526	–	70,520	70,520	–	70,520	70,520	–	59,012	59,012
2. अन्य	–	8,185	8,185	–	13,286	13,286	–	13,286	13,286	–	18,386	18,386
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**–**	**–**	**–**	**15,775**	**15,775**	**–**	**137,519**	**137,519**	**–**	**16,745**	**16,745**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	15,775	15,775	–	137,519	137,519	–	16,745	16,745
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**214,465**	**214,465**	**–**	**231,866**	**231,866**	**–**	**248,349**	**248,349**	**–**	**269,811**	**269,811**
1. सिविल जमा	–	88,399	88,399	–	76,195	76,195	–	76,195	76,195	–	97,232	97,232
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	120,610	120,610	–	150,671	150,671	–	167,154	167,154	–	171,579	171,579
3. सिविल अग्रिम	–	5,456	5,456	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000	–	1,000	1,000
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**7,999,833**	**7,999,833**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. उचंत	–	15,312	15,312	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	7,977,114	7,977,114	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	7,407	7,407	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**510,115**	**510,115**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-302,758**			**-348,329**			**-510,178**			**-466,909**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**249,814**			**348,326**			**379,329**			**461,308**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**-52,944**			**-3**			**-130,849**			**-5,601**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**9,701**			**-3**			**-130,849**			**-5,601**
क) अथ शेष		-112,559			5,000			140,758			9,908	
ख) इति शेष		-102,859			4,997			9,908			4,307	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**-62,645**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**293,691**	**5,014,200**	**5,307,892**	**379,819**	**1,911,003**	**2,290,822**	**403,654**	**4,241,042**	**4,644,697**	**438,976**	**2,405,760**	**2,844,735**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**293,691**	**25,160**	**318,852**	**379,819**	**48,787**	**428,606**	**403,654**	**38,761**	**442,415**	**438,976**	**52,051**	**491,026**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**216,909**	**2,903**	**219,812**	**352,740**	**3,150**	**355,890**	**350,113**	**3,051**	**353,164**	**389,950**	**396**	**390,346**
1. विकासात्मक (क + ख)	**209,733**	**2,600**	**212,333**	**344,531**	**2,889**	**347,421**	**335,850**	**2,800**	**338,650**	**381,249**	**66**	**381,315**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**50,160**	**138**	**50,298**	**85,182**	**138**	**85,320**	**86,390**	**50**	**86,440**	**109,479**	**66**	**109,545**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	13,385	–	13,385	20,942	–	20,942	25,776	–	25,776	32,415	–	32,415
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,563	–	7,563	16,433	–	16,433	14,372	–	14,372	18,963	–	18,963
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,771	–	1,771	3,710	–	3,710	3,196	–	3,196	3,120	–	3,120
5. आवास निर्माण	3,042	–	3,042	3,316	–	3,316	3,706	–	3,706	5,209	–	5,209
6. शहरी विकास	6,635	–	6,635	17,202	–	17,202	16,202	–	16,202	25,771	–	25,771
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	15,919	–	15,919	19,947	–	19,947	19,693	–	19,693	20,058	–	20,058
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,468	110	1,578	2,349	136	2,486	2,162	48	2,210	2,692	64	2,756
9. अन्य*	377	28	405	1,283	2	1,285	1,283	2	1,285	1,251	2	1,253
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**159,574**	**2,462**	**162,036**	**259,350**	**2,751**	**262,101**	**249,460**	**2,750**	**252,210**	**271,770**	**–**	**271,770**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	8,054	11	8,065	9,014	1	9,015	9,599	–	9,599	6,932	–	6,932
i) फसल कार्य	70	–	70	43	1	44	43	–	43	50	–	50
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	2,089	–	2,089	2,195	–	2,195	2,445	–	2,445	2,455	–	2,455
iii) पशु पालन	20	–	20	20	–	20	210	–	210	200	–	200
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	145	–	145	100	–	100	100	–	100	100	–	100
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,258	–	2,258	2,730	–	2,730	2,430	–	2,430	3,245	–	3,245
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	22	11	33	15	–	15	16	–	16	15	–	15
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	3,450	–	3,450	3,910	–	3,910	4,355	–	4,355	867	–	867
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	15,509	–	15,509	17,513	–	17,513	17,415	–	17,415	16,236	–	16,236
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	63,641	–	63,641	88,340	–	88,340	84,206	–	84,206	95,638	–	95,638
5. ऊर्जा	3	–	3	3	–	3	3	–	3	3	–	3
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	6,877	1	6,878	10,666	–	10,666	10,766	–	10,766	8,602	–	8,602
i) ग्राम और लघु उद्योग	6,006	1	6,007	10,666	–	10,666	10,766	–	10,766	8,602	–	8,602
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	871	–	871	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन (i + ii)	64,775	2,450	67,225	131,600	2,750	134,350	123,757	2,750	126,507	142,445	–	142,445
i) सड़क और पुल	64,762	–	64,762	131,508	–	131,508	123,749	–	123,749	142,347	–	142,347
ii) अन्य**	13	2,450	2,463	92	2,750	2,842	8	2,750	2,758	98	–	98
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	715	–	715	2,215	–	2,215	3,715	–	3,715	1,915	–	1,915
i) पर्यटन	715	–	715	2,215	–	2,215	3,715	–	3,715	1,915	–	1,915
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**7,176**	**303**	**7,479**	**8,209**	**260**	**8,469**	**14,263**	**251**	**14,514**	**8,701**	**330**	**9,031**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**20,617**	**20,617**	**–**	**51,375**	**51,375**	**–**	**32,077**	**32,077**	**–**	**57,499**	**57,499**
1. बाजार से ऋण	–	9,524	9,524	–	15,861	15,861	–	15,689	15,689	–	15,413	15,413
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	646	646	–	–	–	–	781	781
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	2,587	2,587	–	6,272	6,272	–	6,272	6,272	–	9,865	9,865
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	780	780	–	849	849	–	809	809	–	810	810
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	18,000	18,000	–	–	–	–	18,000	18,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	2,893	2,893	–	4,475	4,475	–	4,475	4,475	–	7,229	7,229
8. अन्य	–	4,833	4,833	–	5,272	5,272	–	4,832	4,832	–	5,401	5,401
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	4,833	4,833	–	4,832	4,832	–	4,832	4,832	–	4,832	4,832
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**1,308**	**1,308**	**–**	**10,828**	**10,828**	**–**	**1,439**	**1,439**	**–**	**10,812**	**10,812**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	1,141	1,141	–	10,643	10,643	–	1,252	1,252	–	10,679	10,679
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	68	68	–	86	86	–	88	88	–	110	110
4. योजनेतर (i से ii)	–	99	99	–	99	99	–	99	99	–	23	23
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	99	99	–	99	99	–	99	99	–	23	23
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**76,782**	**332**	**77,114**	**27,079**	**1,434**	**28,513**	**53,541**	**2,194**	**55,735**	**49,026**	**1,344**	**50,370**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**76,782**	**332**	**77,114**	**27,079**	**1,413**	**28,492**	**53,541**	**2,173**	**55,714**	**49,026**	**1,323**	**50,349**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**54,279**	**312**	**54,591**	**7,166**	**1,022**	**8,188**	**6,866**	**1,871**	**8,737**	**7,702**	**1,021**	**8,723**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,112	–	3,112	4,065	–	4,065	3,765	–	3,765	4,700	–	4,700
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	350	350	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	15	15	–	15	15	–	15	15
7. अन्य	51,167	312	51,479	3,101	1,007	4,108	3,101	1,506	4,607	3,002	1,006	4,008
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**22,503**	**20**	**22,523**	**19,913**	**391**	**20,304**	**46,675**	**302**	**46,977**	**41,324**	**302**	**41,626**
1. फसल कार्य	–	20	20	–	391	391	–	302	302	–	302	302
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	19,960	–	19,960	15,925	–	15,925	40,885	–	40,885	35,825	–	35,825
4. सहकारिता	1,731	–	1,731	2,562	–	2,562	3,464	–	3,464	4,469	–	4,469
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	500	–	500	500	–	500	500	–	500
7. ग्राम और लघु उद्योग	12	–	12	26	–	26	26	–	26	30	–	30
8. अन्य उद्योग और खनिज	800	–	800	900	–	900	900	–	900	500	–	500
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	900	–	900	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**–**	**–**	**–**	**21**	**21**	**–**	**21**	**21**	**–**	**21**	**21**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	–	–	–	21	21	–	21	21	–	21	21
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**173**	**173**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**4,000**	**4,000**	**–**	**1,396**	**1,396**	**–**	**4,000**	**4,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**39,962**	**39,962**	**–**	**44,290**	**44,290**	**–**	**44,310**	**44,310**	**–**	**46,330**	**46,330**
1. राज्य भविष्य निधि	–	36,276	36,276	–	40,290	40,290	–	38,310	38,310	–	40,330	40,330
2. अन्य	–	3,686	3,686	–	4,000	4,000	–	6,000	6,000	–	6,000	6,000
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**60,550**	**60,550**	**–**	**43,041**	**43,041**	**–**	**46,913**	**46,913**	**–**	**48,273**	**48,273**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1
2. शोधन निधि	–	5,000	5,000	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000
3. अकाल राहत निधि	–	83	83	–	29	29	–	29	29	–	29	29
4. अन्य	–	55,467	55,467	–	33,011	33,011	–	36,883	36,883	–	38,243	38,243
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**136,244**	**136,244**	**–**	**95,429**	**95,429**	**–**	**107,764**	**107,764**	**–**	**111,392**	**111,392**
1. सिविल जमा	–	106,160	106,160	–	44,924	44,924	–	39,310	39,310	–	40,830	40,830
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	5	5	–	5	5	–	7	7
3. सिविल अग्रिम	–	29,223	29,223	–	21,900	21,900	–	30,000	30,000	–	31,000	31,000
4. अन्य	–	861	861	–	28,600	28,600	–	38,449	38,449	–	39,555	39,555
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**4,395,877**	**4,395,877**	**–**	**1,453,461**	**1,453,461**	**–**	**3,821,592**	**3,821,592**	**–**	**1,922,211**	**1,922,211**
1. उचंत	–	-4,384	-4,384	–	-663	-663	–	2,587	2,587	–	2,706	2,706
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	3,070,012	3,070,012	–	900,000	900,000	–	3,000,000	3,000,000	–	1,000,000	1,000,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	535,677	535,677	–	245,581	245,581	–	500,000	500,000	–	600,000	600,000
4. अन्य	–	794,572	794,572	–	308,542	308,542	–	319,005	319,005	–	319,505	319,505
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**356,234**	**356,234**	**–**	**203,995**	**203,995**	**–**	**180,306**	**180,306**	**–**	**203,502**	**203,502**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-171,511**			**-184,821**			**-194,313**			**-183,197**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**264,716**			**180,134**			**178,891**			**177,755**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**93,205**			**-4,687**			**-15,422**			**-5,441**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-12,725**			**-4,687**			**-15,422**			**-5,441**
क) अथ शेष		-48,518			-73,870			-61,163			-76,584	
ख) इति शेष		-61,243			-78,557			-76,585			-82,025	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**105,930**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**62,673**	**1,047,125**	**1,109,799**	**73,876**	**215,856**	**289,732**	**73,042**	**203,561**	**276,603**	**102,240**	**223,889**	**326,129**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**62,673**	**8,103**	**70,777**	**73,876**	**10,984**	**84,860**	**73,042**	**8,689**	**81,731**	**102,240**	**19,017**	**121,257**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**62,190**	**445**	**62,634**	**72,617**	**–**	**72,617**	**71,783**	**–**	**71,783**	**101,548**	**–**	**101,548**
1. विकासात्मक (क + ख)	**53,869**	**445**	**54,314**	**63,052**	**–**	**63,052**	**60,906**	**–**	**60,906**	**86,979**	**–**	**86,979**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**12,194**	**–**	**12,194**	**20,733**	**–**	**20,733**	**15,830**	**–**	**15,830**	**27,013**	**–**	**27,013**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,894	–	2,894	3,888	–	3,888	4,734	–	4,734	6,609	–	6,609
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	990	–	990	1,508	–	1,508	1,914	–	1,914	2,153	–	2,153
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	7,853	–	7,853	14,822	–	14,822	8,527	–	8,527	17,449	–	17,449
5. आवास निर्माण	2	–	2	27	–	27	77	–	77	27	–	27
6. शहरी विकास	356	–	356	230	–	230	230	–	230	498	–	498
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	55	–	55	105	–	105	105	–	105	110	–	110
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	44	–	44	150	–	150	150	–	150	166	–	166
9. अन्य*	–	–	–	3	–	3	93	–	93	1	–	1
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**41,675**	**445**	**42,120**	**42,319**	**–**	**42,319**	**45,076**	**–**	**45,076**	**59,966**	**–**	**59,966**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	831	445	1,276	1,047	–	1,047	1,394	–	1,394	1,288	–	1,288
i) फसल कार्य	187	–	187	117	–	117	117	–	117	161	–	161
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	144	–	144	150	–	150	150	–	150	140	–	140
iii) पशु पालन	31	–	31	68	–	68	135	–	135	164	–	164
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	20	–	20	121	–	121	121	–	121	141	–	141
vi) वानिकी और वन्य जीवन	28	–	28	76	–	76	230	–	230	76	–	76
vii) बागान	21	–	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	445	445	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	5	–	5	5	–	5	5	–	5
x) सहकारिता	399	–	399	510	–	510	635	–	635	602	–	602
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	141	–	141	181	–	181	510	–	510
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	196	–	196	205	–	205	205	–	205	187	–	187
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	196	–	196	205	–	205	205		205	187	–	187
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	15,795	–	15,795	16,016	–	16,016	16,116	–	16,116	18,626	–	18,626
5. ऊर्जा	10,295	–	10,295	10,608	–	10,608	11,114	–	11,114	20,829	–	20,829
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	2,003	–	2,003	1,935	–	1,935	1,935	–	1,935	1,526	–	1,526
i) ग्राम और लघु उद्योग	100	–	100	430	–	430	430	–	430	24	–	24
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	3	–	3	5	–	5	5	–	5	2	–	2
iv) अन्य #	1,900	–	1,900	1,500	–	1,500	1,500	–	1,500	1,500	–	1,500
7. परिवहन (i + ii)	12,329	–	12,329	12,067	–	12,067	13,831	–	13,831	16,057	–	16,057
i) सड़क और पुल	11,458	–	11,458	10,900	–	10,900	12,665	–	12,665	14,769	–	14,769
ii) अन्य**	871	–	871	1,167	–	1,167	1,167	–	1,167	1,288	–	1,288
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	226	–	226	300	–	300	300	–	300	943	–	943
i) पर्यटन	226	–	226	300	–	300	300	–	300	943	–	943
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**8,321**	**–**	**8,321**	**9,565**	**–**	**9,565**	**10,878**	**–**	**10,878**	**14,569**	**–**	**14,569**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**5,267**	**5,267**	**–**	**17,028**	**17,028**	**–**	**7,029**	**7,029**	**–**	**24,402**	**24,402**
1. बाजार से ऋण	–	1,925	1,925	–	3,067	3,067	–	3,067	3,067	–	9,609	9,609
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	199	199	–	199	199	–	199	199	–	199	199
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	613	613	–	583	583	–	583	583	–	487	487
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	19	19	–	18	18	–	18	18	–	22	22
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	10,000	10,000	–	–	–	–	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	1,036	1,036	–	1,750	1,750	–	1,750	1,750	–	2,699	2,699
8. अन्य	–	1,474	1,474	–	1,411	1,411	–	1,411	1,411	–	1,386	1,386
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**2,062**	**2,062**	**–**	**3,557**	**3,557**	**–**	**962**	**962**	**–**	**2,252**	**2,252**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	1,979	1,979	–	3,460	3,460	–	865	865	–	2,155	2,155
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	3	3	–	2	2	–	2	2	–	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	30	30	–	40	40	–	40	40	–	40	40
4. योजनेतर (i से ii)	–	50	50	–	55	55	–	55	55	–	55	55
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	50	50	–	55	55	–	55	55	–	55	55
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**484**	**330**	**814**	**1,259**	**399**	**1,658**	**1,259**	**699**	**1,958**	**693**	**2,364**	**3,057**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**484**	**158**	**642**	**1,259**	**120**	**1,379**	**1,259**	**120**	**1,379**	**693**	**100**	**793**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**471**	**158**	**630**	**509**	**120**	**629**	**509**	**120**	**629**	**484**	**100**	**584**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	450	–	450	450	–	450	450	–	450	450	–	450
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	20	–	20	50	–	50	50	–	50	25	–	25
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	158	158	–	120	120	–	120	120	–	100	100
7. अन्य	1	–	1	9	–	9	9	–	9	9	–	9
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**12**	**–**	**12**	**750**	**–**	**750**	**750**	**–**	**750**	**209**	**–**	**209**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	12	–	12	99	–	99	99	–	99	178	–	178
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	651	–	651	651	–	651	31	–	31
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**172**	**172**	**–**	**279**	**279**	**–**	**579**	**579**	**–**	**2,264**	**2,264**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	172	172	–	279	279	–	579	579	–	2,264	2,264
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**7,732**	**7,732**	**–**	**9,210**	**9,210**	**–**	**9,210**	**9,210**	**–**	**9,210**	**9,210**
1. राज्य भविष्य निधि	–	7,662	7,662	–	9,000	9,000	–	9,000	9,000	–	9,000	9,000
2. अन्य	–	70	70	–	210	210	–	210	210	–	210	210
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**3,591**	**3,591**	**–**	**3,301**	**3,301**	**–**	**3,301**	**3,301**	**–**	**3,301**	**3,301**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	1,646	1,646	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,945	1,945	–	1,301	1,301	–	1,301	1,301	–	1,301	1,301
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**6,187**	**6,187**	**–**	**6,911**	**6,911**	**–**	**6,911**	**6,911**	**–**	**6,911**	**6,911**
1. सिविल जमा	–	5,744	5,744	–	3,190	3,190	–	3,190	3,190	–	3,190	3,190
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	431	431	–	220	220	–	220	220	–	220	220
4. अन्य	–	12	12	–	3,501	3,501	–	3,501	3,501	–	3,501	3,501
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**845,189**	**845,189**	**–**	**120,450**	**120,450**	**–**	**120,450**	**120,450**	**–**	**120,450**	**120,450**
1. उचंत	–	10,252	10,252	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	682,849	682,849	–	60,000	60,000	–	60,000	60,000	–	60,000	60,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	152,088	152,088	–	55,450	55,450	–	55,450	55,450	–	55,450	55,450
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**176,323**	**176,323**	**–**	**55,000**	**55,000**	**–**	**55,000**	**55,000**	**–**	**55,000**	**55,000**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-525**			**1,891**			**-5,175**			**-23,353**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**14,145**			**-791**			**329**			**22,565**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**13,620**			**1,100**			**-4,847**			**-789**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**4,149**			**1,100**			**-4,847**			**-789**
क) अथ शेष		-3,539			-5,368			610			-4,236	
ख) इति शेष		610			-4,268			-4,236			-5,025	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**9,471**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**784,078**	**11,908,860**	**12,692,938**	**758,810**	**5,480,902**	**6,239,711**	**744,196**	**5,280,398**	**6,024,594**	**781,717**	**5,835,783**	**6,617,500**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**784,078**	**212,672**	**996,750**	**758,810**	**282,982**	**1,041,791**	**744,196**	**203,798**	**947,994**	**781,717**	**338,881**	**1,120,598**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**753,009**	**31,535**	**784,544**	**719,138**	**24,192**	**743,331**	**705,812**	**15,190**	**721,002**	**755,515**	**18,494**	**774,009**
1. विकासात्मक (क + ख)	**747,611**	**30,641**	**778,252**	**706,022**	**18,974**	**724,996**	**698,967**	**13,701**	**712,668**	**738,848**	**15,975**	**754,823**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**154,458**	**4,414**	**158,872**	**200,681**	**10,018**	**210,699**	**194,195**	**5,179**	**199,374**	**214,277**	**7,061**	**221,338**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	25,564	401	25,965	29,788	2,833	32,621	32,911	905	33,815	36,519	3,434	39,953
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,465	–	5,465	9,626	–	9,626	8,303		8,303	16,066	–	16,066
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	88,342	704	89,046	86,220	200	86,420	92,220	681	92,900	103,640	20	103,660
5. आवास निर्माण	10,863	2,933	13,796	8,193	5,685	13,878	7,605	2,945	10,550	9,937	1,879	11,816
6. शहरी विकास	2,795	–	2,795	5,070	-5	5,065	4,725	–	4,725	8,870	-5	8,865
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,274	227	1,500	5,118	795	5,913	2,554	318	2,872	6,099	1,175	7,274
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	322	–	322	428	1	429	204	1	205	547	1	548
9. अन्य*	19,833	150	19,982	56,238	510	56,748	45,676	328	46,004	32,599	557	33,156
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**593,153**	**26,227**	**619,380**	**505,341**	**8,956**	**514,297**	**504,772**	**8,522**	**513,294**	**524,571**	**8,914**	**533,485**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	19,557	504	20,061	17,845	599	18,444	15,929	591	16,521	29,114	545	29,659
i) फसल कार्य	74	–	74	73	–	73	60	–	60	145	–	145
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	109	–	109	98	–	98	112	–	112	107	–	107
iii) पशु पालन	–	–	–	38	–	38	–	–	–	410	–	410
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) वानिकी और वन्य जीवन	19,115	501	19,615	16,880	575	17,455	15,704	586	16,291	28,347	520	28,867
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	30	4	34	10	24	34	10	5	15	100	25	125
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	922	–	922	709	–	709	5	–	5	–	–	–
x) सहकारिता	-693	–	-693	38	–	38	38	–	38	6	–	6
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	62	–	62	50	–	50	50	–	50	40	–	40
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	385,877	–	385,877	352,461	–	352,461	354,466	–	354,466	368,214	–	368,214
5. ऊर्जा	120,520	13,324	133,844	53,054	–	53,054	53,054	–	53,054	40,950	–	40,950
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-47	–	-47	308	–	308	42	–	42	343	–	343
i) ग्राम और लघु उद्योग	74	–	74	50	–	50	38	–	38	334	–	334
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	-121	–	-121	258	–	258	4	–	4	9	–	9
7. परिवहन (i + ii)	66,685	8,910	75,594	80,823	8,325	89,148	80,805	7,909	88,714	84,499	8,350	92,849
i) सड़क और पुल	61,543	8,710	70,252	78,898	7,825	86,723	79,128	7,825	86,953	82,599	7,850	90,449
ii) अन्य**	5,142	200	5,342	1,925	500	2,425	1,677	84	1,761	1,900	500	2,400
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	500	–	500	800	–	800	425	–	425	400	–	400
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	–	3,489	3,489	–	32	32	–	22	22	1,011	19	1,030
i) पर्यटन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	11
ii) अन्य@@	–	3,489	3,489	–	32	32	–	22	22	1,000	19	1,019
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**5,398**	**894**	**6,292**	**13,117**	**5,218**	**18,335**	**6,845**	**1,489**	**8,335**	**16,667**	**2,520**	**19,186**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**91,170**	**91,170**	**–**	**300,166**	**300,166**	**–**	**130,701**	**130,701**	**–**	**259,825**	**259,825**
1. बाजार से ऋण	–	44,622	44,622	–	63,864	63,864	–	55,721	55,721	–	84,022	84,022
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	2,247	2,247	–	2,247	2,247	–	2,247	2,247	–	2,247	2,247
4. नाबार्ड से ऋण	–	234	234	–	159	159	–	159	159	–	159	159
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	2,092	2,092	–	408	408	–	408	408	–	113	113
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	100,000	100,000	–	–	–	–	100	100
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	30,115	30,115	–	110,405	110,405	–	49,083	49,083	–	119,718	119,718
8. अन्य	–	11,860	11,860	–	23,083	23,083	–	23,083	23,083	–	53,466	53,466
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**85,918**	**85,918**	**–**	**55,942**	**55,942**	**–**	**55,393**	**55,393**	**–**	**56,111**	**56,111**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	84,605	84,605	–	54,628	54,628	–	54,068	54,068	–	54,818	54,818
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना ¬हायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	436	436	–	436	436	–	436	436	–	436	436
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	461	461	–	463	463	–	474	474	–	444	444
4. योजनेतर (i से ii)	–	416	416	–	414	414	–	415	415	–	413	413
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	416	416	–	414	414	–	415	415	–	413	413
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**31,069**	**6,296**	**37,364**	**39,671**	**4,929**	**44,600**	**38,384**	**4,761**	**43,145**	**26,202**	**6,798**	**32,999**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**31,069**	**1,935**	**33,004**	**39,671**	**151**	**39,822**	**38,384**	**153**	**38,537**	**26,202**	**140**	**26,342**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**1,880**	**259**	**2,139**	**6,107**	**151**	**6,258**	**1,410**	**149**	**1,559**	**5,280**	**140**	**5,420**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	150	150	–	1	1	–	1	1	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	109	109	–	150	150	–	148	148	–	140	140
7. अन्य	1,880	–	1,880	6,107	–	6,107	1,410	–	1,410	5,280	–	5,280
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**29,189**	**1,676**	**30,865**	**33,564**	**–**	**33,564**	**36,974**	**5**	**36,978**	**20,922**	**–**	**20,922**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	62	–	62	52	–	52	52	–	52	56	–	56
4. सहकारिता	156	–	156	242	–	242	232	–	232	287	–	287
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	6,346	1,676	8,022	1,241	–	1,241	1,158	–	1,158	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	202	–	202	29	–	29	24	5	29	29	–	29
8. अन्य उद्योग और खनिज	12,423	–	12,423	12,000	–	12,000	12,006	–	12,006	6,000	–	6,000
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	10,000	–	10,000	20,000	–	20,000	23,502	–	23,502	14,550	–	14,550
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**4,361**	**4,361**	**–**	**4,778**	**4,778**	**–**	**4,608**	**4,608**	**–**	**6,658**	**6,658**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	2,191	2,191	–	2,581	2,581	–	2,708	2,708	–	2,828	2,828
ख) विविध	–	2,169	2,169	–	2,197	2,197	–	1,900	1,900	–	3,830	3,830
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**250**	**250**	**–**	**–**	**–**	**–**	**10,366**	**10,366**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**65,646**	**65,646**	**–**	**117,925**	**117,925**	**–**	**110,662**	**110,662**	**–**	**122,071**	**122,071**
1. राज्य भविष्य निधि	–	59,801	59,801	–	106,041	106,041	–	104,757	104,757	–	108,816	108,816
2. अन्य	–	5,845	5,845	–	11,884	11,884	–	5,905	5,905	–	13,255	13,255
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**158,698**	**158,698**	**–**	**168,457**	**168,457**	**–**	**175,107**	**175,107**	**–**	**156,855**	**156,855**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	31	31	–	105	105	–	105	105	–	77	77
2. शोधन निधि	–	80,001	80,001	–	88,000	88,000	–	90,000	90,000	–	50,000	50,000
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	78,666	78,666	–	80,352	80,352	–	85,002	85,002	–	106,778	106,778
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**1,169,402**	**1,169,402**	**–**	**1,155,372**	**1,155,372**	**–**	**1,155,492**	**1,155,492**	**–**	**1,155,410**	**1,155,410**
1. सिविल जमा	–	248,252	248,252	–	312,000	312,000	–	312,000	312,000	–	312,000	312,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	883,917	883,917	–	750,000	750,000	–	750,000	750,000	–	750,000	750,000
3. सिविल अग्रिम	–	17,454	17,454	–	17,000	17,000	–	17,000	17,000	–	17,000	17,000
4. अन्य	–	19,779	19,779	–	76,372	76,372	–	76,492	76,492	–	76,410	76,410
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**9,386,308**	**9,386,308**	**–**	**3,237,352**	**3,237,352**	**–**	**3,237,352**	**3,237,352**	**–**	**3,237,352**	**3,237,352**
1. उचंत	–	-9,397	-9,397	–	4,500	4,500	–	4,500	4,500	–	4,500	4,500
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	7,950,544	7,950,544	–	100,000	100,000	–	100,000	100,000	–	100,000	100,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	1,800,000	1,800,000	–	1,800,000	1,800,000	–	1,800,000	1,800,000
4. अन्य	–	1,445,161	1,445,161	–	1,332,852	1,332,852	–	1,332,852	1,332,852	–	1,332,852	1,332,852
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**913,637**	**913,637**	**–**	**416,566**	**416,566**	**–**	**385,373**	**385,373**	**–**	**822,866**	**822,866**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-51,372**			**-132,127**			**-82,170**			**-92,859**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**177,009**			**165,086**			**233,964**			**5,239**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**125,637**			**32,959**			**151,794**			**-87,620**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-37,795**			**32,959**			**151,794**			**-87,620**
क) अथ शेष		22,019			37,392			-15,777			136,017	
ख) इति शेष		-15,776			70,351			136,017			48,397	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**163,432**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**252,130**	**12,102,853**	**12,354,983**	**284,787**	**15,493,292**	**15,778,079**	**315,472**	**7,982,712**	**8,298,184**	**343,027**	**8,280,173**	**8,623,200**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**252,130**	**75,479**	**327,609**	**284,787**	**96,353**	**381,140**	**315,472**	**96,272**	**411,744**	**343,027**	**133,386**	**476,413**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**248,621**	**-5,861**	**242,760**	**281,797**	**-2,089**	**279,708**	**312,219**	**-3,382**	**308,837**	**340,644**	**-4,631**	**336,012**
1. विकासात्मक (क + ख)	**239,631**	**-5,861**	**233,770**	**272,197**	**-2,089**	**270,108**	**295,413**	**-3,382**	**292,031**	**325,738**	**-4,631**	**321,107**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**64,935**	**–**	**64,935**	**86,384**	**–**	**86,384**	**94,204**	**–**	**94,204**	**99,404**	**–**	**99,404**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,798	–	3,798	3,956	–	3,956	7,566	–	7,566	6,815	–	6,815
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,125	–	2,125	3,274	–	3,274	4,924	–	4,924	4,963	–	4,963
3. परिवार कल्याण	-2	–	-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	56,427	–	56,427	71,410	–	71,410	72,174	–	72,174	78,150	–	78,150
5. आवास निर्माण	760	–	760	685	–	685	2,280	–	2,280	835	–	835
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	300	–	300	315	–	315	265	–	265	280	–	280
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	886	–	886	1,400	–	1,400	1,435	–	1,435	1,576	–	1,576
9. अन्य*	640	–	640	5,344	–	5,344	5,560	–	5,560	6,785	–	6,785
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**174,697**	**-5,861**	**168,835**	**185,813**	**-2,089**	**183,724**	**201,209**	**-3,382**	**197,827**	**226,335**	**-4,631**	**221,703**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	809	-6,100	-5,290	779	-2,150	-1,371	665	-3,443	-2,778	118	-4,692	-4,574
i) फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	10
vi) वानिकी और वन्य जीवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	-6,100	-6,100	–	-2,150	-2,150	–	-3,443	-3,443	–	-4,692	-4,692
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	809	–	809	779	–	779	665	–	665	108	–	108
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	55,641	–	55,641	55,500	–	55,500	61,200	–	61,200	62,800	–	62,800
5. ऊर्जा	78,580	–	78,580	83,300	–	83,300	84,890	–	84,890	85,570	–	85,570
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	403	–	403	156	–	156	6,709	–	6,709	8,260	–	8,260
i) ग्राम और लघु उद्योग	10	–	10	23	–	23	76	–	76	13	–	13
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	393	–	393	133	–	133	6,633	–	6,633	8,247	–	8,247
7. परिवहन (i + ii)	37,663	238	37,901	45,198	61	45,259	46,245	61	46,306	68,617	61	68,678
i) सड़क और पुल	31,740	–	31,740	40,876	–	40,876	37,416	–	37,416	62,000	–	62,000
ii) अन्य**	5,923	238	6,162	4,322	61	4,383	8,829	61	8,890	6,617	61	6,678
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,600	–	1,600	880	–	880	1,500	–	1,500	970	–	970
i) पर्यटन	1,600	–	1,600	880	–	880	1,500	–	1,500	970	–	970
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**8,990**	**–**	**8,990**	**9,600**	**–**	**9,600**	**16,806**	**–**	**16,806**	**14,906**	**–**	**14,906**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**100,194**	**100,194**	**–**	**211,505**	**211,505**	**–**	**72,671**	**72,671**	**–**	**227,749**	**227,749**
1. बाजार से ऋण	–	14,736	14,736	–	25,343	25,343	–	25,343	25,343	–	29,049	29,049
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	317	317	–	314	314	–	311	311	–	311	311
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	45,000	45,000	–	137,800	137,800	–	–	–	–	136,600	136,600
4. नाबार्ड से ऋण	–	8,736	8,736	–	9,745	9,745	–	9,782	9,782	–	12,990	12,990
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	807	807	–	888	888	–	750	750	–	921	921
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	1,000	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000	1,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	7,688	7,688	–	13,120	13,120	–	12,094	12,094	–	18,628	18,628
8. अन्य	–	22,910	22,910	–	23,294	23,294	–	23,390	23,390	–	28,251	28,251
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	20,223	20,223	–	20,223	20,223	–	20,223	20,223	–	20,223	20,223
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**11,184**	**11,184**	**–**	**10,104**	**10,104**	**–**	**1,510**	**1,510**	**–**	**11,165**	**11,165**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	10,410	10,410	–	9,037	9,037	–	772	772	–	10,439	10,439
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	191	191	–	191	191	–	191	191	–	191	191
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	136	136	–	133	133	–	156	156	–	164	164
4. योजनेतर (i से ii)	–	446	446	–	396	396	–	391	391	–	372	372
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	446	446	–	396	396	–	391	391	–	372	372
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	347	347	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**3,509**	**14,963**	**18,472**	**2,990**	**15,633**	**18,623**	**3,253**	**26,473**	**29,726**	**2,383**	**36,703**	**39,086**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**3,509**	**6,918**	**10,427**	**2,990**	**7,100**	**10,090**	**3,253**	**18,200**	**21,453**	**2,383**	**15,500**	**17,883**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**520**	**6,444**	**6,964**	**600**	**6,500**	**7,100**	**520**	**7,200**	**7,720**	**600**	**10,500**	**11,100**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	520	6,400	6,920	600	6,500	7,100	520	7,200	7,720	600	10,500	11,100
7. अन्य	–	44	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**2,989**	**474**	**3,463**	**2,390**	**600**	**2,990**	**2,733**	**11,000**	**13,733**	**1,783**	**5,000**	**6,783**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	450	–	450	740	–	740	571	–	571	400	–	400
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	500	500	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	500	–	500	500	–	500	500	–	500	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	1,949	–	1,949	850	–	850	1,362	–	1,362	1,053	–	1,053
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	90	–	90	300	–	300	300	–	300	330	–	330
10. अन्य	–	474	474	–	100	100	–	11,000	11,000	–	5,000	5,000
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**8,046**	**8,046**	**–**	**8,533**	**8,533**	**–**	**8,273**	**8,273**	**–**	**21,203**	**21,203**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	8,046	8,046	–	8,533	8,533	–	8,273	8,273	–	21,203	21,203
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**88,029**	**88,029**	**–**	**87,365**	**87,365**	**–**	**85,401**	**85,401**	**–**	**93,909**	**93,909**
1. राज्य भविष्य निधि	–	86,351	86,351	–	86,984	86,984	–	85,020	85,020	–	93,521	93,521
2. अन्य	–	1,678	1,678	–	381	381	–	381	381	–	388	388
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**32,803**	**32,803**	**–**	**23,776**	**23,776**	**–**	**24,949**	**24,949**	**–**	**22,464**	**22,464**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	1,675	1,675	–	4,069	4,069	–	2,580	2,580	–	2,709	2,709
2. शोधन निधि	–	6,899	6,899	–	5,402	5,402	–	4,997	4,997	–	4,744	4,744
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	24,229	24,229	–	14,305	14,305	–	17,371	17,371	–	15,011	15,011
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**155,844**	**155,844**	**–**	**197,993**	**197,993**	**–**	**168,000**	**168,000**	**–**	**178,205**	**178,205**
1. सिविल जमा	–	145,701	145,701	–	130,000	130,000	–	155,000	155,000	–	165,000	165,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	2,549	2,549	–	1,823	1,823	–	4,900	4,900	–	5,000	5,000
3. सिविल अग्रिम	–	5,594	5,594	–	6,000	6,000	–	6,000	6,000	–	6,000	6,000
4. अन्य	–	2,000	2,000	–	60,170	60,170	–	2,100	2,100	–	2,205	2,205
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**11,396,661**	**11,396,661**	**–**	**14,699,005**	**14,699,005**	**–**	**7,277,090**	**7,277,090**	**–**	**7,394,609**	**7,394,609**
1. उचंत	–	-22,445	-22,445	–	1,712,500	1,712,500	–	244,000	244,000	–	264,000	264,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	11,408,350	11,408,350	–	12,977,012	12,977,012	–	7,022,700	7,022,700	–	7,120,000	7,120,000
4. अन्य	–	10,755	10,755	–	9,493	9,493	–	10,390	10,390	–	10,609	10,609
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**309,036**	**309,036**	**–**	**250,000**	**250,000**	**–**	**330,000**	**330,000**	**–**	**320,000**	**320,000**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**154,757**			**9,709**			**-202,847**			**-82,126**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**159,028**			**114,878**			**149,469**			**141,448**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**313,785**			**124,587**			**-53,378**			**59,322**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**25,890**			**2,660**			**-878**			**322**
क) अथ शेष		-25,809			-5,496			81			-797	
ख) इति शेष		81			-2,836			-797			-475	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**287,895**			**121,927**			**-52,500**			**59,000**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**106,683**	**2,024,594**	**2,131,277**	**104,968**	**306,549**	**411,517**	**119,876**	**310,394**	**430,269**	**195,921**	**324,178**	**520,099**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**106,683**	**137,992**	**244,675**	**104,968**	**88,884**	**193,852**	**119,876**	**92,729**	**212,604**	**195,921**	**106,513**	**302,434**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**104,314**	**6,667**	**110,981**	**102,192**	**7,622**	**109,814**	**117,130**	**11,386**	**128,516**	**185,915**	**7,142**	**193,058**
1. विकासात्मक (क + ख)	**98,189**	**6,667**	**104,856**	**97,257**	**7,622**	**104,879**	**112,195**	**10,610**	**122,805**	**180,011**	**7,142**	**187,154**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**52,428**	**4,995**	**57,424**	**30,975**	**4,700**	**35,675**	**45,912**	**5,005**	**50,918**	**70,208**	**4,200**	**74,408**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,925	–	9,925	10,258	–	10,258	10,258	–	10,258	23,046	–	23,046
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,360	–	4,360	3,367	–	3,367	3,367	2	3,369	10,401	–	10,401
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	35,665	–	35,665	14,790	–	14,790	29,727	3	29,730	31,484	–	31,484
5. आवास निर्माण	482	4,888	5,370	722	4,700	5,422	722	5,000	5,722	1,035	4,200	5,235
6. शहरी विकास	61	107	168	35	–	35	35	–	35	2,250	–	2,250
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,814	–	1,814	1,351	–	1,351	1,351	–	1,351	1,406	–	1,406
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	44	–	44	395	–	395	395	–	395	565	–	565
9. अन्य*	78	–	78	57	–	57	57	–	57	20	–	20
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**45,760**	**1,672**	**47,432**	**66,282**	**2,922**	**69,204**	**66,282**	**5,605**	**71,887**	**109,803**	**2,942**	**112,746**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,366	1,149	2,515	1,788	1,500	3,288	1,788	2,450	4,238	3,421	–	3,421
i) फसल कार्य	-1,130	1,174	44	74	1,500	1,574	74	2,450	2,524	251	–	251
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,001	–	1,001	955	–	955	955	–	955	1,490	–	1,490
iii) पशु पालन	326	–	326	321	–	321	321	–	321	672	–	672
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	107	–	107	107	–	107	107	–	107	96	–	96
vi) वानिकी और वन्य जीवन	439	–	439	279	–	279	279	–	279	844	–	844
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	181	-25	156	24	–	24	24	–	24	39	–	39
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	442	–	442	29	–	29	29	–	29	30	–	30
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	450	–	450	343	–	343	343	–	343	4	–	4
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	17,631	–	17,631	26,054	–	26,054	26,054	–	26,054	29,639	–	29,639
5. ऊर्जा	–	–	–	9,100	–	9,100	9,100	–	9,100	29,925	–	29,925
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	2,415	–	2,415	2,227	–	2,227	2,227	–	2,227	1,462	–	1,462
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,415	–	2,415	2,227	–	2,227	2,227	–	2,227	1,462	–	1,462
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन (i + ii)	23,769	523	24,292	26,526	1,422	27,948	26,526	3,155	29,681	37,199	2,942	40,141
i) सड़क और पुल	21,979	–	21,979	23,145	–	23,145	23,145	1,699	24,844	30,156	1,520	31,676
ii) अन्य**	1,790	523	2,313	3,381	1,422	4,803	3,381	1,455	4,836	7,043	1,422	8,465
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	128	–	128	245	–	245	245	–	245	8,153	–	8,153
i) पर्यटन	128	–	128	245	–	245	245	–	245	223	–	223
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,930	–	7,930
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**6,125**	**–**	**6,125**	**4,935**	**–**	**4,935**	**4,935**	**776**	**5,711**	**5,904**	**–**	**5,904**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**118,241**	**118,241**	**–**	**94,670**	**94,670**	**–**	**94,671**	**94,671**	**–**	**112,530**	**112,530**
1. बाजार से ऋण	–	4,398	4,398	–	7,696	7,696	–	7,696	7,696	–	16,000	16,000
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	8,693	8,693	–	4,942	4,942	–	4,942	4,942	–	4,842	4,842
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	3,048	3,048	–	4,600	4,600	–	4,600	4,600	–	7,300	7,300
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	274	274	–	354	354	–	354	354	–	800	800
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	19,000	19,000	–	19,000	19,000	–	19,000	19,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	989	989	–	–	–	–	–	–	–	9,924	9,924
8. अन्य	–	100,838	100,838	–	58,078	58,078	–	58,079	58,079	–	54,664	54,664
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702	702
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**12,878**	**12,878**	**–**	**5,471**	**5,471**	**–**	**5,472**	**5,472**	**–**	**5,671**	**5,671**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	7,249	7,249	–	4,856	4,856	–	4,856	4,856	–	4,851	4,851
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना ¬हायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	3	3	–	2	2	–	2	2	–	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	416	416	–	404	404	–	404	404	–	606	606
4. योजनेतर (i से ii)	–	211	211	–	209	209	–	209	209	–	211	211
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	211	211	–	209	209	–	209	209	–	211	211
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	5,000	5,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**2,369**	**206**	**2,575**	**2,776**	**120**	**2,896**	**2,746**	**200**	**2,946**	**10,006**	**170**	**10,176**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**2,369**	**110**	**2,479**	**2,776**	**30**	**2,806**	**2,746**	**60**	**2,806**	**10,006**	**80**	**10,086**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**1,171**	**45**	**1,216**	**2,356**	**30**	**2,386**	**2,326**	**60**	**2,386**	**1,006**	**80**	**1,086**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	1,171	24	1,195	2,326	30	2,356	2,326	30	2,356	1,006	30	1,036
7. अन्य	–	21	21	30	–	30	–	30	30	–	50	50
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**1,198**	**65**	**1,263**	**420**	**–**	**420**	**420**	**–**	**420**	**9,000**	**–**	**9,000**
1. फसल कार्य	–	65	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	1,089	–	1,089	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	400	–	400	400	–	400	9,000	–	9,000
7. ग्राम और लघु उद्योग	98	–	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	11	–	11	20	–	20	20	–	20	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**96**	**96**	**–**	**90**	**90**	**–**	**140**	**140**	**–**	**90**	**90**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	96	96	–	90	90	–	140	140	–	90	90
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**79,026**	**79,026**	**–**	**31,000**	**31,000**	**–**	**31,000**	**31,000**	**–**	**31,000**	**31,000**
1. राज्य भविष्य निधि	–	78,365	78,365	–	30,400	30,400	–	30,400	30,400	–	30,400	30,400
2. अन्य	–	660	660	–	600	600	–	600	600	–	600	600
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**12,228**	**12,228**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	12,228	12,228	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**127,887**	**127,887**	**–**	**37,387**	**37,387**	**–**	**37,387**	**37,387**	**–**	**37,387**	**37,387**
1. सिविल जमा	–	50,868	50,868	–	7,987	7,987	–	7,987	7,987	–	7,987	7,987
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	60,491	60,491	–	21,500	21,500	–	21,500	21,500	–	21,500	21,500
3. सिविल अग्रिम	–	16,098	16,098	–	7,250	7,250	–	7,250	7,250	–	7,250	7,250
4. अन्य	–	430	430	–	650	650	–	650	650	–	650	650
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**1,366,128**	**1,366,128**	**–**	**82,241**	**82,241**	**–**	**82,241**	**82,241**	**–**	**82,241**	**82,241**
1. उचंत	–	15,708	15,708	–	17,100	17,100	–	17,100	17,100	–	17,100	17,100
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	1,350,607	1,350,607	–	15,000	15,000	–	15,000	15,000	–	15,000	15,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	50,000	50,000	–	50,000	50,000	–	50,000	50,000
4. अन्य	–	-188	-188	–	141	141	–	141	141	–	141	141
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**301,334**	**301,334**	**–**	**48,037**	**48,037**	**–**	**48,037**	**48,037**	**–**	**48,037**	**48,037**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-43,794**			**25,015**			**6,257**			**-7,709**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**19,111**			**-25,017**			**-4,467**			**6,994**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**-24,683**			**-2**			**1,790**			**-715**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**13,205**			**-2**			**1,790**			**-715**
क) अथ शेष		-16,916			–			-3,711			-1,922	
ख) इति शेष		-3,711			-2			-1,922			-2,636	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**-33,688**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**-4,200**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (Revised Estimates)			2007-08 (Budget Estimates)			2007-08 (Revised Estimates)			2008-09 (Budget Estimates)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**340,810**	**196,944**	**537,754**	**464,348**	**244,495**	**708,843**	**462,414**	**222,924**	**685,338**	**554,049**	**211,624**	**765,674**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**321,974**	**58,652**	**380,626**	**450,448**	**85,958**	**536,406**	**448,514**	**87,563**	**536,078**	**541,018**	**78,267**	**619,285**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**321,974**	**11,065**	**333,039**	**450,448**	**26,409**	**476,857**	**448,514**	**30,024**	**478,539**	**541,018**	**11,230**	**552,248**
1. विकासात्मक (क + ख)	**278,913**	**10,318**	**289,231**	**397,929**	**26,409**	**424,338**	**383,586**	**25,886**	**409,472**	**468,876**	**11,230**	**480,105**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**83,277**	**992**	**84,269**	**107,618**	**16,315**	**123,933**	**157,039**	**16,336**	**173,375**	**189,171**	**1,285**	**190,456**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	18,340	–	18,340	17,522	–	17,522	18,102	–	18,102	27,624	–	27,624
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	18,361	–	18,361	22,984	–	22,984	28,598	–	28,598	23,800	–	23,800
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	15,625	–	15,625	14,200	–	14,200	38,926	–	38,926	50,120	–	50,120
5. आवास निर्माण	300	–	300	350	–	350	350	–	350	400	–	400
6. शहरी विकास	14,296	–	14,296	25,574	–	25,574	38,880	–	38,880	44,089	–	44,089
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,898	–	1,898	1,810	–	1,810	3,593	–	3,593	3,799	–	3,799
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8,848	992	9,840	16,467	1,203	17,671	18,226	1,224	19,450	24,619	1,285	25,904
9. अन्य*	5,609	–	5,609	8,710	15,112	23,822	10,365	15,112	25,477	14,720	–	14,720
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**195,636**	**9,326**	**204,962**	**290,311**	**10,094**	**300,405**	**226,547**	**9,549**	**236,097**	**279,704**	**9,945**	**289,649**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	13,873	9,309	23,182	14,429	10,094	24,523	12,803	9,549	22,352	17,960	9,945	27,905
i) फसल कार्य	4,995	246	5,241	4,520	150	4,670	3,676	320	3,995	4,231	372	4,603
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	872	–	872	2,824	–	2,824	1,724	–	1,724	3,493	–	3,493
iii) पशु पालन	1,347	–	1,347	1,105	–	1,105	1,105	–	1,105	1,730	–	1,730
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	980	–	980	740	–	740	800	–	800	935	–	935
vi) वानिकी और वन्य जीवन	3,757	–	3,757	3,675	–	3,675	3,880	–	3,880	5,544	–	5,544
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	115	9,063	9,178	115	9,544	9,659	168	8,784	8,952	53	9,082	9,135
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,273	–	1,273	1,200	–	1,200	1,200	–	1,200	1,680	–	1,680
x) सहकारिता	534	–	534	250	400	650	250	446	696	295	490	785
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	37,552	–	37,552	39,239	–	39,239	14,955	–	14,955	14,086	–	14,086
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	25,208	–	25,208	24,563	–	24,563	14,302	–	14,302	22,237	–	22,237
5. ऊर्जा	74,876	–	74,876	108,424	–	108,424	101,762	–	101,762	115,218	–	115,218
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	7,327	–	7,327	9,790	–	9,790	8,635	–	8,635	13,317	–	13,317
i) ग्राम और लघु उद्योग	6,584	–	6,584	9,123	–	9,123	7,968	–	7,968	12,550	–	12,550
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	330	–	330	390	–	390
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	413	–	413	337	–	337	337	–	337	377	–	377
iv) अन्य #	330	–	330	330	–	330	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन (i + ii)	9,728	–	9,728	9,990	–	9,990	4,737	–	4,737	7,554	–	7,554
i) सड़क और पुल	9,538	–	9,538	9,200	–	9,200	4,147	–	4,147	5,760	–	5,760
ii) अन्य**	190	–	190	790	–	790	590	–	590	1,794	–	1,794
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (Revised Estimates)			2007-08 (Budget Estimates)			2007-08 (Revised Estimates)			2008-09 (Budget Estimates)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	748	–	748	751	–	751	768	–	768	874	–	874
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	26,324	17	26,341	83,125	–	83,125	68,586	–	68,586	88,458	–	88,458
i) पर्यटन	7,458	–	7,458	9,540	–	9,540	10,231	–	10,231	10,184	–	10,184
ii) अन्य@@	18,866	17	18,883	73,585	–	73,585	58,356	–	58,356	78,274	–	78,274
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**43,062**	**747**	**43,808**	**52,519**	**–**	**52,519**	**64,928**	**4,138**	**69,067**	**72,142**	**–**	**72,142**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**31,200**	**31,200**	**–**	**42,030**	**42,030**	**–**	**42,030**	**42,030**	**–**	**50,328**	**50,328**
1. बाजार से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य	–	31,200	31,200	–	42,030	42,030	–	42,030	42,030	–	50,328	50,328
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**11,299**	**11,299**	**–**	**11,282**	**11,282**	**–**	**11,282**	**11,282**	**–**	**10,792**	**10,792**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना ¬हायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	11,299	11,299	–	11,282	11,282	–	11,282	11,282	–	10,792	10,792
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**–**	**5,088**	**5,088**	**–**	**6,237**	**6,237**	**–**	**4,227**	**4,227**	**–**	**5,917**	**5,917**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**–**	**5,007**	**5,007**	**–**	**6,106**	**6,106**	**–**	**4,106**	**4,106**	**–**	**5,606**	**5,606**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**1,000**	**1,000**	**–**	**2,500**	**2,500**	**–**	**500**	**500**	**–**	**2,000**	**2,000**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य–	1,000	1,000	–	2,500	2,500	–	500	500	–	2,000	2,000	
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**–**	**4,007**	**4,007**	**–**	**3,606**	**3,606**	**–**	**3,606**	**3,606**	**–**	**3,606**	**3,606**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (Revised Estimates)			2007-08 (Budget Estimates)			2007-08 (Revised Estimates)			2008-09 (Budget Estimates)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	2,125	2,125	–	1,913	1,913	–	1,913	1,913	–	1,913	1,913
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	1,882	1,882	–	1,693	1,693	–	1,693	1,693	–	1,693	1,693
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**81**	**81**	**–**	**131**	**131**	**–**	**121**	**121**	**–**	**311**	**311**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	81	81	–	131	131	–	121	121	–	311	311
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**50,892**	**50,892**	**–**	**54,778**	**54,778**	**–**	**69,101**	**69,101**	**–**	**68,361**	**68,361**
1. राज्य भविष्य निधि	–	49,695	49,695	–	53,568	53,568	–	67,935	67,935	–	67,190	67,190
2. अन्य	–	1,197	1,197	–	1,210	1,210	–	1,166	1,166	–	1,171	1,171
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**36,999**	**36,999**	**–**	**49,792**	**49,792**	**–**	**10,090**	**10,090**	**–**	**9,680**	**9,680**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	36,999	36,999	–	49,792	49,792	–	10,090	10,090	–	9,680	9,680
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**18,836**	**12,523**	**31,359**	**13,900**	**17,069**	**30,969**	**13,900**	**19,322**	**33,222**	**13,031**	**18,579**	**31,611**
1. सिविल जमा	–	1,100	1,100	–	1,100	1,100	–	1,100	1,100	–	1,100	1,100
2. स्थानीय निधि जमाराशि	18,836	10,223	29,059	13,900	14,769	28,669	13,900	17,022	30,922	13,031	16,279	29,311
3. सिविल अग्रिम	–	1,200	1,200	–	1,200	1,200	–	1,200	1,200	–	1,200	1,200
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**24,578**	**24,578**	**–**	**23,598**	**23,598**	**–**	**23,548**	**23,548**	**–**	**23,438**	**23,438**
1. उचंत	–	18,578	18,578	–	17,598	17,598	–	17,548	17,548	–	17,438	17,438
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	3,600	3,600	–	3,600	3,600	–	3,600	3,600	–	3,600	3,600
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	2,400	2,400	–	2,400	2,400	–	2,400	2,400	–	2,400	2,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**13,300**	**13,300**	**–**	**13,300**	**13,300**	**–**	**13,300**	**13,300**	**–**	**13,300**	**13,300**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-191,138**			**-293,715**			**-221,596**			**-335,990**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**191,376**			**278,904**			**221,568**			**338,981**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**238**			**-14,811**			**-28**			**2,991**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**238**			**-14,811**			**-28**			**2,990**
क) अथ शेष		-197,964			-197,964			-191,872			-191,872	
ख) इति शेष		-197,726			-212,775			-191,900			-188,882	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**–**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (Revised Estimates)			2007-08 (Budget Estimates)			2007-08 (Revised Estimates)			2008-09 (Budget Estimates)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**376,716**	**386,284**	**763,000**	**351,094**	**450,369**	**801,463**	**428,234**	**471,492**	**899,726**	**443,956**	**550,516**	**994,472**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**376,716**	**72,447**	**449,163**	**351,094**	**77,063**	**428,157**	**428,234**	**98,187**	**526,421**	**443,956**	**82,964**	**526,921**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**274,990**	**–**	**274,990**	**292,364**	**5,330**	**297,694**	**369,464**	**5,330**	**374,794**	**393,047**	**3,600**	**396,647**
1. विकासात्मक (क + ख)	**266,473**	**–**	**266,473**	**281,449**	**–**	**281,449**	**358,549**	**–**	**358,549**	**371,362**	**–**	**371,362**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**91,309**	**–**	**91,309**	**113,368**	**–**	**113,368**	**141,642**	**–**	**141,642**	**170,188**	**–**	**170,188**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	27,620	–	27,620	28,663	–	28,663	28,663	–	28,663	31,750	–	31,750
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	14,749	–	14,749	22,642	–	22,642	22,642	–	22,642	30,074	–	30,074
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	30,704	–	30,704	22,142	–	22,142	50,417	–	50,417	41,457	–	41,457
5. आवास निर्माण	3,885	–	3,885	4,260	–	4,260	4,260	–	4,260	9,600	–	9,600
6. शहरी विकास	6,983	–	6,983	25,700	–	25,700	25,700	–	25,700	47,930	–	47,930
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	7,368	–	7,368	9,960	–	9,960	9,960	–	9,960	9,377	–	9,377
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–
9. अन्य*	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**175,164**	**–**	**175,164**	**168,081**	**–**	**168,081**	**216,907**	**–**	**216,907**	**201,174**	**–**	**201,174**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	2,027	–	2,027	1,476	–	1,476	1,476	–	1,476	2,570	–	2,570
i) फसल कार्य	410	–	410	410	–	410	410	–	410	500	–	500
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	570	–	570	517	–	517	517	–	517	520	–	520
vi) वानिकी और वन्य जीवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	–	1,000
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	1,046	–	1,046	549	–	549	549	–	549	550	–	550
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	60,233	–	60,233	55,698	–	55,698	66,139	–	66,139	57,617	–	57,617
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	48,770	–	48,770	53,390	–	53,390	91,773	–	91,773	63,890	–	63,890
5. ऊर्जा	5,300	–	5,300	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	210	–	210	100	–	100	100	–	100	1,200	–	1,200
i) ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	210	–	210	100	–	100	100	–	100	1,200	–	1,200
iv) अन्य #	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन (i + ii)	56,525	–	56,525	55,413	–	55,413	55,413	–	55,413	64,197	–	64,197
i) सड़क और पुल	52,010	–	52,010	54,247	–	54,247	54,247	–	54,247	63,507	–	63,507
ii) अन्य**	4,515	–	4,515	1,166	–	1,166	1,166	–	1,166	690	–	690
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (Revised Estimates)			2007-08 (Budget Estimates)			2007-08 (Revised Estimates)			2008-09 (Budget Estimates)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	2,100	–	2,100	2,004	–	2,004	2,006	–	2,006	11,700	–	11,700
i) पर्यटन	2,100	–	2,100	2,004	–	2,004	2,004	–	2,004	11,650	–	11,650
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	2	–	2	50	–	50
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**8,517**	**–**	**8,517**	**10,915**	**5,330**	**16,245**	**10,915**	**5,330**	**16,245**	**21,685**	**3,600**	**25,285**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**17,520**	**17,520**	**–**	**16,736**	**16,736**	**–**	**37,899**	**37,899**	**–**	**60,690**	**60,690**
1. बाजार से ऋण	–	8,529	8,529	–	6,582	6,582	–	6,582	6,582	–	17,088	17,088
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	–	–	–	590	590	–	590	590	–	5,750	5,750
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	310	310	–	300	300	–	300	300	–	350	350
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	3,481	3,481	–	3,856	3,856	–	3,856	3,856	–	6,645	6,645
8. अन्य	–	5,201	5,201	–	5,408	5,408	–	26,571	26,571	–	30,857	30,857
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	200	200	–	150	150	–	21,303	21,303	–	21,353	21,353
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**13,707**	**13,707**	**–**	**13,874**	**13,874**	**–**	**13,874**	**13,874**	**–**	**16,474**	**16,474**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	11,724	11,724	–	11,752	11,752	–	11,752	11,752	–	15,300	15,300
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना ¬हायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	20	20	–	20	20	–	20	20	–	33	33
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	86	86	–	156	156	–	156	156	–	76	76
4. योजनेतर (i से ii)	–	218	218	–	286	286	–	286	286	–	326	326
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	218	218	–	286	286	–	286	286	–	326	326
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	1,659	1,659	–	1,659	1,659	–	1,659	1,659	–	740	740
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**101,726**	**41,219**	**142,945**	**58,730**	**41,123**	**99,854**	**58,770**	**41,083**	**99,853**	**50,909**	**2,200**	**53,109**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**101,726**	**40,419**	**142,145**	**58,730**	**40,423**	**99,154**	**58,770**	**40,383**	**99,153**	**50,909**	**1,600**	**52,509**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**5,951**	**1,186**	**7,137**	**6,920**	**1,250**	**8,170**	**6,920**	**1,250**	**8,170**	**6,754**	**1,600**	**8,354**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,738	–	3,738	4,800	–	4,800	4,800	–	4,800	4,300	–	4,300
5. आवास निर्माण	122	–	122	120	–	120	120	–	120	120	–	120
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	900	900	–	900	900	–	900	900	–	1,000	1,000
7. अन्य	2,092	286	2,377	2,000	350	2,350	2,000	350	2,350	2,334	600	2,934
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**95,775**	**39,233**	**135,008**	**51,810**	**39,173**	**90,983**	**51,850**	**39,133**	**90,983**	**44,155**	**–**	**44,155**
1. फसल कार्य		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	8,000	–	8,000	1,100	–	1,100	1,100	–	1,100	3,550	–	3,550
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (Revised Estimates)			2007-08 (Budget Estimates)			2007-08 (Revised Estimates)			2008-09 (Budget Estimates)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	87,300	39,133	126,433	50,700	39,133	89,833	50,700	39,133	89,833	39,800	–	39,800
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	475	–	475	10	–	10	10	–	10	700	–	700
9. ग्रामीण विकास	–	100	100	–	40	40	40	–	40	105	–	105
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**800**	**800**	**–**	**700**	**700**	**–**	**700**	**700**	**–**	**600**	**600**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	800	800	–	700	700	–	700	700	–	600	600
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**15,000**	**15,000**	**–**	**15,000**	**15,000**	**–**	**15,000**	**15,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**19,300**	**19,300**	**–**	**22,562**	**22,562**	**–**	**22,562**	**22,562**	**–**	**24,080**	**24,080**
1. राज्य भविष्य निधि	–	16,000	16,000	–	19,262	19,262	–	19,262	19,262	–	20,580	20,580
2. अन्य	–	3,300	3,300	–	3,300	3,300	–	3,300	3,300	–	3,500	3,500
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**16,182**	**16,182**	**–**	**19,838**	**19,838**	**–**	**19,839**	**19,839**	**–**	**13,755**	**13,755**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	16,182	16,182	–	19,838	19,838	–	19,839	19,839	–	13,755	13,755
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**90,408**	**90,408**	**–**	**111,809**	**111,809**	**–**	**111,809**	**111,809**	**–**	**144,705**	**144,705**
1. सिविल जमा	–	9,885	9,885	–	13,027	13,027	–	13,027	13,027	–	35,365	35,365
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	28,361	28,361	–	32,590	32,590	–	32,590	32,590	–	38,065	38,065
3. सिविल अग्रिम	–	6,562	6,562	–	6,562	6,562	–	6,562	6,562	–	16,475	16,475
4. अन्य	–	45,600	45,600	–	59,630	59,630	–	59,630	59,630	–	54,800	54,800
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**59,897**	**59,897**	**–**	**65,147**	**65,147**	**–**	**65,146**	**65,146**	**–**	**44,432**	**44,432**
1. उचंत	–	38,397	38,397	–	38,397	38,397	–	38,396	38,396	–	14,670	14,670
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	20,000	20,000	–	20,000	20,000	–	20,000	20,000	–	22,000	22,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,500	1,500	–	6,750	6,750	–	6,750	6,750	–	7,762	7,762
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**128,050**	**128,050**	**–**	**138,950**	**138,950**	**–**	**138,950**	**138,950**	**–**	**225,580**	**225,580**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**65,765**			**31,619**			**-66,588**			**-257,220**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-108,986**			**-50,688**			**-148,361**			**220,028**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**-43,221**			**-19,069**			**-214,949**			**-37,193**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-43,221**			**-19,069**			**-214,949**			**-37,193**
क) अथ शेष		21,000			-4,109			83,847			-131,103	
ख) इति शेष		-22,221			-23,178			-131,102			-168,296	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			–			–			–			–
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			–			–			–			–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**871,689**	**13,803,228**	**14,674,918**	**727,460**	**2,012,942**	**2,740,402**	**783,534**	**2,021,802**	**2,805,336**	**1,042,304**	**2,054,129**	**3,096,434**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**871,689**	**193,228**	**1,064,917**	**727,460**	**270,558**	**998,018**	**783,534**	**279,417**	**1,062,952**	**1,042,304**	**301,128**	**1,343,433**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**841,078**	**13,179**	**854,257**	**684,202**	**136,521**	**820,723**	**743,534**	**145,080**	**888,614**	**948,121**	**115,884**	**1,064,006**
1. विकासात्मक (क + ख)	**808,984**	**13,179**	**822,163**	**646,632**	**131,021**	**777,653**	**704,889**	**139,580**	**844,469**	**906,621**	**110,621**	**1,017,243**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**129,183**	**79**	**129,263**	**193,304**	**20,713**	**214,017**	**204,930**	**19,213**	**224,143**	**275,705**	**18,562**	**294,267**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,419	79	5,498	15,625	345	15,970	12,456	345	12,801	28,331	359	28,690
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	14,295	–	14,295	28,340	–	28,340	29,340	–	29,340	45,693	–	45,693
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	56,844	–	56,844	119,705	3,418	123,123	104,705	3,418	108,123	116,700	2,401	119,101
5. आवास निर्माण	22,504	–	22,504	7,800	13,000	20,800	8,400	11,500	19,900	9,092	11,526	20,618
6. शहरी विकास	13,200	–	13,200	–	3,950	3,950	25,000	3,950	28,950	40,000	3,358	43,358
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	16,440	–	16,440	18,128	–	18,128	19,761	–	19,761	28,856	918	29,774
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	274	–	274	2,310	–	2,310	2,310	–	2,310	6,440	–	6,440
9. अन्य*	207	–	207	1,396	–	1,396	2,958	–	2,958	593	–	593
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**679,801**	**13,100**	**692,901**	**453,328**	**110,308**	**563,636**	**499,959**	**120,367**	**620,326**	**630,917**	**92,059**	**722,975**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	3,440	-125	3,315	7,791	–	7,791	9,720	–	9,720	12,416	–	12,416
i) फसल कार्य	23	–	23	1,330	–	1,330	2,090	–	2,090	2,765	–	2,765
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	386	–	386	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000
iii) पशु पालन	751	–	751	3,280	–	3,280	4,280	–	4,280	4,850	–	4,850
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	1,328	-2	1,326	1,731	–	1,731	1,731	–	1,731	3,330	–	3,330
vi) वानिकी और वन्य जीवन	618	–	618	154	–	154	254	–	254	274	–	274
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	10	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	325	-124	201	296	–	296	365	–	365	197	–	197
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	17,523	111	17,634	10,744	–	10,744	5,744	120	5,864	13,410	120	13,530
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	411,219	355	411,574	305,225	81,768	386,993	324,729	92,513	417,242	373,353	66,856	440,210
5. ऊर्जा	30,000	13,047	43,047	25,000	10,600	35,600	25,000	11,294	36,294	40,000	8,800	48,800
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	6,612	-241	6,372	12,418	–	12,418	12,568	–	12,568	5,984	–	5,984
i) ग्राम और लघु उद्योग	74	–	74	2,255	–	2,255	2,405	–	2,405	5,819	–	5,819
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	6,531	-241	6,291	10,001	–	10,001	10,001	–	10,001	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	7	–	7	162	–	162	162	–	162	165	–	165
7. परिवहन (i + ii)	182,350	–	182,350	81,716	12,000	93,716	117,694	12,000	129,694	175,590	13,413	189,003
i) सड़क और पुल	175,835	–	175,835	80,566	12,000	92,566	116,544	12,000	128,544	148,740	13,413	162,153
ii) अन्य**	6,516	–	6,516	1,150	–	1,150	1,150	–	1,150	26,850	–	26,850
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	28,656	-47	28,609	10,434	5,940	16,374	4,505	4,440	8,945	10,163	2,869	13,032
i) पर्यटन	–	–	–	–	–	–	3,000	–	3,000	7,763	–	7,763
ii) अन्य@@	28,656	-47	28,609	10,434	5,940	16,374	1,505	4,440	5,945	2,400	2,869	5,269
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**32,094**	**–**	**32,094**	**37,570**	**5,500**	**43,070**	**38,645**	**5,500**	**44,145**	**41,500**	**5,263**	**46,763**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**101,234**	**101,234**	**–**	**218,574**	**218,574**	**–**	**218,574**	**218,574**	**–**	**265,638**	**265,638**
1. बाजार से ऋण	–	23,254	23,254	–	46,527	46,527	–	46,527	46,527	–	83,378	83,378
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	3,467	3,467	–	3,469	3,469	–	3,469	3,469	–	3,459	3,459
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	3,133	3,133	–	5,473	5,473	–	5,473	5,473	–	10,916	10,916
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	4,214	4,214	–	4,088	4,088	–	4,088	4,088	–	4,500	4,500
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	135,000	135,000	–	135,000	135,000	–	135,000	135,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	11,467	11,467	–	17,893	17,893	–	17,893	17,893	–	27,782	27,782
8. अन्य	–	55,699	55,699	–	6,124	6,124	–	6,124	6,124	–	603	603
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**73,703**	**73,703**	**–**	**46,373**	**46,373**	**–**	**46,373**	**46,373**	**–**	**50,080**	**50,080**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	71,666	71,666	–	8,423	8,423	–	44,257	44,257	–	47,883	47,883
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	370	370	–	368	368	–	368	368	–	368	368
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	999	999	–	1,076	1,076	–	1,076	1,076	–	1,128	1,128
4. योजनेतर (i से ii)	–	669	669	–	672	672	–	672	672	–	701	701
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	669	669	–	672	672	–	672	672	–	701	701
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	35,834	35,834	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**30,611**	**5,112**	**35,723**	**43,258**	**4,090**	**47,348**	**40,000**	**4,390**	**44,390**	**94,183**	**4,527**	**98,710**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**30,611**	**4,759**	**35,370**	**43,258**	**3,100**	**46,358**	**40,000**	**3,400**	**43,400**	**94,183**	**3,620**	**97,803**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**28,087**	**4,500**	**32,587**	**41,800**	**–**	**41,800**	**31,800**	**–**	**31,800**	**89,700**	**520**	**90,220**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	359	–	359	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	10	–	10	100	–	100	100	–	100	100	–	100
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,800	4,500	9,300	20,900	–	20,900	10,900	–	10,900	38,800	–	38,800
5. आवास निर्माण	7,500	–	7,500	15,000	–	15,000	15,000	–	15,000	20,500	–	20,500
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	4	–	4	300	–	300	300	–	300	300	–	300
7. अन्य	15,415	–	15,415	5,500	–	5,500	5,500	–	5,500	30,000	520	30,520
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**2,523**	**259**	**2,782**	**1,458**	**3,100**	**4,558**	**8,200**	**3,400**	**11,600**	**4,483**	**3,100**	**7,583**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	650	–	650	813	–	813	1,800	–	1,800
4. सहकारिता	383	–	383	501	–	501	1,001	–	1,001	154	–	154
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	555	–	555	800	–	800
7. ग्राम और लघु उद्योग	288	–	288	3	–	3	3	–	3	118	–	118
8. अन्य उद्योग और खनिज	1,251	259	1,510	–	3,100	3,100	5,125	3,100	8,225	1,307	3,100	4,407
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	601	–	601	304	–	304	704	300	1,004	304	–	304
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**353**	**353**	**–**	**990**	**990**	**–**	**990**	**990**	**–**	**907**	**907**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	185	185	–	702	702	–	702	702	–	707	707
ख) विविध	–	168	168	–	288	288	–	288	288	–	200	200
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**1,328**	**1,328**	**–**	**500**	**500**	**–**	**500**	**500**	**–**	**500**	**500**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**108,869**	**108,869**	**–**	**106,163**	**106,163**	**–**	**106,163**	**106,163**	**–**	**116,779**	**116,779**
1. राज्य भविष्य निधि	–	56,690	56,690	–	58,192	58,192	–	58,192	58,192	–	64,011	64,011
2. अन्य	–	52,180	52,180	–	47,971	47,971	–	47,971	47,971	–	52,768	52,768
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**46,810**	**46,810**	**–**	**89,961**	**89,961**	**–**	**89,961**	**89,961**	**–**	**89,961**	**89,961**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	4,708	4,708	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	42,097	42,097	–	89,961	89,961	–	89,961	89,961	–	89,961	89,961
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**1,726,784**	**1,726,784**	**–**	**621,320**	**621,320**	**–**	**621,320**	**621,320**	**–**	**621,320**	**621,320**
1. सिविल जमा	–	261,603	261,603	–	91,358	91,358	–	91,358	91,358	–	91,358	91,358
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	795,914	795,914	–	451,416	451,416	–	451,416	451,416	–	451,416	451,416
3. सिविल अग्रिम	–	3,832	3,832	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	665,435	665,435	–	78,546	78,546	–	78,546	78,546	–	78,546	78,546
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**11,398,494**	**11,398,494**	**–**	**565,882**	**565,882**	**–**	**565,882**	**565,882**	**–**	**565,882**	**565,882**
1. उचंत	–	10,662	10,662	–	28,482	28,482	–	28,482	28,482	–	28,482	28,482
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	9,341,187	9,341,187	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	2,046,644	2,046,644	–	537,400	537,400	–	537,400	537,400	–	537,400	537,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**327,714**	**327,714**	**–**	**223,558**	**223,558**	**–**	**223,558**	**223,558**	**–**	**223,558**	**223,558**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-265,235**			**-502,772**			**-653,304**			**-156,693**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**415,151**			**162,666**			**298,148**			**152,745**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**149,916**			**-340,106**			**-355,156**			**-3,947**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**17,973**			**-2,306**			**-17,356**			**-3,947**
क) अथ शेष		5,216			9,637			23,188			5,832	
ख) इति शेष		23,188			7,331			5,832			1,885	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**131,944**			**-337,800**			**-337,800**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

केरल

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**122,424**	**5,471,961**	**5,594,385**	**223,466**	**5,320,345**	**5,543,812**	**227,563**	**5,635,513**	**5,863,076**	**228,413**	**5,762,571**	**5,990,984**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**122,424**	**111,047**	**233,471**	**223,466**	**180,390**	**403,856**	**227,563**	**149,003**	**376,566**	**228,413**	**201,677**	**430,090**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**88,276**	**1,983**	**90,259**	**130,985**	**977**	**131,962**	**145,017**	**4,903**	**149,920**	**152,232**	**3,961**	**156,193**
1. विकासात्मक (क + ख)	**84,362**	**1,963**	**86,325**	**129,402**	**876**	**130,279**	**140,328**	**4,338**	**144,666**	**150,077**	**3,951**	**154,028**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**10,470**	**1,156**	**11,626**	**8,541**	**-3**	**8,538**	**9,599**	**2,142**	**11,741**	**23,904**	**2,735**	**26,639**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,472	1,156	3,628	687	–	687	–	2,142	2,142	–	2,735	2,735
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,986	–	2,986	2,185	–	2,185	3,924	–	3,924	3,460	–	3,460
3. परिवार कल्याण	23	–	23	–	–	–	20	–	20	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,500	–	1,500	500	–	500	500	–	500	3,000	–	3,000
5. आवास निर्माण	304	–	304	700	-3	697	861	–	861	11,464	–	11,464
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2,942	–	2,942	4,330	–	4,330	4,168	–	4,168	5,560	–	5,560
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	174	–	174	104	–	104	91	–	91	280	–	280
9. अन्य*	70	–	70	35	–	35	35	–	35	140	–	140
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**73,892**	**807**	**74,699**	**120,862**	**879**	**121,741**	**130,729**	**2,196**	**132,925**	**126,173**	**1,216**	**127,389**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	5,362	805	6,168	13,931	847	14,779	10,225	2,164	12,389	11,167	1,185	12,352
i) फसल कार्य	125	12	137	1,130	30	1,160	928	30	958	575	31	606
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,587	–	1,587	1,108	–	1,108	1,108	–	1,108	1,200	–	1,200
iii) पशु पालन	524	–	524	1,565	–	1,565	1,002	–	1,002	620	–	620
iv) डेरी विकास	-46	–	-46	–	250	250	170	–	170	–	–	–
v) मत्स्य पालन	2,401	–	2,401	2,404	–	2,404	2,693	2	2,695	2,697	–	2,697
vi) वानिकी और वन्य जीवन	457	–	457	1,950	–	1,950	1,135	–	1,135	1,600	–	1,600
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	297	793	1,090	525	567	1,092	515	2,132	2,647	750	1,154	1,904
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	17	–	17	2,650	–	2,650	2,174	–	2,174	3,225	–	3,225
xi) अन्य@	–	–	–	2,600	–	2,600	500	–	500	500	–	500
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	13,777	–	13,777	17,743	–	17,743	21,118	–	21,118	21,802	–	21,802
5. ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	6,539	–	6,539	1,517	–	1,517	14,209	–	14,209	7,537	–	7,537
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,027	–	1,027	162	–	162	372	–	372	3,487	–	3,487
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	100	–	100	–	–	–
iv) अन्य #	5,512	–	5,512	1,355	–	1,355	13,737	–	13,737	4,050	–	4,050
7. परिवहन (i + ii)	44,757	–	44,757	85,125	30	85,155	82,970	30	83,000	82,406	30	82,436
i) सड़क और पुल	39,211	–	39,211	67,307	–	67,307	78,621	–	78,621	63,318	–	63,318
ii) अन्य**	5,546	–	5,546	17,818	30	17,848	4,349	30	4,379	19,088	30	19,118
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

केरल

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	700	–	700	700	–	700	725	–	725
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	3,456	2	3,458	1,845	2	1,847	1,509	2	1,511	2,536	1	2,537
i) पर्यटन	3,263	–	3,263	1,335	–	1,335	998	–	998	2,526	–	2,526
ii) अन्य@@	193	2	195	510	2	512	511	2	513	10	1	11
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**3,914**	**20**	**3,934**	**1,583**	**100**	**1,683**	**4,689**	**565**	**5,254**	**2,155**	**10**	**2,165**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**727,896**	**727,896**	**–**	**903,977**	**903,977**	**–**	**969,759**	**969,759**	**–**	**987,301**	**987,301**
1. बाजार से ऋण	–	38,238	38,238	–	66,323	66,323	–	66,353	66,353	–	73,449	73,449
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	16,041	16,041	–	19,000	19,000	–	19,000	19,000	–	22,000	22,000
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	2,664	2,664	–	3,802	3,802	–	3,802	3,802	–	6,319	6,319
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	6,932	6,932	–	5,000	5,000	–	6,453	6,453	–	7,000	7,000
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	644,687	644,687	–	788,000	788,000	–	852,300	852,300	–	852,500	852,500
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	5,058	5,058	–	7,371	7,371	–	7,371	7,371	–	11,533	11,533
8. अन्य	–	14,277	14,277	–	14,481	14,481	–	14,481	14,481	–	14,501	14,501
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	11,585	11,585	–	11,585	11,585	–	11,585	11,585	–	11,585	11,585
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**25,064**	**25,064**	**–**	**62,510**	**62,510**	**–**	**25,560**	**25,560**	**–**	**61,886**	**61,886**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	24,287	24,287	–	26,728	26,728	–	24,774	24,774	–	26,103	26,103
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	107	107	–	107	107	–	107	107	–	107	107
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	421	421	–	424	424	–	426	426	–	425	425
4. योजनेतर (i से ii)	–	249	249	–	249	249	–	251	251	–	249	249
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	249	249	–	249	249	–	251	251	–	249	249
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	35,000	35,000	–	–	–	–	35,000	35,000
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–	2	2
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**34,148**	**790**	**34,938**	**92,481**	**927**	**93,408**	**82,546**	**1,081**	**83,626**	**76,181**	**1,029**	**77,210**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**34,148**	**169**	**34,317**	**92,481**	**210**	**92,691**	**82,546**	**384**	**82,930**	**76,181**	**227**	**76,408**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**16,275**	**149**	**16,423**	**80,829**	**189**	**81,018**	**60,829**	**189**	**61,018**	**62,620**	**206**	**62,826**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	702	–	702	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	14,934	–	14,934	80,000	–	80,000	60,000	–	60,000	62,000	–	62,000
5. आवास निर्माण	350	141	491	550	155	705	550	155	705	450	160	610
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	25	25	–	25	25	–	30	30
7. अन्य	289	8	297	279	9	288	279	9	288	170	16	186
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**17,873**	**21**	**17,894**	**11,652**	**21**	**11,673**	**21,717**	**195**	**21,911**	**13,561**	**21**	**13,582**
1. फसल कार्य	80	21	101	–	21	21	–	195	195	–	21	21
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	21	–	21	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000	800	–	800
4. सहकारिता	650	–	650	1,465	–	1,465	1,325	–	1,325	1,495	–	1,495
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

केरल

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	180	–	180	6,600	–	6,600	5,900	–	5,900	6,950	–	6,950
7. ग्राम और लघु उद्योग	1,876	–	1,876	137	–	137	1,527	–	1,527	1,417	–	1,417
8. अन्य उद्योग और खनिज	8,349	–	8,349	950	–	950	8,265	–	8,265	1,400	–	1,400
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	6,718	–	6,718	1,500	–	1,500	3,700	–	3,700	1,499	–	1,499
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**621**	**621**	**–**	**717**	**717**	**–**	**697**	**697**	**–**	**802**	**802**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	621	621	–	717	717	–	697	697	–	802	802
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**100**	**100**	**–**	**–**	**–**	**–**	**100**	**100**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**820,365**	**820,365**	**–**	**978,101**	**978,101**	**–**	**978,428**	**978,428**	**–**	**1,039,161**	**1,039,161**
1. राज्य भविष्य निधि	–	138,545	138,545	–	198,252	198,252	–	165,609	165,609	–	201,407	201,407
2. अन्य	–	681,820	681,820	–	779,849	779,849	–	812,819	812,819	–	837,755	837,755
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**16,418**	**16,418**	**–**	**29,759**	**29,759**	**–**	**41,718**	**41,718**	**–**	**35,238**	**35,238**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	5,195	5,195	–	18,828	18,828	–	18,828	18,828	–	24,887	24,887
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	11,224	11,224	–	10,931	10,931	–	22,890	22,890	–	10,352	10,352
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**308,129**	**308,129**	**–**	**475,607**	**475,607**	**–**	**483,848**	**483,848**	**–**	**503,817**	**503,817**
1. सिविल जमा	–	110,654	110,654	–	141,572	141,572	–	146,702	146,702	–	152,711	152,711
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	192,368	192,368	–	329,190	329,190	–	331,309	331,309	–	345,776	345,776
3. सिविल अग्रिम	–	163	163	–	77	77	–	68	68	–	68	68
4. अन्य	–	4,944	4,944	–	4,769	4,769	–	5,769	5,769	–	5,261	5,261
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**2,965,066**	**2,965,066**	**–**	**2,247,595**	**2,247,595**	**–**	**2,469,319**	**2,469,319**	**–**	**2,469,168**	**2,469,168**
1. उचंत	–	486,395	486,395	–	466,267	466,267	–	467,819	467,819	–	467,668	467,668
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	567,652	567,652	–	30,005	30,005	–	25,005	25,005	–	25,005	25,005
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,911,019	1,911,019	–	1,751,324	1,751,324	–	1,976,495	1,976,495	–	1,976,495	1,976,495
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**606,249**	**606,249**	**–**	**620,793**	**620,793**	**–**	**660,898**	**660,898**	**–**	**660,910**	**660,910**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**346,346**			**511,272**			**376,360**			**356,189**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-263,794**			**-525,116**			**-464,431**			**-336,705**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**82,551**			**-13,844**			**-88,071**			**19,484**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**14,552**			**-13,844**			**-88,071**			**19,484**
क) अथ शेष		5,585			-42,025			20,137			-67,934	
ख) इति शेष		20,137			-55,869			-67,934			-48,450	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**68,000**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**511,965**	**9,643,304**	**10,155,269**	**624,192**	**3,438,892**	**4,063,084**	**715,244**	**13,427,399**	**14,142,643**	**703,338**	**4,039,346**	**4,742,684**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**511,965**	**273,466**	**785,431**	**624,192**	**214,446**	**838,638**	**715,244**	**243,207**	**958,451**	**703,338**	**268,115**	**971,452**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**485,597**	**31,397**	**516,994**	**568,446**	**19,700**	**588,146**	**658,039**	**20,128**	**678,167**	**590,048**	**19,944**	**609,992**
1. विकासात्मक (क + ख)	**479,418**	**30,508**	**509,927**	**564,077**	**16,700**	**580,776**	**648,097**	**17,128**	**665,225**	**583,033**	**16,944**	**599,977**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**71,983**	**261**	**72,244**	**89,246**	**684**	**89,930**	**117,026**	**612**	**117,638**	**124,287**	**499**	**124,786**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,787	–	6,787	7,040	–	7,040	13,134	–	13,134	17,925	–	17,925
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,369	66	13,435	17,430	369	17,798	14,730	297	15,027	17,783	294	18,077
3. परिवार कल्याण	74	–	74	337	–	337	337	–	337	400	–	400
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	30,125	–	30,125	37,725	–	37,725	61,073	–	61,073	46,485	–	46,485
5. आवास निर्माण	256	–	256	471	–	471	471	–	471	3,485	5	3,490
6. शहरी विकास	4,149	–	4,149	5,058	–	5,058	5,611	–	5,611	5,587	–	5,587
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	16,543	–	16,543	18,668	–	18,668	19,064	–	19,064	28,519	–	28,519
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	606	195	801	1,607	315	1,922	1,607	315	1,922	3,434	200	3,634
9. अन्य*	73	–	73	910	–	910	1,000	–	1,000	669	–	669
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**407,435**	**30,247**	**437,683**	**474,830**	**16,016**	**490,846**	**531,070**	**16,516**	**547,586**	**458,747**	**16,445**	**475,192**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	4,282	456	4,738	4,984	–	4,984	6,202	–	6,202	4,740	-60	4,680
i) फसल कार्य	131	–	131	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,094	–	1,094	1,265	–	1,265	478	–	478	–	–	–
iii) पशु पालन	–	–	–	44	–	44	859	–	859	90	–	90
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	549	–	549	73	–	73	73	–	73	275	–	275
vi) वानिकी और वन्य जीवन	471	–	471	751	–	751	1,301	–	1,301	2,763	–	2,763
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	114	456	569	–	–	–	–	–	–	203	-60	143
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	1,923	–	1,923	2,851	–	2,851	3,490	–	3,490	1,410	–	1,410
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	37,974	–	37,974	50,779	–	50,779	48,979	–	48,979	51,355	–	51,355
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	139,038	–	139,038	176,709	–	176,709	200,940	–	200,940	181,557	–	181,557
5. ऊर्जा	78,781	29,782	108,563	68,857	16,000	84,857	65,974	16,000	81,974	44,893	16,000	60,893
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	20,806	9	20,815	1,703	11	1,714	12,023	511	12,534	1,416	500	1,916
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,799	9	1,808	1,006	11	1,017	2,306	11	2,317	806	–	806
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	5	–	5	9	–	9	9	–	9	10	–	10
iv) अन्य #	19,002	–	19,002	689	–	689	9,709	500	10,209	600	500	1,100
7. परिवहन (i + ii)	121,797	–	121,797	164,822	–	164,822	189,777	–	189,777	167,410	–	167,410
i) सड़क और पुल	117,118	–	117,118	160,772	–	160,772	185,727	–	185,727	165,650	–	165,650
ii) अन्य**	4,679	–	4,679	4,050	–	4,050	4,050	–	4,050	1,760	–	1,760
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	200	–	200	500	–	500
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	4,757	1	4,758	6,975	5	6,980	6,975	5	6,980	6,876	5	6,881
i) पर्यटन	4,757	–	4,757	6,975	–	6,975	6,975	–	6,975	6,876	–	6,876
ii) अन्य@@	–	1	1	–	5	5	–	5	5	–	5	5
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**6,179**	**888**	**7,067**	**4,369**	**3,000**	**7,369**	**9,942**	**3,000**	**12,942**	**7,015**	**3,000**	**10,015**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**98,887**	**98,887**	**–**	**323,932**	**323,932**	**–**	**175,057**	**175,057**	**–**	**339,111**	**339,111**
1. बाजार से ऋण	–	35,684	35,684	–	51,084	51,084	–	51,084	51,084	–	50,859	50,859
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	390	390	–	347	347	–	350	350	–	1,135	1,135
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	22	22	–	22	22	–	23	23	–	24	24
4. नाबार्ड से ऋण	–	9,547	9,547	–	11,835	11,835	–	11,918	11,918	–	18,272	18,272
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	1,571	1,571	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	200,000	200,000	–	50,000	50,000	–	200,000	200,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	7,618	7,618	–	11,726	11,726	–	11,726	11,726	–	19,472	19,472
8. अन्य	–	44,054	44,054	–	46,918	46,918	–	47,956	47,956	–	47,349	47,349
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	40,787	40,787	–	36,071	36,071	–	36,071	36,071	–	36,071	36,071
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**74,266**	**74,266**	**–**	**44,216**	**44,216**	**–**	**43,675**	**43,675**	**–**	**44,545**	**44,545**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	72,657	72,657	–	42,653	42,653	–	42,127	42,127	–	43,102	43,102
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	277	277	–	276	276	–	276	276	–	275	275
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	916	916	–	873	873	–	858	858	–	757	757
4. योजनेतर (i से ii)	–	417	417	–	414	414	–	414	414	–	412	412
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	417	417	–	414	414	–	414	414	–	412	412
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**26,368**	**68,939**	**95,307**	**55,746**	**26,621**	**82,367**	**57,205**	**54,370**	**111,575**	**113,289**	**64,538**	**177,827**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**26,368**	**68,937**	**95,305**	**55,746**	**26,550**	**82,296**	**57,205**	**54,300**	**111,505**	**113,289**	**64,468**	**177,757**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**5,134**	**19,511**	**24,645**	**25,659**	**26,050**	**51,709**	**34,532**	**19,450**	**53,982**	**36,982**	**34,268**	**71,250**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	60	–	60	–	–	–	–	400	400	–	400	400
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	913	–	913	5,279	–	5,279	5,279	–	5,279	5,584	–	5,584
5. आवास निर्माण	278	–	278	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	1	1	–	120	120	–	120	120	–	118	118
7. अन्य	3,884	19,510	23,394	20,380	25,930	46,310	29,253	18,930	48,183	31,398	33,750	65,148
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**21,234**	**49,426**	**70,660**	**30,087**	**500**	**30,587**	**22,673**	**34,850**	**57,523**	**76,307**	**30,200**	**106,507**
1. फसल कार्य	5	26	31	–	500	500	–	250	250	–	200	200
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	1,273	–	1,273	1,883	–	1,883	6,338	–	6,338	600	–	600
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	16,068	49,400	65,468	28,200	–	28,200	16,331	34,600	50,931	73,703	30,000	103,703
7. ग्राम और लघु उद्योग	46	–	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	300	–	300	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	3,541	–	3,541	4	–	4	4	–	4	2,004	–	2,004
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**2**	**2**	**–**	**71**	**71**	**–**	**70**	**70**	**–**	**70**	**70**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	2	2	–	71	71	–	70	70	–	70	70
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**133**	**133**	**–**	**1**	**1**	**–**	**155**	**155**	**–**	**13**	**13**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**10,000**	**10,000**	**–**	**10,000**	**10,000**	**–**	**10,000**	**10,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**126,144**	**126,144**	**–**	**133,173**	**133,173**	**–**	**126,486**	**126,486**	**–**	**135,877**	**135,877**
1. राज्य भविष्य निधि	–	114,158	114,158	–	120,000	120,000	–	119,774	119,774	–	128,506	128,506
2. अन्य	–	11,986	11,986	–	13,173	13,173	–	6,712	6,712	–	7,371	7,371
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**50,098**	**50,098**	**–**	**82,643**	**82,643**	**–**	**93,131**	**93,131**	**–**	**71,340**	**71,340**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	100	100	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	50,098	50,098	–	82,507	82,507	–	93,131	93,131	–	71,340	71,340
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**365,376**	**365,376**	**–**	**526,608**	**526,608**	**–**	**681,050**	**681,050**	**–**	**599,352**	**599,352**
1. सिविल जमा	–	188,039	188,039	–	250,000	250,000	–	235,567	235,567	–	256,825	256,825
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	12,784	12,784	–	1,000	1,000	–	17,494	17,494	–	26,750	26,750
3. सिविल अग्रिम	–	19,903	19,903	–	30,000	30,000	–	18,000	18,000	–	20,000	20,000
4. अन्य	–	144,651	144,651	–	245,608	245,608	–	409,988	409,988	–	295,776	295,776
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**8,164,738**	**8,164,738**	**–**	**1,716,500**	**1,716,500**	**–**	**11,896,403**	**11,896,403**	**–**	**2,667,744**	**2,667,744**
1. उचंत	–	-5,039	-5,039	–	15,000	15,000	–	15,000	15,000	–	14,881	14,881
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	6,273,985	6,273,985	–	500,000	500,000	–	9,822,500	9,822,500	–	510,000	510,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,895,792	1,895,792	–	1,201,500	1,201,500	–	2,058,903	2,058,903	–	2,142,863	2,142,863
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**6,000**	**6,000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**657,326**	**657,326**	**–**	**555,500**	**555,500**	**–**	**326,944**	**326,944**	**–**	**86,882**	**86,882**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-185,241**			**-188,860**			**-313,650**			**-271,931**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**333,169**			**200,673**			**335,637**			**283,978**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**147,928**			**11,814**			**21,987**			**12,046**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-37,584**			**11,814**			**21,987**			**2,046**
क) अथ शेष			4,408			-35,477			-33,176			-11,189
ख) इति शेष		-33,176			-23,663			-11,189			-9,143	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**185,512**			**–**			**–**			**10,000**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**893,028**	**10,056,568**	**10,949,596**	**931,788**	**9,537,923**	**10,469,711**	**1,055,765**	**14,206,242**	**15,262,007**	**1,165,527**	**9,295,345**	**10,460,872**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**893,028**	**552,545**	**1,445,573**	**931,788**	**553,130**	**1,484,917**	**1,055,765**	**549,273**	**1,605,038**	**1,165,527**	**596,118**	**1,761,645**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**798,315**	**210,904**	**1,009,218**	**865,509**	**203,502**	**1,069,012**	**988,588**	**197,619**	**1,186,207**	**1,125,374**	**223,906**	**1,349,280**
1. विकासात्मक (क + ख)	**782,166**	**202,789**	**984,955**	**843,940**	**193,919**	**1,037,859**	**962,217**	**187,921**	**1,150,138**	**1,093,848**	**214,137**	**1,307,985**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**87,429**	**-214**	**87,215**	**76,872**	**108**	**76,980**	**86,958**	**108**	**87,066**	**129,069**	**32,201**	**161,270**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,246	–	11,246	7,729	–	7,729	15,485	–	15,485	20,922	–	20,922
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,623	–	7,623	9,361	–	9,361	9,607	–	9,607	13,885	–	13,885
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	100	–	100	300	–	300	1,200	–	1,200	1,000	32,093	33,093
5. आवास निर्माण	967	–	967	3,527	–	3,527	2,822	–	2,822	4,084	–	4,084
6. शहरी विकास	1,848	1	1,849	3,700	2	3,702	3,700	2	3,702	4,094	2	4,096
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	59,337	–	59,337	46,030	–	46,030	46,533	–	46,533	76,632	–	76,632
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	435	-215	220	243	106	349	243	106	349	218	106	323
9. अन्य*	5,873	–	5,873	5,983	–	5,983	7,368	–	7,368	8,235	–	8,235
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**694,737**	**203,004**	**897,740**	**767,068**	**193,811**	**960,879**	**875,259**	**187,813**	**1,063,072**	**964,779**	**181,936**	**1,146,715**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	61,573	15,676	77,249	60,845	23,836	84,680	89,264	34,685	123,949	71,530	21,174	92,704
i) फसल कार्य	–	-49	-49	–	–	–	12,820	–	12,820	–	–	–
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	35,673	2,788	38,460	34,520	5,352	39,872	45,358	5,363	50,721	43,842	2,735	46,577
iii) पशु पालन	53	–	53	378	–	378	389	–	389	357	–	357
iv) डेरी विकास	27	–	27	222	–	222	241	–	241	1	–	1
v) मत्स्य पालन	1,715	–	1,715	2,831	–	2,831	2,202	–	2,202	5,072	–	5,072
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,498	174	1,673	1,684	170	1,853	2,047	170	2,216	2,096	175	2,271
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	12,763	12,763	807	18,314	19,120	806	29,152	29,959	752	18,264	19,017
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	85	–	85	94	–	94	94	–	94	76	–	76
x) सहकारिता	22,522	–	22,522	20,310	–	20,310	25,307	–	25,307	19,334	–	19,334
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	47,615	–	47,615	113,020	–	113,020	48,198	–	48,198	143,508	–	143,508
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,142	–	4,142	4,525	–	4,525	4,525	–	4,525	5,430	–	5,430
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	4,142	–	4,142	4,525	–	4,525	4,525	–	4,525	5,430	–	5,430
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	367,534	164,763	532,297	337,662	141,769	479,431	512,067	136,712	648,779	533,376	133,388	666,765
5. ऊर्जा	80,037	–	80,037	133,550	–	133,550	81,910	–	81,910	68,279	–	68,279
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,144	–	1,144	3,395	–	3,395	3,925	–	3,925	3,103	–	3,103
i) ग्राम और लघु उद्योग	845	–	845	3,395	–	3,395	3,925	–	3,925	3,103	–	3,103
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	299	–	299	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन (i + ii)	132,665	14,876	147,542	113,956	18,480	132,436	135,360	6,689	142,049	139,577	7,358	146,935
i) सड़क और पुल	132,665	–	132,665	113,956	–	113,956	135,360	–	135,360	139,577	–	139,577
ii) अन्य**	–	14,876	14,876	–	18,480	18,480	–	6,689	6,689	–	7,358	7,358
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	9	–	9	10	–	10	6	–	6	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	17	7,688	7,706	106	9,726	9,832	5	9,726	9,732	-25	20,016	19,991
i) पर्यटन	–	–	–	100	–	100	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य@@	17	7,688	7,706	6	9,726	9,732	5	9,726	9,732	-25	20,016	19,991
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**16,149**	**8,114**	**24,263**	**21,569**	**9,584**	**31,153**	**26,371**	**9,699**	**36,069**	**31,526**	**9,770**	**41,296**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**430,398**	**430,398**	**–**	**522,998**	**522,998**	**–**	**418,570**	**418,570**	**–**	**572,012**	**572,012**
1. बाजार से ऋण	–	56,952	56,952	–	77,685	77,685	–	77,685	77,685	–	79,628	79,628
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	19,484	19,484	–	25,034	25,034	–	25,034	25,034	–	25,021	25,021
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	2,252	2,252	–	6,408	6,408	–	10,889	10,889	–	13,646	13,646
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	13,947	13,947	–	12,592	12,592	–	9,736	9,736	–	12,900	12,900
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	266,483	266,483	–	300,000	300,000	–	195,363	195,363	–	300,000	300,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	43,895	43,895	–	71,253	71,253	–	71,253	71,253	–	110,978	110,978
8. अन्य	–	27,385	27,385	–	30,025	30,025	–	28,609	28,609	–	29,839	29,839
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	3	3	–	5	5	–	5	5	–	5	5
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**40,277**	**40,277**	**–**	**41,653**	**41,653**	**–**	**41,268**	**41,268**	**–**	**42,554**	**42,554**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	38,466	38,466	–	39,716	39,716	–	39,310	39,310	–	40,560	40,560
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	83	83	–	83	83	–	83	83	–	83	83
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	1,040	1,040	–	1,201	1,201	–	1,197	1,197	–	1,235	1,235
4. योजनेतर (i से ii)	–	688	688	–	653	653	–	677	677	–	675	675
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	688	688	–	653	653	–	677	677	–	675	675
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**94,713**	**137,449**	**232,162**	**66,278**	**84,977**	**151,256**	**67,178**	**87,179**	**154,357**	**40,152**	**57,646**	**97,798**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**94,713**	**116,155**	**210,869**	**66,278**	**79,010**	**145,289**	**67,178**	**81,619**	**148,796**	**40,152**	**51,506**	**91,658**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**13,751**	**43,229**	**56,981**	**45,645**	**50,381**	**96,026**	**45,026**	**49,702**	**94,728**	**8,943**	**27,936**	**36,880**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	15	15	–	–	–	–	50	50	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	58	–	58	62	–	62	62	–	62	71	–	71
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	951	951	–	808	808	–	808	808	–	723	723
5. आवास निर्माण	–	23,694	23,694	–	25,738	25,738	–	25,738	25,738	–	1,776	1,776
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	18,535	18,535	–	23,805	23,805	–	23,082	23,082	–	25,408	25,408
7. अन्य	13,694	35	13,728	45,583	30	45,613	44,964	25	44,989	8,872	30	8,902
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**80,962**	**72,926**	**153,888**	**20,633**	**28,630**	**49,263**	**22,152**	**31,916**	**54,068**	**31,209**	**23,569**	**54,778**
1. फसल कार्य	–	870	870	–	5	5	–	457	457	–	5	5
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	69,430	62,841	132,271	4,392	16,176	20,568	5,288	13,087	18,374	4,190	11,000	15,190
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	311	–	311	311	–	311	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	7,007	7,516	14,523	8,736	12,449	21,185	8,658	12,474	21,132	17,442	12,449	29,891
7. ग्राम और लघु उद्योग	1,899	–	1,899	5,440	–	5,440	6,181	–	6,181	5,255	–	5,255
8. अन्य उद्योग और खनिज	814	1,698	2,512	–	–	–	–	5,529	5,529	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	33	–	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	1,780	–	1,780	1,753	–	1,753	1,715	369	2,084	4,323	115	4,438
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**21,294**	**21,294**	**–**	**5,967**	**5,967**	**–**	**5,561**	**5,561**	**–**	**6,141**	**6,141**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	4,069	4,069	–	5,967	5,967	–	5,561	5,561	–	6,141	6,141
ख) विविध	–	17,225	17,225	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**190,536**	**190,536**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**125,456**	**125,456**	**–**	**146,223**	**146,223**	**–**	**139,892**	**139,892**	**–**	**152,423**	**152,423**
1. राज्य भविष्य निधि	–	117,163	117,163	–	131,801	131,801	–	124,699	124,699	–	130,934	130,934
2. अन्य	–	8,293	8,293	–	14,423	14,423	–	15,193	15,193	–	21,489	21,489
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**434,241**	**434,241**	**–**	**400,254**	**400,254**	**–**	**1,273,620**	**1,273,620**	**–**	**173,695**	**173,695**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	4	4	–	1,472	1,472	–	–	–
2. शोधन निधि	–	69,806	69,806	–	56,100	56,100	–	56,100	56,100	–	59,900	59,900
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	1,272	1,272	–	–	–
4. अन्य	–	364,434	364,434	–	344,149	344,149	–	1,214,777	1,214,777	–	113,795	113,795
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**718,444**	**718,444**	**–**	**781,611**	**781,611**	**–**	**830,165**	**830,165**	**–**	**755,168**	**755,168**
1. सिविल जमा	–	678,457	678,457	–	686,155	686,155	–	780,344	780,344	–	678,747	678,747
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	7	7	–	200	200	–	–	–	–	51	51
3. सिविल अग्रिम	–	21,572	21,572	–	37,522	37,522	–	20,882	20,882	–	33,286	33,286
4. अन्य	–	18,409	18,409	–	57,734	57,734	–	28,939	28,939	–	43,083	43,083
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**6,375,031**	**6,375,031**	**–**	**6,160,490**	**6,160,490**	**–**	**10,005,977**	**10,005,977**	**–**	**6,088,920**	**6,088,920**
1. उचंत	–	2,434	2,434	–	11,190	11,190	–	1,242	1,242	–	1,320	1,320
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	6,350,126	6,350,126	–	6,000,000	6,000,000	–	6,000,000	6,000,000	–	6,000,000	6,000,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	22,471	22,471	–	149,300	149,300	–	4,004,735	4,004,735	–	87,600	87,600
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**-80,000**	**-80,000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**1,473,832**	**1,473,832**	**–**	**1,196,215**	**1,196,215**	**–**	**1,211,952**	**1,211,952**	**–**	**1,229,021**	**1,229,021**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**62,981**			**239,546**			**-1,065,012**			**67,384**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**81,010**			**51,067**			**275,992**			**96,469**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**143,991**			**290,613**			**-789,020**			**163,854**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-1,241**			**290,613**			**-789,019**			**163,854**
क) अथ शेष		147			-88,886			-1,094			297,042	
ख) इति शेष		-1,094			201,727			-790,113			460,896	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**145,232**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**91,611**	**888,373**	**979,984**	**50,644**	**522,231**	**572,875**	**126,487**	**178,972**	**305,460**	**128,458**	**178,479**	**306,937**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**91,611**	**29,501**	**121,112**	**50,644**	**30,106**	**80,750**	**126,487**	**31,741**	**158,229**	**128,458**	**31,705**	**160,163**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**86,455**	**242**	**86,697**	**49,759**	**4**	**49,763**	**125,743**	**4**	**125,747**	**127,714**	**4**	**127,718**
1. विकासात्मक (क + ख)	**73,310**	**242**	**73,552**	**48,640**	**4**	**48,644**	**114,902**	**4**	**114,906**	**121,890**	**4**	**121,894**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**27,047**	**3**	**27,050**	**13,019**	**1**	**13,020**	**41,464**	**1**	**41,465**	**43,341**	**1**	**43,342**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,734	–	4,734	1,776	–	1,776	12,163	–	12,163	13,071	–	13,071
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,920	–	2,920	529	–	529	6,463	–	6,463	5,533	–	5,533
3. परिवार कल्याण	-34	–	-34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,906	–	13,906	8,652	–	8,652	16,370	–	16,370	12,196	–	12,196
5. आवास निर्माण	1,757	3	1,760	818	1	819	600	1	601	4,650	1	4,651
6. शहरी विकास	3,085	–	3,085	1,116	–	1,116	3,431	–	3,431	4,984	–	4,984
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	123	–	123	61	–	61	443	–	443	966	–	966
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12	–	12	–	–	–	1,769	–	1,769	1,769	–	1,769
9. अन्य*	544	–	544	67	–	67	225	–	225	172	–	172
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**46,263**	**238**	**46,502**	**35,622**	**3**	**35,625**	**73,438**	**3**	**73,441**	**78,549**	**3**	**78,552**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	145	238	384	200	–	200	799	–	799	3,555	–	3,555
i) फसल कार्य	–	-1	-1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,500	–	2,500
iii) पशु पालन	23	–	23	10	–	10	267	–	267	154	–	154
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	42	–	42	29	–	29	–	–	–	–	–	–
vi) वानिकी और वन्य जीवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	2	239	241	2	–	2	402	–	402	603	–	603
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	–	35
x) सहकारिता	78	–	78	159	–	159	130	–	130	143	–	143
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120	–	120
2. ग्रामीण विकास	14	–	14	15	–	15	15	–	15	21	–	21
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,827	–	1,827	960	–	960	3,525	–	3,525	1,090	–	1,090
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	25,816	–	25,816	20,023	–	20,023	22,736	–	22,736	29,551	–	29,551
5. ऊर्जा	6,138	–	6,138	5,660	–	5,660	13,926	–	13,926	14,719	–	14,719
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	3,289	–	3,289	6,251	–	6,251	6,252	–	6,252	6,726	–	6,726
i) ग्राम और लघु उद्योग	3,269	–	3,269	6,215	–	6,215	6,216	–	6,216	6,293	–	6,293
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	15	–	15	36	–	36	36	–	36	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	6	–	6	–	–	–	–	–	–	433	–	433
7. परिवहन (i + ii)	8,310	–	8,310	2,103	3	2,106	24,777	3	24,780	21,424	3	21,427
i) सड़क और पुल	8,278	–	8,278	2,003	3	2,006	23,298	3	23,301	20,596	3	20,599
ii) अन्य**	31	–	31	100	–	100	1,478	–	1,478	828	–	828
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	1,000	–	1,000	1,350	–	1,350
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	724	–	724	409	–	409	407	–	407	112	–	112
i) पर्यटन	724	–	724	409	–	409	407	–	407	112	–	112
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**13,145**	**–**	**13,145**	**1,119**	**–**	**1,119**	**10,842**	**–**	**10,842**	**5,824**	**–**	**5,824**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**4,238**	**4,238**	**–**	**5,193**	**5,193**	**–**	**6,722**	**6,722**	**–**	**7,048**	**7,048**
1. बाजार से ऋण	–	3,174	3,174	–	3,718	3,718	–	5,289	5,289	–	5,476	5,476
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	300	300	–	300	300	–	302	302
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	268	268	–	267	267	–	265	265	–	265	265
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां		216	216		309	309		309	309		360	360
8. अन्य	–	557	557	–	600	600	–	559	559	–	645	645
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**24,492**	**24,492**	**–**	**24,428**	**24,428**	**–**	**24,485**	**24,485**	**–**	**24,473**	**24,473**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	232	232	–	195	195	–	233	233	–	233	233
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	28	28	–	27	27	–	28	28	–	28	28
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	94	94	–	71	71	–	85	85	–	79	79
4. योजनेतर (i से ii)	–	24,098	24,098	–	24,097	24,097	–	24,097	24,097	–	24,095	24,095
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	24,098	24,098	–	24,097	24,097	–	24,097	24,097	–	24,095	24,095
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	40	40	–	38	38	–	43	43	–	39	39
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**5,156**	**529**	**5,685**	**885**	**480**	**1,365**	**744**	**530**	**1,274**	**744**	**180**	**924**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**5,156**	**61**	**5,217**	**885**	**125**	**1,010**	**744**	**105**	**849**	**744**	**105**	**849**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**5,000**	**61**	**5,061**	**–**	**125**	**125**	**24**	**105**	**129**	**24**	**105**	**129**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	24	–	24	24	–	24
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	61	61	–	125	125	–	105	105	–	105	105
7. अन्य	5,000	–	5,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**156**	**–**	**156**	**885**	**–**	**885**	**720**	**–**	**720**	**720**	**–**	**720**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	137	–	137	620	–	620	620	–	620	670	–	670
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	19	–	19	265	–	265	100	–	100	50	–	50
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**468**	**468**	**–**	**355**	**355**	**–**	**425**	**425**	**–**	**75**	**75**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	468	468	–	355	355	–	425	425	–	75	75
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**7,859**	**7,859**	**–**	**6,288**	**6,288**	**–**	**7,888**	**7,888**	**–**	**8,302**	**8,302**
1. राज्य भविष्य निधि	–	7,549	7,549	–	6,000	6,000	–	7,600	7,600	–	8,000	8,000
2. अन्य	–	310	310	–	288	288	–	288	288	–	302	302
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**803**	**803**	**–**	**589**	**589**	**–**	**589**	**589**	**–**	**1,972**	**1,972**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,266	1,266
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	803	803	–	589	589	–	589	589	–	706	706
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**18,767**	**18,767**	**–**	**12,401**	**12,401**	**–**	**15,500**	**15,500**	**–**	**12,500**	**12,500**
1. सिविल जमा	–	4,848	4,848	–	7,000	7,000	–	5,500	5,500	–	5,000	5,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	1,791	1,791	–	401	401	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	12,128	12,128	–	5,000	5,000	–	10,000	10,000	–	7,500	7,500
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**688,187**	**688,187**	**–**	**406,998**	**406,998**	**–**	**57,129**	**57,129**	**–**	**57,500**	**57,500**
1. उचंत	–	7,845	7,845	–	4,000	4,000	–	500	500	–	500	500
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	671,434	671,434	–	399,998	399,998	–	56,129	56,129	–	55,500	55,500
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	8,908	8,908	–	3,000	3,000	–	500	500	–	1,500	1,500
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**143,256**	**143,256**	**–**	**65,849**	**65,849**	**–**	**66,125**	**66,125**	**–**	**66,500**	**66,500**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-51,960**			**-31,558**			**-108,877**			**-103,339**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**44,809**			**40,402**			**115,606**			**114,581**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**-7,151**			**8,844**			**6,729**			**11,242**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-24,800**			**8,846**			**10,729**			**15,742**
क) अथ शेष		-13,978			-16,285			-31,075			-20,347	
ख) इति शेष		-38,778			-7,439			-20,346			-4,605	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**17,649**			**-2**			**-4,000**			**-4,500**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**31,482**	**746,788**	**778,270**	**60,622**	**1,197,170**	**1,257,792**	**60,621**	**1,035,055**	**1,095,676**	**65,773**	**1,156,099**	**1,221,872**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**31,482**	**9,779**	**41,261**	**60,622**	**10,901**	**71,523**	**60,621**	**10,901**	**71,521**	**65,773**	**13,502**	**79,275**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**31,253**	**783**	**32,037**	**57,786**	**–**	**57,786**	**57,785**	**–**	**57,785**	**61,132**	**–**	**61,132**
1. विकासात्मक (क + ख)	**29,974**	**429**	**30,403**	**53,995**	**–**	**53,995**	**53,993**	**–**	**53,993**	**57,546**	**–**	**57,546**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**12,250**	**429**	**12,680**	**21,147**	**–**	**21,147**	**21,146**	**–**	**21,146**	**20,211**	**–**	**20,211**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	202	–	202	700	–	700	700	–	700	138	–	138
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,801	–	1,801	3,149	–	3,149	3,149	–	3,149	2,052	–	2,052
3. परिवार कल्याण	5	–	5	120	–	120	120	–	120	50	–	50
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	9,229	–	9,229	14,935	–	14,935	14,935	–	14,935	14,634	–	14,634
5. आवास निर्माण	209	429	638	494	–	494	494	–	494	490	–	490
6. शहरी विकास	6	–	6	131	–	131	131	–	131	1,371	–	1,371
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	799	–	799	1,617	–	1,617	1,617	–	1,617	1,476	–	1,476
9. अन्य*	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**17,723**	**–**	**17,723**	**32,848**	**–**	**32,848**	**32,847**	**–**	**32,847**	**37,335**	**–**	**37,335**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	459	–	459	1,827	–	1,827	1,827	–	1,827	1,695	–	1,695
i) फसल कार्य	38	–	38	60	–	60	60	–	60	40	–	40
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	8	–	8	20	–	20	20	–	20	15	–	15
vi) वानिकी और वन्य जीवन	4	–	4	995	–	995	995	–	995	925	–	925
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40	–	40
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	391	–	391	712	–	712	712	–	712	645	–	645
xi) अन्य@	18	–	18	40	–	40	40	–	40	30	–	30
2. ग्रामीण विकास	6	–	6	50	–	50	50	–	50	74	–	74
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,664	–	4,664	3,045	–	3,045	3,045	–	3,045	12,625	–	12,625
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	561	–	561	2,180	–	2,180	2,180	–	2,180	1,773	–	1,773
5. ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,268	–	1,268	937	–	937	937	–	937	948	–	948
i) ग्राम और लघु उद्योग	748	–	748	710	–	710	710	–	710	47	–	47
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	25	–	25	25	–	25	1	–	1
iv) अन्य #	520	–	520	202	–	202	202	–	202	900	–	900
7. परिवहन (i + ii)	10,759	–	10,759	24,799	–	24,799	24,799	–	24,799	20,208	–	20,208
i) सड़क और पुल	10,444	–	10,444	24,374	–	24,374	24,374	–	24,374	19,768	–	19,768
ii) अन्य**	315	–	315	425	–	425	425	–	425	440	–	440
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	7	–	7	10	–	10	10	–	10	11	–	11
i) पर्यटन	7	–	7	10	–	10	10	–	10	11	–	11
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**1,280**	**354**	**1,634**	**3,791**	**–**	**3,791**	**3,791**	**–**	**3,791**	**3,586**	**–**	**3,586**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**5,686**	**5,686**	**–**	**12,444**	**12,444**	**–**	**12,444**	**12,444**	**–**	**15,071**	**15,071**
1. बाजार से ऋण	–	2,750	2,750	–	4,820	4,820	–	4,820	4,820	–	7,308	7,308
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	27	27	–	27	27	–	27	27	–	26	26
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	330	330	–	635	635	–	635	635	–	920	920
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	214	214	–	240	240	–	240	240	–	210	210
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	4,050	4,050	–	4,050	4,050	–	4,050	4,050
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	296	296	–	422	422	–	422	422	–	474	474
8. अन्य	–	2,069	2,069	–	2,250	2,250	–	2,250	2,250	–	2,083	2,083
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	140	140	–	140	140	–	140	140	–	140	140
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**2,942**	**2,942**	**–**	**2,107**	**2,107**	**–**	**2,106**	**2,106**	**–**	**1,881**	**1,881**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	2,663	2,663	–	1,816	1,816	–	1,816	1,816	–	1,665	1,665
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	2	2	–	2	2	–	2	2	–	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	83	83	–	101	101	–	101	101	–	107	107
4. योजनेतर (i से ii)	–	38	38	–	40	40	–	40	40	–	42	42
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	38	38	–	40	40	–	40	40	–	42	42
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	69	69	–	66	66	–	66	66	–	66	66
7. अन्य	–	86	86	–	82	82	–	81	81	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**228**	**368**	**596**	**2,836**	**400**	**3,236**	**2,836**	**400**	**3,236**	**4,641**	**600**	**5,241**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**228**	**98**	**326**	**2,836**	**50**	**2,886**	**2,836**	**50**	**2,886**	**4,641**	**50**	**4,691**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**98**	**98**	**–**	**50**	**50**	**–**	**50**	**50**	**–**	**50**	**50**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	98	98	–	40	40	–	40	40	–	40	40
7. अन्य	–	–	–	–	10	10	–	10	10	–	10	10
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**228**	**–**	**228**	**2,836**	**–**	**2,836**	**2,836**	**–**	**2,836**	**4,641**	**–**	**4,641**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	101	–	101	136	–	136	136	–	136	131	–	131
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	127	–	127	2,200	–	2,200	2,200	–	2,200	4,510	–	4,510
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	500	–	500	500	–	500	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**270**	**270**	**–**	**350**	**350**	**–**	**350**	**350**	**–**	**550**	**550**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	270	270	–	350	350	–	350	350	–	550	550
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**7,832**	**7,832**	**–**	**21,000**	**21,000**	**–**	**19,720**	**19,720**	**–**	**21,000**	**21,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**5,486**	**5,486**	**–**	**3,150**	**3,150**	**–**	**4,465**	**4,465**	**–**	**5,502**	**5,502**
1. राज्य भविष्य निधि	–	5,486	5,486	–	3,150	3,150	–	4,465	4,465	–	5,502	5,502
2. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**1,759**	**1,759**	**–**	**2,254**	**2,254**	**–**	**2,369**	**2,369**	**–**	**2,609**	**2,609**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	1,059	1,059	–	1,174	1,174	–	1,378	1,378
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,759	1,759	–	1,195	1,195	–	1,195	1,195	–	1,231	1,231
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**34,592**	**34,592**	**–**	**13,460**	**13,460**	**–**	**24,462**	**24,462**	**–**	**28,234**	**28,234**
1. सिविल जमा	–	30,490	30,490	–	10,256	10,256	–	21,258	21,258	–	24,530	24,530
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–	2	2
3. सिविल अग्रिम	–	4,102	4,102	–	3,202	3,202	–	3,202	3,202	–	3,702	3,702
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**610,482**	**610,482**	**–**	**1,080,391**	**1,080,391**	**–**	**877,820**	**877,820**	**–**	**999,940**	**999,940**
1. उचंत	–	1,115	1,115	–	1,464	1,464	–	1,464	1,464	–	1,565	1,565
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	608,900	608,900	–	300,000	300,000	–	300,000	300,000	–	333,000	333,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	778,571	778,571	–	576,000	576,000	–	664,969	664,969
4. अन्य	–	467	467	–	356	356	–	356	356	–	406	406
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**76,858**	**76,858**	**–**	**61,964**	**61,964**	**–**	**91,268**	**91,268**	**–**	**81,262**	**81,262**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-9,039**			**-27,087**			**-27,583**			**-37,179**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**23,471**			**50,968**			**50,852**			**52,239**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**14,432**			**23,881**			**23,269**			**15,060**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-5,714**			**1,481**			**3,023**			**1,296**
क) अथ शेष			-1,725			-4,018			-7,439			-4,416
ख) इति शेष		-7,439			-2,538			-4,416			-3,120	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**20,146**			**22,400**			**20,246**			**13,764**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**45,196**	**438,419**	**483,615**	**28,869**	**32,619**	**61,488**	**53,244**	**1,581,683**	**1,634,928**	**33,677**	**29,755**	**63,432**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**45,196**	**12,568**	**57,764**	**28,869**	**12,379**	**41,248**	**53,244**	**13,161**	**66,406**	**33,677**	**11,867**	**45,544**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**45,196**	**1,448**	**46,644**	**28,869**	**–**	**28,869**	**52,728**	**1,414**	**54,142**	**33,295**	**–**	**33,295**
1. विकासात्मक (क + ख)	**43,381**	**819**	**44,200**	**27,406**	**–**	**27,406**	**51,268**	**1,414**	**52,682**	**31,880**	**–**	**31,880**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**12,157**	**46**	**12,203**	**4,173**	**–**	**4,173**	**11,829**	**–**	**11,829**	**17,634**	**–**	**17,634**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,645	–	1,645	106	–	106	1,037	–	1,037	1,650	–	1,650
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	20	46	66	5	–	5	24	–	24	27	–	27
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	7,795	–	7,795	3,273	–	3,273	7,645	–	7,645	2,650	–	2,650
5. आवास निर्माण	281	–	281	300	–	300	295	–	295	295	–	295
6. शहरी विकास	178	–	178	125	–	125	1,278	–	1,278	12,637	–	12,637
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,209	–	2,209	324	–	324	1,510	–	1,510	324	–	324
9. अन्य*	30	–	30	40	–	40	40	–	40	50	–	50
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**31,224**	**774**	**31,997**	**23,233**	**–**	**23,233**	**39,439**	**1,414**	**40,853**	**14,246**	**–**	**14,246**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,592	774	2,365	518	–	518	1,640	1,414	3,054	314	–	314
i) फसल कार्य	489	–	489	230	–	230	292	–	292	55	–	55
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	201	–	201	1	–	1	633	–	633	–	–	–
iii) पशु पालन	29	–	29	52	–	52	52	–	52	–	–	–
iv) डेरी विकास	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	45	–	45	5	–	5
vi) वानिकी और वन्य जीवन	559	–	559	105	–	105	391	–	391	80	–	80
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	130	774	904	38	–	38	28	1,414	1,442	5	–	5
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	179	–	179	92	–	92	147	–	147	117	–	117
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	52	–	52	52	–	52
2. ग्रामीण विकास	224	–	224	250	–	250	265	–	265	695	–	695
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	6,596	–	6,596	879	–	879	6,774	–	6,774	1,289	–	1,289
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	3,357	–	3,357	2,911	–	2,911	3,182	–	3,182	2,500	–	2,500
5. ऊर्जा	6,820	–	6,820	4,950	–	4,950	8,593	–	8,593	4,411	–	4,411
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	535	–	535	235	–	235	765	–	765	1,161	–	1,161
i) ग्राम और लघु उद्योग	535	–	535	235	–	235	765	–	765	1,161	–	1,161
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन (i + ii)	11,813	–	11,813	13,490	–	13,490	16,165	–	16,165	3,877	–	3,877
i) सड़क और पुल	11,609	–	11,609	13,384	–	13,384	16,064	–	16,064	3,836	–	3,836
ii) अन्य**	204	–	204	106	–	106	101	–	101	41	–	41
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*
मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	287	–	287	–	–	–	2,056	–	2,056	–	–	–
i) पर्यटन	287	–	287	–	–	–	2,056	–	2,056	–	–	–
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**1,815**	**628**	**2,444**	**1,463**	**–**	**1,463**	**1,460**	**–**	**1,460**	**1,415**	**–**	**1,415**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**7,941**	**7,941**	**–**	**16,175**	**16,175**	**–**	**16,075**	**16,075**	**–**	**16,132**	**16,132**
1. बाजार से ऋण	–	1,650	1,650	–	2,271	2,271	–	2,271	2,271	–	2,997	2,997
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	2,609	2,609	–	1,967	1,967	–	1,867	1,867	–	2,089	2,089
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	657	657	–	714	714	–	714	714	–	880	880
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	187	187	–	187	187	–	187	187	–	187	187
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	6,670	6,670	–	6,670	6,670	–	6,670	6,670
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	111	111	–	164	164	–	164	164	–	242	242
8. अन्य	–	2,726	2,726	–	4,202	4,202	–	4,202	4,202	–	3,067	3,067
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	456	456	–	–	–	–	–	–	–	456	456
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**3,154**	**3,154**	**–**	**1,823**	**1,823**	**–**	**1,817**	**1,817**	**–**	**1,880**	**1,880**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	2,820	2,820	–	1,501	1,501	–	1,501	1,501	–	1,570	1,570
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना ¬हायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	115	115	–	128	128	–	128	128	–	150	150
4. योजनेतर (i से ii)	–	130	130	–	93	93	–	93	93	–	73	73
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	130	130	–	93	93	–	93	93	–	73	73
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	89	89	–	101	101	–	96	96	–	87	87
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**–**	**25**	**25**	**–**	**1,051**	**1,051**	**516**	**525**	**1,041**	**382**	**525**	**907**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**–**	**25**	**25**	**–**	**536**	**536**	**516**	**25**	**541**	**382**	**25**	**407**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**25**	**25**	**–**	**536**	**536**	**498**	**25**	**523**	**382**	**25**	**407**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	102	–	102	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	536	536	396	–	396	382	–	382
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	25	25	–	–	–	–	25	25	–	25	25
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**18**	**–**	**18**	**–**	**–**	**–**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	–	–	–	8	–	8	–	–	–
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	10	–	10	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**–**	**–**	**–**	**515**	**515**	**–**	**500**	**500**	**–**	**500**	**500**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	–	–	–	515	515	–	500	500	–	500	500
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**10**	**10**	**–**	**10**	**10**	**–**	**10**	**10**	**–**	**10**	**10**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**7,123**	**7,123**	**–**	**8,000**	**8,000**	**–**	**8,000**	**8,000**	**–**	**8,748**	**8,748**
1. राज्य भविष्य निधि	–	6,926	6,926	–	7,750	7,750	–	7,750	7,750	–	8,498	8,498
2. अन्य	–	196	196	–	250	250	–	250	250	–	250	250
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**1,897**	**1,897**	**–**	**2,450**	**2,450**	**–**	**2,802**	**2,802**	**–**	**1,050**	**1,050**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	1,200	1,200	–	1,400	1,400	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	697	697	–	1,050	1,050	–	2,802	2,802	–	1,050	1,050
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**36,227**	**36,227**	**–**	**1,710**	**1,710**	**–**	**22,414**	**22,414**	**–**	**10**	**10**
1. सिविल जमा	–	34,714	34,714	–	1,700	1,700	–	22,054	22,054	–	–	–
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	1,513	1,513	–	10	10	–	360	360	–	10	10
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**284,735**	**284,735**	**–**	**1,400**	**1,400**	**–**	**1,459,845**	**1,459,845**	**–**	**1,400**	**1,400**
1. उचंत	–	770	770	–	–	–	–	252,300	252,300	–	–	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	283,013	283,013	–	–	–	–	118,380	118,380	–	–	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	1,088,300	1,088,300	–	–	–
4. अन्य	–	952	952	–	1,400	1,400	–	865	865	–	1,400	1,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**95,860**	**95,860**	**–**	**–**	**–**	**–**	**68,781**	**68,781**	**–**	**–**	**–**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-33,163**			**-7,954**			**-45,053**			**-13,094**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**25,165**			**16,285**			**38,859**			**18,523**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**-7,998**			**8,331**			**-6,194**			**5,429**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**8,350**			**8,331**			**-6,194**			**5,429**
क) अथ शेष			-10,621			-10,417			-2,270			-8,465
ख) इति शेष		-2,270			-2,086			-8,465			-3,036	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**-14,389**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**-1,959**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

नागालैंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**69,533**	**494,003**	**563,536**	**83,660**	**195,373**	**279,033**	**96,697**	**483,261**	**579,958**	**83,659**	**487,480**	**571,139**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**69,533**	**16,751**	**86,284**	**83,660**	**20,273**	**103,933**	**96,697**	**18,228**	**114,925**	**83,659**	**21,806**	**105,465**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**69,529**	**1,519**	**71,047**	**82,878**	**881**	**83,759**	**95,915**	**1,581**	**97,496**	**82,877**	**381**	**83,258**
1. विकासात्मक (क + ख)	**62,813**	**1,519**	**64,332**	**61,182**	**881**	**62,064**	**84,753**	**1,581**	**86,334**	**61,182**	**381**	**61,563**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**24,095**	**–**	**24,095**	**21,484**	**–**	**21,484**	**38,054**	**–**	**38,054**	**21,484**	**–**	**21,484**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,419	–	4,419	4,014	–	4,014	4,522	–	4,522	4,014	–	4,014
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,211	–	1,211	3,873	–	3,873	3,371	–	3,371	3,873	–	3,873
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,876	–	4,876	1,313	–	1,313	9,500	–	9,500	1,313	–	1,313
5. आवास निर्माण	5,288	–	5,288	4,707	–	4,707	7,039	–	7,039	4,707	–	4,707
6. शहरी विकास	5,674	–	5,674	5,738	–	5,738	11,429	–	11,429	5,737	–	5,737
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,277	–	2,277	1,398	–	1,398	1,607	–	1,607	1,398	–	1,398
9. अन्य*	350	–	350	443	–	443	587	–	587	443	–	443
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**38,718**	**1,519**	**40,237**	**39,698**	**881**	**40,579**	**46,699**	**1,581**	**48,280**	**39,698**	**381**	**40,079**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	2,717	1,230	3,947	3,598	501	4,099	4,523	1,162	5,685	3,598	1	3,599
i) फसल कार्य	592	–	592	1,296	–	1,296	1,296	–	1,296	1,296	–	1,296
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	18	–	18	20	–	20	20	–	20	20	–	20
iii) पशु पालन	328	–	328	353	–	353	353	–	353	353	–	353
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	151	–	151	184	–	184	184	–	184	184	–	184
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,300	–	1,300	707	–	707	1,605	–	1,605	707	–	707
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	182	530	712	219	1	220	246	662	908	219	1	220
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	146	700	846	819	500	1,319	819	500	1,319	819	–	819
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	11,350	–	11,350	9,537	–	9,537	9,794	–	9,794	9,537	–	9,537
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	96	–	96	6	–	6	682	–	682	6	–	6
5. ऊर्जा	4,647	–	4,647	12,466	–	12,466	10,681	–	10,681	12,466	–	12,466
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	2,683	–	2,683	2,608	–	2,608	3,318	39	3,357	2,608	–	2,608
i) ग्राम और लघु उद्योग	53	–	53	64	–	64	64	–	64	64	–	64
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	621	–	621	558	–	558	628	–	628	558	–	558
iv) अन्य #	2,009	–	2,009	1,986	–	1,986	2,626	39	2,665	1,986	–	1,986
7. परिवहन (i + ii)	16,465	289	16,754	10,937	380	11,317	17,078	380	17,458	10,937	380	11,317
i) सड़क और पुल	15,725	289	16,014	10,044	380	10,424	16,231	380	16,611	10,044	380	10,424
ii) अन्य**	740	–	740	893	–	893	847	–	847	893	–	893
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

नागालैंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	50	–	50	100	–	100	270	–	270	100	–	100
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	711	–	711	447	–	447	352	–	352	447	–	447
i) पर्यटन	620	–	620	395	–	395	295	–	295	395	–	395
ii) अन्य@@	91	–	91	52	–	52	57	–	57	52	–	52
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**6,716**	**–**	**6,716**	**21,695**	**–**	**21,695**	**11,162**	**–**	**11,162**	**21,695**	**–**	**21,695**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**42,353**	**42,353**	**–**	**67,365**	**67,365**	**–**	**61,208**	**61,208**	**–**	**69,399**	**69,399**
1. बाजार से ऋण	–	5,151	5,151	–	7,927	7,927	–	7,927	7,927	–	10,146	10,146
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	647	647	–	826	826	–	801	801	–	1,134	1,134
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	902	902	–	1,134	1,134	–	1,166	1,166	–	979	979
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	1,201	1,201	–	77	77	–	147	147	–	150	150
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	28,940	28,940	–	50,000	50,000	–	45,000	45,000	–	50,000	50,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	127	127	–	1,011	1,011	–	111	111	–	136	136
8. अन्य	–	5,386	5,386	–	6,392	6,392	–	6,056	6,056	–	6,855	6,855
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**1,800**	**1,800**	**–**	**1,986**	**1,986**	**–**	**399**	**399**	**–**	**1,986**	**1,986**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	1,419	1,419	–	1,693	1,693	–	106	106	–	1,693	1,693
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	33	33	–	7	7	–	7	7	–	7	7
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	127	127	–	178	178	–	178	178	–	178	178
4. योजनेतर (i से ii)	–	86	86	–	12	12	–	12	12	–	12	12
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	86	86	–	12	12	–	12	12	–	12	12
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	46	46	–	51	51	–	51	51	–	51	51
7. अन्य	–	88	88	–	44	44	–	44	44	–	44	44
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**4**	**20**	**24**	**782**	**40**	**822**	**782**	**40**	**822**	**782**	**40**	**822**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**4**	**18**	**22**	**782**	**22**	**804**	**782**	**22**	**804**	**782**	**22**	**804**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**18**	**18**	**–**	**22**	**22**	**–**	**22**	**22**	**–**	**22**	**22**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	18	18	–	22	22	–	22	22	–	22	22
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**4**	**–**	**4**	**782**	**–**	**782**	**782**	**–**	**782**	**782**	**–**	**782**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	4	–	4	782	–	782	782	–	782	782	–	782
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

नागालैंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**2**	**2**	**–**	**19**	**19**	**–**	**19**	**19**	**–**	**19**	**19**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	2	2	–	19	19	–	19	19	–	19	19
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**10,232**	**10,232**	**–**	**12,290**	**12,290**	**–**	**12,305**	**12,305**	**–**	**13,310**	**13,310**
1. राज्य भविष्य निधि	–	9,930	9,930	–	12,000	12,000	–	12,000	12,000	–	13,000	13,000
2. अन्य	–	301	301	–	290	290	–	305	305	–	310	310
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**2,634**	**2,634**	**–**	**300**	**300**	**–**	**2,218**	**2,218**	**–**	**2,354**	**2,354**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	1,617	1,617	–	–	–	–	1,918	1,918	–	2,054	2,054
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,017	1,017	–	300	300	–	300	300	–	300	300
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**3,568**	**3,568**	**–**	**12,000**	**12,000**	**–**	**11,500**	**11,500**	**–**	**6,000**	**6,000**
1. सिविल जमा	–	1,646	1,646	–	11,000	11,000	–	10,500	10,500	–	5,000	5,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	1,923	1,923	–	1,000	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000	1,000
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**337,753**	**337,753**	**–**	**20,500**	**20,500**	**–**	**314,000**	**314,000**	**–**	**314,000**	**314,000**
1. उचंत	–	9,044	9,044	–	4,000	4,000	–	4,000	4,000	–	4,000	4,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	303,661	303,661	–	6,500	6,500	–	300,000	300,000	–	300,000	300,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	25,048	25,048	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**94,124**	**94,124**	**–**	**80,010**	**80,010**	**–**	**80,010**	**80,010**	**–**	**80,010**	**80,010**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-47,697**			**-69,647**			**-67,759**			**-64,519**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**55,036**			**60,546**			**47,108**			**58,766**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**7,340**			**-9,101**			**-20,651**			**-5,753**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**5,071**			**-9,101**			**-20,651**			**-5,753**
क) अथ शेष			-33,217			-24,082			-16,173			-36,824
ख) इति शेष		-28,146			-33,183			-36,824			-42,577	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**–**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**2,269**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**147,823**	**6,806,907**	**6,954,730**	**188,508**	**2,043,791**	**2,232,300**	**267,878**	**2,025,398**	**2,293,276**	**295,750**	**2,507,836**	**2,803,586**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**147,823**	**209,576**	**357,399**	**188,508**	**320,507**	**509,015**	**267,878**	**262,801**	**530,679**	**295,750**	**228,444**	**524,194**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**133,988**	**11,161**	**145,149**	**172,189**	**19,188**	**191,377**	**252,557**	**21,481**	**274,038**	**287,898**	**14,065**	**301,963**
1. विकासात्मक (क + ख)	**131,274**	**7,470**	**138,744**	**168,540**	**11,319**	**179,859**	**245,590**	**13,316**	**258,906**	**278,753**	**9,804**	**288,557**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**20,795**	**1,178**	**21,973**	**47,169**	**1,594**	**48,763**	**58,027**	**3,591**	**61,618**	**71,284**	**1,461**	**72,745**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	425	–	425	680	–	680	743	–	743	327	–	327
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,271	–	3,271	1,277	–	1,277	2,518	–	2,518	2,328	–	2,328
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	12,038	664	12,702	33,330	700	34,030	39,999	700	40,699	52,333	600	52,933
5. आवास निर्माण	1,172	514	1,686	3,846	894	4,740	4,327	2,891	7,218	7,826	861	8,687
6. शहरी विकास	632	–	632	1,419	–	1,419	1,394	–	1,394	587	–	587
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	3,257	–	3,257	6,618	–	6,618	9,046	–	9,046	7,633	–	7,633
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. अन्य*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	250	–	250
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**110,479**	**6,292**	**116,771**	**121,371**	**9,725**	**131,096**	**187,563**	**9,725**	**197,288**	**207,469**	**8,343**	**215,812**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	4,088	1,990	6,078	3,044	–	3,044	2,916	–	2,916	3,360	–	3,360
i) फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	200	–	200	359	–	359	891	–	891	359	–	359
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,622	1,990	4,612	1,685	–	1,685	1,372	–	1,372	1,780	–	1,780
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	100	–	100	25	–	25
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	1,266	–	1,266	1,000	–	1,000	553	–	553	1,196	–	1,196
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	69,969	–	69,969	72,904	–	72,904	141,783	–	141,783	139,644	–	139,644
5. ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	29	–	29	55	–	55	3,054	–	3,054	10	–	10
i) ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	29	–	29	30	–	30	31	–	31	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	–	–	–	25	–	25	3,023	–	3,023	10	–	10
7. परिवहन (i + ii)	35,235	4,285	39,520	44,262	9,705	53,967	38,620	9,705	48,325	61,490	8,325	69,815
i) सड़क और पुल	34,939	4,285	39,224	41,216	9,705	50,921	38,107	9,705	47,812	60,925	8,325	69,250
ii) अन्य**	296	–	296	3,046	–	3,046	513	–	513	565	–	565
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,158	17	1,175	1,106	20	1,126	1,190	20	1,210	2,965	18	2,983
i) पर्यटन	1,158	–	1,158	1,106	–	1,106	1,190	–	1,190	2,965	–	2,965
ii) अन्य@@	–	17	17	–	20	20	–	20	20	–	18	18
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**2,714**	**3,691**	**6,405**	**3,649**	**7,869**	**11,518**	**6,967**	**8,165**	**15,132**	**9,145**	**4,261**	**13,406**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**107,145**	**107,145**	**–**	**233,765**	**233,765**	**–**	**173,766**	**173,766**	**–**	**145,869**	**145,869**
1. बाजार से ऋण	–	78,940	78,940	–	141,768	141,768	–	111,768	111,768	–	86,073	86,073
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	314	314	–	304	304	–	304	304	–	297	297
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	4,384	4,384	–	5,392	5,392	–	5,392	5,392	–	9,507	9,507
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	332	332	–	75	75	–	75	75	–	75	75
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	4,937	4,937	–	67,418	67,418	–	37,418	37,418	–	30,491	30,491
8. अन्य	–	18,238	18,238	–	18,809	18,809	–	18,809	18,809	–	19,426	19,426
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	11,029	11,029	–	11,029	11,029	–	11,029	11,029	–	11,029	11,029
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**77,929**	**77,929**	**–**	**43,503**	**43,503**	**–**	**43,503**	**43,503**	**–**	**43,558**	**43,558**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	76,380	76,380	–	41,932	41,932	–	41,932	41,932	–	42,064	42,064
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना ¬हायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	338	338	–	338	338	–	338	338	–	338	338
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	692	692	–	707	707	–	707	707	–	669	669
4. योजनेतर (i से ii)	–	357	357	–	364	364	–	364	364	–	325	325
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	357	357	–	364	364	–	364	364	–	325	325
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	162	162	–	162	162	–	162	162	–	162	162
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**13,835**	**13,342**	**27,177**	**16,319**	**24,052**	**40,371**	**15,321**	**24,052**	**39,373**	**7,852**	**24,952**	**32,804**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**13,835**	**1,363**	**15,198**	**16,319**	**1,500**	**17,819**	**15,321**	**1,400**	**16,721**	**7,852**	**2,000**	**9,852**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**1,007**	**1,363**	**2,370**	**12,942**	**1,500**	**14,442**	**13,684**	**1,400**	**15,084**	**4,100**	**2,000**	**6,100**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	1,007	–	1,007	12,942	–	12,942	13,684	–	13,684	4,100	–	4,100
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	1,363	1,363	–	1,500	1,500	–	1,400	1,400	–	2,000	2,000
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**12,828**	**–**	**12,828**	**3,377**	**–**	**3,377**	**1,637**	**–**	**1,637**	**3,752**	**–**	**3,752**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	1	–	1	1,251	–	1,251	130	–	130
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	3,360	–	3,360	–	–	–	3,520	–	3,520
7. ग्राम और लघु उद्योग	77	–	77	1	–	1	1	–	1	1	–	1
8. अन्य उद्योग और खनिज	11,840	–	11,840	–	–	–	370	–	370	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	911	–	911	15	–	15	15	–	15	101	–	101
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**11,979**	**11,979**	**–**	**22,552**	**22,552**	**–**	**22,652**	**22,652**	**–**	**22,952**	**22,952**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	509	509	–	552	552	–	652	652	–	952	952
ख) विविध	–	11,470	11,470	–	22,000	22,000	–	22,000	22,000	–	22,000	22,000
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**13,767**	**13,767**	**–**	**15,000**	**15,000**	**–**	**15,000**	**15,000**	**–**	**15,000**	**15,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**147,909**	**147,909**	**–**	**180,804**	**180,804**	**–**	**170,804**	**170,804**	**–**	**166,824**	**166,824**
1. राज्य भविष्य निधि	–	147,591	147,591	–	180,504	180,504	–	170,504	170,504	–	166,504	166,504
2. अन्य	–	318	318	–	300	300	–	300	300	–	320	320
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**249,071**	**249,071**	**–**	**68,710**	**68,710**	**–**	**108,438**	**108,438**	**–**	**138,342**	**138,342**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	148,801	148,801	–	30,000	30,000	–	70,000	70,000	–	30,000	30,000
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	100,270	100,270	–	38,710	38,710	–	38,438	38,438	–	108,342	108,342
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**252,908**	**252,908**	**–**	**321,018**	**321,018**	**–**	**332,548**	**332,548**	**–**	**384,448**	**384,448**
1. सिविल जमा	–	202,674	202,674	–	160,000	160,000	–	160,000	160,000	–	176,848	176,848
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	43,779	43,779	–	45,000	45,000	–	45,000	45,000	–	47,407	47,407
3. सिविल अग्रिम	–	6,455	6,455	–	4,560	4,560	–	4,560	4,560	–	6,520	6,520
4. अन्य	–	–	–	–	111,458	111,458	–	122,988	122,988	–	153,673	153,673
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**5,582,730**	**5,582,730**	**–**	**902,736**	**902,736**	**–**	**900,791**	**900,791**	**–**	**1,252,772**	**1,252,772**
1. उचंत	–	-1,612	-1,612	–	8,490	8,490	–	8,490	8,490	–	1,310	1,310
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	5,582,255	5,582,255	–	891,633	891,633	–	889,688	889,688	–	1,248,759	1,248,759
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	2,087	2,087	–	2,613	2,613	–	2,613	2,613	–	2,703	2,703
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**350,946**	**350,946**	**–**	**235,016**	**235,016**	**–**	**235,016**	**235,016**	**–**	**322,007**	**322,007**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-62,458**			**-112,943**			**-178,535**			**2,372**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**226,060**			**104,576**			**168,223**			**56,387**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**163,602**			**-8,367**			**-10,312**			**58,758**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-21,859**			**–**			**–**			**–**
क) अथ शेष			5,276			-14,893			-14,893			-14,893
ख) इति शेष		-16,584			-14,893			-14,893			-14,893	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**185,462**			**-8,367**			**-10,312**			**58,759**
ii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**236,008**	**14,963,838**	**15,199,846**	**388,453**	**14,366,452**	**14,754,905**	**310,702**	**15,990,234**	**16,300,936**	**355,509**	**16,065,116**	**16,420,626**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**236,008**	**539,263**	**775,272**	**388,453**	**149,864**	**538,317**	**310,702**	**151,430**	**462,132**	**355,509**	**121,312**	**476,822**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**236,008**	**22,658**	**258,666**	**388,453**	**28,947**	**417,401**	**310,143**	**30,369**	**340,512**	**354,839**	**26,834**	**381,673**
1. विकासात्मक (क + ख)	**232,500**	**16,784**	**249,284**	**376,139**	**17,764**	**393,904**	**302,034**	**19,134**	**321,168**	**344,275**	**14,607**	**358,882**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**35,701**	**1,351**	**37,052**	**127,551**	**4,368**	**131,919**	**87,217**	**5,024**	**92,242**	**130,041**	**1,407**	**131,449**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,766	6	1,771	30,627	6	30,634	20,283	6	20,289	32,075	6	32,081
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	769	194	964	6,662	732	7,394	3,395	732	4,127	6,872	732	7,604
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,473	–	13,473	42,822	350	43,172	26,829	350	27,179	39,580	300	39,880
5. आवास निर्माण	14,184	20	14,204	1,016	529	1,545	3,466	20	3,486	774	20	794
6. शहरी विकास	4,994	1,055	6,049	40,168	2,750	42,918	32,111	3,915	36,026	42,795	344	43,139
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	396	–	396	500	–	500	–	–	–	500	4	504
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	–	72	72	75	–	75	–	1	1	75	–	75
9. अन्य*	119	4	123	5,680	–	5,680	1,133	–	1,133	7,369	1	7,370
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**196,799**	**15,433**	**212,232**	**248,589**	**13,396**	**261,985**	**214,816**	**14,110**	**228,926**	**214,234**	**13,200**	**227,433**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	965	2,590	3,555	2,639	103	2,741	3,240	102	3,341	2,958	103	3,060
i) फसल कार्य	-12	24	12	500	100	600	–	100	100	70	100	170
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,109	2	1,110	913	2	915	831	2	833	1,078	2	1,080
iii) पशु पालन	49	–	49	970	–	970	2,153	–	2,153	755	–	755
iv) डेरी विकास	–	-24	-24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) वानिकी और वन्य जीवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	2,589	2,589	–	1	1	–	–	–	–	1	1
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	-182	–	-182	255	–	255	255	–	255	1,055	–	1,055
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	10,676	2,522	13,197	27,455	4,250	31,705	17,821	4,250	22,071	12,330	4,250	16,580
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	27,210	8,637	35,847	77,000	8,153	85,153	40,900	8,753	49,653	37,018	8,253	45,271
5. ऊर्जा	2,000	–	2,000	45	–	45	35	–	35	10,157	–	10,157
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-1	17	16	2,810	20	2,830	–	17	17	7,700	18	7,718
i) ग्राम और लघु उद्योग	-1	17	16	2,810	20	2,830	–	17	17	7,700	18	7,718
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन (i + ii)	40,038	1,578	41,616	114,298	869	115,167	136,283	987	137,270	126,518	575	127,093
i) सड़क और पुल	39,760	780	40,540	110,510	88	110,598	135,500	–	135,500	124,290	–	124,290
ii) अन्य**	278	798	1,076	3,788	781	4,569	783	987	1,770	2,228	575	2,803
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	731	–	731	2,576	–	2,576	2,116	–	2,116	1,333	–	1,333
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	115,180	90	115,270	21,766	1	21,767	14,421	2	14,423	16,220	1	16,222
i) पर्यटन	482	–	482	3,195	–	3,195	359	–	359	1,430	–	1,430
ii) अन्य@@	114,698	90	114,788	18,571	1	18,572	14,063	2	14,064	14,790	1	14,792
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**3,508**	**5,874**	**9,382**	**12,314**	**11,183**	**23,497**	**8,109**	**11,235**	**19,344**	**10,564**	**12,227**	**22,791**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**114,188**	**114,188**	**–**	**146,923**	**146,923**	**–**	**133,085**	**133,085**	**–**	**221,870**	**221,870**
1. बाजार से ऋण	–	24,340	24,340	–	32,752	32,752	–	32,752	32,752	–	37,333	37,333
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	100	100	–	100	100	–	95	95	–	95	95
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	44,866	44,866	–	48,756	48,756	–	48,756	48,756	–	53,142	53,142
4. नाबार्ड से ऋण	–	14,397	14,397	–	14,405	14,405	–	14,455	14,455	–	17,469	17,469
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–	1	1
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	100	100	–	1,000	1,000	–	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	18,824	18,824	–	27,184	27,184	–	27,184	27,184	–	4,320	4,320
8. अन्य	–	11,660	11,660	–	23,626	23,626	–	8,843	8,843	–	9,510	9,510
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	6,373	6,373	–	3,187	3,187	–	3,187	3,187	–	3,187	3,187
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**402,867**	**402,867**	**–**	**21,029**	**21,029**	**–**	**34,290**	**34,290**	**–**	**22,735**	**22,735**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	367,712	367,712	–	17,162	17,162	–	30,383	30,383	–	21,794	21,794
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना ¬हायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	651	651	–	628	628	–	664	664	–	619	619
4. योजनेतर (i से ii)	–	34,504	34,504	–	3,240	3,240	–	3,243	3,243	–	322	322
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	34,504	34,504	–	3,240	3,240	–	3,243	3,243	–	322	322
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**–**	**44,416**	**44,416**	**–**	**1,820**	**1,820**	**560**	**3,442**	**4,002**	**670**	**3,015**	**3,685**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**–**	**42,712**	**42,712**	**–**	**–**	**–**	**560**	**670**	**1,230**	**670**	**–**	**670**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**777**	**777**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	777	777	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**–**	**41,935**	**41,935**	**–**	**–**	**–**	**560**	**670**	**1,230**	**670**	**–**	**670**
1. फसल कार्य	–	8,750	8,750	–	–	–	–	–	–	100	–	100
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	175	175	–	–	–	560	–	560	570	–	570
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	3,010	3,010	–	–	–	–	670	670	–	–	–
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	30,000	30,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**1,705**	**1,705**	**–**	**1,820**	**1,820**	**–**	**2,772**	**2,772**	**–**	**3,015**	**3,015**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	1,705	1,705	–	1,820	1,820	–	2,772	2,772	–	3,015	3,015
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**110,972**	**110,972**	**–**	**96,916**	**96,916**	**–**	**124,988**	**124,988**	**–**	**128,737**	**128,737**
1. राज्य भविष्य निधि	–	109,516	109,516	–	95,101	95,101	–	123,460	123,460	–	127,133	127,133
2. अन्य	–	1,455	1,455	–	1,815	1,815	–	1,528	1,528	–	1,604	1,604
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**5,339**	**5,339**	**–**	**975**	**975**	**–**	**57,635**	**57,635**	**–**	**55,500**	**55,500**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	10	10	–	7,443	7,443	–	8,039	8,039
2. शोधन निधि	–	–	–	–	500	500	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	5,339	5,339	–	465	465	–	45,192	45,192	–	42,461	42,461
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**218,827**	**218,827**	**–**	**184,817**	**184,817**	**–**	**209,919**	**209,919**	**–**	**209,919**	**209,919**
1. सिविल जमा	–	191,335	191,335	–	158,356	158,356	–	206,834	206,834	–	206,834	206,834
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	72	72	–	56	56	–	7	7	–	7	7
3. सिविल अग्रिम	–	3,809	3,809	–	3,918	3,918	–	3,079	3,079	–	3,079	3,079
4. अन्य	–	23,611	23,611	–	22,487	22,487	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**13,916,339**	**13,916,339**	**–**	**13,757,571**	**13,757,571**	**–**	**15,263,699**	**15,263,699**	**–**	**15,263,699**	**15,263,699**
1. उचंत	–	18,897	18,897	–	–	–	–	27,702	27,702	–	27,702	27,702
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	3,498,089	3,498,089	–	3,531,565	3,531,565	–	1,770,353	1,770,353	–	1,770,353	1,770,353
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	9,072,573	9,072,573	–	8,898,693	8,898,693	–	12,264,095	12,264,095	–	12,264,095	12,264,095
4. अन्य	–	1,326,779	1,326,779	–	1,327,313	1,327,313	–	1,201,549	1,201,549	–	1,201,549	1,201,549
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**128,233**	**128,233**	**–**	**127,454**	**127,454**	**–**	**132,807**	**132,807**	**–**	**132,807**	**132,807**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-294,458**			**152,175**			**130,478**			**73,434**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-174,864**			**-183,944**			**-169,057**			**-200,018**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**-469,322**			**-31,768**			**-38,579**			**-126,584**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-362,317**			**-32,038**			**-29,579**			**-126,584**
क) अथ शेष			-12,782			-65,997			2,150			33,961
ख) इति शेष		-375,099			-98,035			-27,429			-92,623	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**-107,005**			**270**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**-9,000**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**496,525**	**9,318,679**	**9,815,204**	**558,489**	**6,532,135**	**7,090,624**	**648,401**	**10,706,234**	**11,354,635**	**635,610**	**8,097,103**	**8,732,712**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**496,525**	**193,719**	**690,244**	**558,489**	**199,110**	**757,599**	**648,401**	**273,037**	**921,438**	**635,610**	**246,056**	**881,665**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**466,758**	**14,179**	**480,937**	**525,671**	**5,051**	**530,722**	**622,941**	**94,445**	**717,386**	**625,613**	**1,627**	**627,240**
1. विकासात्मक (क + ख)	**458,614**	**3,709**	**462,323**	**520,281**	**3,134**	**523,415**	**615,824**	**2,502**	**618,326**	**618,893**	**1,613**	**620,506**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**234,179**	**3,707**	**237,886**	**251,733**	**3,133**	**254,866**	**317,502**	**2,498**	**320,000**	**311,995**	**1,612**	**313,607**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,551	–	5,551	7,363	–	7,363	9,807	–	9,807	8,086	–	8,086
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,733	–	6,733	5,524	–	5,524	9,888	–	9,888	2,579	–	2,579
3. परिवार कल्याण	–	–	–	124	–	124	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	121,973	2,563	124,536	170,386	2,400	172,786	223,734	1,765	225,499	225,716	1,612	227,328
5. आवास निर्माण	427	1,036	1,463	1,080	733	1,813	515	733	1,247	1,097	–	1,097
6. शहरी विकास	84,865	109	84,974	53,735	–	53,735	55,324	–	55,324	60,789	–	60,789
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	8,510	–	8,510	9,084	–	9,084	11,934	–	11,934	8,464	–	8,464
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	591	–	591	900	–	900	1,209	–	1,209	1,146	–	1,146
9. अन्य*	5,529	–	5,529	3,537	–	3,537	5,092	–	5,092	4,119	–	4,119
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**224,434**	**2**	**224,436**	**268,548**	**1**	**268,549**	**298,321**	**5**	**298,326**	**306,898**	**1**	**306,899**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	10,179	–	10,179	8,999	–	8,999	10,265	–	10,265	11,917	–	11,917
i) फसल कार्य	285	–	285	499	–	499	503	–	503	594	–	594
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	2,156	–	2,156	1,279	–	1,279	2,471	–	2,471	2,821	–	2,821
iii) पशु पालन	146	–	146	145	–	145	139	–	139	100	–	100
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	12	–	12	45	–	45	42	–	42	12	–	12
vi) वानिकी और वन्य जीवन	5,844	–	5,844	3,305	–	3,305	3,290	–	3,290	6,426	–	6,426
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	270	–	270	233	–	233	215	–	215	69	–	69
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	275	–	275	325	–	325	442	–	442	320	–	320
x) सहकारिता	1,522	–	1,522	3,168	–	3,168	3,164	–	3,164	1,575	–	1,575
xi) अन्य@	-331	–	-331	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	27,584	–	27,584	13,950	–	13,950	23,477	–	23,477	20,450	–	20,450
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	7,298	–	7,298	4,542	–	4,542	9,444	–	9,444	7,197	–	7,197
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	75,622	–	75,622	95,111	–	95,111	99,789	–	99,789	106,667	–	106,667
5. ऊर्जा	69,893	–	69,893	106,300	–	106,300	106,300	–	106,300	123,600	–	123,600
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,515	–	1,515	1,765	–	1,765	2,263	–	2,263	1,247	–	1,247
i) ग्राम और लघु उद्योग	141	–	141	275	–	275	155	–	155	157	–	157
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	411	–	411	497	–	497	512	–	512	107	–	107
iv) अन्य #	963	–	963	993	–	993	1,596	–	1,596	983	–	983
7. परिवहन (i + ii)	28,118	–	28,118	30,922	–	30,922	41,376	–	41,376	28,149	–	28,149
i) सड़क और पुल	28,118	–	28,118	30,922	–	30,922	41,376	–	41,376	28,149	–	28,149
ii) अन्य**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	36	–	36	–	–	–	17	–	17	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	4,188	2	4,190	6,959	1	6,960	5,390	5	5,395	7,671	1	7,672
i) पर्यटन	602	–	602	2,076	–	2,076	1,463	–	1,463	2,176	–	2,176
ii) अन्य@@	3,586	2	3,588	4,883	1	4,884	3,928	5	3,932	5,494	1	5,495
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**8,145**	**10,469**	**18,614**	**5,390**	**1,917**	**7,307**	**7,117**	**91,943**	**99,060**	**6,720**	**14**	**6,734**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**114,464**	**114,464**	**–**	**164,642**	**164,642**	**–**	**144,618**	**144,618**	**–**	**213,843**	**213,843**
1. बाजार से ऋण	–	43,409	43,409	–	91,277	91,277	–	75,396	75,396	–	116,013	116,013
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	18,525	18,525	–	18,518	18,518	–	18,518	18,518	–	18,512	18,512
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	2,565	2,565	–	5,790	5,790	–	5,821	5,821	–	12,061	12,061
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	666	666	–	778	778	–	815	815	–	852	852
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	10,000	10,000	–	5,921	5,921	–	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	19,546	19,546	–	32,738	32,738	–	32,738	32,738	–	49,728	49,728
8. अन्य	–	29,753	29,753	–	5,541	5,541	–	5,409	5,409	–	6,678	6,678
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	14,751	14,751	–	1,844	1,844	–	1,844	1,844	–	3,688	3,688
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**63,579**	**63,579**	**–**	**38,322**	**38,322**	**–**	**38,123**	**38,123**	**–**	**39,585**	**39,585**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	61,740	61,740	–	36,420	36,420	–	36,232	36,232	–	37,630	37,630
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	3	3	–	3	3	–	3	3	–	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	1,202	1,202	–	1,267	1,267	–	1,258	1,258	–	1,324	1,324
4. योजनेतर (i से ii)	–	633	633	–	632	632	–	631	631	–	630	630
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	633	633	–	632	632	–	631	631	–	630	630
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**29,767**	**1,498**	**31,265**	**32,818**	**1,095**	**33,913**	**25,460**	**1,771**	**27,231**	**9,997**	**1,000**	**10,997**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**29,767**	**1,497**	**31,264**	**32,818**	**1,094**	**33,912**	**25,460**	**1,771**	**27,231**	**9,997**	**1,000**	**10,997**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**25**	**1,158**	**1,183**	**30**	**1,000**	**1,030**	**376**	**1,225**	**1,601**	**75**	**1,000**	**1,075**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	25	1,158	1,183	30	1,000	1,030	376	1,225	1,601	75	1,000	1,075
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**29,742**	**340**	**30,081**	**32,788**	**94**	**32,882**	**25,085**	**546**	**25,631**	**9,922**	**–**	**9,922**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	4,000	1	4,001	4,000	–	4,000
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	1,050	–	1,050	778	–	778	686	–	686	253	–	253
4. सहकारिता	1,192	161	1,353	3,210	94	3,304	3,229	94	3,323	5,669	–	5,669
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	27,500	–	27,500	28,800	–	28,800	17,095	–	17,095	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	75	–	75	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	178	178	–	–	–	–	451	451	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**136,618**	**136,618**	**–**	**143,003**	**143,003**	**–**	**165,866**	**165,866**	**–**	**172,853**	**172,853**
1. राज्य भविष्य निधि	–	98,881	98,881	–	101,129	101,129	–	115,001	115,001	–	115,001	115,001
2. अन्य	–	37,737	37,737	–	41,874	41,874	–	50,865	50,865	–	57,852	57,852
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**98,618**	**98,618**	**–**	**158,114**	**158,114**	**–**	**110,517**	**110,517**	**–**	**125,612**	**125,612**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	100	100	–	100	100	–	1,640	1,640
2. शोधन निधि	–	–	–	–	50,000	50,000	–	35,000	35,000	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1,433	1,433
4. अन्य	–	98,618	98,618	–	108,014	108,014	–	75,416	75,416	–	122,539	122,539
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**4,999,450**	**4,999,450**	**–**	**5,169,338**	**5,169,338**	**–**	**5,887,042**	**5,887,042**	**–**	**6,550,146**	**6,550,146**
1. सिविल जमा	–	440,664	440,664	–	452,526	452,526	–	468,117	468,117	–	499,128	499,128
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	4,369,176	4,369,176	–	4,392,371	4,392,371	–	4,970,636	4,970,636	–	5,509,017	5,509,017
3. सिविल अग्रिम	–	3,312	3,312	–	5,008	5,008	–	5,013	5,013	–	5,013	5,013
4. अन्य	–	186,298	186,298	–	319,433	319,433	–	443,276	443,276	–	536,988	536,988
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**3,516,393**	**3,516,393**	**–**	**507,165**	**507,165**	**–**	**3,879,146**	**3,879,146**	**–**	**560,731**	**560,731**
1. उचंत	–	2,232	2,232	–	6,162	6,162	–	8,663	8,663	–	8,662	8,662
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	3,512,626	3,512,626	–	500,000	500,000	–	3,868,415	3,868,415	–	550,000	550,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,535	1,535	–	1,003	1,003	–	2,068	2,068	–	2,069	2,069
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**16,500**	**16,500**
XII. विप्रेषण	**–**	**373,881**	**373,881**	**–**	**345,405**	**345,405**	**–**	**384,705**	**384,705**	**–**	**415,205**	**415,205**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**11,975**			**14,420**			**34,811**			**-50,275**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**63,838**			**21,476**			**24,738**			**118,314**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**75,813**			**35,896**			**59,549**			**68,039**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**27,212**			**35,896**			**18,629**			**18,039**
क) अथ शेष			-42,203			-18,754			785			19,414
ख) इति शेष		-14,991			17,142			19,414			37,453	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**54,522**			**–**			**35,000**			**50,000**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**-5,921**			**–**			**5,921**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**32,642**	**255,373**	**288,014**	**63,250**	**220,437**	**283,687**	**69,929**	**240,667**	**310,597**	**82,768**	**219,234**	**302,002**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**32,642**	**3,923**	**36,564**	**63,250**	**5,378**	**68,628**	**69,929**	**5,582**	**75,511**	**82,768**	**7,787**	**90,555**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**32,642**	**–**	**32,642**	**63,250**	**–**	**63,250**	**69,929**	**–**	**69,929**	**82,768**	**–**	**82,768**
1. विकासात्मक (क + ख)	**30,536**	**–**	**30,536**	**60,312**	**–**	**60,312**	**66,057**	**–**	**66,057**	**76,778**	**–**	**76,778**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**11,932**	**–**	**11,932**	**19,249**	**–**	**19,249**	**19,855**	**–**	**19,855**	**25,487**	**–**	**25,487**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,524	–	2,524	2,548	–	2,548	2,558	–	2,558	3,333	–	3,333
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	192	–	192	685	–	685	735	–	735	762	–	762
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5771	–	5771	9100	–	9100	9255	–	9255	12422	–	12422
5. आवास निर्माण	2,642	–	2,642	4,349	–	4,349	4,655	–	4,655	5,749	–	5,749
6. शहरी विकास	473	–	473	2,015	–	2,015	1,970	–	1,970	2,455	–	2,455
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	282	–	282	125	–	125	125	–	125	219	–	219
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	48	–	48	427	–	427	557	–	557	547	–	547
9. अन्य*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**18,604**	**–**	**18,604**	**41,063**	**–**	**41,063**	**46,202**	**–**	**46,202**	**51,291**	**–**	**51,291**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	577	–	577	674	–	674	822	–	822	914	–	914
i) फसल कार्य	85	–	85	265	–	265	300	–	300	210	–	210
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	61	–	61	82	–	82	82	–	82	75	–	75
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	24	–	24	95	–	95	95	–	95	65	–	65
vi) वानिकी और वन्य जीवन	129	–	129	185	–	185	279	–	279	472	–	472
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	20	–	20	36	–	36	55	–	55	64	–	64
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	62	–	62	1	–	1	1	–	1	–	–	–
xi) अन्य@	196	–	196	10	–	10	10	–	10	28	–	28
2. ग्रामीण विकास	2,511	–	2,511	5,283	–	5,283	5,212	–	5,212	4,216	–	4,216
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,613	–	2,613	–	–	–	2,328	–	2,328	422	–	422
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	247	–	247	660	–	660	661	–	661	673	–	673
5. ऊर्जा	3,816	–	3,816	14,335	–	14,335	14,585	–	14,585	14,283	–	14,283
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	375	–	375	86	–	86	256	–	256	1,533	–	1,533
i) ग्राम और लघु उद्योग	237	–	237	75	–	75	126	–	126	1,320	–	1,320
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	4	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1
iv) अन्य #	134	–	134	11	–	11	130	–	130	212	–	212
7. परिवहन (i + ii)	6,232	–	6,232	16,222	–	16,222	16,909	–	16,909	18,307	–	18,307
i) सड़क और पुल	5,946	–	5,946	13,079	–	13,079	13,766	–	13,766	15,742	–	15,742
ii) अन्य**	286	–	286	3,143	–	3,143	3,143	–	3,143	2,565	–	2,565
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	45	–	45	87	–	87	184	–	184	240	–	240
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	2,188	–	2,188	3,716	–	3,716	5,245	–	5,245	10,703	–	10,703
i) पर्यटन	2,188	–	2,188	3,716	–	3,716	5,245	–	5,245	10,703	–	10,703
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**2,106**	**–**	**2,106**	**2,938**	**–**	**2,938**	**3,872**	**–**	**3,872**	**5,990**	**–**	**5,990**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**2,575**	**2,575**	**–**	**3,976**	**3,976**	**–**	**4,181**	**4,181**	**–**	**6,346**	**6,346**
1. बाजार से ऋण	–	1,721	1,721	–	2,565	2,565	–	2,565	2,565	–	4,516	4,516
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	339	339	–	404	404	–	404	404	–	554	554
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	81	81	–	178	178	–	178	178	–	398	398
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	–	–	–	156	156	–	156	156	–	203	203
8. अन्य	–	434	434	–	673	673	–	878	878	–	675	675
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	239	239	–	478	478	–	683	683	–	478	478
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**1,328**	**1,328**	**–**	**1,377**	**1,377**	**–**	**1,376**	**1,376**	**–**	**1,416**	**1,416**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	1,062	1,062	–	1,187	1,187	–	1,187	1,187	–	1,251	1,251
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	91	91	–	98	98	–	98	98	–	79	79
4. योजनेतर (i से ii)	–	120	120	–	28	28	–	27	27	–	22	22
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	120	120	–	28	28	–	27	27	–	22	22
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	9	9	–	9	9	–	9	9
7. अन्य	–	55	55	–	55	55	–	55	55	–	55	55
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**–**	**20**	**20**	**–**	**25**	**25**	**–**	**25**	**25**	**–**	**25**	**25**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**–**	**20**	**20**	**–**	**15**	**15**	**–**	**15**	**15**	**–**	**15**	**15**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**20**	**20**	**–**	**15**	**15**	**–**	**15**	**15**	**–**	**15**	**15**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	20	20	–	15	15	–	15	15	–	15	15
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**–**	**–**	**–**	**10**	**10**	**–**	**10**	**10**	**–**	**10**	**10**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	–	–	–	10	10	–	10	10	–	10	10
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**55**	**55**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**6,378**	**6,378**	**–**	**6,660**	**6,660**	**–**	**6,665**	**6,665**	**–**	**7,469**	**7,469**
1. राज्य भविष्य निधि	–	6,324	6,324	–	6,600	6,600	–	6,600	6,600	–	7,400	7,400
2. अन्य	–	54	54	–	60	60	–	65	65	–	69	69
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**4,090**	**4,090**	**–**	**4,230**	**4,230**	**–**	**4,996**	**4,996**	**–**	**3,471**	**3,471**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	1,173	1,173	–	1,173	1,173	–	1,173	1,173	–	1,173	1,173
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	2,917	2,917	–	3,057	3,057	–	3,823	3,823	–	2,298	2,298
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**1,924**	**1,924**	**–**	**2,823**	**2,823**	**–**	**2,823**	**2,823**	**–**	**2,464**	**2,464**
1. सिविल जमा	–	1,924	1,924	–	2,823	2,823	–	2,823	2,823	–	2,464	2,464
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**194,605**	**194,605**	**–**	**157,617**	**157,617**	**–**	**176,817**	**176,817**	**–**	**152,398**	**152,398**
1. उचंत	–	20	20	–	232	232	–	232	232	–	6	6
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	82,800	82,800	–	67,800	67,800	–	87,000	87,000	–	40,000	40,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	111,785	111,785	–	89,585	89,585	–	89,585	89,585	–	112,392	112,392
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**44,453**	**44,453**	**–**	**43,729**	**43,729**	**–**	**43,729**	**43,729**	**–**	**45,645**	**45,645**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-19,248**			**-38,039**			**-43,267**			**-45,284**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**22,898**			**38,435**			**43,314**			**45,245**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**3,650**			**396**			**47**			**-39**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-10,674**			**396**			**47**			**-39**
क) अथ शेष			17,093			16,960			6,419			6,466
ख) इति शेष		6,419			17,356			6,466			6,427	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**14,324**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**613,125**	**18,503,777**	**19,116,902**	**787,044**	**9,330,563**	**10,117,607**	**781,065**	**12,684,612**	**13,465,677**	**954,439**	**12,845,653**	**13,800,092**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**613,125**	**675,094**	**1,288,219**	**787,044**	**349,054**	**1,136,098**	**781,065**	**523,614**	**1,304,679**	**954,439**	**365,782**	**(लोक लेखा 1,320,221**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**585,184**	**10,053**	**595,237**	**768,791**	**17,346**	**786,137**	**760,955**	**20,258**	**781,213**	**919,480**	**17,812**	**937,292**
1. विकासात्मक (क + ख)	**576,109**	**-336**	**575,773**	**749,457**	**305**	**749,762**	**745,983**	**3,318**	**749,301**	**886,563**	**492**	**887,055**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**113,081**	**129**	**113,210**	**158,104**	**266**	**158,370**	**152,659**	**284**	**152,943**	**231,671**	**516**	**232,187**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	17,893	1	17,894	19,061	–	19,061	19,969	–	19,969	23,137	15	23,152
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	10,157	–	10,157	17,237	–	17,237	14,893	–	14,893	23,448	–	23,448
3. परिवार कल्याण	1,697	–	1,697	1,709	–	1,709	3,819	–	3,819	11,951	–	11,951
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	47,180	–	47,180	48,254	–	48,254	61,175	–	61,175	71,747	–	71,747
5. आवास निर्माण	7,683	–	7,683	26,458	–	26,458	16,850	–	16,850	8,176	–	8,176
6. शहरी विकास	19,095	-243	18,852	38,058	–	38,058	22,114	–	22,114	77,657	–	77,657
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	8,580	–	8,580	6,571	–	6,571	12,754	–	12,754	13,653	–	13,653
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	117	–	117	203	–	203	165	–	165	462	–	462
9. अन्य*	679	371	1,050	553	266	819	920	284	1,204	1,440	501	1,941
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**463,028**	**-465**	**462,563**	**591,353**	**39**	**591,392**	**593,324**	**3,034**	**596,358**	**654,892**	**-24**	**654,868**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	149,438	-481	148,957	152,268	-220	152,048	157,076	2,800	159,876	125,489	-235	125,254
i) फसल कार्य	182	2	184	15	15	30	15	15	30	292	–	292
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	3,038	–	3,038	4,008	–	4,008	5,511	–	5,511	8,150	–	8,150
iii) पशु पालन	4,447	–	4,447	314	–	314	1,360	–	1,360	53	–	53
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	372	–	372	1,486	–	1,486	1,241	–	1,241	2,019	–	2,019
vi) वानिकी और वन्य जीवन	13,079	–	13,079	12,775	–	12,775	12,984	–	12,984	11,469	–	11,469
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	36	–	36	193	–	193	493	–	493	33	–	33
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	198	–	198	205	–	205	205	–	205	205	–	205
x) सहकारिता	127,643	-483	127,160	132,530	-235	132,295	135,027	2,785	137,812	102,540	-235	102,305
xi) अन्य@	443	–	443	742	–	742	240	–	240	728	–	728
2. ग्रामीण विकास	90,316	–	90,316	83,646	–	83,646	102,640	–	102,640	107,089	–	107,089
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,930	–	2,930	3,207	–	3,207	3,276	–	3,276	3,029	–	3,029
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	2,930	–	2,930	3,207	–	3,207	3,276	–	3,276	3,029	–	3,029
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	32,689	–	32,689	57,261	–	57,261	46,945	–	46,945	97,074	–	97,074
5. ऊर्जा	17,500	–	17,500	10,000	–	10,000	24,000	–	24,000	10,000	–	10,000
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	174	–	174	175	50	225	404	25	429	226	–	226
i) ग्राम और लघु उद्योग	59	–	59	68	50	118	297	25	322	90	–	90
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	115	–	115	107	–	107	107	–	107	136	–	136
7. परिवहन (i + ii)	168,095	13	168,108	282,844	209	283,053	257,673	208	257,881	310,685	210	310,895
i) सड़क और पुल	151,592	13	151,605	271,551	209	271,760	244,210	208	244,418	292,635	210	292,845
ii) अन्य **	16,503	–	16,503	11,293	–	11,293	13,463	–	13,463	18,050	–	18,050
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	654	–	654	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,886	3	1,889	1,298	–	1,298	1,310	1	1,311	1,300	1	1,301
i) पर्यटन	1,886	–	1,886	1,298	–	1,298	1,310	–	1,310	1,300	–	1,300
ii) अन्य @@	–	3	3	–	–	–	–	1	1	–	1	1
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**9,075**	**10,389**	**19,464**	**19,334**	**17,041**	**36,375**	**14,972**	**16,940**	**31,912**	**32,917**	**17,320**	**50,237**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**415,000**	**415,000**	**–**	**359,967**	**359,967**	**–**	**373,575**	**373,575**	**–**	**336,404**	**336,404**
1. बाजार से ऋण	–	44,225	44,225	–	81,434	81,434	–	81,514	81,514	–	80,704	80,704
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	7,223	7,223	–	7,550	7,550	–	7,550	7,550	–	7,550	7,550
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	1,478	1,478	–	1,593	1,593	–	1,593	1,593	–	1,716	1,716
4. नाबार्ड से ऋण	–	56,648	56,648	–	68,659	68,659	–	68,832	68,832	–	43,763	43,763
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	1,652	1,652	–	1,428	1,428	–	1,458	1,458	–	1,445	1,445
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	150,000	150,000	–	50,000	50,000	–	150,000	150,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	11,503	11,503	–	18,942	18,942	–	131,592	131,592	–	23,403	23,403
8. अन्य	–	292,271	292,271	–	30,361	30,361	–	31,036	31,036	–	27,823	27,823
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	196,214	196,214	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**54,027**	**54,027**	**–**	**31,712**	**31,712**	**–**	**31,034**	**31,034**	**–**	**32,413**	**32,413**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	52,689	52,689	–	30,340	30,340	–	29,657	29,657	–	31,023	31,023
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	124	124	–	123	123	–	124	124	–	123	123
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	661	661	–	711	711	–	719	719	–	745	745
4. योजनेतर (i से ii)	–	553	553	–	538	538	–	534	534	–	522	522
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	552	552	–	538	538	–	534	534	–	522	522
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**27,941**	**197,492**	**225,433**	**18,253**	**91,622**	**109,875**	**20,110**	**150,340**	**170,450**	**34,959**	**130,869**	**165,828**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**27,807**	**196,063**	**223,870**	**18,093**	**89,933**	**108,026**	**19,950**	**148,007**	**167,957**	**34,799**	**128,421**	**163,220**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**12,583**	**15,525**	**28,108**	**10,000**	**16,233**	**26,233**	**10,093**	**22,865**	**32,958**	**17,125**	**15,921**	**33,046**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	250	250	–	250	250	–	250	250	–	250	250
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,212	11,214	12,426	–	5,133	5,133	–	5,132	5,132	–	4,821	4,821
5. आवास निर्माण	650	–	650	–	650	650	–	7,283	7,283	–	650	650
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	4,061	4,061	–	10,200	10,200	–	10,200	10,200	–	10,200	10,200
7. अन्य	10,721	–	10,721	10,000	–	10,000	10,093	–	10,093	17,125	–	17,125
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**15,224**	**180,538**	**195,762**	**8,093**	**73,700**	**81,793**	**9,857**	**125,142**	**134,999**	**17,674**	**112,500**	**130,174**
1. फसल कार्य	–	419	419	–	–	–	–	3,000	3,000	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	90,000	90,000	–	60,000	60,000	–	90,000	90,000	–	90,000	90,000
4. सहकारिता	166	69,617	69,783	220	–	220	128	74	202	60	–	60
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	3,259	3,259	–	–	–	–	1,027	1,027	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	25	16	41	–	–	–	10	1,218	1,228	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	17,227	17,227	–	11,200	11,200	–	27,323	27,323	–	20,000	20,000
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	15,033	–	15,033	7,873	2,500	10,373	9,719	2,500	12,219	17,614	2,500	20,114
2. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**134**	**1,429**	**1,563**	**160**	**1,689**	**1,849**	**160**	**2,333**	**2,493**	**160**	**2,448**	**2,608**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	74	1,429	1,503	100	1,689	1,789	100	2,332	2,432	100	2,448	2,548
ख) विविध	60	–	60	60	–	60	60	1	61	60	–	60
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**295,823**	**295,823**	**–**	**311,054**	**311,054**	**–**	**291,656**	**291,656**	**–**	**310,747**	**310,747**
1. राज्य भविष्य निधि	–	289,167	289,167	–	307,839	307,839	–	287,710	287,710	–	306,653	306,653
2. अन्य	–	6,656	6,656	–	3,215	3,215	–	3,946	3,946	–	4,094	4,094
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**221,992**	**221,992**	**–**	**184,586**	**184,586**	**–**	**88,101**	**88,101**	**–**	**134,964**	**134,964**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	91,773	91,773	–	49,141	49,141	–	48,441	48,441	–	92,347	92,347
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	130,219	130,219	–	135,445	135,445	–	39,660	39,660	–	42,617	42,617
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**1,047,065**	**1,047,065**	**–**	**983,591**	**983,591**	**–**	**1,095,633**	**1,095,633**	**–**	**1,064,755**	**1,064,755**
1. सिविल जमा	–	758,611	758,611	–	720,325	720,325	–	787,863	787,863	–	779,792	779,792
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	152,743	152,743	–	153,106	153,106	–	163,544	163,544	–	164,671	164,671
3. सिविल अग्रिम	–	8,456	8,456	–	6,872	6,872	–	9,178	9,178	–	9,194	9,194
4. अन्य	–	127,255	127,255	–	103,288	103,288	–	135,047	135,047	–	111,098	111,098
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**16,064,490**	**16,064,490**	**–**	**7,142,298**	**7,142,298**	**–**	**10,423,696**	**10,423,696**	**–**	**10,607,370**	**10,607,370**
1. उचंत	–	224,024	224,024	–	252,222	252,222	–	-252,512	-252,512	–	-252,512	-252,512
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	12,294,162	12,294,162	–	4,699,007	4,699,007	–	6,726,306	6,726,306	–	6,909,980	6,909,980
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	3,546,304	3,546,304	–	2,191,069	2,191,069	–	3,949,902	3,949,902	–	3,949,902	3,949,902
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**197,836**	**197,836**	**–**	**208,387**	**208,387**	**–**	**210,319**	**210,319**	**–**	**210,319**	**210,319**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-156,217**			**5,797**			**-317,606**			**-118,816**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**264,825**			**-10,138**			**91,565**			**8,405**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**108,608**			**-4,341**			**-226,041**			**-110,411**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**2,833**			**-4,341**			**4,112**			**-13,465**
क) अथ शेष			6,301			3,965			9,133			13,245
ख) इति शेष		9,134			-376			13,245			-220	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**105,775**			**–**			**-230,153**			**-96,946**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**66,201**	**1,645,758**	**1,711,959**	**123,363**	**958,097**	**1,081,460**	**111,118**	**1,664,817**	**1,775,936**	**151,897**	**1,530,805**	**1,682,703**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**66,201**	**15,690**	**81,891**	**123,363**	**18,945**	**142,308**	**111,118**	**20,902**	**132,020**	**151,897**	**24,905**	**176,803**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**66,197**	**6,048**	**72,245**	**123,349**	**7,852**	**131,201**	**111,115**	**8,966**	**120,081**	**151,894**	**8,277**	**160,171**
1. विकासात्मक (क + ख)	**59,454**	**4,955**	**64,409**	**77,928**	**4,768**	**82,696**	**98,471**	**6,208**	**104,679**	**121,682**	**5,607**	**127,289**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**22,802**	**218**	**23,020**	**35,811**	**387**	**36,198**	**46,843**	**384**	**47,227**	**52,107**	**527**	**52,634**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,468	5	2,473	6,605	9	6,614	12,281	7	12,288	12,875	–	12,875
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,313	213	5,527	11,431	378	11,809	11,686	377	12,063	9,777	397	10,174
3. परिवार कल्याण	23	–	23	200	–	200	206	–	206	186	–	186
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	9,752	–	9,752	11,012	–	11,012	13,074	–	13,074	21,311	–	21,311
5. आवास निर्माण	–	–	–	4,000	–	4,000	4,000	–	4,000	4,000	–	4,000
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,323	–	1,323	1,804	–	1,804	2,109	–	2,109	2,342	130	2,472
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3,492	–	3,492	441	–	441	3,046	–	3,046	1,288	–	1,288
9. अन्य*	430	–	430	319	–	319	440	–	440	326	–	326
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**36,653**	**4,737**	**41,389**	**42,116**	**4,381**	**46,497**	**51,629**	**5,824**	**57,453**	**69,576**	**5,080**	**74,656**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	2,986	718	3,704	3,416	500	3,916	4,814	–	4,814	12,399	–	12,399
i) फसल कार्य	464	-138	326	624	–	624	881	–	881	5,063	–	5,063
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	380	–	380	–	–	–	409	–	409	286	–	286
iii) पशु पालन	394	–	394	777	–	777	1,021	–	1,021	1,106	–	1,106
iv) डेरी विकास	–	–	–	95	–	95	–	–	–	95	–	95
v) मत्स्य पालन	122	–	122	2	–	2	–	–	–	1	–	1
vi) वानिकी और वन्य जीवन	881	856	1,737	758	500	1,258	1,324	–	1,324	3,646	–	3,646
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	112	–	112	112	–	112	111	–	111	162	–	162
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	300	–	300	300	–	300	1,300	–	1,300
x) सहकारिता	397	–	397	373	–	373	448	–	448	443	–	443
xi) अन्य@	237	–	237	375	–	375	318	–	318	297	–	297
2. ग्रामीण विकास	617	570	1,187	383	1	384	1,302	570	1,872	3,676	1,140	4,816
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,152	–	2,152	4,219	–	4,219	6,925	–	6,925	9,123	–	9,123
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7,286	–	7,286	7,316	–	7,316	6,962	–	6,962	7,589	–	7,589
5. ऊर्जा	5,916	2,199	8,115	9,028	2,400	11,428	8,676	2,400	11,076	12,542	2,400	14,942
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,084	–	1,084	1,122	–	1,122	1,206	–	1,206	1,255	–	1,255
i) ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	34	–	34	–	–	–
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	1,084	–	1,084	1,122	–	1,122	1,172	–	1,172	1,255	–	1,255
7. परिवहन (i + ii)	15,508	1,250	16,758	15,676	1,380	17,056	20,943	1,446	22,389	22,303	1,500	23,803
i) सड़क और पुल	15,017	–	15,017	15,274	–	15,274	20,038	–	20,038	21,336	–	21,336
ii) अन्य**	491	1,250	1,741	402	1,380	1,782	905	1,446	2,351	967	1,500	2,467
8. संचार	4	–	4	–	100	100	–	40	40	–	40	40

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	268	–	268	397	–	397	93	–	93	80	–	80
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	831	–	831	559	–	559	709	1,368	2,077	609	–	609
i) पर्यटन	347	–	347	3	–	3	123	–	123	26	–	26
ii) अन्य@@	484	–	484	556	–	556	587	1,368	1,954	583	–	583
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**6,743**	**1,093**	**7,836**	**45,421**	**3,084**	**48,505**	**12,644**	**2,758**	**15,402**	**30,212**	**2,670**	**32,882**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**6,805**	**6,805**	**–**	**7,904**	**7,904**	**–**	**8,901**	**8,901**	**–**	**10,231**	**10,231**
1. बाजार से ऋण	–	1,971	1,971	–	4,549	4,549	–	4,549	4,549	–	4,426	4,426
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	80	80	–	138	138	–	146	146	–	219	219
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	40	40	–	–	–	–	–	–	–	8	8
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	841	841	–	800	800	–	1,094	1,094	–	2,128	2,128
8. अन्य	–	3,873	3,873	–	2,417	2,417	–	3,112	3,112	–	3,450	3,450
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	635	635	–	–	–	–	635	635	–	635	635
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**2,773**	**2,773**	**–**	**2,789**	**2,789**	**–**	**2,800**	**2,800**	**–**	**6,197**	**6,197**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	2,484	2,484	–	2,550	2,550	–	2,485	2,485	–	5,876	5,876
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	8	8	–	7	7	–	7	7	–	7	7
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	93	93	–	35	35	–	109	109	–	113	113
4. योजनेतर (i से ii)	–	62	62	–	65	65	–	68	68	–	67	67
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	62	62	–	65	65	–	68	68	–	67	67
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	126	126	–	132	132	–	132	132	–	135	135
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**4**	**64**	**68**	**14**	**400**	**414**	**3**	**235**	**238**	**3**	**200**	**203**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**4**	**37**	**41**	**14**	**220**	**234**	**3**	**155**	**158**	**3**	**165**	**168**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**37**	**37**	**–**	**220**	**220**	**–**	**155**	**155**	**–**	**165**	**165**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	37	37	–	220	220	–	155	155	–	165	165
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**4**	**–**	**4**	**14**	**–**	**14**	**3**	**–**	**3**	**3**	**–**	**3**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	4	–	4	14	–	14	3	–	3	3	–	3
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**27**	**27**	**–**	**180**	**180**	**–**	**80**	**80**	**–**	**35**	**35**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	27	27	–	180	180	–	80	80	–	35	35
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**32,337**	**32,337**	**–**	**36,800**	**36,800**	**–**	**34,550**	**34,550**	**–**	**36,350**	**36,350**
1. राज्य भविष्य निधि	–	31,819	31,819	–	36,500	36,500	–	34,000	34,000	–	35,850	35,850
2. अन्य	–	518	518	–	300	300	–	550	550	–	500	500
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**33**	**33**	**–**	**500**	**500**	**–**	**2,000**	**2,000**	**–**	**1,500**	**1,500**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	33	33	–	500	500	–	2,000	2,000	–	1,500	1,500
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**19,789**	**19,789**	**–**	**19,800**	**19,800**	**–**	**18,700**	**18,700**	**–**	**18,500**	**18,500**
1. सिविल जमा	–	6,827	6,827	–	19,000	19,000	–	6,000	6,000	–	5,000	5,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	11,302	11,302	–	–	–	–	11,000	11,000	–	12,000	12,000
3. सिविल अग्रिम	–	1,661	1,661	–	800	800	–	1,700	1,700	–	1,500	1,500
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**1,499,464**	**1,499,464**	**–**	**832,050**	**832,050**	**–**	**1,538,770**	**1,538,770**	**–**	**1,404,070**	**1,404,070**
1. उचंत	–	4,689	4,689	–	2,000	2,000	–	4,000	4,000	–	4,000	4,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	1,494,811	1,494,811	–	830,000	830,000	–	1,534,575	1,534,575	–	1,400,000	1,400,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	-36	-36	–	50	50	–	195	195	–	70	70
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**78,445**	**78,445**	**–**	**50,002**	**50,002**	**–**	**49,895**	**49,895**	**–**	**45,480**	**45,480**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-46,529**			**-87,821**			**-121,941**			**-151,503**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**85,081**			**63,961**			**66,407**			**78,829**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**38,551**			**-23,860**			**-55,534**			**-72,674**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**3,003**			**-33,859**			**-55,314**			**-72,675**
क) अथ शेष			24,808			30,000			64,161			65,000
ख) इति शेष		27,811			-3,859			8,847			-7,675	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**35,545**			**9,998**			**-220**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

उत्तराखंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**171,622**	**3,607,485**	**3,779,108**	**246,893**	**1,081,904**	**1,328,797**	**275,490**	**1,080,709**	**1,356,199**	**315,703**	**1,084,085**	**1,399,788**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**171,622**	**32,280**	**203,903**	**246,893**	**38,671**	**285,564**	**275,490**	**41,000**	**316,490**	**315,703**	**42,176**	**357,879**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**162,525**	**7,400**	**169,926**	**231,161**	**6,575**	**237,736**	**251,782**	**8,904**	**260,686**	**276,046**	**4,199**	**280,245**
1. विकासात्मक (क + ख)	**151,310**	**1,333**	**152,643**	**216,544**	**46**	**216,590**	**235,852**	**1,875**	**237,726**	**257,279**	**250**	**257,529**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**37,086**	**127**	**37,212**	**44,061**	**45**	**44,106**	**52,202**	**45**	**52,247**	**43,243**	**50**	**43,293**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,911	–	12,911	17,435	–	17,435	20,520	–	20,520	16,532	–	16,532
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	12,948	–	12,948	13,045	–	13,045	18,495	–	18,495	12,848	–	12,848
3. परिवार कल्याण	1,679	–	1,679	2,905	–	2,905	3,105	–	3,105	3,605	–	3,605
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	2,334	127	2,461	2,120	45	2,165	1,620	45	1,665	2,200	50	2,250
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	6,684	–	6,684	7,508	–	7,508	7,388	–	7,388	6,623	–	6,623
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	120	–	120	550	–	550	575	–	575	1,035	–	1,035
9. अन्य*	410	–	410	498	–	498	498	–	498	400	–	400
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**114,225**	**1,206**	**115,430**	**172,483**	**1**	**172,484**	**183,650**	**1,830**	**185,480**	**214,036**	**200**	**214,236**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	3,156	1,206	4,362	5,485	1	5,486	8,568	1,830	10,398	3,418	200	3,618
i) फसल कार्य	355	-22	333	317	–	317	954	1,829	2,782	289	200	489
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	718	–	718	615	–	615	800	–	800	650	–	650
iv) डेरी विकास	281	–	281	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	320	–	320	110	–	110	164	–	164	323	–	323
vi) वानिकी और वन्य जीवन	387	–	387	2,570	–	2,570	3,134	–	3,134	1,751	–	1,751
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	342	1,228	1,569	973	1	974	1,348	1	1,349	203	–	203
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	753	–	753	900	–	900	2,168	–	2,168	201	–	201
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	7,236	–	7,236	10,064	–	10,064	12,894	–	12,894	12,822	–	12,822
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	30,583	–	30,583	45,468	–	45,468	52,606	–	52,606	61,286	–	61,286
5. ऊर्जा	15,894	–	15,894	22,848	–	22,848	21,048	–	21,048	26,500	–	26,500
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-7,712	–	-7,712	6,785	–	6,785	5,361	–	5,361	3,143	–	3,143
i) ग्राम और लघु उद्योग	357	–	357	200	–	200	301	–	301	484	–	484
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	-8,069	–	-8,069	6,585	–	6,585	5,060	–	5,060	2,659	–	2,659
7. परिवहन (i + ii)	59,895	–	59,895	76,878	–	76,878	77,319	–	77,319	101,164	–	101,164
i) सड़क और पुल	54,198	–	54,198	70,431	–	70,431	73,933	–	73,933	90,298	–	90,298
ii) अन्य**	5,696	–	5,696	6,447	–	6,447	3,386	–	3,386	10,866	–	10,866
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

उत्तराखंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	5,173	–	5,173	4,955	–	4,955	5,855	–	5,855	5,702	–	5,702
i) पर्यटन	5,173	–	5,173	4,955	–	4,955	5,855	–	5,855	5,702	–	5,702
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**11,215**	**6,068**	**17,283**	**14,617**	**6,529**	**21,146**	**15,930**	**7,029**	**22,959**	**18,767**	**3,949**	**22,716**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**88,462**	**88,462**	**–**	**46,612**	**46,612**	**–**	**46,612**	**46,612**	**–**	**53,119**	**53,119**
1. बाजार से ऋण	–	10,391	10,391	–	15,252	15,252	–	15,252	15,252	–	18,759	18,759
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	2,551	2,551	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000	–	5,500	5,500
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	407	407	–	1,300	1,300	–	1,300	1,300	–	1,300	1,300
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	67,614	67,614	–	20,000	20,000	–	20,000	20,000	–	20,000	20,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	1,780	1,780	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000	–	7,500	7,500
8. अन्य	–	5,720	5,720	–	60	60	–	60	60	–	60	60
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**2,891**	**2,891**	**–**	**2,904**	**2,904**	**–**	**2,904**	**2,904**	**–**	**3,803**	**3,803**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	2,156	2,156	–	2,150	2,150	–	2,150	2,150	–	3,000	3,000
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना ¬हायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	116	116	–	173	173	–	173	173	–	222	222
4. योजनेतर (i से ii)	–	219	219	–	80	80	–	80	80	–	80	80
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	219	219	–	80	80	–	80	80	–	80	80
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	398	398	–	500	500	–	500	500	–	500	500
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**9,097**	**1,141**	**10,238**	**15,732**	**2,580**	**18,312**	**23,708**	**2,580**	**26,288**	**39,657**	**1,055**	**40,712**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**9,097**	**1,057**	**10,154**	**15,732**	**2,190**	**17,922**	**23,708**	**2,190**	**25,898**	**39,657**	**665**	**40,322**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**400**	**1,057**	**1,457**	**450**	**2,190**	**2,640**	**450**	**2,190**	**2,640**	**450**	**665**	**1,115**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	400	–	400	450	–	450	450	–	450	450	–	450
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	907	907	–	1,290	1,290	–	1,290	1,290	–	165	165
7. अन्य	–	150	150	–	900	900	–	900	900	–	500	500
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**8,697**	**–**	**8,697**	**15,282**	**–**	**15,282**	**23,258**	**–**	**23,258**	**39,207**	**–**	**39,207**
1. फसल कार्य	–	–	–	285	–	285	7,294	–	7,294	35	–	35
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	67	–	67	201	–	201	269	–	269	200	–	200
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

उत्तराखंड

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	8,630	–	8,630	14,796	–	14,796	14,796	–	14,796	38,072	–	38,072
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	900	–	900	900	–	900
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**84**	**84**	**–**	**390**	**390**	**–**	**390**	**390**	**–**	**390**	**390**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	82	82	–	290	290	–	290	290	–	290	290
ख) विविध	–	2	2	–	100	100	–	100	100	–	100	100
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**2,545**	**2,545**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2,800**	**2,800**	**–**	**2,500**	**2,500**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**24,128**	**24,128**	**–**	**31,725**	**31,725**	**–**	**29,401**	**29,401**	**–**	**27,001**	**27,001**
1. राज्य भविष्य निधि	–	23,103	23,103	–	30,881	30,881	–	28,881	28,881	–	26,481	26,481
2. अन्य	–	1,026	1,026	–	844	844	–	520	520	–	520	520
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**23,197**	**23,197**	**–**	**17,500**	**17,500**	**–**	**17,500**	**17,500**	**–**	**18,100**	**18,100**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	20,000	20,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	3,197	3,197	–	17,500	17,500	–	17,500	17,500	–	18,100	18,100
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**202,712**	**202,712**	**–**	**158,121**	**158,121**	**–**	**154,121**	**154,121**	**–**	**158,421**	**158,421**
1. सिविल जमा	–	122,488	122,488	–	63,113	63,113	–	61,113	61,113	–	62,713	62,713
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	67,910	67,910	–	95,008	95,008	–	93,008	93,008	–	95,708	95,708
3. सिविल अग्रिम	–	12,314	12,314	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**2,968,153**	**2,968,153**	**–**	**614,334**	**614,334**	**–**	**614,334**	**614,334**	**–**	**614,334**	**614,334**
1. उचंत	–	5,054	5,054	–	20,114	20,114	–	20,114	20,114	–	20,114	20,114
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	635,542	635,542	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	1,719,413	1,719,413	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	608,144	608,144	–	594,220	594,220	–	594,220	594,220	–	594,220	594,220
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**286,856**	**286,856**	**–**	**201,553**	**201,553**	**–**	**201,553**	**201,553**	**–**	**201,553**	**201,553**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-91,862**			**-102,553**			**-116,269**			**-187,287**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**89,637**			**94,390**			**110,672**			**179,403**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**-2,225**			**-8,163**			**-5,597**			**-7,883**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-3,770**			**-8,163**			**-5,597**			**-7,883**
क) अथ शेष			10,407			822			7,427			10,619
ख) इति शेष		6,637			-7,341			1,830			2,736	
ii) नकद शेष निवेश खाता (निवल) से Investment Account (net)			**1,546**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**1,387,435**	**60,913,775**	**62,301,209**	**1,685,179**	**30,858,066**	**32,543,245**	**1,725,082**	**20,863,355**	**22,588,437**	**2,126,552**	**21,022,562**	**23,149,114**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**1,387,435**	**540,941**	**1,928,376**	**1,685,179**	**468,825**	**2,154,004**	**1,725,082**	**487,298**	**2,212,380**	**2,126,552**	**487,854**	**2,614,406**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**1,331,249**	**67,164**	**1,398,412**	**1,635,036**	**207,931**	**1,842,967**	**1,686,439**	**213,105**	**1,899,544**	**2,079,358**	**176,053**	**2,255,411**
1. विकासात्मक (क + ख)	**1,295,699**	**37,333**	**1,333,032**	**1,604,385**	**175,513**	**1,779,898**	**1,656,477**	**175,286**	**1,831,764**	**2,027,833**	**131,497**	**2,159,330**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**214,211**	**3,771**	**217,983**	**195,327**	**6,623**	**201,950**	**232,517**	**6,703**	**239,220**	**290,165**	**4,440**	**294,605**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	28,483	1,250	29,733	32,378	1,328	33,706	63,920	1,328	65,248	67,034	1,293	68,327
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	146,720	1,447	148,167	116,778	1,207	117,985	116,893	1,207	118,100	154,084	1,431	155,515
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	25,914	–	25,914	10,597	–	10,597	10,612	–	10,612	6,075	–	6,075
5. आवास निर्माण	5,008	982	5,990	8,888	4,050	12,938	10,113	4,129	14,243	10,532	1,648	12,179
6. शहरी विकास	–	–	–	1,000	–	1,000	4,200	–	4,200	25,849	–	25,849
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	3,482	–	3,482	20,254	–	20,254	21,334	–	21,334	21,567	–	21,567
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	551	36	587	531	6	537	544	6	550	1,411	6	1,417
9. अन्य*	4,053	57	4,110	4,900	33	4,933	4,900	33	4,933	3,614	62	3,676
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**1,081,487**	**33,562**	**1,115,049**	**1,409,058**	**168,890**	**1,577,948**	**1,423,960**	**168,583**	**1,592,543**	**1,737,668**	**127,057**	**1,864,726**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	27,232	-42,384	-15,152	43,470	1	43,471	43,506	1	43,507	54,855	1	54,856
i) फसल कार्य	1,974	-1,147	827	10,281	–	10,281	10,281	–	10,281	15,360	–	15,360
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	892	–	892	892	–	892	1,892	–	1,892
iii) पशु पालन	4,899	95	4,994	10,012	–	10,012	10,017	–	10,017	10,929	–	10,929
iv) डेरी विकास	743	–	743	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) वानिकी और वन्य जीवन	15,627	–	15,627	20,439	–	20,439	20,469	–	20,469	24,896	–	24,896
vii) बागान	502	–	502	587	–	587	587	–	587	562	–	562
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	-41,323	-41,323	–	1	1	–	1	1	–	1	1
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,516	–	3,516	130	–	130	130	–	130	430	–	430
x) सहकारिता	-28	-8	-36	1,130	–	1,130	1,130	–	1,130	785	–	785
xi) अन्य@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	50,525	–	50,525	67,266	–	67,266	70,266	–	70,266	68,025	–	68,025
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	57,772	14,121	71,893	67,000	15,000	82,000	72,000	15,000	87,000	114,200	15,000	129,200
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	237,320	-8	237,312	227,433	–	227,433	228,224	–	228,224	258,627	400	259,027
5. ऊर्जा	280,300	28,075	308,375	544,205	121,578	665,783	544,975	121,578	666,553	691,341	110,256	801,597
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,564	-175	1,389	925	–	925	4,475	–	4,475	475	–	475
i) ग्राम और लघु उद्योग	764	–	764	225	–	225	225	–	225	475	–	475
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	19	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	781	-175	606	700	–	700	4,250	–	4,250	–	–	–
7. परिवहन (i + ii)	421,798	33,932	455,731	451,679	32,311	483,990	453,434	32,004	485,438	543,355	1,400	544,755
i) सड़क और पुल	413,247	21,898	435,145	447,593	30,271	477,863	449,333	29,964	479,297	537,855	–	537,855
ii) अन्य**	8,551	12,035	20,586	4,087	2,040	6,127	4,102	2,040	6,142	5,500	1,400	6,900
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	200	–	200	200	–	200	65	–	65
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	4,976	–	4,976	6,881	–	6,881	6,881	–	6,881	6,726	–	6,726
i) पर्यटन	4,976	–	4,976	6,881	–	6,881	6,881	–	6,881	6,726	–	6,726
ii) अन्य@@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**35,550**	**29,831**	**65,381**	**30,651**	**32,418**	**63,069**	**29,962**	**37,818**	**67,780**	**51,524**	**44,556**	**96,081**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**373,772**	**373,772**	**–**	**1,261,097**	**1,261,097**	**–**	**261,097**	**261,097**	**–**	**1,317,805**	**1,317,805**
1. बाजार से ऋण	–	102,871	102,871	–	21	21	–	21	21	–	21	21
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	692	692	–	661	661	–	661	661	–	626	626
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	150,000	150,000	–	150,000	150,000	–	150,000	150,000	–	150,000	150,000
4. नाबार्ड से ऋण	–	25,872	25,872	–	26,491	26,491	–	26,491	26,491	–	28,642	28,642
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	341	341	–	346	346	–	346	346	–	532	532
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	1,000,000	1,000,000	–	–	–	–	1,000,000	1,000,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	34,039	34,039	–	53,313	53,313	–	53,313	53,313	–	78,685	78,685
8. अन्य	–	59,957	59,957	–	30,265	30,265	–	30,265	30,265	–	59,300	59,300
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	-20	-20	–	11	11	–	11	11	–	11	11
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**217,436**	**217,436**	**–**	**119,005**	**119,005**	**–**	**119,005**	**119,005**	**–**	**120,052**	**120,052**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	214,571	214,571	–	116,116	116,116	–	116,116	116,116	–	117,116	117,116
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	10	10	–	11	11	–	11	11	–	9	9
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	2,072	2,072	–	2,083	2,083	–	2,083	2,083	–	2,132	2,132
4. योजनेतर (i से ii)	–	782	782	–	797	797	–	797	797	–	796	796
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	782	782	–	797	797	–	797	797	–	796	796
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**56,186**	**32,569**	**88,755**	**50,143**	**30,792**	**80,934**	**38,643**	**44,092**	**82,734**	**47,194**	**23,944**	**71,138**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**56,186**	**32,215**	**88,401**	**50,143**	**29,649**	**79,792**	**38,643**	**42,949**	**81,592**	**47,194**	**22,615**	**69,809**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**34,403**	**10,123**	**44,527**	**38,292**	**12,728**	**51,020**	**26,792**	**12,728**	**39,520**	**34,734**	**13,614**	**48,348**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	800	–	800	791	–	791	791	–	791	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	21,990	–	21,990	20,000	–	20,000	20,000	–	20,000	20,000	–	20,000
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	5,709	5,709	–	7,728	7,728	–	7,728	7,728	–	8,614	8,614
7. अन्य	11,614	4,414	16,028	17,501	5,000	22,501	6,001	5,000	11,001	14,734	5,000	19,734
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**21,783**	**22,092**	**43,874**	**11,851**	**16,921**	**28,772**	**11,851**	**30,221**	**42,072**	**12,460**	**9,001**	**21,461**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	6,333	–	6,333	3,295	–	3,295	3,295	–	3,295	2,460	–	2,460
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	3,500	–	3,500	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	114	114	–	201	201	–	201	201	–	1	1
8. अन्य उद्योग और खनिज	6,599	4,189	10,788	3,600	7,500	11,100	3,600	7,500	11,100	10,000	6,000	16,000
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	5,350	17,788	23,138	4,956	9,220	14,176	4,956	22,520	27,476	–	3,000	3,000
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**354**	**354**	**–**	**1,143**	**1,143**	**–**	**1,143**	**1,143**	**–**	**1,329**	**1,329**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	776	776	–	1,143	1,143	–	1,143	1,143	–	1,329	1,329
ख) विविध	–	-421	-421	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**957**	**957**	**–**	**1,000**	**1,000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1,000**	**1,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**212,522**	**212,522**	**–**	**267,021**	**267,021**	**–**	**267,021**	**267,021**	**–**	**229,479**	**229,479**
1. राज्य भविष्य निधि	–	204,176	204,176	–	261,733	261,733	–	261,733	261,733	–	224,166	224,166
2. अन्य	–	8,345	8,345	–	5,288	5,288	–	5,288	5,288	–	5,313	5,313
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**11,187**	**11,187**	**–**	**225,248**	**225,248**	**–**	**225,263**	**225,263**	**–**	**334,351**	**334,351**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	1,463	1,463	–	3,000	3,000	–	3,000	3,000	–	3,000	3,000
2. शोधन निधि	–	–	–	–	179,147	179,147	–	179,147	179,147	–	239,681	239,681
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	9,724	9,724	–	43,100	43,100	–	43,115	43,115	–	91,670	91,670
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**1,345,568**	**1,345,568**	**–**	**527,551**	**527,551**	**–**	**525,551**	**525,551**	**–**	**533,223**	**533,223**
1. सिविल जमा	–	590,704	590,704	–	261,296	261,296	–	259,296	259,296	–	266,541	266,541
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	736,319	736,319	–	266,255	266,255	–	266,255	266,255	–	266,682	266,682
3. सिविल अग्रिम	–	20,969	20,969	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	-2,423	-2,423	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**57,446,918**	**57,446,918**	**–**	**27,966,922**	**27,966,922**	**–**	**18,956,922**	**18,956,922**	**–**	**18,035,156**	**18,035,156**
1. उचंत	–	-1,512,842	-1,512,842	–	75,015	75,015	–	75,015	75,015	–	75,015	75,015
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	24,053,268	24,053,268	–	25,000,000	25,000,000	–	15,800,000	15,800,000	–	15,000,000	15,000,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	30,870,389	30,870,389	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	4,036,102	4,036,102	–	2,891,907	2,891,907	–	3,081,907	3,081,907	–	2,960,141	2,960,141
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**1,205,681**	**1,205,681**	**–**	**251,500**	**251,500**	**–**	**251,300**	**251,300**	**–**	**251,500**	**251,500**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**209,106**			**-552,536**			**-1,313,192**			**-914,693**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**490,062**			**614,632**			**901,474**			**1,097,768**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**699,168**			**62,096**			**-411,718**			**183,075**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-13,735**			**62,096**			**-211,718**			**183,075**
क) अथ शेष			15,055			548,147			548,147			336,430
ख) इति शेष		1,320			610,243			336,429			519,505	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**712,903**			**–**			**-200,000**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**324,213**	**18,328,072**	**18,652,286**	**430,009**	**15,098,567**	**15,528,576**	**389,237**	**16,067,991**	**16,457,229**	**394,876**	**16,862,106**	**17,256,982**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**324,213**	**379,972**	**704,185**	**430,009**	**462,377**	**892,386**	**389,237**	**468,340**	**857,578**	**394,876**	**500,668**	**895,543**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**201,078**	**744**	**201,822**	**269,962**	**2,078**	**272,040**	**291,817**	**1,947**	**293,764**	**305,382**	**1,831**	**307,213**
1. विकासात्मक (क + ख)	**193,714**	**83**	**193,797**	**256,097**	**1,093**	**257,190**	**279,586**	**962**	**280,548**	**285,286**	**962**	**286,249**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**37,862**	**50**	**37,912**	**90,186**	**26**	**90,212**	**86,436**	**20**	**86,456**	**108,144**	**21**	**108,165**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,023	9	1,032	4,345	–	4,345	4,189	–	4,189	4,889	–	4,889
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,666	41	6,707	18,616	–	18,616	15,740	–	15,740	19,741	–	19,741
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	24,188	–	24,188	54,561	–	54,561	56,820	–	56,820	67,621	–	67,621
5. आवास निर्माण	1,046	–	1,046	3,433	26	3,459	3,671	20	3,691	4,019	21	4,040
6. शहरी विकास	1,735	–	1,735	1,595	–	1,595	1,575	–	1,575	1,685	–	1,685
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,332	–	1,332	3,678	–	3,678	1,178	–	1,178	3,542	–	3,542
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,430	–	1,430	2,901	–	2,901	2,200	–	2,200	4,950	–	4,950
9. अन्य*	443	–	443	1,057	–	1,057	1,063	–	1,063	1,697	–	1,697
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**155,852**	**33**	**155,885**	**165,911**	**1,067**	**166,978**	**193,150**	**942**	**194,092**	**177,142**	**942**	**178,084**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	3,960	–	3,960	12,378	900	13,278	6,133	903	7,036	8,391	900	9,291
i) फसल कार्य	836	–	836	1,600	–	1,600	900	–	900	550	–	550
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	46	–	46	965	–	965	202	–	202	663	–	663
iv) डेरी विकास	211	–	211	454	–	454	191	–	191	235	–	235
v) मत्स्य पालन	1,366	–	1,366	4,415	–	4,415	2,415	–	2,415	2,265	–	2,265
vi) वानिकी और वन्य जीवन	214	–	214	2,500	–	2,500	1,000	–	1,000	2,500	–	2,500
vii) बागान	152	–	152	170	–	170	145	–	145	172	–	172
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	35	–	35	1,150	900	2,050	206	903	1,109	590	900	1,490
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	100	–	100	100	–	100	200	–	200
x) सहकारिता	843	–	843	454	–	454	689	–	689	731	–	731
xi) अन्य@	256	–	256	570	–	570	285	–	285	485	–	485
2. ग्रामीण विकास	2	–	2	5	–	5	5	–	5	100	–	100
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	7,282	–	7,282	15,742	–	15,742	13,289	–	13,289	11,457	–	11,457
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	88	–	88	95	–	95	95	–	95	105	–	105
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	20,790	–	20,790	47,643	56	47,699	35,597	–	35,597	58,539	–	58,539
5. ऊर्जा	79,183	–	79,183	28,500	–	28,500	99,122	–	99,122	33,000	–	33,000
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	11,956	–	11,956	5,975	–	5,975	4,385	–	4,385	7,894	–	7,894
i) ग्राम और लघु उद्योग	916	–	916	2,848	–	2,848	983	–	983	2,518	–	2,518
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	11,040	–	11,040	3,127	–	3,127	3,401	–	3,401	5,376	–	5,376
7. परिवहन (i + ii)	30,019	–	30,019	53,056	102	53,158	31,034	–	31,034	52,399	–	52,399
i) सड़क और पुल	26,372	–	26,372	50,867	102	50,969	28,355	–	28,355	49,636	–	49,636
ii) अन्य**	3,646	–	3,646	2,189	–	2,189	2,679	–	2,679	2,763	–	2,763
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	2,660	33	2,694	2,612	9	2,621	3,585	39	3,624	5,364	42	5,405
i) पर्यटन	937	–	937	1,362	–	1,362	301	–	301	776	–	776
ii) अन्य@@	1,724	33	1,757	1,250	9	1,259	3,284	39	3,323	4,588	42	4,630
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**7,364**	**661**	**8,025**	**13,865**	**985**	**14,850**	**12,231**	**985**	**13,216**	**20,096**	**868**	**20,964**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**303,888**	**303,888**	**–**	**460,156**	**460,156**	**–**	**465,146**	**465,146**	**–**	**508,911**	**508,911**
1. बाजार से ऋण	–	49,190	49,190	–	86,653	86,653	–	86,653	86,653	–	85,390	85,390
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	448	448	–	440	440	–	432	432	–	426	426
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	269	269	–	280	280	–	278	278	–	260	260
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	3,267	3,267	–	3,830	3,830	–	3,068	3,068	–	3,460	3,460
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	20,798	20,798	–	100,000	100,000	–	100,000	100,000	–	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	40,319	40,319	–	108,890	108,890	–	108,891	108,891	–	139,299	139,299
8. अन्य	–	189,596	189,596	–	160,063	160,063	–	165,825	165,825	–	180,076	180,076
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	19,648	19,648	–	19,668	19,668	–	19,668	19,668	–	19,668	19,668
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**87,547**	**87,547**	**–**	**93,318**	**93,318**	**–**	**92,845**	**92,845**	**–**	**83,526**	**83,526**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	63,614	63,614	–	70,243	70,243	–	69,742	69,742	–	76,069	76,069
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	34	34	–	34	34	–	34	34	–	33	33
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	483	483	–	425	425	–	453	453	–	450	450
4. योजनेतर (i से ii)	–	16,338	16,338	–	16,261	16,261	–	16,261	16,261	–	1,626	1,626
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	16,338	16,338	–	16,261	16,261	–	16,261	16,261	–	1,626	1,626
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	7,078	7,078	–	6,355	6,355	–	6,355	6,355	–	5,348	5,348
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**123,135**	**8,591**	**131,726**	**160,047**	**6,825**	**166,872**	**97,420**	**8,402**	**105,822**	**89,493**	**6,400**	**95,893**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**123,135**	**8,409**	**131,544**	**160,047**	**6,400**	**166,447**	**97,420**	**7,952**	**105,372**	**89,493**	**5,950**	**95,443**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**6,938**	**133**	**7,071**	**11,563**	**130**	**11,693**	**9,506**	**195**	**9,701**	**10,493**	**185**	**10,678**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	5	5	–	5	5	–	5	5
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	26	26	–	75	75	–	50	50	–	50	50
7. अन्य	6,938	107	7,045	11,563	50	11,613	9,506	140	9,646	10,493	130	10,623
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**116,198**	**8,276**	**124,474**	**148,484**	**6,270**	**154,754**	**87,914**	**7,757**	**95,671**	**79,000**	**5,765**	**84,765**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	161	–	161	297	20	317	306	20	326	376	20	396
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	107,002	2,195	109,196	137,450	200	137,650	77,729	200	77,929	67,447	200	67,647
7. ग्राम और लघु उद्योग	279	777	1,056	295	150	445	309	720	1,029	40	765	805
8. अन्य उद्योग और खनिज	2,746	4,680	7,426	3,878	5,325	9,203	3,306	6,241	9,547	4,463	4,210	8,673
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	6,011	623	6,634	6,564	575	7,139	6,264	576	6,840	6,674	570	7,244
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**182**	**182**	**–**	**425**	**425**	**–**	**450**	**450**	**–**	**450**	**450**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	182	182	–	425	425	–	450	450	–	450	450
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**698**	**698**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**88,067**	**88,067**	**–**	**101,670**	**101,670**	**–**	**94,065**	**94,065**	**–**	**101,385**	**101,385**
1. राज्य भविष्य निधि	–	85,482	85,482	–	99,070	99,070	–	91,465	91,465	–	98,785	98,785
2. अन्य	–	2,584	2,584	–	2,600	2,600	–	2,600	2,600	–	2,600	2,600
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**97,905**	**97,905**	**–**	**93,117**	**93,117**	**–**	**137,168**	**137,168**	**–**	**142,437**	**142,437**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	39,825	39,825	–	36,000	36,000	–	48,500	48,500	–	82,200	82,200
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	58,080	58,080	–	57,117	57,117	–	88,668	88,668	–	60,237	60,237
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**851,862**	**851,862**	**–**	**1,259,366**	**1,259,366**	**–**	**1,992,938**	**1,992,938**	**–**	**2,027,757**	**2,027,757**
1. सिविल जमा	–	166,280	166,280	–	179,388	179,388	–	261,356	261,356	–	270,023	270,023
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	385,305	385,305	–	541,055	541,055	–	466,205	466,205	–	481,028	481,028
3. सिविल अग्रिम	–	21,379	21,379	–	17,512	17,512	–	22,506	22,506	–	25,006	25,006
4. अन्य	–	278,899	278,899	–	521,411	521,411	–	1,242,871	1,242,871	–	1,251,701	1,251,701
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**16,576,066**	**16,576,066**	**–**	**12,826,619**	**12,826,619**	**–**	**12,920,481**	**12,920,481**	**–**	**13,618,966**	**13,618,966**
1. उचंत	–	3,619	3,619	–	8,007	8,007	–	2,725	2,725	–	2,810	2,810
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	5,344,922	5,344,922	–	5,000,000	5,000,000	–	1,100,000	1,100,000	–	1,200,000	1,200,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	9,218,955	9,218,955	–	5,800,000	5,800,000	–	9,500,000	9,500,000	–	9,900,000	9,900,000
4. अन्य	–	2,008,570	2,008,570	–	2,018,612	2,018,612	–	2,317,756	2,317,756	–	2,516,156	2,516,156
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**312,705**	**312,705**	**–**	**255,418**	**255,418**	**–**	**355,000**	**355,000**	**–**	**370,894**	**370,894**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**603,017**			**757,578**			**720,508**			**785,216**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-833,295**			**-716,778**			**-813,852**			**-737,017**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**-230,278**			**40,800**			**-93,344**			**48,200**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-5,856**			**40,800**			**6,656**			**48,200**
क) अथ शेष			-1,200			-500			-7,056			-400
ख) इति शेष		-7,056			40,300			-400			47,800	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**-224,422**			**–**			**-100,000**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**9,840,961**	**234,883,387**	**244,724,348**	**12,252,577**	**136,024,974**	**148,277,551**	**12,746,207**	**150,405,461**	**163,151,669**	**14,763,269**	**133,305,239**	**148,068,507**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**9,822,125**	**5,336,039**	**15,158,164**	**12,238,677**	**4,947,255**	**17,185,932**	**12,732,307**	**5,395,027**	**18,127,334**	**14,750,238**	**5,387,154**	**20,137,391**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**9,118,282**	**688,041**	**9,806,324**	**11,061,799**	**817,754**	**11,879,553**	**11,639,760**	**1,193,328**	**12,833,088**	**13,553,039**	**962,846**	**14,515,885**
1. विकासात्मक (क + ख)	**8,816,587**	**599,960**	**9,416,547**	**10,687,439**	**698,030**	**11,385,469**	**11,260,980**	**970,534**	**12,231,514**	**13,060,081**	**841,197**	**13,901,278**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**1,699,382**	**39,941**	**1,739,324**	**2,202,539**	**121,366**	**2,323,906**	**2,497,381**	**120,770**	**2,618,151**	**3,040,496**	**120,671**	**3,161,166**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	234,949	2,907	237,856	292,860	4,621	297,481	369,852	5,733	375,585	455,689	7,842	463,531
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	311,421	2,061	313,482	355,223	2,785	358,008	370,272	2,738	373,010	453,274	2,954	456,228
3. परिवार कल्याण	3,485	–	3,485	5,425	–	5,425	7,638	–	7,638	17,492	–	17,492
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	644,456	20,191	664,647	845,777	56,923	902,700	999,272	56,772	1,056,044	1,090,703	77,901	1,168,604
5. आवास निर्माण	86,917	11,237	98,154	99,416	30,949	130,366	98,008	28,573	126,581	117,809	21,447	139,256
6. शहरी विकास	175,102	1,519	176,621	242,644	7,602	250,246	274,175	9,175	283,349	424,139	4,714	428,854
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	– 171,323	– 227	– 171,549	– 218,214	– 795	– 219,009	– 230,791	– 318	– 231,109	– 328,392	– 2,227	– 330,618
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	26,003	1,190	27,193	41,450	1,768	43,217	53,541	1,702	55,243	61,964	1,811	63,776
9. अन्य*	45,727	610	46,337	101,531	15,923	117,454	93,833	15,759	109,592	91,032	1,774	92,807
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**7,117,205**	**560,019**	**7,677,223**	**8,484,899**	**576,664**	**9,061,563**	**8,763,600**	**849,764**	**9,613,363**	**10,019,586**	**720,526**	**10,740,112**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	332,579	-11,302	321,277	377,394	36,786	414,180	411,415	55,185	466,599	402,291	29,436	431,727
i) फसल कार्य	10,498	101	10,599	23,701	1,796	25,498	36,064	4,744	40,808	33,897	704	34,601
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	50,363	2,789	53,152	51,239	5,354	56,593	65,040	5,364	70,404	70,498	2,736	73,234
iii) पशु पालन	14,452	95	14,546	21,642	–	21,642	25,478	–	25,478	25,934	–	25,934
iv) डेरी विकास	1,359	-24	1,335	773	250	1,023	604	–	604	366	–	366
v) मत्स्य पालन	10,582	-2	10,581	16,129	–	16,129	14,219	2	14,221	20,334	–	20,334
vi) वानिकी और वन्य जीवन	69,529	3,599	73,129	74,454	1,335	75,788	74,316	846	75,162	100,660	795	101,454
vii) बागान	675	–	675	757	–	757	732	–	732	734	–	734
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	1,973	-18,554	-16,582	4,571	27,186	31,756	4,863	39,739	44,602	4,024	24,796	28,820
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	6,281	–	6,281	3,118	–	3,118	2,493	–	2,493	4,274	–	4,274
x) सहकारिता	166,049	694	166,743	176,674	865	177,539	186,162	3,931	190,093	139,331	405	139,736
xi) अन्य@	817	–	817	4,337	–	4,337	1,445	558	2,003	2,240	–	2,240
2. ग्रामीण विकास	535,585	3,203	538,788	620,211	4,251	624,462	580,550	4,952	585,502	661,128	5,510	666,638
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	155,385	14,121	169,507	206,637	15,000	221,637	231,676	15,000	246,676	303,926	15,000	318,926
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	7,355	–	7,355	8,032	–	8,032	8,101	–	8,101	14,101	–	14,101
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2,938,070	217,230	3,155,299	3,388,470	252,111	3,640,581	3,654,241	258,541	3,912,781	4,192,313	260,217	4,452,530
5. ऊर्जा	1,049,126	86,427	1,135,553	1,348,492	150,578	1,499,071	1,401,643	163,572	1,565,215	1,531,520	137,456	1,668,976
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	125,630	-389	125,241	115,556	681	116,237	128,290	1,191	129,481	116,617	518	117,135
i) ग्राम और लघु उद्योग	26,236	27	26,263	43,263	81	43,344	40,668	53	40,720	56,683	18	56,701
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	6,625	-241	6,385	10,267	–	10,267	10,598	–	10,598	440	–	440
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2,663	–	2,663	1,531	–	1,531	1,735	–	1,735	2,292	–	2,292
iv) अन्य #	90,105	-175	89,930	60,495	600	61,095	75,289	1,139	76,427	57,202	500	57,702
7. परिवहन (i + ii)	1,745,783	237,321	1,983,104	2,244,650	101,396	2,346,046	2,194,711	332,742	2,527,454	2,514,905	246,905	2,761,810
i) सड़क और पुल	1,663,821	204,764	1,868,585	2,163,247	73,952	2,237,199	2,127,550	316,100	2,443,650	2,391,059	231,135	2,622,194
ii) अन्य**	81,962	32,557	114,520	81,403	27,444	108,847	67,161	16,642	83,804	123,846	15,771	139,616
8. संचार	4	–	4	–	100	100	–	40	40	–	40	40

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2,387	–	2,387	6,275	–	6,275	5,979	–	5,979	5,666	–	5,666
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	232,655	13,408	246,063	177,213	15,761	192,974	155,095	18,541	173,636	291,220	25,443	316,664
i) पर्यटन	41,341	1,713	43,054	52,146	–	52,146	58,008	2,450	60,458	76,551	2,348	78,899
ii) अन्य@@	191,314	11,695	203,009	125,067	15,761	140,828	97,087	16,091	113,178	214,669	23,095	237,764
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**301,695**	**88,081**	**389,777**	**374,360**	**119,723**	**494,084**	**378,779**	**222,794**	**601,573**	**492,958**	**121,649**	**614,607**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**3,784,819**	**3,784,819**	**–**	**6,545,963**	**6,545,963**	**–**	**4,670,009**	**4,670,009**	**–**	**6,796,767**	**6,796,767**
1. बाजार से ऋण	–	728,346	728,346	–	1,051,106	1,051,106	–	998,591	998,591	–	1,218,427	1,218,427
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	111,345	111,345	–	120,980	120,980	–	119,208	119,208	–	124,287	124,287
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	243,613	243,613	–	340,418	340,418	–	202,618	202,618	–	343,728	343,728
4. नाबार्ड से ऋण	–	151,790	151,790	–	197,481	197,481	–	202,427	202,427	–	237,753	237,753
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	42,525	42,525	–	37,405	37,405	–	38,995	38,995	–	41,598	41,598
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	1,028,522	1,028,522	–	3,361,820	3,361,820	–	1,635,304	1,635,304	–	3,281,320	3,281,320
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	273,237	273,237	–	606,731	606,731	–	625,426	625,426	–	744,001	744,001
8. अन्य	–	1,205,442	1,205,442	–	830,021	830,021	–	847,439	847,439	–	805,653	805,653
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	360,101	360,101	–	163,010	163,010	–	185,003	185,003	–	179,266	179,266
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**1,460,483**	**1,460,483**	**–**	**843,320**	**843,320**	**–**	**785,532**	**785,532**	**–**	**840,607**	**840,607**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	1,337,194	1,337,194	–	671,271	671,271	–	685,721	685,721	–	729,092	729,092
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	2,404	2,404	–	4,761	4,761	–	4,761	4,761	–	4,772	4,772
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	11,741	11,741	–	13,037	13,037	–	13,231	13,231	–	13,445	13,445
4. योजनेतर (i से ii)	–	82,440	82,440	–	54,167	54,167	–	53,562	53,562	–	36,549	36,549
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	82,440	82,440	–	54,167	54,167	–	53,562	53,562	–	36,549	36,549
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	40,001	40,001	–	5,000	5,000	–	36,000	36,000
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	370	370	–	1,603	1,603	–	1,603	1,603	–	1,593	1,593
7. अन्य	–	26,334	26,334	–	58,479	58,479	–	21,653	21,653	–	19,156	19,156
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**703,843**	**674,830**	**1,378,673**	**1,176,878**	**442,456**	**1,619,335**	**1,092,548**	**584,080**	**1,676,628**	**1,197,199**	**411,982**	**1,609,180**
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	**703,709**	**616,525**	**1,320,234**	**1,176,718**	**382,209**	**1,558,927**	**1,092,388**	**522,464**	**1,614,852**	**1,197,039**	**332,331**	**1,529,370**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**190,261**	**172,712**	**362,973**	**675,845**	**205,067**	**880,912**	**637,137**	**203,742**	**840,879**	**683,952**	**117,883**	**801,835**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,309	265	1,574	1,241	260	1,501	1,343	710	2,053	450	660	1,110
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,318	5,986	7,304	11,900	6,585	18,485	11,900	6,585	18,485	18,035	–	18,035
3. परिवार कल्याण	68	–	68	162	–	162	186	–	186	195	–	195
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	51,099	19,165	70,263	135,494	8,441	143,935	105,194	8,440	113,634	138,334	5,544	143,878
5. आवास निर्माण	10,560	78,878	89,438	400,953	94,606	495,558	402,091	101,052	503,143	398,833	2,706	401,539
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	1,695	41,233	42,927	3,226	58,390	61,616	3,146	58,304	61,450	1,906	64,336	66,242
7. अन्य	124,212	27,186	151,398	122,870	36,786	159,656	113,278	28,650	141,928	126,198	44,637	170,836
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**513,448**	**443,813**	**957,261**	**500,873**	**177,142**	**678,015**	**455,250**	**318,723**	**773,973**	**513,087**	**214,448**	**727,535**
1. फसल कार्य	85	10,171	10,256	285	917	1,202	12,115	4,205	16,319	4,135	528	4,663
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	175	175	–	–	–	560	–	560	570	–	570
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	21,092	90,000	111,092	18,405	60,000	78,405	43,436	90,000	133,436	38,734	90,000	128,734
4. सहकारिता	98,673	136,127	234,800	22,621	16,290	38,911	31,168	14,011	45,179	27,751	12,437	40,187
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	311	500	811	311	–	311	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*
सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	278,944	145,530	424,474	342,879	53,690	396,570	225,356	112,814	338,169	316,900	61,596	378,496
7. ग्राम और लघु उद्योग	11,100	908	12,008	7,451	351	7,802	10,217	2,144	12,361	8,692	766	9,458
8. अन्य उद्योग और खनिज	47,375	37,278	84,654	22,138	29,038	51,176	35,594	51,706	87,300	25,370	35,243	60,613
9. ग्रामीण विकास	134	451	585	320	41	361	360	7	367	435	–	435
10. अन्य	56,044	23,173	79,217	86,463	16,315	102,778	96,135	43,836	139,971	90,500	13,879	104,379
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**134**	**58,305**	**58,439**	**160**	**60,248**	**60,408**	**160**	**61,616**	**61,776**	**160**	**79,650**	**79,810**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	74	27,692	27,766	100	35,663	35,763	100	37,327	37,427	100	53,520	53,620
ख) विविध	60	30,613	30,673	60	24,585	24,645	60	24,289	24,349	60	26,130	26,190
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**306**	**306**	**–**	**3**	**3**	**–**	**157**	**157**	**–**	**15**	**15**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**222,956**	**222,956**	**–**	**71,610**	**71,610**	**–**	**79,847**	**79,847**	**–**	**74,110**	**74,110**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**2,814,370**	**2,814,370**	**–**	**3,169,180**	**3,169,180**	**–**	**3,187,539**	**3,187,539**	**–**	**3,304,563**	**3,304,563**
1. राज्य भविष्य निधि	–	1,957,870	1,957,870	–	2,200,519	2,200,519	–	2,184,501	2,184,501	–	2,241,375	2,241,375
2. अन्य	–	856,500	856,500	–	968,661	968,661	–	1,003,039	1,003,039	–	1,063,188	1,063,188
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**1,717,879**	**1,717,879**	**–**	**1,793,246**	**1,793,246**	**–**	**2,784,534**	**2,784,534**	**–**	**1,776,622**	**1,776,622**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	3,175	3,175	–	7,326	7,326	–	14,701	14,701	–	15,465	15,465
2. शोधन निधि	–	526,611	526,611	–	571,254	571,254	–	615,396	615,396	–	640,232	640,232
3. अकाल राहत निधि	–	83	83	–	29	29	–	1,302	1,302	–	1,462	1,462
4. अन्य	–	1,188,011	1,188,011	–	1,214,638	1,214,638	–	2,153,136	2,153,136	–	1,119,462	1,119,462
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**18,836**	**16,398,875**	**16,417,711**	**13,900**	**14,445,932**	**14,459,832**	**13,900**	**16,887,580**	**16,901,480**	**13,031**	**17,790,878**	**17,803,910**
1. सिविल जमा	–	5,754,841	5,754,841	–	4,225,811	4,225,811	–	5,014,770	5,014,770	–	5,378,573	5,378,573
2. स्थानीय निधि जमाराशि	18,836	8,494,404	8,513,240	13,900	7,955,173	7,969,073	13,900	8,522,899	8,536,799	13,031	9,021,186	9,034,217
3. सिविल अग्रिम	–	321,153	321,153	–	253,479	253,479	–	246,196	246,196	–	278,657	278,657
4. अन्य	–	1,828,477	1,828,477	–	2,011,469	2,011,469	–	3,103,715	3,103,715	–	3,112,462	3,112,462
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**196,529,217**	**196,529,217**	**–**	**102,079,870**	**102,079,870**	**–**	**114,197,622**	**114,197,622**	**–**	**94,923,584**	**94,923,584**
1. उचंत	–	-692,033	-692,033	–	2,713,051	2,713,051	–	1,488,642	1,488,642	–	1,250,676	1,250,676
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	113,469,530	113,469,530	–	54,327,756	54,327,756	–	58,349,776	58,349,776	–	43,446,163	43,446,163
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	62,826,115	62,826,115	–	30,549,857	30,549,857	–	32,801,095	32,801,095	–	32,399,063	32,399,063
4. अन्य	–	20,925,604	20,925,604	–	14,489,206	14,489,206	–	21,558,109	21,558,109	–	17,827,681	17,827,681
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**-74,000**	**-74,000**	**–**	**600**	**600**	**–**	**–**	**–**	**–**	**16,500**	**16,500**
XII. विप्रेषण	**–**	**10,665,611**	**10,665,611**	**–**	**5,815,040**	**5,815,040**	**–**	**6,035,233**	**6,035,234**	**–**	**6,406,764**	**6,406,764**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-853,274**			**-1,089,784**			**-4,663,835**			**-2,606,783**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**2,485,716**			**1,197,303**			**2,252,638**			**2,842,583**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**1,632,441**			**107,520**			**-2,411,197**			**235,801**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-478,262**			**316,091**			**-1,521,379**			**154,723**
क) अथ शेष			-460,983			-222,441			435,566			131,268
ख) इति शेष		-939,246			93,649			-1,085,813			285,991	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**2,127,510**			**-201,574**			**-879,740**			**90,077**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**-16,808**			**-6,997**			**-10,076**			**-9,000**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**291,933**	**229,160**	**521,093**	**574,837**	**284,553**	**859,390**	**556,991**	**293,060**	**850,051**	**642,101**	**258,680**	**900,781**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**291,933**	**229,160**	**521,093**	**574,837**	**284,553**	**859,390**	**556,991**	**293,060**	**850,051**	**642,101**	**258,680**	**900,781**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**178,294**	**–**	**178,294**	**342,876**	**580**	**343,456**	**386,910**	**–**	**386,910**	**464,529**	**580**	**465,109**
1. विकासात्मक (क + ख)	**163,610**	**–**	**163,610**	**327,171**	**–**	**327,171**	**357,734**	**–**	**357,734**	**436,593**	**–**	**436,593**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**23,359**	**–**	**23,359**	**65,266**	**–**	**65,266**	**67,105**	**–**	**67,105**	**85,384**	**–**	**85,384**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	14,689	–	14,689	23,198	–	23,198	27,512	–	27,512	53,870	–	53,870
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	14,968	–	14,968	19,164	–	19,164	17,745	–	17,745	15,590	–	15,590
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	2,874	–	2,874	2,830	–	2,830	3,815	–	3,815	4,010	–	4,010
6. शहरी विकास	-11,901	–	-11,901	12,860	–	12,860	13,250	–	13,250	6,601	–	6,601
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,578	–	1,578	2,900	–	2,900	3,081	–	3,081	2,350	–	2,350
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	693	–	693	3,180	–	3,180	1,297	–	1,297	2,300	–	2,300
9. अन्य*	458	–	458	1,134	–	1,134	405	–	405	663	–	663
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**140,251**	**–**	**140,251**	**261,905**	**–**	**261,905**	**290,629**	**–**	**290,629**	**351,209**	**–**	**351,209**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	621	–	621	3,468	–	3,468	995	–	995	520	–	520
i) फसल कार्य	14	–	14	25	–	25	20	–	20	35	–	35
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	10	–	10	–	–	–	5	–	5
iii) पशु पालन	120	–	120	100	–	100	115	–	115	90	–	90
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	3	–	3	3	–	3	1	–	1	10	–	10
vi) वानिकी और वन्य जीवन	486	–	486	620	–	620	826	–	826	350	–	350
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	-2	–	-2	2,700	–	2,700	–	–	–	–	–	–
xi) अन्य@	–	–	–	10	–	10	33	–	33	30	–	30
2. ग्रामीण विकास	6,836	–	6,836	5,320	–	5,320	13,416	–	13,416	18,000	–	18,000
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,804	–	1,804	6,861	–	6,861	3,231	–	3,231	8,600	–	8,600
5. ऊर्जा	16,048	–	16,048	81,489	–	81,489	110,254	–	110,254	80,950	–	80,950
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	344	–	344	1,912	–	1,912	420	–	420	1,100	–	1,100
i) ग्राम और लघु उद्योग	344	–	344	1,862	–	1,862	420	–	420	1,100	–	1,100
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	–	–	–	50	–	50	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन (i + ii)	114,565	–	114,565	162,713	–	162,713	160,578	–	160,578	241,309	–	241,309
i) सड़क और पुल	78,935	–	78,935	84,300	–	84,300	62,000	–	62,000	91,500	–	91,500
ii) अन्य**	35,630	–	35,630	78,413	–	78,413	98,578	–	98,578	149,809	–	149,809
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	20	–	20	1,150	–	1,150	100	–	100
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	33	–	33	122	–	122	585	–	585	630	–	630
i) पर्यटन	3	–	3	–	–	–	5	–	5	–	–	–
ii) अन्य@@	30	–	30	122	–	122	580	–	580	630	–	630
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**14,684**	**–**	**14,684**	**15,705**	**580**	**16,285**	**29,176**	**–**	**29,176**	**27,936**	**580**	**28,516**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**13,349**	**13,349**	**–**	**116,691**	**116,691**	**–**	**97,541**	**97,541**	**–**	**38,604**	**38,604**
1. बाजार से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	13,349	13,349	–	116,691	116,691	–	97,541	97,541	–	38,604	38,604
8. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**26**	**26**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**113,640**	**215,785**	**329,425**	**231,961**	**167,282**	**399,243**	**170,081**	**195,519**	**365,600**	**177,572**	**219,496**	**397,068**
1. विकासात्मक प्रयोजन् (क + ख)	**113,640**	**88,237**	**201,877**	**231,961**	**95,970**	**327,931**	**170,081**	**109,207**	**279,288**	**177,572**	**131,906**	**309,478**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**93,553**	**–**	**93,553**	**137,855**	**–**	**137,855**	**133,830**	**–**	**133,830**	**148,755**	**–**	**148,755**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	74,800	–	74,800	117,225	–	117,225	114,925	–	114,925	130,730	–	130,730
5. आवास निर्माण	1,500	–	1,500	2,500	–	2,500	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	38	–	38	100	–	100	75	–	75	75	–	75
7. अन्य	17,215	–	17,215	18,030	–	18,030	18,830	–	18,830	17,950	–	17,950
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**20,087**	**88,237**	**108,324**	**94,106**	**95,970**	**190,076**	**36,251**	**109,207**	**145,458**	**28,817**	**131,906**	**160,723**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	12	–	12	–	–	–	2	–	2
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. बिजली परियोजना	9,100	–	9,100	42,646	–	42,646	13,606	–	13,606	14,575	–	14,575
7. ग्राम और लघु उद्योग	73	–	73	177	–	177	145	–	145	140	–	140
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	22,000	–	22,000	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	5,000	–	5,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	5,914	88,237	94,151	29,271	95,970	125,241	22,500	109,207	131,707	14,100	131,906	146,006
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**127,548**	**127,548**	**–**	**71,312**	**71,312**	**–**	**86,312**	**86,312**	**–**	**87,590**	**87,590**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	114	114	–	150	150	–	150	150	–	150	150
ख) विविध	–	127,434	127,434	–	71,162	71,162	–	86,162	86,162	–	87,440	87,440
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. राज्य भविष्य निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. सिविल जमा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. उचंत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-98,015**			**-822,201**			**-754,695**			**-871,006**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**443,814**			**531,551**			**508,231**			**645,577**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**345,799**			**-290,650**			**-246,464**			**-225,429**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**345,799**			**-290,649**			**-246,464**			**-225,429**
क) अथ शेष			736,848			290,649			1,082,645			836,182
ख) इति शेष		1,082,647			–			836,181			610,753	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			**–**			**–**			**–**			**–**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**35,753**	**10,221**	**45,974**	**58,142**	**11,200**	**69,342**	**27,054**	**40,559**	**67,613**	**21,365**	**334,409**	**355,774**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**35,753**	**8,910**	**44,663**	**58,142**	**11,200**	**69,342**	**27,054**	**9,834**	**36,888**	**21,365**	**12,540**	**33,905**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**35,647**	**388**	**36,035**	**58,108**	**–**	**58,108**	**27,042**	**500**	**27,542**	**21,322**	**–**	**21,322**
1. विकासात्मक (क + ख)	**32,317**	**388**	**32,705**	**55,499**	**–**	**55,499**	**23,637**	**500**	**24,137**	**18,813**	**–**	**18,813**
क) समाज सेवा (1 से 9)	**7,529**	**–**	**7,529**	**35,662**	**–**	**35,662**	**6,045**	**–**	**6,045**	**4,952**	**–**	**4,952**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,831	–	1,831	2,708	–	2,708	1,859	–	1,859	1,611	–	1,611
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,325	–	1,325	1,857	–	1,857	1,408	–	1,408	523	–	523
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,594	–	3,594	6,568	–	6,568	2,253	–	2,253	1,934	–	1,934
5. आवास निर्माण	238	–	238	595	–	595	192	–	192	317	–	317
6. शहरी विकास	–	–	–	23,615	–	23,615	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	307	–	307	103	–	103	103	–	103	400	–	400
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	43	–	43	93	–	93	43	–	43	43	–	43
9. अन्य*	191	–	191	123	–	123	187	–	187	124	–	124
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**24,788**	**388**	**25,176**	**19,837**	**–**	**19,837**	**17,592**	**500**	**18,092**	**13,861**	**–**	**13,861**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,837	–	1,837	443	–	443	1,654	–	1,654	590	–	590
i) फसल कार्य	81	–	81	15	–	15	14	–	14	14	–	14
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) डेरी विकास	103	–	103	10	–	10	10	–	10	–	–	–
v) मत्स्य पालन	1,004	–	1,004	7	–	7	1,207	–	1,207	300	–	300
vi) वानिकी और वन्य जीवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
x) सहकारिता	545	–	545	391	–	391	403	–	403	266	–	266
xi) अन्य@	104	–	104	20	–	20	20	–	20	10	–	10
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	3,950	–	3,950	2,538	–	2,538	2,988	–	2,988	1,503	–	1,503
5. ऊर्जा	3,486	388	3,874	3,745	–	3,745	3,743	500	4,243	3,100	–	3,100
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	9,071	–	9,071	6,950	–	6,950	4,139	–	4,139	4,415	–	4,415
i) ग्राम और लघु उद्योग	426	–	426	450	–	450	670	–	670	415	–	415
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य #	8,645	–	8,645	6,500	–	6,500	3,469	–	3,469	4,000	–	4,000
7. परिवहन (i + ii)	5,610	–	5,610	5,452	–	5,452	4,598	–	4,598	1,831	–	1,831
i) सड़क और पुल	5,912	–	5,912	4,888	–	4,888	4,129	–	4,129	1,435	–	1,435
ii) अन्य**	-302	–	-302	564	–	564	469	–	469	396	–	396
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	835	–	835	709	–	709	471	–	471	2,421	–	2,421
i) पर्यटन	750	–	750	674	–	674	471	–	471	2,421	–	2,421
ii) अन्य@@	85	–	85	35	–	35	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(जारी)*

पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**3,330**	**–**	**3,330**	**2,609**	**–**	**2,609**	**3,406**	**–**	**3,406**	**2,510**	**–**	**2,510**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**291**	**291**	**–**	**709**	**709**	**–**	**709**	**709**	**–**	**1,226**	**1,226**
1. बाजार से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय् स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	291	291	–	709	709	–	709	709	–	1,226	1,226
8. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : भूमि क्षतिपूर्ति बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**9,340**	**9,340**	**–**	**10,185**	**10,185**	**–**	**10,183**	**10,183**	**–**	**11,014**	**11,014**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	4,708	4,708	–	4,862	4,862	–	4,862	4,862	–	5,139	5,139
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	7	7	–	9	9	–	7	7	–	8	8
4. योजनेतर (i से ii)	–	4,625	4,625	–	5,315	5,315	–	5,314	5,314	–	5,867	5,867
i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) अन्य	–	4,625	4,625	–	5,315	5,315	–	5,314	5,314	–	5,867	5,867
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**106**	**202**	**308**	**34**	**306**	**340**	**12**	**263**	**275**	**43**	**300**	**343**
1. विकासात्मक् प्रयोजन् (क + ख)	**106**	**23**	**129**	**34**	**40**	**74**	**12**	**7**	**19**	**43**	**20**	**63**
क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**23**	**23**	**2**	**40**	**42**	**2**	**7**	**9**	**–**	**20**	**20**
1. शिक्षा, खेल्, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास निर्माण	–	–	–	2	–	2	2	–	2	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	23	23	–	40	40	–	7	7	–	20	20
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**106**	**–**	**106**	**32**	**–**	**32**	**10**	**–**	**10**	**43**	**–**	**43**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	22	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	21	–	21	19	–	19	–	–	–	8	–	8
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	63	–	63	14	–	14	10	–	10	35	–	35
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**179**	**179**	**–**	**266**	**266**	**–**	**256**	**256**	**–**	**280**	**280**
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	179	179	–	266	266	–	256	256	–	280	280
ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय *(समाप्त)*

पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2006-07 (लेखा)			2007-08 (बजट अनुमान)			2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V. अंतर राज्य निपटान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI. आकस्मिकता निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	–	–	–	–	–	–	–	**3,046**	**3,046**	–	**12,190**	**12,190**
1. राज्य भविष्य निधि	–	–	–	–	–	–	–	3,000	3,000	–	12,000	12,000
2. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	46	46	–	190	190
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. शोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	–	–	–	–	–	–	–	**1,217**	**1,217**	–	**4,956**	**4,956**
1. सिविल जमा	–	–	–	–	–	–	–	1,217	1,217	–	4,954	4,954
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	–	–	–	–	–	–	–	**24,641**	**24,641**	–	**304,723**	**304,723**
1. उचंत	–	–	–	–	–	–	–	292	292	–	1,505	1,505
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26,000	26,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	–	–	–	–	–	–	–	24,000	24,000	–	17,000	17,000
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	349	349	–	260,218	260,218
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII. विप्रेषण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-783**			**9,958**			**5,833**			**101,213**
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-4,346**			**-19,006**			**-24,116**			**-89,274**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ + आ)			**-5,129**			**-9,048**			**-18,283**			**11,939**
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i) नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-5,129**			**-9,048**			**-17,483**			**-15,061**
क) अथ शेष			24,336			9,048			32,413			34,136
ख) इति शेष		19,206			–			14,930			19,075	
ii) नकद शेष निवेश् खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड (+)			–			–			**-800**			**27,000**
iii) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			–			–			–			–

– : शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।

$: इसमें I से IV मदों की जोड़ शामिल है जबकि II(3) और II(6) मदों को शामिल नहीं किया है। मद II(3) की पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत निवल आधार पर किया है, जबकि II(6) को समग्र अधिशेष/घाटे के लिए वित्त पोषण मद के रुप में लिया गया है।

* : इसमें सूचना और प्रचार, अन्य सामाजिक सेवा आदि पर किए गए परिव्यय शामिल है।

@ : इसमें अन्य कृषि कार्यक्रम आदि पर किए गए परिव्यय शामिल है।

: इसमें सीमेंट और अधात्विक उद्योगों, पेट्रो-रसायन उद्योगों, रसायन उद्योगों, इंजीनियरी उद्योगों, दूरसंचार और इलेक्ट्रोलिक उद्योगों, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों, अणु ऊर्जा उद्योगों, अन्य उद्योगों और खनिज आदि पर परिव्यय शामिल हैं।

** : इसमें भारतीय रेलवे - वाणिज्यक लाइन, भारतीय रेलवे स्ट्रैटिजिक लाइन , बंदरगाह और प्रकाशगृह, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन, अन्य परिवहन आदि पर किए गए परिव्यय शामिल हैं।

@@ : इसमें विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, प्रौद्योगिकी, अन्य सामान्य आर्थिक सेवा पर परिव्यय और सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं आदि मे निवेश शामिल है।

परिशिष्ट पर टिप्पणी भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्टों की टिप्पणियां

परिशिष्ट I की टिप्पणी:

1. जहाँ किसी प्रमुख समूह के अंतर्गत एक या अनेक उप समूहों के ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबंधित राशि बिक्री-कर को छोड़कर 'अन्य-उपसमूह' के सामने दर्शाई गई है, बिक्री-कर से संबंधित राशि 'राज्य बिक्री-कर' नामक उप-समूह के सामने दर्शाई गई है।
2. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', केंद्रीय योजना कार्यक्रम', केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है।
3. वर्ष 2006-07 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
4. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट II की टिप्पणी:

1. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूहों के ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य''उप-समूह' के सामने दर्शाई गई है।
2. वर्ष 2006-07(लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
3. योजनेतर व्यय को राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए अनुसार संबंधित लेखा-शीर्ष के लिए कुल व्यय से योजना व्यय को घटाकर निकाला जाता है। इसलिए कुछ राज्यों के लिए व्यय लेखा-शीर्ष के अंतर्गत योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े दिख सकते हैं।
4. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट III की टिप्पणी:

1. 'लोक लेखा' सहित सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम "आंतरिक ऋण" में शामिल किया है। जबकि भारिबै के पास "नकदी शेष निवेश खाता" और जमाराशियां क्रमशः 'आंतरिक ऋण और उचंत और विविध' में शामिल की गई है। निवल आधार पर कुल पूंजी प्राप्तियां लेने वाले पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकडों के साथ दिया है।
2. उपसमूह 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', प्रारक्षित निधि', जमा और अग्रिम', 'उचंत और विविध' और 'विप्रेषण', 'लोक लेखा' से संबंधित है।
3. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूह के ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य' उपसमूह के सामने दर्शाई गई है।
4. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', केंद्रीय योजना कार्यक्रम', केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम', और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां संबंधित राशि 'राज्य योजना कार्यक्रम' के सामने दशाई गयी है। इसी तरह, जहाँ 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम' और 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गयी है।
5. वर्ष 2006-07 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
6. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट IV की टिप्पणी:

1. 'लोक लेखा' तथा 'आकस्मिकता निधि' के अंतर्गत दिये गये आंकड़ों सहित सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं। लोक लेखा को छोड़कर कुछ पूंजी व्यय को पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ दिया गया है।
2. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या अनेक उपसमूह से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य' उपसमूहों के सामने दर्शाई गयी है।
3. वर्ष 2006-07 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
4. योजनेतर व्यय को राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिये गये अनुसार संबंधित लेखा शीर्ष के लिए कुल व्यय से योजना व्यय को घटाकर निकाला जाता है इसलिए कुछ राज्यों के लिए व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े दिख सकते हैं।
5. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

राज्य वित्त - वर्ष 2008-09 के बजटों का अध्ययन

स्वामित्व : भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
श्रीमती रेखा मिश्र द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001
के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा जयंत प्रिन्टरी, 352/54, गिरगांव रोड, मुरलीधर कम्पाउंन्ड, मुंबई - 400 002 में अभिकल्पित और मुद्रित।